



सत्यमेव जयते

भारत के राष्ट्रपति

डा० राजेन्द्र प्रसाद

द्वारा दिये गये -

महत्त्वपूर्ण भाषण

(19)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित, 1962

206758

040-4

9

विषय-सूची

क्रम संख्या	संदेश	पृष्ठ संख्या
1.	चौधरी छोटाराम किसान कन्या विद्यालय के अभिनन्दन पत्र का उत्तर	1
2.	समाज शिक्षण सप्ताह का उद्घाटन	6
3.	सार्वभौम स्वास्थ्य केन्द्र, बम्बई का निरीक्षण	9
4.	बम्बई में मणि भवन गांधी स्मारक का उद्घाटन	13
5.	कला केन्द्र का निरीक्षण	18
6.	अपाहिजों के लिए शैल्टर्ड वर्कशाप का निरीक्षण	19
7.	एस० के० पटिल आरोग्यधाम का उद्घाटन	20
8.	आदिमजाति कल्याण सम्मेलन का उद्घाटन	22
9.	अखिल भारतीय संधन क्षेत्र योजना सम्मेलन का उद्घाटन	25
10.	मार्शल टोटो के सम्मान में दिया गया भोज	30
11.	बरहन-एटा रेलवे लाइन का उद्घाटन	32
12.	बरहन-एटा रेलवे लाइन उद्घाटन के अवसर पर सार्वजनिक सभा	34
13.	सुभाषचन्द्र बोस जयन्ती समारोह	39
14.	गणतन्त्र दिवस के अवसर पर ब्राडकास्ट	42
15.	प्रवासी भारतीयों के लिये सन्देश	45
16.	संसद् के समक्ष अभिभाषण	46
17.	मौलाना अबुलकलाम आजाद की बरसी	58
18.	कम्बोज की संसद् के समक्ष भाषण	61
19.	कम्बोडिया में भारतीयों द्वारा स्वागत समारोह	64
20.	राष्ट्रपति जी द्वारा दिया गया सांध्य भोज	66
21.	नौम पेह्ल से प्रस्थान	69
22.	राष्ट्रपति हो ची मिन्ह के टोस्ट का उत्तर	70
23.	हनोई में प्रधान मन्त्री द्वारा दिया गया सांध्य भोज	72


क्रम संख्या	संदेश	पृष्ठ संख्या
24.	नागरिक स्वागत समारोह	73
25.	हर्नोई विश्वविद्यालय में भाषण	75
26.	डा० हौ ची मिन्ह के सम्मानार्थ दिये गये सांध्य भोज में भाषण	78
27.	विनतियान हवाई अड्डे पर उतरते समय भाषण ...	80
28.	यूथरैली के अवसर पर भाषण	81
29.	विश्व संस्कृत परिषद् के छठे सम्मेलन का उद्घाटन भाषण ...	83
30.	विश्व संस्कृतपरिषद् : पष्ठाधिवेशनमभिलक्ष्य राष्ट्रपतेरुद्घाटन- भाषणम्	88
31.	जगन्नाथपुरी में श्री गोपबन्धुदास की प्रतिमा का अनावरण करते समय भाषण	93
32.	रेड क्रॉस सोसायटी भवन का उद्घाटन	95
33.	सोखोदेवरा में सार्वजनिक सभा में भाषण	98
34.	सोखोदेवरा के नजदीक कपसिया ग्राम में कुष्ठ सेवा केन्द्र का उद्घाटन	105
35.	ग्राम निर्माण मंडल, सोखोदेवरा के कार्यकर्त्ताओं के बीच भाषण ...	107
36.	सोखोदेवरा आश्रम में बिहार प्रान्त के रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं के सम्मुख भाषण	110
37.	भारत साधु समाज का शिलान्यास	115
38.	खरीफ उत्पादन आन्दोलन के अवसर पर	119
39.	बिरला विद्यामन्दिर का वार्षिकोत्सव	121
40.	नैनीताल नगरपालिका के अभिनन्दन-पत्र का उत्तर ...	125
41.	बालिका विद्यामन्दिर का उद्घाटन	129
42.	गीता भवन, नैनीताल में पधारने के समय भाषण ...	131
43.	डी० एस० वी० गवर्नमेंट कालेज, नैनीताल का तृतीय वार्षिक दिवसोत्सव	133
44.	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वार्षिकोत्सव पर ब्राडकास्ट संदेश ...	137
45.	दसवें वन महोत्सव पर प्रेसिडेन्ट्स एस्टेट में वृक्षारोपण ...	140

क्रम संख्या	संदेश	पृष्ठ संख्या
46.	ब्लाक डिवैल्पमेंट कमिटी मेम्बर्स के प्रशिक्षकों के साथ वार्ता	141
47.	मथुरा से आए हरिजन कार्यकर्ताओं के सम्मुख भाषण	145
48.	महात्मा भगवानदीन' सत्कार समारोह	147
49.	परेड ग्राउंड में परेड के उपरान्त भाषण	150
50.	आन्ध्र प्रदेश सर्वोदय सम्मेलन का उद्घाटन	154
51.	गान्धी भवन, हैदराबाद में स्काउट्स और बुलबुल की रैली	159
52.	उस्मानिया ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन	161
53.	विनयाश्रम में भाषण	165
54.	विनयाश्रम में सार्वजनिक सभा में भाषण	167
55.	गांधी ज्ञान मन्दिर में भाषण	169
56.	सर्व सैवा संघ के कार्यकर्ताओं की बैठक में भाषण	171
57.	विनोबा जयन्ती के अवसर पर राजघाट की प्रार्थना सभा में भाषण	173
58.	संसदीय हिन्दी परिषद् द्वारा हिन्दी दिवस समारोह	174
59.	टेलीविजन कार्यक्रम का उद्घाटन	179
60.	सर छोटूराम कालेज का दूसरा दीक्षान्त समारोह	180
61.	श्री रामकृष्ण औषधालय का उद्घाटन	186
62.	त्रम्बा ग्राम में कस्तूरबा बाड़ी का निरीक्षण	188
63.	छोटी बचत योजना से एकत्रित राशि से पारितोषिक वितरण	190
64.	चर्खा द्वादसी पर राष्ट्रीयशाला में भूषण	192
65.	भावनगर में कुष्ठधाम का उद्घाटन	198
66.	महाराज बहादुर राम रणविजय प्रसाद सिंह एकसरे मेमोरियल क्लिनिक का उद्घाटन	202
67.	एक सार्वजनिक सभा में भाषण	205
68.	रामकृष्ण आश्रम के उद्घाटन के अवसर पर भाषण	209
69.	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् के अष्टम वार्षिकोत्सव का उद्घाटन	213

क्रम संख्या	संदेश	पृष्ठ संख्या
70.	प्रेमचन्द्र स्मारक का शिलान्यास ...	217
71.	मुन्शी ईश्वर शरण आश्रम में भाषण ...	221
72.	प्रयाग हिन्दी विद्यापीठ के समारोह में भाषण ...	228
73.	आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का उद्घाटन ...	228
74.	सरदार वल्लभभाई पटेल जयन्ती समारोह ...	231
75.	अन्धों के लिये नये स्कूल और उद्योग-गृह का शिलान्यास ...	237
76.	घटप्रभा में चिकित्सालय की स्थापना ...	239
77.	भगिनी मंडल भवन तथा कर्नाटक फाइन आर्ट्स सोसायटी का उद्घाटन ...	243
78.	मठों की स्थापनाओं का महत्त्व ...	245
79.	स्त्री-शिक्षा का महत्त्व ...	247
80.	गिबन हाई स्कूल कुमठा की स्वर्ण जयन्ती ...	250
81.	हमारी आर्थिक व्यवस्था और गोवंश ...	255
82.	संस्कृत विद्यापीठ की हीरक जयन्ती ...	257
83.	भारत का सांस्कृतिक विकास ...	260
84.	पंजाब के महान् नेता—ला० लाजपतराय ...	262
85.	भाखरा डैम पर काम करने वाले सैनिकों से ...	267
86.	कस्तूरबा ग्रामीण संस्था, राजपुरा में ...	269
87.	प्रार्थना सभा में ...	274
88.	गूजर जाति को उन्नत करने के उपाय ...	275
89.	शुकदेव मुनि आश्रम में ...	279
90.	तीन महान् विभूतियों के चित्रों का अनावरण ...	281
91.	अजभाषा का साहित्य और उसकी लोकप्रियता ...	286
92.	विरजानन्द वैदिक अनुसन्धान भवन का शिलान्यास ...	289
93.	गुरुकुल शिक्षाप्रणाली और गुरु-शिष्य परम्परा ...	292
94.	मथुरा में सार्वजनिक सभा में भाषण ...	294
95.	हिन्दी शिक्षा प्रसार—एक रचनात्मक कार्य ...	297

(V)

क्रम संख्या	संदेश	पृष्ठ संख्या
96.	गांववालों को काम कैसे मिल सकता है ...	301
97.	पूसा रोड (बिहार) में सार्वजनिक सभा में भाषण ...	303
98.	घी-दूध का उत्पादन और हमारे किसान ...	309
99.	बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ में स्मारक का उद्घाटन ...	313
100.	गांधी स्वाध्याय मंदिर ...	316
101.	मुजफ्फरपुर में सार्वजनिक सभा ...	323
102.	मुजफ्फरपुर कालेज की हीरक जयन्ती ...	328



चौधरी छोटूराम किसान कन्या विद्यालय के अभिनन्दन-पत्र का उत्तर

मुझे आज इस गांव में आने की और आप सब से मिलने की बड़ी खुशी है। पिछली बार जब यहां आने का निश्चय किया गया था, किसी कारण से उस कार्यक्रम को स्थगित कर देना पड़ा। तभी से मेरी यह उत्कृष्ट इच्छा थी कि समय मिलते ही मैं यहां आऊं और चौधरी छोटूराम किसान कन्या विद्यालय को देखूं।

आपका विद्यालय यद्यपि दिल्ली से बहुत दूर नहीं, पर यह ठेठ देहात में स्थित है, जिससे बहुत से ग्रामों के लोगों को इसके द्वारा लाभ पहुंचता है। जब मैंने इस विद्यालय की स्थापना का विवरण पढ़ा और इसकी प्रगति तथा स्वर्गीय चौधरी मुख्त्यारसिंह के प्रयत्नों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की, तो मुझे हर्ष और खेद दोनों का ही अनुभव हुआ। मुझे इस बात की खुशी हुई कि चौधरी मुख्त्यारसिंह जैसे निःस्वार्थ भावना तथा असीम लगन वाले समाज सेवी आज भी हमारे देहात में मौजूद हैं। उनकी लगन और सतत प्रयास के फलस्वरूप ही हम आज इस फलते फूलते विद्यालय को देख रहे हैं। इसके साथ ही उनके असामयिक निधन और निर्जल अनशन के कारण उनके बलिदान से किसे ठेस नहीं पहुंचेगी। जिस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने अनशन किया वह निःसन्देह बहुत ऊंची थी, किन्तु यह खेद का विषय है कि उस अनशन का अन्त इतना दुःखद हुआ।

जो लोग इस विद्यालय से लाभ उठाते अथवा जिन्हें इसके प्रति सहानुभूति है तथा इसमें किसी भी तरह की दिलचस्पी रखते हैं, उनका यह कर्तव्य है कि जो योजना विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय मुख्त्यारसिंह जी ने बनाई थी उसे पूर्ण करने का भरसक प्रयत्न करें। यदि उनके जीवन काल में यह कार्य नहीं हो सका, कोई कारण नहीं कि अब उसे यथाशीघ्र क्यों न पूरा किया जा सके। इस अवसर पर मैं चौधरी मुख्त्यारसिंह जी की समाज सेवा की भावना तथा त्याग की भावना के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ।

शिक्षा के महत्व के सम्बन्ध में, विशेषकर स्त्री शिक्षा के बारे में, बहुत अधिक कहना मुझे अनावश्यक जान पड़ता है। इस बात को सभी जानते हैं कि जितनी भी हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षायें हैं, और आर्थिक विकास अथवा देश निर्माण के सम्बन्ध में जो भी हमारे स्वप्न हैं, उन सब की आधारशिला शिक्षा अथवा साक्षरता है। सार्वभौम साक्षरता के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सका है।

दुहाई (मेरठ) में चौधरी छोटूराम किसान कन्या विद्यालय की ओर से दिए गए अभिनन्दन पत्र के उत्तर में भाषण; 5 जनवरी, 1959।

जिन सुविधाओं अथवा सफलताओं को साधन बना कर हम कल्याण राज्य का भवन खड़ा करते हैं उन साधनों में शिक्षा का सर्वप्रथम स्थान है। भौतिक उन्नति और आर्थिक विकास की दृष्टि से ही नहीं, व्यक्ति के निजी विकास के लिए भी शिक्षा एक आवश्यक साधन है।

आप लोग जानते ही हैं हमारे देश का शासन प्रजातन्त्र की प्रणाली के अनुरूप है, अर्थात् जो लोग मन्त्री बनते हैं और शासन को चलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, उनका चुनाव भारत की जनता करती है। देश भर के आम चुनाव में करीब १८ करोड़ नर नारी मत देते हैं। इस काम के लिए भी, जो सारे राजकाज का आधार है, यह जरूरी है कि सभी मतदाता थोड़े बहुत शिक्षित हों, जिससे कि वे राजनीतिक मामलों को समझ सकें और कम से कम यह जान सकें कि किस दल के क्या सिद्धान्त और क्या नीति है। इसीलिए यह कहा जाता है कि लोकतन्त्र प्रणाली की सफलता का आधार सार्वजनिक शिक्षा है। यद्यपि सरकार शिक्षा प्रसार के लिए सभी सम्भव प्रयत्न कर रही है और निश्चय ही भविष्य में भी करती रहेगी, इस काम में समाज सेवी नागरिकों के प्रयत्न के लिए सदा स्थान रहेगा। वास्तव में, इस विशाल देश के सब बच्चों तक शिक्षा की सुविधा जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि इस दिशा में केवल सरकारी योजनाओं और प्रयत्नों पर ही सन्तोष करके न बैठा जाए। जनता का भी यह कर्तव्य है कि गैरसरकारी साधनों को जुटा कर इस बड़े काम में सरकार का हाथ बटाया जाए। तभी यह काम उस तेजी से हो सकेगा जिससे हम सब इसे करना चाहते हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की जिम्मेदारी के बारे में अक्सर सुनने में आता है। यह मांग करना कि शिक्षा को सर्वप्रथम स्थान दिया जाए और जिस तरह भी हो सरकार इसके लिए साधन जुटाए, अनुचित नहीं। पर क्या किसी को यह कहने की जरूरत है कि सरकारी बल्कि राष्ट्रीय साधन राष्ट्र निर्माण के दूसरे कामों में भी लगे हैं। जब तक उत्पादन के साधनों का पूरी तरह से विकास नहीं किया जाएगा इस देश से गरीबी दूर नहीं होगी। यही कारण है कि बड़ी बड़ी नदी-घाटी योजनायें, छोटे-बड़े बांध, अनेकों विशाल कारखाने देश के सभी हिस्सों में बनाए जा रहे हैं। यह काम इतना बड़ा है और इसके लिए इतने अधिक साधन चाहिए कि सोच विचार कर योजना बनाए बिना हम इसे कभी नहीं कर पाएंगे। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं को इसी लिए चालू किया गया है कि राष्ट्र निर्माण के सभी जरूरी काम एक क्रम से जनता के हित में यथाशीघ्र पूरे किए जा सकें। इन जरूरी कामों में शिक्षा भी एक है, पर इसके साथ ही दूसरे भी अनेकों

काम हैं जिनके लिए धन चाहिए। इसलिए राष्ट्र के साधन कई हिस्सों में बट जाते हैं और शिक्षा के लिए इस समय सरकार उतना धन नहीं दे सकती जितना इस काम के लिए देना चाहिए। इस कमी को पूरा करने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि लोकसेवी उत्साही लोग आगे आएँ और निजी साधनों के बल पर शिक्षा को प्रोत्साहन दें और इसका प्रसार करें। देहाती क्षेत्रों में इन साधनों को पहुँचाना और भी जरूरी है, क्योंकि एक तो निरक्षरता अधिक देहातों में है और दूसरे देहातों में ही स्कूलों आदि की अभी तक अधिक कमी रही है। आप की पाठशाला इस दिशा में एक उदाहरण है और देहातों में रहने वाली जनता के लिए यह एक आदर्श उपस्थित करती है।

राष्ट्र की उन्नति में शिक्षा का क्या स्थान है, इसके बारे में मैंने कुछ कहा है, किन्तु मैं समझता हूँ बालिकाओं की शिक्षा का महत्व विशेष रूप से अधिक है। अभी तक स्त्रीशिक्षा की सुविधाएँ भी सीमित रही हैं और उसकी ओर इतना ध्यान नहीं दिया जा सका जितना बालकों की शिक्षा की ओर दिया गया है। सच बात यह है कि जहाँ बालक केवल अपने लिए पढ़ता है और जो शिक्षा वह प्राप्त करता है उसका उपयोग उसी तक सीमित रहता है, दूसरी ओर प्रत्येक बालिका द्वारा प्राप्त शिक्षा का लाभ एक परिवार को पहुँचता है। बालिकाओं को बड़े होकर गृहिणियों के रूप में घर की देख संभाल और बच्चों का पालन पोषण करना होता है। इन कामों पर शिक्षा का गहरा प्रभाव पड़ता है। यह स्वाभाविक है कि शिक्षित गृहिणी घर के काम काज को अपनी अशिक्षित बहन की अपेक्षा अधिक सूझबूझ और दक्षता से कर सके। इस कारण मेरा सदा यह विचार रहा है कि यद्यपि शिक्षा आवश्यक सभी के लिए है परन्तु स्त्रियों के लिए अधिक नहीं तो कम से कम बालकों से कम आवश्यक नहीं। मुझे बहुत खुशी है कि स्वर्गीय चौधरी मुख्तारसिंह की जगन सेवा भावना के फलस्वरूप इस देहात में किसान भाइयों की कन्याओं के लिए इतनी अच्छी पाठशाला की स्थापना हुई है। इस पाठशाला का भावी रूप क्या हो, यह कितनी आगे बढ़े और इससे आस पास के गावों में रहने वाले लोग कितना लाभ उठायें— यह सब आप लोगों के प्रयत्नों पर निर्भर करता है। इस पाठशाला के संस्थापक ने एक स्वप्न देखा था, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी और यहाँ तक कि अपने जीवन की आहुति भी दे डाली। अब यह दायित्व आप लोगों पर है कि उनके अधुरे काम को आप पूरा करें और इस पाठशाला को शिक्षा का ऊँचा केन्द्र बना डालें। यह आवश्यक नहीं कि उच्च शिक्षा के केन्द्र शहरों में ही हों, देहात

की भूमि और गांवों में रहने वाली जनता भी कालेजों और विश्वविद्यालयों की अधिकारी है। उन्हें अपनी लगन और प्रयत्नों द्वारा इस बात को प्रमाणित कर देना चाहिए कि देहात भी शिक्षा केन्द्रों के उतने ही अनुरूप हैं जितने बड़े बड़े शहर।

चौधरी छोटूराम किसान कन्या विद्यालय की छात्राओं को मैं अपना स्नेहपूर्ण आशीर्वाद देता हूँ और पाठशाला के शिक्षण तथा व्यवस्था से सम्बन्धित सभी सज्जनों और देवियों को बधाई देता हूँ। मुझे पूरी आशा है कि यह पाठशाला दिनोंदिन आगे बढ़ेगी और देहाती शिक्षा के क्षेत्र में एक सराहनीय परम्परा स्थापित करने में सफल होगी। मैं आप सब का आभारी हूँ कि आपने मुझे यहां निमन्त्रित किया। मैंने जो कुछ यहां देखा उससे मुझे बहुत प्रसन्नता और सन्तोष मिला है।

मैं विद्यालय के संचालकों को धन्यवाद और खास करके श्रीमती शिवा देवी को मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ तथा इस पाठशाला को मैं अपनी ओर से एक हजार रुपये की मदद देता हूँ। मुझे इस बात की पूरी आशा है कि यहां के किसान लोग स्कूल के लिए जो उनसे मांग थी उसको मंजूर करेंगे क्योंकि वह मांग कोई बड़ी मांग नहीं। अगर मन गन्ने के पीछे एक पैसा मांगा जाता है तो उसको देने में किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए और इसी वजह से चौधरी मुख्त्यारसिंह ने यह मांग की कि जैसे-जैसे किसान गन्ना बेंचेंगे मन पीछे किसान एक पैसा निकाल दिया करेंगे तो उनको कष्ट नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ कि यह काम पूरा होगा।

अगर जो गरीब लोग हैं, मामूली लोग हैं, जो छोटे लोग हैं दान देते हैं तो उसका महत्व होता है। पूज्य महात्मा गांधी के साथ एक लड़की थी जो दिन प्रति दिन लोग जो कुछ दान देते थे उसका हिसाब रखा करती थी। आप लोग जानते हैं कि महात्मा जी जहां जाते थे वहां संध्या को प्रार्थना करते थे तो वहां बहुत लोग इकट्ठे होते थे। वहां वह लड़की सभी लोगों से पैसे मांगा करती थी। जो लोग दान देते थे उसे हरिजन सेवा के काम में लगाया जाता था। एक दिन एक अंधी औरत जो भीख मांग कर अपना दिन काटा करती थी प्रार्थना सभा में पहुंच गई और उसने कहा कि वह गांधी जी का पैर छू कर प्रणाम करना चाहती है। जब उसको गांधी जी के पास लोग ले गए तो उसने अपनी जेब से चार आने पैसे जो भीख मांग कर अपने खाने के बाद उसने बचाए थे हरिजन सेवार्थ

गांधी जी के हाथ में रख दिए । उस दान से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए । उन्होंने कहा कि कोई लाख रुपये का दान मुझे दता तो भले ही उसकी कीमत अधिक होती पर उसका महत्व इस दान के महत्व से ज्यादा नहीं क्योंकि इस अंधी औरत ने इतने परिश्रम से भीख मांग कर उसमें से बचाकर चार आने दिए हैं । तो समझना चाहिए कि छोटा दान कम कीमती नहीं होता । एक पैसे का और एक लाख का दान दान ही होता है । मैं आशा करता हूं कि सब लोग दान देकर इस विद्यालय के काम में मदद करेंगे, अपने दान से इसकी कमी को पूरा करेंगे ।

समाज शिक्षण सप्ताह का उद्घाटन

राज्यपाल महोदय, बहनों और भाइयो,

आपने मुझे इस शिक्षण सप्ताह का आरम्भ करने का जो मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभार मानता हूँ ।

शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसमें हमारी दिलचस्पी हमेशा से रही है और मैं आशा करता हूँ कि हमेशा रहेगी । आप जानते हैं कि देश बहुत बड़ा है । हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है और वह दिन-प्रतिदिन बहुत जोरों से बढ़ती जा रही है । हमारे पास जो साधन हैं वह इतने नहीं हैं कि उनसे देश भर में सभी के लिए अच्छा और सुन्दर प्रबन्ध कर सकें और यही कारण है, जैसा अभी आपने बताया, यद्यपि हमारी इच्छा हमेशा रही है कि साक्षर लोगों की संख्या अधिक से अधिक हो जाए पर इस काम में पूरी कामयाबी नहीं हुई है और आगे के लिए यह निश्चय किया गया है कि इस काम पर और अधिक जोर दिया जाएगा और साक्षरता को बढ़ाने का प्रबन्ध किया जाएगा । तो इस बारे में कुछ सन्देह नहीं कि साक्षरता का बढ़ा महत्त्व है और उसको बढ़ाना चाहिए और मैं आशा करता हूँ कि जो भी योजना बनेगी वह योजना इस काम में अधिक सफलता प्राप्त करेगी और आप सबकी उसको सह्यता मिलेगी ।

मगर मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि साक्षरता के अलावे निरक्षर अनपढ़ लोगों को भी हमें शिक्षित करना होगा । शिक्षित शब्द का अर्थ एक तरह से यह मान लिया गया है कि जो आदमी लिख लेता है पुस्तकें पढ़ लेता है वही शिक्षित है । मेरा ख्याल यह है कि बिना लिखना-पढ़ना जानते हुए अनपढ़ जनता से भी मनुष्य को बहुत प्रकार की शिक्षा मिल सकती है जो लोगों के जीवन के लिए, जो समाज के लिए, जो संसार के लिए लाभकारी होगा और मैं चाहूँगा कि आपका यह प्रयत्न केवल साक्षरता बढ़ाने तक सीमित न रहकर इस ओर भी ध्यान दे । क्योंकि अगर हम साक्षरता पर ही भरोसा बढ़ाते रहें तो दूसरे काम रुक जा सकते हैं । आज शिक्षण का काम बहुत प्रकार से बहुत आसान हो गया है । आप जानते हैं कि हमारे देश में प्राचीनकाल से गांव-गांव में सब बैठकर शास्त्रों की कथा और ग्रंथों का पाठ दूसरों से सुना करते थे और इस तरह से पुस्तकों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेते थे और इतना ही नहीं कठिन से कठिन चीजों को भी अपनी भाषा में बता देते थे जो बड़ी-बड़ी पुस्तकों

समाज शिक्षण सप्ताह का उद्घाटन करते समय भाषण; बम्बई, 9 जनवरी, 1959 ।

में मिलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि कोई भी योजना जो जनसाधारण में साक्षरता का काम प्रचलित करे वह इस साधन को छोड़े नहीं और इससे अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए। साथ ही आज जो दूसरे प्रकार के और ही साधन हमारे हाथों में आ गए हैं, जिनके द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं उनसे भी लाभ उठाएँ। आपने रेडियो का जिक्र किया। हमारे यहां गांव-गांव में घर-घर में रेडियो पहुंच सकता है। मैं चाहूंगा कि इन साधनों को अधिक-से-अधिक उपयोगी बना कर इनको अपनाया जाये और उनसे लोगों में शिक्षा का प्रचार किया जाय जिसमें वे लोग भी जो साक्षर नहीं हैं जो पुस्तकें नहीं पढ़ सकते हैं जो समाचार-पत्र नहीं पढ़ सकते हैं सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकें। मैं समझता हूँ कि यह कोई बहुत कठिन काम नहीं है और जितने समय में उन्हें साक्षर बनाकर उनको यह सब ज्ञान दिया जा सकता है उससे कम समय में इस प्रकार के साधनों द्वारा लोगों के पास दूर-दूर तक गांव में जंगलों में बसने वाले लोगों तक आप उसे पहुंचा सकते हैं और उससे यही नहीं होगा कि उनके पास आप कथा, कहानी पहुंचा सकेंगे उनको ग्रंथों की कहानियां बता सकेंगे बल्कि कठिन-से-कठिन विषयों में अगर हम ठीक तरह से उनको समझाएँगे तो उनको हम शिक्षित कर सकते हैं।

मेरा ख्याल है कि आज आधुनिक विज्ञान के युग में भी विज्ञान की बातें भी आसानी से सभी लोगों को मामूली तौर से बतायी जा सकती हैं, जिसमें विज्ञान का साधारण ज्ञान उनको प्राप्त हो जाए। इसलिए आपके इस सप्ताह का महत्त्व और भी अधिक हो जाता है कि आप केवल-उन्हीं लोगों को शिक्षित करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं जो साक्षर हैं बल्कि जो अनपढ़ हैं उन लोगों को भी शिक्षित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस प्रयत्न पर जितना जोर दिया जा सके दिया जाए और मेरा विश्वास है कि इस पर अगर जोर दिया जाएगा तो इसका फल जल्द मिल जाएगा और लोग जल्द से जल्द पढ़ सकेंगे और तेजी के साथ उनमें ऐसे ज्ञान का प्रचार कर सकेंगे जो आज के युग में आवश्यक है।

आज उदाहरण के लिए अभी नये-नये उपग्रह निकाले जाते हैं और आकाश में और अन्तरिक्ष में चलाये जा रहे हैं। उनके सम्बन्ध में अच्छे-से-अच्छे शिक्षित लोग जिनको साइंस का भी ज्ञान है उनसे भी जानना चाहेंगे तो वह बहुत कुछ नहीं बता सकेंगे। मगर मामूली तौर पर कोई आदमी जो मामूली अखबार पढ़ता है वह कह सकता है कि यह क्रांतिकारी बात इस वक्त हो रही है। तो इस तरह की विज्ञान की बात गांव-गांव में घर-घर में गरीब-से-गरीब और अनपढ़-से-अनपढ़

आदमी तक पहुंचाना आसान होना चाहिए और मैं चाहूंगा कि इसी तरह से यह काम किया जाए। जहां पुस्तकों और लाइब्रेरियों की सहायता मिल सकती है मैं समझता हूँ केवल पढ़े-लिखे लोग जो अच्छा ज्ञान रखते हैं जो पढ़ना-लिखना जानते हैं उनको उनसे मदद लेनी चाहिए ऐसा प्रबन्ध हो और खोज की मदद से और अन्य प्रकार से जो शिक्षा मिल सकती है वह शिक्षित लोगों को दी जाए। इसका रास्ता आसानी से निकल सकता है। गांव में जो समाचार-पत्र आते हैं वह गांव के लोग इकट्ठे हो कर समाचार-पत्र पढ़ें और जो नहीं पढ़ सकते हैं वह सुन लें और इस तरह से उसको जान लें। इसी तरह से मामूली पुस्तकों को जो लोग दूसरों को पढ़कर सुना सकते हैं सुनाएं। जो पुराण की बातें सुन लिया करते हैं और समझ सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि मामूली ऐतिहासिक घटनाओं और सामाजिक बातों को वे क्यों नहीं समझ सकते हैं। सवाल यह है कि जो साधन उपलब्ध हैं उनको अपनाया जाए और इस दिशा में भी हमको काम करना है। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं आपके यहां आया। मैंने समझा कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं इस बात का निवेदन कर सकूंगा कि साक्षरता पर जितना हो सकता है जोर दिया जाए। गवर्नमेन्ट भी मदद दे सकती है गवर्नमेन्ट की मदद की जहां जरूरत हो गवर्नमेन्ट जरूर दे मगर साथ निरक्षर और अनपढ़ लोग भी कुछ सीख सकते हैं यह काम आप कर सकते हैं।

मुझे खुशी है कि आपने मुझे यह मौका दिया कि मैं चन्द शब्द कह सका। इन शब्दों के साथ मैं इस शिक्षण सप्ताह का उद्घाटन करता हूँ।



सार्वभौम स्वास्थ्य केन्द्र, बम्बई का निरीक्षण

राज्यपाल महोदय, श्री शर्मा जी, बहनों और भाइयों !

मैं यहां आया और जो कुछ आप यहां कर रहे हैं उसका कुछ हाल देखा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई मैं कोई विज्ञान का आदमी नहीं हूँ और न वैद्य हूँ न डाक्टर हूँ। मुझे यदि इस विषय पर कुछ कहने का अधिकार है तो यही कि मैं बहुत दिनों तक रोगी रहा हूँ और उस हैसियत से मुझे डाक्टरों की सहायता मिली है। मुझे वैद्यों की सहायता मिली है और जितने दूसरे प्रकार के चिकित्सा के कार्यक्रम इस देश में चालू हैं सब की थोड़ी-बहुत सहायता मुझे जब तब मिलती रही है।

मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि चाहे आयुर्वेद हो, तिब हो, होमियोपैथी हो, ऐलोपैथी हो या और भी कोई दूसरी प्रथा चिकित्सा की ही सब से जरूरी चीज यही है कि जो सच्चा विज्ञान का रास्ता है उस रास्ते को नहीं भूला जाए और वह रास्ता यही है कि सब अपनी आंख और कान तथा अपने दिमाग को न बन्द कर लें जहां कहीं से रोशनी मिले उसको देखने के लिए आंख तैयार रहें जहां कहीं अच्छी बात हो उसको सुनने के लिए कान तैयार रहें और जहां कहीं कोई नयी बात हो उसको जानने के लिए दिमाग तैयार रहे। यह विज्ञान का सब से बड़ा दुश्मन है कि हम अपने आंख, कान और दिमाग बन्द कर लें। तो यही मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि चाहे आयुर्वेद हो, ऐलोपैथी हो, होमियोपैथी हो या कुछ हो, यह नहीं समझना चाहिए कि जो कुछ उन्होंने सीख लिया या जान लिया या जो कुछ उनकी पुस्तकों में लिखा गया है या जो कुछ अनुसंधान की रीति से वे जान सके हैं उतना ही काफी है और दूसरी प्रथा से कुछ सीखने या जानने की बात नहीं है।

मैं जानता हूँ और आयुर्वेद के भी बड़े-बड़े विद्वान इस बात को कहते और समझते हैं कि उनके सिवाय दूसरी प्रथा से कुछ सीखना नहीं है और उनकी अपनी जो कुछ है वही काफी है और जहां ऐलोपैथी का सवाल है वहां तो शायद अधिकांश लोगों का यही विचार है कि जो उनकी प्रथा में है वही काफी है और उनको कहीं दूसरी जगह जाने या दूसरे किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। तो मैं दोनों से यही प्रार्थना करूँगा कि एक-दूसरे से सीखने और जानने का प्रयत्न करते रहें और इसलिए मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि मैंने यहां

सार्वभौम स्वास्थ्य केन्द्र, बम्बई का निरीक्षण करने के पश्चात् भाषण; 9 जनवरी, 1959।

देखा कि आप जो चिकित्सा करते हैं रोग का निदान करते हैं रोग को दूर करने का उपाय करते हैं उसका जो नतीजा निकलता है उसकी आप ऐलोपैथी के जरिये से फिर से जांच करते हैं और जांच करके आप दिखलाते हैं कि आपकी प्रथा से भी फायदा पहुंचता है और पहुंच सकता है ।

मैं चाहूंगा कि इस तरह की जांच और अस्पतालों में भी की जाए और तब दोनों प्रथाओं से पूरी तरह से हम लाभ उठा सकेंगे । हिन्दुस्तान इतना बड़ा देश है यहां इतने रोग हैं और हो सकता है कि आज की आबहवा जो आज के समाज की स्थिति है और जो दुनिया में तरक्की हो रही है उसके कारण रोगों की भी काफी तरक्की हो रही हो । तो ऐसी अवस्था में जिन जरियों से जिन तरीकों से हम रोग का निदान कर सकें और उनसे बचने का उपाय कर सकें उनमें से किसी को छोड़ना नहीं चाहिए और न किसी पर हेय निगाह रखनी चाहिए और जब यह होगा तभी हम सभी जगहों पर सभी लोगों तक पहुंच सकते हैं । यह हम नहीं भूल सकते कि नयी प्रथा चाहे कितना भी वैज्ञानिक हो और कितना भी कारगर हो मगर उसका खर्च इतना बढ़ता जा रहा है कि वह गरीब देश जितने बड़े पैमाने पर चाहता है उसको फैला नहीं सकता और जो फैलाने की कोशिश की जा रही है और इसमें शक नहीं कि बहुत कोशिश की जा रही है उसमें जैसा रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा कि जैसे-जैसे सुरसा अपना मुंह फैलाती गई वैसे-वैसे हनुमान जी उसके दुगुना अपने शरीर को फैलाते गये उसी तरह से जितना ही चिकित्सा का प्रबन्ध बढ़ता है उतना ही रोग का फैलाव और उसकी कठिनता और जटिलता भी बढ़ती जाती है ।

इन सब चीजों को देकर हर प्रकार की चिकित्सा प्रणाली से सहायता लेने के लिए हम तैयार नहीं रहेंगे तब तक हम देश की सारी जनता तक पहुंच नहीं सकेंगे और सब को लाभ पहुंचा नहीं सकेंगे । सबसे अच्छी बात मेरी समझ में यही है कि डाक्टर और वैद्य की जरूरत नहीं रहे और डाक्टरों और वैद्यों का सब से बड़ा काम यही है कि वे अपनी हैसियत को खतम कर दें यां डाक्टरों और वैद्यों की जरूरत ही नहीं रहे और यह हो सकता है कि इस तरह से कि सारे देश का स्वास्थ्य इतना अच्छा हो जाए कि वैद्य और डाक्टर बुलाने की जरूरत ही नहीं रह जाए । आयुर्वेद का अर्थ भी यही है । आयुर्वेद का अर्थ बीमारी का आराम करना नहीं है, वह जीवन का वेद है । आयुर्वेद इस तरह से जीने के लिये सिखाता है कि कोई बीमार ही नहीं पड़े । सच्चा आयुर्वेद वही है । मैं समझता हूं कि कोई भी चिकित्सा प्रणाली हो जो इस पर ध्यान नहीं देकर केवल रोग को आराम करने की तरफ ध्यान देती है वह पूरी नहीं कही जा सकती ।

मैं अक्सर लोगों को यह कहते सुनता हूँ कि इस देश में जनसंख्या के अनुपात से इतने डाक्टर हैं, इतनी नर्स हैं जबकि फलां देश में जनसंख्या के अनुपात से हम से कई गुना डाक्टर, वैद्य या नर्स हैं या रोगियों के रहने के लिए बड़े-बड़े अस्पताल हैं। मैं पूछता हूँ कि क्या इस तरह से सोचना ठीक है या यह सोचना ठीक है कि हम ऐसा प्रबन्ध करें अस्पतालों की तायदाद कम हो, डाक्टरों की तायदाद कम हो, वैद्यों की तायदाद कम हो, उनकी ज़रूरत कम हो।

मुझे इस बात की खुशी है कि आप यहां पर एक प्रकार का मेल कर रहे हैं और इस तरह से जो लोगों के दिलों में उपेक्षा की भावना आ गयी है उसको दूर करने की बात जो प्रचलित प्रथा है और जो आज भी बावजूद इसके कि न तो उसको पढ़ाने का ठीक इन्तजाम है और न उसके बड़े-बड़े अस्पताल हैं आज भी अधिकांश जनता को उससे मदद मिलती है, राहत मिलती है और उसके जरिए से बीमारी आराम होती है उसका ऐलोपैथी के साथ मेल कराकर रास्ता खोल रहे हैं कि लोगों के दिल में जो शक और शूभा है वह दूर हो। शक शूभा से ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूँ और उसको दूर करने की तरफ आयुर्वेद का ध्यान गया है। चाहे कोई भी पैथी हो यदि उससे बीमारी आराम होती है तो वही ठीक पैथी है। मगर आज हम चाहेंगे कि एक दूसरे के प्रति विश्वास हो, एक दूसरे के साथ आदान-प्रदान किया करें। अगर आयुर्वेद में कुछ कमी है और उसे ऐलोपैथी से ले सकते हों तो आयुर्वेद को खुले दिल से उसको ग्रहण करना चाहिए क्योंकि आखिर आयुर्वेद कई सौ वर्षों से ठप्प रह गया है। जिस समय आयुर्वेद और ऐलोपैथी एक मुकाबलें में थे याने एक उन्न के थे उस समय आयुर्वेद ऐलोपैथी से आगे था पर इधर आयुर्वेद बहुत-सी बातों में पीछे रह गया है। तो आज के लोगों को उससे संतोष नहीं होता है और वह कहना चाहते हैं तो वह ठीक है। वे तो आंखों से नतीजा देखना चाहते हैं। नब्ज देखकर आप समझ जाते हैं कि बीमारी क्या है इससे लोगों को संतोष नहीं होता है जब तक माइक्रोस्कोप देखकर यह नहीं कहा जाता कि कौन सी बीमारी के कीड़े हैं। आप नब्ज देखकर बीमारी का निदान करते हैं तो ठीक है पर जब तक पूरा खर्च करके एकसरे के जरिए से, माइक्रोस्कोप के जरिए अनेक प्रकार की जांच नहीं की जाए तब तक डाक्टर को संतोष नहीं और जब डाक्टर को संतोष नहीं होता तो रोगी को भी संतोष नहीं होता। अगर ये चीजें हैं और इनसे लाभ उठा सकते हैं तो उठाय जाए मगर आप अपना दिमाग खोलेंगे और यह दिखला देंगे कि जो चिकित्सा आपकी है इन यन्त्रों से जांच करने पर कामयाब होती है तो लोगों का विश्वास और भी बढ़ेगा और दिन-प्रति-दिन आपको

वह विश्वास बढ़ाना चाहिए। आज दुनिया में बहुत-सी ऐसी चीजें हो रही हैं जिनका पहले हम ने स्वप्न भी नहीं देखा था। अगर उनकी तरफ हम आंख नहीं खोलेंगे तो काम नहीं चलेगा, हम आंख खोलें या नहीं खोलें वह चीज सिर पर आ जाएगी। तो अच्छा हो कि हम आंख खोलें और उससे बचने की कोशिश करें और यदि उससे लाभ उठा सकते हैं तो लाभ उठाना चाहिए।

इसलिए एक तरफ तो जो उपेक्षा की भावना है वह दूर होनी चाहिए और दूसरी तरफ जितनी तरह की चिकित्सा अभी देश में चालू है उनमें जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनका आपस में आदान-प्रदान होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है है कि आप दोनों तरह की चिकित्सा पद्धति का मेल कर रहे हैं। मुझे आशा है कि यह काम और भी बढ़ेगा और अभी जो अड़चन है वह दूर हो जाएगी।

बम्बई में मणि भवन गांधी स्मारक का उद्घाटन

श्री दिवाकर जी, बहनों और भाइयों,

आपने मुझे आज इस समारोह में बुलाकर अनुगृहीत किया है। मणि भवन का उद्घाटन तो एक बहाना मात्र था क्योंकि भवन का उद्घाटन तो पहले ही हो चुका था। यह केवल मेरे लिये एक मौका है कि मैं उन स्मृतियों को अपने अन्दर जागृत करूं जो उस स्थान पर जाने से मेरे हृदय में जागृत होने लग गयी हैं।

मुझे स्मरण नहीं, कितने ऐसे मौके होंगे जब मैं उस भवन में गया था और महात्मा जी से मिला था। कई ऐसे मौके भी आये जब मैं वहां रहा और वहां रहकर महात्मा जी के साथ जो कुछ थोड़ा-बहुत मैं सीख सकता था, देख सकता था, मैंने सीखा या देखा। एक दृश्य विशेष करके आज मुझे दिमाग में आ गया वहां छत पर लोगों ने एक खीमे का नक्शा बना दिया है और एक हमेशा के लिए खीमा खड़ा कर दिया है। कहा जाता है कि उसी खीमे के अन्दर महात्मा जी ने बैठकर 1932 के जनवरी में जब वह विलायत से लौटकर आए थे वाइसराय के पास पत्र लिखा था और वहां से ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी। मुझे आज याद आ गया कि उस खीमे में उनके साथ उनकी गिरफ्तारी के 7, 8 घंटे पहले मैं था और यद्यपि उस समय वाइसराय को आखिरी पत्र महात्मा जी ने लिखा नहीं था या वह लिख चुके थे पर अभी भेजा नहीं गया था मगर हम लोग समझ रहे थे कि अब उनकी गिरफ्तारी होगी और मुझे आदेश मिला कि मैं जल्द से जल्द अपने स्थान पर बिहार में पहुंच जाऊं और जाकर देखूं कि वहां क्या होता है। उस आदेश को लेकर मैं करीब 9 बजे निकला और जब मैं गाड़ी में था तो 4 बजे सुबह महात्मा जी की गिरफ्तारी हो गयी। उसके बाद का किस्सा आपको मालूम है। उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद वह कुछ दिनों तक इधर उधर रहे और अन्त में साबरमती में गये। उसके बाद उनका स्थान बदलकर वर्धा चला गया और वह वहां अधिक करके रहने लग गए।

ये सब पुरानी बातें हैं ऐसी जगह देखने से और वहां पर जो चित्र लगाये गये हैं उनको देखने से वहां उनके लेखों, पत्रों और दूसरी चीजों के चित्र टूंगे हुए हुए हैं उनको देने से याद आ जाती है यह स्वाभाविक है। जब उस महात्मा जी के शरीर को कायम नहीं रख सके तब उनकी याद उनके चित्रों तथा उनके लिखे

भारतीय विद्याभवन, बम्बई में मणि भवन गांधी स्मारक का उद्घाटन करते समय भाषण; 10 जनवरी, 1959

कागजों से कहां तक और कब तक सुरक्षित रख सकेंगे मालूम नहीं। यह बड़ी जिम्मेदारी हम पर विश्व की है, विश्व ने यह जिम्मेदारी हमको दी है कि इस चीज को हम कायम रखें। वह भी जिम्मेदारी हमारी बड़ी थी। अगर उनके शरीर को हम कायम रख सकते तो वह आज न मालूम दुनिया में कितनी हेर-फेर करा सकते, आज जो भयंकर स्थिति संसार के सामने है उस स्थिति को दूर करने में वह कितनी मदद कर सकते यह कहना मुश्किल है। मगर जब हम अनुमान करते हैं कि जब उन्होंने स्वराज्य का आन्दोलन शुरू किया तो हम में से कितने थे जो यह विश्वास करते थे कि वह आन्दोलन अन्त में कामयाब होकर रहेगा। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि हम में से बहुतेरे लोग जो उसमें पड़े थे यह समझ कर पड़े थे कि हमारी जिन्दगी तो उसमें लगी ही है, हो सकता है कि हमारे बाद भी लोगों की जिन्दगी उसमें लगे मगर एक न एक दिन वह चीज आयेगी। उनमें से बहुत कम लोग यह समझते थे कि अपने समय में अपनी आंखों से वे स्वराज्य देख सकेंगे, अपने देश का कारबार सम्भाल सकेंगे मगर वह चीज जो उस वक्त एक स्वप्न-सी मालूम होती थी, हो कर रही और हमने देखा और आज हम स्वतन्त्र हैं। उसी तरह से आज दुनिया में अणु बम के युग में, आर्टिफिशियल प्लैनेट के युग में महात्मा जी क्या करते या नहीं करते आज हम अनुमान भी नहीं कर सकते हैं मगर हम मानते हैं कि वह कुछ न कुछ करते जो एक चमत्कार होता और उससे दुनिया को राहत पहुंच सकती।

आज जिस परेशानी में सारी दुनिया है, सारी उन्नति के होते हुए परेशानी है उससे बचाना किसी ऐसे ही युग पुरुष का काम है जो केवल भौतिक साधनों पर निर्भर नहीं करके, केवल, मैटेरियल चीजों पर भरोसा नहीं करके किसी ऐसी चीज पर भरोसा करते हैं जो पकड़ में नहीं आ सकती, कैद नहीं की जा सकती, दबायी नहीं जा सकती।

हम अपने देश में आज बड़ी-बड़ी चीजें कर रहे हैं हम ने बड़े-बड़े काम हाथ में लिये हैं, महान् योजनाएं चल रही हैं तो स्वभावतः उनको देखकर खुशी होती है और बहुत उत्सुकता के साथ हम उनकी कामयाबी की ओर देखते हैं और देखना भी चाहिए, जो कुछ शक्ति हो उसमें लगानी चाहिए। मगर साथ ही यह विचार भी आता है कि आखिर इन सब का नतीजा क्या है। आखिर इन सब से क्या होनेवाला है। अगर हम ने सारी दुनिया को अपने वश में किया और अपने छोटे मन को हम अपने वश में नहीं कर सके तो वह किस काम

का और जिसके वश में सारी दुनिया हो और आदमी सुखी नहीं हो और जिसके पास कुछ भी नहीं हो पर तो भी वह सुखी हो इन दोनों में चुनना पड़े तो न मालूम किस ओर हमारा चुनाव जाएगा । हम उस संतोषी पुरुष को चुनेंगे जो कुछ न रहते हुए भी सुखी है या उस असंतोषी पुरुष को जिसके पास सारी दुनिया की दौलत मौजूद है पर वह सुखी नहीं है ।

महात्मा जी दौलत को ठुकराते नहीं थे । वह नहीं चाहते थे कि हमारे देश के लोग हमेशा गरीब बने रहें । वह चाहते थे कि उनको खाने के लिए पूरा अन्न मिले वह चाहते थे कि उनको रहने के लिए साफ सुथरा मकान मिले, पहनने के लिए उनके पास वस्त्र हो उनके पढ़ने का प्रबन्ध रहे और बीमार पड़ने पर अगर दवा की जरूरत हो तो दवा मिले । मगर इससे ज्यादा वह यह चाहते थे उनके अन्दर इतनी शक्ति हो यदि ये सब चीजें नहीं रहें तो भी वे सुखी रहें । जहां तक हो सकें ये सब हासिल करें मगर उसका गुलाम नहीं बनें । इन चीजों को अपने काबू में रखना चाहिए न कि उनके काबू में खुद पड़ना चाहिए । आज न मालूम हम इन चीजों की याद रखते हैं या भूलते जा रहे हैं, आज हम केवल उन्हीं चीजों की तरफ दौड़ते नहीं जा रहे हैं और जो हमारे पास है उसको छोड़कर, पीछे रखकर आगे हम नहीं बढ़ते जा रहे हैं यह देखना और सोचना है ।

महात्मा गान्धी के स्मारक का सबसे बड़ा गुण यही हो सकता है, सबसे बड़ी सेवा यही हो सकती है कि वह हमको यह याद दिलाता रहे कि झोंपड़े में भी बैठकर हम भारत की शकल बदल सकते हैं यह दुनिया के सामने उदाहरण पेश करें ।

आज हम बहुत तरह की शिकायतें सुनते हैं । मेरा अपना ख्याल होता है कि मालूम नहीं यह समय महात्मा जी के विचारों के अनुकूल है या नहीं । मेरा यह ख्याल होता है कि व्यक्ति हम विश्वास करें । हमको व्यक्ति को सुधारना चाहिये । जब हम एक-एक आदमी का सुधार करेंगे तो सारा समाज सुधर सकता है । अगर एक-एक आदमी को हम नहीं सुधार सकें तो शायद समाज को नहीं सुधार सकेंगे । यहां पर दो पक्ष, दो विचार आते हैं कि व्यक्ति पर विश्वास करें या संस्था पर विश्वास करें । संस्था के द्वारा लोगों को सुधारें या व्यक्ति के द्वारा संस्था को सुधारें । जहां तक मैं देखता हूं इस वक्त हवा अधिक संस्था पर विश्वास और जोर देने के पक्ष में है अधिक सोशल इन्स्टीट्यूशन

पर जोर है इन्डीवीडुअल पर नहीं। इन्डीवीडुअल का जो स्थान है उसकी जो महिमा है उस पर इस वक्त अधिक ध्यान नहीं है। हम यह आशा रखते हैं कि इन्स्टीट्यूशन के द्वारा आर्गेनाइजेशन के द्वारा हम आदमी को सुधार लेंगे और अच्छा आदमी बनाएंगे। यह मौलिक प्रश्न है जिसको हमें समझना और देखना है। जब तक व्यक्ति नहीं सुधरेगा तब तक कोई भी संस्था जो व्यक्ति द्वारा चलती है नहीं सुधर सकेगी। अंग्रेजी में एक कहावत है 'ए केन्ट्री गेट्स दि गवर्नमेंट इट डिजर्व्स' याने किसी देश में जो शासक होते हैं वे वैसे ही हो सकते हैं जैसी वहां की जनता होती है, जैसे वहां के लोग होते हैं। उससे कहीं ऊंचा बहुत दूर बहुत अलग दूसरी दुनिया या आसमान के उस संस्था के चलानेवाले नहीं होते हैं। उसके चलानेवाले उन्हीं लोगों में से होते हैं जो देश के लोग हैं। हां उनमें से कोई अच्छा तो कोई बुरा होता है। डिग्री का फर्क होता है। मगर आदमी जो सारे समाज का स्तर है उससे बहुत बढ़कर बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हो सकते। इसलिए व्यक्ति को सुधारना बहुत जरूरी है। इसलिए एक तरफ महात्मा जी ने कांग्रेस जैसी बड़ी संस्था पर जो सारे देश भर में नहीं तो देश के अधिकांश भाग में छा गयी जोर दिया तो दूसरी ओर आश्रम में व्यक्तियों पर जोर दिया और व्यक्तियों को उन्होंने सिखाया तैयार किया, इस पर जोर दिया कि वे ऐसे तैयार हों जो कष्टों को अच्छी तरह से काट सकें और अपने को बचा सकें।

हमको आज चाहिए कि जहां एक तरफ हमारी बड़ी बड़ी योजनाएँ हों दूसरी तरफ छोटे मोटे झोंपड़े हों, घर हों। अगर इस तरह की संस्था से अच्छे ऊंचे विचारवाले चरित्रवाँन व्यक्ति को तैयार कर सकें जो सारे समाज को नया जीवन दे सकें आदर्श दे सकें तो गांधी स्मारक निधि बहुत बड़ा काम करेगा आप गांधी जी के विचारों का प्रचार कर रहे हैं और बहुत जोरों से करेंगे इस देश में ही नहीं विदेशों में भी करेंगे। हो सकता है कि विदेशों में यहां से अधिक कामयाबी हासिल हो यह मुमकिन है। आज जहां हम गांधी जी के विचारों की उनके मौलिक सिद्धांतों को भूलते जा रहे हैं दूसरे देशवाले उन पर अधिक गौर करने लग गये और गौर करेंगे। मेरा विश्वास है कि वहां एक ऐसा आन्दोलन हो जो गांधी जी के विचारों को अधिक कामयाबी के साथ कार्यान्वित कर सके। मगर आपने देश के अन्दर हमारा यह काम है कि उनके विचारों के प्रचार के साथ-साथ इस तरह के जीवन को भी कायम और स्थायी कर सकें। हम आशा करते हैं कि जिस भवन का मैं उद्घाटन कर रहा हूँ वहां

से इस तरह का काम होता रहेगा और वहां से लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी । तभी यह काम सफल समझा जाएगा ।

मैं अपने को धन्य मानता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना कुछ विचार प्रकट कर सका ।

कला केन्द्र का निरीक्षण

प्यारे बच्चो,

मुझे बड़ी खुशी हुयी कि मैं आज यहां आया और तुम सब से मिल सका । यहां पर तुम लोगों को कुछ काम सिखाया जा रहा है, जो छोटे हैं उनको पढ़ाया भी जा रहा है और तुम सब इस लायक बन रहे हो कि अपने खाने-पीने के लिए कमा सको और खुशी तथा आराम से अपनी जिन्दगी बिता सको । यह बड़ी चीज है और इसके लिए तुम्हें उन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए जिन लोगों ने तुम्हारे लिये यह सब इन्तजाम किया है । तुम इस तरह से लिख-पढ़कर या काम सीखकर तैयार हो जाओ जिससे समाज में अच्छी तरह से रह सको, दूसरे लोगों की भी सेवा करो और अपनी जिन्दगी खुशी से मजे में निबाह सको इस लायक तुम बन जाओ । जो सुविधाएं तुम्हारे लिये यहां हैं उनको पाकर यह मुश्किल काम नहीं है कि तुम अच्छी तरह से ठीक उसी तरह से रह सको जैसे दूसरे लड़के शहर में या गांव में रहते हैं । तुम लोग अच्छी तरह से रहो ।

तुम्हारे मां-बाप का पता नहीं है, तुम्हारे मां-बाप नहीं है । तुम लोग इन्हीं लोगों को अपने मां-बाप समझो और इनके ही प्रति प्रेम रखो और तब और अच्छी तरह से पढ़ लिखकर तुम किसी पर बोझ नहीं होकर रहोगे बल्कि तुम्हारा एहसान दूसरों पर ही होगा । इस योग्य तुम बन जाओ ।

जो काम तुमको दिया जा रहा है उससे तुमको कुछ न कुछ मिलता है और उसी से तुम्हारा खाना कपड़ा हो सकता है । इस तरह से तुम अपने को तैयार कर सकते हो और मुझे पूरा भरोसा है कि जो सुविधाएं तुमको दी जा रही हैं उनसे पूरा लाभ तुम उठाओगे और अच्छे आदमी बनकर अच्छे अच्छे काम में लग जाओगे और सुख से अपना जीवन बिता सकोगे ।

फोरशोर रोड पर कला केन्द्र का निरीक्षण करते समय भाषण; बम्बई,
11 जनवरी 1959

अपाहिजों के लिये शेल्टर्ड वर्कशाप का निरीक्षण

श्रीमती इस्माईल, बहनों और भाइयो,

मुझे बड़ी खुशी हुयी कि मैं यहां आकर चन्द मिनटों के अन्दर जो काम आप कर रहे हैं उसको थोड़ा-बहुत देख सका। उस तरह का लोगों की खिदमत जो किसी न किसी वजह से मजबूर हो गए हैं, जो किसी बीमारी की वजह से, जो इतिफाक की वजह से या और किसी कारण से बैकार हो गए हैं उनको इस लायक बना देना कि वे अपना काम कर लें और अपनी जिन्दगी का निर्वाह कर लें एक बड़ी बात है। एक तो उनके लिये हिम्मत है इसमें और उसके साथ ही साथ समाज की खिदमत है क्योंकि इस तरह के लोगों का बोझ समाज पर रहता है और उस बोझ को कम करना सब का काम हो गया है। मुझे यह देखकर खुशी हुयी कि ऐसे लोग जो कितनी तकलीफ और मुसीबत से हमेशा दिन काटते रहते जो मुसीबत में अपना शिर पीटते रहते, खुशी से कुछ न कुछ कर लेते हैं और काम करके अपनी जिन्दगी बसर करने का खुद इन्तजाम कर रहे हैं। किसी न किसी बीमारी की वजह से या अन्य किसी कारण से जो लोग बेकार हो गये हैं या होनेवाले हैं उनको भी सम्भाल लेने का काम आपने अपने हाथ में लिया है यह बड़ी बात है। मैं आपके काम से पहले से वाकिफ था। इसलिए जब आपने मुझे यहां बुलाया तो मुझे यहां आने के लिये फैसला करने में देर नहीं हुयी।

मैं अपनी तरफ से इस संस्था के लिए 500 रुपए भिजवा दूंगा।

फोरशोर रोड पर अपाहिजों के लिए शेल्टर्ड वर्कशाप का निरीक्षण करते समय
भाषण; बम्बई, 11 जनवरी, 1959

एस० के० पटिल आरोग्यधाम का उद्घाटन

राज्यपाल महोदय, डाक्टर गिल्डर, डाक्टर कैलाश, बहनों और भाइयों,

मुझे बड़ी खुशी है कि आज के इस समारोह में आपने मुझे भाग लेने का मौका दिया। यहां पहुंचते ही जो काम मेरे जिम्मे था उसको मैंने एक तरह से पूरा किया। वह काम यही था कि इस भवन का उद्घाटन करना और आते ही मेरे हाथों में डाक्टर गिल्डर ने चांदी की कुंजी रख दी और चांदी का ताला बता दिया। उसको मुझे खोल देना था। मैंने उसको खोल दिया। उसके बाद वह चाभी और ताला मुझे दे दिया गया। आप जानते हैं कि मेरे पास कोई खास ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं चांदी के ताले और चाभी के अन्दर बन्द करके रखूं। मैं समझता हूं कि सब से बेहतर इस्तेमाल इस ताले और चाभी का यह हो सकता है कि फिर इसे अस्पताल को दे दिया जाये और यहां भी उसका इस्तेमाल किसी कमरे को बन्द रखने में शायद ही हो सकता है। उसका सब से अच्छा इस्तेमाल यही है कि कोई धनी-मानी सज्जन या एक से अधिक धनी-मानी सज्जन इस ताले और चाभी को खरीद लें और उसका दाम इस अस्पताल के काम में लगा दें और मैं आशा करता हूं कि मेरा काम जब तक पूरा हो जाएगा तब तक यह काम भी हो जाएगा।

यह खुशी की बात है कि यहां आप सबसे गरीब हैं, यहां डाक्टरों की खास कृपा और धनी-मानी और विशेष करके जनता से सभी गरीबों की कृपा से इस अस्पताल का निर्माण हुआ है और अब इसका लाभ इस इलाके में रहनेवाले लोगों को, और अधिक करके जो गरीब लोग हैं उनको पहुंचेगा।

बम्बई बहुत बड़ा शहर है और इस बड़े शहर के अन्दर बड़े-बड़े अस्पताल भी हैं मगर इन तमाम अस्पतालों के रहते हुए सभी लोगों तक जिनको अस्पताल की जरूरत है पहुंचना मुश्किल है और खास करके इस तरह के इलाके में जहां विशेष करके गरीब लोग बसते हैं उनके लिए अस्पतालों की वह सुविधा जो शहर के बीच में रहनेवाले लोगों को मिलती है नहीं मिलती। इसलिए इस प्रकार के अस्पताल का एक बहुत बड़ा महत्व है और मैं आशा करता हूं कि यह अस्पताल जिस श्रद्धा और भक्ति के साथ बनाया गया है इसकी उन्नति भी वैसे ही दिन-दूनी और रात चौगुनी होती जाएगी और जो हजारों हजार की संख्या में यहां

एस० के० पटिल आरोग्यधाम का उद्घाटन करते समय भाषण; बम्बई, 11 जनवरी, 1959

मैं गरीबों को देख रहा हूँ उन लोगों को इस अस्पताल से विशेष करके हर तरह से लाभ पहुंचेगा ।

जैसा डाक्टर गिल्डर ने बताया, इस अस्पताल के जरिए से सब प्रकार की सुविधा दी जाएगी जैसी किसी अच्छे अस्पताल में दी जा सकती है और दी जाती है और यद्यपि यह बम्बई से बाहर है तौ भी बड़ी बम्बई के अन्दर है और यद्यपि यहां डाक्टर की शायद कमी होगी मगर बम्बई के बड़े-बड़े डाक्टरों की मेहरबानी का लाभ इस अस्पताल को मिलेगा । यह खुशी की बात है ।

हम तो यही आशा रखते हैं कि भारतवर्ष की बीमारी जब तक ऐसे डाक्टरों की कमी रहेगी जो सेवा-भाव से अपना काम करेंगे तब तक दूर नहीं हो सकेगी और यही नमूना है जिसमें सेवा लोग देंगे । वह सेवा जितनी गरीबों को मिलती है वह और भी कीमती होती है ।

मुझे इस बात की खुशी है और मैं आप सब बहनों और भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस काम में योगदान दिया और इस अस्पताल का आज उद्घाटन हो सका । अभी जो काम बाकी है । नहीं हो सका है अभी बहुत काम बाकी है... उसको पूरा करने में गवर्नमेंट की मदद, धनी लोगों की मदद, डाक्टरों की मदद और सब से अधिक गरीबों की मदद जरूर मिलनी चाहिए और मिलेगी । मैं आशा करूंगा कि आपका काम पूरी तरह से सफल होकर रहेगा ।

आदिमजाति कल्याण सम्मेलन का उद्घाटन

राज्यपाल महोदय, बहनों और भाइयों,

मैं समझता हूँ कि इस सम्मेलन का बहुत बड़ा महत्व है कि इसमें प्रतिवर्ष कहीं न कहीं आदिवासी क्षेत्र में इकट्ठे होकर सारे देश में आदिवासियों के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है और उसमें किस तरह से क्या होना चाहिए इस पर विचार किया जा सकता है। पिछले वर्षों में दूसरे प्रान्तों में आदिवासी क्षेत्रों में तथा बम्बई प्रान्त के इस इलाके में बहुत खूबी के साथ काम होता आ रहा है। मैं समझता हूँ कि दूसरे प्रान्तों के कार्यकर्ता भी आज यहां उपस्थित हैं जो यहां जिस सिलसिले से काम हो रहा है उसे देखेंगे। मुझे याद है कि कई वर्ष पहले जब वाला साहब खेर यहां के मुख्य मन्त्री थे मुझे एक स्थान पर वह ले गये थे जहां आदिवासियों के रहने के लिए प्रवन्ध किया गया था। अभी वह गांव थोड़े ही दिनों से शुरू हुआ था मगर उससे ही अन्दाजा मिल जाता था कि वह काम किस तरह से आगे बढ़ेगा और आज यहां जो थोड़ा मैं ने देखा उससे मुझे संतोष हुआ कि जो मेरी आशा थी वह पूरी हो गयी है।

आदिवासियों का काम भारतवर्ष के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक फैला हुआ है। यद्यपि, जैसा आपने कहा, हजारों लोग इस काम में लगे हुए हैं तो भी काम का उतना विस्तार नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। उसका मुख्य कारण यही है कि हमारे पास जो भी कार्यकर्ता हैं वे काफी तायदाद में नहीं हैं। और योग्य कार्यकर्ता नहीं हैं। मेरे ध्यान में इस वक्त भारतवर्ष के कई हिस्से हैं जहां आदिवासियों की संख्या बहुत है और जहां इस काम का जितना विस्तार होना चाहिए नहीं हो पाया है। मेरे सामने खास करके आसाम का हिस्सा है जहां आदिवासियों की संख्या बहुत है जिस प्रान्त से मैं आया हूँ याने बिहार में वे काफी तायदाद में रहते हैं। वे इस तरह से बसे हुए हैं कि जहां पहुंचना कठिन है। जंगल, पहाड़ और नदियों के कारण वे एक दूसरे के पास भी नहीं पहुंच सकते और जो बाहरी लोग उनके पास पहुंचना चाहें उनके लिये तो बहुत ही कठिनाई हो सकती है। इस कठिनाई को दूर करना एक तरह का काम है।

आदिमजाति कल्याण सम्मेलन का उद्घाटन करते समय भाषण; बोरडी, 12 जनवरी, 1959

दूसरे प्रान्तों में भी जैसे मध्यप्रदेश में उनकी बड़ी संख्या है, आपके प्रान्त में भी वे फैले हुए हैं, देश के दूसरे सूबों में भी वे फैले हुए हैं। उन में भी उनको आदिवासी रखकर जो कुछ सहायता हो करके और बातों में औरों के मुकाबले में उनको हम ला सकते हैं। बहुत सा उनका काम, तौर-तरीके अभी भी चल रहे हैं जिनमें वे लोग भी शायद चाहेंगे कि सुधार होना चाहिए। तो यह काम किसी एक प्रान्त का नहीं है और न किसी एक द्वारा पूरा किया जा सकता है। यह काम इतना बड़ा है कि इसके लिए प्रत्येक प्रान्त में संस्थाएं होनी चाहिए और वे संस्थाएं विस्तृत हों, जहां-जहां काम करने का क्षेत्र है सभी जगहों पर उनकी शाखाएं हों और उन शाखाओं में काफी तायदाद में काम करने वाले हों तभी यह काम हो सकता है। शिक्षा का काम है। उनकी अर्थिक स्थिति अच्छी रहे, उनको भी उठाना है। उनमें बीमारियाँ हैं, विशेष करके कोढ़ की बीमारी उनमें अधिक होती है, उनसे बीमारियों को दूर करने का काम है। अभी तक सभी जगहों में इस तरह का काम पूरी तरह से या तो न हम करना चाहते हैं या न कर पाते हैं या न करना जानते हैं। तो उनकी चारों तरफ से किसी तरह से हम उन्नति कर सकें तो वह केवल उनके लिए ही नहीं होगी बल्कि उससे सारे देश के लाभ पहुंचेगा और सारे देश के लोगों को उनको लिए ऐसा इन्तजाम कर देना है कि उनको भी अन्न का कष्ट नहीं रहे न बीमारी उनमें ज्यादा हो और न उनमें लिखे-पढ़े लोगों की कमी हो। ऐसी स्थिति में लाकर जब हम उनको पहुंचा देंगे तभी हम कह सकेंगे कि हमारा काम किसी हद तक पूरा हुआ।

यह काम बहुत बड़ा है और जैसा मैं ने कहा. सब से बड़ी जरूरत कर्मनिष्ठ और दृढप्रतिज्ञ कार्यकर्ताओं की है। वे ही इस काम को पूरा कर सकते हैं। जब यहां पर इस तरह का काम ठक्कर बापा ने किया था और भाइयों ने किया उस वक्त बहुत तरह की कठिनाइयां उनके सामने थीं। उनमें से बहुत सी कठिनाइयां हम दूर कर सकते हैं और सभी प्रान्तों की सरकारों और केन्द्र की सरकार इस काम में हर तरह से मदद करने के लिये तैयार हैं और मदद करना उनका कर्तव्य है क्योंकि हमारे संविधान में यह बोझ गवर्नमेंट पर डाला है कि कोई पिछड़ा हुआ नहीं रहने पावे। हम चाहते हैं कि इस काम को संगठित रूप से इस तरह की संस्था को लगा दिया जाये।

यह नहीं समझना चाहिये कि यह थोड़े दिनों का काम है। इसमें पूरी तरह से सारी जिन्दगी देने वाले लोगों को शरीक होना चाहिये। मैं जानता हूँ कि आदिमजाति के सेवक संघ ने इस तरह के लोगों को इस काम

में लगाया है। मगर इस काम को देखते हुये अभी उनकी संख्या बहुत कम है। और यह जरूरी है कि बहुतेरे लोग इसमें हों साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कोई यह नहीं समझे कि हम उनके साथ कोई मेहरबानी कर रहे हैं, दया दिखाने आये हैं बल्कि सेवा की भावना से आकर उनके बीच काम करना चाहिये और इसकी भी याद रखनी चाहिये कि उनका जो जीवन है, जो रहन-सहन है, जो तरीका है, उनमें जो खूबियां हैं वह ज्यों की त्यों बनी रहें। और उनमें कोई ऐब हो तो वे ही उसको समझकर खुद हटावें, कोई बाहर से आकर उसे हटाने की कोशिश न करे। जो बाहर से आवें उनका जीवन ऐसा हो कि उनसे प्रभावित होकर अगर उनमें कोई ऐब है तो उसे वह खुद दूर करना चाहेंगे।

करोड़ों की तादाद में आदिवासी लोग देश में फैले हुये हैं। यहां जो काम हो रहा है उससे मुझे बड़ी खुशी हुयी। उनकी इस तरह के काम में लगाना चाहिये जिससे वे अपने लिये कुछ पैदा भी कर सकें और आराम से रह सकें और साथ-ही-साथ किसी का कुछ नुकसान भी नहीं हो, साथ-साथ गवर्नमेंट का भी नुकसान नहीं हो और उनका काम चले जिसमें वे स्वतन्त्रता-पूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सकें। इस तरह का सभी जगहों में काम होना जरूरी है। जो दूसरे प्रान्तों से आये हुये हैं वे यहां जो काम हो रहा है उसे देखकर जायें। जंगलों की कमी भारतवर्ष में नहीं है, देश में ऐसे इलाके बहुत हैं। वहां किस तरीके से काम ले सकते हैं और किस तरीके से उनकी सेवा कर सकते हैं यह जानना जरूरी है। मैं आशा रखता हूं कि आप इन सब चीजों को देखेंगे। और समझेंगे और उनसे लाभ उठा सकेंगे तथा अपने-अपने प्रान्त में जाकर इस तरह के काम को जारी करेंगे।

आइन्डे जो यहां का कार्यक्रम है उस पर जो भाई कमिटी में हैं या जो लोग इस सम्मेलन के लिए आये हुए हैं वे लोग अपना विचार व्यक्त करेंगे और विचार करके निश्चय करेंगे।

मैं इन शब्दों के साथ आप सब को फिर से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं दो शब्द कह सका।

अखिल भारतीय सघन क्षेत्र योजना सम्मेलन का उद्घाटन

श्री राज्यपाल जी, श्री झवेर भाई, बहनों तथा भाइयो,

मुझे बड़ी खुशी हुयी कि मैं आज इस सम्मेलन में आ सका। जैसा अभी आपसे बताया गया, इस काम में मेरी काफी और गहरी दिलचस्पी है और मैं यह जानना चाहता हूं और प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता हूं कि इस काम के फलस्वरूप जिस प्रकार का सम्मेलन हम चाहते हैं वह सम्मेलन होने लग गया है। यह खुशी की बात है कि हम अपनी आंखों से बड़े-बड़े शहरों को हटाकर गांवों की तरफ भी झुकने लग गए हैं और पूज्य महात्मा गांधी ने जो आदर्श हमारे सामने रखा था उसके मूल में यही था कि जब तक हमारे देश में करोड़ों करोड़ ग्रामीण भाईयों और बहनों का सुधार नहीं होगा तब तक देश का सुधार नहीं हो सकता और यदि हम ऐसे लाखों गांवों का सुधार बम्बई, कलकत्ता या दिल्ली से करना चाहेंगे तो यह आवश्यक काम पूरा नहीं हो सकता है। इसके लिए तो हमको गांव के लोगों को ही संचालित करना होगा, उनको ही तैयार करना होगा कि वे अपने पैरों पर खड़े होकर अपना सब काम सम्भालेंगे और गांव के अन्दर ऐसी स्थिति करनी होगी कि जो लोग आज गांव के जीवन से घबड़ा कर, डर कर या वहां काफी सुविधाएं नहीं पाकर शहरों की तरफ चले जाते हैं और गांवको छोड़ कर चले जाते हैं उनका ध्यान गांव की तरफ आकर्षित हो और वे अपनी जगह पर रह जाएं।

यह एक चिन्ता की बात है। मैं तो इसे चिन्ता की बात समझता हूं, मालूम नहीं और लोग ऐसा समझते हैं या नहीं कि आज गांव के जितने पढ़े-लिखे, शिक्षित, अनुभवी लोग होते हैं वे किसी न किसी रीति से दुलकत-दुलकत शहरों की तरफ चले जाते हैं क्योंकि उनके लिये वहां काफी प्रलोभन है, सुविधाएं हैं और पैसे कमाने का कुछ न कुछ उनको वहां साधन मिलता है। पैसे कमाने का साधन बहुत ज्यादा तो नहीं हो सकता है क्योंकि आखिर उस तरह के साधन सीमित हैं, असीमित नहीं हैं। फिर भी गांव से शहरों में अर्रराम अधिक उनको मिलेगा वे शहरों में चले जाते हैं। आज हमको देखना है कि हम किस तरह से गांव के लोगों को स्वावलम्बी बना दें, किस तरह से उनको इस योग्य बना दें कि उनमें अच्छे से अच्छे लोग रहने लगे और वे स्वयं सुखी हों और दूसरों को सुखी बनावें, उनमें से अच्छे

अखिल भारतीय सघन क्षेत्र योजना सम्मेलन का उद्घाटन करते समय भाषण;
वोरखेरी, (बम्बई), 13 जनवरी, 1959

लोग शहरों की तरफ दौड़कर नहीं चलें जाएं, यह तरीका तभी सफल हो सकता है जब वहां सुविधाएं काफी कर दी जाएं।

यों तो सच पूछिए तो शहर में चाहे जितना भी आराम का साधन हो पर शहर निर्भर गांव पर ही करता है। और गांव में अन्न पैदा नहीं हो तो शहर के लोगों को खाना नहीं मिलेगा। गांव कच्चा माल पैदा नहीं करे तो शहर जो उसे किसी न किसी रीति से परिवर्तित करके मनुष्य के काम के लायक बनाता है वह बैसा कर नहीं सकेगा। ऐसा समझना चाहिए कि हर प्रकार की मौलिक चीजें गांव में ही हैं और जो हम गांव में पैदा कर सकते हैं या जो आज हम नहीं पैदा कर रहे हैं मगर करना चाहिए उस सब को प्रोत्साहन देकर पूरी तरह से काम को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए ये जो योजनाएं चलायी जा रही हैं उनका बड़ा महत्व है और उनसे बहुत आशा रखी जाती है, उन पर बहुत भरोसा किया जाता है कि उनके द्वारा हम गांव की रूपरेखा बदल देंगे, उनको ऐसा सुन्दर, स्वच्छ और निर्मल हम बना देंगे कि वे स्वावलम्बी हो जायेंगे, किसी के अश्रित नहीं रहें और उनको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं रह जाए।

मैं एक बात कहना चाहता हूं। शायद वह कुछ लोगों को पसन्द नहीं आवे, तो भी मैं उसे कहना चाहता हूं। यद्यपि आज हमारे देश में बड़ी-बड़ी योजनाएं चल रही हैं जिनमें करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं उनके मुकाबले में जो गांवों में काम होता है वह देखने में छोटा मालूम होगा मगर मैं मानता हूं कि जो गांवों में काम होता है वह छोटा नहीं है, उसका महत्व कम नहीं है। हो सकता है कि बहुत सी योजनाएं हैं जिनसे गांव के काम का अधिक महत्व हो। इतना खर्च करने पर क्या अन्न की फसल शहर में पैदा हो सकती है? वह गांव में ही पैदा हो सकती है, चाहे हम शहर में कितना भी बड़ा कारखाना खोल लें पर अन्न की फसल वहां नहीं होगी। उसके लिये ग्रामवासी प्रत्येक किसान को ही जागृत करना होगा जिसमें वह अपना कर्तव्य समझे कि केवल अपने ही लिये नहीं बल्कि सारे देश के लिये अन्न की पैदावार जहां तक बढ़ा सके बढ़ावे और जब तक किसानों को हम जागृत नहीं करेंगे तब तक अन्न का हमारा कष्ट दूर नहीं हो सकता।

आपको मालूम है कि जो कृषि विभाग की ओर से बड़े-बड़े इनाम दिये जाते हैं वह ऐसे लोगों को दिये जाते हैं जो सब से अधिक गन्ना पैदा कर लें, गेहूं पैदा कर लें, धान पैदा कर लें। मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा काम है क्योंकि इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। मगर उससे भी ज्यादा प्रोत्साहन इस बात से होगा जो अब शुरू की गयी है कि इनाम एक आदमी को नहीं देकर

सारे गांव को इनाम दिया जाये। हमारी सरकार ने ऐसा ही निश्चय किया है कि अब जो होड़ होगी वह एक आदमी की दूसरे आदमी के साथ न होकर एक गांव की दूसरे गांव के साथ या कुछ ग्रामों के एक समूह का दूसरे ग्रामों के समूह के साथ हो जिसमें सारे गांव की पैदावार बढ़े। इस तरीके से यहां एक आदमी एक बीघे में 20 मन के बदले 25 मन या 20 मन के बदले 50 मन भी पैदा करता है। तो देश को 5 मन या 30 मन अन्न अधिक मिला मगर गांव में यदि 200 बीघे जमीन हो और सब ग्रामवासी बीघे में एक-एक मन ज्यादा पैदा करेंगे तो 200 मन अधिक अन्न पैदा होगा। इस तरीके से जितने छोटे-छोटे खेत हैं, जमीन के जितने छोटे-छोटे टुकड़े हैं सब में थोड़ी-थोड़ी पैदावार बढ़ाई जाये तो आप समझें कि कितना लोगों को लाभ होगा और सारे देश को कितना लाभ होगा और जो देश में अन्न की कमी है वह पूरी हो सकती है।

इसलिये आपने जो काम शुरू किया है वह ऐसा काम है जो गांव के लोग ही कर सकते हैं, उसे दूसरे नहीं कर सकते। जो खाद का काम है उसके लिये हम बड़े-बड़े कारखाने तैयार कर रहे हैं और कृत्रिम खाद भी तैयार होने लग गया है। अभी उसके इस्तेमाल का प्रचार हो रहा है और उसका इस्तेमाल होगा। मगर उसके साथ-साथ यह जरूरी है कि जो हम अपने घरों में खाद तैयार कर सकते हैं उसको ठीक तरह से चलावें। उससे बहुत ज्यादा अन्न की पैदावार बढ़ सकती है। जैसा कल मुझे बम्बई में दिखलाया गया। हिसाब करके उन्होंने मुझे दिखलाया कि एक गांव में जितनी कूड़ा-करकट की चीजें हैं जो वहां गन्दगी पैदा करती हैं उनको खाद में परिणत करके हम अन्न की पैदावार बहुत बढ़ा सकते हैं। ग्रामीणों का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि हम चर्खा चलाना सीखें, बढ़ई या लोहार का काम सीखें। ग्रामीणों में कृषि का काम भी सम्मिलित है। मुझे खुशी हुई कि आपने अम्बर चर्खे का प्रचार किया। यह बात अच्छी है। अगर अन्न और वस्त्र दोनों चीजें लोगों को मिल जायें तो उनका जीवन सुखी हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं उसके फलस्वरूप गांव स्वावलम्बी बनेंगे। एक मनुष्य अपने को स्वावलम्बी बनाये और उसी तरह से प्रत्येक आदमी स्वावलम्बी बन जाये तो सारा गांव भी स्वावलम्बी हो सकता है।

आप यह नहीं समझें कि कारखाने से स्वतन्त्रता बढ़ती है बल्कि उससे परतन्त्रता बढ़ती है। एक कपड़े का कारखाना खुलता है तो उसमें हजार-दो-हजार लोग रोजगार पा सकते हैं। मगर उसका एक फल यह होता है कि मनुष्य कारखाने पर भरोसा करता है और उसके लिये कपड़ा महंगा हो जाता है। एक तो आदमी

परतन्त्र हो जाता है क्योंकि दूर पर कारखाना हो तो जो चीज हम अपने घर में आप पैदा कर सकते हैं उसके लिये दूर के कारखाने पर हमें भरोसा करना पड़ता है। जो बहुत जरूरी चीजें हैं। जिनको हम बिना कारखाने के पैदा नहीं कर सकते हैं और इसलिये मजबूरी है उनके कारखाना हमें करना चाहिये। पर जहां ऐसी मजबूरी नहीं है वहां कारखाने पर कम और अधिक से अधिक अपने ऊपर हम भरोसा करें। जैसे आपको गांव से बारडोली जाना हो तो जब तक आपके पास मोटरकार नहीं हो तब तक आप लिये बैलगाड़ी जरूरी है। तो जब तक मोटर नहीं बनती तब तक बैलगाड़ी को छोड़ना नहीं है। इसी तरह से जो जिन्दगी की जरूरी चीजें हैं वे घर-घर में तैयार होनी चाहियें।

अगर दोनों तरीके से गांवों को बढ़ायें, परिवार को स्वावलम्बी बनाने का प्रयत्न करें और जो जरूरी चीजें हैं उनको पैदा करें तथा दूसरी जो गैर जरूरी चीजें हैं उनकी मांग बन्द कर दें तो गांवों की तरक्की जल्द हो सकती है। जो गैर-जरूरी चीजें हैं उनका इस्तेमाल बन्द कर दें और जो जरूरी चीजें हैं उनको खुद पैदा करें तो हम पूरी तरह से स्वावलम्बी हो सकते हैं और आसानी से हो सकते हैं मेरा अपना ख्याल है कि महात्मा गांधी के हृदय में जो सारे भारत-वर्ष को स्वावलम्बी बनाने का चित्र था वह यही चित्र था कि एक तरफ जरूरी चीजें पैदा करें और दूसरी तरफ जो गैर-जरूरी चीजें हैं उनका इस्तेमाल छोड़ दें। इस तरह से दोनों तरफ से हम काम करेंगे तो जो हमारी कमजोरी है वह दूर हो सकती है। हम तो आशा रखते हैं कि यह सब जो काम चल रहा है उससे हमको इतमीनान हो रहा है और हम सोच रहे हैं और देख रहे हैं कि जितना हमको फल मिला है और हम उम्मीद रखते हैं कि काम और जोरों से उत्साह के साथ बढ़ेगा।

अभी अबेर भाई ने कहा कि गांव की उन्नति के लिये यह जरूरी है कि गांव को बिजली मुहैया की जाये। यह ठीक है और बिजली मुहैया होने से गांव की हर तरह से उन्नति होगी। मगर उसका इन्तजार नहीं करना चाहिये। बिजली आ जाये तो अच्छा है और जब वह आजायगी तो हम लेंगे लेकिन जब तक वह नहीं आती है हम बैलों के जरिये से जो कुओं से पानी निकालते हैं उसको निकालना न छोड़ें। बिजली आ जायगी तो हमारा काम आसान हो जाता है और हम बिजली लेंगे। मगर उसका इन्तजार करना और उसी के भरोसे रहना ठीक नहीं है। लोगों को हर तरह से स्वतन्त्र अपने को रखना चाहिये। अपने को स्वतन्त्र रखते हुये इन चीजों को हम काम में ला सकें तो लाना चाहिये, उनका गुलाम नहीं बनना चाहिये बल्कि उनको आराम का साधन बनाकर हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिये।

मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहां आ सका। मुझे अफसोस है कि बहुत सवरे आने की वजह से बहुत लोगों को कष्ट हुआ और मैं समझता हूं कि बहुत लोग यहां पहुंच भी नहीं पाये। मैं देखता हूं कि चारों तरफ से लोगों का तांता लगा हुआ है। अगर मैं देर से आता तो लोगों को यहां आने में आसानी हो जाती। इसके लिये मैं माफी मांगता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि जो भाई और बहन यहां पहुंच नहीं सके उन तक आप मेरा संदेशा पहुंचा देंगे।

मैं बाजाब्ला तरीके से आपकी परिषद् का उद्घाटन कर रहा हूं।

मार्शल टीटो के सम्मान में दिया गया भोज

श्रीमान् राष्ट्रपति तथा श्रीमती, परमश्रेष्ठ महानुभावो, देवियो और सज्जनो, श्रीमान् राष्ट्रपति, आप एक बार पहले हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में यहां पधार चुके हैं। आपका स्वागत करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है, विशेषकर इसलिए और भी कि इस बार आपके साथ आपकी धर्मपत्नी भी आ सकी हैं। आपकी विगत भारत यात्रा के बाद से हमारे दोनों देश एक दूसरे के इतने अधिक निकट आ गए हैं कि इस देश के लोगों के लिए आप अब अपरिचित नहीं हैं। अपनी सफलता की दृष्टि से आपकी पहली यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इसके परिणामस्वरूप हमारे दोनों देशों के बीच सद्भावना और मैत्री की भावना का संचार हुआ और हम दोनों ही उस समय से कई प्रकार से एक दूसरे के साथ सहयोग करते रहे हैं। व्यापार, टेकनिकल सहायता, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्रों में इस सहयोग की भावना का सत्परिणाम विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। संयुक्त राष्ट्र में भारत और यूगोस्लाविया के प्रतिनिधि मंडलों ने कई अवसरों पर बहुत सी पेचीदा समस्याओं को हल करने की दृष्टि से संयुक्त सुझाव पेश किए।

2. इस समय निःशस्त्रीकरण की अपेक्षा कोई दूसरी समस्या अधिक आवश्यक अथवा अधिक कठिन नहीं है। निजी रूप से मेरे लिए तथा मेरी सरकार के लिए यह बड़े संतोष का विषय है कि हमारी सामान्य महत्वकांक्षायें संभवतः किसी हद तक पूरी हो जायेंगी यदि जनीवा में हाल ही में होने वाली वार्ता आशा के अनुकूल चलती रही और यदि न्यूक्लियर और थरमो-न्यूक्लियर परीक्षणों के सम्बन्ध में कोई समझौता हो सका। हम यह आशा करते हैं कि जनीवा में किए जाने वाले प्रयत्न सफल होंगे। जहां एक बार यह समझौता हुआ, फिर अन्य दिशाओं में कदम उठाना संभव होगा। ऐसे समझौते से जहां तनाव कम होगा, ऐसा वातावरण तैयार होने में भी उस से मदद मिलेगी जिस में सहअस्तित्व की भावना एक ठोस वास्तविकता के रूप में हमारे सामने आएगी और शीत युद्ध धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। सहअस्तित्व की नीति में हमारे दोनों राष्ट्रों का दृढ़ विश्वास है।

3. मुझे यह आवश्यक नहीं जान पड़ता कि मैं उन सब अवसरों की गणना करूं जिन पर हमारे सामान्य प्रयत्नों के कारण दोनों देश एक दूसरे के अधिक

मार्शल टीटो के सम्मान में दिए गए राजकीय भोज के अवसर पर भाषण;
14 जनवरी, 1959

निकट आए हैं, संक्षेप में मैं यह ज़रूर कहूंगा कि हमारे दोनों देशों में से किसी का भी सैनिक गुट से सम्बन्ध नहीं है, और इस बात के कारण हमारे लिए एक दूसरे को समझना और शान्ति स्थापना के लिए मिलजुल कर काम करना अधिक सहल हो गया है।

4. श्रीमान् राष्ट्रपति तथा श्रीमती ब्रोज़, हमें इस बात का खेद है कि इस अवसर पर आपके लिए इस देश में अधिक दिन तक ठहरना संभव नहीं। इसके साथ ही हम आपके मैत्री-भाव की कदर करते हैं कि आपने अनेकों कार्यों में व्यस्त होते हुए भी कुछ दिन के लिए हमारे देश में पधारने का कष्ट किया है। अपने देश में वापस पहुंचने के समय तक आप एशिया के कई देशों का दौरा कर चुकेंगे। मेरा यह विश्वास है कि उन देशों में प्राप्त आपके अनुभव और उनके मामलों के आपके ज्ञान के कारण एक दूसरे के हितों को सन्नद्धने तथा एक दूसरे की संस्कृति को जानने में सहायता मिलेगी। सैनिक दृष्टि से ही नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी यदि विश्व को शान्ति की ओर अग्रसर होना है। तो पारस्परिक सद्भावना अत्यन्त आवश्यक है। एशिया और यूरोप की प्राचीन सभ्यताओं में बहुत कुछ सामान्यता है और आज के चिन्तापूर्ण युग में हमें मतभेदों की अपेक्षा सामान्य बातों पर ही अधिक जोर देना चाहिए।

5. श्रीमती ब्रोज़, यूगोस्लाविया के सुविख्यात जननायक की सुयोग्य जीवनसंगिनी के रूप में आपने न केवल देश के कल्याण के लिए ही अपना योगदान दिया है किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की संवृद्धि में भी हाथ बटाया है। आपको भारत में देख हम सब को वास्तव में बड़ी खुशी है।

6. सम्माननीय अतिथिगण, बहनो और भाइयो, मैं अपने सम्मानित तथा प्रतिष्ठित अभ्यागत राष्ट्रपति टीटो तथा ब्रोज़ के स्वास्थ्य और अभिनन्दन की शुभाकांक्षा प्रस्तुत करता हूँ।

बरहन-एटा रेलवे लाइन का उद्घाटन

श्री राज्यपाल महोदय, रेलवे मन्त्री जी, रेलवे के कर्मचारी, बहनों और भाइयो, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने मुझे एक नई रेलवे लाइन का उद्घाटन करने का निमन्त्रण दिया। मैंने इसे इसलिये मंजूर किया कि इस जिले से मैं अभी तक एक प्रकार से अपरिचित रहा हूँ और यह एक मौका मिल जायेगा जब यहां के लोगों से भी मुलाकात हो जायेगी और एक नई लाइन भी मैं देख सकूंगा।

जैसा अभी आपसे बताया गया, यद्यपि यह लाइन बहुत लम्बी लाइन नहीं है तो भी यह लाइन एक अच्छे शहर को हिन्दुस्तान की बड़ी लाइनों से मिलती है, जोड़ती है और इसलिये इसका महत्त्व है कि इस जिले में तैयार अन्न और दूसरे प्रकार के माल और जैगहों में जा सकेंगे और आपको जिन चीजों की जरूरत होगी उन्हें बाहर से, मशहूर स्थानों से आसानी से इस जिले के बीचोंबीच तक या यहां के प्रमुख शहर एटा तक भी ले जा सकेंगे।

आजकल के जमाने में कोई भी बड़ा उद्योग बिना रेल की मदद के नहीं कायम हो सकता है। इसके अलावा छोटे-छोटे उद्योगों की उन्नति के लिये रेल की जरूरत पड़ती है, मुसाफिरों को तो रेल से आराम है ही। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यह माना जाता है कि जब कभी किसी जगह की उन्नति हम चाहते हैं तो उसका किसी न किसी तरह से रेल के साथ जोड़ा जाना अनिवार्य है और इसी बात को ध्यान में रखकर आपके इस जिले को रेल के सिलसिले से जोड़ देने का निश्चय किया गया है। यद्यपि यह बात पिछले 45, 46 वर्षों से विचाराधीन रही और सभय-समय पर योजनाएं भी बनती रहीं मगर अब यह लाइन तैयार हो पाई है और कल से मुसाफिरों को रेल इस लाइन से ले जायेगी। अभी जैसा रेलवे मन्त्री ने कहा, इस पर माल का ढोना पहले से शुरू हो चुका है। इसकी जरूरत भी होती है क्योंकि इससे लाइन की जांच हो जाती है और माल को तो ढोना ही होता है। मगर मुसाफिरों को तब तक ढोना शुरू नहीं किया जाता है जब तक इस बात का पूरी तरह से इतमीनान नहीं हो जाये कि लाइन में कोई कमजोरी नहीं रही और कोई खतरे और डर की बात नहीं रह गई। तो यह जांच-पड़ताल होकर यह बात तय हो चुकी है और इसीलिये आपने मुझे इसका उद्घाटन करने का अवसर दिया।

बरहन से एटा तक बनी हुई रेलवे लाइन का उद्घाटन करते समय भाषण;
18 जनवरी, 1959

मैं आशा करता हूँ कि जो कुछ उम्मीदें इस लाइन से बांधी गई हैं और जो कुछ हौसले इसके बनाने वालों ने और आप ने इस लाइन से कर रखा है वह सब ईश्वर पूरा करेगा और मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी इसमें मदद करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस लाइन का उद्घाटन करता हूँ।

बरहन-एटा रेलवे लाइन उद्घाटन के अवसर पर सार्वजनिक सभा

श्री राज्यपाल महोदय, रेलवे मन्त्री जी, एटा शहर की अनेकानेक संस्थाओं के संचालकगण, बहनों और भाइयो,

मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने मुझे यहां बुलाया और अपने जिले से परिचय कराया। मैं यों तो भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न हिस्सों में बहुत दौड़ा हूँ, बहुत गया हूँ पर दुर्भाग्यवश आपके जिले से मेरा सीधा परिचय नहीं हुआ था क्योंकि मैं कभी एटा नहीं आ सका था। आज वह स्वाहिश पूरी हुई और पूरी हुई एक ऐसे समय पर जब आपकी एक स्वाहिश पूरी हुयी।

आप जानते हैं कि इस रेलवे लाइन को बनाने का विचार पिछले 45, 46 वर्षों से होता रहा है और वह इच्छा आपकी आज पूरी हुई। मुझे इस बात की खुशी है कि आपका यह शहर हिन्दुस्तान की बड़ी लाइन के साथ उसी तरह से जुट जायेगा जैसे और बड़े-बड़े शहर जुटे हुए हैं और यह तो एक मानी हुई बात है कि किसी भी जगह की उन्नति आजकल के जमाने में यदि उद्योगों के द्वारा करनी हो, बड़े-बड़े कारखानों के द्वारा करनी हो तो रेल अनिवार्य रूप से वहां के लिये एक जरूरी चीज है। इसलिये अब जब कि आपके इस शहर में और इस जिले के उन हिस्सों में जहां अब तक रेलों का रास्ता नहीं खुला था यह रास्ता खुल गया तो आइन्डे के लिये अब आप इस बात का प्रयत्न कर सकते हैं कि दूसरे प्रकार के बड़े-बड़े कारखाने और उद्योग धंधे भी यहां कायम किये जायें।

आजकल के जमाने में इस देश में ही नहीं, सारे संसार भर में बड़े-बड़े कारखानों का यह युग है। हम सब बल्कि और देशों से इस मामले में बहुत पीछे हैं और नया-नया यह काम अपने देश में शुरू कर रहे हैं। इसमें समय लगता ही है और जैसे-जैसे काम आगे बढ़ता जायेगा, मुल्क के अलग-अलग हिस्सों में कारखाने खड़े होते जायेंगे और काम बढ़ता जायेगा। यह एक प्रकार से जरूरी काम है। मगर मैं तो आपको यह कहना चाहता हूँ कि इस सब के होते हुए भी हिन्दुस्तान में जो आज 90 प्रतिशत आदमी देहातों में बसते हैं और जिनके गुजरान का सहारा सिर्फ एक ही खेती का सहारा है उनकी संख्या या तायदाद कम नहीं होगी। चाहे जितने भी कारखाने खुलते जायें, हमारे देहातों की आबादी

एटा में बरहन से एटा तक की रेलवे लाइन के उद्घाटन के अवसर पर की गई सार्वजनिक सभा में राष्ट्रपति जी का भाषण; 18 जनवरी, 1959।

करीब-करीब वैसी ही बनी रहेगी क्योंकि एक तरफ जितने कारखाने खुलते जायेंगे और उनमें लोग लगते जायेंगे, दूसरी ओर उतने ही या उससे भी ज्यादा लोग दिन व दिन, साल व साल पैदा होते जायेंगे और देहातों में रहते जायेंगे।

इसलिये जहां एक तरफ हमको उन कारखानों की तरफ ध्यान देना है दूसरी ओर गांवों में जो छोटे-छोटे उद्योग धंधे होते हैं, जो घरों में अपने-अपने बूते पर गांव के लोग चला सकते हैं और कर सकते हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहला काम जिसमें सबसे अधिक लोग आज भी लगे हुए हैं काश्तकारी का काम है, खेती का काम है। इस खेती के काम में अभी तथा जहां तक आइन्डे का हम सोच सकते हैं हमारे देश के अधिकांश लोग लगे रहते हैं लगे रहेंगे। इसलिये इस काम में जहां तक तरक्की हो सके, जितना उत्साह हम लोगों को दिला सकें देना जरूरी है। और बात भी तो यही है कि गांव के लोग जो अन्न पैदा करने में लगे हुए हैं वे एक ऐसे काम में लगे हुए हैं जिसके बिना कोई भी मुल्क हो कोई भी शहर हो, कोई भी गांव हो जिन्दा नहीं रह सकता। अन्न के बिना कौन रह सकता है और अन्न गांवों में ही पैदा होता है, भले ही शहरों में जाकर उसका आटा पीसा जाये, भले ही शहरों में कारखानों में धान का चावल कूटा जाये, भले ही शहरों में विस्कुट तथा दूसरी तरह की चीजें तैयार हों मगर ये गेहूं, धान और इस तरह की और चीजें जो हैं सब गांव में ही पैदा होती रहेंगी।

यह भी जरूरी है कि जब तक हम गल्ले के मामले में अपने देश को पूरी तरह से स्वतन्त्र नहीं बना लेंगे तब तक हमारी और योजनाएं भी कारगर नहीं हो सकती हैं और न वे पूरी हो सकती हैं। इसीलिये जहां मैं बड़े उद्योगों की बात करता हूं वहां मैं जिस उद्योग को सब से बड़ा मानना चाहिये मगर जिसकी ओर कम ध्यान रहता है उसकी ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं।

यह खुशी की बात है कि आपके जिले में काश्तकारी के साथ-साथ छोटे-छोटे उद्योग भी हैं जिनका कुछ नमूना आज मुझे देखने को मिला। आपके यहां कपड़े की बुनाई का काम भी एक अच्छे पैमाने पर चलता है। गवर्नमेंट की ओर से उसमें मदद मिलती है। चमड़े का काम भी होता है और उसमें भी गवर्नमेंट की मदद हो रही है। अभी मैं जलेशर शहर से गुजरा तो वहां पीतल के काम का नमूना देखने को मिला। पीतल, फूल और कांसा हमारे घरों में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिनके पास नहीं पहुंचता है। अगर हमको चावल पकाना है तो उसके लिये पीतल और कांसे की भारी हांडी चाहिये, अगर चावल हमको खाना है तो उसके लिये थाली चाहिये। तो अपने-अपने हाथ में

एक ओर से अन्न का काम अभी तक अच्छी तरह से रखा है और दूसरी ओर उस अन्न को सिद्ध करने के लिये जो घरेलू धन्धे हो सकते हैं अपने जिम्मे बनाये रखा है। साथ ही साथ और दूसरे प्रकार के धन्धे चलते हैं।

अन्न के बाद यदि मनुष्य के लिये सब से जरूरी कोई चीज़ है तो वह कपड़ा है। उसमें भी मैं ने सुना आपके यहां करघे का काम अच्छा चलता है। इन चीज़ों की ओर मैं आपका ध्यान इसलिये नहीं दिला रहा हूं कि मैं समझता हूं कि काफी काम हो रहा है बल्कि इसलिये कि ये काम ऐसे हैं जिन में आप में से हरेक कुछ न कुछ मदद कर सकता है और जिनकी ओर गवर्नमेंट का भी काफी ध्यान है। मगर गवर्नमेंट के ध्यान के होते हुए भी आप की मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिये मैं आपका ध्यान इन चीज़ों की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें आपकी मदद मिले। छोटे-छोटे घरेलू धंधों को जिनको आप आसानी से चला सकते हैं, जिनको थोड़ा-बहुत चलाते भी हैं उनकी तरक्की करने में, उन्नति करने में जहां तक हो सके जोर लगाकर काम आगे बढ़ायें।

बात यह है कि हम अकसर एक भूल करते हैं। यह कुछ आपकी शिकायत मैं नहीं करता हूं। उस भूल में सब का हिस्सा है। बात यह है कि हम सब से आसान और सीधा रास्ता सब चीज़ों के लिये खोजा करते हैं और जो रास्ता देखने में मुश्किल मालूम होता है असलन में वह मुश्किल नहीं भी हो तो उससे हम घबड़ाते हैं। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट से यह फरमाइश की जाती है, वह फरमाइश की जाती है कि बड़े-बड़े कारखाने यहां पर होने चाहिये। वह तो आसान रास्ता है। मगर छोटे-छोटे धंधों को उगाना उनकी उन्नति करना आपके हाथ की चीज़ है। तो उस ओर ध्यान नहीं देकर इस ओर ज्यादा ध्यान है कि गवर्नमेंट कर दे या दूसरे लोग कर दें।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस वक्त देश को बड़ी जरूरत अन्न की है। गवर्नमेंट ने अपने हाथ में बड़े-बड़े काम लिए हैं। बड़ी-बड़ी योजनाएं बनी हैं जो जब तैयार हो जायेंगी तो देश की स्थिति बहुत बदलेगी और उन योजनाओं का काम आज या कल या परसों या दो वर्ष या पांच वर्ष में नहीं खत्म होने वाला है। उन योजनाओं का काम तो ऐसा है जिस तरह से आदमी बढ़ता जाता है मगर आसमान देखने से मालूम पड़ता है कि जमीन को छूता है पर आगे बढ़ने पर क्षितिज बढ़ती ही जाती है। उसी तरह से उन योजनाओं का काम ऐसा है कि जितना बढ़ाइये बढ़ता ही जायगा तो भी कभी पूरा नहीं

होगा । यह अनुभव अन्य देशों में हुआ है और हमारे देश में भी हो रहा है । आपको उस चीज को तिरस्कार की नजर से नहीं देखना है । वह तो ही रहा है और होता रहेगा । मगर जो चीजें अपनी आंखों के सामने और अपने हाथों के नीचे हैं उनको देखें और हाथ में लेकर बढ़ावें तो काम बहुत आगे बढ़ निकलेगा ।

मैंने कहा मुल्क को सब से बड़ी जरूरत इस वक्त अन्न की है । जैसा मैंने पहले कहा, अगर एक गांव के अन्दर दो हजार मन गल्ला पैदा होता है वहां तीन हजार मन पैदा करना चाहिये इसी तरह से हर गांव गल्ला पैदा करना अपना फर्ज समझकर ज्यादा पैदा करने लग जाये तो मुल्क को महंगी का सामना नहीं करना पड़े, अन्न के लिये विदेशों का मुंह नहीं देखना पड़े और अरबों रुपये अपने मुल्क से विदेशों में नहीं भेजना पड़े, हम सुख से रहें और रुपए बचाकर बड़े-बड़े कारखाने खुलने लग जायें, रेल भी खुलने लग जाये, स्टीमर भी चलने लगे और जितने काम रुपये से हो सकते हैं उन्हें न सकना पड़े ।

मैं आपसे कहूंगा कि जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है आपने अच्छा किया कि हमारा ध्यान भी दिला दिया, राज्यपाल का भी ध्यान आकर्षित कर दिया यह अच्छा किया । साथ ही मैं आपका ध्यान उस काम की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसको मैं समझता हूं कि आप में से हरेक आदमी कर सकते हैं और करना चाहिये । आप लोग जहां हैं, जिस काम में लगे हैं उस काम को और बेहतर तरीके से करने लग जायें, जो खेती के काम में लगे हैं वे ज्यादा अन्न पैदा करने लग जायें, जो दस्तकारी के काम में लगे हैं वे अपनी चीजों को सुन्दर बनाने में लग जायें, ज्यादा मात्रा में बनाने लग जायें, जो स्कूलों में पढ़ाते हैं वे अधिक पढ़ाने लग जायें जिसमें विद्यार्थी काबू में रहें, जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं वे उसको खूबी के साथ अंजाम दें जिसमें लोगों को राहत मिल सके और न उनकी शिकायत हो और गवर्नमेंट की शिकायत हो तो मैं समझूंगा कि देश में राम राज्य आ गया ।

आपका बहुत पुराना इतिहास है और उसमें गौरव मानना जरूरी है मगर साथ ही मैं चाहूंगा कि हम पीछे की ओर नहीं देखें, सामने देखते रहें । पीछे से बल लेकर आगे बढ़ते जायें जिस में जितना गौरवमय हमारा भूत था उससे अधिक गौरवमय हमारा भविष्य हो जाये । यह तो हमारे और आपके हाथ में है । हम अपने काम को इस तरह से आगे बढ़ाते जायेंगे तो इसमें कोई

शक नहीं कि हम कामयाब होंगे। ईश्वर उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। मैं चाहूंगा कि आप अपनी मदद करें।

आपने जो उत्साह दिखलाया, मेरा स्वागत किया और जिस तरीके से न मालूम कितने मानपत्र आपने दिये और कितने प्रकार से मेरा सम्मान किया सबके लिये मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ।

सुभाषचन्द्र बोस जयन्ती समारोह

जेनरल भोंसले, सभापति जी, बहनों और भाइयो,

जब चन्द्र दिन पहले मुझ से कहा गया कि मैं आज के इस समारोह में शरीक होऊँ तो मैं ने उस निमन्त्रण को खुशी-खुशी इसलिये मंजूर किया कि मुझे यह एक मौका मिलेगा जहाँ मैं अपनी श्रद्धांजलि नेताजी सुभाष बोस के प्रति अर्पित कर सकूँगा और आज उसी भावना को लेकर आप सबके सामने यहाँ उपस्थित हुआ हूँ।

नेताजी का सारा जीवन देश के लिये रहा। जिस समय अभी वह पढ़ रहे थे उस वक्त से ही और अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक बराबर वह देश की सोचते रहे, देश के लिये क्या करना चाहिये विचार करते रहे और सिर्फ विचार ही नहीं काम भी करते रहे। अभी बहुत दिन तो नहीं हुए हैं मगर तो भी इन थोड़े दिनों के अन्दर ही एक नयी पीढ़ी आ गयी है और इस सभा में भी बहुतेरे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें नेताजी का दर्शन नहीं मिला होगा, जिन्हें उनकी वाणी सुनने का सौभाग्य नहीं मिला होगा और जिन्हें उनकी कुरबानियों और कार्यवाइयों का पूरा परिचय नहीं होगा। मैं इतना ही यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे देश की आजादी के लिये लड़ाई में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का स्थान बहुत आगे है और चाहे वह जहाँ पर रहे और जिस काम को उन्होंने अपने हाथ में लिया उसको देश की आजादी का ही काम बना लिया और उसमें संलग्न हो जहाँ तक उनसे हो सका, जितना किसी भी आदमी से हो सकता है वह करते रहे और करते गये और उनके अन्तिम दिन तो ऐसे बीते जो हमारे नव युवकों के लिये एक शानदार मिसाल हो सकते हैं। जब वह, यह देखकर मायूस होने लग गये कि देश की आजादी के काम में हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते तो उन्होंने यह पसन्द किया कि खुशी-खुशी देश से एक बार बाहर जायें और वहाँ से जो कुछ हो सके करें। यों तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी उनको कुछ दिनों के लिये देश निकाला की सजा देकर देश से बाहर रखा पर वह देश से बाहर जाना एक किस्म का था और यह दूसरी बार बाहर जाना दूसरे किस्म का था। इसमें वह अपने इरादे को पक्का करके कि किस तरह से भारत को आजाद करने में गैर-मुल्कों से हमको मदद मिल सकती है यह सोच समझकर वह गये और जाकर उन्होंने मदद ली और वह इस तरीके से नहीं जिसमें किसी के सामने अपना दुखड़ा रोना हो और मदद मांगनी हो बल्कि अपनी

सुभाष चन्द्र बोस जयन्ती समारोह में भाषण; दिल्ली, 23 जनवरी, 1959


हिम्मत दूसरों को सुनाकर और उन पर एक प्रकार से रोब कायम करके उन्होंने उनकी मदद ली और अन्त में एक प्रकार से भारत के एक हिस्से में आकर वहां का मालिक भी बन गये। इतिहास से वह काम आगे नहीं बढ़ा और उसे बढ़ाने की शायद जरूरत भी नहीं रही और इसी बीच वह वीरगति पाकर इस संसार से चले गये।

यह आजादी जो हमको मिली है बहुतेरे बहनों और भाइयों ने त्याग और कुरबानियों के फलस्वरूप हमको मिली है और जैसा मैंने कहा उसमें नेताजी का स्थान गौरवमय स्थान है जो आज के नवजवानों के लिये एक मिसाल है जिसको वे हमेशा अपने सामने रखें और देश को आजाद रखने के लिये हमेशा उससे प्रेरणा लेते रहें।

हमने आजादी पा ली है मगर अभी बहुत कुछ काम बाकी है। विदेशी राज्य यहां से हट गया है मगर अभी भी अपने देश में लोगों में गरीबी है, अपने देश में आपस में बहुत प्रकार के मतभेद हैं। अभी भी देश के अन्दर बहुत सी चीजें हैं जिनको हमको करके लोगों को दिखाना है और आज भी इस बात की जरूरत है कि हमारे देश के लोग इस देश की आजादी को कायम रखने के लिये उसके जितने अलग-अलग हिस्से हैं उनको एक तरह से प्रेम के बंधन में बांध डालें जिस में इस देश पर किसी किस्म का खतरा न आने पावे।

हमारा पीछे का इतिहास अच्छा नहीं रहा है। अगर हम सारे इतिहास को देखें तो हमारा अपना ख्याल है कि इस देश को किसी भी विदेशी ने एक लड़ाई में भी नहीं हराया और तो भी यह देश विदेशियों के हाथ में बार-बार जाता रहा। उसका कारण यह रहा कि विदेशियों ने इस देश के लोगों को नहीं हराया बल्कि इस देश के लोग विदेशियों से मिलकर एक-दूसरे के खिलाफ लड़कर एक-दूसरे को हराते रहे और एक-दूसरे को आजादी से महरूम करते रहे। हमको यह सबक आज सीख लेना है कि अगर हम इस देश को आजाद रखना चाहते हैं तो देश को सब से ऊपर रखकर इस देश को इस तरह से तैयार करें और बनायें जिस में देश के सामने दूसरी कोई चीज लोगों के दिल में घर नहीं करने पाये। आपस के छोटे-मोटे झगड़े, मतभेद सब दूर कर दें और देश के सामने एक ऐसी भावना पैदा हो जाये, देश के लोगों के दिलों में ऐसी भावना घर कर ले जो कभी भी किसी तरह से कमजोर नहीं पड़ने पावे और यह भारत देश एक भारत होकर ऐसा बना रहे जैसा नेताजी सुभाष चन्द्र इसे देखना चाहते थे।

मैं दूसरा क्या कहूँ। मेरे जैसे लोगों का जिनका उनके साथ थोड़े दिनों का नहीं बहुत दिनों का गहरा सम्बन्ध था उनके लिये यह याद एक दूसरे किस्म की होती है। खास करके जब मोहब्बत पैदा होता है तो राजनीति के नाते से या देश का काम एक साथ करने से जो मोहब्बत होता है उससे वह नये किस्म का मोहब्बत पैदा हो जाता है। मेरा केवल नेताजी से ही नहीं, उनके खानदान से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा। उनके दो बड़े भाई मेरे साथ कालेज में रहे और एक होस्टल में कई साल तक एक साथ हम पढ़ते रहे। इस तरह से यद्यपि नेताजी मेरे कालेज से निकल जाने के बाद वहाँ आये और जब असहयोग आन्दोलन शुरू हुआ तब मैं उनको जान सका मगर उनके घर के लोगों के साथ मेरा परिचय पहले से था। इसलिये उनके और हमारे बीच में जो घनिष्ठ सम्बन्ध जुट गया वह मामूली तरह से नहीं होता है। इसलिये जब उनकी याद मुझे आती है तो बहुत सी पुरानी बातें भी याद आ जाती हैं और यद्यपि कभी-कभी राजनीतिक मामलों में हम दोनों का मतभेद भी हुआ पर जहाँ तक आपस में प्रेम और श्रद्धा का सवाल था उसमें कोई फर्क नहीं होने पाया। इसलिये मैं यहाँ आया कि इस मौके पर, अपनी श्रद्धांजलि उनको दे सकूँ और खास करके देश के नवजवानों से यह कहूँ कि वे अपने को तैयार रखें जिस में जो काम नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने शुरू किया पर जिसको वह पूरा नहीं कर पाये उस चीज को वे हमेशा अपने सामने रखें और पूरा करें।



गणतन्त्र दिवस के अवसर पर ब्राडकास्ट

एक बार फिर अपने देशवासियों का अभिनन्दन करने और गणतन्त्र दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनायें उनके प्रति प्रगट करने के अवसर का मैं स्वागत करता हूँ। हम कल नौवाँ गणतन्त्र दिवस मनाने जा रहे हैं। हमें यह याद रखना चाहिये कि हमारा गणतन्त्र अभी अल्पायु है, किन्तु जिस तेजी से यह बढ़ रहा है उसको देखकर हमें गर्व होता है और उससे हमारे दिलों में ही नहीं बल्कि विदेशों में हमारे मित्रों के दिलों में भी संतोष का संचार होता है।

इधर कई वर्षों से हम एक भव्य दृश्य देख रहे हैं। समस्त राष्ट्र अपने आर्थिक जीवन के पुनर्निर्माण और साधनों के विकास के लिये महान प्रयास में लीन है। यद्यपि स्वभावतः भारत जैसे महान देश में आयोजन के मार्ग में अनेकों कठिनाइयाँ आती हैं; फिर भी हम बराबर आगे बढ़ रहे हैं और जब तक हमारे गणतन्त्र के प्रत्येक नागरिक का जीवन-स्तर उन्नत नहीं हो जाता और उसे सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं हो जाती, हमारा संकल्प है कि हम बराबर आगे बढ़ते रहेंगे। इस दिशा में अभी तक हमने जो प्रगति की है उस पर कई एक विदेशी आगंतकों तथा निष्पक्ष आलोचकों ने हमारा अभिनन्दन किया है। जहाँ हमें यह जानकर खुशी होती है, हमारा ध्यान उन कठिनाइयों की ओर भी जाता है जिनसे हमें जूझना है और वे त्रुटियाँ भी हमारे सामने आती हैं जिन्हें हमें दूर करना है। इसलिये जब कभी हम इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते हैं तो चित्र के दोनों पहलू सामने आते हैं। आइये आज हम स्थिति पर विचार करें।

इस वर्ष, जो आज समाप्त हो रहा है, मुझे कई बाहर के देशों में जाने का अवसर मिला। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि उन देशों के लोगों और जननायकों के दिलों में भारत का स्थान बहुत ऊँचा है। स्वाधीनता के बाद से हमने जिस तरह अपना काम-काज चलाया है उसकी लोगों ने सराहना की है। इस भावना के कई कारण हो सकते हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति और देश की आर्थिक तथा उद्योग-सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने के हमारे सफल प्रयत्न भी उनमें हो सकते हैं। किन्तु इसमें मुझे जरा भी सन्देह नहीं कि विदेशों में भारत के प्रति सद्भावना का सब से बड़ा कारण हमारी परराष्ट्र नीति है। बहुतेरे राष्ट्र हमारे देश को शांति का स्तम्भ मानते हैं। वे समझते हैं कि भारत ऐसा राष्ट्र है जो सब देशों की प्रगति और स्वाधीनता चाहता है, जो विभिन्न

गणतन्त्र दिवस के अवसर पर ब्राडकास्ट भाषण, 25 जनवरी; 1959

प्रशासनों और विचारधाराओं को मान्यता देता है और इसके साथ ही जिसका यह विश्वास भी है कि यदि पारस्परिक सद्भावना और सहिष्णुता से काम लिया जाय तो ये सब विभिन्न विचारधाराएं साथ-साथ जीवित रह सकती हैं। जिस बात से विदेशी मित्रों की हमारे प्रति सद्भावना को और भी समर्थन मिला है वह यह है कि हम अपनी सभी समस्याओं को लोकतन्त्रतात्मक विधियों द्वारा सुलझाने का यत्न कर रहे हैं।

मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि अपनी विदेश नीति द्वारा हम दूसरे राष्ट्रों को मित्र और अपना शुभचिन्तक बनाने सफल हुए हैं। किन्तु इसके साथ ही इसके कारण हमारे सभी देशवासियों और प्रवासी भारतीयों पर एक भारी जिम्मेदारी भी आती है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि सोच-विचार में और अपने दैनिक व्यवहार में हम ऐसा कोई काम न करें जो हमारी सहिष्णुता और सह-अस्तित्व की नीति के अनुरूप न हो। किसी भी राष्ट्र की विचारधारा तथा नीतियों को प्रायः उस राष्ट्र के नागरिकों के व्यवहार से आंका जाता है।

अब मैं घरेलू मामलों की बात करूंगा। यह सभी जानते हैं और भली प्रकार समझते हैं कि योजनाबद्ध आर्थिक व्यवस्था द्वारा जनसाधारण पर काफी दबाव पड़ता है। इस मामले में राष्ट्र और कुटुम्ब में अधिक अन्तर नहीं। उज्ज्वल भविष्य और अधिक सुखी जीवन के लिये दोनों ही को बलिदान करने पड़ते हैं और कुछ कष्ट सहने होते हैं। हो सकता है जीवन थोड़ा-बहुत अस्तव्यस्त हो जाय और लोगों को कुछ सुविधाओं से वंचित रहना पड़े, किन्तु इन सब कष्टों को हँसी-खुशी झेलने में उन्हें राष्ट्र के अन्तिम ध्येय की प्राप्ति के विचार से सहायता मिलती है। इसलिए यदि आयोजन के कारण हमारे देश के लोगों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यह आशा की जाती है कि राष्ट्र के दीर्घकालीन हित में और भविष्य को सुन्दर तथा उज्ज्वल बनाने की दृष्टि से इन कठिनाइयों का हिम्मत से मुकाबला किया जायेगा।

बलिदान की भावना और अपने ही प्रयत्नों से भविष्य में अधिक प्राप्त करने के लिए वर्तमान में इच्छा से त्याग करना—यह गुण बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह समझना गलत होगा कि संयम तथा त्याग की आवश्यकता हमें अतीत में ही थी और स्वाधीन राष्ट्र को उन्नत करने के लिये बलिदान की भावना की जरूरत नहीं। मैं समझता हूँ कि उस समय की अपेक्षा जब हम स्वाधीनता संग्राम में

व्यस्त थे आज त्याग की भावना की कहीं अधिक आवश्यकता है। अपने सभी देश-वासियों से मेरा निवेदन है, चाहे वे भाई और बहनें देहातों में रहती हों अथवा शहरों में, कि वे स्थिति पर विचार करें और अपने आप से यह प्रश्न पूछें कि क्या अपने सुनहरे स्वप्नों के अनुरूप भारत के निर्माण में उन्होंने कोई बलिदान किया है।

खाद्य समस्या सभी के लिए, विशेष कर हमारे लिए, एक आधारभूत प्रश्न है। खेती के क्षेत्र में अपने देश की सदियों पुरानी परम्परा, अपने लोगों की कार्यक्षमता, विवेक और समझदारी को देखते हुए यह हमारे लिए लज्जा और अपमान की बात है कि हम अनाज के लिये दूसरे देशों का मुंह ताकें और अन्न के आयात पर सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च करें। प्रत्येक किसान को यह समझना चाहिए कि अधिक अनाज पैदा करके और प्रति एकड़ पीछे उत्पादन बढ़ा कर वह एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय सेवा ही नहीं करेगा बल्कि अपना स्तर भी उन्नत करेगा। इस प्रकार वह राष्ट्रीय हित और निजी हित दोनों को निभा सकेगा। जहां एक बार इस बात का आभास हुआ, सुधरे हुए तरीकों और भरपूर खेती की जहां प्रणाली द्वारा उत्पादन को दुगुणा करने में, इस कठिन समस्या को हल करने और सदा के लिए रोटी का प्रश्न सुलझा देने में हमें बहुत कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

बहनों और भाइयो, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप इस सुअवसर का स्वागत करें जो आपको मिला है और उस जिम्मेदारी को समझें जो इस समय आप पर आती है। एक महान राष्ट्र के निर्माण का शुभ कार्य विधि ने आपको सौंपा है। नवीन भारत के आप ही निर्माता हैं। इस दायित्व को निभाने और सदियों की गुलामी से आजाद हुए भारत को नवनिर्माण के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए क्या कोई भी बलिदान ऐसा है जिसे बहुत बड़ा कहा जा सके।

इस समय जबकि देश भर में उल्लास छाया है और खुशियां मनाई जा रही हैं, शायद मेरा स्वर कुछ गम्भीर हो गया है। सच बात यह है कि उल्लास और गम्भीरता परस्पर-विरोधी नहीं। वह खुशी सच्ची और स्थायी होती है जिसका उद्भव जिम्मेदारी की भावना से हो। आगामी वर्ष में आप सब लोग सुखी और सम्पन्न हों, यही मेरी कामना है।

प्रवासी भारतीयों के लिये सन्देश

भारतीय गणतन्त्र की नौवीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मैं सभी प्रवासी भारतीयों को अपनी शुभ कामनायें भेजता हूँ। अपनी जापान, मलाया और इण्डोनेशिया की यात्रा के समय गतवर्ष आप में से बहुतों को मिलने का श्रेय मुझे प्राप्त हुआ। हांगकांग में और रंगून, बैंकाक तथा सिंगापुर के हवाई अड्डों पर भी बहुत से प्रवासी भारतीयों से मिलकर मुझे खुशी हुई।

जो कुछ मैंने उन भाइयों तथा बहनों से कहा था वही आज मैं दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों से भी कहना चाहूंगा। सब से पहले मैं देश में होने वाली चहुमुखी प्रगति के बारे में कुछ कहूंगा। आयोजित ढंग से सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण के ध्येय को प्राप्त करने की दिशा में हम आस्था और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत के प्रायः सभी भागों में छोटी-बड़ी योजनायें और देहातों में जनसाधारण की उन्नति का काम बराबर जारी है। जब कभी आप लोगों को भारत आने का अवसर मिलेगा, मुझे विश्वास है बहुत सी नई चीजों को देखकर आपको सुखद आश्चर्य होगा। स्वाधीनता के फल-स्वरूप देश भर में जो जागृति और चेतना पैदा हुई थी उसका फल अब देखने में आने लगा है।

आप लोगों से भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जो आशा है आप ध्यान में रखेंगे। जिन देशों में आप लोग रह रहे हैं उनकी जनता भारत के सम्बन्ध में जो भी विचार स्थिर करेगी वह अधिकतर आप लोगों को तथा आपके दैनिक व्यवहार को देखकर ही करेगी। इसके लिये यह आवश्यक नहीं कि आपका व्यवहार किसी तरह से बनावटी हो। आपको केवल इतनी ही बात ध्यान में रखनी है कि आप स्वतन्त्र भारत के नागरिक हैं और आप जो कुछ भी करते हैं और जिस तरह भी लोगों से मिलते बरतते हैं, उसी के आधार पर विदेशों के लोग भारत को आंकते हैं। आप में से बहुतों के सम्बन्ध में जो प्रशंसात्मक बातें मैंने जापान, मलाया और इण्डोनेशिया की यात्रा के समय सुनीं उनके लिये मैं आप सब को बधाई देता हूँ।

एक बार फिर मैं आप सब लोगों का अभिनन्दन करता हूँ और आगामी वर्ष में आपकी सुख समृद्धि के लिये शुभकामना प्रगट करता हूँ।

गणतन्त्र दिवस के अवसर पर प्रवासी भारतीयों के लिये संदेश; 25 जनवरी, 1959

संसद् के समक्ष अभिभाषण

संसद् के सदस्यगण,

1. संसद् के नये सत्र का भार संभालने के समय आपका मैं फिर एक बार स्वागत करता हूँ ।

2. दूसरी पंच वर्षीय योजना का तीसरा वर्ष समाप्त होने जा रहा है। अपने गत फरवरी के अभिभाषण में मैंने आपका ध्यान हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले दबावों को ओर आकर्षित किया था। मैंने यह कहा था कि मेरी सरकार की यह उत्कट इच्छा है कि इन कठिनाइयों के कारण हमारे विकास के कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए और पुनर्विचार, कार्यप्रणाली में संशोधन और योजनानुसार साधनों को जुटा कर इन कठिनाइयों पर काबू पाना चाहिये ।

3. गत वर्ष मई में और फिर नवम्बर में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने दूसरी योजना से सम्बन्धित साधनों के प्रश्न पर, उत्पादन की समस्या पर और क्रमिक विकास पर विचार किया, और उसने यह फैसला किया कि योजना का कुल खर्चा 4,500 करोड़ होना चाहिये और इसे बचत और साधनों में वृद्धि द्वारा प्राप्त करना चाहिये ।

4. मेरी सरकार की आर्थिक नीति का यह लक्ष्य है। विदेशी मुद्रा के व्यय और भावी उपयोग को कम करने, कीमतों के बढ़ाव को रोकने, और विदेशों में होने वाली आय को बढ़ाने के लिए उपाय अपनाये गये हैं। बहुत सी चीजों पर से निर्यात कर हटा लिया गया है या कम कर दिया गया है और निर्यात के कोटे को बढ़ा दिया गया है। विदेशी व्यापारी सम्बन्धी नियमावली पर पुनर्विचार के परिणामस्वरूप अगस्त 1958 में 200 वस्तुओं पर से निर्यात कन्ट्रोल हटा लिया गया और जिन चीजों पर निर्यात का प्रतिबन्ध था उनकी सूची में काट छांट की गई।

5. अस्थायी कठिनाई पर पार पाने की दृष्टि से मेरी सरकार को विदेशों से ऋण तथा सहायता आदि प्राप्त करने में सफलता मिली है। अधिक सहायता के लिए बातचीत जारी है। यह सहायता और ऋण जो हमें विदेशों से मिले हैं और जिनके लिए मेरी सरकार और हमारे देशवासी आभारी हैं, किसी भी प्रकार की राजनीतिक शर्तों से मुक्त हैं। भावी सहायता के लिए बातचीत भी इसी आधार पर की जायेगी ।

संसद् के समक्ष अभिभाषण; 9 फरवरी, 1959

6. हमारी दूसरी योजना देश के आर्थिक विकास के व्यापक कार्यक्रम का एक अंग है। जो कदम हम इस समय उठा रहे हैं, वे योजनाबद्ध सम्पन्नता के लम्बे और कष्टप्रद मार्ग में पड़ाव मात्र हैं। मेरी सरकार ने योजना आयोग के द्वारा तीसरी योजना के सम्बन्ध में अध्ययन तथा सोच-विचार आरम्भ कर दिया है। आशा है कि हम मौलिक उद्योगों, कृषि उत्पादन और ग्रामीण उन्नति के सम्बन्ध में तीसरी योजना के अन्त तक भावी विकास की नींव रख चुकेंगे, जिसके फलस्वरूप आत्मनिर्भर और स्वाश्रयी आर्थिक व्यवस्था का जन्म हो सकेगा।

7. आयोजन एक राष्ट्रीय प्रयास है जिसके लिए हर कदम पर राष्ट्र भर का सहयोग और सामूहिक प्रयत्न अपेक्षित हैं। इसलिए मेरी सरकार ने संसद् के भीतर और बाहर सभी लोगों से यह याचना की है कि इस विषय में सब लोग रचनात्मक दृष्टिकोण रखेंगे और अपने विचार प्रकट करेंगे, भले ही वे आलोचनात्मक हों। इस काम के लिये मेरे प्रधान मंत्री और योजना आयोग सभी दलों का सहयोग चाहते हैं।

8. हमारा विचार है कि इस वर्ष के अन्त तक तीसरी योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा तैयार कर ली जाये। जब रूपरेखा विचार विमर्श के बाद अनुमोदित हो जाय तब केन्द्र और राज्यों की योजनाओं पर विस्तार से सोच विचार शुरू किया जाये। जिन लक्ष्यों को हमने स्वीकार किया है उनमें से प्रधान यह हैं:— राष्ट्रीय आय में टोस वृद्धि, शीघ्रतापूर्ण औद्योगीकरण, बड़े पैमाने पर रोजगार का विस्तार और आमदनी तथा सम्पत्ति की असमताओं में कमी। सरकार घरेलू और छोटे उद्योगों को भी यथापूर्व सहायता देती रहेगी। विकास के काम में अभी तक हमें जो सफलता मिली है उसे हमें बनाये रखना है और उसकी गति को तेज करना है।

9. हमारी आर्थिक व्यवस्था के नियमन के लिए जो बातें सब से जरूरी हैं उनमें सर्वप्रथम खाने पीने की चीजें और इन चीजों के भाव हैं। हमारे आयोजन और उन्नति के लिए अत्यन्त आवश्यक दूसरी बातें अधिकतर इन्हीं पर निर्भर करती हैं, जैसे विकास के काम के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धि देने-पावने के सन्तुलन की स्थिति, देश के अन्दर मूल्य स्तरों की स्थिरता और मुद्रा बाहुल्य की प्रवृत्तियों की यथासमय रोकथाम।

10. फसलों को भारी नुकसान पहुंचने के बाद 1958 के आरम्भ में अनाज के बढ़ते हुए दामों को रोकने के लिए मेरी सरकार ने उस वर्ष के पहले

11 महीनों में 27 लाख 40 हजार टन अनाज विदेशों से मंगाया, देश के अन्दर अनाज के यातायात का नियमन किया और और लोगों को अनाज उपलब्ध करने के लिए सस्ते दामों की दुकानें खोली गईं। अनाज के व्यापारियों द्वारा अत्यधिक संचय की रोकथाम के लिए रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा उधार दिये जाने की नीति कड़ी कर दी।

11. इस दिशा में खुराक के मामले में आत्मनिर्भरता ही हमारी समस्या का संतोषजनक हल है। भरपूर प्रयत्न, खेती के सुधरे हुए तरीकों का अपनाया जाना और भूमि सम्बन्धी कानून में आवश्यक सुधार जिस से कि खेती का काम लाभदायक हो, ये बातें उत्पादन में वृद्धि के लिए अनिवार्य रूप से जरूरी हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये मेरी सरकार भूमि सम्बन्धी कानून में सुधार और सहयोग तथा ग्रामों को व्यापक कार्यक्षेत्र देकर प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी।

12. पिछले साल की अपेक्षा 1959-60 में फसलों की स्थिति आशाजनक है। इस वर्ष हम पर प्रकृति की कृपा रही है, और खाद्य तथा व्यापारी फसलें दोनों ही उत्साहवर्द्धक हैं। हमारी चावल की फसल बहुत बढ़िया रही और उसके कारण चावल के दामों में पहले ही कमी हो गई है। हमारा विचार है बड़े पैमाने पर चावल का संचय किया जाय और शासकीय व्यापार का विस्तार किया जाय। गेहूं और चने के भाव ऊंचे चढ़ गए हैं, किन्तु इस समय के लक्षणों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि रबी की सफल भी अच्छी होगी। भरपूर खेती के आन्दोलन, सिंचाई के छोटे साधनों पर अधिक जोर, सिंचाई के मौजूदा साधनों का पूरा उपयोग, सुधरे हुए बीज के वितरण के लिये अधिक केन्द्रों की स्थापना, खेती के सुधरे हुए तरीकों को अपनाने की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति और भूमि के संरक्षण-सम्बन्धी कार्यक्रम का विस्तार—इन सब बातों के कारण ही खेती के क्षेत्र में विशेषकर और प्रधान फसलों के बारे में स्थिति आशाजनक हो पायी है।

13. सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर ही यह निर्भर करता है कि हमारे देहातों में रहनेवाली करोड़ों जन-संख्या के लिये सच्चे अर्थों में लोकतन्त्र का विस्तार हो और वह प्रणाली कार्यान्वित हो। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तीन लाख गांव आ चुके हैं जिनकी जन-संख्या साढ़े-सोलह करोड़ के करीब है। इस कार्यक्रम में लोगों का अधिक सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिये आवश्यक उपयुक्त काम में लाये जा रहे हैं। ग्राम पंचायत को जो हमारे लोकतन्त्र

की आधारभूत इकाई है, अधिक साधन और अधिकार दिये जा रहे हैं। देहातों में सहयोग समितियां स्थापित और उन्नत की जा रही हैं जिससे कि सारा ग्रामीण क्षेत्र उनके अन्तर्गत आ जाय।

14. औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है, किन्तु कुछ उद्योगों को, खासकर सूती कपड़े के उद्योग को, ठेस पहुंची है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में जिन उद्योगों में उत्पादन बहुत बढ़ा है वे हैं मशीनी औजार, पैनिंसिलीन, कृमि-नाशक औषधियां, कागज और गत्ता, डीजल इंजन, बिजली के मोटर, सलफ्यूरिक एसिड, कास्टिक सोडा, टायर, सिलाई की मशीनें, बाइसिकल और बिजली के पंखे। सार्वजनिक क्षेत्र में जो विस्तार की तथा दूसरी योजनायें इस समय कार्याधीन हैं। उनमें मशीन निर्माण, वैज्ञानिक खाद और औषधियां शामिल हैं। भोपाल, रांची और दुर्गापुर में बिजली का भारी सामान, भारी औद्योगिक मशीनें और खानों में खुदाई की मशीनें बनाने के कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं। वैज्ञानिक खाद के नये कारखाने नांगल, राउरकेला और नेवेली में लगाये जा रहे हैं और सिन्दरी का कारखाना बढ़ा कर बड़ा कर दिया गया है। जिन नई योजनाओं पर कार्य हो रहा है उनमें दवाइयां और एंटीबायोटिक्स तैयार करने के कारखाने शामिल हैं।

15. गत सप्ताह मुझे राउरकेला और भिलाई के इस्पात के कारखानों उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां लोहे का उत्पादन शुरू हो चुका है। आशा है इस वर्ष के समाप्त होने से पहले इन कारखानों में इस्पात भी तैयार होने लगेगा। दुर्गापुर में भी पहली धमन भट्ठी इसी वर्ष चालू हो जाने की आशा है। जमशेदपुर में इस्पात के कारखाने के विस्तार का कार्यक्रम करीब-करीब पूरा हो चुका है और कुछ ही महीनों में वहां अपेक्षित उत्पादन होने लगेगा। बर्नपुर के कारखाने का विस्तार इस वर्ष के अन्त तक हो चुकेगा।

16. कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है। नेवेली लिग्नाइट योजना को कार्यान्वित करने की दिशा में आगे कदम उठाये गये हैं। नेवेली थर्मल बिजली-घर की योजना स्वीकार कर ली गई है और इसके निर्माण का काम हाथ में ले लिया गया है।

17. पर्यवेक्षण और दूढ़-खोज द्वारा भूगर्भ-विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति हुई है और राष्ट्रीय खनिज पदार्थ निगम की स्थापना की गई है। कोयले, तांबे और जिप्सम की नई खानों का पता लगा है।

18. तेल और प्राकृतिक गैस के लिये जोरों से खोज की गई और उसका आशाजनक फल हुआ। तेल के लिये पंजाब में ज्वालामुखी और होशियापुर में खुदाई जारी रखी गई और आसाम में शिवसागर में खुदाई शीघ्र ही शुरू की जायेगी। सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना बम्बई राज्य में कैम्बे में तेल की खोज है, जहां तेल के कई स्रोतों के मिलने की आशा की जाती है। आशा है जोरों से खुदाई के परिणाम-स्वरूप इसी वर्ष कैम्बे में तेल के साधन प्राप्त हो जायेंगे। नहरकटिया तेल क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के साधन भी मिले हैं।

19. आसाम में तेल साफ करने के कारखाने के निर्माण में सहायता और आवश्यक मशीनरी प्राप्त करने के लिये रूमानिया की सरकार के साथ एक समझौता कर लिया गया है।

20. औद्योगीकरण की योजनाओं में राष्ट्रीय रसायनशालाओं ने महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने परीक्षण योजनाओं द्वारा अनुसन्धान के परिणामों को उद्योगों पर लागू कर उत्पादन में सहायता दी है। यह काम विशेषकर इस्पात के कारखानों के लिये कोयले के साधनों को उपलब्ध करने, रिफ्रेक्टरी उद्योग के लिये कच्चा माल प्राप्त करने और निजी क्षेत्र की कुछ समस्याओं को हल करने की दिशा में हुआ है। कहीं-कहीं ये रसायनशालायें आशातित सामान की जगह वदेशी माल का उपभोग सुझाने में सफल हुई हैं और घटिया किस्म के धातुओं के लाभदायक उपयोग सुझाने में भी सहायक हुई हैं।

21. 4 मार्च 1958 के वैज्ञानिक नीति-सम्बन्धी प्रस्ताव के अन्तर्गत उद्देश्यों पर अमल करने की दिशा में मेरी सरकार ने कदम उठाये हैं। राष्ट्रीय रसायनशालाओं और उद्योगों में पारस्परिक सम्पर्क है। रसायनशाला ट्रेनिंग कोर्सों, अनुसन्धान के लिये अनुदान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ट्रेनिंग प्राप्त विज्ञानवेत्ताओं के उपलब्ध रहने के से इस सम्पर्क को दृढ़ता तथा व्यापकता मिली है। यह निश्चय किया गया है कि दुर्गापुर मैकेनिकल इन्जीनियरिंग के विकास और अनुसन्धान के लिये और नागपुर में सार्वजनिक स्वास्थ्य इन्जीनियरिंग के लिये राष्ट्रीय रसायनशालाएं स्थापित की जायें।

22. सोवियत रूस और युनेस्को की सहायता से इस वर्ष बम्बई में और जर्मनी की संघीय गणतंत्र की सहायता से मद्रास में एक-एक उच्च टेक्नोलोजिकल इन्स्टीट्यूट खोला जायेगा। इंग्लैंड की सहायता से दिल्ली में एक इन्जीनियरिंग कालेज स्थापित किया जा रहा है। इस कालेज की नींव परमश्रेष्ठ प्रिंस फिलिप एडिनबरा के ड्यूक ने अपनी हाल की यात्रा के समय रखी थी।

23. संसद् द्वारा स्वीकृत व्यय की सीमा में, कार्य-सम्बन्धी और वित्तीय अधिकारों से सम्पन्न एक नया एटामिक एनर्जी कमीशन स्थापित किया गया है। केवल शान्तिपूर्ण कामों में उपयोग के लिये आणविक शक्ति के विस्तार तथा प्रगति के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई है और हो रही है। इस दिशा में हमारे आयोजन का ध्येय उन मौलिक चीजों का उत्पादन है जिनका उपयोग चालन के लिये आणविक शक्ति को उपलब्ध करना हो। न्यूक्लीयर शक्ति के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आयोजन तीसरी योजना के अन्तिम वर्षों में ही हो सकेगा, किन्तु मेरी सरकार ने न्यूक्लीयर शक्तियुक्त कारखाने स्थापित करने का फैसला किया है जिनमें कम से कम 250 हजार किलोवाट की बिजली पैदा की जायेगी।

24. गत वर्ष मैंने अपने भाषण में आपसे कहा था कि रिएक्टर्स के लिए एटामिक विशुद्धता और ईंधन पदार्थ-युक्त युरेनियम धातु का उत्पादन चालू वर्ष के अन्त तक आरम्भ हो जायेगा। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि युरेनियम धातु का कारखाना बन चुका है और उसका आवश्यक परीक्षण भी हो चुका है। एटामिक दृष्टि से विशुद्ध युरेनियम धातु के प्रथम डेले का उत्पादन 30 जनवरी 1959 को हुआ। ईंधन पदार्थ के पैदा करने की सुविधायें जुटाने का काम भी अब बहुत आगे बढ़ चुका है।

25. बहुमुखी नदी घाटी योजनाओं का काम भी निर्धारित समय के अनुसार इस वर्ष आगे बढ़ा है। बाढ़ नियन्त्रण के लिये नियुक्त उच्चाधिकार सम्पन्न समिति की रिपोर्ट मेरी सरकार के विचाराधीन है।

26. कलकत्ता के और मद्रास के बंदरगाहों के सुधार के लिये 20 करोड़ रुपये लगेंगे जिसके लिये सम्बन्धित अधिकारियों ने विश्व बैंक के साथ बातचीत कर वित्तीय समझौते किये हैं।

27. मेरी सरकार स्वेच्छा से और समझौते के आधार पर दोनों रूप से औद्योगिक सम्बन्ध सुधारने और बढ़ाने के प्रयत्न में सफल हुई है। एक अनुशासन नियमावली जो दोनों ओर के मालिक और मजदूरों के अधिकारियों और जिम्मेदारियों की मान्यता की आवश्यकता पर जोर देती है, मालिक और मजदूर की सभी केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत हो चुकी है। इस नियमावली में व्यवहार के नियम बताये गये हैं। इसमें बताया गया है कि किसी भी ओर से एकतरफा कार्यवाही नहीं होनी चाहिये, हड़ताल और कामबन्दी से बचना चाहिए

040-H

206758

8

और झगड़ों के बीच-बचाव तथा निपटारे के लिये जो साधन हों वे तुरन्त काम में लाये जाने चाहिएं। नियमावली यह भी बताती है कि अपने-अपने दोषी सदस्यों के प्रति मजदूर और मालिक संस्थाएं क्या अनुशासन रखें। श्रमसम्बन्धी कानूनों और निर्णयों की कहां तक अवहेलना हुई है यह देखने के लिये और उन नियमों तथा निर्णयों को पूर्णरूप से कार्यान्वित करने के लिये एक त्रिदलीय समिति बनाई गई है। एम्प्लोईज स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम, जिसमें करीब-करीब चौदह लाख मजदूर शारीक हैं, अब और अधिक लोगों पर लागू की जा रही है। संचालन कार्य में मजदूरों को हिस्सा देने की दिशा में कदम उठाया गया है और अब निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में कतिपय उद्योगों के लिये संयुक्त समितियां स्थापित की गई हैं।

28. अर्डिनेन्स फैक्ट्रियों के उत्पादन में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई है। जिसके फलस्वरूप मेरी सरकार विदेशी मुद्रा में बचत कर सकी है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान और विकास तथा इसके लिए सुविधाओं के विस्तार की दिशा में भी कदम उठाये गए हैं। प्रतिरक्षा के साधनों के निर्माण के लिए आवश्यक माल और साधन की उपलब्ध की दिशा में कुछ प्रगति है।

29. अनुच्छेद 344 के अनुसार भाषा आयोग की सिफारशों पर विचार करने के लिए संसद के सदस्यों की जो समिति नियुक्त की गई थी उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। चालू सत्र में उस पर विचार करने का आपको अवसर मिलेगा।

30. नागा पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। हिंसा और अराजकता की वारदातों में बहुत कमी हुई है। नागा लोगों ने साधारण तौर से मेरी सरकार की नीति को पसन्द किया है। मई 1958 में अखिल जन जाति सम्मेलन के अग्रस्त 1957 में हुए कोहिमा सम्मेलन के निर्णयों का अनुमोदन किया। बहुत ने नागा लोग जो पहले विरोधी दल में थे और लुक-छिप कर आन्दोलन चला रहे थे अब शांतिपूर्ण ढंग से जीवन-यापन कर रहे हैं।

31. सिक्किम विकास योजना, जिसका खर्चा भारत वहन करता है, ठीक ढंग से चल रही है। गंगटोक से नाथूला तक सड़क तैयार हो गई है और यातायात के लिए खुल गई है। यह सड़क बहुत दुस्तर पहाड़ियों से होकर गुजरती है और इसके निर्माण के लिए हमारे इंजीनियर बधाई के पात्र हैं। 900 मील लम्बी सड़क बनाने के लिये गत वर्ष जनवरी में नेपाल, अमेरिका और भारत के बीच एक त्रिदलीय समझौता हुआ था। त्रिसूली जल विद्युत

योजना के निर्माण के लिये एक और समझौता किया गया और योजना पर काम जारी हो गया है। यह योजना काटमांडू घाटी के लिये 12 हजार किलोवाट बिजली पैदा करेगी।

32. पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित लोगों के पुनःसंस्थापन के काम में काफी उन्नति की जा चुकी है। जहाँ तक पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए लोगों का सम्बन्ध है, आशा की जाती है कि पुनःसंस्थापन का अन्तिम काम अर्थात् क्षतिपूर्ति की अदायगी इस वर्ष के भीतर समाप्त हो जायेगी। पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए लोगों में से करीब 60 हजार पिछले वर्ष शरणार्थी शिविरों से पुनर्वास के स्थानों में पहुँचा दिये गये। यह फैसला किया गया है कि इस वर्ष जुलाई के अन्त तक पश्चिमी बंगाल में सभी शिविर बन्द कर दिये जायें। हमें आशा है कि बाकी 35 हजार विस्थापित परिवार उस समय तक या तो काम और पुनःसंस्थापन के लिये दण्डकारण्य में जा वसेंगे या दूसरे राज्यों में नियत बस्तियों में जा चुकेंगे।

33. गैर-सैनिक अनुमानित व्यय के बजट और वित्तीय नियन्त्रण के सम्बन्ध में जो व्यवस्था थी उसमें सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं। विकास योजनाओं को अधिक तेजी से कार्यान्वित करने की दृष्टि से प्रशासनिक मन्त्रालयों को अधिक व्यापक वित्तीय अधिकार दिये गये हैं जिस से कि वे वित्त मन्त्रालय द्वारा संशोधित और बजट में शामिल की गई मदों पर व्यय की स्वीकृति स्वयं दे सकें।

34. संसद् के गत सत्र के बाद एक अध्यादेश, "दि इंडियन इन्कम-टेक्स (एमेन्डमेन्ट) आर्डिनेन्स 1959", जारी किया गया। इस अध्यादेश से सम्बन्धित एक विधेयक संसद् के सामने रखा जायगा।

35. 1958 में संसद् द्वारा 49 विधेयक पारित किये गये। 13 विधेयक आपके विचाराधीन हैं। विधेयकों और संशोधनों के रूप में मेरी सरकार कई वैधानिक प्रस्ताव संसद् के समक्ष रखना चाहेगी। उनमें से ये प्रस्ताव शामिल हैं—

- (1) दि कम्पनीज (एमेन्डमेन्ट) बिल।
- (2) एस्टेट ड्यूटी (एमेन्डमेन्ट) बिल।
- (3) दि स्टेट बैंक आफ इंडिया (सब्सिडियरी बैंक्स) बिल।
- (4) दि कोल माइन्स लेबर वेलफेयर फंड (एमेन्डमेन्ट) बिल।

- (5) दि आल इंडिया मेटरनिटी बैनिफिट बिल।
- (6) बिल टू प्रोवाइड फार कम्पलसरी नोटिफिकेशन आफ वेकेन्सीज बाई एम्प्लोयरस टू एम्प्लौयमेन्ट एक्सचेंजिस।
- (7) दि जिनेवा कनवेन्शन बिल।
- (8) दि सेविंग्स बैंक (एमेंडमेंट) बिल।
- (9) दि बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी (एमेंडमेन्ट) बिल।
- (10) दि चिल्ड्रन बिल।
- (11) ए बिल फार दि प्रीवेन्शन आफ क्रुएलटी टू एनीमल्स।

36. 1959-60 वित्तीय वर्ष के लिये भारत सरकार के आय-व्यय के अनुमानित आंकड़े आपके सामने रखे जायेंगे।

37. संसार में तनाव की भावना अभी बनी है और स्थिति में आधारभूत सुधार के लक्षण अभी दिखाई नहीं देने लगे हैं, यह मेरी सरकार के लिये चिन्ता का विषय है। मेरी सरकार बड़े राष्ट्रों के प्रति तटस्थता की नीति का बराबर अनुसरण कर रही है और तदनुसार तनाव को दूर करने के काम में यथासम्भव योगदान दे रही है।

38. विज्ञान और टैकनोलाजी में महान प्रगति के कारण मानव ने अन्तर्दक्षत्रीय आकाश के समन्वेषण का साहस किया है और इसके फलस्वरूप मानवीय उन्नति की कल्पनातीत सम्भावनायें सामने आयी हैं। अन्य राष्ट्रों के साथ मेरी सरकार भी इस बात से चिन्तित है कि विज्ञान की यह प्रगति अभी तक अधिकतर ऐसे विध्वसात्मक शस्त्रों के बनाने में ही काम में लाई गई है जिन से संसार के विनाश का संकट पैदा हो गया है।

39. मेरी सरकार को इस बात का खेद है कि जहां एक ओर न्यूक्लीयर और थर्मोन्यूक्लीयर विस्फोटों पर रोक लगाने की दिशा में जिनेवा में कुछ प्रगति हुई है, वहां दूसरी ओर इसके बारे में और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण समस्या अर्थात् निःशस्त्रीकरण और विनाश के इन अस्त्रों पर रोक लगाने की दिशा में समझौता तो एक तरफ सच्ची प्रगति भी अभी दिखाई नहीं दी है।

40. पिछले साल सितम्बर में मेरे प्रधान मन्त्री ने उस समय के पाकिस्तानी प्रधान मन्त्री के साथ सीमावर्ती इलाकों के सम्बन्ध में कुछ समझौते किये थे।

पाकिस्तान में स्थित कूचबिहार के कुछ इलाकों और भारत में स्थित कुछ पाकिस्तानी इलाकों का विनिमय भी इन समझौतों में शामिल था। इन समझौतों को कानूनी रूप देने के लिये मेरी सरकार आपके सामने प्रस्ताव रखेगी।

41. दूरस्थ और निकट के देशों से हमारे सम्बन्ध बराबर मैत्रीपूर्ण रहे।

42. जापान के सम्राट के निमन्त्रण पर सितम्बर 1958 के अन्त में मैंने उस देश की यात्रा की और जापान के सम्राट तथा लोगों ने मेरा हार्दिक स्वागत किया।

43. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और मलाया के सर्वोच्च शासक के निमन्त्रणों पर गत दिसम्बर 1958 में मैंने उन देशों की यात्रा की और दोनों ही देशों की सरकारों तथा जनता ने उदारतापूर्वक मेरा स्वागत किया।

44. गत वर्ष सितम्बर में मेरे प्रधान मन्त्री ने भूटान की यात्रा की, जिससे हमारा एक विशेष संधिगत सम्बन्ध है। वहां के शासक तथा लोगों ने उनका स्नेहपूर्ण स्वागत किया। प्रधान मन्त्री ने उन्हें भारत और भूटान के बीच स्थाई मैत्री का आश्वासन दिया और यह कहा कि वहां के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का हमारा संकल्प है। हम आशा करते हैं कि भूटान और भारत के बीच यातायात के साधनों में सुधार के फलस्वरूप दोनों जगह के लोग एक दूसरे के और निकट आ जायेंगे।

45. सूडान, ईराक, गिनी और क्यूबा में नई शासन सत्ताओं के स्थापित हो जाने पर मेरी सरकार ने उन्हें राजनयिक मान्यता प्रदान की।

46. पिछले वर्ष हमें अपने सम्मानित अतिथियों के रूप में महामहिम अफगानिस्तान के सम्राट, महामहिम नेपाल सम्राट तथा सम्राज्ञी, वियतनाम के लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के राष्ट्रपति, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति, न्यूजीलैण्ड, टर्की, कम्बोदिया, पाकिस्तान, कैनैडा, घाना, नार्वे, रूमानिया और अफगानिस्तान के प्रधान मंत्रियों, अर्थशास्त्र के जर्मन संघीय मंत्री, संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष, श्री हैनरी केबट लाज, और एडिनबरा के ड्यूक के स्वागत करने का श्रेय प्राप्त हुआ।

47. वियतनाम और कम्बोदिया में देखरेख और नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन आलोच्य वर्ष में कार्य करता रहा, किन्तु लाओस में कमीशन ने अनिश्चित काल तक के लिए अपनी कार्यवाही स्थगित की और

यह निश्चय किया कि साधारण प्रणाली के अनुसार इसे फिर से बुलाया जा सकता है। मेरी सरकार को इस बात का खेद है कि लाओस में स्थिति और अधिक बिगड़ गई है और सुधार की जो आशा मैंने पिछले साल प्रकट की थी वह पूरी नहीं हुई। फिर भी मेरी सरकार का बराबर यह विश्वास है कि जेनेवा समझौते से जो शांति वहां स्थापित हुई है वह बनी रहेगी और अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन के सदस्य एक दूसरे के साथ पूर्ण सहयोग करते रहेंगे और शांति स्थापना के हित में लाओस की सरकार का सहयोग भी उन्हें मिलता रहेगा।

48. भारत ने लेबनान स्थित संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षण दल में भाग लिया और उस क्षेत्र में एक संकटापन्न स्थिति को सुलझाने में अपना विनम्र योगदान दिया।

49. दक्षिण अफ्रीका की घटनायें, जहां की सरकार पृथक्ता की नीति का कठोरता से अनुसरण कर रही है और जिस के कारण उस देश के अधिकांश लोगों को अपमान और यातनायें सहनी पड़ रही हैं जिन से संयुक्त राष्ट्र के अधिकारपत्र में दिए गए मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हमारे लिए घोर चिन्ता का विषय हैं। किन्तु इस बात से कुछ संतोष होता है कि संयुक्त राष्ट्र में बहुत बड़ा बहुमत इस नीति का विरोध करता है। हमारी बराबर यही आशा है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार संसार के जनमत का आदर करेगी और यह स्वीकार करेगी कि प्रबुद्ध अफ्रीका में ऐसी नीतियों का परिणाम यही होगा कि जातीय कटुता बढ़ेगी और अन्त में संघर्ष होगा जो व्यापक हो सकता है।

50. भारत में गत वर्ष न्यूजीलैण्ड के उच्चायुक्त के दफ्तर की स्थापना का मेरी सरकार ने स्वागत किया है।

51. पिछले साल हमारे देश में कई एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए। देश के लोगों की ओर से बाहर से आने वाले महानुभावों का स्वागत और आतिथ्य कर और विश्व में सद्भावना और पारस्परिक आदान-प्रदान को उभारने में किञ्चिन्मात्र अपना योगदान दे सकने की मेरी सरकार को बहुत खुशी है।

52. संसद् के सदस्यगण, मैंने आपके सामने पिछले वर्ष की प्रमुख घटनायें तथा सफलतायें रखी हैं। राष्ट्रीय विकास और उन्नति के सम्बन्ध में किसी हद तक हम अपने आप को मुबारिकबाद कह सकते हैं। किन्तु पहले से भी कहीं अधिक आज हमारा यह सौभाग्य और कर्तव्य है कि हम और अधिक दृढ़ता,

अनुशासन और ध्येय-प्राप्ति की भावना के साथ लोकतन्त्र को सच्चे अर्थों में अपने देश के जनसाधारण के लिए बरदान बनाने का प्रयत्न करें।

53. मेरी सरकार की यह नीति है और वह सदा इस बात का प्रयत्न करती रहेगी कि इस पुण्य-भूमि की और यहां के लोगों की स्वाधीनता तथा मान सदा सुरक्षित रहें, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक कल्याण की प्रवृत्तियों को बल मिले और ऐसी लोकतन्त्रात्मक समाजवादी व्यवस्था का निर्माण हो जिसमें शांतिपूर्ण ढंग से जनमत के बल पर उन्नति की चेष्टा और प्राप्ति की जाय।

54. संसद् के सदस्यगण, अब मैं आप का काम आपको सौंपता हूँ और आपके प्रयत्नों में आप सब की सफलता की कामना करता हूँ। आपके प्रयत्न और आपकी एकता और अन्तिम ध्येय की प्राप्ति की भावना तथा कर्तव्यपरायणता हमारे देशवासियों को अधिक सम्पन्न और संतुष्ट बनाने में, राष्ट्र के स्थायित्व और सुरक्षा को अधिक दृढ़ करने में और विश्व में शांति तथा सहयोग का संचार करने में सहायक हो, यही मेरी प्रार्थना है।

मौलाना अबुलकलाम आजाद की बरसी

बहनों और भाइयो,

दिन गुजरते बहुत देर नहीं लगती और आज पूरा एक साल हो गया कि इसी मुकाम पर हम फिर आज इसलिये इकट्ठे हुए हैं कि हजरत मौलाना अबुलकलाम आजाद की यादगार में अपनी खिराजे-अकीदत पेश कर सकें।

मौलाना की सारी जिन्दगी मुल्क की खिदमत में लगी रही और एक किसम से नहीं, हर तरह से उन्होंने अपने को मुल्क की खिदमत में कुर्बान कर दिया। बचपन से ही उनको मुल्क की मोहब्बत और मुल्क की आजादी की लगन इतने जोर से लगी कि वह उसको आखिर दम तक भूल नहीं सके और करीब 70 वर्षों से लम्बे सफर में न मालूम इस मुल्क के कितने भाइयों और बहनों से उनका वास्ता हुआ, कितनों को उन्होंने ख्वाबे-गफलत से जगाया और कितनों को मुल्क की खिदमत में उन्होंने लगा दिया और कितनों को अपनी कुर्बानी से उन्होंने तैयार कर दिया।

अगर मौलाना इस तरह के काम में शुरू से ही नहीं लग गये होते और किताबों में लगे रहते तो उनकी कलम से जो अच्छी चीजें निकली हैं उनसे और भी बेहतर कितनी निकलीं होतीं जिन से सिर्फ इसी मुल्क में नहीं बल्कि इस मुल्क के बाहर के लोगों को भी फायदा पहुंचता रहता। मगर गरचे आखिर आखिर दम तक उन्होंने किताबों की मोहब्बत नहीं छोड़ी और आखिर आखिर दम तक हमेशा पढ़ने लिखने में भी लगे रहे मगर साथ ही साथ उन्होंने आजादी की जदोजहद में जिस खूबी के साथ, जितनी तंदेही के साथ, जितने इतमीनान और जिस बहादुरी के साथ काम किया और सारे मुल्क का साथ दिया वह हम सब के लिये एक मिसाल थी ही, जो आइन्दे नसल आयगी उसके लिये भी एक मिसाल होगी। और आज के दिन हम सिर्फ इसी लिये इकट्ठे हुए हैं कि उन चीजों की याद करके खुद कुछ सीख सकें और जिनको यह खुशकिस्मती हासिल नहीं थी कि खुद-ब-खुद रूबरू मौलाना के साथ मिले हों उनको उन हालात को कहकर, सुनाकर वाकिफ करें।

जिस वक्त कि आपका झगड़ा इतना फैल गया था, जिस वक्त कि हिन्दुस्तान के बटवारे की बात इतने जोरों से चल रही थी कि किसी भी मुसलमान के लिये

मौलाना अबुलकलाम आजाद की बरसी पर भाषण; दिल्ली, 22 फरवरी, 1959

बटवारे के खिलाफ आवाज़ उठाना एक बड़ा गुनाह, एक बड़े तबके की नजर में था, उस वक्त भी वह अपने ख्याल पर डटे रहे और जरा भी वह नहीं डिगे और न किसी मौके पर उनकी जबान में, उनके हाथ में, कोई कमी और लरजिश आयी, और उसका यह नतीजा हुआ कि जहां तक मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस ने जितनी उनकी इज्जत की, जिस तरह उनको अपने सर पर बैठाया, जितने जमाने तक उनको रहनुमाई करने का मौका दिया उतना शायद ही और करने का मौका दिया उतना शायद ही और किसी कांग्रेस के खादिम को नसीब हुआ हो। और वे दिन यहां ऐसे थे जब हिन्दुस्तान की किस्मत का फैसला हो रहा था, जब स्वराज्य आंखों के सामने था, हो सकता था कि बहुत जमाने के लिये वह हाथ से निकल जा सकता था, ऐसा वह नाजुक जमाना था कि मुल्क चाहे पाश-पाश होकर रह जाये या यह होकर फिर भी आजाद हो जाय और दुनिया में एक बड़े मुल्क की हैसियत हासिल कर ले। ऐसे अहम मौके पर कांग्रेस के सभी लोगों ने जिसका माने था कि मुल्क के सब्र से बड़े तबके ने मौलाना पर ऐसा एतबार किया और इस खूबी के साथ उनको आगे ले चलने का मौका दिया कि वह आखिर मुल्क को आजाद करके ही रहे।

यह खुशकिस्मती और किसी को नहीं हासिल हुई क्योंकि उस समय वह कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जिस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ आजादी की सब बातें तय हुयीं। एक बार नहीं कई बार ब्रिटिश गवर्नमेंट के नुमाइन्दों के साथ उनको गुफ्तगू करने का मौका आया और हमेशा मुल्क की बहबूदी को सामने रखकर काम करते रहे। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि इतने लम्बे सफर में जब न-मालूम हजारों लाखों आदमियों के साथ काम करने का मौका आया तो चन्द लोगों के साथ राय में कुछ फर्क भी आ गया हो। मगर यह तो सब को मालूम है कि चाहे कहीं-कहीं राय में कुछ फर्क भी आया हो मगर उनके लिये लोगों के दिलों में जो इज्जत और मुव्वत थी उसमें कभी भी कमी नहीं आयी और उसका सुबूत जो मिला वह तो मालूम ही है कि जिस दिन वह इस दुनिया से कूच करके गये उस दिन इसी मुकाम पर सिर्फ दिल्ली के ही नहीं, और जगहों से भी हजारों हजार की तायदाद में लोगों ने उसको जाहिर किया और दिखाया।

आज एक वर्ष हो गया। हम तो चाहेंगे कि उनकी खिदमात को हम याद रखें और सिर्फ याद ही नहीं रखें बल्कि ऐसे लोगों को जिनको इसका मौका

नहीं मिला कि उनकी रहनुमाई में चलकर कुछ काम कर सकें उनको बतायें कि उनकी जिन्दगी को पढ़कर उनके हालात पर गौर करके अपनी जिन्दगी को हिन्दुस्तान की खिदमत के काबिल बनायें और उसी तरह से मुल्क की खिदमत में लगे। मुझे इसमें जरा भी शक व शुभा नहीं कि उनकी जिन्दगी से ये सब चीजें अच्छी तरह से वे सीख सकते हैं। किस तरह से एक बड़ा आलिम मुल्क की आजादी के काम में लग सकता है या इस तरह के और किसी काम में लग सकता है और पढ़ाने के काम में भी लग सकता है इन दोनों चीजों की एक अच्छी और बड़ी मिसाल वह हमारे सामने थे। हम तो यही उम्मीद रखेंगे कि उसी तरह से हम उनकी जिन्दगी से सबक लें और मुल्क की खिदमत करते रहें।

कम्बोज की संसद् के समक्ष भाषण

आपके निमन्त्रण पर इस सुन्दर देश में आना और यहां आकर कम्बोज की संसद् के सदस्यों से मिलना और उन्हें कुछ शब्द कह सकना, मैं अपने लिये सौभाग्य का विषय समझता हूं। स्वाधीनता के बाद कुछ ही वर्षों में आप लोगों ने जो उन्नति की है उससे मैं प्रभावित हुआ हूं। यह श्रेय का विषय है कि आप इस अवधि में दो आम चुनाव कर चुके हैं।

आपने और हमने शासन की जन्तन्त्रात्मक प्रणाली अपनाने का निर्णय किया है। निस्संदेह यह प्रणाली एक नन्हें पौधे के समान अल्पाव्यवस्था में है। इसकी जड़ें गहरी हों इसके लिये यह आवश्यक है कि हम तत्परता से उसकी देखरेख करें ताकि वह पौधा इतना मजबूत हो जाये कि वह सभी प्रकार के आन्धी और तूफानों को, जो अनिवार्य हैं, झेल सके। इसके लिये आधारभूत दो आवश्यकताएं हैं : *मानव के व्यक्तित्व में हमारी आस्था और स्वाधीनता के सच्चे अर्थों को समझने की हमारी क्षमता। वह स्वाधीनता श्रैपूर्ण है जो हमारे लिये समाज के दूसरे व्यक्तियों की स्वाधीनता को हमारी निजी स्वाधीनता के बराबर ही मूल्यवान और आवश्यक नहीं बनाती। इस स्वाधीनता में आर्थिक उन्नति का भी समावेश आवश्यक है क्योंकि उसका सम्बन्ध समस्त समाज के कल्याण से है। ऐसी स्वाधीनता जिस में ऊंचा आदर्श और आर्थिक उन्नति दोनों ही शामिल हों सब को सब के हित के लिये उपलब्ध हो सकती है, यदि उसका आधार सत्य और अहिंसा हो, जिससे कि सब लोग एक दूसरे की स्वाधीनता की भावना का आदर करें। एक आदर्श समाज में यह आदर एक कर्त्तव्य बन जाता है जिसका पालन सब लोग खुशी से इच्छापूर्वक करने लगते हैं और उसका रूप बलपूर्वक लागू किये जाने वाले अधिकार का नहीं रहता।

आपके और हमारे देश के समान दूसरे देशों को भी, जो हाल ही में विदेशी आधिपत्य से मुक्त हुए हैं, यह समझना चाहिये कि उनके सामने एक बहुत बड़ा अवसर और श्रेय है कि वे अपने काम-काज को इस प्रकार चलावें और अपने आपको इस प्रकार उन्नत करें कि कालान्तर में वे एक महान अहिंसात्मक शक्ति बन जायें, जो अलग-अलग भले ही छोटे और कमजोर हों किन्तु सामूहिक रूप से अटूट हों। यदि हम उन देशों को देखें जो इस प्रकार के आधिपत्य से

निकल कर सोद्देश्य स्वाधीनता के प्रांगण में उतरे हैं तो हम आसानी से समझ सकेंगे कि संसार के भूखंड एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के बीच से होकर गुजर रहे हैं। यही नहीं, यदि वे दृढ़ संकल्प से ऐक्य भाव से आपस में मिलजुल कर रहें तो अर्वाचीन विध्वंसात्मक शस्त्रास्त्र भी उनके विरोध में कुछ नहीं कर सकेंगे।

इसलिये मैं समझता हूँ कि आपकी संसद् के लिये यह परम श्रेय की बात है और उसके सामने एक महान् कर्त्तव्य है कि वह कम्बोज के लोगों के भाग्य का निर्माण करे जिससे कि आपके विगत गौरवपूर्ण इतिहास के अनुकूल ही आपका भविष्य भी उज्ज्वल हो।

हाल में स्वाधीनता प्राप्त करने वाले अन्य देशों की तरह कम्बोज की सरकार और यहां की जनता भी राष्ट्र-निर्माण के कार्य में और लोगों के हित में स्वाधीनता को वरदान बनाने के यत्न में संलग्न हैं। यह काम अत्यन्त महत्व का है और इसमें सफलता प्राप्त करने से ही स्वाधीनता के प्रयोजन और उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। इसलिये आधुनिक युग को हमें राष्ट्र-निर्माण का युग मानना चाहिये, ऐसा युग जिस में जन-साधारण के रहन-सहन में सुधार हो और अज्ञानता तथा दरिद्रता का विनाश हो।

आज के युग की जो आवश्यक समस्याएं हैं उनके विवेचन का बड़ा महत्व है किन्तु फिर भी मेरे जैसे व्यक्ति के लिये, जिसने इस पुण्य-भूमि पर पहली बार कदम रखा है, यह सम्भव नहीं कि वह अतीत पर दृष्टिपात करने और उस स्वर्णिम काल का, जब हमारे दोनों देशों के बीच घनिष्ट मित्रतापूर्ण सम्बन्ध थे, आवाहन करने के लोभ का संवरण कर सके। उस बीते युग में हम मित्रों के समान मिले थे। विचारों, कला, साहित्य तथा संस्कृति के क्षेत्र में पारस्परिक आदान प्रदान में हमारे दोनों देशों की दिलचस्पी थी और यह सुन्दर क्रम सदियों तक चलता रहा। इस प्रकार दीर्घ काल तक हम एक सामान्य विरासत के उत्तराधिकारी रहे।

फिर एक समय आया जब प्रारब्ध ने पलटा खाय़ा और हमारे दोनों देशों की स्वाधीनता छिन गयी। सौभाग्य से वह कुसमय भी अब बीत चुका है और कम्बोज तथा भारत का स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में उदय हुआ है और अब दोनों अपने अपने भविष्य का निर्माण करने के लिये स्वतन्त्र हैं। स्वाधीनता सदा ही स्वागत-योग्य वस्तु है, किन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे दोनों देशों की

हाल में प्राप्त स्वाधीनता हमारे लिये और भी अधिक प्रिय है क्योंकि उसके द्वारा भारत और कम्बोज का फिर से मिलन हुआ हुआ है। एक बार फिर मित्रों के समान हमारा मिलना हुआ है। हम अपने पुराने सम्बन्धों से परिचित हैं और उस बन्धन को दोनों देशों के लोगों के हित में और विश्व-शांति के पक्ष को उन्नत करने के हित में और अधिक दृढ़ करने के लिये कटिबद्ध हैं।

यहां आकर आप सब लोगों के दर्शन करके मुझे बड़ी खुशी हुयी है। अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे तथा मेरे देशवासियों के प्रति जो कृपापूर्ण उद्गार प्रकट किये हैं उनके लिये मैं आपका आभारी हूं। क्या मुझे यह कहने की जरूरत है कि अपनी ओर से, भारत सरकार तथा भारत की जनता की ओर से मैं भी आप सब के लिये वे ही उद्गार प्रस्तुत करता हूं? मेरी यह कामना और प्रार्थना है कि आधुनिक कम्बोज राष्ट्र-निर्माण के कार्य में अग्रसर हो और अविलम्ब वह प्रगति के उस शिखर पर पहुंच सके जो इस देश के महान अतीत से यदि अधिक ऊंचा नहीं तो कम से कम उसके बराबर अवश्य हो।

कम्बोडिया में भारतीयों द्वारा स्वागत समारोह

कम्बोज निवासी भारतीय भाइयो और बहनो,

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मैं आज आप सब से मिल सका। छः महीनों के भीतर यह चौथा देश है जहां मैं भारत से बाहर जाकर अपने भाइयों और बहनों से मिल सका हूं और यह स्वाभाविक है कि जब मैं विदेश में जाता हूं और अपने देश के भाइयों और बहनों से मिलता हूं तो एक विशेष प्रसन्नता होती है। जब उनको फूलते-फलते देखता हूं, हर तरह से उन्नति करते देखता हूं तो वह खुशी और भी बढ़ जाती है। इसलिये आप समझ सकते हो कि यहां आकर और आप सब से मिलकर मुझे कितनी प्रसन्नता हुयी है।

आप जो इस देश में रहते हो इस बात को अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे देश के साथ इस देश का कितना पुराना ताल्लुक रहा है और हमारी सांस्कृतिक कितनी चीजें इस देश में किस तरह से आ गयी हैं और यहां की जिन्दगी में मिल गयी हैं कि कहीं कहीं तो उन चीजों को देखकर ऐसा मालूम होता है कि हम भारत के बीच में हैं। तो आजकल आप जो यहां रहते हो आप लोगों पर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी आ जाती है। एक तरह से आप इन भारतीयों का जिनके असर का फल यह हुआ कि अंगकोर, वनितेश्वरी आदि मन्दिरों का निर्माण हुआ और दूसरी तरफ आज के भारत के प्रतिनिधि होकर आप इस देश में रह रहे हो। तो आपकी रहन-सहन तौर-तरीके कारोबार और व्यवहार ऐसा सुन्दर होना चाहिये कि आप प्राचीन भारत और आज के नवीन भारत दोनों के प्रतिनिधि बनकर पूरी तरह से प्रतिनिधित्व कर सकें। और यह बोझ कुछ कम नहीं है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस देश को इतना दिया और ऐसी कीमती चीजें दीं कि आज हजार वर्षों के बाद भी वे कायम हैं। और न मालूम और कितने हजार वर्षों तक वे कायम रह सकेंगी। आप इस चीज को अपनी देन समझकर उनको कायम रखने की अपनी जवाबदेही समझ कर वैसी ही अपनी रहन-सहन और अपना व्यवहार रखें।

मुझे यह जानकर खुशी हुयी कि आप यहां जो हैं अच्छा कारोबार कर रहे हैं फूलते-फलते हैं और इस देश के लोग और यहां की सरकार भी आपके कम्बोडिया में रहनेवाले भारतीयों द्वारा किये गये स्वागत समारोह में भाषण; नौम पेह्ल, 18 मार्च, 1959

साथ अच्छा से अच्छा सुलूक रखती है अच्छा बर्ताव रखती है। हम चाहते हैं कि हमारे देश का कारबार खासकरके व्यापार ऐसे देशों के साथ जितना हम बढ़ा सकते हैं बढ़ावें और यह भी आप लोगों का काम है कि आप यह सोचकर रास्ता निकालें कि कौन-कौन तरीकों से आप उस कारबार को बढ़ा सकते हैं और सिर्फ इसलिये नहीं कि आप लोगों को अपना लाभ हो अथवा भारतवर्ष को लाभ हो बल्कि इस ख्याल से भी कि इस देश का उसी तरह से लाभ हो जिस तरह से आप अपने और अपने देश का लाभ कर सकते हैं। प्रत्येक व्यापारी का यह कर्तव्य हो जाता है कि अगर वह किसी दूसरे देश में जाकर रहता है और कारबार करता है तो वहां के लोगों के साथ वह इस तरह से घुलमिल जाये अपने स्वार्थ को उनके स्वार्थ के साथ इस तरह से एक कर दे और मिला दे कि उसके प्रति उस देश के लोगों का पूरा विश्वास और एतवार हो जाये और कोई ऐसा मौका नहीं आवे कि उस देश के लोग उसे विदेशी समझें ऐसा विदेशी जो उनके यहां उनको गरीब बनाकर या दूसरे तरीकों से धोखा देकर और लूट-खसोट करके अपना भला चाहता है और उनका भला नहीं चाहता। आपका यह कर्तव्य होना चाहिये और यह उद्देश्य होना चाहिये कि जहां आप लोग रहें और व्यापार करें उस देश के लोगों को भी आप उतना ही ध्यान और मन में रखें और उनकी आप जिन तरीकों से मदद कर सकते हैं आप मदद दें और ऐसी मदद देनी चाहिये जिससे उनके दिल में किसी तरह से शक-शुभा आपके प्रति पैदा न हो।

हम तो यह चाहते हैं कि आप खुश रहें खूब फूलें फलें और आप भारत को भी याद रखें क्योंकि जड़ तो वही है। जड़ यदि कायम रहे उसकी सिंचाई मिलती रहे तो उसमें पत्तियां शाखाएं डालियां सब हरी-भरी रह सकती हैं। यदि जड़ सूख गई तो पत्तियां शाखाएं भी हरी-भरी नहीं रह सकती। इसलिये जहां आप अपने को खुश रखें वहां भारत को भी याद करना जरूरी है। जड़ को आप अपने परिश्रम अध्यवसाय से सींचते रहें। अगर आप जड़ को अपनी मेहनत से अपने व्यवसाय से सींचते रहेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि आप निजी उन्नति भी कर सकेंगे और खुश रहेंगे। मैं यही आपसे कहने आया हूं और आशा करता हूं कि जो आशाएं आपसे मैं रखता हूं वे सब पूरी होंगी।

मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरा आदर किया, मेरे प्रति इतना प्रेम दर्शाया और मुझे यह मौका दिया कि मैं आपसे दो शब्द कह सकूं। सब के लिये धन्यवाद।

राष्ट्रपति जी द्वारा दिया गया सांध्य भोज

परम तथा श्रेष्ठ मित्र,

आपने यहां आकर मुझे कृतार्थ किया और आपके तथा कम्बोज के लोगों के लिये अपनी आदर तथा स्नेह की भावना दर्शाने का मुझे अवसर दिया— इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

आपके देश में मेरे कुछ दिनों के प्रवास के फलस्वरूप हमारे प्राचीन सांस्कृतिक बंधनों की रेखाएं कुछ उभर आयी हैं। हमारे आपसी सम्बन्ध इतने गम्भीर और चिरकालीन हैं कि उनका आधार केवल ईंट और शिला ही नहीं हो सकती है। आपके महान ऐतिहासिक स्मारकों और कलाकृतियों के महत्व को मैं कम नहीं कर रहा हूं क्योंकि प्रत्येक ईंट और प्रत्येक शिला हमारे पारस्परिक स्नेह की द्योतक हैं और उस गौरवमय बीते युग का स्मरण दिलाती है जब आपके और हमारे पूर्वजों ने प्राकृतिक बाधाओं की अवहेलना कर आपस में ऐसे अटूट सम्बन्ध स्थापित किये थे जो सदियों तक बने रहे। मेरा यह विश्वास है कि विचारों और आध्यात्मिक तत्त्वों के आदान-प्रदान द्वारा जो सम्बन्ध स्थापित होते हैं वे उन सम्बन्धों की अपेक्षा कहीं अधिक दृढ़ और चिरकालीन होते हैं जिनका आधार केवल भौतिक अथवा आर्थिक लाभ हो। इसलिये मेरी यह धारणा है कि हमारे सम्बन्ध घनिष्ठ और अटूट हैं क्योंकि उनका आधार भगवान बुद्ध का दिव्य संदेश है वह संदेश जिसकी शिक्षा और मौलिक सिद्धान्त हमारे जीवन, धर्म और संस्कृति के आधार हैं और सदा से रहे हैं जो आज भी हमारी आस्था के प्रतीक हैं और जिन से आज भी हम और कम्बोज के जन साधारण प्रेरणा ग्रहण करते हैं। उस संदेश में वह मूलमन्त्र निहित है जो उन सब कष्टों को जिनसे आज संसार पीड़ित है दूर करने की क्षमता रखता है। विज्ञान और टेक्नोलाजी की कल्पनातीत प्रगति के इस युग में मानव के सामने जीवन मरण का प्रश्न प्रस्तुत हो गया है। सत्य पर आधारित अहिंसा ही उस समस्या का एकमात्र हल है। इसीके द्वारा हम उन सब वस्तुओं की रक्षा कर सकते हैं जो मानव समाज के लिए मूल्यवान हैं। भगवान बुद्ध के संदेश का यही सार था और आधुनिक परिस्थितियों पर व्यवहारिक रूप में लागू करके महात्मा गान्धी ने उसे अधिक दृढ़ बना दिया। मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं और जो कुछ मैंने आपके देश में देखा है और आपकी भांति स्थित दूसरे देशों में देखने की मुझे जो

राष्ट्रपति जी द्वारा दिये गये सांध्य भोज में भाषण; नौम पेह्ल, 18 मार्च 1959

आशा है उससे मेरा विश्वास और भी दृढ़ होता है कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध उन सम्बन्धों की अपेक्षा कहीं अधिक दृढ़ और स्थायी होते हैं जिनको राजनीति तथा युद्ध में विजय के बल पर स्थापित किया गया हो।

कल मैंने आपके प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान अंगकोर को देखा जिसमें खमेर सभ्यता के विलक्षण स्मारक विद्यमान हैं। विभिन्न धर्मानुयायी और विभिन्न राष्ट्रों के लोग सैकड़ों की संख्या में अंगकोर को देखने आते हैं। उसके अवलोकन से सभी द्रष्टाओं को इतिहास के सतत प्रवाह का आभास होता होगा और इस बात की चेतना होती होगी कि संसार के देश अधिकाधिक एक-दूसरे के निकट आ रहे हैं। मुझ पर भी अंगकोर को देखने का यही प्रभाव पड़ा। अब लोग दूर-दूर से आकर उन प्राचीन कलाकृतियों को देख सकते हैं जो दूरस्थ देशों में स्थित हैं और जिनका उस काल में निर्माण हुआ था जब विभिन्न राष्ट्र एक-दूसरे को बहुत कम जानते थे और जब यात्रा कठिनाई से की जा सकती थी और यातायात की सुविधाएं बहुत कम थीं।

संसार भर के देशों के एक-दूसरे के इतना निकट आ जाने के कारण युद्ध और शांति को अब सीमाओं में बांधना सम्भव नहीं। इन दोनों की प्रवृत्ति विश्वव्यापी होने की रहती है। यही कारण है कि यद्यपि हमारे दोनों देशों के पास न्यूक्लीयर शस्त्रास्त्र नहीं हैं न ही किसी दूसरे प्रकार का सैन्यबल है और न हमारी महत्वाकांक्षा है कि हम ऐसी शक्ति प्राप्त करें फिर भी अन्य राष्ट्रों के द्वारा ऐसे विध्वंसक हथियारों के संचय को हम भय और चिन्ता की दृष्टि से देखते हैं और न्यूक्लीयर विस्फोट के विपक्ष में और निःशस्त्रीकरण के पक्ष में जहां कहीं भी हो सकता है अपनी आवाज उठाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में तथा और किसी भी दूसरे उपलब्ध मंच से हम बराबर इस बात पर जोर देते आ रहे हैं कि न्यूक्लीयर शक्ति का उपयोग केवल मानव समाज के कल्याण के लिये और शांतिपूर्ण कामों के लिये होना चाहिये।

हम जानते हैं कि भारत और कम्बोज की मैत्री के आधार हमारे सामान्य हित हैं अर्थात् विश्व शांति और पंचशील के सिद्धान्त में हम दोनों की दिलचस्पी और संसार भर के देशों की स्वाधीनता को स्थायी बनाये रखने की हम दोनों की इच्छा यह एक शुभ संयोग है कि आज के दिन ठीक चार वर्ष हुए जब 18 मार्च, 1955 को आपके और हमारे प्रधान मंत्रियों ने अपनी ओर से और अपने देशों की तरफ से पंचशील में अपने विश्वास की घोषणा की

थी। हमारा यह विश्वास है कि ऐसे आधार पर स्थापित मैत्री स्वयं स्थायी होगी। मैं यह आशा भी करता हूँ कि विचारों और भौतिक सामग्री के आदान-प्रदान और एक-दूसरे के प्रति यथासाध्य सेवा भाव प्रकट करने के हमें और अधिक अवसर मिलेंगे।

परम श्रेष्ठगण, देवियो और सज्जनों अब मैं महामहिम कम्बोडिया के महाराजाधिराज के लिये शुभकामना का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

नौम पेह्ल से प्रस्थान।

इस देश में मेरा प्रवास बहुत अल्प रहा, पर तो भी मरे प्रति और मेरे देश के लिये कम्बोज के लोगों ने जो स्नेह और मैत्रीभाव दर्शाया, उससे ये दिन अतिसुन्दर रहे।

आज मैं आप से विदा ले रहा हूँ और आपकी सद्भावना और स्थायी मैत्री का जो स्पष्ट आश्वासन मिला उससे पूर्णरूप से विश्वस्त हूँ। मैं भी आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि भारतवासियों की भी आपके प्रति यही भावना है। मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हम दोनों के हित में अधिक गहरे और घनिष्ठ होंगे। आपने मेरे प्रति जो कृपा भाव प्रकट किया उसका मैं आदर करता हूँ। आपके दिलों में भारत के प्रति जो सद्भावना है, वह भाव उसी का बाहरी लक्षण है। मैं यही कह सकता हूँ कि हमारे दिलों में भी वही स्नेह और भ्रातृत्व की भावना है और अतीत की तरह भविष्य में भी हमारे सम्बन्ध इतने दृढ़ होंगे कि सभी तरह के दबाव और तनाव का भार सह सकेंगे।

आपके उदारतापूर्ण आतिथ्य और स्वागत सत्कार के लिये मैं आभार प्रकट करता हूँ।

राष्ट्रपति हो ची मिन्ह के टोस्ट का उत्तर

मेरे स्वागत में जो आपने इतने सुन्दर शब्द कहे हैं उनके लिये मैं अनुगृहीत हूँ ।

जब आप हमारे देश में आये थे, भारत के लोगों को अपने प्राचीन देश में आपका स्वागत करने और आपका परिचय प्राप्त करने का सुअवसर मिला था । आतिथ्य सत्कार की महान परम्पराओं वाले आपके देश की यात्रा मेरे लिये एक अमूल्य अनुभव है । मेरे देश और देशवासियों के प्रति आपके लोगों ने जो गहरे आत्मियतापूर्ण भाव दिखाये हैं उन्हें मैं स्वयं देख चुका हूँ ।

अपने स्वाधीनता संग्राम की याद हमारे दिलों में अभी भी बनी है और हमारी यह जानने में बराबर दिलचस्पी है कि जो कोई भी देश अभी भी पराधीन है वे कब और किस प्रकार दासता के बंधनों से मुक्त होते हैं । अपने देश के सम्बन्ध में यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि आजादी का पूर्ण और सच्चा अनुभव प्राप्त करने के लिये केवल राजनीतिक स्वाधीनता की प्राप्ति ही काफी नहीं होती । इसके लिये और भी बहुत कुछ चाहिये । इसके लिये सतत और गहनतम प्रयास आवश्यक है । गहनतम प्रयास की व्याख्या अथवा परिभाषा इसके व्यावहारिक अनुसरण से कहीं आसान है । इसे प्राप्त करने के लिये तथा एक सारगर्भित आदर्श को जीवन में उतारने के लिये अनेकों सफलताओं का मुंह देखना पड़ता है । मानव प्रयास की सदा से यही कहानी रही है । पल भर में मानव का मन उच्चतम शिखर तक जा पहुँचता है पर निर्बल शरीर जिसे भोजन, कपड़े, रहने के लिए घर आदि चाहिए, उस आदर्श को प्राप्त करने में अग्नित घंटे दिन, हफ्ते और साल लगाता है । महात्मा गान्धी ने हमें यह शिक्षा दी थी कि हमें परिश्रम को महत्व देना चाहिये और छोटे-मोटे प्रयत्नों को भी यथेष्ट और यथायोग्य महत्व देना चाहिये । मैं यह नहीं कह सकता कि इस शिक्षा को हम भारतवासी पूरी तरह ग्रहण कर पाये हैं । हां, हम इतना अवश्य जानते हैं कि इसको ग्रहण करना सम्भव है । अपने अनोखे जाड़ू से महात्मा गांधी ने उन सभी को अंकृत कर दिया जो उनके सम्पर्क में आये और उन्हें उत्सर्ग की भावना से प्रेरित कर दिया । आज भी, कई वर्ष बीत चुकने के बावजूद उनके नाममात्र से एकाग्र और निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा मिलती है । मेरा विश्वास

राष्ट्रपति हो ची मिन्ह के टोस्ट के उत्तर में भाषण; हनोई, 22 मार्च, 1959

है यह कहना गलत न होगा कि उनके जीवन तथा संदेश का भारत के अतिरिक्त दूसरे देशों पर भी यही प्रभाव पड़ा।

बहुत शताब्दी पहले भगवान बुद्ध ने "महाकरुणा" का संदेश दिया था और इसके फलस्वरूप एशिया के अनेकों देशों को अपूर्व बल और विलक्षणता प्राप्त हुई। बुद्ध के दिव्य संदेश से, जो हमारी धमनियों में अभी भी गंजता है और दैनिक जीवन के संघर्ष और दवावों के बीच प्रायः विचार और विवेचन की स्फुटि देता है, पूर्वी देशों की सांस्कृतिक परम्परा समृद्ध हुई है।

आज जब हम एशिया और अफ्रीका के देशों में जागरण की नयी लहर देखते हैं, जो विदेशी प्रभुत्व और निजी दुर्बलताओं से मुक्त होने के लिये एक अदम्य शक्ति का रूप धारण करने पर तुली हुयी है, भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा यह कर्तव्य कि हम अपने काम काज को इस प्रकार चलावें कि भविष्य में विश्व युद्ध जैसी विपत्ति की पुनरावृत्ति न हो। सौभाग्य से मानव के जीवित रहने के लिये शांति को अनिवार्य मानने के लक्षण अधिकाधिक दिखाई देने लगे हैं और यही हमारे लिये आशा की झलक है। हमारे राष्ट्र ने जान-बूझ कर और विचारपूर्वक सोद्देश्य शांति की नीति अपनायी है और इस दिशा में अपनी पूरी शक्ति लगाने का निश्चय किया है। मेरी यह हार्दिक कामना है कि राष्ट्रों और देशों की जो समस्याएं हों, आगामी काल में वे एक-दूसरे के बाद सुलझती जायेंगी। हमारी यह उत्कट इच्छा है कि शांति की किरणें चारों ओर फैलें और सम्पन्नता और संतोष की भावना का विस्तार हो। मेरी यह प्रार्थना है कि इस दिशा में अपना योगदान देने की भगवान हमें शक्ति दे।

श्री राष्ट्रपति आपके लोगों के सामने, जिन्होंने हमारी तरह हाल में ही स्वाधीनता प्राप्त की है, हमारी जैसी ही पेचीदा और कठिन समस्याएं हैं। उनका यह सौभाग्य है कि आदर्श के रूप में आप जैसा अनथक, साहसी और सेवारत नेता उनको मिला है।

मित्रो, मैं राष्ट्रपति हो ची मिन्ह के कल्याणार्थ प्रस्ताव आपके सामने पेश करता हूं।

हनोई में प्रधान मन्त्री द्वारा दिया गया सांध्य भोज

श्री प्रधान मन्त्री,

मेरे प्रति व मेरे देश के प्रति आपने जो भावनाएं व्यक्त की हैं उनका मैं हृदय से आदर करता हूं। आपके स्वागत और सम्मान के लिए मैं आपका आभारी हूं।

यह विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं कि हम शान्ति में बहुत गहरी श्रद्धा रखते हैं। हम जानते हैं कि वर्तमान विज्ञान और तकनीकी विकास का युग है जिसने दूरी को कम कर दिया है और ऐसे अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण कर लिया है जो यदि युद्ध छिड़ जाए तो मानवता को भी नष्ट कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में संसार के किसी भी कोने में यदि छोटा-सा संघर्ष छिड़ गया तो वह दावानल की तरह संसार भर में फैल सकता है और जो अपनी लहरों की लपेट में समुद्रों को पार करके संसार के सभी भूखंडों को ले सकता है। इसलिए हमारी दृढ़ धारणा है कि राष्ट्रों के और मानव मात्र के बीच के झगड़े तथा मतभेद आपसी बातचीत और समझौते के जरिये सुलझाये जाने चाहिए। इसलिये हमने इस कार्य को न केवल बड़ा सम्मान माना है, इसे अपना परम कर्तव्य समझा है कि इस पारस्परिक बातचीत और समझौते में हम जो भी सहायता कर सकें करें। क्या मैं यह कहूं कि इस प्रकार के किसी भी शुभ और उत्तम कार्य में हमेशा कठिनाइयां आया करती हैं और इसमें न केवल दोनों पक्षों को धैर्य और अध्यवसाय से काम लेना पड़ता है बल्कि उन्हें भी जो झगड़े को नबटाने के लिये बीच-बिचाव का प्रयत्न कर रहे हों, चाहे वह यत्न कैसा ही साधारण क्यों न हों एक भारतीय होने के नाते मुझे इस बात का गर्व है कि हमें ऐसे काम करने को बुलाया गया और हमारे प्रतिनिधियों को सभी की ओर से सहयोग और विश्वास प्राप्त करने का श्रेय मिला। श्री प्रधान मन्त्री, मैं आपके और आपके देश-वासियों के प्रति आभारी हूं कि आपका हमारे ऊपर इतना विश्वास है। उस विश्वास का आधार पंचशील के सिद्धान्तों में हम दोनों का विश्वास और मान्यता है। यह सिद्धान्त और इसमें हमारा विश्वास, मानव जाति की विशेषकर हमारे और आप जैसे देशों की सदियों पुरानी, सामान्य परम्पराओं का आधुनिक, राजनीतिक और अन्तर्राष्ट्रीय एक रूप मात्र है।

आपके तथा राष्ट्रपति हो ची मिन्ह और वियतनाम की जनतन्त्रात्मक सरकार तथा जनता द्वारा दशयिं गये इस स्वागत सद्भाव और आतिथ्य के लिये मैं आप सब को धन्यवाद देता हूं और राष्ट्रपति तथा वियतनाम सरकार और वियतनाम के नर-नारियों के प्रति मैं शुभ कामना प्रगट करता हूं।

हनोई में प्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये सांध्य भोज में भाषण; 23 मार्च, 1959

नागरिक स्वागत समारोह

श्री नगरपालिका अध्यक्ष और मित्रो,

मेरे और मेरे देश के सम्बन्ध में आपने आज जो कृपापूर्ण शब्द कहे हैं उनसे मैं सम्मानित और बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मेरे विचार में ये शब्द हमारे दोनों देशों के बीच आपसी मैत्रीभाव और सद्भावना के प्रतीक हैं। इस देश में अपने प्रवास में ही मैंने इतना महसूस किया है कि मैं सहृदय लोगों के बीच आकर रह रहा हूँ जिनके प्राचीन इतिहास और हाल के जागरण ने उचित गौरव और सुन्दर देशभक्ति की भावना प्रदान की है। मैं यह भी जानता हूँ कि परिश्रम और अध्य-वसाय के कारण और अपने राष्ट्रपति के रूप में ऐसे नेता को प्राप्त कर सकने से जो अपनी महानता और साहस के लिये प्रसिद्ध हैं, देश का मार्ग प्रशस्त समझना चाहिये।

आपकी तरह हमें भी कठिन परीक्षाओं और विपत्तियों के बीच से गुजर कर स्वाधीनता मिली और स्वाधीनता के साथ-साथ हमने अनेकों समस्याएं भी पायीं। हमारे दोनों देशों ने भिन्न-भिन्न मार्गों से चलकर स्वाधीनता प्राप्त की है और इस-लिये दोनों की अपनी-अपनी विशेष समस्याएं हैं जिनके विशेष हल हैं। मैं इससे बढ़कर और क्या कर सकता हूँ कि महात्मा गांधी की शिक्षा की कुछ मौलिक बातें आप से कहूँ। उनका कार्यक्रम अहिंसा और सत्य पर आधारित था। अहिंसा उनके लिये नकारात्मक कल्पना नहीं थी, बल्कि एक प्रबल सकारात्मक बात थी जिसका अभिप्राय था सब से प्रेम करना और किसी से द्वेष न करना। हम यह दावा नहीं कर सकते कि उन्होंने जो कुछ बताया हम सब उसको ग्रहण कर पाये हैं, किन्तु कमजोरियों और त्रुटियों के बावजूद हमने उनके बताये हुए रास्ते पर चलकर आजादी हासिल की। इसलिये स्वभावतः उनके शिक्षा के औचित्य में हमारा अडिग विश्वास है, भले ही हम उस पर अमल न कर पाते हों। इसलिये हम विश्व शान्ति के समर्थक हैं और विनम्र भाव से सब राष्ट्रों में शान्ति की भावना के प्रसार के लिये प्रयत्नशील हैं क्योंकि हमारा यह विश्वास है कि अणु-शक्ति और व्योमविजय के कारण एक साधारण से संघर्ष का फल विश्वव्यापक युद्ध हो सकता है। हम यह महसूस करते हैं कि कम उन्नत तथा भौतिक रूप से पिछड़े हुए देशों की उन्नति के लिये विश्व शान्ति आवश्यक है जिससे कि उन देशों को निर्माण का समय मिल सके। इसलिये शान्ति में हमारा अधिक से अधिक हाथ है और राष्ट्रों के बीच सद्भावना की आवश्यकता हम पूरी तरह से महसूस करते

नागरिक स्वागत समारोह के अवसर पर भाषण; हनोई, 24 मार्च, 1959

हैं। जब कभी भी हम इस दिशा में कुछ कर पाये हैं, उसे करना हमने अपना गौरवपूर्ण कर्तव्य समझा है। मैं भारत और आपके देश के बीच में आपको घनिष्ठतम मैत्रीपूर्ण और सहूलतम व्यापारिक सम्बन्धों का वचन दे सकता हूँ। आपकी योजनाओं और देश की उन्नति तथा लोककल्याण के कार्यक्रम की सफलता के लिये मैं आपको अपनी शुभ कामना भेंट करता हूँ।

आपके आतिथ्य और कृपापूर्ण व्यवहार के लिए मैं अनुगृहीत हूँ।

हनोई विश्वविद्यालय में भाषण

आपने मेरे बारे में जो सुन्दर भाव और कृपापूर्ण शब्द व्यक्त किये हैं उनके लिये मैं आपका आभारी हूँ। शायद इस उदारता का मैं अधिकारी नहीं जो आपने प्रकट की है। इसमें मुझे अपनी साधारण स्थिति और नम्रता का और अधिक आभास होता है। नवयुवकों और सुशिक्षित तथा सभ्य लोगों से मिलना सदा ही प्रेरणादायक होता है, और विश्वविद्यालय अथवा शिक्षण केन्द्रों को छोड़कर इन दोनों में और कहां भेंट हो सकती है ?

सृष्टि के आरम्भ से ही मानव को सब से उत्कट इच्छा यह रही है कि वह अपने आपको सुखी बनाये और एक पूर्ण मानव समाज का विकास करे। इस आदर्श को प्राप्त करने के हेतु उसके प्रयत्न सदा ठीक दिशा में रहे हैं अथवा नहीं, जो सफलता उसे प्राप्त हुई वह स्थायी है अथवा क्षणिक, जिन साधनों का उसने उपयोग किया क्या वे ऐसे रहे हैं जो औरों के व्यवहार में उसे स्वयं मान्य होते— ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे लिये असंगत नहीं किन्तु फिर भी इनका इतिहास से सम्बन्ध है। आइये आज हम, इन विस्तार की बातों को छोड़कर सुखी होने की मानव की महत्वाकांक्षा और उसके कर्म के बीच पैदा हुए विरोधाभास की चर्चा करें।

संसार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मानव भीषण कठिनाइयों और रुकावटों को पार कर उन समस्याओं को सुलझाने में सफल हुआ है जो पहले असाध्य जान पड़ती थीं। अब मानव ऐसे स्थान पर आ पहुँचा है जब यह पूछने को जी चाहता है अब आगे क्या ? विज्ञान और टेकनोलॉजी इतनी अधिक प्रगति कर चुकी है कि यदि हममें मानव के विनाश के बजाय मानव के कल्याण के लिये उनका उपयोग करने की बुद्धिमत्ता होती, प्रत्येक व्यक्ति सुख से रह सकता था और जीवन की सभी आवश्यक चीजें उसे उपलब्ध हो सकती थीं। यदि हम यह जानते कि जो कुछ हमने प्राप्त कर लिया है उसका कैसे सदुपयोग किया जाये और ठीक दिशा में आगे किस प्रकार बढ़ा जाये, जो निश्चय ही हमारे सामने उन्नति की असीम सम्भावनायें मौजूद हैं। किन्तु दुर्भाग्य से मानव अपनी बौद्धिक उन्नति और आध्यात्मिक विकास को बराबर नहीं बढ़ा सका है। इसलिये हर वस्तु के दुरुपयोग का भय पैदा हो गया है और संसार की स्थिति अस्त-व्यस्त हो गयी है। हाल में ही व्योम पर भी मानव ने विजय पा ली है और अब दूसरे नक्षत्रों की दूँड खोज शुरू हो गयी है। किन्तु यदि हम अपने घरों में, अपने देशों में और इस

पृथ्वी पर ही ठीक व्यवस्था नहीं रख सकते, तो दूसरे नक्षत्रों को जीत लेने से हमें क्या लाभ ? मैं विज्ञान का विरोधी नहीं। जो कुछ हमने प्राप्त किया है उसका मैं प्रशंसक हूँ। इसके साथ ही मैं यह महसूस किये बिना नहीं रह सकता कि केवल भौतिक सम्पन्नता ही मनुष्य को श्रेष्ठतर अथवा सुखी नहीं बना सकती।

इसमें शक नहीं कि भौतिक सामग्री मनुष्य को आवश्यकताओं से ऊपर उठाने और सुखी बनाने के लिये आवश्यक है, किन्तु हमारे प्रयास का फल प्रतिकूल न हो इसके लिये यह जरूरी है कि इस प्रस्ताव की सीमाओं को हम ठीक से समझ लें। सब कुछ प्राप्त कर लेने की अनियन्त्रित लिप्सा ने दुर्भाग्य से आधुनिक जगत को संकट के द्वार पर ला खड़ा किया है। स्वतन्त्र प्राणियों के ऐसे मानव समाज के निर्माण का चिर वांछित आदर्श जिसमें सभी सहयोगपूर्ण और रचनात्मक ढंग से एक कुटुम्ब के समान रहें वह आदर्श जो मानव ने भूमंडल पर अपनी यात्रा आरम्भ करते समय सामने रखा था अब विज्ञान और टेकनोलौजी की अपूर्व प्रगति के बावजूद मृग तृष्णा मात्र बनकर रह गया है। मानव मानव से पृथक है, देश देश से, और तनाव, भय तथा अविश्वास के वशीभूत हो मानव परिवार अनेकों टुकड़ों में बंट गया है। वे ही साधन जो हमारे आदर्श की पूर्ति में सहायक हो सकते थे हमें सर्वनाश की ओर ले जा रहे हैं। आमतौर से यह आशा की जाती है कि जो औरों पर शासन करना चाहे उसमें आत्म शासन की क्षमता होनी चाहिये। आदिकाल से सभी मनीषियों और मानव समाज के दूरदर्शी नेताओं की शिक्षा का उद्देश्य मानव के लिये संतोष और सुख की प्राप्ति रहा है। किन्तु बात कुछ ऐसी हुई है कि मानव को ज्यों-ज्यों अधिक मिलता गया वह और अधिक का लोभ करता गया। वह तृप्त होने पर नहीं आया और हमेशा ऐसी चीजों के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं।

ऐसी विकट स्थिति कैसे पैदा हुई ? इतना अधिक असंतोष और लोभ संसार में क्यों हो जब कि हमने सब के लिये पर्याप्त चीजें पैदा करने की क्षमता प्राप्त कर ली है ? नव जवानों, आप उच्च आदर्श से अणुप्राणित हैं। अब समय आ गया है कि आप स्थिति पर विचार करें और मानव के उस भौतिक ध्येय का स्मरण करें जिसे प्राप्त करने के लिये उसने अथक परिश्रम किये हैं और अग्नितकट सहे हैं। बहुतेरे विचारशील लोगों ने इस समस्या पर चिन्तन किया है और मानव के सामने सुझाव रखे हैं। आज मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप आज से 2500 वर्ष पहले बताये हुए भगवान बुद्ध के अष्ट सूत्री मार्ग पर विचार करें। उस शील का आधार प्रेम और सत्य था। बुद्ध के बाद और कई महात्माओं ने इस बात को समझने और समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया और उन्हें कम या

अधिक सफलता मिली। उनमें से एक महात्मा गांधी थे। उन्होंने इस शील को हमारे देश की समस्याओं पर लागू किया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो सफलता उन्हें मिली वह अनुपम थी। दुर्भाग्य से हम लोग महात्मा गांधी के योग्य अनुयायी नहीं और हम उनकी शिक्षा को अपने जीवन में पूरी तरह नहीं उतार सके हैं। किन्तु जो थोड़ा-बहुत मेरे देश ने गांधी जी से ग्रहण किया था उसके फलस्वरूप पंचशील का सिद्धान्त और विश्व भर के सभी राष्ट्रों के लिये सच्ची मैत्री की भावना का उदय हुआ है। हमारी बराबर यह इच्छा रहेगी कि गांधी जी की शिक्षा पर हम अधिक से अधिक आचारण करें। मुझे आशा है कि संसार के दूसरे देश भी उनके विचारों और शिक्षा का अध्ययन करेंगे और उन्हें अपनाते का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम कह सकते हैं कि गांधी जी किसी देश-विशेष की नहीं, बल्कि संसार भर की सम्पत्ति थे।

मैं आशा करता हूँ कि संसार के राष्ट्र इस साधारण अनुभव की सच्चाई को महसूस करेंगे कि दैनिक जीवन की तरह राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भी प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसका अहित नहीं करेगा। दुर्भाग्यवश प्रायः ऐसा होता है कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता कि अनजाने में या जान-बूझकर उसे कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिये जिससे किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचे। संसार कितना सुखी होगा यदि हम इस नियम को अपना लें और इस पर आचरण करें अर्थात् औरों से ऐसा बर्ताव कीजिये जो आप चाहते हैं कि और आपसे करें, और दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार न कीजिये जो स्वयं आपको अपने लिये नापसन्द हो। यदि इस नियम को पारस्परिक व्यवहार का आधार मान लिया जाये, हमारे सब कष्ट और संघर्ष दूर हो सकते हैं।

भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी की बात करने के बाद भी अणु-शस्त्रास्त्रों की चर्चा असंगत जान पड़ती है। किन्तु मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जैसी स्थिति में हम आज हैं उसमें अहिंसा को न अपनाने का परिणाम केवल एक ही हो सकता है, और वह है मानव जाति का विनाश। मैं जानता हूँ कि आज वातावरण अधिक आशाजनक नहीं। हो सकता है बहुतों को अहिंसा के पक्ष में मेरी दलील असामयिक या असंगत मालूम हो, किन्तु मेरे विनम्र मत में ऐसा समझा जाना और भी कारण है कि हम अहिंसा और सत्य आदि गुणों पर बल दें और उन्हें पुनर्जीवित करें।

मानव में मानव का विश्वास फिर से जागृत करने में कोई और वर्ग इतना अधिक योगदान नहीं दे सकता जितना युवक समाज। यही कारण है कि आज मैंने आप लोगों के सामने अपने विचार रखने का साहस किया।

डा० हो ची मिन्ह के सम्मानार्थ दिये गये सांध्य भोज में भाषण

श्री राष्ट्रपति, डाक्टर मिन्ह और मित्रो,

आज इस सांध्य भोज के अवसर पर अपने मध्य आपको देखना मेरे लिये उल्लास का विषय है। अपनी आत्मियता, साहस और निःस्वार्थता के कारण आप, श्री राष्ट्रपति, लाखों-करोड़ों हिन्दुस्तानियों के दिलों में विशेष स्थान रखते हैं। गत वर्ष आपकी यात्रा के फलस्वरूप बहुत-से हिन्दुस्तानियों ने आपका परिचय प्राप्त किया और आपके कृपालु और सहज स्नेह के कारण आपके व्यक्तित्व ने उन्हें आकर्षित किया।

दो हजार वर्ष हुए हमारी विरासत का प्रवाह ऐसे संदेश के रूप में नयी शकल में निकला था जिसने भूगोल के बंधनों की अवहेलना की और जो भारत से एशिया के अन्य देशों के साथ-साथ आपके देश में भी प्रविष्ट हुआ। उस संदेश की गूँज आज भी हमें सुनाई देती है और सदा के लिये वह हमारे जीवन को प्रभावित और प्रेरित करता रहेगा।

राष्ट्रपति महोदय, अपनी व्यक्तिगत सफलताओं से आप शक्ति और जीवन स्फूर्ति का प्रतीक बन गये हैं और 50 वर्षों के संघर्ष तथा अन्तिम सफलता ने आपको एशिया के इतिहास का एक अभिभाज्य अंग बना दिया है। आपकी जीवन-कथा से अनेकों भावी पीढ़ियाँ सतत, प्रेरणा और बौद्धिक सात्वना पाती रहेंगी। यह अनिवार्य है कि किसी भी राष्ट्र के इतिहास में पग-पग पर समस्याएं सामने आयें और प्रत्येक पीढ़ी को उन्हें सुलझाने का दायित्व अपने ऊपर लेना पड़ेगा। इन कठिनाइयों में आपके लोगों के लिये आपका उदाहरण एक प्रकाश स्तम्भ के समान होगा। हो सकता है कि इस प्रकार से प्रत्येक समस्या को हल हम न कर पायें किन्तु आपके व्यक्तित्व से और आपके मानसिक गुणों से उनका मार्गदर्शन अवश्य होगा, क्योंकि ऐसे गुणों के बिना कोई भी समस्या चाहे वह कितनी ही छोटी हो सुलझ नहीं सकती।

विश्व शान्ति बनाये रखने में और पंचशील के सिद्धान्त में हमारा विश्वास गहरा और अडिग है। हमारे लोगों का संकल्प कि वे इस दिशा में यथासाध्य सब कुछ करेंगे उस विश्वास का समर्थक है। शान्ति के सिद्धान्तों को विश्वव्यापी स्तर

डाक्टर हो ची मिन्ह के सम्मानार्थ दिये गये सांध्य भोज में भाषण; हतोई, 24 मार्च,

पर व्यावहारिक रूप से लागू करने से ही मानव समाज विनाश से बच सकता है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी की अपूर्व प्रगति ने इस विनाश को अनिवार्य-सा बना दिया है और मानव की बुद्धिमत्तापूर्ण दूरदर्शिता और हर सूरत में शान्ति बनाये रखने का प्रयास ही उसको टाल सकता है। हम आशा करते हैं कि सभी राष्ट्र अपने विचारों के अनुसार इस कार्य में हाथ बटायेंगे। हमारी तरह आपके सामने भी बहुत-सी समस्याएँ हैं और मेरा आपसे और अन्य राष्ट्रों से जिनमें भारत भी शामिल है यह अनुरोध है कि चाहे हमारे आपसी मतभेद कुछ भी हों उन्हें बातचीत और सद्विचार द्वारा दूर करने का यत्न करेंगे। सद्भावना और दृढ़ संकल्प के सामने कोई भी कठिनाई अथवा समस्या सदा बनी नहीं रह सकती। इस सद्भावना तथा संकल्प को दृढ़ बनाना हमारे हाथ में है और मेरा यह विश्वास है कि जीवित बने रहने की आशा से बाध्य हो हम किसी भी प्रकार के हेरफेर के बिना शान्ति, एकता, भौतिक सम्पन्नता और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग का अनुसरण करने में ही कल्याण समझेंगे।

देवियो और सज्जनों, अब मैं अपने महान और श्रेष्ठ मित्र, राष्ट्रपति हो ची मिन्ह के कल्याणार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

विनतियान हवाई अड्डे पर उतरते समय भाषण

महामहिम युवराज महोदय एवं माननीय राजदूतगण, बहनों और भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं भारत के निवासियों की और भारत की गवर्नमेंट का शुभ संदेश और शुभ कामना लेकर आपके देश में आज आया हूँ।

हमारे देश का आपके देश के साथ बहुत ही प्राचीन सम्बन्ध है जो हमेशा जीवित रहा है और आज भी जीवित है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध न मालूम कितनी सदियों से आज तक कायम रहा है। हाल में आपका देश और हमारा देश दोनों स्वतन्त्रता प्राप्त करके इस योग्य हो गये हैं कि एक-दूसरे के साथ राजनीतिक सम्बन्ध भी जोड़ें और इन दोनों देशों का आज का सम्बन्ध बहुत ही सुन्दर और मीठा है।

हम यह जानते हैं कि आज संसार में जो सब से अधिक आवश्यक चीज है वह है उस शान्ति को बनाये रखना और इसलिये हमारा हमेशा यही प्रयत्न रहता है कि हमसे जो कुछ सेवा हो सके इस शान्ति को सुरक्षित रखने में सेवा देते रहें। इस शान्ति की आवश्यकता विशेषकरके हम दोनों देशों की तरह एशिया के और देशों और अफ्रीका के देशों को ज्यादा महसूस होती है क्योंकि हम अभी पूरी तरह से अपने देश को आर्थिक तरीके से उन्नत नहीं कर पाये हैं। उस उन्नति के लिये शान्ति दीर्घकाल तक, लम्बे समय तक आवश्यक है। इस मामले में हमारा और आपका देश एक विचार रखता है। और इसलिये हम एक साथ चलकर इस मामले में जो सेवा संसार की हो सके हम कर सकते हैं। मेरी ऐसी आशा और अभिलाषा है कि जो सम्बन्ध हमारे और आपके देश में पहले से है वह और दृढ़ और अधिक मीठा हो जाये। इसी आशा और अभिलाषा को लेकर मैं आपके देश में आया हूँ। और मैं जाने के पहले यह महसूस करके जाऊंगा कि यह सम्बन्ध और दृढ़ हुआ। हमारे दोनों देशों की मैत्री ज़िरजीवी हो।

यूथरैली के अवसर पर भाषण

आपके देश के नौजवानों द्वारा यह स्फुटि और दक्षता पूर्ण प्रदर्शन देखकर मुझे बेहद खुशी हुई है, मेरी अवस्था के किसी भी दर्शक को होगी। नौजवान लोग ही भविष्य के उत्तराधिकारी हैं। हमारी समस्त संचित शक्ति और बल इन्हीं के पास है। यदि ये चाहें तो उस शक्ति का जनसाधारण के कल्याण के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसा बलशाली आज का युवक समाज है। वैसा संसार में पहले किसी भी युग में नहीं रहा है।

अतीत में जब हमने चन्द्रमा तक पहुंचने की बात की थी, वह असंभव कामों को करने के हमारे संकल्प का द्योतक था। आज मानव द्वारा बनाये गये चन्द्र गगन में बिहार कर रहे हैं और संसार भर के विज्ञानवेत्ता उन्हें देख रहे हैं और उनकी प्रगति आदि का व्योरा ले रहे हैं। यह बात आधुनिक मानव के सामर्थ्य की परिचायक है। विज्ञान की सफलताओं को यदि बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया जाये तो हाम पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं, नहीं तो ये सफलताएं ही संसार भर के विनाश का कारण हो सकती हैं। अतीत में राष्ट्र आक्रमण करते थे और युद्ध की विनाश लीला के बाद फिर से बस जाते थे और यथापूर्व ही रहने लगते थे। यदि अब अथवा भविष्य में किसी राष्ट्र ने ऐसी हरकत की तो इसे सर्वनाश का निमंत्रण समझना चाहिए। इसलिए जो संकट आज हमारे सामने हैं वे इतने भयानक हैं जैसे पहले कभी नहीं थे। इसलिए सतर्कता और मार्गदर्शन बराबर आवश्यक है।

मुझे इसमें सन्देह नहीं कि इन स्वस्थ और चपल शरीरों में जो हमने अभी देखे सुन्दर और अनुशासित मन विराजते हैं। इन अनुशासित मनों के बल पर ही इतिहास यह मांग करेगा कि सच्चाई, आस्था करुण, और प्रेम को मानव समाज ग्रहण करे। एशिया के बच्चों के लिए जिन्होंने इस महाद्वीप के इतिहास में भगवान बुद्ध द्वारा जलाई गई जोत को प्रकाश फैलाते देखा है और जहां आज भी करोड़ों व्यक्ति उसी ज्योति के अनुयायी हैं, भ्रातृत्व के आदर्श को समझना और उसे जीवन में उतारना कठिन नहीं होना चाहिये, क्योंकि यह आदर्श हमारे लिए युगों पुराना है। आपका तात्कालिक कर्तव्य और सुअवसर यह है कि आप अपने आपको शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित करें—और मैं तो कहूंगा आध्यात्मिक रूप से भी— यह महान कार्य आपको करना है जिससे

यूथरैली के अवसर पर भाषण,

M2President PartII—6

आप आने वाली पीढ़ी के लिए अधिक व्यवस्थित संसार छोड़ कर जा सकें। यह सब आप और संसार के दूसरे राष्ट्र शान्ति और आपसी मेल मिलाप द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं।

विश्व संस्कृत परिषद् के छठे सम्मेलन का उद्घाटन भाषण

इस सम्मेलन के आरम्भ में मैं यहां एकत्रित सभी विद्वानों और महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं और इसके कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान देता हूं ।

परिषद् के कार्यक्रम और संस्कृत भाषा तथा साहित्य के प्रसार और प्रचार आदि के विषय में विचार करने से पूर्व मैं इस प्राचीन नगरी के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा जहां इस समय आपका अधिवेशन हो रहा है । पुरी इतिहास की दृष्टि से ही प्राचीन और गौरवशाली नगरी नहीं है । इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी उतना ही अधिक है । चिरकाल से सहस्रों नरनारी पुण्य लाभ और आत्मोत्सर्ग की भावना से जगन्नाथ स्वामी के दर्शनार्थ यहां आते रहे हैं । जनसाधारण की धार्मिक भावना को ही इस नगरी से बल नहीं मिला यहां के सांस्कृतिक वातावरण से ललितकलाओं ने भी प्रेरणा पाई । आज भी पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क आदि अपने प्राचीन मन्दिरों की स्थापत्य कला तथा मूर्ति-कला के सौष्ठव के लिये प्रसिद्ध हैं । इन कलात्मक प्रवृत्तियों और प्राचीन सांस्कृतिक तथा धार्मिक प्रेरणाओं के आधार पर ही उत्कल के लोगों ने इस देश के इतिहास में इतना बड़ा योगदान दिया है ।

संस्कृत भाषा और साहित्य के महत्व के सम्बन्ध में कई वर्षों से हम चर्चा करते आये हैं । ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा है बहुत से विवेकशील लोग इस महान देश के सांस्कृतिक, राजनैतिक और भौगोलिक एकता की आधार शिला संस्कृत भाषा को ही मानते हैं । हमारे देश में समय-समय पर अनेकों भाषाएं प्रचलित हुईं और उन्होंने हमारे राष्ट्रीय साहित्य को समृद्ध किया, किन्तु जिस भाषा की अमिट छाप हमारे साहित्य और विचारधारा पर पड़ी है वह संस्कृत ही है । आज के युग में जब विभिन्न आधुनिक क्षेत्रीय भाषाएं उन्नत हो सार्वजनिक कार्य का भार संभालने जा रही हैं तब भी संस्कृत का प्रभाव और उसकी एकीकरण की शक्ति किसी प्रकार कम नहीं हुई है ।

मैं अपने भाषणों में कई बार यह कह चुका यह हूं कि संस्कृत का किसी भी भारतीय भाषा से न विरोध है और न वह किसी भाषा का स्थान लेना चाहती है ? अतीत में संस्कृत ने इन भाषाओं को विचार, शब्दावली, साहित्यिक प्रेरणा आदि सभी कुछ दिया है और इसलिये वह इन भाषाओं की जननी कहलाती है । आज भी जब कि स्वाधीन भारत में इन आधुनिक भाषाओं का नियोजन और विकास नये काम

विश्व संस्कृत परिषद् के छठे सम्मेलन में उद्घाटन भाषण; 3 अप्रैल, 1959

के लिये किया जा रहा है, संस्कृत की सहायता अपेक्षित ही नहीं अनिवार्य जान पड़ती है। इसलिये इन भाषाओं के कलेवर की वृद्धि और इनके साहित्य की समृद्धि की भी यह मांग है कि जनसाधारण संस्कृत से थोड़ा-बहुत अवश्य परिचित हों। इसके अतिरिक्त संस्कृत का ज्ञान किसी भी भाषा-भाषी के लिये नयी भाषाओं के अध्ययन में सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि समस्त भाषा परिवार के लिये वह सामान्य सरल है।

शिक्षा और भाषा विज्ञान के इन ठोस तथ्यों के अतिरिक्त संस्कृत के विकास के लिये एक और यक्ति दी गयी है जिसे भावात्मक कहना चाहिये। अधिकांश भारतीयों के परम्परागत विचार तथा संस्कार जिस तत्व और तथ्य पर बने हैं सहस्रों वर्षों से संस्कृत ने ही उन तत्वों और तथ्यों को पोषण दिया है और उनको व्यापक अभिव्यक्ति दी है। उन सूक्ष्म विचारों, संस्कारों तथा भावनाओं पर संस्कृत का सम्बन्ध पहले की तरह बराबर निकट का बना है। परम्परागत इन तथ्यों, सूक्ष्म तत्वों, गहन विचारों और ऊंचे संस्कार और संस्कृति की जो विरासत हम ने पायी है वह हमारे देश की परम्परागत गौरवगाथा तो बन ही गई है। इसको संभालने के साथ हमारा कर्तव्य यह भी हो जाता है कि हम अपने पूर्वजों की इस देन में अपन कृतियों से इसकी अभिवृद्धि करें। पुरानी एकत्रित पूंजी से ही हमारा काम सदा नहीं चल सकता। हम अपने पूर्वजों की गौरवगाथा में संतोष न मानकर कुछ आगे बढ़ने का यत्न करें और संस्कृत को नयी देन दें। हो सकता है कि इस देन में मौलिक वस्तु सिद्धान्त रूप से प्राचीन हो। पर हमारा कर्तव्य है कि हम उन विचारों का अनुशीलन करें, नया अध्ययन करें और नये ढंग की चीज सामने लायें।

इस परिषद् के अधिवेशन में हम संस्कृत के अध्ययन-अध्यापन और प्रचार तथा प्रसार के सम्बन्ध में बराबर विचार करते आये हैं। संस्कृत का इस देश के समस्त जीवन, संस्कृति, साहित्य, कला आदि पर जो प्रभाव पड़ा है वह किसी से छिपा नहीं है। हमारी प्रादेशिक भाषाएं भी संस्कृत द्वारा ही पोषित हुई हैं और आज भी अधिकांश साहित्य संस्कृत के आधार पर ही निर्मित होता है। अभी, हाल ही में, मैं विदेशों में गया था और वहां जाकर जो मैं ने देखा उससे मेरे हृदय पर इस बात की अमित छाप पड़ी है कि संस्कृत द्वारा हमारे पूर्वजों ने दूरस्थ देशों तक किस तरह हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और हमारे विचारों का प्रचार किया था। उसके चिन्ह केवल स्मृतियों के रूप में ही नहीं बल्कि अनेक प्रकार से जीवित रूप में आज भी वर्तमान हैं। मैंने देखा कि इन्डोनेशिया जैसे देश में भी जहां के

निवासी प्रायः सब के सब मुसलमान हो गये हैं, आज भी रामायण और महाभारत की कथाओं में वे आस्था ही नहीं रखते बल्कि रामायण और महाभारत के महान पुरुषों और बड़े-बड़े पात्रों को आज भी अपने लिये अदर्श मानते हैं और संगीत, नाटक और खेलकूद तक में संस्कृत के साहित्य से विषय और प्रेरणा लेते हैं। यह देखकर मुझे कभी-कभी ऐसा अभ्यास हुआ कि उन देशों में कहीं-कहीं और कई बातों में महाभारत के पात्र उनके लिये इतने अधिक जीवित और प्रेरणास्पद मालूम होते हैं जितने भारतवर्ष में किसी भी जगह नहीं। यही हालत कम्बोज और लाओस में भी है जहां के निवासी पक्के बौद्ध मतावलम्बी हैं। मैं यह सब देख कर सोचने लगा कि क्या कारण है कि इस प्रकार से हमारे पूर्वजों की कृतियां उन दूरस्थ देशों में जाकर छा गयीं और इस प्रकार से उनके जीवन का अंग बन गई कि आज तक वह कायम हैं।

मैं नहीं जानता कि आजकल के संस्कृत के विद्वान, जिनको आधुनिक शिक्षा नहीं मिली है, कहां तक इस की खबर भी रखते हैं कि आज भी उन विदेशों में स्थानों और मनुष्यों के प्रचलित नाम संस्कृत के ही नाम हैं यद्यपि बहुत अंशों में रूप कुछ भ्रष्ट हो गया है। मगर यह सब आज से हजार वर्ष या इससे भी पहले की देन है। अपने देश में पिछले कई सौ वर्षों से कोई ऐसा महत्वपूर्ण आविष्कार या साहित्य में कोई ऐसी महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई जिस पर हम अभिमान कर सकें। जितनी चीजें ऐसी हैं जिन पर हम अभिमान करते हैं या कर सकते हैं वे हजार वर्ष या इसके भी पूर्व की हैं। पश्चिमी देशों के साहित्य की वृद्धि और विशेष करके विज्ञान में जो कुछ भी प्रगति हुई है वह उस समय के बाद से ही हुई है जब हमारी उन्नति और वृद्धि किसी कारणवश अवरुद्ध हो गयी है और जब से हमारी उन्नति अवरुद्ध हो गयी उस समय तक हम शायद किसी भी देश अथवा जाति से किसी भी बात में पीछे नहीं थे, चाहे वह साहित्य हो, विज्ञान हो, गणित हो, ज्योतिष हो, दर्शन हो, चिकित्सा शास्त्र हो। इतना ही नहीं, युद्ध शास्त्र, अर्थ शास्त्र और विदेशों के साथ वाणिज्य व्यापार के लिये समुद्री जहाज इत्यादि के मामले में भी हम किसी से पीछे नहीं थे। संस्कृत के विद्वानों के लिये यह विचारणीय वस्तु है कि क्यों इतने ऊंचे स्थान पर पहुंच कर हम रुक गये और हमारी प्रगति अवरुद्ध हो गई।

आज जो केवल संस्कृत का ही विद्वान है उसको आधुनिक विषय-काल से नहीं के बराबर परिचय होता है और उसकी विद्या केवल प्राचीन विद्या ही नहीं, नये विचारों और आविष्कारों को समझने और ग्रहण करने की भी उसकी कम क्षमता

होती है। हम जितनी उन्नति कर पाये थे, यदि संकुचित भावना से काम किये होते तो वह कदापि नहीं कर पाते। संकुचित भावना न तो उनके व्यवहार में और न विचार में थी। तभी तो न मालूम कितने हजार मील की दूरी तक समुद्रों को पार कर, ऊंचे से ऊंचे पहाड़ों और मरुभूमियों को लांघ कर हमारे लोग दूर देशों में पहुंचे ही नहीं, अपने साथ अपनी विद्या, अपनी संस्कृति लेते गये और केवल अपनी ही विद्या उन लोगों को न दी बल्कि वहां के लोगों में जो कुछ मिल सकता था उसको भी ग्रहण किया। भारतीय विद्वानों ने अनेक विदेशी भाषाओं में भारतीय ग्रन्थों का अनुवाद किया और उसी प्रकार से विदेशी ग्रन्थों का भारतीय भाषा संस्कृत में। वैज्ञानिक विषयों में भी परीक्षण और प्रयोग द्वारा अपनी रीति से बड़ी प्रगति की। अपनी रीति से मैंने इसलिये कहा कि हमारी एक विशेषता यह रही है कि कठिन से कठिन और जटिल वे जटिल समस्याओं और क्रियाओं को हमारे पूर्वजों ने सहज बना दिया था और जिस तरह आज विज्ञान मनुष्य को यन्त्रों पर अधिकाधिक निर्भर बनाता जा रहा है, ठीक उसके उलटा वह मनुष्य को अधिक से अधिक किसी प्रकार की बाहरी वस्तु या सहायता से अधिक से अधिक मुक्त रखता था। यह एक बड़ी देन है जो मानव सभ्यता और संस्कृति के लिये अनिवार्य होनी चाहिये पर आज की हवा उल्टी चल रही है। न मालूम मनुष्य फिर कभी अपनी उस स्वतन्त्रता को प्राप्त कर सकेगा या नहीं।

मैं इन सब बातों का इसलिये यहां जिक्र कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि संस्कृत के विद्वान इस पर विचार करें कि क्या कारण हुआ कि हमारी प्रगति एकबारगी रुक गयी। क्या उस कारण को आज भी स्वतन्त्र हो कर हम दूर नहीं कर सकते हैं? क्या संस्कृत की शिक्षा के सम्बन्ध में भी आधुनिक प्रचलित प्रथाओं का अपनाना आवश्यक और अनिवार्य है? क्या हम इस तरह से सच्चे तपस्वी विद्वान पैदा कर सकते हैं जो नये युग में भी भारत को अपनी निजी कुछ ऐसी चीज दे सकें जिसे संसार ग्रहण करें। मेरा विश्वास है कि यह सम्भव है यदि हम उस गौरवमय अतीत को एकबारगी भूल न जायें, वर्तमान को उससे अधिक गौरवास्पद बनाने के लिये यत्नशील बनें। क्या यह सब वेतनभोगी शिक्षकों, लेखकों और अनुसंधानकर्त्ताओं द्वारा हुआ? क्या हम आर्थिक प्रोत्साहन को एकमात्र साधन मानकर आगे बढ़ सकते हैं? यह ठीक है कि संस्कृत के विद्वानों को भी जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक साधन अवश्य मिलना चाहिये पर यदि उसको ही ध्येय बनाकर हम चलना चाहें तो सफलता अठिन है। क्योंकि संस्कृत के विद्वानों में आधुनिक विद्या उतनी नहीं जितनी दूसरे लोगों में है जिनके साथ उनका मुकाबला

होगा। देश का यह कर्तव्य है कि संस्कृत विद्याके प्रोत्साहन के लिये जो आर्थिक सहायता आवश्यक है प्रचुर मात्रा में दे और आर्थिक सहायता से भी अधिक यह जरूरी है कि विद्वानों का मान सम्मान औरों के मुकाबले में अधिक नहीं तो कम नहीं होना चाहिये। हमारी प्राचीन प्रथा यह रही है कि हम मनुष्य को आदर मान उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही नहीं देते। गरीब किन्तु विद्वान पंडितों का सम्मान किसी भी धनी सेठ साहुकार अथवा राजा महाराजा से भी अधिक होता रहा है। इतना ही नहीं राजा भी उठकर विद्वानों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करता था। वह एक चीज थी जो आज बहुत हद तक उठ गई है और दिन प्रति दिन उठती जा रही है। उसको पुनर्स्थापित करना उतना ही आवश्यक है जितना आर्थिक साधन जुटाना और विद्वानों का कर्तव्य है कि वे एकचित और एकमन हो कर खुले दिल से अध्ययन, अध्यापन और अनुसन्धान के काम में लगे जिसमें उस खोये हुये गौरव को फिर से देश को प्राप्त करा सकें।

यह एक शुभचिन्ह है कि सारे देश में संस्कृत के प्रति सद्भावना जागृत हो रही है और उसके पठन-पाठन तथा अध्ययन-अध्यापन में लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है। संस्कृत विश्व परिषद् के कार्य विवरणों से ज्ञात हो सकता है कि कहां-कहां संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिये सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा क्या कुछ हुआ है और हो रहा है। परिषद् के उत्साहपूर्ण प्रयत्न से इसके कार्य को प्रोत्साहन मिला है और इसके सम्मेलनों में विद्वानों और जनसेवकों तथा जन-नेताओं ने भाग लेकर इसे आगे बढ़ाने में सहायता दी है। अखिल भारतीय तथा प्रान्तीय सरकारों ने भी इस ओर ध्यान दिया है और इसी के फलस्वरूप भारत सरकार ने संस्कृत कमीशन नियुक्त किया जिसने बहुत परिश्रम करके जानकारी प्राप्त की और लोकमत को संग्रह किया और अपने विचार तथा सिफारिशों रिपोर्ट में दीं।

संस्कृत कमीशन की रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास पहुंच गयी है और आज उसके विचाराधीन है। इसलिये उसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। परिषद् जो मुनासिब सुझाव समझे दे सकती है, पर मेरे लिये कुछ कहना न तो उपयोगी है और न उचित ही।

मुझे खुशी है कि मैं इस सम्मेलन में भाग ले सका और मुझे आशा है कि यहां एकत्रित विद्वजनों के सहवास से अवश्य ही कुछ लाभ उठा सकूंगा।

इन शब्दों के साथ मैं परिषद् के वार्षिक सम्मेलन का प्रारम्भ करता हूं।

विश्व संस्कृतपरिषद्: षष्ठाधिवेशनमभिलक्ष्य राष्ट्रपतेरुद्- घाटनभाषणम्

अस्य सम्मेलनस्य प्रारम्भेऽत्र समुपस्थितान् सर्वान् विदुषो महानुभावांश्च स्वागतीकृत्यास्मिन् परिषद् कार्यक्रमे च सर्वेषां सहयोगं कामये ।

परिषद्: कार्यक्रमविषये संस्कृतभाषायाः साहित्यस्य च प्रसूती प्रचारादि-
विषये च विचारकरणात् पूर्वं एतां प्राचीननगरीमुपलक्ष्य किञ्चिद् वक्तुकामोऽस्मि,
यत्नेदमधिवेशनमद्य विराजते । पुरीनगरी न केवलमैतिहासिक दृष्ट्या प्राचीनत्वेन
वा गौरवशालिनी, आर्यधर्मस्य तत्संस्कृतेश्च पीठत्वेनास्या महत्त्वं समधिकमेव ।
बहुकालात् सहस्रसंख्यकाः पुरुषा नार्यश्च पुण्य-लाभार्थमात्मनः पावित्यभावनया च
भगवतो जगदीश्वरस्य दर्शनार्थमत्र समागच्छन्ति । जनतायाः धर्मभावनाप्रावल्यार्थ-
मेवेयं नगरी नैवाधारभूता परमस्याः सांस्कृतिकपरिसरमध्ये सर्वाः ललितकला अपि
प्रोत्साहिता अभवन् । अद्यापि पुरी-भुवनेश्वर-कोणार्कादितीर्थक्षेत्राणि स्वप्राचीन-
देवालयानां स्थापत्यस्य भास्कर्यस्य च सौष्टवेन प्रसिद्धानि दरीदृश्यन्ते । आसां
ललितकलानां, धर्मस्य प्राचीनसंस्कृतेश्च विकाशप्रेरणया उत्कलदेशजाः जना
अस्य देशस्येतिहाससंसृष्टौ योगदानमकुर्वन् ।

संस्कृतभाषायाः साहित्यस्य च विषये बहुवर्षादारभ्य वयं तद्विषयविचारं
कुर्मः । अतीतेषु वर्षेषु बहवो विवेकशालिनो जना अस्य महतो देशस्य संस्कृतेः,
राजनीतेः भूगोलस्य चैकताया आधारः संस्कृतभाषैवेति मन्यन्ते । अस्माकं देशे
विभिन्न-समयेषु बहो भाषाः प्रचलिता आसन्, ताश्चास्माकं राष्ट्रीय-साहित्यं
समृद्धमकुर्वन्; परन्तु यस्या भाषाया अविलेप्यमुद्राभिरस्माकं साहित्यं विचारधाराश्च
अङ्किताः सा संस्कृतभाषैव । अद्यत्वे विभिन्नाः प्रादेशिकभाषा अतीवोन्नताः ।
सकल-व्यावहारिककार्यसम्पादने च समर्थाः सन्दृश्यन्ते; परं तत्रापि संस्कृत
भाषायाः प्रभावः ऐक्यसम्पादनशक्तिश्च कथमपि न्यूना न भवति ।

बहुवारमहं स्वभाषणेषु न्यवदमिदं यत् संस्कृतभाषा प्रादेशिक भाषाः नैव
निषिध्यति, नापि कस्या अपि प्रादेशिकभाषायाः स्थानमात्मसात्कर्तुमीहते । पूर्वं
संस्कृतभाषा प्रादेशिकभाषाभ्यो विचारसौष्टवं, शब्दावलि साहित्यिकप्रेरणांचेत्यादि
सर्वं ददौ, अत आसां जननीयं कथ्यते । अद्यापि स्वाधीन भारतस्य नवीनकार्यार्थं
प्रादेशिकभाषाणां व्यवहारो विकाशश्च वर्बन्ति । तत्रापि संस्कृतभाषायाः साहा-

विश्व संस्कृतपरिषद्: षष्ठाधिवेशनमभिलक्ष्य राष्ट्रपतेरुद्घाटनभाषणम् पुरी
(ओडिशा) 3 अप्रैल, 1959

व्यमपेक्ष्यते इत्येव न, अपितु तत् अनिवार्यमेव प्रतिभाति । अत आसां भाषाणां शारीरिकवृद्धयर्थं तासां च साहित्य-समृद्धये इदं प्रार्थ्यते यद् जनाः संस्कृतभाषया अल्पं बहु वा परिचिता भवेयुः । अपरञ्च संस्कृतभाषाया ज्ञानं इतरभाषाभाषिणो नूतन भाषाध्ययनार्थं सहायकं भवति । कारणं तु सकलभाषापरिवारस्य कृते इयं संस्कृतभाषा सरला मातृभूता च सिद्धा ।

संस्कृतभाषाया विकाशेन शिक्षायाः भाषाविज्ञानस्य च महत्त्वं परिवर्द्धते इति तु तथ्यम् । अतः परमपि तस्याः विकाशार्थं इयमधिका युक्तिः यद्—बहुभारतीयानां परम्परागतो विचारः संस्कारश्च यां पद्धतिमबलम्ब्य समृद्धोऽभूत् वर्षसहस्रं यावद् संस्कृतभाषैव तादृशतथ्यानां तत्त्वानाञ्च पोषणामकरोत्, तेषां अभिव्यक्तिञ्च निनाय । तादृशतथ्यानां विचारः संस्कारो भावनाश्च पुरेवाद्यापि स्वसम्बन्धेन संस्कृतभाषाया निकटीभवन्ति । परम्परागतानामेषां तथ्यानां सूक्ष्मतत्त्वानां, सुगभीर विचाराणां प्रोन्नतसंस्काराणां संस्कृतीनाञ्च अवदानं यदस्माभिल्लब्धं तत्तु देशस्यास्य गौरवगाथा समजनि । एतत्परिपालनेन साकमिदमपि अस्माकमधिकं कर्तव्यमस्ति यद् अस्माकं पूर्वजानामस्मिन् महिते देशे अस्माकं कृतिभिस्तस्यावदानं स्याभिवृद्धिः सम्पादनीया । प्राक्सम्पादितम्पत्संघातेनैव सर्वदास्माकं कृतिः सम्पूर्णा न प्रचलेत् । वयं पूर्वेषां गौरवगाथाभिः नैव सन्तुष्टा भवाम, किञ्चिदग्रसरणार्थं यतामहे । संस्कृतस्य नव्यत्वम् च प्रतिप्रत्स्यामहे । इदृशतिप्रपादने मौलिक सिद्धान्तः प्राचीन एव सम्भवी; परमस्माकं कर्तव्यन्वेतद् यद् वयं तद्गभीरविचाराणामनुशीलनं कुर्व्यामः, पुनरपि तद्विषयानधीयामहे, नूतनविषयांश्च तदन्तर्गततया विचारयामः ।

अस्याः परिषदोऽधिवेशनुषु संस्कृतस्याध्ययनाध्यापनयोः प्रचारप्रसारादि-विषये वयं बहुविचारानकुर्मः । एतद्देशवासिनां जीवने संस्कृतौ साहित्ये कलासु च संस्कृतभाषायाः कीदृशप्रभाव इति नाज्ञातोऽयं विषयः । अस्माकं प्रादेशिकभाषाः संस्कृतभाषयैत्र परिपुष्टाः; अद्यापि बहु प्रादेशिक भाषासाहित्यं संस्कृतभाषामुप-जीव्य निर्मायते । इदानीमल्पदिवसेभ्यः प्राक् अहं विदेशान् गतवान्; तत्र च गत्वा यदहं दृष्टवान् तेन मम हृदयं अपरिलेप्यमुद्राङ्कितमभूत् यदनया संस्कृत-भाषया अस्माकं पूर्वजा अस्मदीयसंस्कृतेः धर्मस्य विचाराणां च सुदूरदेशेषु कथमिव प्रचारमकुर्वन् । तादृशप्रचारित-संस्कृतयो न केवलं तद्देशजानां स्मृतिरूपेण परं तेषां जीवितरूपेण अद्यापि वरीवर्तन्ते । अहमद्राक्षं यद् इन्दोनेशिया-सदृशे दूरदेशेऽपि, यत्रेदानीं प्रायः सर्वे मुसलमानधर्मावलम्बिनः जनाः न केवलं रामायण-महाभारतादि महाकाव्येषु विश्वसन्ति, अपितु तत्तन्महाकाव्यवर्णितान् महापुरुषान् स्वजीवना-

दर्शत्वेन स्वीकुर्वन्ति । स्वेषां संगीतनाटकादिषु शारीरिक-क्रीडादिषु च संस्कृत-साहित्योक्तविषयेभ्यो बहुप्रेरणामुपलभन्ते । एतद्दर्शनेन मम हृदि इदृशविचारोऽभूद् यद् तद्देशीयानां बहुविषयेषु महाभारतीयचरित्राणि इदृक्तया संजीवितानि प्रेरणाप्रदानि इव ज्ञायन्ते, यद् भारते तादृशतया न कुत्रापि दृश्यते । तादृशो व्यवहारः कम्बोजेषु लाओसदेशे च वर्तते यत्र सर्वे निवासिनः पूर्णतया बौद्ध-धर्मावलम्बिनो भवन्ति । एतत्सर्वं दृष्ट्वा विचारमकरवं यत् कया रीत्याऽस्मत्पूर्व-जानां कृतयस्तत्तद्दूरस्थदेशान् गत्वा विस्तारिता अभवन्, केन प्रकारेण तेषां जीवनाङ्गीभूता अद्यापि स्थिरतां प्रापुः ।

इदं मया न ज्ञायते यदाधुनिकाः संस्कृतविद्वांसो ये पाश्चात्य-प्रचलितशिक्षया अपरिचिताः कीयत्यर्थ्यन्तं एतज्जानन्ति यत् तत्तद्देशेषु विभिन्नस्थानानां मनुष्याणां च नामानि संस्कृतभाषारूपाण्येव, यद्यपि रूपशः किञ्चिदपभ्रष्टानि; परन्तु सर्वमेतत् संस्कृतभाषाया अवदानं वर्षसहस्रात् तत्पूर्वं वाऽभवत् । अस्माकं देशे बहु वर्षेभ्यः संस्कृतभाषाविषये कश्चित् महत्त्वपूर्ण आविष्कारः तत्साहित्यस्य च विशिष्टाभिवृद्धिः नैव समजनि येन वयं साभिमाना भविष्यामः । ये विषया एवं महत्त्वपूर्णाः यैश्च वयं साभिमानाः ते तु वर्षसहस्रात्पूर्वमेव समजायन्त । पाश्चात्यानां साहित्यस्य वृद्धिः विशेषतश्च विज्ञानस्य प्रगतिस्तदैवाभूत् यदा केनापि कारणेनास्माकं उन्नतिवृद्धिर्वावरुद्धा जाता; यदा चेयमवनतिः संजाता तत्पर्यन्तं वयं साहित्यविज्ञान गणितादिषु ज्योतिःशास्त्र-दर्शनचिकित्साशास्त्रेषु च प्रायशः तत्तद्देशेभ्यः तज्जातिभ्यो व पाश्चात्यपदा नाभूम । एतदेव नहि, परन्तु युद्धकर्मणि अर्थशास्त्रे वैदेशिकवाणिज्यकरणे सामुद्रिकपोतादिविषये च वयं तेभ्यो न्यूना नाभवाम । संस्कृतविदुषां एष विचारविषयो भविष्यति यत् कथं वयं एवमुच्चैःस्थानमधिरूह्य पुनर्निरुद्धा अस्माकं प्रगतिश्च किमर्थमवरुद्धाऽभवत् ।

अद्यतनानां संस्कृतविदुषामाधुनिकविषयैः परिचितिर्नैव भवति तेषां ज्ञानं च न केवलं प्राचीनविद्याविषयमपितु आधुनिकनूतनविचाराणामाविष्काराणाञ्चावबोधार्थं तेषा क्षमताऽस्तीव न्यूना । वयं यावतः उन्नतविषयान् अलभामहि ते यदि संकुचितदृष्ट्याऽक्रियन्त तर्हि ते सम्भाविता नैवाभविष्यन् । तादृशव्यवहारे विचारे वा संकुचितभावना नैवासीत् । तस्मिन् समये तु न ज्ञायते कीयत्क्रोशपर्यन्तं समुद्रमुत्तीर्य अत्युच्चान् पर्वतान् सुविस्तीर्णमरुभूमिश्च उल्लङ्घ्यास्माकं पूर्वजा न केवलं दूरदेशान् जग्भुः अपितु तेभ्यो यत् नूतनमलभन्त तदपि ते जग्रहुः । भारतीया विद्वांसो भारतीयग्रन्थानां वह्वीषु विदेशीयभाषासु अनुवादं चक्रुः विदेशीय-ग्रन्थानां च भारतीयभाषायाम् । वैज्ञानिकविषयाणां च परीक्षणं प्रयोगं च स्वरीत्या

उन्नतमकुर्वन् ! ते तु स्वरीत्याऽकुर्वन् इति ग्रहमकथयं यतः इयमस्माकं विशेष्यता यत् अस्माकं पूर्वजाः जटिलसमस्यास्तथा कठिनक्रियाः सरलाऽकुर्वन् । अपि च यथेदानीं विज्ञानमनुष्यानत्यधिकं यन्त्रनिर्भरान् करोति, तद्विरुद्धत्वेनास्मत्पूर्वजाः मनुष्यान् कस्मादपि वाह्यवस्तुसाहाय्यात् मुक्तान् अकुर्वन् । तत्तु विशिष्टं दानं यत् मानव-सभ्यतायाः संस्कृतेश्चात्यावश्यकमनिवार्यञ्च, परन्तु इदानीं लोक-व्यवहारो विरुद्धमार्गमनुसरति । न जाने कदा मनुष्यस्तादृशस्वातन्त्र्यं पुनः प्राप्नुयान्नवेति ।

अहं एतत्सर्वमत्रैतदर्थं प्रस्तौमि यदहमिच्छामि संस्कृतविद्वांसः एतत्सर्वं विचारयेयुः कथमस्माकं प्रगतिर्दृढमवरुदेति । किं पुगर्वयमिदानीं स्वाधीनस्तद-वरोधकारणं दूरीकर्तुं पारयामः । किं संस्कृतशिक्षाविषये इदानीन्तनप्रचलित-प्रथानां ग्रहणमावश्यकमनिवार्यं च । किं वयमेतदृशान् तपस्विषुः संजनयितुं शक्नुमः ये पुनः परिवर्तितनूतनयुगेऽस्मिन् स्वस्य किञ्चित् नूतनं भारतीयैभ्यो दातुं समर्था भविष्यन्ति यच्चान्येऽपि विदेशीया नूतनतया ग्रहिष्यन्ति । एषः सम्भव इत्यहं विश्वसीमियदि वयं तादृशमहत्त्वपूर्णमस्माकमतीतं पुष्पतया न विस्मरिष्यामः, वर्त्तमानं च तस्मादपि अधिकं गौरवास्पदं कर्तुं यत्तेमहि । किमेतत्सर्वं गौरवं वेतनभोगिभिः शिक्षकैः, लेखकैश्चानुसंधानकारिभिः सम्पादितमभूत्? किं वय-मार्थिकप्रोत्साहनं साधनमेकं मत्वा अग्रेसरा भवितुं शक्नुमः ? एतत्तु समीचीनं यत् संस्कृतविदुषामपि जीविकानिर्वाहार्थं साधनमपेक्षितं परन्तु यद्येतदेव ध्येयं भविष्यति तर्हि सफलता कठिना सम्भवेत् । कारणं च संस्कृतविद्वद् भिस्तादृशी आधुनिकविद्या नैवोपलब्धा यावतीतरैर्जनैः सम्पादिता यैश्च तेषां प्रतियोगिता भविष्यति । देशस्यापीदं कर्त्तव्यं प्रतिभाति यत् संस्कृतभाषायाः प्रोत्साहार्थं आवश्यकमर्थं देशः प्रदद्यात्: आर्थिकसाहाय्यापेक्षया इदमधिकतरमावश्यकं भवेत् यत् विदुषां सम्मानमितरेभ्योऽधिकमास्तु परं न्यूनं यथा न भवेत् । अस्माकमियमपि प्राचीनप्रथा भवति यद्वयमार्थिक स्थित्यनुसारमेव जनान् न सम्भावयामः । निर्धनानामपि विदुषां सम्मानं धनिकेभ्यो वणिग्भ्यः राजभ्योऽपि अधिकं भवति । एतदेव नहि, राजाऽपि स्वयंमुत्तिष्ठन् विदुषे सम्मानं प्रदर्शयाञ्चकार । एष विषय इदानीं बहुदूरमपसृतः, प्रतिदिनं च बहुदूरं अपसर्पति । विदुषामार्थिक-साहाय्यसम्पादनवत् तत्सम्मानं पुनः प्रतिष्ठितं यथा स्यात् तत्तु अतीवावश्यकम् । पुनश्च विदुषामपि कर्त्तव्यमेतद् भवितुमर्हति यत् ते एक चित्तीभूय सहृदयाश्च तथाऽध्ययनाध्यानानुसंधानादिकर्मसु नियुक्ता भवेयुः यथा लुप्तगौरवं पुनः प्रत्यावर्त्तितं कर्त्तुं शक्नुयुः ।

इदं तु शुभचिह्नं यद् देशस्य सर्वत्र संस्कृतं प्रति सद्भावना जागरीति तथा संस्कृतपठनपाठनविषये जनानां रुचिर्वर्द्धते । संस्कृतविश्वपरिषद्ः कार्यविवरणेन च ज्ञायते यत् बहुस्थानेषु संस्कृतस्य प्रचारार्थं प्रसारार्थं च राजकीय संस्थाभि-
दितराभिश्च किमपि कार्यमभूत् भवति च । परिषदः गरीयसा प्रयत्नेन तादृशसंस्था प्रोत्साहमलभन्त । परिषदः सम्मेलनेषु विद्वांसो जनसेवका देशनेतारश्च सहयोगं कृत्वा तस्या उन्नत्यर्थं साहाय्यमकुर्वन् । भारतीयशासनं प्रान्तीयशासनानि च एतद्विषये सर्वे अवहिता अभवन्, फलतश्च भारतीयशासनं संस्कृतायोगस्य नियुक्तिमकरोत् । असौ संस्कृतायोगः बहुपरिश्रमं कृत्वाऽनुसन्धाय च लोकमतं संगृह्य स्वमतं संस्कृतोन्नत्युपायं भारतशासनं प्रति प्रेषितवान् ।

संस्कृतायोगसचनानि भारतशासनेन प्राप्तानि, विषयाश्च विधाराधीना वर्तन्ते । अतोऽस्मिन् विषये नाहं किमपि वक्तुमीहे । परिषद् यत् समीचीनं मन्येत तत् कुर्यात् । अतो मद्भवचनस्य काप्युपयोगिता नास्ति, नापि मदुक्तिरिदानीं समुचिता भवेत् । अहं तु आनन्दितोऽस्मि यदस्मिन् सम्मेलने सहयोगमकरवम् । आशासे चात्र संमिलितानां विदुषां सहवासेनावश्यं लाभं प्राप्स्ये ।

एतैः शब्दैः परिषदो वार्षिकसम्मेलनं प्रारभे ।

जगन्नाथपुरी में श्री गोपबन्धुदास की प्रतिमा का अनावरण करते समय भाषण

देवियो और सज्जनों,

यह मेरे लिये गौरव का विषय है कि मुझ से श्री गोपबन्धु दास की मूर्ति का अनावरण करने को कहा गया। गोपबन्धु बाबू उन दिनों में अपने जीवन को देश की सेवा में अर्पित कर चुके थे जब हम में से बहुतेरे अपने-अपने काम में लगे हुए थे और उनके जीवन का ही यह एक असर था कि केवल उत्कल में ही नहीं अन्य प्रान्तों में भी अनेकों ने उस प्रकार का प्रण ग्रहण करने का निश्चय किया। जहां तक मैं समझता हूं उत्कल का नव जन्म, नव जीवन गोप बाबू का ही दिया हुआ है। वह अपने जीवन में इतने सादे थे, इतने सरल थे कि कोई भी मनुष्य जो उनके सम्पर्क में आ जाता था वह उनकी सच्चाई, उनके सीधापन और जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन देश को अर्पित उत्सर्ग किया था उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। यह मेरा सौभाग्य था कि मेरा उन दिनों से जब वह उन दिनों के बिहार की असेम्बली के सदस्य थे या और किसी तरह से उनको पटने जाने आने का मौका मिलता था उनसे परिचय हुआ करता था, उनसे मुलाकात हुआ करती थी। जब से महात्मा गान्धी जी से हमारा सहवास हुआ उसके बाद से उनके साथ रिश्ता और भी बढ़ गया और सिर्फ उत्कल का ही नहीं सारे देश का दुर्भाग्य हुआ कि वह जल्द इस संसार से चले गये और जितनी वह देश की सेवा कर सकते थे, जितनी सेवा उनसे देश को मिल सकती थी वह देश को नहीं मिली इसका कारण उनकी कमी नहीं था बल्कि दुष्काल का ही परिणाम हुआ कि वह इतनी जल्दी इस संसार से चले गए। यह भी गौरव की बात है कि उनके चले जाने के बाद भी उनसे प्रेरणा ले कर जो लोग देश की सेवा के काम में लगे थे उन्होंने उस काम को जारी रखा है और उत्कल को उठाने में उन्होंने बड़ी सेवा की है। उन लोगों की सेवा और गोप बाबू की सेवा और प्रेरणा का ही यह फल है कि जब गान्धी जी देश में आये तो वह उत्कल में आये।

उत्कल का भारत के इतिहास में बड़ा ऊंचा स्थान है। प्राचीन बातों को छोड़ दीजिए। वह तो यहां के लोग मुझ से अधिक जानते हैं। मगर हाल के

श्री गोपबन्धुदास की प्रतिमा का अनावरण करते समय जगन्नाथपुरी में भाषण;

4 अप्रैल, 1959

इतिहास में उत्कल में ही आकर गान्धी जी के हृदय में प्रेरणा आयी कि देश से गरीबी दूर करना सब से पहला काम है और उस समय यहां दुष्काल से पीड़ित लोगों को देखकर उन्होंने अपने शरीर से कपड़े भी उतार दिये। यहां के लोगों को ही देखकर उनके हृदय में चेतना आयी कि भारत की दरिद्रता जब तक हम दूर नहीं करेंगे हम किसी काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। यहां ही आकर उनके हृदय में प्रेरणा आयी और यहां ही की गरीबी से प्रभावित होकर उन्होंने स्वाराज्य का काम आरम्भ किया यह मेरा सौभाग्य था कि उन दिनों में भी मैं यहां आया था और उनके साथ फिरा था उसके बाद बहुत बार आया हूं उसके पहले भी यहां मैं आया पर पहले तीर्थ के ख्याल से आया था, उस समय देश का ख्याल नहीं था।

महात्मा गांधी जी से जो मेरा परिचय हुआ वह भी अजीब तरह से हुआ। गान्धी जी जब मेरे यहां पहले पहल आये तो मैं यहां ही आया हुआ था। जो सज्जन उनको लेकर गये वह मुझे जानते थे। जब गान्धी जी पटने पहुंचे तो उनको वह मेरे घर ले गये। मैं यहां आ गया था। मेरा नौकर वहां था पर उसने गान्धीजी का ठीक से सत्कार नहीं किया। फिर वह दूसरी जगह चले गये। जब मैं यहां से गया और गान्धी जी से मिला तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपके यहां गया था।

तो जब उत्कल और बिहार एक था उस समय जो गोपबन्धु बाबू के साथ हमारा सम्बन्ध था वह पीछे और भी घनिष्ठ हो गया और जब मैं ने देखा कि गोपबन्धु बाबू ने देश के काम में अपने को उत्सर्ग कर दिया तो और लोगों के साथ मुझे भी बहुत कुछ उनके सम्बन्ध में जानने को मिला। मेरा वह प्रेम उस दिन से आज तक कायम है और मैं आशा करता हूं कि कायम रहेगा।

मैं जानता हूं कि गान्धी जी से सब ने अधिक प्रेरणा किसी प्रान्त ने ली तो वह उत्कल है। उत्कल में आज भी गरीबी बहुत है। मैं यह भी मानता हूं कि देश भर में आज भी सब से अधिक गरीब प्रान्त उत्कल है। इसलिये उसको सब से अधिक सेवा की जरूरत है। मुझे इस बात का गौरव है कि जिस व्यक्ति ने उत्कल के लोगों को जागृत किया उसकी मूर्ति का अनावरण करने का मौका मुझे आपने दिया। धन्यवाद।

रेड क्रॉस सोसायटी भवन का उद्घाटन

राज्यपाल महोदय, मुख्य मन्त्रीजी, श्रीमती सुधा सुखथंकर, देवियों और सज्जनों,

मैं राष्ट्रपति की हैसियत से सरकारी दफ्तर का काम अनेक प्रकार का किया करता हूँ मगर कुछ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो बिल्कुल सरकारी नहीं समझे जा सकते और उनमें से सब से सुखद काम जो मुझे करना पड़ता है वह यह है कि मैं इंडियन रेड क्रॉस का सभापति हूँ। हालांकि मुझे बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, जो उसकी चेअरमैन राजकुमारी अमृत कौर हैं वह सब कुछ करती हैं। मगर तो भी जो कुछ मुझे सभापति की हैसियत से करना पड़ता है मैं मानता हूँ कि उसके जरिये से मुझे थोड़ी बहुत जन साधारण की सेवा करने का सुअवसर मिलता है।

पहले जब हम स्वराज्य प्राप्त नहीं कर पाए थे तो दूर से रेड क्रॉस के सम्बन्ध में हम लोग सुना करते थे और हम में से बहुतों के दिलों में कुछ संदेह सा रहा करता था कि वह एक सरकारी संस्था है और उसके द्वारा जनता की जैसी सेवा होनी चाहिए वैसी नहीं होती होगी। उस समय मेरा सीधा सम्बन्ध उसके साथ नहीं था। अब उस प्रकार का विचार मुझे छोड़ ही देना नहीं पड़ा है बल्कि मुझे यह मानना पड़ा है कि रेड क्रॉस के द्वारा देश में बहुत बड़ा काम होता आया है और हो रहा है।

आरम्भ में तो आप जानते हैं कि युद्ध में घायल लोगों की सेवा के लिये ही उसका जन्म हुआ। मगर आज भारतवर्ष जैसे देश में जहाँ अनेक प्रकार की वृष्टियाँ और कमजोरियाँ हैं, रेड क्रॉस बहुत तरह के कामों में हाथ लगाता रहता है। हम जानते हैं कि जब कभी कोई भारी महामारी आती है और रेड क्रॉस की सहायता की जरूरत पड़ती है तो उसके लिये वह तैयार रहता है। अगर कोई दैवी विपत्ति आ पड़ती है जैसे भूकम्प आदि तो रेड क्रॉस के द्वारा कितनी सहायता मिलती है और अकसर करके जब बाढ़ आ जाती है तो उसमें भी रेड क्रॉस से कितनी तरह की सहायता मिलती है। मामूली तरह से भी गरीबों के लिये दूध, बहुत तरह की बीमारियों के लिये दवाएँ जो मामूली तौर से मंहगी होने के कारण गरीबों तक नहीं पहुंच सकतीं उनको पहुंचाना और इस तरह से अनेक प्रकार के काम ऐसे हैं जो रेड क्रॉस सोसायटी के जरिये से हुआ करते हैं और जिनसे सारे देश के लोगों को लाभ पहुंच रहा है।

रेड क्रॉस सोसायटी भवन का उद्घाटन करते समय भाषण; कटक, 4 अप्रैल,

यह बड़ी खुशी की बात है कि उत्कल के लोगों ने यह निश्चय किया है कि यहां पर एक हर प्रकार से सुसज्जित, हर प्रकार की सुविधाओं के साथ ब्लड बैंक कायम किया जाये, आजकल विज्ञान की प्रगति बहुत जोरों से हो रही है और वह प्रगति बहुमुखी है। कई देशों में विज्ञान कुछ न कुछ कर रहा है जिसका मनुष्य के साथ सम्बन्ध होता है, कुछ न कुछ नया सामने रख रहा है, कुछ न कुछ नया रास्ता बता रहा है, नया साधन बता रहा है। यद्यपि बड़े-बड़े युद्ध विज्ञान से होते हैं जो संसार के लिये बहुत भयंकर हुए हैं मगर इस बात को मानना पड़ता है कि गत दो युद्धों के दम्यमान में मैडिकल सायन्स में चिकित्सा शास्त्र में बड़ी उन्नति हुई है। सिपाहियों की बीमारियों को रोकने के लिये, सिपाहियों को बीमारियों से बचाने के लिये, उनको जो चोट और घाव लगते हैं उनसे उनको आराम करने के लिये खोज की गई और नये-नये आविष्कार किये गये और उस के फलस्वरूप बहुत सी दवाएं प्रचलित हो गयी हैं जो सब जगह अच्छे से अच्छे डाक्टर इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें थोड़ा-बहुत सब डाक्टर जानते हैं और जिनका इस्तेमाल वे करने लग गये हैं। इस तरह से अब ऐसी दवाएं अब हो गई हैं जो रामबाण का काम करती हैं और जिनके इस्तेमाल से लोग बीमारियों को मिटा सकते हैं।

नये आविष्कार में एक चीज यह भी है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके होने से मनुष्य के शरीर में खून कम हो जाता है अथवा खून कुछ ऐसा बिगड़ जाता है कि वैसी हालत में उसके शरीर में दूसरे का खून देना आवश्यक हो जाता है। खून में भी हर आदमी का खून हर दूसरे आदमी के लिये ठीक नहीं होता है। खून भी कई प्रकार का होता है और जिस प्रकार का खून बीमार आदमी का होता है उसी प्रकार का खून दूसरे आदमी से लेकर उसके शरीर में डालना जरूरी होता है। तो बड़ी दिक्कत यह होती है कि हमेशा खून तैयार नहीं मिलता। जहां मिलता भी है उनको पता लगाना पड़ता है कि किस आदमी का खून किस आदमी के लिये योग्य होता है या नहीं, यह भी दिक्कत होती है। इन सब दिक्कतों को दूर करने के लिए एक ब्लड बैंक बनाने का विचार लोगों का हुआ और बहुत जगहों पर बैंक बन गये हैं जहां पर पहले खून जांच कर देख लिया जाता है और तब निकाला जाता है और फिर उसका इस्तेमाल होता है।

यह काम यहां पर आपने शुरू किया क्योंकि इसकी जरूरत तो है ही, इसको आपने महसूस किया यह बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि जिस उरसाह के साथ

इस बैंक को आपने तैयार कराया है और सिर्फ़ पैसे से ही नहीं बल्कि पैसे से बढ़कर लोगों ने अपना खून देकर जो उत्साह दिखाया है उससे आशा होती है कि यह काम खूबी और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। अगर मेरा खून किसी काम का होता तो मैं भी कुछ न कुछ देता। पर मैं समझता हूँ कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और न मालूम कितने दिनों से मैं बीमार हूँ। तो मेरे लिए अपना खून देना दूसरों के शरीर में बीमारी पहुंचाना है। इसलिये यह कहना मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मेरा खून भी लीजिए। जो कुछ भी लोग इसको दे सकते हैं उनको देना चाहिए। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि इस ब्लड बैंक में खून की कमी नहीं होगी, हमेशा जरूरत के मुताबिक खून आपको मिलता रहेगा और इस बैंक का अच्छा प्रबन्ध करके इसको अच्छी तरह से आप रख सकेंगे और ठीक तरह से इसका उपयोग आप कर सकेंगे। मैं आशा करता हूँ कि जिस उत्साह के साथ यह काम शुरू किया गया है उसी उत्साह के साथ यह चलाया जायगा और इस सूबे की कमी को यह दूर करेगा। इन शब्दों के साथ मैं ब्लड बैंक का उद्घाटन कर देना चाहता हूँ।

सोखोदेवरा में सार्वजनिक सभा में भाषण

माननीय राज्यपाल महोदय, श्री जय प्रकाश नारायण जी, देवियों और सज्जनो,

बहुत दिनों के बाद एक ऐसी जगह पर आकर जहां दूर-दूर के गांवों से आकर लोग जमा हुए हैं मुझे यह मौका मिला है कि उनका मैं एक साथ दर्शन कर सकूँ। यों तो सचमुच ग्राम जीवन में ग्राम जीवन को उन्नत करने में और हर तरह से ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन दान में मैं समझता हूँ कि मनुष्य को और विशेष कर मुझे अपना सौभाग्य मानना चाहिये और इसलिये जब मुझ से इस आश्रम के सम्बन्ध में कहा गया और जहां आने के लिये मुझे निमन्त्रण दिया गया तो मैंने उसको खुशी-खुशी मंजूर कर लिया और आज मैं यहां आया हूँ। मगर अफसोस इस बात का है कि इतना कम समय यहां रहना है कि जो कुछ यहां हो रहा है वह सब में इतने वक्त में नहीं देख सकूंगा और न जो ऐसे कामों की शक्ति है उसका ही ठीक अन्दाजा लगा सकूंगा। पर तो भी जो कुछ मैं इस समय में देख सकूंगा इसमें शक नहीं कि उससे मुझे लाभ ही लाभ होगा।

भारत को स्वराज्य तो मिल गया मगर उस स्वराज्य का अर्थ जब तक प्रत्येक भारतवासी नहीं समझ लेगा तब तक उसको सार्थक नहीं कह सकते और उसका अर्थ समझना केवल यही नहीं है 'स्वराज्य' लफ्ज का क्या माने होता है। उसका अर्थ केवल यही नहीं कि उस स्वराज्य की वजह से आज हमारे देश में अपने ही लोग राजकाज चला रहे हैं और इस देश में जहां पहले विदेशी हुआ करते थे उन सभी जगहों पर अपने देश के ही लोग बैठकर हुकमदारी कर रहे हैं। उसका अर्थ तो यह होना चाहिए कि गरीब से गरीब भारतवासी यह समझे कि उसको कोई अनमोल चीज मिली है और वह अनमोल चीज केवल शब्द से अनमोल नहीं बल्कि जीवन के हरेक काम में काम आनेवाली अनमोल चीज है और इसलिये यह जरूरी है कि सारे देश के गांवों में यह काम जोरों से किया जाये क्योंकि आज भी भारतवर्ष की कम से कम १०० में से ७० जनता देहातों में बसती है और देहातों से ही उसका सम्बन्ध है और गरचे आज हवा चल आयी है कि बहुतेरे शहरों की तरफ, कारखानों की तरफ लोग अधिक दौड़ रहे हैं तो भी जैसे हमारी आबादी बढ़ती जा रही है गांवों की आबादी कम होनेवाली नहीं है और जब तक उस आबादी को हम अच्छी तरह से उन्नत नहीं कर लेंगे तब तक स्वराज्य का माने कुछ नहीं हो सकता और इसीलिये महात्मा गान्धी जी ने अपने दिनों में रचनात्मक कार्यक्रम को एक आवश्यक कार्यक्रम

बताया था और उस पर काम करने के लिये उन्होंने बहुत लोगों को उत्साह दिया था और बहुत लोगों ने काम शुरू कर दिया था। हम स्वराज्य के बाद से कुछ ढीले पड़ गये हैं।

बात असल यह है कि आज हम आत्म-निर्भर होने और ज्यादा सीखने के बदले कम सीख रहे हैं और गरचे सारा देश तो इस माने में आत्म-निर्भर हो गया है कि उसका राजकाज हम स्वयं चला रहे हैं मगर हम में से प्रत्येक आदमी से अगर यह पूछा जाय कि वह अपने ऊपर कितना भरोसा कर सकता है, प्रत्येक गांव से अगर पूछा जाये कि वह अपने ऊपर कितना निर्भर कर सकता है, और इसी तरह से प्रत्येक जिले, प्रत्येक प्रान्त से अगर पूछा जाए तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि जिस तरह से आदमी अपने ऊपर कम निर्भर होता जा रहा है, उसी तरह से व्यक्तियों के समुदाय भी, समूह भी कम निर्भर होते जा रहे हैं और यह आज की जैसी स्थिति है, जो रहन-सहन है, तौर-तरीका है उसमें एक प्रकार से लाजिमी नतीजा है, उससे शायद हम बचना भी चाहें तो बच नहीं सकते।

बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको देखकर हम बहुत खुश होते हैं और समझते हैं कि तरक्की हो रही है। मगर जिसको हम तरक्की कहते हैं उसमें से बहुत सी ऐसी बातें निकलती हैं जिनसे प्रगति के बदले हमारा अपने ऊपर भरोसा करना छूटता जा रहा है। मामली तरह से हमारी जिन्दगी कुछ ऐसी पहले थी कि आदमी अपने ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता था और छोटा काम हो, बड़ा काम हो, देहात के लोग अपना काम खुद कर लिया करते थे। जो काम एक आदमी के वश का नहीं होता, उसको दस आदमी मिलकर कर लिया करते थे और सब चीजों के लिये दूसरों पर उनको भरोसा नहीं करना पड़ता था। मगर आज जो हम खुद कर लिया करते थे वह भी छोड़ते जा रहे हैं। और हर चीज के लिये दूसरों की क्या कहें, गवर्नमेंट पर आशा लगाये बैठे रहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से यह कर दिया जाता, वह कर दिया जाता। कुछ बड़े बड़े काम ऐसे हैं जिनको करने के लिये गवर्नमेंट की सहायता लेना मजबूरी है और वे साधन गवर्नमेंट के पास ही पाये जा सकते हैं जो उन कामों को कर सकें। मगर बहुत छोटे-मोटे काम ऐसे भी हैं जिनको गांव के लोग खुद कर सकते हैं मगर खुद नहीं करके उनके लिये भी गवर्नमेंट पर ही भरोसा करते हैं। जो काम हाथों से किये जा सकते हैं उनके लिये भी हम ज्यादा मशीन के कल पुर्जों पर भरोसा करना सीख रहे हैं।

मामूली छोटी सी एक बात यह है कि हमारे देश के वैद्य और हकीम नब्ज देखकर पहले सब बीमारियों का निदान कर लिया करते थे और आराम भी करते थे। मालूम नहीं उन दिनों में जो लोग बीमारी से मरते थे उसके मुकाबले में आज लोग कम मरते हैं या अनुपात उतना ही है जितना उन दिनों में था। मगर आज एक छोटी बीमारी के लिये 10, 20 प्रकार के यंत्रों से जांच करना जरूरी हो गया है और जब तक वह जांच नहीं होती तब तक बीमारी की पहचान नहीं होती और बीमारी को पहचाने बिना दवा भी कैसे की जाए।

इसी तरह से जब बिजली आ जाती है तो हम उसकी चमक दमक देखकर खुश हो जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि जो बिजली का कारखाना है अगर उस पर किसी तरह आफत आ गई चाहे वह हड़ताल के कारण हो चाहे भूकम्प के कारण हो चाहे आग लगने के कारण से हो अथवा लड़ाई के जमाने में दुश्मन आकर कारखाने को बर्बाद करे तो सिर्फ उस कारखाने में ही नहीं, जहां जहां जितनी दूर तक उस कारखाने के जरिये से बिजली पहुंचती हो और बिजली के जरिये से जितने प्रकार के दूसरे काम या कारखाने चलते हों, जितनी जगहों में रोशनी पहुंचती है, पंखे चलते हैं सब एक बारगी बन्द हो जायेंगे।

इसी तरह घर घर में कुओं से काम चल सकता है। मगर उसकी जगह हम इस चीज को देखकर खुश होते हैं कि पानी का कल और नल लग गया तो एक जगह पर बिना मेहनत, बगैर रस्सी और डोल से कुओं से पानी निकालने के हम घर में पानी ला सकते हैं। हम पैदल चलते थे तो सारे देश की यात्रा तो तीर्थों के कारण हो जाती थी। समय लगता था पर बहुत स्थानों और लोगों के सम्पर्क में आने का मौका था। अब तो रेल पर चढ़कर या हवाई जहाज पर चढ़कर कहीं भी जल्द ही पहुंच सकते हैं। तो यह युग विज्ञान का युग है और विज्ञान अब सब चीजों को मुहैया कर रहा है और इस वजह से इन सब चीजों के लिये हम यन्त्र पर अधिक से अधिक भरोसा करते जा रहे हैं और अपने हाथ पैर की जो शक्ति है उस पर भरोसा दिन व दिन कम होता जा रहा है। यह केवल भारत की ही बात नहीं है। आदमी की अपनी जो कुछ शक्ति है उसके बारे में कुछ कहा जाय तो यह भी समझा जा सकता है कि आज साइन्स के युग में बिल्कुल एक प्रगति विरोधी बात है जो कहना आज के जमाने में शोभता नहीं है।

मगर जब हम इन सब चीजों को एक तरफ देखते हैं तो दूसरी तरफ यह ख्याल भी करते हैं कि आखिर जो यह सब हो रहा है उससे क्या मनुष्य अधिक

खुश है, उसको अधिक आनन्द मिलता है ? हो सकता है कि गरीबों को कुछ आराम मिलता हो । हो सकता है उससे पंखे मिल जायें, तेज रोशनी मिल जाये, तेज चलने के लिए सवारी हो जाए । ये सब चीजें तो मनुष्य के शरीर को आराम पहुंचा सकती हैं और हम प्रचुर मात्रा में उन्हें पा रहे हैं । मगर शरीर नहीं, वह तो आत्मा है जहां पर सुख पैदा होता है, सुख रहता है । क्या उन चीजों से हम आज अधिक सुखी हुए हैं या नहीं ? मालूम नहीं, जहां सब से अधिक विज्ञान का प्रचार है, जहां के लोग विज्ञान के द्वारा नई से नई चीजें बनाते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वहां के लोगों में यह समझा जाता है कि बहुत लोग आत्महत्या करते हैं ।

बहुतेरे लोगों में नई किस्म की बीमारियां पैदा हो रही हैं । उन बीमारियों का इलाज भी पैदा किया जा रहा है । मगर बीमारियां भी बढ़ती ही जा रही हैं । मालूम नहीं, अगर पूरा हिसाब लगाया जाये तो जमा की और ज्यादा होगा या खर्च की ओर ज्यादा होगा । सच्चा सुख जो है वह कम हुआ है या ज्यादा हुआ है यह सोचने की बात है । और साथ ही बहुत नये नये प्रकार की चीजें ऐसी भी तैयार हो रही हैं जो हमारे जीवन को खतरे में दिन रात डाले रहती हैं और डालती जा रही हैं । इन सब चीजों का मेल लगाकर हमको सोचना पड़ेगा कि क्या जिस रास्ते पर हम चलते जा रहे हैं उस पर चलते जायें या हमें रुकना चाहिये, और कोई भी रास्ता है क्या क्या सचमुच सही हम रास्ते पर जा रहे हैं या हम मृगतृष्णा में पड़कर बाहर जा रहे हैं और अन्त में कुछ हाथ नहीं आने वाला है ।

यहां जो ग्राम संगठन का काम किया जा रहा है अगर सच पूछिये तो उसका मूल तथ्य है मनुष्य को आत्म निर्भरता सिखाना, यह सिखाना कि किस तरह से अपने ऊपर प्रत्येक व्यक्ति को निर्भर होना चाहिए, उसी तरह से प्रत्येक गांव को किस तरह से अपने ऊपर निर्भर रहना चाहिए यह सिखाना ही ग्राम संगठन का मूल तथ्य है । उसका अर्थ यह नहीं है कि एक दूसरे से लड़ें या एक दूसरे पर थोड़ी निर्भरता के बदले एक दूसरे पर भरोसा करने लग जायें । उसका अर्थ यही है कि एक दूसरे के साथ मिल जुल कर काम करें, खुद आत्म निर्भर हों और दूसरों के आत्म निर्भर होने में सहायक बनें । इस दृष्टि से मैं सोचता हूं तो मुझे मालूम होता है कि इससे बढ़कर और दूसरा काम नहीं और गरचे दूसरे काम अपनी जगह पर बहुत बड़े हैं और बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे हैं । उनकी जरूरत भी है । मगर वे ऐसी चीजें हैं जो हम सारी दुनियां में देख सकते हैं । पर यह

काम ऐसा है जिसका नमूना बहुत जगहों में ज्यादा नहीं और यदि हम दूसरों को कुछ देना चाहें तो यही चीज है जो हम दे सकते हैं। इसीलिए मैं ऐसे काम को महत्व देता हूँ। और सच पूछिए, तो मैं यहाँ बैठे बैठे सोच रहा था तो मेरे सामने एक चीज आ गई।

राष्ट्रपति भवन में जहाँ मैं आजकल रहता हूँ दिवाली के दिन रोशनी की जाती है। वहाँ बड़ी चमक दमक के साथ बिजली की रोशनी होती है जिसको बहुत लोग देखते हैं और पसन्द करते हैं और तारीफ करते हैं। साथ ही साथ वहाँ दिये भी जलाये जाते हैं और बिजली के साथ-साथ दिये भी जो गांव के लोग तेल बत्ती से जलाया करते हैं उसी तरह से हजार दो हजार जलते होंगे ॥ दोनों प्रकार की रोशनी में बहुत अन्तर रहता है। जहाँ बिजली की रोशनी में चमक दमक रहता है, दिये की रोशनी में शान्ति और सौम्यता दीखती है। बहुतेरों ने मुझ से कहा कि दिये और ज्यादा जलवायें और ऐसे लोगों ने कहा जो बिजली की रोशनी के कायल हैं। ऐसे लोग जो नये युग की रोशनी के कायल हैं पुराने युग की टिम टिमाती हुई रोशनी की भी जरूरत समझते हैं। मैं चाहता हूँ कि आज बिजली की रोशनी के द्वारा जो बड़े-बड़े काम किये जा रहे हैं उनकी बगल में यह काम भी रखा जाये और मेरा अपना विचार है कि एक दिन आगे चलकर हम इससे लाभ उठावेंगे।

हमारे लक्ष्मी बाबू ऐसे ही दिया जलाने वाले थे जिन्होंने अपनी सारी जिन्दगी इसी प्रकार के दिये जलाने में बितायी। मैं तो उनको बचपन से ही जानता था। जब असहयोग के जमाने में वह उसमें शरीक हुए उस दिन से जो काम उन्होंने अपने हाथ में लिया उसी काम को आखिर आखिरी दम तक एकचित्त होकर उन्होंने किया और इस माने में मैं मानता हूँ कि वह एक बड़े योगी थे। सब लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि आरम्भ में वह घर के धनी थे। मगर अन्त में जो कुछ उनके पास था उसको अमर उन्होंने बांटा तो कुछ लड़के को दिया, कुछ लड़की को दिया और कुछ ग्रामदान में दे दिया। बराबर हिस्से में उन्होंने बांटा और मरे भी तो इसी प्रकार से जब एक जगह काम करके किसी दूसरी जगह जा रहे थे तो रास्ते में उनका स्वर्गवास हो गया। जैसी उनकी जिन्दगी रही, जैसे दिल लगाकर वह काम में लगे रहे उसी तरह से चले गये। उनके जाने से काम को धक्का पहुँचा मगर उनके लिये इससे बढ़कर दूसरी मौत नहीं हो सकती थी। उनके नाम पर आपने यहाँ एक भवन तैयार किया जो ग्रामोद्योग का काम बढ़ायेगा जो काम उनको बहुत प्रिय था। इसकी वजह

से जो लोग उनको नहीं देख पाये उनको उनके नाम की याद आप कराते रहेंगे तो मैं समझता हूँ यह अच्छा ही काम हुआ है। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे आपने यह गौरव दिया कि उसका उद्घाटन मैं करूँ। इसके लिये मैं आप सब का आभारी हूँ।

अभी आपका यह आश्रम चार वर्षों से चल रहा है मगर इन चार वर्षों के अन्दर यह जितना काम कर रहा है और जिस तेजी के साथ इसका काम फैल रहा है उसके लिये मैं किन शब्दों में आप सब की तारीफ करूँ। अभी तो मैं ने देखा नहीं है, जब देख लूंगा तो और ज्यादा असर मुझ पर पड़ेगा। अभी जो कुछ मैं ने सुना है, लिखित रिपोर्ट से अथवा यहां जो कुछ कहा गया है उससे जानता हूँ। मगर यह मैं जानता हूँ कि जो कुछ कहा गया है और जो कुछ मैं ने लोगों से सुना वह कम है और जो मैं देखूंगा वह इससे बेहतर होगा। इसमें मेरे दिल में कोई शक नहीं और मैं आशा करता हूँ कि इस काम में आपको हर प्रकार के लोगों की मदद मिलनी चाहिए और मिलती होगी।

यह भी खुशी की बात है कि इस काम में आपको विदेशी भाई जापान से आकर मदद कर रहे हैं और उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं क्योंकि मैं जानता हूँ कि जापान के लोग इतने परिश्रमी हैं, उद्यमी हैं और इतनी सचाई के साथ वह काम करते हैं कि उन चीजों को हमको सीखना है। वे इतनी दूर से आ कर इस तरह से आपकी मदद कर रहे हैं इसलिये उनको किन शब्दों में धन्यवाद दूँ। मैं वहां गया था तो मेरे पास 50, 60 लड़के लड़कियां आयीं जो वहां हिन्दी पढ़ रहे थे और खास करके मुझ से हिन्दी में बातें करने के लिये वे आये। मुझे देखकर खुशी हुई कि जहां अपने देश में अभी बहस चल रही है वहां दूसरे देशों में हिन्दी सीखना लोग अपना जरूरी काम समझ रहे हैं।

अभी हाल में मैं कई देशों में गया था। वहां मेरे स्वागत के लिये कुछ लोग जमा हुआ करते थे। जलसे भी हुआ करते थे और रास्ते में मेंहराव आदि बना कर उस पर मेरे स्वागत में मोटे अक्षरों में लिखा गया था। उनमें हिन्दी में भी लिखा हुआ था, अंग्रेजी में था, वहां की स्थानीय भाषा में लिखा हुआ था और हरेक देश में अलग-अलग वाक्य लिखे गये थे जिससे यह पता चलता था कि एक ही बात की नकल नहीं कर ली गई है बल्कि अपने-अपने देश में हरेक मौके के लिए वाक्य बनाये गये हैं।

मैं चाहता हूँ कि जो कमजोरी हमारे देश में इस वक्त आ रही है उसको दूर किया जाये। कमजोरी यह भी है कि हम सचाई के साथ शरीर से मेहनत करना

भूलते जा रहे हैं। जो हम में से पढ़ लिख जाते हैं उनके लिये शरीर से मेहनत करना मानहानि की बात हो जाती है। गृहस्थ का लड़का पढ़ जाता है तो वह यह नहीं समझता कि उसका काम पढ़कर गृहस्थी के काम को बेहतर तरीके से करना है। वह समझता है कि कहीं जाकर दफ्तर में कोई नौकरी करनी चाहिये। इस चीज को छोड़ना है और शहर की तरफ से रुख फेर कर लोगों को गांव में आना है और गांव के लोगों की सेवा में अपनी जिन्दगी बितानी है। वह सेवा सच पूछिए तो दूसरे की नहीं, अपनी ही सेवा है क्योंकि जो कुछ गांव में पैदा होगा उससे लाभ सभी को होगा। मैं चाहता हूँ कि यह काम और बढ़े और फूले फले और जिस काम को लक्ष्मी बाबू के नाम से आप चला रहे हैं उसमें इतनी वृद्धि हो कि वह स्वर्ग में बैठकर उसे देख कर सन्तुष्ट और खुश हों।

मैं और ज्यादा क्या कहूँ, मुझे यही अफसोस होता है कि मैं आप लोगों में से एक नहीं होकर कहीं दूर से आया हूँ। सच पूछिए तो मेरा स्थान तो यहां ही होना चाहिए। पर शरीर की कमजोरी है, मन की कमजोरी है, चरित्र की कमजोरी चाहे जो कुछ हो, मैं दूसरी जगह हूँ। कहने के लिए तो मैं आपकी ही आज्ञा से यहां हूँ। मगर सचमुच मेरी अपनी कमजोरी है कि मैं यहां हूँ। इस काम को देखकर कितनी खुशी हुई और यहां आना कितना पसन्द आया इसका वर्णन नहीं कर सकता। मैं आपकी सफलता चाहता हूँ और चाहता हूँ कि यह काम आगे बढ़े।

सोखोदेवरा के नजदीक कपसिया ग्राम में कुष्ठ सेवा केन्द्र का उद्घाटन

राज्यपाल महोदय, जयप्रकाश जी, बहनों और भाइयो,

मैं कल आपके इस केन्द्र में आया और यहाँ जो कुछ चल रहा है उसको थोड़ा बहुत देख पाया हूँ। अब यह आखिरी चीज़ है जिसको मैं देख सका हूँ और यह है कुष्ठ निवारण का काम।

कुष्ठ रोग बहुत भयंकर रोग है और दुर्भाग्यवश शायद हमारा देश खास करके इस रोग से अधिक दुखी है। विदेशों में शायद और अन्य देश हैं जहाँ यह रोग फैला है मगर अपने देश में यह काफी फैला हुआ है और इस इलाके में, जैसा आपने कहा, इस का जोर काफी है। सौ में दो आदमी कुष्ठ रोग के रोगी हैं जहाँ-जहाँ इस तरह का केन्द्र खोलकर काम करने का मौका मिला है वहाँ देखा गया है कि आदमी को पहले से ख्याल नहीं रहता कि उस इलाके में वह रोग कितना फैला हुआ है। इस अनुभव का आपने शायद जिक्र किया या नहीं किया लेकिन मैरवा के कुष्ठ आश्रम में और सन्थाल परगना में कुष्ठ आश्रम में जब काम शुरू हुआ उस समय लोगों को यह अन्दाज नहीं लगा कि रोग कितनी दूर तक फैला हुआ है। मैं समझता हूँ कि जहाँ-जहाँ यह काम शुरू होगा ऐसा ही अनुभव होगा। इसलिये इस काम का महत्व बहुत है।

आपने कहा कि इस में काम करने वाले कम मिलते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि एक तो लोगों के हृदय में डर बना ही रहता है कि यह एक ऐसा रोग है जो एक आदमी से दूसरे आदमी को पकड़ ले सकता है और साथ ही इस रोग के रोगी के प्रति समाज का व्यवहार ऐसा रहता है कि लोगों को डर होता है कि जो लोग इस काम को करेंगे उनके प्रति भी समाज की वैसी ही भावना हो तो उस में कोई आश्चर्य नहीं। यह खुशी की बात है कि इन बातों के बावजूद बहुतों ने लोग इस काम में लग गये हैं और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, काम करने-वालों में जितनी वृद्धि होगी काम उतना ही बढ़ सकेगा और दूसरे प्रकार की सहायता की जितनी जरूरत होगी मिलेगी।

यह भी खुशी की बात है कि आप लोग अपने यहाँ प्रयोग करके, एक्सपेरीमेंट करके, अपने यहाँ रिसर्च करके कई रास्ते निकाले हैं। हमारे देश में ही नहीं गया जिले में सोखोदेवरा के नजदीक कपसिया ग्राम में कुष्ठ सेवा केन्द्र का उद्घाटन करते समय भाषण; 6 अप्रैल, 1959

और देशों में भी इस रोग की रोकथाम के लिये बहुत कुछ काम हो रहा है जहां नयी नयी चिकित्सा निकलती जा रही है और कई माने में वह सहज होती जा रही है। पहले जब किसी को यह रोग हो जाता था तो उसे डर हो जाता था कि वह कभी अच्छा हो ही नहीं सकेगा। वह डर अब कम हो गया है और जहां पहले वर्षों तक हर दूसरे तीसरे दिन इन्जेक्शन लेना पड़ता था और वह इन्जेक्शन सभी डाक्टर दे भी नहीं सकते थे, खास डाक्टर ही इन्जेक्शन दे सकते थे। अब उसका इलाज करने में और उन्नति हो रही है। मगर इसको ज्यादा महत्व हम इसलिये देते हैं कि इससे नीव मजबूत पड़ती है, काम ठोस होता है और जो कुछ होता है वह सच्चे त्याग की भावना से होता है। इसलिये इसमें मुझे बिल्कुल शक नहीं कि इसका कुछ फल होगा और जल्द ही आप लोग इससे लाभ उठा सकेंगे। इसी लिये इस काम का महत्व है और देश को भी इससे लाभ ही पहुंचेगा। मैं इतना ही आप से अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसे काम में आप पड़ेंगे और दिल लगा कर इसे करते जायें और इधर उधर कहां क्या हो रहा है उस ओर ज्यादा आंख नहीं घुमाकर इस काम को आप पूरा करते जाएं। इससे आपका भी भला होगा और देश का और सब लोगों का बहुत ही भला होगा।

ग्राम निर्माण मंडल, सोखोदेवरा, के कार्यकर्ताओं के बीच भाषण

यह देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस प्रकार का काम हमारे लोग कर रहे हैं। इधर हम लोग अक्सर सुना करते थे कि अब इस तरह के काम में हमारे लोग कम जाते हैं। मगर जब मैं सर्वोदय सम्मेलन में गया था जहां जीवन दान की बात आयी थी वहां पर मैंने देखा कि बहुत उत्साह के साथ बहुत लोगों ने अपना अपना नाम लिखवाया कि वह उसमें शरीक होंगे और काम करेंगे। तो उस वक्त सिर्फ उत्साह का प्रदर्शन मालूम होता था। उस वक्त से न मालूम कितने लोग रह गये जो आज तक काम में लगे हैं। मगर यहां पर, जैसा मैंने देखा और जैसा मैंने कहा, आज दो ही चार आदमी हैं, अधिक नहीं हैं।

मैं बिहार से 1946 में अलग हुआ। यह खुशी की बात है कि लोगों ने इस काम को जरूरी समझा और समझा गया कि इस काम में आपने को लगा देना उत्तम काम है। इसी भावना से लोग इस काम में आ सकते हैं क्योंकि आजकल दूसरे कामों में बहुत किस्म के प्रलोभन, बहुत किस्म के लोगों को मौके मिलते हैं कि कुछ आगे बढ़ें। मगर यह काम ऐसा है जिसमें आदमी कान तो कभी नाम अखबारों में पढ़ने को आता है न उनके नाम बहुत काम, करनेवालों में ही मिलते हैं और न उनका नाम ही बहुत लोगों को मालूम होता है। मगर इसमें आकर लोग और सब चीजों का त्याग तो करते ही हैं, यह जो एक लालच रहता है जो मामूली तौर पर नहीं छूटता, नाम हासिल करने का लालच, उसको छोड़कर इस काम में लोग आते हैं। इसलिये इस किस्म के काम की मैं कद्र करता हूं और मैं समझता हूं कि जिस तरह से यह काम अच्छा है उसी तरह से इसमें काम करनेवाले भी अच्छे होने चाहिये और इसमें आकर शरीक होने का अर्थ है कि जो आदमी आवे वह सब उम्मीदों को छोड़-छाड़ कर उसमें आ पड़े, पथ-शील हो जाये कि किस प्रकार का वह आदमी है, उससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है और वह क्या कर सकता है।

तो इस तरह के काम में दिखाने के लिए बहुत बड़ा नतीजा भी जल्द नजर नहीं आता। मगर इसमें शक नहीं कि जो काम हो रहा है वह ठोस हो रहा है और जो कुछ अभी मैंने देखा उससे मालूम हुआ कि नतीजा भी आप लोग दिखला रहे हैं और अभी कुछ दिनों में, चन्द वर्षों के अन्दर यहां ऐसा मुकाम पैदा हो जायगा

ग्राम निर्माण मंडल, सोखोदेवरा, जिला गया, के कार्यकर्ताओं के बीच सोखोदेवरा आश्रम में भाषण, 6 अप्रैल, 1959

जिसको और जगहों के लोग देखकर बढ़ेंगे और आप और जगहों को उन्नत करने का अपनी तरफ से प्रयत्न करेंगे। मेरी आशा है और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार के केन्द्र बहुतेरे सारे भारतवर्ष में कायम कम से कम हो जायें और कोई गांव ऐसा बाकी नहीं रह जाये जहां उनकी रोशनी नहीं पहुंचती हो।

यों तो दूसरी तरह से प्रत्येक गांव में पहुंचने की कोशिश हम कर रहे हैं मगर उसका तरीका दूसरा है। उसमें हम ऊपर से रोशनी डालने की कोशिश करते हैं, नीचे से रोशनी को उठाने की, कोशिश होती नहीं। उसका भी कोई नतीजा सहज हो गया है कि दवा की पुड़िया लेकर रोगी पांच सात दिनों के लिये जाये और फिर उसे वही पुड़िया दी जायगी। इसलिये पहले जहां हर दूसरे दिन एक डाक्टर 20, 30 आदमियों को देख सकता था, अब वही डाक्टर हजारों आदमी को पुड़िया बांट सकता है।

दूसरे जितने कुष्ठ रोगी थे उनके लिये अलग अस्पताल थे जहां उनका इलाज होता था तो भी रोगी का ठीक इलाज नहीं हो सकता था। वह स्थाल अब खतम हो गया है और अब ज्यादा करके ऐसा स्थाल हो रहा है कि रोगी को घर में ही रहने देना चाहिये, हां वहां पर उसके लिये अलग इन्तजाम होना चाहिये। मगर रोगी के लिये घर छोड़ना जरूरी नहीं है। इसलिये इलाज में जितना फर्क होता जायगा आहिस्ता-आहिस्ता काम सहज होता जायगा। सब से बड़ी दिक्कत कुष्ठ रोगियों के लिये यह थी कि उन्हें घर से निकाल दिया जाता था, समाज से बहिष्कृत हो जाता था और एक तरह से वह बेकार हो जाता था। अब वह हालत नहीं रही और नहीं रहनी चाहिये और अभी इस प्रकार के जो आश्रम हैं उनका सब से जरूरी काम यही है कि जितने कुष्ठ रोग के रोगी हैं उनको समाज में लोगों को समझा कर ऐसा स्थान दिलवायें जिसमें वे समाज में जो मामूली तरह के आदमी होते हैं उनकी तरह रहने लग जायें। यह एक बड़ा काम है। एक तरफ से यह काम हलका होता जा रहा है। यह काम उतना हलका नहीं हुआ है क्योंकि लोगों के दिल में रोगियों के प्रति दुर्भावना अभी बनी हुई है। उसको दूर करने का काम है और जो नये नये तरीके निकलते जा रहे हैं उन तरीकों से चिकित्सा करने से यह बीमारी उतनी कठिन नहीं रह गई है जितनी पहले थी और इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं है। इससे यह उम्मीद होती है कि इस रोग की रोकथाम अच्छी तरह से हो सकेगी। हम से लोगों ने कहा है कि ठीक तरह से, संगठित रूप से काम किया जाय तो 25, 30 साल के अन्दर इस रोग को बिलकुल आराम किया जा सकता है। इसमें कितना समय लगेगा यह

इस बात पर निर्भर है कि जो रोग का इलाज करनेवाले हैं उनको कितना-समय मिलता है ।

आप लोग जिस काम में लगे हुए हैं आपके सामने सब से बड़ा प्रश्न यही होना चाहिये कि किस तरह से देश को इस रोग से मुक्त कर दें । जैसा आपने कहा, आप अभी भी स्वप्न देख रहे हैं कि इस काम को ठीक तरह से आप करें । स्वप्न क्या, उससे भी ज्यादा आप बढ़ गये हैं और आशा करते हैं कि इस इलाके में आप रोग को निर्मूल कर देंगे । सब तरह से आप अपना काम आगे बढ़ायें तभी यह हो सकेगा । मालूम नहीं यह रोग इधर कितना फैला हुआ है । जब से यह आश्रम शुरू हो गया है न मालूम कितने हजार रोगी आये हैं । महीने में ढाई तीन हजार आदमी दवा लेते हैं । इसी तरह से आपका काम अब बढ़ेगा तो लोग दूर दूर से आकर दवा ले जायेंगे । आपके यहां होस्पिटैलाइजेशन की जरूरत नहीं होगी तो आपको अपनी दूसरी शाखाएं 5,7 मील के फ़ासले पर खोलनी चाहियें जहां रोगियों को दवा बांटी जा सके । यह भी हो सकता है कि काम ज्यादा फले और आपको गांव गांव में दवा बटवानी पड़े । इससे अच्छी तरह से सब लोग दवा ले सकेंगे । इसके लिये काम करनेवालों की तादाद बढ़ानी पड़ेगी मगर आपको जरूरत पैसे की होगी । खास करके गांव के लोगों को समझाना होगा कि यह रोग उतना भयंकर नहीं कि रोगी को घर से निकाल देना जरूरी हो ।

मैं जहां तक समझता हूं, बड़े पैमाने पर काम हो रहा है । गान्धी स्मारक निधि की तरफ से यह काम तो हो ही रहा है । गवर्नमेंट की तरफ से मदद देने का निश्चय हो गया है और जहां-जहां इस तरह का काम होता है वहां मदद मिलती है । प्रान्तीय सरकार भी मदद देती है । जहां आश्रम खोले गये हैं वहां सरकारी मदद मिलेगी । मैं आशा करता हूं कि आपका यह काम फैलेगा । आपके घबड़ाने की बात नहीं है । जैसे-जैसे काम होता जायगा आपको मदद भी मिलती जायगी ।

और ज्यादा मैं क्या कहूं । आपने याद दिलाया कि दस्युपुर मैं गया था, वहां मेरे हाथों से काम शुरू हो गया और अच्छा हो रहा है । उसी तरह से मैं इत्तिफाक से यहां पहुंच गया हूं । काम तो आपको ही करना है । मैं जानता हूं कि काम को आप आगे बढ़ायेंगे और इस इलाके से इस रोग को आप बिल्कुल निर्मूल कर सकेंगे जिसमें आप यह कह सकें कि यहां कुछ रोग नहीं है ।

सोखोदेवरा आश्रम में बिहार प्रान्त के रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं के सम्मुख भाषण

डा० जकीर हुसैन साहब, बहनों और भाईयो,

जैसा कि मैंने कल कहा था, मुझे यहां आकर बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला। आज जो दो घंटे से सब जगहों पर जो काम हो रहे हैं उनका वर्णन सुन रहा था। उससे उत्साह बढ़ता है और यह जानकर खुशी है कि कई तरह से कई संस्थाओं द्वारा बहुत जगहों पर काम हो रहा है। और वह काम एक तरह से स्वावलंबन का ही काम है, जिससे लोगों में स्वावलंबन की भावना जागृत होती है और सब बातों के लिए दूसरों की तरफ हममें देखने की आदत न पड़ने पावे। इस तरह का काम हो रहा है। यह आपने बड़ा अच्छा किया कि सभी संस्थाओं का एकीकरण न करके सब को अपनी-अपनी जगह पर काम करने देना आपने अच्छा समझा है। मगर सब की एक सम्मिलित संस्था ऐसी बना ली है जिसमें सब को सबकी रिपोर्ट बराबर मिलती रहे और सब का कार्यक्रम मिलजुल कर आपस में राय बात करते रहें और देखते रहें कि एक ही काम में दो आदमी लगकर शक्ति का दुरुपयोग नहीं होने पावे। और आपस में झगड़ा भी न हो। इस तरह के काम के लिए क्षेत्र इतना बड़ा सारे देश में पड़ा हुआ है कि संस्थाओं के बीच में सच्चे माने में प्रतियोगिता हो तो ठीक है। मगर झगड़े की भावना से यह चीज होना खराब है। इसमें प्रत्येक को एक दूसरे के साथ इस प्रकार से विचार-विनिमय करके काम को बांट लेना है। यह एक तरह का होड़ कोई खराब नहीं है कि अपने-अपने काम को खूबी के साथ बताये कि कितना आगे बढ़ा है उसको देखे और कुछ अपना दिखलाये— तो यह ठीक है। इसमें खराबी तभी आती है जब एक दूसरे को नीचा दिखलाने की दुर्भावना पैदा होती है। इससे बचने के लिए आपने निश्चय किया है, यह खुशी की बात है।

आपने बहुत तरह के काम के सम्बन्ध में यहां पर रिपोर्ट दी। मेरी दिलचस्पी इन में से बहुत कामों में रही है। और एक-एक के सम्बन्ध में हमको यह सुनकर खुशी हुई कि सब तरफ आपका ध्यान गया है। आखिर में उपाध्यायजी ने बेसिक एज्युकेशन के सम्बन्ध में कहा है। वह भी एक ऐसी चीज है जिस पर हम लोगों का ध्यान जितना चाहिए था, नहीं गया। एक जमाना था जब हम इस बात का गर्व करते थे कि बिहार में बेसिक एज्युकेशन का जैसा प्रयोग और प्रचार हुआ

सोखोदेवरा आश्रम, गया में बिहार प्रान्त के रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं के सम्मुख
भाषण; 6 अप्रैल, 1959

है वैसा और प्रान्तों में नहीं हुआ है। मैं खुश होता अगर आज हम यह कह सकते कि आज हम सब से बड़े हुए हैं। और जगहों के बारे में मैं कम जानता हूँ, यह भी यदि मैं कहूँ कि जैसी बुनियादी तालीम की प्रगति होनी चाहिए, वैसी प्रगति किसी कारण से नहीं हुई है, यह दुःख की बात है। जो रिपोर्ट मिली है, उससे मेरे ऊपर जो असर पड़ा है, वह यह है कि हम लोग अक्सर कर के बुनियादी तालीम का जो असली मकसद था, वह भूल जाते हैं। और ऐसी चीज को लाते हैं, जो मकसद से बाहर की चीज है। इस तरह से बुनियादी तालीम अधिक लाभप्रद नहीं होगी। और जो बुनियादी तालीम की सच्चाई को माननेवाले हैं, जिनमें आपके गवर्नर साहब सब से ऊंचे हैं, वे इस बात को जानते हैं कि इसके जरिये से हमारे रचनात्मक काम क्या हैं, सब की बुनियाद इस में डाल सकते हैं। और इसके जरिये से सब की बुनियाद मजबूत कर सकते हैं। इसलिए उसकी ओर ज्यादा ध्यान जाय और उसके सच्चे माने में काम किये जाए। सिर्फ इतना ख्याल किया जाए कि निर्माण के लिए सिर्फ स्कूल और कालेज खोलने से काम नहीं चलेगा। जब बच्चे पढ़कर के निकलेंगे तो उनके अन्दर उसकी सफलता देखने को आयेगी। गांधीजी सब को खट्टर पहनाना चाहते थे। तो गांधीजी से पूछा गया कि उसका कितना प्रचार हुआ, यह कैसे जाना जायेगा तो गांधीजी ने कहा कि इसका हिसाब लगाना जरूरी नहीं है। खादी का प्रचार इससे जाना जायेगा कि जहां के लोग खादी पहनेंगे, वहां समझना चाहिये कि खादी का प्रचार हुआ और जहां इस तरह से खादी नहीं मालूम हो, वहां समझना चाहिए, खादी का प्रचार नहीं हुआ। उसी तरह से बुनियादी तालीम के जरिये तालीम पाये हुए लोगों के सम्बन्ध में रिपोर्ट के जरिये से उनके बारे में जानने की बात नहीं होनी चाहिए। उनके तौर-तरीके, रहन-सहन आदि से यह मालूम हो जाना चाहिए कि बुनियादी तालीम के द्वारा तालीम पाये हुए लोग दूसरे तरीके से शिक्षा पाये हुए लोग हैं।

खादी के सम्बन्ध में आप लोगों ने प्रयोग किये, प्रगति की है और इस में प्रगति होनी ही चाहिए। यहां पर हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप लोग जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें सिर्फ खरीद-बिक्री की चीज न मानकर के उसे जीवन का अंग मानना चाहिए। गांधीजी का विचार था कि चरखा सारे कार्यक्रमों का केन्द्र-बिंदु है। और सब व्यावसाय तारे के समान हैं। और चरखा सूर्य के समान है। रूपक के रूप में वे कहते और लिखते थे। जिसका अर्थ यह था कि चरखा एसी चीज है जो हमारे जीवन को बदल दे, हमारे ख्यालों को बदल दे। गांधी जी यह भी कहते थे कि भूखा रहकर कोई आदमी काम नहीं कर सकता है। भूखे आदमी को ईश्वर की बात कही जाय, तो उससे उसे ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता।

उसको तो रोटी के रूप में ही ईश्वर का दर्शन हो सकता है। उसे खाना, कपड़ा, रहने के लिए साफ-सुथरा घर—सब आवश्यक हैं। मगर हम जब जीवन के स्तर को ऊंचा करने पर ही जोर देते हैं, तो उसका नतीजा यह होता है कि हर आदमी अपने घर में मोटर कार, रेडियो इत्यादि रखना चाहेगा। अभी हिन्दुस्तान में तो नहीं हुआ है, अमेरिका में लोग घर-घर में रेफ्रिजरेटर और टेलिविजन भी हो—ऐसा चाहते हैं। मगर उन चीजों का उपयोग कर सके, उसके लिए साधन भी चाहिए। जैसे घर-घर में बिजली के तार का प्रबन्ध होना चाहिए नहीं तो घर-घर बिजली के पंखे कैसे चलें ? इसीलिए तुलसीदासजी ने कहा—“जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकायी” जैसे-जैसे लोगों को चीजें मिलती हैं, लोभ अधिक बढ़ते जाते हैं। एक चीज आदमी चाहता है। वह चीज मिल जाने पर दूसरी चीज, तीसरी चीज को चाहने लगता है। इस तरह मनुष्य कोई सन्तोष नहीं पा सकेगा। सन्तोष बाहर से लाकर कोई किसी में नहीं दे सकता है। सन्तोष हृदय की चीज है, दिमाग की चीज है—वह बाहर से लायी हुई चीज नहीं हो सकती। जिन चीजों से आराम होता है, उनको पाकर ही लोग सन्तुष्ट नहीं हो सकते हैं। और लोग नाराज रहते हैं। यद्यपि उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। जीवन निर्वाह के लिए थोड़ी ही चीजें हीती हैं। और सब चीजें तो बाह्य की चीजें हैं। हम चाहते हैं कि भारतवर्ष जैसे देश में, जो एक गरीब देश है, लोगों के जीवन का स्तर बढ़े। मगर लोग उन चीजों के गुलाम न बन जाएं। अगर लोग उनके गुलाम बनेंगे तो नतीजा यह होगा कि जो सन्तोष की भावना हमारे दिलों में है और जिसके बल पर हम जीवित हैं, वह कमजोर होते जायेगी। और संतोष जिससे आदमी सुखी हो सकता है, हमारे पास नहीं रहेगा। उस वक्त हमारी हालत ऐसी होगी कि हम अगर चाहें भी तो सब के लिए सुख का साधन नहीं जुटा सकेंगे। तो नतीजा केवल असन्तोष ही हो सकता है। दूसरा कुछ नहीं हो सकता। यह एक पश्चिमी विचार है कि असन्तोष दैवी देन है। मैं मानता हूँ कि असन्तोष से आदमी सुखी नहीं रह सकता। जीवन के लिए जो चीजें आवश्यक हैं, उनकी कमी दूर करनी चाहिए। लेकिन जीवन का आदर्श जब तक संतोष नहीं होगा, आदमी तब तक सुखी नहीं रहेगा—यह होना चाहिए। जबतक संतोष नहीं है, तब तक मनुष्य सुखी नहीं हो सकता है।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि ग्रामोद्योग का काम बढ़े। उसका प्रचार हो और ये चीजें जहां तक आप कर सकते हो, कर के सन्तोष रखें। गांव में जितना आप पैदा कर सकते हैं पैदा करें। ज्यादा पैदा करने की वहां गुंजाइश नहीं है, और गांव के लोग चाहें कि हम वहां मोटर पैदा कर लें तो मुश्किल

है। इसको मानना पड़ेगा कि जितना हम पैदा कर रहे हैं उसमें सुख से रह सकें और हम सुख से रह सकते हैं और इस तरह के जीवन में बहुत तरह की मदद हमें ईश्वर से मिलती है। मैं चाहूंगा कि आप सबका यह काम होना चाहिए कि खुद संतुष्ट रहें और उस भाव को बढ़ाते जाएं। संतोष का अर्थ यह है कि लोगों को गिरफ्तार नहीं बनना चाहिए। पुरुषार्थ करते ही रहना चाहिए क्योंकि यह जरूरी है। उसके बगैर कोई काम वहां नहीं हो सकता है। मगर परिश्रम के बाद यह सोचना कि हम यह करना चाहते थे वह करना चाहते थे वह नहीं हुआ यह नहीं हुआ यह बात बेकार है। मैं चाहता हूं कि आप यह काम जो कर रहे हैं उसको इस तरह से बढ़ाएं कि जिसमें गांव-गांव में लोगों के अन्दर लोगों की उन्नति की भावना पैदा हो मगर साथ-साथ संतोष भी रहे। वहां आप जो कुछ कर सकते हैं लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए जो जरूरी समझें करें, शिक्षा का प्रचार, खाने-पीने, रहन-सहन आदि ऊंचा करने के लिए सब कुछ करें मगर साथ-साथ हृदय में संतोष की भावना हो। और वह तभी हो सकता है जब आदमी आत्मनिर्भर रहे। ऐसा सोचना कि यह चीज दूसरे के पास है और हमारे पास भी हो यह जो चीज दूसरे के पास है, उसे मांग लेने या छीन लेने की भावना आ जाय तो उससे असंतोष पैदा होता है।

और संतोष पैदा होने से आदमी सुखी नहीं रहता है। मैं चाहूंगा कि आप सबको सुखी रखें, उन्नत करें, जो काम आप कर रहे हैं उसको बढ़ाते जाएं, लोग बेकार और काहिल नहीं बनें, काम करें और अपने को संतुष्ट करें।

मैं एक चीज और कहना चाहता था। यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। आपकी जो गैर-सरकारी संस्थाएं हैं और सरकारी संस्थाओं में ऐसा मौका नहीं आना चाहिये कि एक दूसरे के प्रति दुर्भाव पैदा हो। इस बात की होड़ होनी चाहिए कि कौन कितना काम करता है, पर इससे ज्यादा दूसरे किस्म की होड़ नहीं होनी चाहिए। और सरकारी तथा गैर-सरकारी सरकारों में हर मौके पर सहयोग होना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि वह सहयोग हो रहा है। गवर्नमेंट के लिए यह जरूरी है कि वह जितनी मदद कर सके गैरसरकारी संस्थाओं को करे। बल्कि उसका यह धर्म और कर्तव्य है कि वह उन्हीं संस्थाओं की मार्फत कराए, उनको इतनी मजबूत बनाए कि अलग से संस्था स्थापित करने की जरूरत नहीं पड़े। इसमें कोई शक नहीं कि भावना के साथ जो लोग काम करते हैं, उनके बराबर वह काम नहीं जो नौकरी की भावना के साथ काम होता है। जो सेवा-भावना के साथ काम होता है उसकी कीमत होती है,

उसका मूल्य ज्यादा माना जाता है बनिस्पत उस काम को जो वेतन की भावना से काम करे। जो इस तरह की गैर-सरकारी संस्थाएं हैं, जो अपने बल पर काम करती हैं, गवर्नमेंट का यह काम है कि उनको पूरी तरह से मदद दें और आप लोगों का काम है कि इस तरह से काम आप करें कि आपको कम से कम गवर्नमेंट की मदद लेनी पड़े। आप इसमें इतना काम करें कि गवर्नमेंट खुद-ब-खुद आपको कहे कि यह काम संभालो। यह नाम आप हासिल कर लेंगे तो गवर्नमेंट को मजबूर होकर आपको मदद करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट से मैं कहूंगा कि जहां मौका है आपकी मदद किया करे। इस तरह से दोनों तरफ से काम होता रहेगा तभी काम ठीक होगा। दो भाई एक घर में रहते हैं, अपना अपना काम करते हैं, और उसका नतीजा यह होता है कि घर उन्नत होता है। दोनों अपने तरीके से काम करें बगैर दुर्भावना से। आप लोगों का काम है कि अपना काम बढ़ावें।

मैं इस संबंधी और एक चीज कहना चाहता था। गवर्नर साहब तो हैं मगर गवर्नमेंट ही और कोई नहीं है। अगर कोई जरिया हो जिससे यह नतीजा लगाया जाय कि खादी संस्थाओं को जिनको उनके साथ सीधा संपर्क है उनमें कितने रुपये लगाये गये, कितना खर्च हुआ, कितना लाभ हुआ, और गैर-सरकारी संस्थाओं में कितने रुपये लगे, कितना वहां खर्च हुआ और उनसे कितना लोगों को लाभ पहुंचा? तो इस तरह के मुकाबले से दोनों का फायदा होता। इस तरह का असेसमेंट करने का कोई जरिया हो तो अच्छा होगा। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता होगा मगर इसका नतीजा यह होता कि कितना खर्च पड़ा, लोगों को कितना फायदा पहुंचता है और किस हद तक पहुंचता है यह सब मालूम हो जाता। इससे यह भी मालूम होता कि गवर्नमेंट ऐसी संस्थाओं से काम कराती है जो ज्यादा जिस पर ज्यादा खर्च होता है, या गैर-सरकारी संस्थाओं के जरिए से लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचता है। यह सब मालूम हो जाता।

मैं दूसरा और क्या कहूँ बहुत दिनों के बाद आप सबको एक साथ मिलने का मौका मुझे मिला इस बात की खुशी मुझे हुई है। मैं डरता था कि यहाँ काम ढीला पड़ गया है, दूसरे का दोष इसमें नहीं है, बल्कि इसमें मेरा अपना ही दोष है जिस से मैं डरता था कि काम ढीला पड़ गया है। पर यह जानकर कि काम आगे बढ़ रहा है इससे मुझे खुशी हुई।

भारत साधु समाज का शिलान्यास

भारत साधु समाज की जब से स्थापना हुई है इस संस्था में मेरी दिलचस्पी रही है। साधु सन्तों के प्रति मेरे दिल में आदर की भावना है। इसलिये उनके संगठन तथा कल्याण और उनके द्वारा समाज के कल्याण के लिये संगठित इस संस्था की उन्नति मैं हृदय से चाहता हूँ। गत चार पांच वर्षों से आपके समाज ने विभिन्न वर्गों और सभी क्षेत्रों के साधु लोगों के लिये एक मंच तैयार कर दिया है। जो लोग अभी तक सार्वजनिक जीवन से प्रायः तटस्थ रहे थे, उनमें जागृति पैदा करना और स्वाधीन भारत द्वारा राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य में योगदान देने का प्रयत्न करना, यह भी काफी बड़ा काम है। मुझे प्रसन्नता है कि इस प्रारम्भिक कार्य में साधु समाज को पर्याप्त सफलता मिली है। साधु समाज के केन्द्रीय कार्यालय के लिये भवन निर्माण का निश्चय इस बात का प्रमाण है कि आप की रुचि इस रचनात्मक कार्य में बराबर बढ़ती जा रही है और सार्वजनिक सेवा के कार्यक्रम को साधु समाज अपने जीवन का एक स्थाई अंग बनाना चाहता है। इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ और प्रस्तावित भवन के शिलान्यास के लिये आपके कृपापूर्ण आमन्त्रण के लिये आभार प्रकट करता हूँ।

जिन उद्देश्यों को सामने रख कर भारत साधु समाज की स्थापना की गई है और जिन पर आपने समाज की नियमावली में स्पष्ट रूप से बल दिया है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति ही नहीं बल्कि उन्हें प्राप्त करने की दिशा में गम्भीर तथा आयोजित प्रयत्न भी भारत के साधु वर्ग तथा राष्ट्र के लिये श्रेयस्कर हैं। ये उद्देश्य भारत की निर्माण योजनाओं और राष्ट्र के रचनात्मक कार्यक्रम के अनुरूप हैं। इसलिए मैं समझता हूँ इन उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में जो भी सक्रिय प्रयास किया जायेगा उसे राष्ट्र निर्माण के कार्य में साधु समाज का योगदान समझा जायेगा। साधु समाज के नेताओं तथा पदाधिकारियों ने निश्चय ही समाज के उद्देश्यों, राष्ट्र की आवश्यकताओं और निजी साधनों को ध्यान में रख कर अपने लिये कार्यप्रणाली निर्धारित की होगी। मेरा विश्वास है कि आप उस योजना के अनुसार देश भर में रचनात्मक कार्य करने के लिये उत्सुक हैं। फिर भी इस सम्बन्ध में एक हितैषी और आपका शुभचिन्तक होने के नाते मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आप उन पर विचार कर उन्हें अपने कार्यक्रम में समन्वित करने का प्रयत्न करेंगे।

सब से पहले और शायद सबसे महत्वपूर्ण कार्य सार्वजनिक शिक्षा का है। आपने अपने विधान में भी शिक्षा को उच्च स्थान दिया है। आप में उत्साह है, भारत साधु समाज के भवन का शिलान्यास करते समय भाषण; 4 मई, 1959।

प्रेरणा है और ईश्वर की दया से आपके पास साधन भी हैं। जहाँ कहीं भी आप लोग रहते हों, जनता से आपका कुछ सम्पर्क रहता ही है। इसलिये शिक्षा का कार्य आप लोग आसानी से कर सकते हैं। यह सुझाव विचित्र नहीं, बल्कि भारतीय परम्परा के पूर्ण रूप से अनुरूप है। हमारे मन्दिर, देवालय और धार्मिक स्थान प्राचीन काल से शिक्षा के केन्द्र रहे हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधि का शिक्षण कार्य से विशेष महत्व इसी देश में नहीं बल्कि संसार के अधिकांश देशों में सदा से रहा है। यदि प्राचीन गुरुकुलों का स्थान आधुनिक देवालय अथवा मठ ले सकते हैं तो निःसंदेह प्राचीन-कालीन गुरु परम्परा के अधिकारी आप लोग हैं। मैं चाहूँगा कि प्रत्येक राज्य में जहाँ कहीं भी साधु समाज की शाखा हो आप लोग यथाशक्ति अधिक से अधिक शिक्षण कार्य को फैलाने का यत्न करें और इस प्रकार अज्ञान के निराकरण में सहायता करें। राष्ट्रनिर्माण और धार्मिक तथा आध्यात्मिक प्रगति की दृष्टि से इस कार्य का बहुत महत्व है। याद रहे कि शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान को ही नहीं कहते। बल्कि अक्षर ज्ञान तो एक छोटा सा शिक्षा का रूप है। शिक्षा का सच्चा अर्थ है तन मव और चरित्र का संतुलित विकास और यह काम बताने से अधिक उदाहरण द्वारा हो सकता है। आपका यह विशेष काम रहना चाहिए और उसी में आपके समाज की महानता और उपादेयता है। साधारण जनता में आप लोगों का प्रभाव और आदर सत्कार है। आप लोग निजी उदाहरण से और सदुपदेश द्वारा जनता के नैतिक तथा आध्यात्मिक जीवन को ऊपर उठा सकते हैं। यह आपके समाज का लक्ष्य भी है। यद्यपि हमारा देश चहुँमुखी उन्नति कर रहा है और राष्ट्र के भौतिक साधनों का पूर्ण विकास हो रहा है, फिर भी अभी हम कल्याण राज्य की स्थापना के ध्येय से काफी दूर हैं। देश में कहीं कहीं अभाव और जीवन संघर्ष के कारण असन्तोष हो सकता है। इन्हीं परिस्थितियों से अनैतिक व्यवहार तथा भ्रष्टाचार की उत्पत्ति होती है। आप अपने प्रभाव द्वारा इन प्रवृत्तियों का समाधान कर सकते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आपके सम्पर्क से जनता को सदाचार और सद्व्यवहार की प्रेरणा मिलनी चाहिये। यदि आप लोग इस दिशा में भरसक प्रयत्न करें तो विश्वास है कि चोरबाजारी, मिथ्याचार, भ्रष्टाचार आदि की शक्तियों को पनपने का अधिक अवसर नहीं मिलेगा।

तीसरे, एक और बात है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। आप में से अधिकांश लोग देहातों में अथवा शहरों से बाहर गावों में रहते हैं। आप जानते हैं कि भारत के देहातों में ग्राम सुधार का काम कुछ वर्षों से जोरों के

साथ चल रहा है। यह काम सामुदायिक योजना-सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है। भारत-ग्राम-प्रधान देश है। अभी भी यहां की ७० प्रतिशत जनता ग्रामों में रहती है और ७० से भी अधिक प्रतिशत लोग खेती अथवा खेती से सम्बन्धित व्यवसायों द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिये देहाती जीवन को उन्नत करना और ग्रामों की दशा में सुधार करना हमारे आर्थिक आयोजन का मुख्य अंग है। इस कार्यक्रम की सफलता द्वारा ही हम देश को ऊपर उठा सकते हैं और उस नवयुग को जिसके अभ्युदय के स्वप्न हम देखते आये हैं निकट ला सकते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य में साधु समाज कुछ सहायता दे सकता है। शिक्षा प्रचार अथवा सदुपदेश द्वारा ही नहीं बल्कि ग्रामीण जनता के नैतिक नेतृत्व द्वारा आप उन लोगों की भौतिक तथा सामाजिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। देहातों में आपके सम्पर्क तथा प्रभाव का ऐसा सदुपयोग होना चाहिए कि सामुदायिक कार्यक्रम को उससे प्रोत्साहन तथा पथ-प्रदर्शन प्राप्त हो। आपका निःस्वार्थ जीवन और धर्म-निष्ठा भारतीय ग्रामीण जनता के लिये सत्प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। मेरे विचार से इन दिव्य गुणों की और साधु समाज की इसी में सार्थकता है कि उस प्रेरणा को राष्ट्र-निर्माण तथा मानवोन्नति के शुभकार्य में प्रयुक्त किया जाए।

आप जानते हैं कि आज का युग राजनीतिक युग है। इसे आर्थिक युग भी कहा जाता है, किन्तु आधुनिक अर्थशास्त्र भी राजनीति शास्त्र का एक अंगमात्र है। इसलिये इसमें कोई आश्चर्य नहीं यदि हमारे देश में भी राजनीतिक क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया हो कि सभी सार्वजनिक गतिविधियां उसमें समा गई हों। यह बात अनिवार्य रूप से बुरी नहीं, किन्तु इसके कारण राष्ट्र की दूसरी गतिविधियों को इतना प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। मेरा संकेत विशेष रूप से समाज सुधार के कार्य की ओर है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उचित सामाजिक व्यवस्था ही स्वस्थ राजनीति की नींव डाल सकती है। हमारा समाज निःसंदेह प्राचीन है। अनेकों त्रुटियां होते हुए भी इसमें कुछ ऐसे गुण और शक्तियां विद्यमान हैं जो किसी भी समाज के लिये गर्व का विषय होंगी। किन्तु हमें अपने आपको आधुनिक युग के अनुकूल बनाना है। त्रुटियों को दूर करते हुए और गुणों को प्रोत्साहित करते हुए हमें आधुनिकता को अपनाना है। यह काम सामाजिक कार्यक्रम के अन्तर्गत समझना चाहिये और इसमें राष्ट्र को साधु समाज के सहयोग की आवश्यकता है। आप लोगों की शिक्षा दीक्षा और आपके सद्विचार आपको इस दिशा में आगे बढ़ने के लिये आमन्त्रित करते

हैं। मेरी यह धारणा है कि राजनीतिक कार्य की अपेक्षा सामाजिक कार्य आपकी प्रतिभा और विचारधारा के अधिक अनुकूल है। ऐसा करने से ही आप इस धारणा को निराधार सिद्ध कर सकते हैं कि साधु लोग समाज का उपयोगी अंग नहीं हैं। आपके सामने सुअवसर है और आपका संगठन कार्य का उत्तम माध्यम है। अब यह आप के हाथ में है कि साधु समाज का भविष्य उज्ज्वल हो अथवा अंधकारमय। आप अपने उद्देश्यों के अनुसरण द्वारा और जो सुझाव मैंने ऊपर दिये हैं उन्हें अपना कर राष्ट्र का कल्याण ही नहीं बल्कि साधु समाज की उपादेयता का प्रमाण भी दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में, राष्ट्र का हित ही आपका अपना हित है। मुझे पूर्ण आशा है कि साधु समाज निर्धारित कार्यक्रम पर चल कर राष्ट्र निर्माण के महान यज्ञ में उचित आहुति देने में समर्थ होगा।

मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि मैं आपके भवन के शिलान्यास के शुभकार्य के लिये यहां आ सका और इस अवसर पर साधु जनों के दर्शन कर सका। मैं साधु समाज के प्रति अपना आदर भाव तथा शुभकामनाएं प्रकट करता हूं।

खरीफ उत्पादन आन्दोलन के अवसर पर

पिछले साल रबी की फसल का उत्पादन बढ़ाने में अपनी महन्त प्रयत्नों के बल पर हमें जो सफलता मिली, वही इस बात का प्रधान कारण है कि हम खरीफ की पैदावार को बढ़ाने के लिये भी उसी तरह के यत्न करें। रबी की पैदावार में जो वृद्धि हुई वह हमारे धाटे को पूरा करने के लिये काफी थी या नहीं या उस वृद्धि के कारण हम निकट भविष्य में अनाज के मामले में आत्म-भरित होने के आदर्श को प्राप्त कर सकेंगे या नहीं—इस समय इन सवालों का हमारे लिए विशेष महत्व नहीं है। जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि देश भर में अनाज का उत्पादन बढ़ाने का पूरा यत्न किया जाय।

जब हम इस समस्या के उन पहलुओं पर विचार करते हैं जिनसे पैदावार का सम्बन्ध है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सफलता की कुंजी उन्हीं सब बातों पर ध्यान देने में और पूरी मेहनत के साथ उन पर अमल करने में है। देश की आवश्यकता के अनुसार अनाज पैदा करने और जो स्थिति इस समय हमारे सामने है उसका मुकाबला करने का यही उपाय है।

पिछले साल इस काम में हमें जो सफलता मिली उससे हमारी हिम्मत बढ़ी है। आइये इस वर्ष भी खरीफ की फसल को बोने और तैयार करने में हम उसी परिश्रम और तत्परता से काम लें। पिछली फसल में हमें जो अनुभव हुए हैं उनकी सहायता से इस बार के प्रयत्नों से हमारी सफलता और भी अधिक होनी चाहिए। एक और अच्छी बात इस वर्ष यह है कि जहां रबी उत्पादन आन्दोलन कुछ सीमित था और देश के कुछ भाग किन्हीं कारणों से अछूते छोड़ दिये गए थे, खरीफ उत्पादन आन्दोलन सच्चे अर्थों में देश-व्यापी होगा और इसमें भारत के सभी राज्य और केन्द्रीय शासन के अधीन प्रदेश भी शामिल होंगे।

हमारे देश में खरीफ की प्रधान फसल धान की होती है और देश के सबसे बड़े भाग में चावल पैदा किया जाता है। देश भर में कोई ऐसा राज्य या प्रदेश नहीं जिसमें धान न पैदा किया जाता हो और जहां के लोग थोड़ी या अधिक मात्रा में चावल न खाते हों। इसलिये धान की गिनती हमारी सबसे महत्वपूर्ण फसलों में होती है। इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें कोई कसर उठा नहीं रखनी चाहिए।

इसलिये अपने किसान भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं कि वे देश भर की अनाज की आवश्यकता को पूरा करने का विशेष यत्न करें, जिससे कि हमें विदेशों

से अन्न मंगाने की जरूरत न रहे। भूमि से आवश्यक मात्रा में अनाज पैदा करने का महत्वपूर्ण काम उन्हीं के जिम्मे है। इस काम में उनकी सहायता करने का सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रबन्ध किया है। अच्छे बीज देने और खेती के सुधरे हुए तरीकों के बारे में सलाह और सहायता देने का, सुधरे हुए औजारों का प्रयोग समझाने और सिंचाई के जो साधन हैं उनका पूरा-पूरा इस्तेमाल सुझाने का सरकार ने बन्दोबस्त किया है। इसमें विशेष महत्व की बात हरी खाद का इस्तेमाल है। हरी खाद किसान स्वयं खेतों में उगा सकते हैं और उससे भूमि को उपजाऊ बना सकते हैं। हरी खाद पर जोर हमारे आन्दोलन का मुख्य अंग होना चाहिए।

अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए किसानों की पूरी मदद की जाए, इसके लिये सरकार बहुत ही उत्सुक है। इसका एक प्रमाण यह है कि सरकार ने लाखों की संख्या में ग्राम-सहायकों को ट्रेनिंग दी है जो किसानों की जरूरतों को समझेंगे और खेतिहरों और सरकारी दफ्तरों के बीच की कड़ी बन सकेंगे।

खेती के काम में लगे भाइयों और बहनों से और विभिन्न राज्यों के कृषि विभागों के कर्मचारियों से मैं यह अपील करता हूँ कि वे इस उत्पादन आन्दोलन को सफल बनाने के लिये एक दूसरे का हाथ बटायें। कृषि विभाग का यह कर्तव्य है कि खेती के सुधरे हुए तरीकों और अनुसन्धानों का निचोड़ वे खेतों में काम करने वाले किसानों तक पहुंचायें। इन तरीकों और अनुसन्धानों को अपनाने और खेती के दैनिक काम काज पर लागू करने का जिम्मा किसानों का होगा। यदि यह सब किया जा सके और खेती के सम्बन्ध में सारा काम समय से हाथ में लिये जाने का यत्न किया जाय, तो मुझे विश्वास है कि इस वर्ष हम पिछली रबी की फसल की अपेक्षा अधिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे।

मैं किसान भाइयों और बहनों का अभिनन्दन करता हूँ और उनकी सुख समृद्धि की कामना करता हूँ।

बिरला विद्यामन्दिर का वार्षिकोत्सव

मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस वर्ष बिरला विद्यामन्दिर के वार्षिक दिवस के अवसर पर मैं यहाँ आ सका। यह निमन्त्रण मुझे पहले वर्षों में भी मिला, किन्तु मैं किसी न किसी कारण से उसे स्वीकार करने में असमर्थ रहा। मैं आपका आभारी हूँ कि इस वर्ष फिर आपने इस उत्सव में भाग लेने के लिये मुझे आमन्त्रित किया।

मैंने विद्यालय की गतिविधि और उससे वार्षिक विवरण को ध्यान से सुना। मुझे खुशी है कि यह विद्यालय बराबर प्रगति कर रहा है। मैं आशा करता हूँ कि जो बच्चे यहाँ से पढ़कर निकलेंगे वे ज्ञानोपाार्जन की दृष्टि से ही सफल विद्यार्थी नहीं होंगे बल्कि सद्व्यवहार और चरित्र-निर्माण की दृष्टि से भी उन्नत कहलाने योग्य होंगे। इस सफलता पर मैं अध्यापकों और विद्यार्थियों तथा विद्यालय से सम्बन्ध रखने वाले सभी महानुभावों को बधाई देता हूँ।

पब्लिक स्कूलों के सम्बन्ध में मेरी जानकारी बहुत अधिक नहीं, किन्तु फिर भी मैं कह सकता हूँ कि कुछ वर्षों से मुझे कई एक अच्छे पब्लिक स्कूलों का व्यक्तिगत अनुभव हुआ है। इन स्कूलों में केवल पढ़ाई पर ही जोर नहीं दिया जाता बल्कि विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास का यत्न भी किया जाता है। पाठ्य-क्रम के अतिरिक्त साधारण अध्ययन, खेल-कूद, अनुशासन और चरित्र-निर्माण पर भी पूरा-पूरा बल दिया जाता है। हम प्रतिदिन अनुभव करते जा रहे हैं कि विद्यार्थियों का शिक्षकों से कम सम्पर्क के कारण केवल उनकी शिक्षा में ही कमी नहीं होती बल्कि अनेक प्रकार के सामाजिक प्रश्न और समस्याएँ खड़ी होती जाती हैं। यह एक स्वयं-सिद्ध सिद्धान्त मान लेना चाहिए कि जितना ध्यान बच्चे पर गुरु दे सकेगा उतना ही उसका शिक्षण सफल होगा। हमारे प्राचीन गुरुकुलों की सफलता की कुंजी इसी में थी, यद्यपि उस प्रणाली का विस्तार बहुत नहीं था। माता पिता के खर्च करने का भी प्रश्न इस जटिल रूप में सामने नहीं आता था जैसा आज देखने में आता है। आज के पब्लिक स्कूलों में विद्यार्थी के सीमित संख्या में रहने और इन संस्थाओं के साधन काफी होने के कारण प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देना सम्भव होता है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि देश भर में सभी जगह पब्लिक स्कूल काफी लोकप्रिय हैं, यहाँ तक कि जितने बच्चे उनमें प्रविष्ट होना चाहते हैं उतने नहीं लिये जा सकते और बहुतों को निराश होना पड़ता है या इन्तजार करना होता है। यह सब इन स्कूलों की उपयोगिता और सफलता का प्रमाण है।

बिरला विद्यामन्दिर के वार्षिक उत्सव के अवसर पर भाषण; 30 मई, 1959

इसके साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि इन स्कूलों में शिक्षा व्ययसाध्य है। धनी मां बाप ही अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेज सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ शायद ही कोई ऐसा पब्लिक स्कूल होगा जिसमें एक बच्चे पर खर्च 100 रुपये प्रति मास से कम आता हो। इसीलिए कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि भारत जैसे गरीब देश में ऐसे स्कूलों के लिए कम से कम अभी स्थान नहीं है। उनका कहना है कि इन स्कूलों के कारण बच्चे दो श्रेणियों में बट जाते हैं, अमीर और गरीब, और सार्वजनिक शिक्षा की दृष्टि से ऐसा विभाजन अच्छा नहीं।

मैं नहीं कह सकता कि यह विचार कहां तक युक्तिसंगत है, किन्तु यह मानना होगा कि सरकार के लिए ऐसे स्कूलों को अनुदान देना वास्तव में विवाद का विषय बन सकता है। जहां तक शिक्षा प्रसार का सम्बन्ध है, सरकार का ध्यान इस समय निरक्षरता के निवारण की ओर लगा है यद्यपि टेक्नीकल शिक्षण और विश्वविद्यालय शिक्षा की उन्नति के लिए भी यथासाध्य यत्न किया जा रहा है। इस आवश्यक काम के लिए भी जितना धन हमें चाहिये उतना अभी उपलब्ध नहीं है। ऐसी अवस्था में ऐसे स्कूलों को अनुदान देना जिनमें केवल अमीर लोगों के बच्चे ही पढ़ सकें सरकार के लिए कठिन होगा। मुझे याद है कुछ समय हुआ दिल्ली में पब्लिक स्कूलों के मुख्य अध्यापकों का सम्मेलन हुआ था। उस समय केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री ने सरकारी अनुदान के सम्बन्ध में अपनी कठिनाई प्रकट की थी। यह सभी स्वीकार करते हैं कि इन स्कूलों में शिक्षा का स्तर ऊंचा है और जो बच्चे यहां से पढ़कर निकलते हैं उनका प्रशिक्षण शायद साधारण स्कूलों में पढ़े हुए बच्चों की अपेक्षा अच्छा होता है। फिर भी प्रश्न यह उठता है कि यह कहां तक उचित होगा कि शिक्षा के मद में धन की कमी होते हुए राष्ट्रीय साधनों का उपयोग समाज के एक सीमित वर्ग के लिये ही किया जाय।

इसी कठिनाई को कुछ हद तक दूर करने के लिए सरकार ने सरकारी पब्लिक स्कूलों में उदार छात्र-वृत्तियों की प्रणाली का अवलम्बन किया है, जिससे कि सीमित आय वाले माता पिता भी अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में भेज सकें। मेरे विचार में शायद इस समस्या का सबसे उत्तम हल यही है कि यथासंभव इन स्कूलों में शिक्षण के खर्च में कमी की जाए और उदार छात्रवृत्तियों द्वारा इन की उपयोगिता को अधिक से अधिक व्यापक किया जाए। यह आवश्यक जान पड़ता है कि इस सुझाव को गैर-सरकारी पब्लिक स्कूल भी धीरे-धीरे अपनायें जिससे

कि उनमें भी सुयोग्य बालकों के माता पिता जिनकी आय सीमित हो अपने बच्चों को पढ़ा सकें ।

जो कुछ मैं ने कहा है यह कुछ लोगों के लिए अरुचिकर हो सकता है, किन्तु यह एक ठोस वास्तविकता है जिससे कोई भी यथार्थवादी व्यक्ति मुंह नहीं मोड़ सकता । यह खुशी की बात है कि पब्लिक स्कूलों में शिक्षा का स्तर ऊंचा है और वहां से शिक्षा प्राप्त जो बच्चे निकलते हैं वे उचित नागरिक बनने की क्षमता रखते हैं । इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा का व्यापक प्रश्न भी हमारे सामने है जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती । बुद्धिमत्ता, देश भक्ति और जन हित की मांग यह है कि हम इन परस्पर-विरोधी परिस्थितियों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करें । जहां तक मैं जानता हूं सरकार की यही कोशिश है । सरकार चाहती है कि पब्लिक स्कूल चलते रहें और अधिक से अधिक फलें फूलें, किन्तु इसके साथ ही वह यह भी चाहती है कि राष्ट्रीय साधनों का उपयोग अधिकतम लोगों के हित में किया जाय । पब्लिक स्कूलों के संस्थापकगण स्वयं इतने उदार और देशभक्त हैं कि निश्चय ही वे इन विचारों का आदर करेंगे और इन स्कूलों को ही नहीं बल्कि सरकारी नीति को भी सफल बनाने की दिशा में योगदान देने के लिये तैयार रहेंगे । आपके विद्यालय के सम्बन्ध में मैं यह कह सकता हूं कि आपके संस्थापकों को और बिरला शिक्षा निधि की यह ख्याति रही है कि वे छात्र-वृत्तियों, दान अथवा अन्य सुविधाओं द्वारा अपनी सभी शिक्षण संस्थाओं को इतना व्यापक बनाने का यत्न करते हैं जिससे कि अधिक से अधिक लोग उनसे लाभ उठा सकें ।

स्वाधीनता के पहले हमारे देश में जो स्थिति थी, पब्लिक स्कूलों का कामकाज उसके अनुकूल था । यहां से पढ़कर विद्यार्थी सरकारी नौकरी के लिये अधिक आत्म-विश्वास के साथ आवेदन-पत्र दे सकते थे । परन्तु परिस्थितियां बदल चुकी हैं और बदल रही हैं । आपको भी अपना कार्यक्रम इस परिवर्तन के अनुसार बदलना चाहिए । केवल नौकरियों पर जोर न देकर बच्चों के साधारण विकास और उनकी तथा राष्ट्र की भावी आवश्यकताओं पर ध्यान देकर ही यह किया जा सकेगा ।

मुख्य अध्यापक महोदय ने अपने वक्तव्य में बुनियादी शिक्षा और पब्लिक स्कूलों की शिक्षा में साम्य की ओर संकेत किया है । यदि यह ठीक है कि कम-से-कम सिद्धान्ततः इन दोनों प्रणालियों में कुछ साम्य है, तो यह सन्तोष का

विषय है। इन प्रणालियों के बीच सबसे गहरी खाई शिक्षा के खर्च के प्रश्न पर ही सामने आती है। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा तैयार ही इसलिए की थी कि सार्वजनिक शिक्षा पर जो भारी खर्च होगा उसका एक भाग स्कूलों से ही प्राप्त किया जा सके। मैं नहीं कह सकता कि इस परीक्षण में हमें कहां तक सफलता मिली है। फिर भी यदि बुनियादी शिक्षा और पब्लिक स्कूल प्रणाली को व्यवहार में एक दूसरे के निकट लाया जा सके तो यह बहुत ही हर्ष तथा लाभ का विषय होगा। यह जानकर मुझे सन्तोष हुआ कि विरला विद्या-मन्दिर विद्यार्थियों को कला के कामों और दस्तकारी में दिलचस्पी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उनको ऐसे शारीरिक श्रम के लिए जो कुछ उत्पादन भी कर सके मौका दिया जाता है। मैं चाहूंगा कि इस दिशा में जहां तक हो सके आप आगे बढ़ें और हमारे शिक्षाविद् बराबर सोचविचार करते रहें।

यहां आकर और आप सब, विशेषकर इन बच्चों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। आपका विद्यालय दिनोंदिन उन्नति करे और राष्ट्र की अधिक-से-अधिक सेवा करने में समर्थ हो, यही मेरी कामना है,

नैनीताल नगरपालिका अभिनन्दन-पत्र का उत्तर

राज्यपाल, महोदय, नगरपालिका के अध्यक्ष जी एवं सदस्यगण, बहनों और भाइयो,

मैं आपका बहुत आभार मानता हूँ कि आपने मुझे यह मौका दिया कि यहाँ इकट्ठे इतने लोगों का दर्शन में कर सका और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आपके इस सुन्दर शहर में दूसरी बार आया हूँ।

आपने ठीक ही कहा है कि यह स्थान अत्यन्त मनोरम, सुखप्रद, लाभप्रद और हर तरह से स्वास्थ्यप्रद है और इसलिए इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि हजारों हजार की संख्या में हर वर्ष इन गर्मियों के दिनों में देश के भिन्न भिन्न भागों से लोग आया करते हैं और कुछ दिनों तक रह करके स्वास्थ्य लाभ करके फिर वापस जाते हैं।

जहाँ तक मुझे मालूम है, पुराने जमाने में हिमालय तपोभूमि माना जाता था और हिमालय के पहाड़ों में ऋषि मुनिगण रहा करते और तपस्या किया करते थे यों तो पहाड़ में बस्तियां हमेशा से चली आयी हैं और कुछ न कुछ लोग रहते आए हैं मगर इस प्रकार का एक केन्द्र कायम करना जहाँ लोग स्वास्थ्य के लिए आया करें यह शायद पिछले 100, 150 वर्षों के अन्दर ही हुआ है और इस तरह से सारे हिमालय में कितने ही ऐसे शहर बस गए हैं जहाँ हर प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं और जहाँ बाहर से जो लोग आते हैं आराम पाते हैं। चूँकि आपकी आबादी हमेशा के लिए नहीं होती है, बाहर से थोड़े ही लोग यहाँ आया करते हैं और अधिकांश लोग केवल इसी मौसम में आते हैं और कुछ दिनों तक रहकर वापस जाते हैं इसलिए ऐसे शहरों की समस्याएं भी एक अलग हो गई हैं।

जब से हम लोगों ने स्वराज्य के आन्दोलन के जमाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट की आलोचना शुरू की कि सरकार अपने अफसरों को आराम के लिए पहाड़ों में इतना खर्च करके भेजती है यह ठीक नहीं है तब से सरकार का ध्यान भी इस ओर कम हो गया और लोगों का आना जाना भी कम हो गया और जब से स्वतन्त्रता पाकर हम स्वयं अधिकारी बने तब से एक प्रकार से सरकारी दफ्तरों का पहाड़ों पर जाना रुक ही गया है और इसका नतीजा यह हुआ कि जो सरकारी और गैर सरकारी लोग पहले इन स्थानों में आकर बस गए थे और जिनको साल भर काम कोई नहीं मिलता था और इसी मौसम में काम मिला करता था वह अब

नैनीताल नगरपालिका द्वारा दिए गए अभिनन्दन पत्र के उत्तर में भाषण; 31 मई, 1959।

कम हो गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि जो स्मृद्धि पहाड़ी स्थानों की हुई थी वह कम होती जा रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि जैसे और पहाड़ी इलाके हैं उनसे बेहतर आपका नैनीताल शहर है क्योंकि यहां पर लोगों का आना जाना पहले के मुकाबले में शायद कुछ कम हुआ हो मगर और जगहों के मुकाबले में आज भी काफी है। इसलिए यहां के जो मकान मालिक हैं या व्यापारी हैं और दूसरे लोग जो यहां आकर काम धंधा किया करते थे उनको जैसे पहले काम मिला करता था बहुत करके आज भी वैसे ही मिलता है। यह खुशी की बात है और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं।

मगर साथ ही यह भी आवश्यक है कि शहरों का जो ढांचा है उसको कुछ ऐसा बदलना चाहिए जिससे उनमें रहने वालों को बाहर से आने वालों की ओर बराबर मुंह नहीं देखना पड़े। यहां के लोगों को ऐसा काम धंधा मिलना चाहिए जिसमें वे दूसरों का मुंह नहीं देखकर अपने बल पर काम कर सकें। मैं आशा करता हूं कि इस ओर यहां की स्थानीय गवर्नमेंट का ध्यान गया होगा और आप लोगों का जरूर जाना चाहिए। मैं तो यह आशा करता हूं कि जिस तरह से गांवों में लोग अपना कारबार खुद चला लेते हैं और ज्यादा दूरी पर भरोसा नहीं करते, उसी तरह से यहां भी ऐसे धरेलू काम धंधे जारी किए जाएं जो बारह महीने चल सकें और जिनसे अधिक लोग अपना गुजरान कर सकें और जो मौसम के दिनों में लोग यहां आवें उनसे अपनी समृद्धि बढ़ावें मगर सिर्फ उनके आने पर अपने जीवन की निर्वाह के लिए उनको भरोसा नहीं करना पड़े। जब वह दिन आ जायगा और मैं समझता हूं कि यदि इसके लिए प्रयत्न किया जाय और एक योजना के साथ काम किया जाय तो यह कोई गैरमुमकिन बात नहीं है, इसको पूरा किया जा सकता है और मैं आपको यही परामर्श दूंगा और गवर्नमेंट को यही परामर्श दूंगा कि यहां पहाड़ी लोगों के बीच में ऐसे काम धंधे जारी किए जाएं जो उनको खुशहाल बना सके और शहरों में किसी तरह से बाहर के लोगों का आना कम हो जाय तो उसका असर यहां के बाशिन्दों पर नहीं पड़े।

मैं ने सुना है और आपने भी इसका जिक्र किया कि नैनीताल में कुछ ऐसी बस्तियां हैं जिनका उद्धार होना आवश्यक है। आपका शहर सुन्दर है और इसमें कोई ऐसी चीज हो जो बाहर से आए हुए लोगों को गन्दी मालूम हो तो यह अच्छी बात नहीं। मैं जानता हूं कि यह व्ययसाध्य काम है और अगर आप इसको पूरा करना चाहेंगे तो इसमें काफी खर्च पड़ेगा। आप जहां तक आपसे हो सके

खर्च करें, आप गवर्नमेंट से भी मदद मांगें और मुझे विश्वास है कि आपको मदद मिलेगी। यहां आपके राज्यपाल महोदय मौजूद हैं और जो आपके मन्त्रीगण हैं वे भी इसका ख्याल रखते हैं। मुझे जहां तक मालूम हुआ है राज्यपाल महोदय का ख्याल इस तरफ गया है और वह इस प्रयत्न में हैं। मैं आशा करूंगा कि जो गन्दी बस्तियां हैं उनका सुधार होगा जिसमें शहर ऊपर ही ऊपर नहीं, पीछे पीछे की गलियां भी, दूर दूर की गलियों को भी सुन्दर बनाना चाहिए जिसमें लोग यहां आकर खुश हों।

आपने जिक्र किया कि देश स्वतन्त्र हुआ। यह सही बात है। पिछले 10 12 वर्षों में यह प्रयत्न किया जा रहा है कि किस तरह से देश को समृद्धिशाली बनावें किस तरह से देश को हर प्रकार से उन्नत कर सकें जिसमें जो बेकारी देश में हम स्थान स्थान पर आज देखते हैं, जो गरीबी फैली हुई है, आज जो लोग बीमारी के शिकार हो रहे हैं, जो निरीक्षरता आज भी बहुत दूर तक मौजूद है यह सब दूर हो सके और इसके लिए बड़े बड़े प्रयत्न किए जा रहे हैं, बड़े बड़े काम हाथ में लिए गए हैं। उनमें से कुछ का नतीजा भी देखने में आता है मगर अभी जितना नतीजा होना चाहिए उतना देखने में नहीं आया है। इसमें बात यह है कि कोई बड़ा काम होता है तो उसको पूरा करने में देर लगती है। एक किसान खेती करता है और फसल खेत में बोता है तो उसे चार छः महीने इंतजार करना पड़ता है और तब फसल तैयार होकर उसे मिलती है। इस दम्यान में कभी सूखा पड़ गया, अतिवृष्टि हो गई, बाढ़ आगई, औले पत्थर पड़ गए तो उससे अधिक बर्बादी हो सकती है। तो इतने बड़े देश को समृद्ध बनाना आसान काम नहीं है कि हम बातों की बात में पूरा कर सकें। मगर हम ठीक रास्ते पर चलते हैं और इस कोशिश में हैं कि जितना जल्द हो सके सभी जगहों पर इस बात का असर पहुंचे और हम दिखाएं कि स्वराज्य के होने से अधिक लोग अधिक सुखी हैं और हर तरफ से उन्नति हो रही है और कुछ न कुछ नतीजा लोगों को मिला है। मगर पूरा नतीजा तो कुछ दिनों के बाद ही देखने में आयागा। मैं आशा करता हूं कि इसमें सभी लोग जिनसे जहां तक हो सके और जिसकी जहां तक पहुंच हो वह अपनी सहायता और सहयोग से इस काम को आगे बढ़ाए क्योंकि सारे देश को उन्नत करने का काम किसी एक दल, किसी एक वर्ण या किसी एक गवर्नमेंट का भी नहीं हो सकता है। यह काम सभी पूरा हो सकता है जब सभी लोग इसमें हाथ बटाएंगे। हम यही चाहते हैं कि देश के सभी लोग इस काम में हाथ बटावें जिसमें कामयाबी हो सके।

देश बड़ा है। इसमें भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले और भिन्न भिन्न भाषाओं के बोलने वाले बसते हैं। इतने बड़े देश को एक राष्ट्रीयता के सूत्र में बांधने और इसके लिए तैयारी करते रहना कि इस देश की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रख सकें और इस तरह से इसको आगे बढ़ाना यही काम हमारे सामने है। इसमें प्रत्येक भारतवासी का स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे का अपना अपना कर्तव्य है और और अपना अपना स्थान है और हम यही आशा रखते हैं कि इस सारे देश को एक मानकर इसके सभी रहने वाले इसके काम को अपना समझकर इसको इस तरह से आगे बढ़ाएंगे और इसे सुरक्षित रखेंगे कि इसकी तरफ आंख दिखाने की किसी की हिम्मत न पड़े और देश स्वतन्त्र रहने के साथ साथ समृद्धि-शाली भी बने और लोग हर तरह से सुखी रहें। यही मेरी मनोकामना है।

मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने मुझे यह मौका दिया और मानपत्र देकर मेरा मान बढ़ाया।

बालिका विद्यामन्दिर का उद्घाटन

बालिका विद्यामन्दिर के उद्घाटन से आज इस संकल्प की पूर्ति समझनी चाहिए जो १२ वर्ष हुए विरला विद्यामन्दिर के खोलने के समय आप लोगों ने किया था ।

उन्नत समाज में कम से कम साधारण शिक्षा प्राप्त करना हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है । हम भी इस अधिकार को स्वीकार करते हैं और इसीलिए स्वतन्त्र भारत के संविधान में प्रत्येक बालक और बालिका के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है । इन कुछ वर्षों में अनेक कठिनाइयां होते हुए भी शिक्षा के क्षेत्र में देश के सभी भागों में काफी प्रगति हुई है । बड़े शहरों में ही नहीं गांवों में और देहातों में सभी जगह अधिक से अधिक पाठशालाओं की मांग बराबर सुनने में आती है । यह एक अच्छा लक्षण है और हमें इस मांग को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए ।


शिक्षा की दिशा में जो उन्नति इस देश में हुई, यह कहना गलत न होगा कि अधिकतर वह बालकों की शिक्षा के सम्बन्ध में ही हुई है । बालिकाओं की शिक्षा की जैसी व्यवस्था होनी चाहिए वह अभी तक नहीं हो पाई है । मुझे यह बताने की जरूरत नहीं कि बालिकाओं की शिक्षा की उचित व्यवस्था न करने से हमारा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम एकांगी रहेगा । संख्या की दृष्टि से ही नहीं समाज में अपने महत्वपूर्ण स्थान की दृष्टि से भी बालिकाओं और महिलाओं का स्थान बालकों अथवा पुरुषों के स्थान से किसी प्रकार भी कम महत्वपूर्ण नहीं । मैं तो यहां तक कहूंगा कि माता और गृहिणी के रूप में महिला का कार्यक्षेत्र इतना व्यापक होता है और उसकी जिम्मेदारी इतनी भारी है कि उसको शिक्षित बनाए बिना हम समाज अथवा राष्ट्र को शिक्षित नहीं बना सकते । हमारे देश में प्राचीन काल से स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया है और यथासंभव उसकी व्यवस्था भी की गई है । आज जब कि जीवन के अनेक क्षेत्रों में पुरुष और स्त्री की समानता को स्वीकार किया गया है, यह और भी आवश्यक है कि अभी तक बालिकाओं की शिक्षा की दिशा में जो कमी रही है उसे हम जल्दी से जल्दी पूरा करें ।

मुझे खुशी है कि विरला विद्यामन्दिर के संस्थापकों ने बालिकाओं के लिए भी नैनीताल में उच्च कोटि की शिक्षा संस्था खोलने का निश्चय किया है ।

बालिका विद्यामन्दिर के उद्घाटन के अवसर पर भाषण; 1 जून, 1959

जैसा मैंने परसों कहा था कि इस प्रकार के विद्यालयों के लिए देश में बहुत स्थान हैं और यह दिनोंदिन लोकप्रिय होते जा रहे हैं। हमें पूरा यत्न करना चाहिए कि ऐसे विद्यालयों की व्यवस्था हम इस प्रकार करें कि अधिक से अधिक लोग इन से लाभ उठा सकें।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिरला विद्यामन्दिर को चलाने में जो आप लोगों को बहुमूल्य अनुभव प्राप्त हुआ है वह बालिका विद्यालय को चलाने में आपका सहायक होगा, और वे सभी सुविधाएं जो दूसरे विद्यालय में बालकों को प्राप्त हैं इस विद्यालय में बालिकाओं के लिए भी उपलब्ध होंगी। मैं विद्यामन्दिर के संस्थापकगण तथा व्यवस्थापकों को इस शुभ कार्य के लिए बधाई देता हूं और यह आशा करता हूं कि कुछ वर्षों में ही यह बालिका विद्यालय भारतीय स्त्री समाज के लिए ज्ञान का स्रोत समझा जाने लगेगा।



गीताभवन, नैनीताल में पधारने के समय भाषण

स्वामीजी, देवियो और सज्जनों,

मुझे आपके इस स्थान का थोड़ा बहुत परिचय पहले मिला था मगर अधिक परिचय इस समय जब मैं यहां आया हूं हुआ है। आप जैसे पुण्य कार्य में लगे हुए हैं जिस तरह से यात्रियों को मानसरोवर और कैलाश के दर्शन कराने में हमेशा तत्पर रहते हैं यह सब गौरव की बात है और मैं चाहूंगा कि आपका यह काम चलता रहे और अधिक से अधिक लोगों को आपके इस आयोजन से लाभ मिलता रहे।

हमारे देश में जब हमारे पूर्वजों ने तीर्थ स्थानों का निर्माण किया तो उसमें भारतवर्ष के सभी कोनों को एक प्रकार से मिला लिया और जो आदमी इन क्षेत्रों का दर्शन करने जाता है उसको सारे भारत का दर्शन हो जाता है और समस्त भारत का चित्र उसकी आंखों के सामने आ जाता है।

समस्त भारत आज से नहीं प्राचीन काल से आध्यात्म का केन्द्र रहा है और यद्यपि हमारे देश के लोगों ने भौतिक उन्नति भी बहुत की थी मगर उनका आधार हमेशा आध्यात्म पर ही रहा और आज यदि संसार को किसी चीज की जरूरत है तो वह अध्यात्म की जरूरत है। आप इस बात को जानते हैं कि भौतिकवाद पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। अब सहस्रों मील आकाश के शून्य में यात्रा करके जीव लौट आया है। यह भौतिकवाद की पराकाष्ठा का सबूत है। तरह-तरह के रोगों के लिए तरह-तरह की औषधियां और चिकित्सा भौतिकवाद ने हमको दी हैं। भौतिकवाद ने उन्नति करने के ऐसे साधन हमको दिए हैं जिनको स्वप्न में भी हम नहीं सोच सकते थे और इस तरह से सभी क्षेत्रों में अत्यन्त ऊंची उन्नति हुई है। मगर उस उन्नति के साथ-साथ जहां एक तरफ जीवन को समुन्नत बनाने के साधन हमारे हाथ में आए हैं वहां विनाशकारी यन्त्र भी मनुष्य के हाथ में आए हैं जो चाहे तो मानवमात्र का क्षण में विनाश कर सकता है।

हम हमेशा से मानते आए हैं कि राम रावण का युद्ध केवल भौतिक युद्ध नहीं था। रावण कम तपस्वी नहीं था। राम तपस्वी थे पर रावण भी था। मगर राम तपस्वी थे तो उनकी तपस्या का आधार सत्य पर स्थिर था जिसको रावण नहीं समझ पाता था। रावण आध्यात्म के विरोध में जो सत्य है उसको छोड़कर अपनी तपस्या की शक्ति को दूसरे काम में लगाता था। वही युद्ध आज भी संसार के

सामने आया है। एक तरफ रावण की शक्ति बढ़ती जा रही है। यदि राम की शक्ति भी जागृत हो और आध्यात्म इस भौतिकवाद को अपने काबू में कर ले तभी मानव का कल्याण है नहीं तो कल्याण नहीं है। इसलिए इस प्रकार के जितने आयोजन प्रयत्न और प्रयास होंगे उसमें जहां तक हो सके जिससे जो कुछ हो सके प्रोत्साहन देना चाहिए जो सेवा बन पड़े करनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपका यह प्रयास जारी रहेगा और इस भौतिक युग में आप आध्यात्म को जागृत रखेंगे।

डी० एस० वी० गवर्नमेंट कालेज, नैनीताल का तृतीय वार्षिक दिवसोत्सव

राज्यपाल महोदय, मुख्यमन्त्रीजी, शिक्षा मन्त्रीजी, मुख्याध्यापक एवं अन्य
अध्यापकगण और छात्रो,

मैं आपका अनुगृहीत हूँ कि आपने मुझे आपके इस कालेज को देखने का मौका दिया। जैसा आपने अभी बताया यह माननीय पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त तथा डाक्टर सम्पूर्णानन्द के विचारों का मूर्तरूप है जिसको ठाकुर देवी सिंह बिष्ट के दान ने आज यह रूप दिया है। ये सब तो बधाई के पात्र हैं ही और जो यहां पर शिक्षा पा रहे हैं वे भी इस सुरम्य और सुन्दर स्थान में और यहां की ऐसी अच्छी आबहवा में मैं आशा करता हूँ अपने शरीर को, मन को और अपनी विद्या को अच्छी तरह से उन्नत कर सकेंगे।

आज हमारे देश में शिक्षा की बहुत जरूरत है। शिक्षा की भी कितनी ही सीढियां हैं जिनमें मुख्यतः प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा हम कह सकते हैं। ये तीनों सीढियां सारे देश में जारी हैं और अपने-अपने औचित्य के अनुपात में अत्यन्त आवश्यक हैं। अभी तक बहुत तरह की दिक्कतें हमारे सामने शिक्षा के जरिए से आ रही हैं। धन का अभाव तो हमेशा सामने रहता ही है। इसके अलावा एक दिक्कत और भी हम महसूस कर रहे हैं और वह यह है कि जो ये तीनों सीढियां हैं इन तीनों का किस तरह से ऐसा लगाव किया जाए कि एक-दूसरे के साथ उनका किसी तरह से विरोध नहीं हो और न कोई ऐसी स्थिति पैदा हो कि जो एक सीढी से दूसरी सीढी तक जाना चाहते हैं और जाने के योग्य हैं उनके रास्ते में कोई बाधा न पड़े और ऐसा भी हो जो एक सीढी तक ही अपना काम खतम करना चाहे तो उसको वहां तक ही ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिसमें वह बिल्कुल बेकार नहीं हो बल्कि वह अपने जीवन को सार्थक बना सके।

इसके अलावा जो भाषा का प्रश्न है उससे भी शिक्षा के रास्ते में भारी कठिनाई पैदा हुई है। अभी तक हम यह तय नहीं कर पाए हैं कि बच्चों को हम अपनी भाषा में शिक्षा देंगे या अंग्रेजी में जैसा आज तक हुआ है शिक्षा देंगे। बात यह है कि कई कारणों से बहुतेरे लोग समझते हैं कि ऊंची से ऊंची सारी शिक्षा अंग्रेजी के द्वारा दी जाए क्योंकि इसके बगैर शिक्षा की दौड़ में हम अपना स्थान नहीं रख

डी० एस० वी० गवर्नमेंट कालेज, नैनीताल के तृतीय वार्षिक दिवसोत्सव पर
भाषण; 2 जून, 1959

सकेंगे हम पिछड़ जाएंगे और दूसरे वे लोग हैं जो समझते हैं कि किसी विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा दी जाए तो उसका उतना फल नहीं हो सकता है और शिक्षा पानेवालों पर इतना बोझ बढ़ जाता है कि वे अपनी मानसिक शक्ति का उतना विकास नहीं कर सकते जितना अपनी भाषा द्वारा शिक्षा पाकर कर सकते हैं। ये सब गुत्थियां हैं जिनको सुलझाना शिक्षा शास्त्रियों का काम है और गवर्नमेंट का काम है कि इन सब गुत्थियों को सुलझाकर अपनी नीति निर्धारित कर सके जिसमें कोई मतभेद नहीं रह जाए। मगर आज हम एक ऐसे युग में गुजर रहे हैं कि यह सब निश्चय नहीं हो पाता है और इसी वजह से ये सब दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं।

जहां एक तरफ शिक्षा की मांग बढ़ रही है गांव गाँव में जहां पहले प्राथमिक स्कूल नहीं थे प्राथमिक स्कूल खुलते जा रहे हैं गांवोंमें अब माध्यमिक स्कूल भी खुल रहे हैं और उनके साथ-साथ कालेज की मांग भी इतनी बढ़ती जा रही है कि शायद ही कोई शहर या कस्बा हो जहां पर कालेज कायम करने की मांग नहीं हो और जहां पर उसके लिए प्रयत्न नहीं किया जा रहा हो। मांग कालेज तक सीमित नहीं रहकर यूनिवर्सिटी तक आ गई है और हम चाहते हैं कि कालेज नहीं होकर बहुतेरी यूनिवर्सिटीयां कायम हो जाएं। ये सब मांगे अपने जगह पर ठीक हैं और आवश्यकता को समझ कर सरकार उसकी मंजूरी भी देती है। साथ ही यदि इस मांग को पूरा करते जाएं और अगर जो लोग इन विद्यालयों से शिक्षा पाकर निकलें उनको उपयोगी स्थान हमारे समाज में नहीं मिल सके और अपने जीवन निर्वाह का कोई रास्ता अपनी शिक्षा द्वारा वे नहीं निकाल सकें तो एक बड़ी समस्या बेकारी की हमारे सामने आ जायेगी और आ जायेगी ऐसी बात भी ठीक नहीं, है आ गयी है।

इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि हमारे यहां दो प्रकार की बेकारी है जो बढ़ती जा रही है। एक तो अनपढ़ लोगों की बेकारी है। उसका तो पूरा शायद हिसाब भी नहीं लगा है कि कितने लोग बैठे हैं जिनको धंधे की जरूरत है। पढ़े लिखे लोगों की संख्या कुछ हद तक मिलती है। उनमें से कितने लोग बेकार हैं और कितने को काम मिल गया है इसका थोड़ा-बहुत अन्दाज इस जरिए से लग जाता है एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज में लोग नाम लिखवाते हैं और नाम दर्ज करने की बही से इसका अन्दाज लगता है कि कितने लोगों ने नाम लिखाए कितने को काम मिला और कितने बैठे हैं। पर इसमें भी ठीक निश्चय नहीं है कि जितने पढ़े लिखे बेकार लोग हैं उनमें से कितने ने नाम लिखवाए। पर जो अन्दाज एक्सचेंज

रजिस्टर से निकलता है उतने ही से हम देखते हैं कि बेकारी बहुत बढ़ रही है और जितना सोचा गया था कि इस इन योजनाओं से बेकारी कम होगी लोगों को हम कुछ काम दे सकेंगे वह पूरा नहीं हुआ, आइन्दा भी मालूम नहीं कहाँ तक पूरा होगा। ऐसी स्थिति में शिक्षित वर्ग की एक बड़ी फौज तैयार होती जा रही है जो बेकार है और सिर्फ बेकार ही नहीं है, शिक्षा की पद्धति भी कुछ ऐसी है कि उनमें से बहुतेरे ऐसे हैं कि वे जिस काम में पहले लग सकते थे उस काम के योग्य रहे नहीं और जो नया काम हो सकता है उसके योग्य भी नहीं बने। इस तरह से बेकारी का एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने है जिसको सुलझाने पर देश का भविष्य बहुत हद तक निर्भर है। ऐसी स्थिति में कोई विद्यालय कायम करना हो चाहे वह प्राथमिक दर्जे का हो, माध्यमिक दर्जे का हो या उच्च दर्जे का हो तो हमको सोचना है कि जो विद्यार्थी वहाँ से निकलें वे इस योग्य हों कि नौकरी न भी मिले तो अपना काम चला सकें, अपने लिए कोई रास्ता ढूँढ निकालें, विद्यार्थीयों में ऐसी योग्यता आजानी चाहिए जिसमें वे अपने बल पर खड़े हो सकें और उनके अपने अन्दर शक्ति हो कि वे अपने लिए रास्ता ढूँढकर निकाल सकें। और जब तक इस चीज का पूरा विकास नहीं होगा और ऐसा इसका विकास नहीं होगा कि अपने लिए कोई रास्ता निकाल सकें तब तक उनको दूसरों पर भरोसा करना होगा और गवर्नमेंट या कोई संस्था उनको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकती।

इसलिए हमारे सामने शिक्षा के साथ-साथ यह सवाल भी आज है कि शिक्षा का रूप क्या हो। अभी तक जो पुराना यूनिवर्सिटी का तरीका रहा है वह यह है कि विद्यार्थी विषय को पढ़ जाते हैं और जो विज्ञान का विषय होता है उसको भी लोग केवल सैद्धान्तिक रूप से ही सीखते हैं। इस विषय में क्रियात्मक रूप कोई नहीं सिखाया जाता, बताया जाता। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो इस कालेज में हैं इन मसलों पर विचार करते होंगे और सोच करके कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे कि आगे जो विज्ञान को पढ़कर विद्यार्थी निकलें वे केवल पुस्तकी ज्ञान लेकर नहीं निकलें बल्कि कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त करने निकलें जिससे अपने को इस देश में कारगर बनाएँ और सिर्फ अपने लिए ही नहीं, देश के लिए भी कुछ ऐसा काम कर सकें जिससे सब को लाभ हो।

आपने भाषण में बताया कि यहाँ अनुसंधान का काम भी हो रहा है। मैं चाहूँगा कि अनुसंधान का काम हो। जो सिद्धान्त के विषय हैं वे आवश्यक हैं मगर उससे भी अधिक जरूरी यह है कि जो सिद्धान्त हमारे देश के लोगों ने चाहे दूसरे देशों के लोगों ने निश्चय कर लिया है उन सिद्धान्तों को हमारे देश की

परिस्थिति में किस तरह से कारगर बना सकते हैं यह सोचें। जो केमिस्ट्री का अनुसंधान करते हैं वे यह देखें कि उनका केमिस्ट्री का ज्ञान देश के लोगों का कहां तक फायदा कर सकता है और उनको किस तरह से फायदा पहुंचा सकता है या हमारे सामने जो तरह-तरह के मसले हैं जो दिन प्रति दिन लोगों के जीवन में आते हैं उसमें हम इस ज्ञान से कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं, किस तरह से उन मसलों का जवाब बता सकते हैं और उनको हल करने में सहायक हो सकते हैं। अगर हमारे विद्यार्थी इन सब चीजों को ध्यान में रखकर शिक्षा लें तो बेकारी का मसला भी बहुत हद तक हल हो सकेगा और यदि इन सब चीजों पर ध्यान नहीं गया और एक ढर्रे से उनको सिखाया गया, बताया गया और लैबोरेटरी में भी काम करने पर और वहां से पास करके निकलने पर संसार में इधर-उधर दरवाजे खटखटाने लगे कि उनको कोई काम मिलना चाहिए तो इस प्रकार की शिक्षा से कोई फायदा नहीं है।

इसलिए हमारी स्वाहिश है कि देश के अन्दर जितने लोग शिक्षा के काम में लगे हुए हैं, शिक्षा को कारगर बनाने की ओर अपना ध्यान दें जिससे विद्यार्थियों को भी लाभ हो और देश का भी लाभ हो।

मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस विद्यालय में आप लोग इस ओर ध्यान दे रहे हैं और जैसा आपने बताया, आपका अनुसंधान काम भी चल रहा है। मैं आशा करूंगा कि इस रास्ते पर आप चलते जाएंगे और यहां इस इलाके के जो खास प्रश्न हैं जो और जगहों के प्रश्नों से अलग हैं उन पर आप ध्यान देंगे और उनको हल करने में आप जिस तरह से जहां तक मदद कर सकते हैं उस पर ख्याल रखेंगे।

मुझे, बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे यह मौका दिया और मैं आपका आभारी हूं कि आप सब से दो शब्द कहने का भी मुझे मौका मिला।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वार्षिकोत्सव पर ब्राडकास्ट संदेश

आज मैं एक विशेष अवसर पर आप से कुछ कहने जा रहा हूँ। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की यह 40वीं वर्षगांठ है। भारत आरम्भ से ही इस संगठन का सदस्य रहा है। इसलिए यह उचित है कि अपनी सदस्यता और इस संगठन की 40वीं वर्षगांठ-सम्बन्धी उत्सव को मनाने में हमारा देश भी शामिल हो। इस अवसर पर हमारे डाक विभाग ने विशेष डाक टिकट जारी किया है और भारतीय प्रतिनिधि मंडल जेनेवा में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भाग लेगा।

पहले महायुद्ध के बाद विश्वशान्ति के पक्ष को दृढ़ करने के उद्देश्य से तीन संस्थाओं की स्थापना हुई थी—'लीग आफ नेशन्स', 'अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' और 'अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय'। सामाजिक न्याय की व्यवस्था द्वारा शान्ति के पक्ष को प्रोत्साहित करने का काम अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सुपुर्द हुआ था। उस समय इस कार्य में ये बातें शामिल थीं—काम के घंटों के नियमन द्वारा श्रमिकों की स्थिति में सुधार करना, बेरोजगारी की रोकथाम, कामगर संघों की स्थापना और टेकनीकल शिक्षा की व्यवस्था करना। यह काम पिछले 40 वर्षों से बराबर चल रहा है और हम कह सकते हैं कि संसार के प्रत्येक देश में लोगों ने श्रम संगठन के इस काम का फल भोगना शुरू कर दिया है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की तीन शाखाएँ हैं—(1) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जो राष्ट्रों के बीच संधियाँ आदि स्थापित करता है, (2) व्यवस्थापक परिषद् जो सारे काम-काज का संचालन करती है, और (3) जेनेवा स्थित सचिवालय जिसमें करीब 60 देशों के 800 नागरिक सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों की जांच-पड़ताल और अनुसन्धान साल भर करते रहते हैं। इनमें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन शायद सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। इसे ठीक ही विश्व श्रम लोकसभा का नाम दिया गया है। इस सम्मेलन में 1919 से सरकारों, व्यवस्थापकों और मजदूरों के प्रतिनिधि बराबर भाग लेते रहे हैं। इसमें अभी तक 111 परम्परायें और इतनी ही सिफारिशें चालू की गई हैं। ये परम्पराएँ और सिफारिशें जैसे ही तैयार होती हैं हमारी संसद् के सामने रखी जाती हैं। अभी तक भारत ने इन से 24 को स्वीकार किया है। इसके साथ ही हा हमारे श्रम-सम्बन्धी कानूनों पर इस सम्मेलन द्वारा निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का गहरा प्रभाव पड़ा है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वार्षिकोत्सव के अवसर पर ब्राडकास्ट संदेश;
नई दिल्ली, 15 जून, 1959

जहां तक भारत जैसे अर्धविकसित देशों का सम्बन्ध है, श्रम संगठन ने 1944 से बहुत जोरों से काम किया है। इस काम के प्रमुख पहलू टैकनीकल सहायता देना और क्षेत्रों में काम करना है।

यह बात अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए बहुत श्रेयस्कर है कि उस समय भी जब भारत विदेशी शासन के अधीन था संगठन के प्रभाव के कारण हमारे मजदूरों की स्थितिमें सुधार हो सका। जब हम यह देखते हैं कि श्रम-सम्बन्धी कानून प्रत्येक सरकार के लिए एक निजी तथा आन्तरिक मामला है, तो संगठन के कार्य की और भी प्रशंसा करनी पड़ती है। तथ्यों के संकलन और विश्व जनमत के बल पर ही अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अपने प्रभाव तथा कार्यक्षेत्र को इतना विस्तृत कर सका है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का प्रधान कवच तथ्यों का अध्ययन है। इसके प्रमुख सहायक जनमत और लोगों की सद्भावना है और इसके प्रमुख अस्त्र हैं बातचीत, वाद-विवाद और प्रकाशित सामग्री के आधार पर लोगों का समर्थन प्राप्त करना। इस संगठन की सब से बड़ी देन यह है कि इस के कारण काम की परिस्थितियों में स्थाई सुधार हुआ है, गत 40 वर्षों में सामाजिक न्याय की सीमाओं में काफी विस्तार हुआ है और सभी जगह जन-साधारण में विश्वास की भावना का उदय हुआ है। जब 1944 में फिलेडेल्फिया में होने वाले श्रम सम्मेलन ने यह घोषणा की कि "किसी भी जगह दरिद्रता का अस्तित्व सब जगह सम्पन्नता के लिए संकट का कारण है", तो इसके कारण मानव समाज को एक नया विचार मिला जिस में क्लान्त और दलित मानव को भी आशा की झलक दिखाई दी और वे सर्वोदय के आदर्श की ओर बढ़े।

इस शुभ अवसर पर हम अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रति उसके महत्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक कार्य के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह खुशी की बात है कि इस संगठन की कार्यप्रणाली उन साधनों से बहुत कुछ मिलती-जुलती है जिनके द्वारा भारत ने पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति का निश्चय किया है। भारत संगठन का सक्रिय सदस्य रहा है, विशेषकर 1947 के बाद से, और मेरी आशा है कि भारत और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बीच पारस्परिक सहयोग बराबर बना रहेगा। मुझे इसमें संदेह नहीं कि भविष्य में यह संगठन सामाजिक न्याय की स्थापना की दिशा में और अधिक सफलता प्राप्त करेगा। इसकी सफलता उन सभी सद्भावनापूर्ण लोगों की सफलता है जिनके काम पर मानव समाज की भावी

प्रगति निर्भर है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संस्थापकों के इन शब्दों को हम जितना दोहराएं थोड़ा है :—

“स्थायी और सार्वभौम शान्ति तभी संभव है जब इसका आधार सामाजिक न्याय हो।”

दसवें वन महोत्सव पर प्रेसिडेंट्स एस्टेट में वृक्षारोपण

हिन्दुस्तान जैसे मुल्क में जहां 70 आदमी 100 आदमी में खेती से अपना गुजारा करते हैं वृक्षों का बड़ा महत्व है क्योंकि मामूली तौर से गृहस्थ के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। खेती की और बारी की। खेती का माने होता है अन्न पैदा करना और बारी का माने होता है दरख्तों से फल पैदा करना और इन चीजों का बराबर से महत्व हमारे देहातों के लोग मानते आए हैं और जब से दरख्तों का कटाना बेहिसाब लोगों ने शुरू कर दिया और खास करके लड़ाई के दिनों में जंगल के जंगल साफ कर दिए गए तब से इसका असर बरसात पर भी पड़ा है क्योंकि जब घने वृक्ष लगे रहते हैं, जंगल झाड़ रहते हैं तभी वर्षा भी अच्छी तरह से होती है। इसीलिए आज से 10 वर्ष पहले जब श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी भारत सरकार के कृषि विभाग के मंत्री थे वन महोत्सव शुरू किया गया जिसका अर्थ यही है कि जगह-जगह पर दरख्त लगाएं और उसके महत्व को लोगों को बताएं।

दरख्त लगा देना कोई उतना कठिन काम नहीं है। मैंने भी दरख्त लगाए हैं। दरख्तों को कायम रखना, उनका पालन पोषण करना एक बड़ी बात है, उसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, उसमें ज्यादा ध्यान देना जरूरी होता है। यह जरूरी है कि हम दरख्तों को लगाएं मगर साथ ही साथ जो लगे हुए हैं उनको बचाना बहुत जरूरी है। जब से यह काम आरम्भ हुआ, जोरों से चला है और करोड़ों दरख्त लगा दिए गए हैं पर पता नहीं कि उनमें कितने जिन्दा बचे और जो जिन्दा बचे वे कहां तक बढ़ें। यहां जो दरख्त लगाए गए उनमें से करीब-करीब सब के सब जिन्दा हैं और बढ़ रहे हैं। मगर यहां तो खास करके उनकी हिफाजत का, उनके खाद पानी का इन्तजाम है। पर जहां ऐसा प्रबन्ध नहीं है वहां भी दरख्त लगाएं और उनको कायम रखें। दरख्त की पूजा इसी में है कि जहां दरख्त लगाएं उनको खाद दें, पानी दें और लोगों को उनके महत्व को समझाएं। तथा उनको जानवरों से बचाएं।

हम चाहते हैं कि आज जो दरख्त यहां लगाए गए हैं उनको जानवरों से बचाने का प्रबन्ध किया जायगा। खास करके बकरियां चर जाया करती हैं। जो लोग यहां दरख्तों की हिफाजत के लिए हैं वे उनकी बकरियों से रक्षा करेंगे।

दसवें वन महोत्सव पर प्रेसिडेंट्स एस्टेट में वृक्षारोपण करते समय भाषण;
1 जुलाई, 1959

ब्लाक डिवैल्पमेंट कमिटी मेम्बर्स के प्रशिक्षकों के साथवार्ता

गांव का काम बहुत मुश्किल काम है, जरूरी काम है और उसमें खर्च भी है । गांव की तरक्की के लिए बहुत कोशिश की जा रही है और खर्च भी बहुत किया जा रहा है । मगर उस काम में पूरी सफलता तभी होगी जब जो काम करने वाले हैं वे काम को आगे बढ़ाएंगे । बड़ी-बड़ी संस्थाएं बनानी हों या छोटी संस्थाएं सब के लिए लोग गवर्नमेंट का मुंह देखते हैं कि हमारे लिए गवर्नमेंट उनको कायम कर देगी और हमेशा ऐसे कामों में गवर्नमेंट की मदद रहती ही है । मैं कभी-कभी यह मानता हूँ कि गवर्नमेंट की सहायता के बिना काम किया जाए तो सब से अच्छा हो । बगैर गवर्नमेंट की मदद के कोई काम हो और वह ऐसा काम हो जिससे सब को लाभ हो तो उसमें सब की मदद मिलती है । महात्मा गांधी अकसर कहा करते थे कि किसी संस्था के लिए कोई निधि, कोई एनडाउमेंट नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी रकम नहीं होनी चाहिए जिससे उसको हमेशा खर्च मिलता रहे जिसके बल पर वह हमेशा काम करे बल्कि हर इन्स्टीट्यूशन की अपने में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वह अपने लिए पैसे इकट्ठे कर सके । मगर जब लोगों को तजुरबा होगा कि उससे लोगों की सेवा हो सकती है, उसका काम ठीक है और उससे लोगों को फायदा पहुंच रहा है तभी लोग मदद करेंगे । अगर गवर्नमेंट की मदद मिले तो एक तरह से वह अच्छी चीज है, शुरू में उत्साह पैदा करने के लिए वह जरूरी है मगर हमेशा के लिए उसे कायम रखना सही नहीं है ।

इसलिए जब आप लोग गांवों में काम करने के लिए जाएं तो लोगों में ऐसा उत्साह पैदा करें कि वे अपने गांव का काम खुद सम्भालें और वह काम ऐसा हो कि उसमें यह कहने को नहीं रहे कि यह काम इसके अन्दर का और यह काम बाहर का है । हर तरह से जिस काम से गांव के रहने वालों की तरक्की हो, उस इलाके की तरक्की हो, वह कोई भी काम बाहरी नहीं है, उस तरह के जितने भी काम हैं वे अन्दर के ही हो सकते हैं । आप समझो कि सिर्फ यही आपका काम नहीं है कि गांवों में अस्पताल बनवा दें, दवाखाना खुलवा दें, स्कूल बनवा दें बल्कि गांव में हर आदमी की किस तरह से तरक्की हो यह आपको देखना और करना है । वे सब चीजें आपके काम के अन्दर आ जाती हैं ।

हमारे गांवों में आप देखेंगे कि दो-तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। सभी जगहों में जो काम होता है वह खेती का काम है और वह सब के लिए जरूरी है, वह खेतिहरों के लिए जरूरी है, मुल्क के लिए भी जरूरी है और उसमें कहां तरक्की हो सकती है, कितनी तरक्की हो सकती है यह आपको देखना है, किस तरह से पैदावार बढ़े यह आपको देखना है। पैदावार बढ़ने से उसका फायदा जो पैदा करेंगे वे तो पाते ही हैं, उनके अलावा मुल्क को भी उससे फायदा है। जो पैदा करते हैं उनको खाने के लिए अन्न मिलता है, उससे पैसे मिलते हैं। उनकी अपनी जरूरत से ज्यादा पैदावार होगी वही मुल्क को मिलेगी। उनके अपने खाने से कोई छीन नहीं लेगा। इस तरह से जो पैदावार बढ़ेगी उससे दोनों को लाभ होगा।

हमारे मुल्क में पैदावार बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है। आप समझें कि और देशों के मुकाबले में हमारे देश में पैदावार बहुत कम है। और देशों में जो पैदा होता है उससे आधा, तिहाई या उससे भी कम यहां पैदा होता है। हमें पैदावार बढ़ानी है और उसको बढ़ाने में जो दिक्कतें हैं उनका पता लगाकर आपको दरियाफ्त करना चाहिए कि उसमें क्या दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों को आप दूर करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचकर जाते हैं कि यह काम कर देना है। वह काम हो जाता है पर उसमें हो जाती है गलती। हम अपनी तरफ से अच्छे हैं मगर हमसे लोगों को लाभ नहीं मिलता है। इसलिए यह जरूरी है कि चाहे कोई भी काम हो उसे आप नीचा न समझें और उसको अपनी योग्यता, अपने तजुर्बे के मुताबक, अपने ख्याल के मुताबक बढ़ाएं। आपका व्यवहार ऐसा हो कि आपकी बुद्धि से, आपके तजुर्बे से देश के लोग जो जरूरत महसूस करते हैं उसको वे बेहतर तरीके से पूरा कर सकें और उसी में आपकी शक्ति लगनी चाहिए।

मगर यह भी एक चीज है। कहीं-कहीं यह भी हम देखते हैं कि देहातों में खेती के लिए मजदूर काफी नहीं मिलते हैं और कहीं मिलते हैं तो उनमें से जितने लोग बेकार पड़े हैं उनको काम नहीं है। एक तरफ गांवों में खेती के लिए मजदूर नहीं हैं, दूसरी तरफ लोग बेकार पड़े हैं। यह ऐसी चीज है जिसको मिटाना चाहिए, ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए जिसमें हर आदमी को काम मिले और कोई आदमी काम के बिना बेकार नहीं बैठे क्योंकि कितनी जगहें ऐसी हैं जहां आदमी की कमी के बिना काम पूरा नहीं होता और दूसरी जगहें ऐसी हैं जहां आदमी को काम नहीं मिलता। ये सब चीजें ऐसी हैं जिनका पता वहां रहने से आपको लगेगा, बाहर से पता नहीं लगेगा। लोगों में धुल मिल जाने से गांवों के असली रूप का तथा उनकी समस्या का पता आपको लगेगा और तब आप गांव के लोगों को बहुत आगे ले जाएंगे और उनकी जिन्दगी में तरक्की लाएंगे।

आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आप गांव के लोगों से ज्यादा जानते हैं। आप उनके बीच यह सोचकर जाएं कि उनसे आपको सीखना है। आप यह समझकर जाएं कि आप एक दूसरे कालेज में जानेवाले हैं और वहां जो कुछ सीखने को मिले उसे सीख करके आप अपनी बुद्धि उसमें लगावें, उनकी तरक्की करें, तभी आप गांव वालों की तरक्की कर सकेंगे। यह बुनियादी बात है।

दूसरी बेकारी की बात है। गांवों में स्कूल खुलते जा रहे हैं, कालेज खुलते जा रहे हैं। उनमें जो शिक्षा पाते हैं वे उनके बाप दादा हमेशा से जो खेती का काम करते थे उसको करना मानहानि की बात समझते हैं, वे समझते हैं कि बैसा करना हमारी शान के खिलाफ बात है। इस तरह की लोगों में गलत भावना होती है, गलत ख्याल पैदा होते हैं इसको आपको दूर करना है। पढ़ने का मतलब यह नहीं है कि किसी काम से नफरत हो। पढ़ने का मतलब यह होना चाहिए कि कोई भी काम हो, छोटे से छोटा काम क्यों न हो उसको बेहतर तरीके से करना। जो पढ़े लिखे लोग हैं वे छोटे काम को भी बड़ा बना देते हैं। उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह छोटा काम हमारे योग्य नहीं, इसको करने में हमारी मानहानि है, यह हमारे शान के खिलाफ है। इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए। जब यह होगा तो आप समझें कि उस हालत में पढ़े लिखे लोगों की जो बेकारी है, जो गांवों में मजदूरों की कमी है, इन सब चीजों का एक रास्ता निकल सकता है। अगर इस ख्याल से सब चीजों पर आप ध्यान दें और समझें कि इस गांव में किन-किन चीजों की जरूरत है, कितने लोग बसते हैं और वहां क्या कमी है और उसका पता लगाकर कमी को दूर करने की कोशिश करें तो काम आगे बढ़ सकता है।

हर गांव के जो मसले हो सकते हैं वे दूसरे गांवों से अलग होते हैं। यह मानकर जो-जो जरूरी काम हो करें तो मेरा अपना विश्वास है कि मुल्क की शकल बदल सकती है और साथ ही पढ़े लिखे लोगों की बेकारी भी बहुत हद तक दूर हो सकती है। हम चाहते हैं कि आप गांव में दूसरों को इस तरह से तैयार करेंगे कि वे खुद खेती का काम कर सकें। मगर उसमें आपको भी हिस्सा लेना होगा तभी आप दूसरों को बता सकेंगे। अगर आप खुद जाकर मिट्टी में काम नहीं करेंगे तो आप दूसरों पर असर नहीं डाल सकते। इसलिए आपको उसमें पड़ना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया, उनके काम में उनके साथ मिल जुल कर आपने काम नहीं किया तो आप उन्हें नहीं सिखा सकते कि उनके घर के जो काम हैं उन्हें वे खुद करते जाएं। इस तरह के काम का सबसे अच्छा तरीका

यह है कि आप उनका साथ दें। आपको यह समझना चाहिए कि हमको खुद लेना है, अगर दूसरों को देना है तो उनसे लेना भी है, सिर्फ देना ही नहीं लेना भी है, सिर्फ सिखाना ही नहीं है, सीखना भी है। इस भावना से आदमी जाए और काम करे तो मैं समझता हूँ कि बहुत तरक्की हो सकती है। नहीं तो सिर्फ अफसर होकर गए, कुछ सुना गए, कुछ कह गए तो उसका जो असर होता है वह बहुत गहरा असर नहीं हो सकता और न वह बहुत देर तक ठहर सकता है। पढ़ाना ठीक है मगर उसको ज्यादा देर तक ठहराना हो तो उनके मन में आप घुसें और जब आप उनके मन में घुस जाएंगे तभी आपकी सेवा वे ठीक तरह से समझ पाएंगे और उससे लाभ उठा सकेंगे। असली चीज यही है। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे और जो रूटिन काम है वही करते गए तो काम आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरा और मैं क्या कहूँ। जो दो-चार सिद्धान्त की बातें थीं मैं ने आपको बता दीं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उनको ध्यान में रखेंगे।

मथुरा से आए हरिजन कार्यकर्त्ताओं के सम्मुख भाषण

बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग इस तरह स निकले और देश के बड़े सुन्दर-सुन्दर स्थान आपने सब देख लिए। इस तरह से देश का आप लोगों को कुछ परिचय हो गया। जो लोग कि मथुरा के रहने वाले हैं वे तो जानते हैं कि देश भर के लोग मथुरा आते हैं दर्शन के लिए। उसी तरह से आप लोग अब निकले दूसरे स्थानों के दर्शन के लिए। देश का परिचय हो जाना बहुत ही अच्छा है क्योंकि तभी आप कुछ समझ सकते हैं कि देश कितना बड़ा है, कितनी दूर-दूर तक फैला हुआ है, कितनी तरह के लोग यहां बसते हैं और आपस में उन सब का कैसा अच्छा सम्बन्ध और बरताव होना चाहिए जिससे हम सब एक साथ मिलकर इस देश को रख सकें। हम मुश्किल से स्वतन्त्र हुए हैं और रह सके हैं। इस देश में जो गरीबी है, जो निरक्षरता है, जो बीमारी है, इन सब चीजों को दूर करना और सब लोग किसी तरह से सुखी हो सकें, स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे और जो लोग ईश्वर की दया से अमीर हैं और जो किसी कारणवश गरीब हैं वे सब सुखी हो जाएं, यही देश का बड़ा उद्देश्य है और इसी के लिए सब प्रयत्न किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोगों के इलाकों में भी कुछ न कुछ काम तो हो रहा होगा जिससे आप सब लोगों को लाभ पहुंचेगा। कुछ लाभ तो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी भी मिल रहा है मगर इससे भी अधिक और आगे लाभ होगा ऐसी आशा की जाती है और इसी आशा से बहुत तरह का काम किया जा रहा है। तो आप लोग जो घर से निकले और इतना देख आए, यह देखने का जो एक अवसर, मौका मिला यह भी बड़ी चीज है। यों तो प्राचीन काल में भी हमारे देश के लोग तीर्थयात्रा के लिए जाते थे, दूर-दूर तक जाते थे, मगर एक साथ इतने आदमी इतनी सुविधा के साथ, इतने कम खर्च में और इतने आराम के साथ नहीं जाते थे। यह आप लोगों को एक बड़ा लाभ हुआ है।

यह दिल्ली एक जगह है जो बहुत दिनों से भारतवर्ष की राजधानी रही है। यहां मुगल बादशाह रहे, हिन्दू राजा रहे, यह अंग्रेजी सलतनत रही और अब आपकी अपनी सलतनत हुई तो आप यहां आए और इस घर को भी आप देख सके और इस बाग-बगीचे को भी देख सके। तो यह सब स्वतन्त्र हो जाने के बाद, जब से हम स्वतन्त्र हुए हमारे लिए एक सहज काम हो गया। पहले एक प्रकार से यह होना ही नहीं था, हो ही नहीं सकता था मगर अब यह सहज होता जा रहा

मथुरा से आए हरिजन कार्यकर्त्ताओं के सम्मुख भाषण; नई दिल्ली, 28 जुलाई,

1959

है। हमें अभी बहुत काम करने बाढ़ी हैं। गरीबी दूर करना चाहते हैं, सब लोगों को सुखी बनाना चाहते हैं। तो यह इतना बड़ा काम दो-चार वर्षों के अन्दर पूरा नहीं हो सकता है। अगर हम लोग मिल-जुल कर इस काम में मदद करेंगे तो काम हल्का हो जाएगा। हमारी तरफ एक कहावत है कि जो बड़े से बड़ा काम भी हो अगर सब लोग मिल-जुल कर उसे करें तो वह काम हल्का हो जाता है नहीं तो छोटे से छोटा काम भी हो, अगर लोग अपस में लड़ने-झगड़ने लग जाएं तो वह नहीं हो सकता। तो जरूरत इसी चीज़ की है कि देश भर के लोग, सारे देश को अपने सामने रख कर ऐसा काम करें जिस में सब की भलाई हो। जिस काम में सब की भलाई होगी तो हमारी भी भलाई होगी। अगर हम दूसरों का नुकसान करके अपनी भलाई करना चाहेंगे और दस आदमियों की भलाई का कोई खयाल नहीं करेंगे तो हमारी भलाई भी बहुत दिन तक नहीं रह सकेगी। सब की भलाई होने पर उसमें हमारा जितना हिस्सा होगा वह हमें मिलेगा और वह हमेशा के लिए स्थाई होगा। इसलिए सारे देश को उन्नत करना, उठाना, सारे देश को गरीबी से बचाना, यही काम सामने रखा गया है जिसमें आप सब का जो भी गांवों में रहने वाले हैं एक हिस्सा है। आप लोग अन्न अधिक पैदा करें। जो-जो काम आप करते हैं। जो जिस काम में लगा हुआ है, अगर वह अच्छा काम है तो वह उसे और अच्छी तरह से करे। इसमें सब का लाभ है और अपना भी लाभ है।

यही बस आप लोगों से कहना है। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग खुश जाएंगे और जाकर गांव के लोगों को तथा सब लोगों को ये सब बातें और खुशखबरी सुनाएं और सब को उत्साहित करेंगे कि वे देश के काम में लगे रहें।

महात्मा भगवानदीन सत्कार समारोह

महात्मा भगवानदीन जी, श्री तख्तमल जी, देवियो और सज्जनों,

कुछ दिन बीते जब दिल्ली में मेरे पास तख्तमल जी और यशपाल जी गए और मुझे यह संवाद दिया कि कुछ भाइयों का यह विचार है कि इस प्रकार का समारोह करके महात्मा जी का सम्मान किया जाए और उसमें मैं भी शरीक होऊँ तो मैं ने इस चीज को बहुत ही खुशी के साथ मंजूर कर लिया। प्रश्न यह था कि यह समारोह कहां और कब किया जाए। स्वभावतः आप लोगों का ख्याल गया कि यह समारोह दिल्ली में हो तो अच्छा होगा। मैंने यह सोचा कि महात्मा जी इस वक्त नागपुर में रह रहे हैं और नागपुर उनका इतना बड़ा कार्यक्षेत्र रहा है तो सब से बेहतर यह हो कि यह समारोह नागपुर में ही किया जाए और इसके लिए मैं कोई मौका ढूँढ निकालूँगा जब मैं नागपुर में कुछ देर के लिए इस काम के लिए आ-जा सकता हूँ। विशेष करके यह इच्छा इसलिए हुई कि मुझे यह सुअवसर मिलेगा कि बहुत दिनों के बाद महात्मा जी के दर्शन होंगे और साथ ही मुझे अपनी सद्भावना और श्रद्धा पेश करने का मौका मिलेगा। और इसलिए आज मैं आप सब भाइयों और बहनों के अनुरोध से इसमें शरीक होकर जो सम्मान आपने महात्मा को दिखलाया उसको एकत्रित करने का श्रेय अपने ऊपर ले लिया।

मुझे खशी इस बात की है कि आज इतने दिनों की सेवा के बाद भी और इस अवस्था में, इस अस्वस्थता में भी महात्मा जी जनता की और देश की सेवा करते रहे हैं। उनके लिए यह स्वाभाविक है क्योंकि इसी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा और अपना जीवन इस काम में समर्पित किया। मुझे वह दिन आज याद है जब आज से शायद पूरे ३६ वर्ष हुए होंगे १९२३ के अगस्त महीने में नागपुर में झंडा सत्याग्रह चल रहा था और महात्मा जी और पंडित सुन्दरलाल जी उस सत्याग्रह का यहां पर नेतृत्व कर रहे थे। हमारे भाई जमनालाल जी वर्धा से बार-बार आया जाता करते थे और कुछ दिनों तक सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा श्री विठ्ठल भाई पटेल आकर यहां ठहरे थे। मेरा यह सौभाग्य था कि मैं तब से कई बार सत्याग्रहियों के साथ नागपुर आया और मेरा परिचय नागपुर से जो उन दिनों हुआ वह किसी न किसी रूप में आज तक जारी है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इतने बहनों और भाइयों के एक बार फिर एक साथ दर्शन कर सका और इस सुन्दर समारोह में शरीक हो सका।

मैं महात्मा जी को बधाई दूँ, आप लोगों को बधाई दूँ या अपने को बधाई दूँ कि आज भी देश उनकी सेवा से लाभान्वित हो रहा है और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह दिन हमारे लिए बहुत दिनों तक आता रहे क्योंकि जब मैं यह देखता हूँ कि बहुतेरे लोग जो उन दिनों में स्वराज्य के हमारे काम में लगे थे एक एक करके उठते जा रहे हैं और जो रह गए हैं, जो रह रहे हैं उन पर बोझ अधिक है। नए लोग आते जा रहे हैं और थोड़े ही दिनों में वे दिन आजाएंगे जब उनमें से कोई भी नहीं रह जायगा जिसने उन दिनों को अपनी आंखों से देखा होगा, जिसने कुछ सेवा देकर अपने को सौभाग्यशाली बनाया होगा।

देश स्वतन्त्र हो गया है और अब अपने भाग्य के निर्णय की पूरी जिम्मेदारी देश की है। उसको वह बनावे तो उसका श्रेय उसको है, उसको बिगाड़े तो उसकी जितनी भी शिकायत है वह भी उसी के शिर पर है। ऐसी अवस्था में मुझे बार-बार यह ध्यान में आता है कि क्या वे दिन हम लोगों के लिए ज्यादा कठिन थे जब हम एक साथ मिलकर बृटिश गवर्नमेंट से जूझ रहे थे, जब हमारे सामने सिर्फ एक ही उद्देश्य था, हमारे सामने एक ही रास्ता था और जब हमारे सामने सिवाय जेल जाने, मार खाने या और प्रकार के कष्ट सहने के दूसरा कोई प्रलोभन नहीं था या आज के दिन हमारे लिए अधिक कठिन है जब हजारों प्रलोभनों का हमको मुकाबला करना पड़ता है और जब हमारे सामने भिन्न-भिन्न प्रकार के उद्देश्य भी आ जाते हैं, विचार भी आ जाते हैं, विचारधाराएं आ जाती हैं, कार्यक्रम आ जाते हैं और उनमें से अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार किसी-किसी को चुनकर आगे बढ़ने की जरूरत पड़ती है। मैं बहुत दिनों के बाद इस निश्चय पर पहुंचा हूँ कि उन दिनों के मुकाबले में आज के दिन हमारे लिए अधिक कठिन हैं और कठिन इसलिए हैं कि आज का काम भी कठिन है, जो उत्साह, जो हृदय का जागता उल्लास उन दिनों में होता था वह आज हमारे में शायद कम है और हम एक तरह से यह समझने लग गए हैं कि हमारा काम एक प्रकार से बहुत कुछ पूरा हो चुका है और अब हमारे विश्राम लेने का, कम से कम विश्राम लेने का, यदि सोने का नहीं, समय आ गया है। तो इससे कठिनाई और भी बढ़ जाती है। मैं मानता हूँ कि आज जितने त्याग और तपस्या की जरूरत है उतनी जरूरत शायद पहले नहीं थी क्योंकि जब कोई प्रलोभन नहीं था तो त्याग का कोई प्रश्न ही नहीं था और जब प्रलोभन होता है तभी-तभी त्याग की आवश्यकता भी मालूम होती है और उसकी परख भी होती है, जांच भी होती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जब तक हम इस जमाने से गुजर रहे हैं और जब तक

हमें इस देश को ऊपर उठाना है, उन्नत करना है और इसको हर तरह से आगे बढ़ाना है तब तक वहीं सच्चा सेवक है जो इस ध्येय को सामने रखकर और किसी तरह से विचलित नहीं होकर और इसको सामने रखकर आगे बढ़ता जाता है। ऐसे लोगों के लिए महात्मा जी का जीवन, महात्मा जी का रास्ता, महात्मा जी का पथप्रदर्शन सब से अच्छा और जोरदार हो सकता है और इसलिए एक ऐसे त्यागी का सम्मान करना बल तथा उत्साह दिलाने वाली चीज है और मैं आशा करता हूँ कि जब हम सब यहां से जाएंगे इस प्रकार का बल और साहस अपने साथ लेते जाएंगे। और महात्मा जी से मेरा यही अनुरोध है कि सारी जिन्दगी अस्वस्थ रहते हुए जिस प्रकार से उन्होंने हमारा पथ-प्रदर्शन किया है, जिस प्रकार से सेवा की है उसे वह जारी रखेंगे और हमारे दिल में किसी प्रकार की शंका नहीं कि हमारी यह आशा हमेशा पूरी होगी। मैं इन शब्दों के साथ अपनी श्रद्धांजलि उपस्थित करता हूँ और आप सब की ओर से महात्मा जी को बधाई देता हूँ।

परेड ग्राउंड में परेड के उपरान्त भाषण

स्थल सेना, वायुसेना, पुलिस, नेशनल क्रेडिट कोर के ऑफिसर और जवानों, बच्चे और बच्चियों, बहनों और भाइयों,

आज बारह वर्ष पूरे होते हैं जब भारतवर्ष ने स्वतंत्र रूप से अपने देश का कारोबार संभाला और इन बारह वर्षों के बीच में मुल्क ने बहुत चढ़ाव और उतराव देखे। बड़ी-बड़ी मुसीबतों का हमें मुकाबिला करना पड़ा और साथ ही बड़े-बड़े महत्व के काम भी हाथ में लिए गए। जब हम बारह बरसों की अपनी जिन्दगी पर विहंगम दृष्टि डालते हैं, इन बारह बरसों के काम का जायजा लेते हैं तो हम को खुशी भी होती है। आइन्दा के लिए उम्मीद भी बंधती है और साथ ही जो अपनी खामियां और कमजोरियां देखने में आई हैं उनपर ध्यान भी जाता है। हमने आज तक इस बात की बड़ी कोशिश की है और इस काम में हम लगे हुए हैं कि स्वराज्य पाने के बाद जो अपने देश में गरीबी है, जो लोगों में निरक्षरता है, जो बीमारियां फैली हुई हैं इन सबको किस तरह से हम दूर करें और इसके लिए बड़ी-बड़ी योजनाएं तैयार की गई हैं, बड़े-बड़े काम हाथ में लिए गए हैं। उनमें से कुछ तैयार हो चुके हैं और उनसे जो फायदा हो सकता है वह फायदा भी कुछ हद तक मिलना शुरू हो गया है। उनमें से बहुतेरे ऐसे हैं जो अभी बीचों-बीच में हैं और जहां पर अभी और भी काम करना जरूरी है काबिल इसके कि उनसे देश को फायदा मिल सके और हमें आशा भी है कि जहां पर अभी काम शुरू ही नहीं हुआ है और जिनके नक्शे और खाके अभी तैयार किए जा रहे हैं, इन सबके पूरा होने पर हम सब उम्मीद रखते हैं कि लोगों की जिन्दगी में सुधार होगा। क्योंकि इतने बरसों के बाद हम इस बात की कोशिश में हैं कि एक तरफ जहां बड़े-बड़े कारखाने खुलें, बड़ी-बड़ी योजनाओं के मातहत नहरें बनाई जायं, बांध बांधे जायं, लोहे, इस्पात और खाद के दूसरे प्रकार के कारखाने खोले जायं, दूसरी तरफ इस ओर भी ध्यान है कि हमारी छोटी-छोटी कारीगरियां, छोटे-छोटे घरेलू धन्धे भी जारी किए जायं जिसमें लोगों को ज्यादा काम मिल सके और दूर-दूर तक वह काम फैल सके। सबसे जरूरी और हर तरह से हमारी जिन्दगी के लिए लाजमी चीज यह है कि हम अपने मुल्क में अपने खाने के लिए काफी गल्ला पैदा कर लें। यह मुल्क कुछ ऐसा बना हुआ है कि यहां हर किस्म की जमीन है। हर तरह की आबोहवा है। हर तरह का हवा पानी है। और जहां एक तरफ हिमालय की बर्फ मौजूद है वहां ऐसी जगहें भी हैं जहां गरमी से लोग मर

रहे हैं, जहां सूखा हुआ रेगिस्तान पड़ा हुआ है वहां हमेशा सैलाब से सताए हुए लोग भी इस मुल्क में बस्ते हैं। एक तरह की चीजों से जहां हमारी मुसीबतें बढ़ती हैं दूसरी तरफ हमको कई तरह की सहूलियतें भी मिलती हैं। कोई ऐसा गल्ला नहीं, कोई ऐसा फल नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जिसको इस मुल्क की धरती पर हम पैदा नहीं कर सकते हों और कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जिसे इस मुल्क की खानों से हम निकाल नहीं सकते हों और इन सबको इन्सान की खिदमत में लगा कर लोगों की बहबूदी के काम में लगा कर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। यह कोशिश हर तरफ जारी है और हम उम्मीद रखते हैं और जैसे जैसे हमारी योजनाएं पूरी होती जाएंगी। हमारे कार्यक्रम कामयाब होते जाएंगे वैसे-वैसे हमारी माली हालत सुधरती जायगी। जहां गवर्नमेंट की तरफ से यह सब योजनाएं बनाई जा रही हैं और उनके लिए जितने तरह के सामान की जरूरत होती है वह जुटाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम उम्मीद रखते हैं कि मुल्क के सभी लोग चाहे वह बड़े हों या छोटे हों इन कामों को अपना काम समझकर उनमें पूरी तरह से मदद देंगे और हाथ बटाएंगे। तभी यह काम कामयाब हो सकता है और जबतक सबका सहारा, सबकी मदद, सबका सहयोग नहीं मिले तबतक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए जब हम यह देखते हैं कि गवर्नमेंट बहुत कामों का भार अपने ऊपर लेती जा रही है और लोगों को सहूलियतें मिलती जा रही हैं, तो हमको यह भी फिक्र होती है कि लोग कहीं ऐसा न समझ बैठें कि हमारा कुछ काम रह नहीं गया, अब सब कुछ गवर्नमेंट जुटा देगी और हमको चुपचाप बैठे सब कुछ मिल जाने वाला है।

मैं जानता हूँ कि बहुत बातों में लोगों में इस तरह की कमजोरी आ भी जाती है और अपने पैरों पर खड़े रहने की जो आदत थी वह कुछ शायद कमजोर पड़ती जा रही हो तो इसमें ताज्जुब नहीं। जरूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट का तो सहारा ही समझा जाय, काम तो सब लोगों का है और लोगों से लेना चाहिए और लोगों को मानना चाहिए कि यह सब उनको चलाना है, करना है, इसमें जो मदद की जरूरत है वह हमको गवर्नमेंट से लेनी है। जब इस तरह से इन सब योजनाओं को अपनी योजना समझ कर उनमें लोग जुट जाएंगे तब हमारी रफ्तार तेज हो जायगी और आसानी से हम आगे बढ़ सकेंगे। मैं तो आशा रखता हूँ कि लोग ऐसा समझेंगे और ऐसा करेंगे।

जहां तक माली कैफीयत के सुधारने की बात है यह सब प्रयत्न किए जा रहे हैं लेकिन हमको यह भी समझना चाहिए कि सिर्फ पैसे से ही आदमी आदमी नहीं

वनता । आदमी अपने चरित्र को, इखलाक को ऐसा बनाए कि वह खुद अपने को आगे बढ़ा सके । अपनी तरक्की कर सके और दूसरों की तरक्की में अपनी तरक्की समझ कर लग जाय । आज जरूरत इस चीज की है कि जो कुछ हमारा चरित्र-बल था उसको और भी मजबूत बनाया जाय और जो उसमें कमी है उसको दूर करें । चारों तरफ से कुछ लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि यहां यह कमी देखने में आती है, वहां वह कमजोरी देखने में आती है । मैं कहना चाहता हूं कि हर आदमी को समझना चाहिए कि अगर कहीं कमजोरी है तो उस कमजोरी के लिए कुछ हद तक वह खुद जिम्मेदार है और जब हम सब अपनी जिम्मेदारी को महसूस करके अपने को सुधार लेंगे तो सारा देश सुधार जायगा इसमें कोई शक नहीं और जबतक अपने को छोड़ सारी दुनिया को सुधारने की कोशिश में हम लगे रहेंगे तबतक सारी दुनिया की कौन कहे हम अपने को भी नहीं सुधार सकेंगे । इस चीज की आज इस मुल्क में जरूरत है क्योंकि बहुत जमाने के बाद बड़ी मुश्किल से हमको आजादी मिली है । यह आजादी इस वजह से नहीं गई थी कि हमारे जिस्म में ताकत नहीं थी । हमारे जिस्म में ताकत जैसे पहले थी वैसी ही आज भी है और हमेशा रही है । अगर कोई कमजोरी हम में आई है तो वह दूसरी वजह से । हमारी आजादी गई और जो कुछ हम में खामियां आईं वह हमारे जिस्म की कमजोरी से नहीं बल्कि इखलाक की कमजोरी से और आज जब हम फिर आजाद हो चुके हैं तो यही हम को मानना चाहिए कि किसी वजह से, किसी के जगाने से सही, ईश्वर की दया से कहो हम कम से कम कुछ दिनों के लिए ऊपर उठे थे उसका फल यह हुआ कि हम आजाद हुए और अगर इस चीज को हम आगे नहीं बढ़ाते जाएंगे, इसमें और तरक्की नहीं करते जाएंगे, कम से कम इसकी कमी दूर नहीं कर सकेंगे तो जो कुछ हमने कमाया है उसको हम खो भी सकते हैं ।

बात यह है कि यहां मुखतिलफ मज्रहब के मानने वाले, भिन्न-भिन्न धर्मों के अनुयायी, भिन्न-भिन्न भाषाओं के बोलने वाले और तरह-तरह के रहन-सहन के लोग इस मुल्क में बसते हैं उनकी तादाद आज करीब-करीब चालीस करोड़ है । इतने लोगों को इकट्ठे रखने और इतने बड़े मुल्क को इकट्ठा रखना बहुत ही बड़ा काम है । ईश्वर की दया से वह काम एक तरह से पूरा हमारे हाथ में मिल गया है । उसके लिए हमें कुछ नया नहीं करना है । उसको कायम रखना, बचा कर रखना, महफूज रखना हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए जहां तक तरफ देश के लोगों का यह बोझ या भार है वह उसमें किसी तरह की खामी नहीं आने दें । दूसरी तरफ हमारी सेना का, हमारी फौज का यह काम है कि अगर किसी की

हम पर हमला करने की हिम्मत हो तो हम उसका डट कर मुकाबिला करें। हमारा विश्वास है कि जिस तरह से आजतक हमारे देश की फौज ने सभी जगहों पर अपना नाम ऊपर रखा है, अपनी बहादुरी से, अपनी त्यागवृत्ति से देश की इज्जत और अपनी इज्जत बढ़ाई है उसी तरह स इस दश को सुरक्षित रखने में आइन्दा भी हमेशा तत्पर रहेगी और लगी रहेगी। मुझे विश्वास है कि अगर एक तरफ से सेना और दूसरी तरफ से देश के सभी लोग मिलजुल कर इस देश को उन्नत रखना चाहें, और भी आगे बढ़ाना चाहें और इस देश को सुरक्षित रखना चाहें तो इसमें कोई शक नहीं कि हमको किसी किस्म का भय नहीं है और नहीं हो सकता है। ईश्वर से हम सबको यही प्रार्थना करनी है कि वह हम सबको यह बल दें ताकत दें कि हम इस देश को सुरक्षित रख सकें जो निधि हमने पाई है उसको बचा कर हम रख सकें। जय हिन्द

आन्ध्र प्रदेश सर्वोदय सम्मेलन का उद्घाटन

राज्यपाल महोदय, साधु सुब्रह्मण्यम्, देवियो और सज्जनो,

सर्वोदय सम्मेलन में शरीक होने का सुअवसर पाकर मैं अपने को सीभाग्य-शाली मानता हूं। कारण यह है कि जब कभी यह सुअवसर मिलता है तो बहुतेरे ऐसे भाइयों और बहनों से मिलने का, उनके साथ सम्पर्क का और उनके अनुभवों को जानने और सुनने का मौका मिलता है जो अपना सारा समय सर्वसेवा में लगा रहे हैं।

इस समय देश के सामने अनेकानेक प्रश्न और समस्याएं हैं और उन सबका कोई न कोई रास्ता निकालना है जिसमें जो स्वतन्त्रता और उसके साथ-साथ अपनी निजी शक्ति हम ने प्राप्त की है उसको हम फिर गवां न बैठें।

मैं देखता हूं कि सारे देश में गवर्नमेंट की ओर से बहुत कुछ किया जा रहा है और बहुतेरे ऐसे लोग जो पहले देश की सेवा में लगे हुए थे कुछ ऐसा समझ बैठे हैं कि अब उनका काम एक तरह से समाप्त हो गया और यह सब भार अब देश के शासन पर आ गया है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और मेरा अपना ख्याल है कि ऐसे सेवकों की जो बिना दूसरे की मदद के देश की सेवा में लग जाएं और अपने लिए स्वयं साधन इकट्ठे करके वह काम चलावें बहुत जरूरी है। अगर ऐसा न हो तो उसका एक दुष्परिणाम यह हो सकता है कि जनता अपनी निजी शक्ति को भूल जाए और स्वावलम्बी होना उसके लिए अधिक कठिन हो जाए। जिस समय हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे उस समय हमको गवर्नमेंट की किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता नहीं होती थी बल्कि हम इस बात को मान लेते थे कि हमारे काम में बाधा पड़ेगी और दिक्कतें आएंगी। मगर उन बाधाओं की परवाह नहीं करके अपने ऊपर और भगवान पर भरोसा करके हम आगे बढ़ते थे और ईश्वर की कृपा से हम बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त करते थे।

अभी आपने जो कुछ काम किया है उसका वर्णन देते हुए कई विषयों का जिक्र किया जैसे शराबबन्दी का। यह काम महात्मा गांधी की प्रेरणा से जोरों से कुछ दिन चल सका था। यों तो उसके पहले भी कुछ लोग इस काम को कर रहे थे और हमेशा करते आए हैं मगर महात्मा जी की प्रेरणा से इस काममें बहुत बल आया और न मालूम हजारों हजार भाइयों और बहनों ने इस काम के लिए केवल

अपना समय ही नहीं दिया बल्कि जेलखाने तक जाना खुशी-खुशी स्वीकार किया । अब एक तरह से यह काम आसान हो गया है क्योंकि कानून के जरिए शराबबन्दी हो सकती है और बहुत जगहों में की भी गई है । मगर शराबबन्दी केवल कानून से कभी पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकती और हमारा आज का अनुभव यह बतलाता है कि जहां शराब कानून से बन्द किया गया है वहां भी अभी लोगों के जनता के बीच काम करने की जरूरत मौजूद है ।

इस तरह से बुनियादी तालीम की बात लीजिए । उस समय गवर्नमेंट से तो कोई मदद की आशा थी ही नहीं । जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने सत्ता अपने हाथ में ली उसने भी मदद करना चाहा और जब से स्वराज्य हो गया तब से मैं नहीं जानता कि इस काम में कितनी प्रगति हुई है । बात यह है कि इस तरह का काम जितना अपने उत्साह से हम कर सकते हैं और जनता के पीछे-पीछे हम गवर्नमेंट को चला सकते हैं उतना सरकार का मुंह देखने से नहीं हो सकता । आज जनता की सरकार है । उसने भी न तो इस काम को पूरी तरह अपने हाथ में लिया है और न वह कर सकती है और इसलिए सर्वोदय समाज और सर्वोदय का काम करने वालों की जरूरत अभी भी है और हमेशा बनी रहेगी । मैं तो इस बात से डरता हूँ कि हम अपने निजी उत्साह को दिन-प्रति-दिन खोते जा रहे हैं और छोटे-छोटे काम के लिए गवर्नमेंट की तरफ नजर दौड़ाते हैं और गवर्नमेंट से मदद की आशा रखते हैं । हमारे देश की परिस्थिति हजारों वर्षों से ऐसी रही है कि बड़े से बड़े कामों को एक सहज तरीके से करने का हम लोग रास्ता ढूँढ लेते हैं और बहुत कुछ गांवों पर और गांवों से भी अधिक व्यक्तियों पर भार रहता था जिस भार को हम खुशी-खुशी उठाते थे और अपना काम कर लिया करते थे । आज सिर्फ वही नहीं बल्कि बहुतेरे दूसरे काम भी गवर्नमेंट ने अपने हाथों में लिए हैं या ले रही है या जनता की ओर से हम डालते जा रहे हैं ।

शिक्षा की बात लीजिए । मैं अपने जीवन की बात कह सकता हूँ । जब मैं छोटा बच्चा था, आज से 70 वर्ष पहले तो उस समय हमारे गांव में क्या, आस पास में 10, 5 गांव के अन्दर भी एक स्कूल नहीं था । मगर इसका अर्थ यह नहीं था कि कोई पढ़ता नहीं था । गांव में जो आदमी कुछ धनी-मानी होता था वह अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गुरुजी रख लिया करता था और गांव के सभी बच्चे उस गुरुजी से पढ़ा करते थे । अगर कुछ हो सका तो जिस से जो बन पड़ा सप्ताह में एक पैसा दो पैसे गुरुजी को वह दे दिया करता था और जो धनी-मानी हुआ करता था वह गुरुजी को खिलाया करता था और कुछ मुशहरे के रूप में भी दे दिया

करते थे। हम यह नहीं कह सकते थे कि शिक्षा का प्रचार बहुत दूर तक था मगर किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता था, लोग अपने बल से शिक्षा का प्रचार करते थे। अब तो एक प्राथमरी स्कूल की भी जरूरत होती है तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में या प्रान्तीय सरकार के पास लोग जाते हैं।

इसी तरह से यद्यपि आज बड़े-बड़े अस्पताल बड़े-बड़े शहरों में खुल गए हैं छोटे-छोटे दवाखाने भी और जगहों में खुले हैं। उन दिनों में गांव-गांव में डाक्टर तो नहीं हुआ करते थे मगर वैद्य हुआ करते थे। वह यद्यपि बहुत पढ़े-लिखे नहीं होते थे, थोड़ा-बहुत उन्होंने सीख लिया था मगर उतने से ही उन दिनों की मामूली बीमारियों को वह सम्भाल सकते थे। आज जैसे-जैसे अस्पताल खुलते जा रहे हैं, हैं, बीमारियां अच्छी होती जा रही हैं मगर नई-नई बीमारियां भी पैदा होती जा रही हैं। तो यह सब चीज में आपको एक मिसाल के लिए बता रहा हूं कि हम आत्मनिर्भर रहा करते थे। अब सब चीजें एक दूसरे पर भरोसा करने लग गई हैं। अभी इसी तरह से और भी बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं जो अगर हम खुद करते तो शायद इतने बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते मगर तो भी हो सकता था।

आपका आन्ध्र प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें गांवों में बड़े-बड़े तालाब न मालूम कितने जमाने से खुदे पड़े हुए हैं जिनसे पानी लेकर खेत पटाया जाता था। वे बहुतेरे एक-एक करके या तो भर गए या ऐसे हो गए हैं कि उनमें से बहुतेरों से काम नहीं चलता और अब हम उनकी जगह पर बहुत बड़े-बड़े तालाब खुदवा रहे हैं, बड़ी-बड़ी नदियों में बांध बांध रहे हैं। यह सब अच्छा है। इससे आशा है कि लोगों को कुछ लाभ पहुंचेगा। मगर जो आदमी अपने घर में, अपने खेत में अपने कुओं से सारा काम चला लेता था, अब उसको कहीं 10, 20, 50 कोस पर बांधे बांधे पर पानी के लिए भरोसा करना पड़ेगा, उसी तरह से कहीं दूर पर बने बिजली के कारखाने पर बिजली के लिए भरोसा करना पड़ेगा। तो यह आज की दुनिया का तरीका हो गया है और हम नहीं जानते कि कहां तक अगर हम चाहें भी तो उससे अपने को बचा सकते हैं। मगर यह सोचने की चीज है कि आत्मनिर्भरता को छोड़कर इस प्रकार से परतन्त्र हो जाना कहां तक मानव के लिए हितकर होगा। मगर हमारी परतन्त्रता आज दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। हम ने राजनीतिक परतन्त्रता से, शासन की परतन्त्रता से तो अपने को मुक्त कर लिया है मगर इस प्रकार की परतन्त्रता हममें से प्रत्येक पर बहुत जोरों से लादी जा रही है और न मालूम कुछ दिनों के बाद हमारी क्या हालत होगी। ऐसे भी दिन हिन्दुस्तान जैसे देश में आ सकते हैं जब हमारे घर में कहीं चूल्हा

नहीं जले, कहीं रसोई नहीं हो और सब को सब चीजें कहीं से टिन में बन्द करके और ला करके पहुँचाई जाए और उसको हम खाएं और खाकर जिन्दा रहें ।

महात्मा गांधी इन चीजों से जलते नहीं थे, भागते नहीं थे मगर वह यह जरूर चाहते थे कि जहां तक हो सके विकेंद्रीकरण किया जाए । उनका ध्येय आज का केंद्रीकरण नहीं था । मगर आज की दुनियां केंद्रीकरण की तरफ जा रही है और हम अपने को उसके प्रभाव से बचा नहीं सकते और हम भी जहां तक हो सकता है अधिक से अधिक केंद्रीकरण में लगे हुए हैं और करना चाहते हैं । जब मैं सर्वोदय सम्मेलन की तरफ ध्यान डालता हूं तो मालूम होता है कि इस प्रकार की संस्था अगर कायम रह जाए तो कम से कम जब पूरी तरह से केंद्रीकरण हो जाएगा तो कहने के लिए रह जायगा कि भाई, अगर हमारा चलता तो शायद हम ऐसा नहीं होने दते । जहां तक हम इस तरह से प्रत्येक मनुष्य को स्वतन्त्र रखने के काम में सफल होंगे वहां तब मैं समझता हूं कि केवल इसी देश का नहीं, मानव मात्र का हम भला करेंगे ।

मैं नहीं मानता हूं कि सभी चीजें बहुत बड़ी बनाई जायें और जितनी बड़ी चीज हो उतना ही उसका महत्व माना जाए । छोटी चीजों का भी महत्व होता है और मैं मानता हूं कि कहीं-कहीं छोटी चीजों का महत्व अधिक होता है । बहुत बड़ी एक मशीन में हम एक पेच या पुर्जा बनकर रहेंगे या अच्छा है या छोटा ही सही मशीन बनकर रहेंगे यह अच्छा है यह सोचना है । हम समाज में स्वतन्त्र बनकर रहेंगे, एकाई होकर रहेंगे या समाज में इस तरह से मिल जाएंगे कि हम कुछ रह ही नहीं जाएंगे, एक सिर्फ समाज ही रह जायगा । आजकल हम बहुत कुछ प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र के सम्बन्ध में सुनते हैं । सच पूछिए तो सच्चा प्रजातन्त्र वही है जिसमें प्रत्येक प्रजा स्वतन्त्र हो, स्वतन्त्र केवल इस मानने में नहीं कि उस पर अपने शासन का भार हो बल्कि इस माने में कि वह किसी चीज के लिए दूसरों पर परतन्त्र नहीं हो । तभी वह सच्चा लोकतन्त्र होगा । मगर लोकतन्त्र यह भी समझा जा सकता है कि सब कुछ व्यक्ति से हटाकर समष्टि में डाल दिया जाए, समाज ही के हाथ में सब कुछ हो, व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं हो, जो कुछ करना हो समाज ही करे, व्यक्ति कुछ रह नहीं जाए । यह भी एक तरीका है । हमें सोचना और निश्चय करना है कि आखिर हम क्या चाहते हैं । हम व्यक्तित्व चाहते हैं या नहीं । हम इस प्रकार का लोकतन्त्र चाहते हैं जिसमें व्यक्ति भी हो या इस प्रकार का लोकतन्त्र चाहते हैं जिसमें समाज ही सब कुछ हो, व्यक्ति रह ही नहीं जाए । सब से अच्छा तो यह होगा कि जहां तक व्यक्ति का सवाल है वह अपनी

मर्यादा के अन्दर स्वतन्त्र रहे और जहां समाज की जरूरत हो वहां समाज भी आवे । जब इस प्रकार से मध्यम मार्ग मिले तो वह सब से अच्छा है । मगर आज मध्यम मार्ग में हम अपने को लाना चाहें तो जब बिल्कुल नीचे की ओर खींचेंगे तभी वह मिलेगा, समष्टि से अपने को व्यक्ति पर नहीं ला सकते हैं । जहां समष्टि की बात हो रही है वहां व्यक्ति की बात क्या की जाए, वहां तो मध्यम मार्ग की ही बात हो सकती है । यह सर्वोदय समाज का सब से बड़ा काम है कि दूसरी तरफ से जो कुछ मुश्किलें लोग पैदा करें मगर अन्त में आप विकेन्द्रीकरण की ओर ही चलें, समाज को ले जाएं तब यह आपका बड़ा काम होगा ।

मुझे आपके सम्मेलन में आकर इसलिए खुशी हुई कि आपसे मिलकर प्रेरणा मिली है और प्रेरणा लेकर मैं जाऊंगा । मैं आशा करता हूं कि आपका काम सदैव इसी प्रकार से प्रगति करता जायगा और मुझे मौका मिलता रहेगा कि आप लोगों से मिलता रहूं ।

गान्धी भवन, हैदराबाद में स्काउट्स और बुलबुल की रैली राज्यपाल महोदय, स्काउट्स और गाइड्स, देवियो और सज्जनों,

आज आप सब से मिलकर और जो कुछ बच्चों ने दिखलाया उसको देखकर और सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। स्काउट्स और गाइड्स आन्दोलन इस मुल्क में कई वर्षों से चल रहा है और मेरी भी थोड़ी बहुत दिलचस्पी इस मूवमेंट के साथ रही है। इसलिए जब कभी ऐसा मौका होता है जहाँ स्काउट्स और गाइड्स से मैं मिल सकूँ और कुछ देख सकूँ और सुन सकूँ तो उससे मुझे बड़ी खुशी हो जाती है और मैं अपने को खुश करता हूँ और समझता हूँ कि इससे शायद बच्चे भी खुश रहते होंगे। यह मूवमेंट अच्छी तरह से इस मुल्क में भी चल गया है और खास करके जैसा अभी बताया गया इस राज्य में तो इसकी तरक्की और राज्यों के मुकाबले और भी अच्छी हुई है और यह तरक्की सिर्फ इतने से ही काफी नहीं समझी जायगी कि आज इस मूवमेंट में कितने बच्चे और बच्चियाँ शरीक हैं बल्कि उनकी शिरकत का नतीजा यहाँ की जिन्दगी में, यहाँ के लोगों के रहन-सहन में जल्द से जल्द आना चाहिए। हम तो यह उम्मीद रखते हैं कि जैसे-जैसे ये बच्चे जो इस तरह की तालीम पर रहे हैं सयाने होंगे और समाज में जाकर अपनी जिन्दगी बसर करने लगेंगे वैसे-वैसे हमारे मुल्क की हालत बहुत बातों में बदलेगी।

मुल्क को सब से ज्यादा इस चीज की जरूरत है कि इस देश के लोगों का चरित्र, इखलाक अच्छा हो जाए और इस मूवमेंट का खास मकसद यही है कि उनकी रहन-सहन, तौर-तरीके, चाल-चलन और अखलाक बेहतर से बेहतर हो जाएँ और वे इस तरह से अपनी जिन्दगी बसर करने लग जाएँ जिससे समाजके एक अच्छे मمبر की हैसियत से ही नहीं रहे बल्कि सारे समाज को अच्छी से अच्छी सेवा दे सकें।

इस मूवमेंट में और कितनी बातें सिखायी जाती हैं और वे इस तरीके से नहीं सिखायी जाती हैं कि बच्चों पर भार पड़े, उनको बोझ महसूस हो बल्कि इस तरीके से उनको बताते और सिखाते हैं कि खेल-कूद के जरिए से और इस तरीके से जिसमें उनका दिल अच्छी तरह से लग जाए, बहल जाए और अच्छी से अच्छी बातें वे सीख लें। इसीलिए इस मूवमेंट की इतनी बड़ी अहमियत और कीमत

गान्धी भवन, हैदराबाद में स्काउट्स और बुलबुल की रैली में भाषण ;

है और सिर्फ इसी मुल्क में नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में भी जिनसे हम ने इसे सीखा है बहुत जोरों से यह चीज जारी है। हम उम्मीद रखते हैं कि जो सुभीता आज के बच्चों को मिल रहा है जो हम लोगों को बचपन में नहीं मिली था उसका बेहतर से बेहतर फल देश के लोगों को मिलेगा और आइन्दे चलकर जो मुल्क के सामने बड़े से बड़े मसले आएंगे, बड़े से बड़े सवाल आएंगे उनको हल करने में जो कुछ उनकी इस वक्त तालीम हुई रहेगी उससे उनको और फायदा पहुंचेगा।

मैं इन बच्चों को धन्यवाद या शुक्रिया बधा दूँ। ये तो मेरे आशीर्वाद के ही हकदार हैं और इनको मेरा आशीर्वाद है कि ये आगे बढ़ें, फूलें-फलें, अपने को खुश करें अपने नजदीक वालों को खुश करें और दूरवालों को भी खुश करें। मेरी ऐसी उम्मीद है कि जिस तरह की तालीम ये पा रहे हैं वह तालीम उनको इस काबिल बना देगी कि उनके जरिए से मुल्क की काफी खिदमत हो। मैं एक बार फिर इनको आशीर्वाद देता हूँ और उनके तमाम अफसरों को जिन्होंने मुझे यहां बुलाया और आकर सब कुछ देखने और सुनने का मौका दिया उन सबको शुक्रिया।

उस्मानिया ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन

श्री गवर्नर और हजरात,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं आपके इस जलसे में आज इस वक्त शरीक हो सका। हमारे सामने जो एसोसिएशन की रिपोर्ट रखी गयी है उससे हम सब को पता चला कि पिछले 27 वर्षों में इस एसोसिएशन ने किस किस काम का और कितना अच्छा काम किया है और उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक महकमे को ही अगर हम अपनी आंखों के सामने रखें तो मालूम होगा कि एक्जीबिशन का यहां करना और इतने बड़े पैमाने पर, यह इस सूबे के लिये एक निहायत अहमियत की चीज हो जाती है। और जहां सब किसम की चीजें जो यहां तैयार होती हैं, बन पाती हैं, सब आती हैं और देखी जाती हैं, यहां के ग्राम वालों के लिये और यहां के खरीदारों के लिये जहां इस बात का जरिया मिल जाता है कि कौन सी चीजें यहां पैदा होती हैं, कौन-कौन चीजें आप यहां पा सकते हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है और जब मैं यह ख्याल करता हूं कि आप इस काम को प्रायः पिछले 20, 22 वर्षों से करते आ रहे हैं और सालाना करते आ रहे हैं तो मुझे इस बात को मानना ही पड़ता है कि आपका यह एसोसिएशन सिलसिले से काम करता आ रहा है और जिस काम में इसने अपना हाथ लगाया है उस काम को आगे बढ़ाया है।

मुझे यह जानकर और भी खुशी हुई कि यहां के सभी ग्रेजुएटों को और दूसरे तालीमयाप्ता लोगों को इस तरीके से आप तैयार कर रहे हैं कि वे मुल्क की खिदमत और बेहवूदी के लिये लोगों में लगन पैदा कर सकें और जिन बातों पर उनकी राय जानना जरूरी समझा जाये उन सब को वे लोगों के सामने इस तरह से रखें कि वे ठीक तरह से अपनी राय दे सकें। जब आज हम ने तरीकाए जम्हूरियत अख्तियार किये हैं तो हमारे मुल्क के लिये यह निहायत जरूरी चीज है कि सभी सवाल लोगों के पास रखे जा सकें और इस तरीके से रखे जायें कि लोग उनको ठीक समझ कर अपनी राय दे सकें और इसके लिये इस तरह की जितनी संस्थाएं हैं जो लोगों तक इन चीजों को, इन सवालों को पहुंचाने में और उनकी राय जाहिर कराने में मददगार हो सकें दोनों हमारे लिये और उनके लिये आवश्यक हैं। इसलिये मैं आप सब को इस काम के लिये मुबारकबाद देता हूं कि और मैं

उस्मानिया ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते समय भाषण; हैदराबाद, 21 अगस्त, 1959

उम्मीद रखता हूँ कि आइन्डे आपका काम और भी ज्यादा कामयाबी के साथ हो सकेगा और और भी ज्यादा खिदमत आप कर सकेंगे ।

आपने तालीम के सवाल पर बहुत कुछ कहा । मुल्क के सामने तालीम, शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर सभी लोग कुछ न कुछ सोच रहे हैं और जिसके बारे में बहुत कुछ सोचना जरूरी भी है । अगर पिछले 50 वर्षों की हालत का जायजा हम लगा सकें तो हमको मालूम होगा कि जिस चीज को हम तालीम कहते हैं याने स्कूलों या कालेजों के जरिये से किताबों का पढ़ना-लिखना, यह तालीम पिछले 50 वर्षों में कितनी बढ़ी है इसका अन्दाजा लगाना मुश्किल है । मैं अपनी जिन्दगी से ही यह देखता हूँ कि हमारी जिन्दगी में कितनी वृद्धि हुई है तो हमको ताज्जुब भी होता है और यह समझ में नहीं आता कि इतनी आसानी से और बगैर इस बात का किसी तरह से शोरगुल मचाये तालीम इतनी हद तक किस तरह से बढ़ गयी । मैं जानता हूँ कि जिस समय मैं कालेज में पढ़ता था उस वक्त सारे हिन्दुस्तान भर में 4, 5 यूनिवर्सिटियां थीं और इस वक्त तो यूनिवर्सिटियों की तादाद इतनी बढ़ गयी है कि 4, 5 यूनिवर्सिटियां तो आपके सूबे में ही हैं । और यूनिवर्सिटियों के मुकाबले में कालेजों की तादाद तो और भी अधिक बढ़ी है । मैं बिहार का रहने वाला हूँ । जिस वक्त मैं पढ़ता था बिहार बंगाल का एक हिस्सा था । बिहार का जो हिस्सा था उसमें जहां तक मुझे ख्याल है 4 कालेज थे और इस वक्त कम से कम 120 कालेज हैं । यूनिवर्सिटी एक ही कलकत्ते की यूनिवर्सिटी थी जो सारे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम और बर्मा सब के लिये एक ही थी । आज मैं नहीं जानता कि सब मिलाकर कितनी यूनिवर्सिटियां कायम हो गयी हैं । तो इस तरह से तालीम कितनी तेज रफ्तार से बढ़ रही है इसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है ।

मगर जब एक तरफ ध्यान जाता है तो कुछ थोड़ी फिक्र भी होती है । वह इसलिये कि आखिर इस तालीम का नतीजा क्या है । जितने लोग कालेजों से पढ़कर निकल रहे हैं और जो दरवाजे-दरवाजे नौकरी की तलाश में फिरते हैं पर उनको मुलाजमत नहीं मिलती और इस तरह से वे नाउम्मीद होकर घर में बैठ जाते हैं और वाहायात खुराफात सोचने और करने लगते हैं तो इसका क्या इन्तजाम हो जिसमें हमारी तालीम ऐसी हो जिसमें वे लोग बेकार नहीं रहे और न सिर्फ नौकरी के लिये ही बल्कि किसी किस्म का काम हो उसके लायक वह बन जायें और वह उसमें लग जायें । मैं यह मानता हूँ कि इसमें हमारी पूरी कामयाबी नहीं हुई है और हम यह जानते हैं कि तालीमयापता लोगों की बेरोजगारी, बेकारी

दिन-त्र-दिन बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से उनकी तादाद बढ़ती है उसी हिसाब से उनकी मुलाजमत नहीं बढ़ सकती। तो लाजिमी हो जाता है कि उनमें से बहुतेरे बेकार हो जायें और बेकार हैं। अभी हमें सोचना है कि हम इस पुराने रख को किस तरह से बदलें जिसमें ऊंचे से ऊंचे दर्जे की तालीम हमारे लोगों को मिल सके और सब लोग एक ही रास्ते पर दौड़ें नहीं जायें जहां जहां सबके जाने की गुंजाइश भी नहीं है बल्कि मौके-मौके से सब आदमी अपनी अक्ल के मुताबिक, जो उनकी इलमियत है उसके मुताबिक अपने-अपने काम में लग जायें, मौके-मौके से लग जायें और हर किस्म की तालीम उनको मिले जिसमें कोई आदमी तालीम पाकर बेकार नहीं हो।

इस वक्त हमारी युनिवर्सिटियों में बहुत करके ऐसा देखने में आता है • • कुछ लोगों को मेरी ये बात शायद पसन्द नहीं आये वे मुझे माफ करेंगे • • • कि जो वहां से पास करके निकलते हैं वे सिर्फ बेकार ही नहीं होते हैं बल्कि वे किसी काम के लायक नहीं रहते और दोनों में अन्तर है। बेकार होना अपने वश की बात नहीं है मगर किसी काम के नाकाबिल होना अपने वश की बात है। पहले को हम दूर नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरी चीज तो दूर हो सकती है। मेरा अपना ख्याल है कि दूसरी चीज को दूर करने पर पहली चीज मुनहसिर है। तो शिक्षा को कुछ ऐसा बदलना है जिसमें जो लड़के बी० ए० पास करके निकलें वे नौकरी के पीछे ही न पड़ें बल्कि घर में उनके बाप-दादा जो काम किया करते थे उससे उनको अलग न रखें और उनमें यह काबलियत होनी चाहिये कि उस काम को वह ठीक अंजाम दे सकें और उनके बाप-दादा जहां एक पैदा करते थे वहां वे तीन पैदा कर सकें तभी वह तालीम ठीक समझी जायगी और जब तक उनमें इस तरह की काबलियत नहीं होती कि वे जिस काम में लग जायें उस काम को वे बेहतर तरीके से कर सकें और उसमें वे ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकें तब तक हमारी तालीम पूरी नहीं समझी जायगी और इसीलिये हमारे यहां यूनिवर्सिटी कमीशन, सेकन्डरी बोर्ड कमीशन जिनका आपने जिक्र किया, बनीं और सब ने अपनी अपनी रिपोर्टें दीं। सब की सिफारिशें आज मुल्क के सामने हैं और कोशिश भी की जा रही है। मगर अभी तक यह तथ नहीं हो पाया है कि जो तालीम पाकर निकलते हैं वे क्या काम करेंगे और आज क्या काम है। इन दोनों में मेल होना चाहिये और ऐसा हो कि तालीमयापता लोग बेकार नहीं रहें और ऐसा मौका नहीं आवे कि किसी काम के लिये आदमी नहीं मिलेगा। जैसा काम हो वैसा आदमी तैयार हम करने लग जायें तभी हमारी तालीम पूरी कही जा सकेगी।

हम तो उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह से आपके ऐसोशियेशन के जरिये से इन सब चीजों की तरफ ध्यान दिलाया जायगा और जैसा वह आज तक काम करता आया है करता रहेगा। अगर ऐसा होगा तो आपका ऐसोशियेशन एक बहुत बड़ा काम कर सकेगा और जैसा आज तक उसने किया है उससे भी ज्यादा कर सकेगा। इसके लिये आपको मुबारकबाद देता हूँ। मुझे खुशी है कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके इस जलसे में शरीक हो सका और मैं इस सम्मेलन का इन्फोर्मेसन कर सका।

विनयाश्रम में भाषण

पूज्य स्वामी सीताराम जी, बहनों और भाइयो,

बहुत दिन से मैंने अपने मन में एक प्रकार से वचन दे रखा था कि मैं इस आश्रम में एक न एक दिन अवश्य आऊंगा और स्वामी जी के दर्शन करूंगा। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरा वह संकल्प पूरा हो गया। बहुत वर्ष पहले मैं आश्रम में एक बार और आया था और स्वामी जी ने मुझे अतिथि रखा भी था। उस समय से आज तक देश की परिस्थिति बहुत बदल गयी है। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं आप सब को तेलुगू में नहीं संभाषित कर सकता हूँ। पर मुझे इस बात की खुशी है कि आप मुझे हिन्दी में बोलने की इजाजत दे रहे हैं।

आन्ध्र प्रदेश का हिन्दी के प्रति प्रेम आज से नहीं बहुत दिनों से है। जब मैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में आन्ध्र प्रदेश का पर्यटन कर रहा था तो सभी जगहों में मुझ से कहा जाता था कि मैं हिन्दी में ही भाषण करूँ। मुझे इस बात की खुशी होती थी क्योंकि अन्य स्थानों में कई जगहों पर मुझ से अंग्रेजी में भाषण करने को कहा जाता था। अब आन्ध्र प्रदेश के साथ तेलंगना के मिल जाने के कारण से हिन्दी का प्रचार भी इस प्रान्त में बढ़ेगा। इसलिए आज मुझे यदि आप इजाजत दे रहे हैं कि मैं हिन्दी में कहूँ तो मुझे आश्चर्य नहीं होता। महात्मा गांधी ने हमको बताया था कि जब तक हम देश की अपनी भाषा में सोचना, बोलना और कहना आरम्भ नहीं करेंगे तब तक हमारा देश के प्रति कर्तव्य पूरा नहीं होगा।

स्वराज्य प्राप्ति के बाद जो हमारे देश की सेवा करने वाले लोग थे उनके कार्यक्रम का रूप बदल गया है। उनमें से बहुतेरे लोग गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। मगर अभी बहुत लोग जहाँ-तहाँ इस प्रकार के कामों में लगे हुए हैं जिनको महात्मा गांधी ने बताया था कि देश की उन्नति के लिये वह करना आवश्यक है। विनयाश्रम की स्थापना भी इसी प्रकार के निर्माण के कार्यक्रम को पूरा करने के लिये हुई थी और आज भी जो कार्यक्रम पूज्य महात्मा गांधी जी ने बताया था उस कार्यक्रम के अनुसार इस आश्रम में काम हो रहा है।

आज हमारे देश के अन्दर बड़े-बड़े काम गवर्नमेंट की तरफ से किये जा रहे हैं। ऐसे कामों में जनता का भी भाग होना है और जनता की भी सेवा अपेक्षित है क्योंकि कोई भी काम हो, यदि वह देश की सच्ची सेवा का काम होगा तो उसमें जनता के सहयोग के बिना हम सफलता नहीं पा सकते हैं। मैं तो यह चाहता

हूँ कि जो स्वतन्त्र रूप से इस प्रकार के आश्रम काम करते हैं और भी अधिक बढ़ें, और भी अधिक जोरों से काम किया जाये। क्योंकि इस प्रकार के काम से लोगों की आत्म-निर्भरता बढ़ती है और उनकी अपनी शक्ति विकसित होती है और अन्ततः मनुष्य का अपने ऊपर ही भरोसा करना सब से अच्छा होता है।

प्राचीन काल से हमको यह सिखाया गया है कि चाहे दुःख में रहें चाहे सुख में रहें, कम मिले चाहे बेशी मिले उसी से संतोष करना चाहिये। अनेक प्रकार के धन सम्पत्तियाँ जो हमको मिलीं उसमें मैं समझता हूँ कि सब से बड़ी और कीमती सम्पत्ति यह संतोष है। आज हम किसी न किसी रूप में इस संतोष को नष्ट कर रहे हैं और उस संतोष के बदले में अधिक से अधिक अपनी इच्छा और कामना को बढ़ाते जा रहे हैं और जितनी यह इच्छा और कामना बढ़ती है सब पूरी नहीं हो सकती है। उसको पूरा करने का अभी हमारे देश में साधन भी नहीं है। ऐसी अवस्था में यदि हम अपनी इस प्राचीन सम्पत्ति को सुरक्षित रख सकेंगे तो चाहे दुःख में रहें हम सुखी रहेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्नति के लिये प्रयत्न न किया जाय। प्रयत्न करते जाना चाहिये मगर ईश्वर के हाथ में प्रयत्न के फल को छोड़ना चाहिये और प्रयत्न के फलस्वरूप जो कुछ भी मिले उससे ही संतोष करना चाहिये।

हजारों वर्षों से हमारे देश पर अनेकानेक विपत्तियाँ आयीं, कितने आक्रमण हुए, कितने विप्लव हुए। इन सब आक्रमणों और विप्लवों के होते हुए भी यह आज तक सुरक्षित है यह आश्चर्य की बात है। मैं मानता हूँ कि इसका एकमात्र कारण यह है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, देवताओं ने हमें ऐसी शिक्षा दी कि हम संतुष्ट रहें।

आश्रम में जिस प्रकार से निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा की जा रही है वह सराहनीय है और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आपने आज के योगी विनोबा जी के कार्यक्रम को अपने सामने रखकर उनके रास्ते पर चलने का निश्चय किया है। स्वामी सीताराम का जीवन तो आपके सामने दिन-प्रति-दिन रहता ही है और आपको उनसे प्रेरणा मिलती रहती है। मैं आशा करता हूँ कि आप जिस प्रकार से अभी तक यह आश्रम सेवा का काम करता आया है आगे भी करता जायगा और इसे आप सब की सहायता मिलती रहेगी। आप सब भाई बहनों को बहुत-बहुत धन्यवाद।

विनयाश्रम में सार्वजनिक सभा में भाषण

बहनों और भाइयो,

बहुत दिनों के बाद आपके इस नगर में मैं आ सका हूँ, इसलिये मुझे अधिक प्रसन्नता है। देश स्वतंत्र हो गया है और आज इतना बड़ा भारतवर्ष कन्याकुमारी से काश्मीर तक और द्वारिका से जगन्नाथपुरी तक एक राज्यसूत्र में शांति हो रहा है, स्वराज्य आज हम बहुत दिनों के बाद भारत वर्ष में प्राप्त कर सके हैं। इसलिये इस स्वतन्त्रता को गैर और भारतवर्ष की एकता को सुरक्षित रखना प्रत्येक भारतवासी का पहला कर्तव्य है।

भारतवर्ष में अनेक प्रकार के लोग बसते हैं, लोग अनेक भाषाएं बोलते हैं और अनेक धर्मों का पालन करते हैं। तो भी इस अनेकता के बीच में आज से नहीं अनन्त काल से भारतवर्ष एक रहा है। इस देश में केवल राजनीतिक एकता नहीं थी वह भी हमको आज मिल गयी है। यह महात्मा गांधी की कृपा का, उनकी तपस्या का फल है कि आज हम स्वतन्त्र होकर अपने देश का सारा भार अपने ऊपर ले रहे हैं। पर अभी महात्मा गांधी जैसा चाहते थे कि हमारे देश का प्रत्येक निवासी सुख से अपने-अपने स्थान पर रह सके और दोनों शाम भर-पेट अन्न पा सके, शरीर के लिये कपड़ा पा सके यह सभी पूरा नहीं हो पाया है। अभी सब प्रयत्न इसलिये किये जा रहे हैं जिसमें देश से गरीबी और अनक्षरता दूर हो जाय। इसमें जब तक सब लोग मिलकर सहयोग नहीं देंगे तब तक हम कामयाबी, सफलता नहीं पायेंगे। इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि देश के सभी लोग देश की उन्नति के काम में योगदान दें।

आप गांव क रहन वाल हो और देश को अन्न देते हो। आप ही लोगों के परिश्रम और अध्यवसाय के द्वारा देश की उन्नति हो सकती है। हम यह चाहते कि आप लोग चाहे आप जिस काम में लगें हों उस काम को अच्छी तरह से करें जिसमें आप अपना कल्याण करें और देश का भी कल्याण हो।

आप लोग यहाँ पर बड़े भाग्यशाली हो कि आपके मध्य में एक ऐसा आश्रम काम कर रहा है। इस प्रकार के आश्रम ऐसे लोगों को उत्पन्न करेंगे जो दत्तचित्त होकर, त्यागवृत्ति धारण करके, स्वार्थ को छोड़कर आपकी सेवा कर सकेंगे। यह कोई हमारे देश के लिये नयी बात नहीं है। जब से भारतवर्ष भारतवर्ष हुआ है, इस प्रकार के आश्रम ही हमारे देश की उन्नत करने में सफल हुए हैं। एक-एक

चीज को अगर आप ध्यानपूर्वक ख्याल करें और उसमें अपना जो ऐब हो उस ऐब को दूर करने का प्रयत्न करें तो आप आसानी से सारे देश को उन्नत कर सकेंगे ।

आपके इस राज्य में मद्य निषेध का कानून बहुत दिनों से जारी है । कानून तो बन गया है मगर सचमुच मद्य निषेध करने का काम जो लोग गांवों और शहरों में बसते हैं वे ही पूरा कर सकते हैं । जनता में ऐसा लोकमत हो जाना चाहिये कि किसी की भी हिम्मत न हो और किसी की इच्छा नहीं हो कि वह मद्य लेता रहे ।

इसी तरह से खादी प्रचार का काम है । घर घर में खादी बनने लगे और सब लोग अपने बुने कपड़े को पहनने लग जायें तो फिर बाहर से कपड़ा मंगाने की बात नहीं रहे । महात्मा गांधी कहा करते थे कि प्रत्येक गांव को सब बातों में जहां तक हो सके स्वावलम्बी हो जाना चाहिये । आप देखें कि आपका गांव कहां तक स्वावलम्बी है और यदि नहीं है तो किस बात में नहीं है और उसका प्रबन्ध करने की बात आप सोचें । दो चीजें याद रखनी चाहिएं । एक तो स्वावलम्बी हो जाना, साथ ही साथ सहयोगी भी हो जाना अर्थात् जितनी अपनी निजी आवश्यकताएँ हैं उनको कम से कम करके स्वावलम्बी बनें और जहां दूसरों की सहायता करनी हो, दूसरों के साथ सहयोगी बनें और जो कुछ भी आप करें देश को हमेशा याद रखें जिसमें आपसे कोई ऐसी भूल या गलती नहीं हो जिससे देश को हानि पहुंचे । देश के लिये स्वतन्त्रता और एकता सब से अत्यन्त कीमती और आवश्यक चीज है । इसलिये भारतवर्ष में आज प्रत्येक भारतवासी को यह सौगंध लेनी चाहिये कि वह इस एकता में किसी प्रकार से कमी नहीं आने देगा । आज देश के अन्दर भिन्न-भिन्न भाषाभाषी लोग बसते हैं, भिन्न-भिन्न धर्मावलम्बी लोग बसते हैं । सब को मिल-जुल कर देश को एक मानना है और आगे बढ़ाना है और यदि हम इस एकता को कायम रखेंगे तो इसकी स्वतन्त्रता भी स्वयं कायम रहेगी ।

बहुत दिनों के बाद मैं आपके इस इलाके में आया और आप सब के दर्शन हुए इसके लिये मैं आप सब को धन्यवाद देता हूं ।

गांधी ज्ञान मन्दिर में भाषण

बहनों और भाइयो,

मैं वर्धा में विशेष कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। यहां तो मैं आप सब से मिलने आता हूँ, पुरानी संस्थाओं से परिचय नया करने के लिये आता हूँ और यहां से थोड़ा बहुत, जहां तक मुझ से हो सकता है, कुछ उत्साह और प्रेरणा लेकर वापस जाना चाहता हूँ।

अभी आपने अनेकों संस्थाओं के चलाने वालों से मेरा परिचय कराया। उनमें से बहुतेरे लोग ऐसे हैं जिनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ। कुछ नये लोग भी थे जिनको मैं पहले से नहीं जानता हूँ। पर जितनी प्रकार की संस्थाएं हैं उतनी प्रकार की संस्थाएं पहले से चली आ रही हैं। इसलिये कुछ कहने को रह नहीं जाता है। कहना केवल इतना ही मात्र है कि जो काम हो रहे हैं वे उत्साहपूर्वक और अधिक जोरों से चलाये जायें। इससे ज्यादा कुछ नहीं रहता है, खास करके उस अवस्था में जब यह वह स्थान है जहां महात्मा गांधी जी ने अपना बहुत ही कीमती समय बिताया और जो कुछ उन्होंने साबरमती में रहकर देश के लिये सोचा, विचारा उसको लाकर यहां पर परिपूर्ण करने का प्रयत्न उन्होंने किया। आरम्भ मैं यहां उसको पूरा करने के लिये सत्य की खोज करने का प्रयत्न उन्होंने किया।

यहां पर जितनी संस्थाओं के नाम आपने लिये उन संस्थाओं में से कई संस्थाएं ऐसी हैं जिनको इसी काम के लिये यहां उन्होंने स्थापित किया। तो इन संस्थाओं की जरूरत जहां तक मैं समझता हूँ बहुत अधिक है क्योंकि बहुत काम हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है और जहां महात्मा जी के दिनों में मदद मिलने के बदले हमको बाधाएं मिलती थीं और अधिक करके सरकार की तरफ से हमको कोई मदद ही नहीं थी, हां अगर उनकी बड़ी मेहरबानी हुई तो वे तटस्थ रहते थे पर आज स्वराज्य-प्राप्ति के बाद से गवर्नमेंट ने बहुतेरे कामों को हाथ में लिया है, बहुत बड़े-बड़े काम बड़े पमाने पर हो रहे हैं और जो कुछ हो रहा है उस सब से आप तो परिचित ही हैं, खुद हाथ भी बटाते हैं। मगर जो काम गांधी जी ने शुरू किया और उसके लिये वह मरे वह सारे संसार के लिये एक प्रकार से किसी न किसी दिन ग्राह्य होगा ही लेकिन आज भारतवर्ष के लिये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि जहां तक मैं समझता हूँ इन छोटी-छोटी संस्थाओं से इस तरह के प्रयोग किये जा सकते हैं जिन प्रयोगों का असर बड़े-बड़े कामों पर भी पड़ सकता है और एक तरफ जहां हम दौड़ते चले जा रहे हैं वहां पर हमको दूसरी

तरफ मोड़ने के लिये कोई भी साधन है तो इस तरह की संस्थाएं हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस तरह की संस्थाएं अपनी जगह अपना काम करती जायें। उनको बहुत उत्साह नहीं मिले, प्रेरणा नहीं मिले और इस तरह से उपेक्षा भी हो मगर तो भी उनको करना तो जरूरी है। जैसा मैं ने कहा, वह इसलिये जरूरी है कि अगर हम को मुड़ने की जरूरत हुई तो उनसे हमको रास्ता मिलेगा और हो सकता है कि ये संस्थाएं हमको एक दूसरा रास्ता बतलावें भी। अभी तो हम एक रास्ते पर चल रहे हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो महात्मा गांधी के सिद्धान्तों के अनुसार हैं, उनके बताये रास्ते पर हो रही हैं। मगर हम यह नहीं कह सकते हैं कि जितने कार्यक्रम हम ने अपने हाथ में लिये हैं वे सारे कार्यक्रम गांधी जी के कार्यक्रम हैं। हो सकता है कि गांधी जी के कार्यक्रम जैसी गवर्नमेंट है उसके लिये ठीक नहीं हों या यह गवर्नमेंट उनके लिये ठीक नहीं हो कि वह उस कार्यक्रम को चला सके। मगर मैं तो इस बात को मानता हूँ कि जो उनका सिद्धान्त था कि किसी चीज को जहां तक हो सके छोटे पैमाने पर करके उससे बड़ा फल निकाला जाये, चर्खे चलाकर बड़े कारखाने का फल निकाला जाये, लोगों को गांवों में थोड़ा पढ़ा कर ऐसा बना दें कि वे बड़े काम के योग्य बन जायें ठीक था। उसी तरह से दवादारू के सम्बन्ध में आरोग्य ऐसा हासिल हो कि दवा की जरूरत ही नहीं पड़े। ये सब चीजें उनकी मौलिक बातें थीं। पर आज उनकी और हमारा ध्यान कम है। इस तरह की संस्थाएं यदि काम करती रहेंगी तो एक न एक दिन इस तरफ ध्यान जरूर जायगा और यदि हम दूसरे रास्ते पर जाना चाहेंगे तो इससे हमें पथप्रदर्शन मिलेगा।

इसलिये मैं चाहता हूँ कि इस तरह की संस्थाएं यहां पर या और जगहों पर जहां इस तरह की संस्थाएं नहीं हैं स्थापित की जायें और वे अपना काम अच्छी तरह से करती जायें। इसकी परवाह नहीं कि आपकी कोई सुने या नहीं सुने। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी न किसी दिन हमारी बात लोग सुनेंगे।

इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। प्रेरणा का स्रोत तो यहां ही पर है। यहां की मिट्टी के कण-कण में, यहां के घरों की दीवारों से और सभी जगहों से गांधी जी की आवाज निकलती है और जब तक गांधी जी का नाम कायम रहेगा इस तरह की आवाज निकलती रहेगी। मैं आशा करूंगा कि यहां के लोग कम से कम इन चीजों को कायम रखेंगे।

सर्व सेवा संघ के कार्यकर्त्ताओं की बैठक में भाषण

आजकल इस काम से मेरा बहुत सम्पर्क रहा नहीं और सीधे सम्पर्क में नहीं रहने के कारण मैं पूरी तरह से सब चीजों से वाकिफ भी नहीं हूँ। यों तो आप जो कुछ सुनाता चाहते हैं उसे सुन लेता हूँ, कभी-कभी चन्द घंटों के लिये किसी सम्मेलन में भी पहुंच गया हूँ। पर इस तरह से पूरा काम चलता नहीं है। मैं दूर-दूर से देख लूँ यह एक चीज है और आपक सामने कोई ऐसी बात कह सकूँ जिससे कुछ लाभ हो। इसके लिये थोड़े त्याग और सम्पर्क की जरूरत है और अधिक सोचने की जरूरत है। और मुझे क्रियात्मक अनुभव भी नहीं है। जैसा मेरा अपना विचार है खुद कह देता हूँ। वह आपको पसन्द आयगा या नहीं मैं नहीं कह सकता।

दो तीन चीजों के सम्बन्ध में मेरा अपना विचार रहा है कि काम बहुत आगे बढ़ना चाहिये और काम बहुत बढ़ा नहीं है। वह गो सेवा का काम है। नयी तालीम का काम भी ऐसा ही है। मैं समझता हूँ कि इसमें भी अधिक प्रवृत्ति होनी चाहिये, इसमें काफी प्रवृत्ति नहीं हुई है। फिर जो रचनात्मक कार्यक्रम बापू के थे उनमें भी जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिये, जितने जोरों से काम आगे बढ़ना चाहिये वह नहीं बढ़ा है। हो सकता है कि मेरा सम्पर्क नहीं है इसलिये मैं नहीं जानता होऊँ। मगर बापू के दिनों में हमारे सामने बाधाएं बहुत थीं, बाहर का प्रोत्साहन तो था ही नहीं। जो कुछ था वह बापू की प्रेरणा और कार्यक्रम की वजह से। उस वक्त जितना काम बढ़ा इस वक्त उस प्रगति को हम कायम रखेंगे या नहीं रखेंगे इसमें शक है। खादी की बात ले लीजिये। उसमें काफी मदद मिली है और उत्पत्ति और बिक्री हो रही है। यह सब चीज है। मगर खादी के पीछे जो बापू का मंशा था उस चीज को हमने कहां तक आगे बढ़ाया है मैं नहीं जानता। यह जानता हूँ कि जिस प्रकार का समाज बापू बनाना चाहते थे उस प्रकार का समाज तभी बना सकेंगे जब इन चीजों को हम कायम कर लेंगे। अभी जो मैंने सुना उससे उत्साह बढ़ा। ये सब चीजें उस दिशा में ले जाने वाली चीजें हैं। जिस तरह से आपने सोच लिया है और विनोबा जी ने क्रियात्मक दर्शन किया है आप उसी दिशा में बढ़ें। जैसा उन्होंने कहा है अगर उसको आगे बढ़ाते चले तो बातें आगे बढ़ सकती हैं। मगर चीज यह है कि इसको कितने लोग और कितने सहयोगी उस भावना से अच्छी तरह से उत्साहित होकर काम को आगे बढ़ायेंगे

यह मैं नहीं कह सकता हूँ, यह तो आप जानते हैं। मेरा ताल्लुक उतना नहीं है कि मैं कह सकूँ कि काम कहां तक किस तरह से बढ़ सकता है और बढ़ता है।

दो चीजों का यहां जिक्र किया गया। उसमें ऊपर से जितना पता लगता है, वह नहीं मालूम होता है। इसलिये जिक्र कर देता हूँ। गो सेवा के सम्बन्ध में जितना काम होना चाहिये वह नहीं है। तालीमी संघ का प्रचार जितना होना चाहिये वह नहीं देखने में आता है। जब खादी का काम आरम्भ किया गया तो किसी ने बापू से पूछा कि यह कैसे जानियेगा कि खादी का प्रचार बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि इसका सबूत क्या? जब सब लोग खादी पहनने लगेंगे तो समझा जायगा कि खादी का प्रचार बढ़ा। गो सेवा का काम वैसा ही है। जब लोगों को अच्छा दूध मिलने लगे, अच्छे बैल मिलने लगे तो आप जानें कि काम बढ़ने लगा। पर मैं जहां तक देखता हूँ सब चीजें कम होती जा रही हैं। इससे शक होता है कि हम आगे बढ़ नहीं रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। इसलिये मैं सोच रहा हूँ कि जो कुछ आपने सोचा है वह ठीक है। विनोबा जी एक द्रष्टा भी हैं। वह आगे की चीजें भी देख लेते हैं। अगर उनके कहने के मुताबिक काम किया जाये तो इसमें शक नहीं कि काम आगे बढ़ेगा। इसी लिए मैं ने पूछा कि इसमें साल में कितने आदमी आयेंगे, उनकी निर्वाह का क्या इन्तजाम होगा। इसमें लोगों की मदद लेनी है या नहीं? केवल उनके श्रम से उनका काम चलेगा इसमें मुझे शक लगता है।

इसमें एक चीज पर आपको ध्यान देना होगा। जो आदमी इसमें काम करता है उसको अपने लिये दान लेना है या वह उसे सर्वोदय पात्र में जमा करेगा और सर्वोदय पात्र से गुजारे के लिये उसे मिलेगा? अपने लिये दान लेने में उसके लिये दिक्कत होगी। अगर यह मालूम हो गया कि किसी गांव में 100 आदमी अपना श्रम दे रहे हैं और उनकी निर्वाह गांव की ओर से किया जाय तो इसका दूसरा अर्थ हो जाता है। इसको सोच लीजिएगा। लोग कहेंगे कि अपने खाने-पीने के लिये एक रास्ता निकाल लिया। यह भावना नहीं आने देनी चाहिये चाहे वह गलत हो या सही हो। और ज्यादा मैं क्या कहूँ।

विनोबा जयन्ती के अवसर पर राजघाट की प्रार्थना सभा में भाषण

देवियो और सज्जनो,

आज विनोबा जी का जन्मदिन है और उसी उत्सव के मनाने के लिये हम यहां प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रार्थना का अर्थ यह है कि इस तरह के साधु-सन्त हमारे देश में अनन्त काल से बराबर समय-समय पर आते रहे हैं और उनकी शिक्षा जो हम को समय-समय पर मिलती रही है वही हमारे देश का जीवन रही है और उसी से आज तक हम जीवित हैं। दूसरे देशों में विशेषकर के पश्चिम के देशों में आप अगर जाओ तो कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहां किसी एक बड़े लड़ने वाले जनरल की मूर्ति न खड़ी की गई हो या किसी एक बड़े महायुद्ध के स्थान पर स्मारक न बनाया गया हो। हमारे देश में इस तरह के स्मारक नहीं बनते। अगर हमारे यहां स्मारक हैं तो वे या तो किसी देवी-देवता के मन्दिर हैं और या इस प्रकार के साधु-सन्तों की याद में बने स्मारक हैं। इसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि आज ही नहीं हमेशा से हमारा रुख किस तरफ रहा है और किस भावना से हमारे देश के लोग हमेशा से लाभान्वित होते रहे हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज विनोबा जी जैसा सन्त प्राचीनकाल के सन्तों की तरह भारत के किसी एक कोने में न रह कर सारे भारतवर्ष का वर्षों से चक्कर लगा रहे हैं और केवल बड़ी-बड़ी सभाओं के द्वारा ही नहीं बल्कि छोटे-बड़े सभी प्रकार के आदमियों से मिल कर अपना सन्देश सुना रहे हैं और उनके हृदयों के अन्दर वह सद्भावना जागृत कर रहे हैं, जिस सद्भावना के बल पर हम आगे बढ़ सकते हैं।

ईश्वर के प्रति उनका प्रेम मनुष्य के प्रति प्रेम है और मनुष्य के प्रति प्रेम ईश्वर के प्रति भक्ति है। इस चीज को लेकर आज विनोबा जी सारे देश में फिर रहे हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने भूदान का व्रत आरम्भ किया, इसी उद्देश्य से उन्होंने अन्य प्रकार के दान लोगों से लेने शुरू किये यह सब इसी के अन्तर्गत आता है और आज जब वह हम सब को इतने दिनों से जगाते आये हैं और हमारे दिलों के अन्दर भक्ति की भावना को पैदा करना चाहते हैं तो वह इस प्रकार के सन्तों की परम्परा के अनुसार ही है। तो हम आज ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि हम को उनके दर्शन होते रहें और हमें उनकी शिक्षा सुनने का अवसर मिलता रहे और हम उससे लाभान्वित होते रहें। इसी में हमारा कल्याण है और जहां तक हम उनकी शिक्षा को अपने जीवन में ढाल सकें वहां तक हम स्वयं उन्नत होंगे और सारे देश का कल्याण कर सकेंगे। यही सर्वोदय है। मैं आज यह श्रद्धांजलि उनके प्रति दे सका इसके लिये मैं अपना बड़ा सौभाग्य मानता हूं।

विनोबा जयन्ती के अवसर पर राजघाट की प्रार्थना सभा में भाषण; नई दिल्ली 11 सितम्बर, 1959

संसदीय हिन्दी परिषद् द्वारा हिन्दी दिवस समारोह

श्री गोपाल रेड्डी जी, देवियो और सज्जनो,

मुझे बड़ी खुशी है कि आज परिषद् की इस बैठक में मैं शरीक हो सका हूँ। यों तो जब-तब परिषद् के सम्बन्ध में खबरें मिला करती हैं और कुछ थोड़ी दिलचस्पी रखने की वजह से भाई लोग आकर के मुझे बता दिया करते हैं। इसलिये यह और भी खुशी की बात है कि आज मैं इस पारितोषिक वितरण में भी शरीक हो सका।

हिन्दी और दूसरी भाषाओं के सम्बन्ध में अभी हाल में ही संसद् के दोनों सदनों में काफी बहस हुई और बहुत बहस के बाद जो रिपोर्ट संसदीय समिति ने भाषा आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में की है वहां से परसों वे बातें मंजूर भी हो गयीं। इसलिये इस विषय को मैं नहीं छेड़ूंगा। मैं तो सिर्फ दो-तीन बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

जब मैं यह देखता हूँ कि दक्षिण भारत में जहां तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी भाषाएं चलती हैं पिछले 30, 35 वर्षों में इतने जोरों से हिन्दी के प्रचार का काम हुआ है कि आज यदि उनकी रिपोर्ट को हम मानें तो जितने लोग अंग्रेजी जानते हैं उनसे कई गुना अधिक लोग हिन्दी की परीक्षा पास कर चुके हैं तो उससे यह भरोसा होता है कि इस काम के पूरा होने में बहुत देर नहीं लगेगी और जब मैं यह देखता हूँ कि यहां दिल्ली में इस प्रचार के काम को दक्षिण की एक बहन इतने उत्साह और इतने दिनों से कर रही हैं तो वह उत्साह और दृढ़ हो जाता है। इसलिये जो हिन्दी के भाई हैं उनके लिये सिर्फ अपना काम रह गया है और जितने अहिन्दी भाषी प्रान्त हैं वहां हिन्दी के प्रचार का काम आज लोगों ने एक प्रकार से अपने हाथों में ले लिया है और जहां नहीं लिया है वहां, मैं मानता हूँ, वे ले लेंगे।

इसलिये अब प्रचार की बात को छोड़ करके हिन्दी साहित्य के निर्माण की ओर हिन्दी-भाषियों को अधिक ध्यान देना चाहिये। हिन्दुस्तान में भी आज कुछ लोग ऐसे हैं जो अंग्रेज नहीं होते हुए भी इस बात का प्रचार करते हैं और कहते हैं कि हमको अंग्रेजी को सरकारी कामों को करने के लिये मानना चाहिये और उसी में सिर्फ लिखना चाहिये और बहुतेरे लोग जो इस बात को नहीं मानते हैं वे भी इस बात को मानते हैं कि हमारे लोग अंग्रेजी पढ़ें। भारतवर्ष में और बहुतेरे

राष्ट्रपति भवन में संसदीय हिन्दी परिषद् द्वारा मनाये गये हिन्दी दिवस समारोह में भाषण; 14 सितम्बर, 1959

दूसरे देश भी हैं जहाँ अंग्रेजी के बोलनेवाले इस बात का प्रचार करते हैं कि अंग्रेजी पढ़नी चाहिये । हम भी प्रचार करते हैं कि अंग्रेजी पढ़नी चाहिये और वह इसलिये कि अंग्रेजी भाषा का साहित्य बहुत समृद्ध हो गया है और उसको सीखने और जानने के लिये जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं उनको भी शौक होता है, उनको भी जरूरत महसूस होती है । तो हिन्दीवालों को इसको सब से अपना बड़ा काम समझकर ऐसे साहित्य के निर्माण में लगना चाहिये और प्रचार के झगड़े से अलग होकर उसको अहिन्दी भाषियों पर ही छोड़ा जाय तो मैं समझता हूँ कि हिन्दी का प्रचार और अधिक जोरों से और तेजी के साथ हो सकेगा ।

अगर आप सोचें तो अंग्रेजी का प्रचार भी सारी दुनियां में 100, 150 वर्षों के अन्दर ही हुआ है और उसमें भी जब से विज्ञान का नया युग उठा उस वक्त से चूँकि इसमें वैज्ञानिक साहित्य बहुत बढ़ गया और चूँकि चारों तरफ अंग्रेजी साहित्य का प्रचार अंग्रेजी शासन द्वारा हुआ, अंग्रेजी का प्रचार खूब जोरों से हो गया । हम एक शासन के अन्दर सारे हिन्दुस्तान भर में है और उसके साथ-साथ हम हिन्दी के साहित्य को समृद्ध बना दें जिसमें सिर्फ भारतवर्ष के लोग ही नहीं, विदेश के लोग भी यह महसूस करें कि इस बात को जानने के लिये हम हिन्दी पढ़ें तभी हम इस बात को पूरा तरह से जान सकते हैं । तो मैं समझता हूँ कि यह हिन्दी की सब से बड़ी सेवा होगी और हिन्दी के प्रचार का सब से बड़ा साधन यही है । यह एक दिन का काम नहीं है, इसमें समय लगेगा । इसके लिये हमारे देश के जितने प्रभावशाली विशेषज्ञ हैं, चाहे विज्ञान, काव्य, दर्शन जो कुछ भी उनका विषय हो, उसमें अगर मौलिक लेख हिन्दी में लिखने लग जायें तो मैं समझता हूँ कि बहुतेरे विदेशी लोग भी उसमें उनके जानने लायक बात होगी तो पढ़ेंगे और हमारे देश के सभी लोग उसको पढ़ना चाहेंगे ।

मैं जानता हूँ कि अभी आजकल हिन्दुस्तान के लोग बहुत कुछ मौलिक लिखते हैं तो वे किसी भारतीय भाषा में नहीं लिखते, अधिक करके अंग्रेजी में ही लिखते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि अंग्रेजी में लिखेंगे तो उनके विचारों का अधिक प्रचार होगा । मुझे इसमें आश्चर्य कुछ भी नहीं होता कि लोग अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उसका साहित्य इतना ऊँचा है, इतना महान है कि सभी लोग उसको पढ़ना पसन्द करते हैं । तो यह जो साहित्य-निर्माण का काम है उसमें आपकी सारी शक्ति लग सकती है । मैं मानता हूँ कि यह श्रमसाध्य और समयसाध्य काम है जिसमें बहुत श्रम भी लगेगा और समय भी लगेगा । तो भी हमारे समय में नहीं तो बहुत आप में से यहां ऐसे मौजूद हैं वे यह समय देख सकेंगे जब देश के सभी

लोग हिन्दी के साहित्य को पढ़ना और सीखना शुरू कर देंगे । मैं समझता हूँ कि इस उद्देश्य को सामने रखकर, विशेष करके जो नये लोग उठ रहे हैं, सीख रहे हैं और काम कर रहे हैं कम से कम वे मौलिक लेख हिन्दी में लिखना आरम्भ करें जिसमें हिन्दी बढ़े और उसमें जो हिन्दी नहीं जानते हैं उनके लेख भी हों ।

एक दूसरी चीज और । इस काम को परिषद् ने आरम्भ से पसन्द किया है । वह काम यह है कि सारे भारतवर्ष में आप एक लिपि किसी तरह से चला सकें तो भारतवर्ष की जितनी भाषाएँ हैं एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जायेंगी । मुझे याद है आज से 50 वर्ष पहले बंगाल में जस्टिस शारदा चरण मित्र ने 'एकलिपि विस्तार परिषद्' नाम की एक संस्था कायम की थी और उन्होंने उस संस्था द्वारा देवनागरी लिपि को भारतवर्ष के लिये एक लिपि सारे देश से मनवाने का प्रयत्न किया था और उन्होंने उस समय एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था 'देवनागर' । उस समय के देवनागर में सभी भाषाओं के लेख हिन्दी के अक्षरों में छपा करते थे । जब आपने इस संस्था को यहाँ कायम किया तो मुझे यह याद आया और मैं ने सलाह दी कि आप इस संस्था की ओर से 'देवनागर' पुनर्जीवित करें और उसमें लेखों की मूल भाषा दूसरी भी हो मगर उसका अनुवाद साथ-साथ छपे हुए जैसे बंगला के लेख का तामिल में अनुवाद हो पर दोनों हिन्दी अक्षर में हो, तामिल और तेलुगू का लेख हो पर उसका हिन्दी अनुवाद हो और दोनों हिन्दी अक्षर में हों । अर्थात् भाषा अलग-अलग हो मगर लेख ऐसे हों जो दूसरी भाषाओं में लिखे गये लेखों का अनुवाद मात्र हों जिसमें दोनों भाषाओं को सीख सकें । मेरा विश्वास है कि एक लिपि का प्रचार हो गया तो हमारे देश को में जो भाषाओं की वजह से दिक्कतें पेश होती हैं और झगड़ा होता है वह बहुत कम हो जायगा क्योंकि अगर अच्छी तरह से डूब करके देखा जाय तो उत्तर की भाषाओं में एक दूसरे में इतना फर्क नहीं है, भेद नहीं है कि वह एक दूसरे से अलग रहें । वे अलग हैं इसमें कोई शक नहीं मगर यदि एक लिपि हो जाय तो इसमें कोई शक नहीं कि वे एक दूसरे के नजदीक आ सकती हैं ।

इसी तरह से दक्षिण की भाषाओं के साथ भी उत्तर की भाषाओं का मेल बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है अगर सब के लिये एक लिपि मान ली जाय और देव नागरी एक तरह से भारतवर्ष की लिपि रही भी है । वह रही है संस्कृत की वजह से । आज भी तामिलनाड के पंडित संस्कृत के ग्रन्थ देवनागरी लिपि में पढ़ सकते हैं और देवनागरी लिपि में भारतवर्ष के सभी प्रान्तों में संस्कृत के ग्रन्थ छपते हैं और पढ़े जाते हैं ।

मैं जब कालेज में पढ़ता था तो मैंने देखा कि संस्कृत का रघुवंश पाठक्रम में था। उसके लिये बंगाल में मौलिक श्लोक संस्कृत में रहते थे जो देवनागरी अक्षर में रहते थे। मगर भावार्थ बंगाली विद्यार्थियों के लिये बंगला अक्षर में रहता था। पर मैंने देखा कि जहां तक संस्कृत का सवाल था सब लोग इसको मानते थे चाहे वे किसी भी प्रान्त के हों कि उसकी लिपि देवनागरी लिपि है। यही प्रचलित थी। मैं मानता हूँ कि प्रान्तीयता के हो जाने से आज उसमें कमी हो गयी है मगर उसको फिर से जागृत करना कठिन नहीं है। वजह यह है कि संस्कृत की ओर अब ध्यान अधिक जाने लगा है और संस्कृत की पढ़ाई के लिये विशेष प्रोत्साहन मिलने लग गया है।

मैं चाहूंगा कि जिस काम को आपकी परिषद् ने आरम्भ किया 'देवनागर' उस काम को और भी जोरों से चलावे और सब जगह प्रचार करे और दूसरा रास्ता भी आप सोचें कि किस तरह से एक लिपि का प्रचार हो सकता है। उससे स्वयं ही हिन्दी का प्रचार भी होगा। उसके जरिये से दूसरी भाषाओं का हिन्दी भाषी प्रान्तों में प्रचार हो सकेगा और देश को एक सूत्र में बांधने का एक अच्छा तरीका निकलेगा इसमें कोई शक नहीं। मैं चाहूंगा कि इन दोनों चीजों की तरफ ध्यान देकर जोर लगावें तो एक बड़ा काम होगा। यों तो आपका काम बड़ा अच्छा चल रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि यहां संसद् के लोगों में इतना उत्साह है कि वे इस संस्था को चला रहे हैं और उसमें अधिक अहिन्दीभाषी सदस्य-गण हिस्सा ले रहे हैं और चला रहे हैं। इससे बढ़कर दूसरा क्या हो सकता है। इसलिये हिन्दीभाषी लोगों के कोई चिन्ता करने की बात नहीं है क्योंकि अहिन्दी-भाषी सारे देश भर में हिन्दी के प्रचार का काम एक तरह से अपने हाथ में ले चुके हैं या लेते जा रहे हैं और उन पर ही इसे छोड़ देना सब से अच्छा रहेगा। मेरा विश्वास है कि वे उसे आसानी से कर सकेंगे। जहां एक करोड़ रुपया जमा करके 50 लाख दक्षिण के लोगों को उन्होंने हिन्दी सिखायी है तो इससे बढ़कर दूसरा सबूत क्या हो सकता है कि वे लोग हिन्दी को चाहते हैं और ऐसे समय उसे चाहते हैं जिस वक्त हमारा संविधान नहीं बना था और एक राष्ट्रीय भावना को सामने लाकर के इस काम को करना उन्होंने आरम्भ किया था और इस काम को लोगों ने अपना काम मानकर इसे चलाया। संविधान तो 1949-50 में पास हुआ। मगर हिन्दी प्रचार का सारा काम दक्षिण में 1928 में आरम्भ हुआ और 30-32 वर्षों तक बिना सरकारी मदद के, मैं समझता हूँ कि आज भी दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को सरकारी मदद नहीं मिलती है, अभी तक जनता की मदद

से वह काम करती रही और एक करोड़ रुपये लोगों से लेकर उसने खर्च किया है। तो इसमें चिन्ता हम क्यों करें। उन्होंने इस काम को अपने हाथ में ले लिया है और इसे उन पर ही हमें छोड़ना चाहिये। वे ही अपने भार को समझकर उसे ठीक कर देंगे जिसमें किसी किस्म की बाधा नहीं आने पायेगी। मैं आशा करता हूँ कि आपका काम सुचारू रूप से चलता जायेगा और आगे बढ़ता जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपके इस समारोह का उद्घाटन करता हूँ।

टेलीविज़न कार्यक्रम का उद्घाटन

टेलीविज़न ट्रांसमीटर की स्थापना और कार्यक्रम आरम्भ करके आकाशवाणी आज एक बहुत बड़े प्रयोग का श्रीगणेश कर रही है। भारत में दूर-संचार और प्रचार सम्बन्धी सुविधाओं की उन्नति में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। केन्द्रीय सूचना और प्रसार मन्त्रालय अनेकों कठिनाइयों पर काबू पा इस नये कार्यक्रम को आरम्भ कर सकने के लिये हमारी बधाई का पात्र है।

जैसा कि स्वाभाविक है यह कार्यक्रम एक प्रयोगात्मक आयोजन के रूप में हाथ में लिया गया है। इसके दो प्रमुख उद्देश्य हैं— (1) शिक्षा और संस्कृति की दृष्टि से अच्छे कार्यक्रम का प्रसार करना और (2) टैकनीक अनुसन्धान जारी रखने के साथ-साथ कर्मचारियों को कार्यक्रम और टैकनीक सम्बन्धी प्रशिक्षण देना।

मुझे याद है 20 वर्ष से ऊपर हुए जब हमारे देश में ब्राडकास्टिंग शुरू हुआ था तो लोगों में कितनी हलचल हुई थी। नये आविष्कार के बारे में लोगों में बहुत अधिक उत्सुकता थी और जन-साधारण की प्रतिक्रिया अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही तरह की थी। कुछ समय के बाद ब्राडकास्टिंग को प्रसार का एक आवश्यक माध्यम स्वीकार कर लिया गया और तब से इसे हमारे मनोरंजन और सूचना विस्तार के शक्तिशाली साधन के रूप में माना जाने लगा है।

कोई भी कल्पना कर सकता है कि भारत के साधारण लोगों को जन-सम्पर्क के इस नये माध्यम से कितना अधिक अचम्भा होगा। यदि सैंकड़ों मील दूर से किसी की आवाज़ अथवा गायन सुनकर लोगों को आश्चर्य हुआ था तो अब उतनी ही दूर से किसी को चलते-फिरते, गाते-बोलते देखकर लोग टेलीविज़न को जादू के खेल से कुछ कम न समझेंगे। यह है विज्ञान की प्रगति, जिसका प्रमाण अब आप को घर बैठे मिल सकता है। इस कार्यक्रम का शैक्षिक मूल्य तो है ही पर मेरा विश्वास है टेलीविज़न से लोगों का दृष्टिकोण व्यापक होगा और उनकी विचार-धारा आधुनिक विज्ञान के अनुकूल होती जायगी। वैज्ञानिक आविष्कार का सब से बड़ा लाभ यह है कि मानवीय ज्ञान की सीमाओं को लांघ कर वह हमारे लिये मानव की क्षमता और शक्ति का जीता-जागता प्रमाण प्रस्तुत करता है।

मैं इस नये कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण आविष्कार के रूप में स्वागत करता हूँ और आजसे आरम्भ होनेवाले टेलीविज़न कार्यक्रम का खुशी से उद्घाटन करता हूँ।

टेलीविज़न कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर भाषण; नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1959

सर छोटराम कालेज का दूसरा दीक्षान्त समारोह

मन्त्री महोदय, सर छोटराम कालेज की प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यगण, प्रिन्सिपल एवं दूसरे प्रध्यापकगण, डिग्री पाये हुए सफल विद्यार्थियों, दूसरे विद्यार्थियों, बहनों और भाइयों,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज मैं आपके इस समारोह में शरीक हो सका। जब मुझ से यहां आने के लिये कहा गया तो मैंने इस निमन्त्रण को खुशीसे इसलिये मंजूर किया कि मुझे इस इलाके के अध्यापकों और विद्यार्थियों को देखने का, उनसे परिचय करने का एक अच्छा अवसर मिलेगा और मुझे इस बात की और भी खुशी हुई कि मुझे ऐसे विद्यार्थियों से मुलाकात होगी और ऐसे अध्यापकों से मुलाकात होगी जो इस प्रकार के लोगों को तैयार करेंगे जो खुद जाकर दूसरी जगहों पर शिक्षक का, गुरु का काम करेंगे और दूसरों को पढ़ायेंगे।

अगर आज भारतवर्ष में किसी एक ऐसी चीज की जरूरत है जिसके बगैर हम किसी तरह की तरक्की नहीं कर सकते तो वह शिक्षा है और उस शिक्षा के लिये हमें केवल बहुत कुछ करना ही नहीं है, हमको उसको अच्छी तरह से, ठीक तरह से अपने उद्देश्य को समझ कर, आदर्श को मानकर करना है। इसलिये ऐसी संस्था जहां पर शिक्षक तैयार किये जाते हैं अपना महत्व रखती है और मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपने इस विद्यालय में यद्यपि इनेगिने लोगों को ही शिक्षा देने का प्रबन्ध रखा है, आप इस शिक्षा में जिस तरह की पढ़ाई होनी चाहिये, जो कुछ उनको जानना चाहिये और जिस प्रकार के लोगों को इस काम में लगना चाहिये उनको चुनने में पूरी तरह से ध्यान दिया है। मैं यहां के विद्यार्थीगण को, चाहे जिन्होंने इस साल डिग्री पायी हो या आगे पानेवाले हों, उनसे यह बताना चाहता हूं कि शिक्षक का काम बहुत ही महत्व का काम है, खास करके हमारे इस देश में प्राचीन काल से शिक्षक का काम एक पवित्र काम माना गया है और आज अगर किसी कारण से उसकी वह इज्जत और मर्यादा नहीं है जो हमेशा इस देश में हुआ करती थी तो उसके लिये दोषी हम इस देश के रहने वाले हैं।

मैं जानता हूं कि आजकल की दुनियां में सब चीजों की कीमत रुपये की माप से लगायी जाती है और चूंकि अभी हमारे देश के गरीब होने के कारण

सर छोटराम कालेज के दूसरे दीक्षान्त समारोह के अवसर पर रोहतक में
भाषण; 17 सितम्बर, 1959

शिक्षकों को दूसरे पेशावरों के मुकाबले मैं हम कम मुशहरा देते हैं, इसलिये इस पेशे की आज उतनी इज्जत नहीं रही जितनी हमको करनी चाहिये। मगर मैं समझता हूँ कि यह माप ही बिल्कुल गलत है। हम तो अपनी प्राचीनकाल की उस परम्परा को मानते आये हैं कि पैसे के साथ किसी की प्रतिष्ठा, मर्यादा, उसकी इज्जत उसके मान का कोई ताल्लुक नहीं है। दोनों दो चीजें हैं और इसी वजह से हमारे देश में लंगोटी बांधे हुए फकीर भी जाता है तो देश का राजा भी उसके पैरों पर सिर रखकर नमस्कार करता आया है और शिक्षक इस तरीके के लोग हमेशा होते आये हैं जिनके पैरों पर लोग बूढ़ा हो जाने पर भी मस्तक नवाते रहते हैं।

तो यह काम जितनी इज्जत का है उतनी ही जबाबदेही का भी है। जबाबदेही का इसलिये है कि इसके जरिये से हम सारे देश की शक्ल बदल सकते हैं और यदि शिक्षक अपने काम का अंजाम ठीक तरह से दें, उसके महत्व को ठीक तरह से समझें और अपने फर्ज को पूरी तरह से अदा करें तो इसमें कोई शक नहीं कि देश की शक्ल हम बहुत जल्द बदल सकते हैं। इसलिये शिक्षक के समुदाय में मुझे यह कहने का मौका मिला इसकी मुझे खुशी है। मैं चाहता हूँ कि आपने जिस प्रकार से खासकरके बेसिक स्कूल, बुनियादी तालीम के लिये शिक्षक तैयार करने का भार उठाया है वहाँ इस चीज को उसी प्रकार के उत्साह के साथ आगे बढ़ायें।

आपने अपनी रिपोर्ट में स्वयं कहा कि पहले बुनियादी तालीम के सम्बन्ध में तरह-तरह की गलतफहमियां थीं और खासकरके शिक्षा के विशेषज्ञ लोग जो शिक्षा के शास्त्र को जाननेवाले हैं, वे उसको ठीक नहीं मानते थे। महात्मा गांधी ने जब इस शिक्षा का जिक्र किया तो उन्होंने विदेशों में इस प्रकार की शिक्षा चलती है यह जानकर उसका अध्ययन करके नहीं किया। उन्होंने तो अपनी बुद्धि से, अपनी दूरदर्शिता से दो चीजों को ध्यान में रखकर इस शिक्षा के बारे में सोचा। एक तो यह था कि यह देश गरीब है और इस देशमें अगर शिक्षा हम सब लोगों को देना चाहते हैं और सब लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे देश में इतना धन जल्द नहीं होगा कि हम पश्चिमी तरीके की शिक्षा का इन्तजाम सारे मुल्क में कर सकें। दूसरी चीज यह थी कि जो हमारी नयी पीढ़ियों के लोग शिक्षित हों वे कुछ ऐसे नहीं हों कि उनका घर से, गांव से, पुरानी रीति से, पुराने रिवाज से, पुरानी जिन्दगी से बिल्कुल ताल्लुक कट जाय और वे जैसी आज तक हमारी शिक्षापद्धति रही है केवल इसलिये तैयार किये जायें कि वे या

तो दफतरों में जाकर नौकरी करें या इस तरह क पशे करें जिसमें कुर्सी और मेज सामने रखकर काम करने का मौका हो और अपने शरीर से, हाथों से, पैरों से काम लेना अपने मान-मर्यादा के खिलाफ समझें। वह चाहते थे कि हमारे शिक्षित लोग ऐसे हों और उनका दिमाग ऐसा हो कि उनके जिम्मे छोटा काम भी मिले तो उस काम को वे बड़ा काम बना दें। वह कहते थे कि शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि शिक्षित लोग बड़े काम करें और कहें कि छोटे काम हमारे लिये नहीं अशिक्षित लोगों के लिये हैं। बल्कि हमारी प्राचीन भावना यह थी कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। छोटे काम का अच्छी तरह से अंजाम दिया जाय तो वह बड़ा काम हो सकता है और बड़ा से बड़ा काम हो पर उसे आदमी बुरी तरह से करे तो वह छोटा काम हो सकता है। इसलिये उन्होंने सोचा कि इस तरह की शिक्षापद्धति मुल्क में हो कि उसका सम्बन्ध रोजाना की जिन्दगी के साथ दिन-प्रति-दिन के जीवन के साथ हो और इन्हीं दोनों बातों को सोचकर उन्होंने इस पद्धति का इजाद किया था और यद्यपि उस समय शिक्षा शास्त्रियों ने उसका विरोध किया और वह विरोध कुछ हद तक अभी भी जारी है अगर खुलकर नहीं तो अन्दर-अन्दर तो इसमें आश्चर्य नहीं। मगर आश्चर्य इस बात का होता है कि इस प्रकार की शिक्षा जो आजकल के बहुत ही उन्नत देश हैं उनमें भी प्रचलित है और वहां के शिक्षा शास्त्रियों ने अपनी जिन्दगी के अनुभवों से इस शिक्षापद्धति को मजबूती दी है उसको अच्छा बताया है। तो ऐसी हालत में आपने इस चीज को अपनाकर इस प्रकार के शिक्षक तैयार करने जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में इससे बढ़कर आज के दिनों में दूसरी चीज नहीं हो सकती है कि आप ऐसे शिक्षक तैयार करेंगे जो देश के युवकों और युवतियों को शिक्षा दें जिससे वे अपने पैरों पर खड़े होकर अपने गुजरान के काम कर सकें और जिनको चाहे काम कोई भी हो उसको करने में खुशी हो, किसी काम से उनको घृणा नहीं हो और चाहे जो काम हो उसको सच्चाई से, हिम्मत से, उत्साहपूर्वक करने की शक्ति उनमें अधिक हो।

इस काम को पूरा करने में दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो बौद्धिक विकास होना चाहिये, साथ-साथ शरीर भी ऐसा होना चाहिये जो काम कर सके और सब से ऊपर चरित्र ऐसा होना चाहिये जो शरीर और दिमाग दोनों को काबू में रखकर ठीक रास्ते पर चला सके। जिससे यह मेल हो जाय वही शिक्षा सब से अच्छी हो सकती है और मैं आशा करूंगा कि आपके यहां के शिक्षक ऐसे ही निकलेंगे जो जाकर के इन्हीं भावनाओं के अनुसार काम करके इस काम को पूरा करेंगे।

हमारे देश में बहुत प्रकार की समस्याएं हैं और सब से बड़ी समस्या तो यह है कि यह देश अभी हाल में ही आजाद हुआ है। बहुत फैला हुआ लम्बा-चौड़ा मुल्क है जिसमें अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें अनेक प्रकार के धर्मों के माननेवाले लोग बसते हैं, जिसमें लोगों की रहन-सहन बहुत-कुछ अलग-अलग है मगर बावजूद इसके कि इन सब बातों में बहुत भेद है, सारे देश के अन्दर एक संस्कृति की ऐसी भावना फैली हुई है जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और पूर्व में जगन्नाथ पुरी से लेकर पश्चिम में द्वारिकापुरी तक सारे हिन्दुस्तान को एक रस्सी में बांधे हुई है और हमारी संस्कृति और सभ्यता ऐसी है जिसने हजारों वर्षों तक तरह-तरह की वाधाओं का मुकाबला किया है। हमारे मुल्क में एक बार नहीं, बार-बार राजनीतिक उथल-पुथल हुए, बादशाहतों कायम की गयीं, सल्तनतें आयीं लेकिन सारा हिन्दुस्तान जैसा का तैसा चलता आया और आज भी हम एक दौड़ से निकल कर एक नयी दौड़ में आये हैं। हमें इस बात का जायजा लेना है कि हम किधर चलेंगे, किधर जायेंगे और हमें किधर जाना चाहिये। मैं मानता हूँ कि जो सारी दुनियां का रवैया है उससे हम बिल्कुल अलग नहीं हो सकते हैं। आज साइन्स की प्रगति के जमाने में हम यह नहीं कह सकते कि हम पुरानी रूढ़ियों को अपने सामने रखकर उनके अनुसार ही अपना सारा काम करते जायेंगे। उसमें बहुत-कुछ बदलने की जरूरत है और हमारी संस्कृति में उतनी शक्ति है, इतनी जान है कि वह समय के अनुकूल जो कुछ करना होता है कर लेती है और तो भी अपने को बनाये रहती है। तो आज जरूरत इस चीज की है कि जो पश्चिम और पूर्व की दो प्रकार की चीजें संसार में हैं उन दोनों को मिलाकर जो हमारे लिये योग्य हो, अनुकूल हो उसको जारी करें, करना है, उसके अनुसार चलना है और आगे बढ़ना है। यह काम ऐसा है कि हम लोगों से कह सकते हैं कि इसे एक नयी अपनी संस्कृति समझें और आज की आधुनिक दुनियां को भी अच्छी तरह से समझें और जब दोनों उद्देश्यों का मेल होगा, समन्वय होगा और इसे हम देश के अन्दर कर सकें तो एक बहुत बड़ा काम कर सकेंगे और उसका थोड़ा-बहुत आभास तभी मिल सकेगा जब आप किसी के नुकसान में नहीं, सर्वोदय में, सब के काम में अपने को लगा सकेंगे। मेरा विश्वास है कि खासकरके ऐसे इलाके जहां के लोग जानदार हैं इसमें पूरी तरह से मदद देंगे। यह मैं इसलिये कह रहा हूँ कि यह सब इलाका ऐसा है जहां के लोग आज से नहीं बल्कि देश की सभ्यता के आदिकाल से अपनी हिम्मत, दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता से देश को बराबर आगे बढ़ाते गये हैं और मैं आशा करूंगा कि आज भी इस इलाके

के लोग जो देश के सामन बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं उनको अच्छी तरह से ख्याल करके देखेंगे और उनके हल करने में सहायता करेंगे ।

देश में यद्यपि हम आज एक हो गये हैं, यद्यपि हमारी सभ्यता हमेशा से एक रही है, हमारी संस्कृति हमेशा एक रही है मगर राज्य एक नहीं था वह आज हमको मिला है, जो कमी थी वह भी हमको मिल गयी है और अब हम इस देश को इतना उन्नत बनाना चाहते हैं जिसमें यह सब से अच्छा, सुन्दर और ऊंचा हो जाये और जैसा मैंने कहा, हम यह नहीं चाहते कि किसी को दबा डालें मगर हमको यह देखना है जिसमें हम अपने को सुरक्षित रख सकें । यद्यपि हम आज एक सूत्र में बंध गये हैं एक गवर्नमेंट आपके यहां से 40, 45 मील की दूरी पर राजधानी में बैठी हुई है मगर तो भी देश के अन्दर बहुत-सी ऐसी त्रुटियां हैं, कमियां हैं, कमजोरियां हैं और देश में चारों तरफ ऐसी बेमेल बातें हैं जिनकी वजह से हम अभी इस बात का इतमिनान नहीं रख सकते कि हम एक हो गये हैं और हमेशा एक रहेंगे ।

इसके अलावा हमको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि हम यद्यपि अपनी तरफ से किसी दूसरे देश के प्रति बुरी निगाह नहीं रखते, लालच नहीं रखते, द्वेष नहीं रखना चाहते मगर यदि दूसरे किसी देश का बुरा ख्याल हमारे देश के प्रति हुआ, दूसरों किसी भी तरफ से हमारे देश पर बुरी निगाह आयी तो हमको उससे भी अपने को बचाना चाहिये और उससे बचने के लिये हमको तैयार रहना होगा । हम चाहते हैं कि आप अपना बड़ा फर्ज समझें कि इस देश को किस तरह से सुरक्षित रख सकेंगे, हमारी संस्कृति और सभ्यता है उसको सुरक्षित रख सकेंगे और किस तरह से इस देश को इस योग्य बना सकेंगे जिसमें सब लोग हमारी तरफ इज्जत की निगाह से देखें, भय की निगाह से नहीं, इज्जत की निगाह से क्योंकि हम किसी को भय नहीं दिखाना चाहते और न हम चाहते हैं कि दूसरे हमें भय दिखायें । हमें दोनों से बचना चाहिये । इसलिये आप इसे अपना फर्ज समझें कि आपको इसके योग्य होना चाहिये और उसके लिये जो कुछ करना हो उसे करते जायें और उसमें जो बाधाएं आयें उनका आप मुकाबला करें । मैं उम्मीद करता हूँ कि जो शिक्षक यहां से शिक्षा पाकर जायेंगे वे अपने विद्यार्थियों का इन सब चीजों की तरफ ध्यान देकर तैयार करेंगे और जो आपसे आइन्डे के लिये उम्मीद रखी जाती है उस सब को आप पूरा करेंगे ।

मैं उन सब को वधाई देता हूँ जिनको डिग्री मिली है और उन सब को धन्यवाद देता हूँ जो इस हद तक पहुंच गये हैं । सर छोटाराम का नाम इस कालेज से

सम्बद्ध है यह आपके लिये गौरव की बात है। मगर इसकी वजह से आप पर एक जिम्मेदारी भी आ जाती है कि इस कालेज को आप इस योग्य बनावें कि यह सारे देश के लिये एक आदर्श कालेज बन जाये।

मैं आप सब को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यह मौका दिया और जो कुछ मैंने कहा उसको ध्यानपूर्वक आपने सुना। धन्यवाद।

श्री रामकृष्ण औषधालय का उद्घाटन

श्री भाई श्रोप्रकाश जो, स्वामी विवेकानन्द, देवियो और सज्जनो,

इस संस्था के समारोह में मैं शरीक हो सका इसकी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। प्रसन्नता विशेषकरके इसलिये है कि यह एक ऐसी संस्था है जिसका सम्पर्क इस प्रकार की अनेक संस्थाओं के साथ जो भारतवर्ष में और विदेशों में आज चल रही हैं घनिष्ठ है। रामकृष्ण मिशन का काम आज केवल भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी अनेक स्थानों पर चलता है और भारतवर्ष में शायद ही कोई बड़ा मुख्य स्थान हो जहां आज कोई उसकी शाखा नहीं हो और जहां कुछ न कुछ काम नहीं होता हो।

मेरा यह बड़ा सौभाग्य रहा है कि रामकृष्ण मिशन के काम में जब तक शरीक हो सका हूं और जिस प्रकार से सहायता का काम मिशन की ओर से किया जाता है उस सहायता के काम में मेरा भी जहां-तहां थोड़ा-बहुत हाथ रहा है।

यों तो भारतवर्ष में जहां-कहीं भी किसी प्रकार की विपत्ति आयी है चाहे वह दैवी विपत्ति हो या मनुष्य की लायी विपत्ति हो, लोगों की सेवा के लिये और लोगों की सहूलियत के लिये रामकृष्ण मिशन से सहायता पहुंचती ही रहती है और लोगों को राह न पहुंचाने में पूरी सफलता भी प्राप्त करता है। जब बिहार में जहां मैं उन दिनों था एक बड़ा भयंकर भूकम्प हुआ था मुझे इसका पूरा मौका मिला कि मिशन के स्वामियों के साथ मैं भूकम्प पीड़ितों से मिलूं और उनकी कुछ सेवा कर लूं। भाई श्रोप्रकाश जी को भी स्मरण होगा क्योंकि वह भी उस काम में शरीक हुए थे और उन्होंने और मैंने दोनों ने इस बात का अनुभव किया था कि किस तरह से, किस दक्षता के साथ, किस खूबी के साथ सेवा का काम मिशन की ओर से उस वक्त हुआ था और सिर्फ वही नहीं उसके बाद अनेक स्थानों पर जहां-जहां मैं गया था मैंने देखा कि स्वामियों ने वहां के लोगों में उनका कोई हो या नहीं, वे चाहे कहीं से आये हों सब मिलकर बहुत अच्छी तरह से उस काम को करते थे।

इसलिये यहां के लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि यहां कई वर्षों से आश्रम की स्थापना करके उसके काम को बढ़ाया गया और आज इसको एक नया रूप इस औषधालय के जरिये से दिया गया। भारतवर्ष में आज इस बात की सब से

श्री रामकृष्ण औषधालय का उद्घाटन करते समय भाषण; राजकोट,

अधिक आवश्यकता है कि जहां एक तरफ जनता के दुख का निवारण किया जाय और जिन-जिन कारणों से वे चाहे पीड़ित हों उनको दूर किया जाय, दूसरी ओर यह भी उतना ही आवश्यक है कि जो हमारी आध्यात्मिक बपौती हमको मिली है उसको भी जाग्रत रखें, सुरक्षित रखें और उससे जहां तक हो सके हमारी जनता लाभ उठाती रहे। इस मिशन का आरम्भ से ही ऐसा रख रहा है कि एक तरफ जन-सेवा में ईश्वर का दर्शन करना चाहिये, दूसरी ओर जन-साधारण में उन मनोवृत्तियों को जगाना चाहिये, उन भावनाओं को उत्साहित करना चाहिये जिनसे मनुष्य का ध्यान ईश्वर की तरफ जाता है जिस आधार पर भारतवर्ष के लोग ही नहीं, सारे संसार के लोग जीवित हैं उस आधार को मजबूत बनाना चाहिये और उस दिन से जब मिशन ने काम विदेशों में शुरू किया जहां भौतिक पदार्थों की कमी नहीं, जहां भौतिक पदार्थों से जितना सुख और आराम मिल सकता है मिल रहा है, आध्यात्मिक काम जो भौतिक पदार्थों से मिटाया जा सकता है स्वामियों ने शुरू किया और वहां के लोगों में किया गया और आज कई जगहों पर इस तरह के आश्रम कायम हो गये हैं और काम कर रहे हैं। इसलिये हमको लगता है कि हमारे देश की स्थिति कुछ ऐसी है कि आध्यात्मिक भावना को जागृत रखना और उसको जितना सहज और सुगम साधारण मनुष्य के लिये बनाया जा सके बनाना चाहिये, तभी हम इस देश को कायम रख सकते हैं। यही काम रामकृष्ण मिशन अनेक स्थानों पर कर रहा है। इसलिये जहां-कहीं मुझे अवसर मिलता है, मौका मिलता है मैं इसमें शरीक होता हूं और वहां जाकर जो कुछ हो सकता है देखता हूं, सुनता हूं और उससे लाभ उठाता हूं और कुछ कहना होता है तो कुछ कहता भी हूं।

इसलिये जब मुझ से आपके इस समारोह में शरीक होने के लिये कहा गया तो मैंने खुशी से यहां आना मंजूर किया। मैं आपको यह भी सूचना देना चाहता हूं कि आज से 8 दिनों के बाद आपके मिशन के इसी प्रकार के समारोह में यहां से हजार-वारह सौ मील की दूरी पर शरीक होनेवाला हूं।

मुझ बहुत प्रसन्नता है और मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह सुअवसर दिया।

त्रम्बा ग्राम में कस्तूरबा वाडी का निरीक्षण

श्री भाई श्रीप्रकाश जी, श्री नारायणदास भाई, बहनों और भाइयों,

मुझे आज एक बार और यह सुअवसर मिला कि मैं राजकोट में आ सकूँ और इसमें अपना बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि ऐसा शुभ अवसर आये कि मैं यहाँ आऊँ पर आज के पहले मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। आज पूरी हुई इसके लिये भगवान को धन्यवाद है।

आप लोग जो काम यहाँ कर रहे हैं वह ऐसा काम है जो पूज्य बापू को बहुत प्रिय था और उनकी ऐसा आशा थी कि इस प्रकार का काम भारतवर्ष के गाँव-गाँव में होने लग जायगा और प्रत्येक गाँव के सभी लोग चाहे वे किसी भी धर्म के हों, और किसी भी जाति के हों मिलजुल कर इस देश में एक ऐसी उन्नत अवस्था पैदा कर देंगे जिसमें सभी लोग सुखी रहें, कोई किसी को सतावे नहीं और किसी से किसी को भय नहीं हो। यह बहुत ही सुन्दर स्वप्न था पर बापू के लिये यह केवल स्वप्न मात्र नहीं था, वह इसको अपनी आँखों से देखना चाहते थे और इसके लिये उन्होंने यह सोचा था कि अपने हाथों में राजनीतिक अधिकार आ जाना भी आवश्यक है क्योंकि इसके बिना हम अपने को स्वतन्त्ररूप से इस काम में नहीं लगा सकते थे। उनकी तपस्या के फलस्वरूप और संसार में जो अन्य प्रकार की अनेक शक्तियाँ काम कर रही थीं उनके कारण हमें स्वतन्त्रता मिल गयी और जहाँ तक राजनीति का सम्बन्ध है हम आज पूरी तरह से स्वतन्त्र हैं। इस देश के लोग अपने भाग्य का जो भी निर्णय करना चाहे कर सकते हैं और जिस तरह से इस देश को बनाना चाहें बना सकते हैं, अगर बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ भी सकते हैं। अब इसमें कोई ऐसा मौका नहीं रहा कि किसी दूसरे को इस बात के लिये गिला करें कि वह हमारे रास्ते में आता है। अब जो कुछ दुःख या सुख हमारे देश के लोगों को होता है या नहीं होता है उसकी जवाबदारी हमारे देश के लोगों की है। इसलिये जब इतनी बड़ी जवाबदारी हमारे देश के लोगों पर आ गयी है तो उसको सम्भालने के लिये हममें ऐसे लोग होने चाहिये जो व्यक्ति की जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझकर त्याग और उत्साह से देश को उन्नत करने के काम हाथ में लें, उसको आगे बढ़ावें और इस प्रकार की संस्था जहाँ-जहाँ कायम हो सकती है वहाँ एक ऐसा वातावरण उत्पन्न

राजकोट के नजदीक त्रम्बा ग्राम में कस्तूरबा वाडी का निरीक्षण करते समय
भाषण; 28 सितम्बर, 1959

करें, लोगों के हृदय में एक ऐसी धारणा पैदा करें कि उस वातावरण में देश के उद्धार का काम, देश के कल्याण का काम अच्छी तरह से चले। उम संस्था द्वारा इस प्रकार के कार्यकर्ता भी तैयार हो सकते हैं जो सेवा करना ही अपना कर्तव्य समझें, जो सब कुछ सेवा में लगाने के लिये तैयार हों, जो उनकी बुद्धि हो, धन तो शायद उनके पास न हो, मगर शरीर में जो शक्ति हो, दिमाग में जो शक्ति हो, जो मस्तक में शक्ति हो सब कुछ ऐसे ही काम में लगायें ऐसी आशा रख रहा हूँ। इसीलिये जब मुझे मौका मिलता है और जब इस प्रकार की संस्था में जाता हूँ तो इसलिये नहीं जाता हूँ कि लोगों को कुछ बताने को मिले बल्कि इसलिये कि वहाँ के लोगों के साथ सम्पर्क में आने से मुझे थोड़ी प्रेरणा मिल सके जिसको लेकर जहाँ मैं जाऊँ इस काम को कर सकूँगा। इसी ख्याल से मैं यहाँ आया हूँ।

यहाँ के लोगों के बारे में मैं क्या कहूँ जहाँ पूज्या कस्तूरबा स्वयं रही हैं। जिस कोठरी में वह बैठती थीं वहाँ मैंने कुछ समय बिताया। पर वह जब यहाँ थीं उस समय स्थिति कुछ दूसरी थी, आज स्थिति कुछ दूसरी है। हम जानते हैं कि यहाँ के लोगों में अभी उतना फर्क नहीं देखने में आता है। हम चाहते हैं कि हमारा सारा जीवन कुछ ऐसा बने जिसमें महात्मा गांधी जी ने जो कुछ हमें बताया था, जिस प्रकार का समाज वह चाहते थे और जिस प्रकार के दूसरे रचनात्मक काम वह चाहते थे उसके लिये कार्यकर्ता तैयार करने की शक्ति हमारे यहाँ पैदा हो ऐसी स्थिति देश में पैदा हो। यह अच्छा और शुभ काम है। आपके जरिये से यह काम आगे बढ़ेगा यह आशा रखता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे लोग जिनका सीधा सम्पर्क पूज्य महात्मा गांधी के साथ था, जिनको खुद कस्तूरबा की गोद में खेलने का मौका मिला था वे लोग इस प्रकार की संस्था चलायेंगे। इस सम्बन्ध में और कुछ कहने और बोलने की जरूरत नहीं।

मैं इसलिये यहाँ आया कि आपके सम्पर्क में आकर कुछ समय बिताने से हमें प्रेरणा मिलेगी और उसको लेकर मैं जहाँ भी रहूँ काम करता रहूँ।

छोटी बचत योजना से एकत्रित राशि से पारितोषिक वितरण राज्यपाल महोदय, श्री तलयार खान जी, बहनों तथा भाइयों,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपके इस समारोह में मैं शरीक हो सका। सारे देश में जो बड़े-बड़े काम हो रहे हैं और जो बड़ी-बड़ी योजनाएं चलायी जा रही हैं उनके लिये धन जमा करने के लिये अनेक प्रकार से प्रयत्न किये जा रहे हैं और एक प्रयत्न यह भी है कि छोटी रकमों को लोग बचा-बचा कर इसमें दें तो उससे भी एक अच्छी रकम हो जाती है। यह बड़ी खुशी की बात है कि बम्बई राज्य में यह काम इतनी खूबी और सफलता के साथ किया गया है।

अभी जो रिपोर्ट तलयार खान ने हम लोगों को सुनायी उससे यह मालूम हुआ कि आप जितनी आशा करते थे करीब-करीब उतनी रकम आप जमा कर चुके हैं या आशा रखते हैं कि उसको पूरा कर सकेंगे और उसके साथ-साथ एक दूसरी बड़ी खुशी की बात यह है कि यह रकम किसी एक वर्ग के लोगों से नहीं बल्कि सभी वर्गों के लोगों से आपने ली है। इसमें अमीर, गरीब, छोटे और बड़े और चाहे वे ग्राम के रहनेवाले हों या शहर के रहनेवाले हो सब ने जमा किया है। हमारा देश बहुत करके अभी भी गांवों में बसता है और यद्यपि शहर की आबादी काफी है और बढ़ती जा रही है मगर तो भी अभी यदि हम यह कहें कि भारतवर्ष गांवों में ही बसता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिये कोई भी काम हो जब तक उसमें हम अपने गांव के भाइयों और बहनों को शामिल नहीं कर सकें और जिस काम को उनसे नहीं करा सकें तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि भारतवर्ष के लिये यह काम हुआ है या हो रहा है।

इसलिये यह बड़ी खुशी की बात है कि, जैसा भाई तलयार खान ने कहा, जितने रुपये जमा हुए हैं उनमें से करीब-करीब आधा गांव से और आधा शहरों से जमा हुए हैं। यह बड़ी खुशी की बात है क्योंकि मैं समझता हूं कि गांवों में बहुत धनी लोग नहीं हैं मगर तो भी छोटी बचत योजना गांवों में चलाकर शहर के मुकाबले में इतनी बड़ी रकम आपने जमा कर ली इससे जाहिर है कि आपका काम सुचारुरूप से चल रहा है और दूर-दूर तक फैला है क्योंकि लोगों को यह समझाना, ऐसे लोगों को इसकी आदत आज तक नहीं थी कि वे अपने रुपये

अमरेली तथा जूनागढ़ के कलक्टरों की छोटी बचत योजना के सिलसिले में लक्ष्य से अधिक राशि इकट्ठी करने के कारण पारितोषिक देते समय कैनौट हाल में भाषण; 29 सितम्बर, 1959

इस तरह से जमा करें कोई आसान काम नहीं है। इसमें आपने सफलता प्राप्त की है।

यहां मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो बचत का काम है वह आप समझो कि हमारी तरफ एक कहावत है 'एक पंथ दो काज' जिसका अर्थ यह होता है कि एक रास्ते से चलो और दो काम को पूरा करो और इसी चीज को अंग्रेजी में कहते हैं 'किंग्लिंग टू वर्ड्स विथ वन स्टोन' तो यह बचत का काम जिसमें एक काम करने के बाद दो कामों की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अगर आप रुपये दें तो दान का फल मिलता है। एक मानें मैं आप दान नहीं करते हैं, दूसरे अर्थ में इसमें दान का फल है क्योंकि आप जो देते हैं वह ऐसे काम में लगेगा जिसके जरिये से देश का भला होगा। किसी आदमी को दान देने से एक आदमी का भला हो सकता है। किसी संस्था को दान देने से उक्त संस्था में जो लोग काम करते हैं उनका भला हो सकता है। इस दान से सारे देश का भला होता है। साथ ही साथ यह दान नहीं है क्योंकि आपके रुपये जमा रहते हैं और समय पर सूद के साथ आपको मिल जायेंगे। इसलिये इस दान का बड़ा महत्व होना चाहिये और चाहे आप स्वार्थ बुद्धि से दान करें या इस बुद्धि से कि देश की भलाई इससे है करें, हर तरह से अच्छा ही है। मैं आशा करता हूं कि यह काम और बढ़ेगा, चलेगा।

जिन जिलों के कलक्टरों को आपने मेरे हाथों पारितोषिक दिलवाये उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने उत्साह और योग्यता से इस काम को चलाया है। उनके जिले और जिलों से आगे रहे यह खुशी की बात है और वे बधाई के पात्र हैं। मैं तो यह कहूंगा कि इस बधाई को वे अपने तक नहीं रखकर जिले के लोगों तक पहुंचायें जिसमें आइन्डे वे अधिक मदद करें।

मैं आप सब को धन्यवाद देता हूं कि आपने इसमें आने का मुझे सुअवसर दिया।

चर्खा द्वादशी पर राष्ट्रीयशाला में भाषण

भाई श्रीप्रकाश जी, श्री नारायणदास भाई, बहनों और भाइयो,

अभी आपसे बताया गया कि मैं किस तरह से आज आपके इस समारोह में हाजिर हो सका हूँ। मेरी अपनी इच्छा तो बहुत दिनों से थी ही और पिछले वर्ष भी श्री नारायणदास भाई का निमन्त्रण पहुंचा था मगर विदेश यात्रा की ऐसी बाधा आ पड़ी कि मैं हाजिर नहीं हो सका। इस बार जब निमन्त्रण मिला तो मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया बल्कि अपनी उत्सुकता भी जाहिर की कि इस बार मैं जरूर आ सकूँ।

जैसा अभी कहा गया मैं इस समारोह में आज से पहले कभी नहीं आया था और मेरे मन में ऐसी इच्छा होती थी कि मनुष्य के जीवन का क्या ठिकाना, इस बार इस दिन पर उपस्थित हो जाऊँ। इसलिये मैंने खुशी से यहां आना स्वीकार किया। नारायणदास भाई के हृदय में जो बातें उठीं उनको भी मैं अच्छी तरह से समझ गया और आज भी मैं उसकी कद्र करता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस स्थान पर आपने मुझे बैठा दिया है वहां आडम्बर तो है ही। वह आडम्बर छूटता नहीं, मैं छोड़ना भी चाहूँ तो नहीं छोड़ सकता और यह भी बात है कि मेरे बाद कौन आयेगा उसका पता नहीं, उसके लिये मैं अपनी ओर से कोई खास दिक्कत भी पैदा नहीं करना चाहता, जिसको जो समझ में आये उसके अनुसार काम करने के लिये उसके लिये मैदान साफ रखना चाहता हूँ। खैर।

इस अवसर पर स्वभावतः बहुत पुरानी स्मृतियां जाग उठती हैं और विशेष करके रचनात्मक काम के सम्बन्ध में बहुत विचार हृदय में उठते हैं। मुझे वह दिन याद है जब चर्खा क्लास करके वापू ने पहले-पहले चर्खे को चलवाना शुरू किया और जिस तरह से उसकी प्रगति हुई, जिस तरह से सारे देश में जो एक भूली हुई चीज थी, खोयी हुई चीज थी उसको किस तरह से पुनर्जागृत किया यह सारा इतिहास हमने अपनी आंखों से देखा है, आपने भी अपनी आंखों से देखा है और हम ने यह भी देखा था कि उन दिनों में हमारे सामने बड़ी-बड़ी कठिनाइयां आती थीं। सिर्फ यही कठिनाई नहीं थी कि चर्खे के कपड़े का मुकाबला मिल के कपड़े से था, अधिकारियों का भी ख्याल उसके प्रति उतना अच्छा नहीं था और बड़ी कठिनाई लोगों में खादी के प्रति प्रेम पैदा करने में थी। ये सब चीजें

थीं। पर बापू को लगा कि इन सब कठिनाइयों से अपने को बचाया जाये और आहिस्ता-आहिस्ता खादी चलने लग गई।

बापू ने कहा था कि जब सब लोग खादी पहनने लग जायेंगे तो मैं समझूंगा कि चर्खों को लोगों ने अपनाया। किसी ने उनसे पूछा कि कैसे मालूम होगा कि लोगों ने खादी को अपनाया। बापू ने कहा कि जब हम देखेंगे कि सब लोग खादी पहन रहे हैं तो हम समझें कि लोगों ने खादी को अपनाया। उस दृष्टि से हम देखें तो खादी चल गयी है। जब से हमारे अपने हाथों में अधिकार आ गया है खादी के लिये बहुत सुविधा मिलने लगी है। अब गवर्नमेंट की ओर से खादी के प्रचार के लिये जो मदद मिल रही है वह अच्छी मदद है, बड़ी रकम की मदद है और मैं समझता हूं कि आज जितनी खादी तैयार हो सकती है उसको बेचने के लिये कोई विशेष दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि अब गवर्नमेंट खरीददार हो गयी है और मैं यह देखता हूं कि पैसे की जितनी कमी खादी के काम को आगे बढ़ाने के लिये पहले महसूस होती थी उतनी अब महसूस नहीं हो रही है। जहां पहले हम हजार से शुरू कर के लाख तक पहुंचे थे वहां अब देश में खादी की उत्पत्ति लाखों की नहीं करोड़ों की होती है। इस तरह से मैं सोचता हूं तो मालूम होता है कि बहुत प्रगति हुई है, उसमें हम बहुत दूर तक आगे बढ़े हैं। इसके लिये जिसके द्वारा हमको सहायता मिली है सब हमारे धन्यवाद के पात्र हैं और हमें उन सब के प्रति आभार मानना चाहिये।

जहां एक तरफ खादी के भौतिक उत्थान को हम देख रहे हैं, वह चारों तरफ बढ़ती जा रही है वहां दूसरी तरफ हमको एक चिन्ता भी होती है और मैं समझता हूं कि उस चिन्ता को इस स्थान पर आपसे मैं बता दूं तो आप शायद उस चिन्ता को महसूस करते हों और उसे दूर करने के रास्ते को ढूंढने में लगे हों तो अच्छा रहेगा। अभी जहां तक रुई सूत के काम का सम्बन्ध है वह काम आगे बढ़ता जा रहा है, जैसा मैंने कहा पर खादी के पीछे जो भावना थी, मनोवृत्ति थी, जिस भावना और मनोवृत्ति को लेकर बापू ने देश को जागृत करना चाहा था, जिस भावना और मनोवृत्ति की नींव पर सारे समाज की नयी रचना बनाना चाहते थे उसमें हमको संदेह हो रहा है कि क्या हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। मुझे कभी-कभी डर लगता है कि हम उस भावना को शायद कमजोर करते जा रहे हैं। उसके लिये हम किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि यह एक आज संसार की जो हवा है उसका ही परिणाम है, जो वातावरण आज संसार में जम गयी है उसका ही परिणाम है कि हमारी रुचि भौतिक चीजों पर आज अधिक है

और भावनात्मक और आध्यात्मिक चीजों की तरफ कम है और इसलिये खादी के पीछे जो बापू की भावना थी उस भावना को आज हम कमजोर देखते हैं तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है ।

बापू की तपस्या का ही यह फल था जिस तपस्या के कारण उनको दूरदर्शिता मिली थी कि उन्होंने चर्खे को देश के सामने रखा और इस बात की चुनौती दी कि उसके जरिये से हम न केवल स्वराज्य लेंगे बल्कि एक नये समाज की स्थापना भी करेंगे । मैं समझता हूँ कि बापू की दृष्टि में स्वराज्य एक कीमती चीज जरूर था मगर वही अन्तिम आदर्श की चीज नहीं था, वह एक साधन मात्र था, एक साधन जिसमें मनुष्य अपने को स्वतन्त्र बना सके, अपने को उन्नत कर सके और स्वतन्त्रता उन्नत होने का एक चिह्न था, सत्य और अहिंसा का एक चिह्न था । आज हम जहां दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं कि आज संसार में हिंसा कम हो गयी है । तो इसलिये नहीं कि अहिंसा स्वयं एक ऐसी भावना है जो मनुष्य के लिये अनमोल है बल्कि इसलिये कि लोग हिंसा से भयभीत हैं और हिंसा से भयभीत होकर अहिंसा को स्वीकार करना सच पूछिए तो अहिंसा को स्वीकार करना नहीं हुआ । अहिंसा स्वीकार करना तभी हो सकता है जब उसको स्वीकार करने में भय नहीं हो और दूसरों से स्वीकार कराने में भय नहीं दिखाना पड़े । और दूसरी चीज नहीं हो सकती ।

इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि अहिंसा की बुनियाद पर जैसा समाज बापू चाहते थे उस समाज में कहीं केन्द्रीकरण का स्थान नहीं । उसके लिये विकेन्द्रीकरण ही उसका आरम्भ था जिसमें प्रत्येक मनुष्य, अपने जीवन में अपने को सुखी और स्वतन्त्र बना सके और सुखी और स्वतन्त्र हर तरह से, भौतिक साधनों से भी जहां तक हो सके स्वतन्त्र, मानसिक पीड़ा से भी स्वतन्त्र, हर तरह की स्वतन्त्रता हो । मगर आज हम दुनियां की प्रगति देखते हैं तो उसमें उस प्रकार की स्वतन्त्रता अधिक से अधिक कम होती जा रही है । कपड़े के लिये बापू ने हमें चर्खा सिखाया और कहा कि यह एक प्रतीक है अर्थात् जिस तरह से अपने हाथ से चर्खा चलाकर अपने लिये तुम कपड़ा बना सकते हो, समझो उसी तरह से हर तरह से अपने लिये तुम स्वतन्त्रता बना लो । प्रतीक का अर्थ यही है । मगर आज हम प्रगति की माप करते हैं इस चीज से कि कितना हम दूसरों पर परतन्त्र हो गये । उसी से प्रगति नापी जाती है । अगर किसी शहर में ऐसा प्रबन्ध नहीं है कि मनुष्य को कुएं से पानी निकालने की जरूरत न हो तो समझा जाता है कि वह शहर पिछड़ा हुआ है । यदि एक जगह से सारे शहर को पानी दिया जाने

लगे तो समझा जायगा कि वह प्रगतिशील शहर है। उसी तरह से एक मिल से जिले भर के लोगों को कपड़ा दिया जाने लगे तो समझा जाता है कि ऐसा समाज प्रगतिशील है। मैं समझता हूँ कि थोड़े ही दिनों के बाद हमारे घरों में चक्की तो बन्द हो ही चुकी है अब कुएं भी बन्द होनेवाले हैं। अब हमारे घरों में जहाँ पहले आटा पीसा जाता था, चावल कटा जाता था, भात और रोटी भी कारखाने से बनकर आयागी और हम अपने घरों में उसे थालियों और तश्तरियों में खायेंगे और पानी पीयेंगे। चलने-फिरने के लिये मनुष्य के पैर जितना कम काम में आवें उतना ही अच्छा समझा जाता है। थोड़ी दूर भी जाना हो तो और कोई सवारी नहीं तो कम-से-कम सायकिल तो चाहिये ही। अगर कुछ दूर जाना हो तो मोटर गाड़ी के बिना काम नहीं चल सकता। तो इस तरह से आप देखें तो प्रत्येक व्यक्ति की परतन्त्रता दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है और उसी को प्रगति हम मानने लग गये हैं। इसीलिये हम को डर लगता है कि चर्खों की प्रगति एक तरह से सूत और कपड़े की उत्पत्ति से हमको देखने में आ रही है दूसरी तरफ उसकी नींव जिस भावना पर आधारित थी वह टूटती जा रही है। यही कारण है कि आज सिर्फ आराम के लिये ही नहीं अपने विनाश के लिये भी बहुत लोगों की ज़रूरत नहीं। पहले विनाश करना चाहते थे तो एक आदमी दूसरे आदमी को मारता था और मरता था। अब विनाश के लिये भी कहीं किसी मैदान में मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं रही। एक जगह बैठकर एक मिसिल भेंज दें तो वह हजारों मील जाकर शहर को नष्ट कर देता है, लोगों को मार डालता है। तो एक तरफ आराम के साधन हम स्वतन्त्र होकर पैदा करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ विनाश के साधन भी उत्पन्न करते जा रहे हैं। कारण यह है कि जो मूलमन्त्र अहिंसा और सत्य का था उसको विना समझे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे देशों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता और मैं समझता हूँ कि उनके बारे में मुझे खबर नहीं पर अपने देश के बारे में मैं कह सकता हूँ कि हम विदेशों को प्रगतिशील मानकर बहुत कुछ उसी तरह से दौड़ रहे हैं और उसी तरह से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता मगर मुझे कभी-कभी भय लगता है कि जिस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं वह बापू के समाज से, उनकी कल्पना के समाज से हमें दूर लेती जा रही है। जिस चीज के जरिये से हम आगे बढ़ते हैं ऐसा हमको कभी-कभी मालूम होता है कि हम बापू के रास्ते से दूर होते जा रहे हैं और हो सकता है कि हमारा प्रयत्न बापू के स्वराज्य स्थापित करने के जरिये से विपरीत हो।

इसलिये आप लोग जिनका यह सौभाग्य रहा है कि वे बापू की गोद में खेले, बापू के स्थान पर पले, बापू के साथ रहे और उनके स्थान पर रह कर यह काम कर

रहे हैं आपको इस चीज पर सोचना है और देश के सामने उस संदेश को पहुंचाना है जिसमें हम उनके ध्येय से बिल्कुल दूर नहीं हो जायें। मेरा अपना विश्वास है कि रचनात्मक काम अगर ठीक तरह से उसके मर्म को समझकर किया जाय तो हमको ठीक रास्ते पर ले जा सकता है और बहुत-सी कठिनाइयाँ हमारे सामने आवें तो भी इसमें शक नहीं कि कभी न कभी ऐसा समय आ सकता है जब लोगों का ध्यान इस तरफ जाय क्योंकि जैसा मैंने कहा आज संसार में इस बात की खोज हो रही है कि जो साधन विनाश के तैयार होते जा रहे हैं और लोगों के हाथों में आ सकते हैं उनसे बचने के लिये कोई उपाय सोच निकाला जाय और जब उस तरफ ध्यान जाता है तो सिवाय अहिंसा के दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आता। अहिंसा अहिंसा के रास्ते से ही आ सकती है, हिंसा के रास्ते से नहीं। कीचड़ कीचड़ से नहीं धोया जा सकता है। जब तक हम अहिंसा और सत्य को अपना कर ठीक रास्ते पर नहीं चलेंगे और ऐसे उपाय अपने काम में नहीं लाते रहेंगे तो जिन चीजों से हमको इस वक्त सुख मिलता है वे पीछे दुःखमय हो सकती हैं और हम शान्ति नहीं पा सकेंगे और जो हमारी आशाएं हैं वे दुराशा मात्र होंगी। इसलिये मैं सोचता हूँ कि हमें बापू का बताया रास्ता जारी रखना चाहिये। आज के विज्ञान के युग में हम विज्ञान को छोड़ नहीं सकते हैं और हम यदि विज्ञान को छोड़ना भी चाहें तो वह हमें नहीं छोड़ सकता। इसलिये उसमें से जो कुछ भी हम निकाल सकें उसे अपने काम में लगावें। मेरा अपना ब्याल है कि विज्ञान में दोष नहीं। विज्ञान तो ज्ञान ही है, उसमें दोष कैसे हो सकता है। दोष तो उससे काम लेनेवाले का है। आदमी विज्ञान को सही काम में लगाता है तो वह अच्छा है और उसे बुरे काम में लगाता है तो उसे दूषित कर देता है। उसे अच्छे काम में लाना अच्छा है।

जो बापू के सिद्धान्तों को केवल मानते ही नहीं हैं बल्कि अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं उनका यह काम है कि उनसे जितना लाभ उठाया जा सकता है लाभ उठाया जाय और साथ ही साथ उनको अपने स्थान पर रखें याने जो चीज जिस काम के योग्य हो उसको उस काम में लगाना चाहिये। जूते पैर में ही पहने जा सकते हैं सिर में नहीं और टोपी सिर में ही पहनी जा सकती है पैर में नहीं। इसलिये जो कोई विद्या हो उसका जो स्थान हो उसे देना चाहिये। अगर उद्देश्य ठीक हो तो उसका जो स्थान है वह स्थान दिया भी जा सकता है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि विद्या को अपनाना है, उसकी अवहेलना नहीं करनी है मगर हम उसका सदुपयोग कर, दुरुपयोग नहीं। आज सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है। हमने उसके सदुपयोग का रास्ता

नहीं निकाला, जब तक हमारा उद्देश्य ठीक नहीं रहेगा उससे नुकसान ही होगा । हम उद्देश्य ठीक रखें यही बापू ने हमें उपदेश दिया था ।

आजकल हम इस बात पर बहुत जोर दे रहे हैं कि हमारे जीवन का स्तर ऊंचा हो अर्थात् हमारे पास भौतिक सामान अधिक हों जिसमें हम सुखी रहें । यह ठीक है कि भूखे पेट भगवान का भजन भी नहीं हो सकता । खाना तो जरूरी है । मगर भौतिक सुख ही जरूरी है इस भावना को बदलना है । हमको भौतिक सामान चाहिये मगर केवल भौतिक सुख ही चाहिये यह ठीक नहीं है । और भौतिक सुख चाहिये तो किस रूप से चाहिये यह भी सोचना है । वह गौण वस्तु है यह समझकर भौतिक चीजों को हासिल करने में दोष नहीं है । मगर उसको ही हम सब कुछ मान लेते हैं तो वह अभिशाप बनकर हमारे सिर पर आ जाता है और जो हमारी प्राचीन चीज संतोष था वह नहीं मिलता । आज हम पश्चिमी विचार-धारा को मानने लगे हैं कि *Discontent is Divine* । असंतोष मनुष्य में ईश्वर प्रदत्त गुण है । मेरा अपना ख्याल है कि *Content is Divine, not discontent* संतोष ही मनुष्य के लिये ईश्वर प्रदत्त गुण है असंतोष नहीं क्योंकि जितना असंतोष बढ़ता है, संघर्ष बढ़ता है और मनुष्य अपने को संतुष्ट नहीं कर सकता । जैसे-जैसे असंतोष बढ़ता जाता है वैसे-वैसे इच्छा भी बढ़ती जाती है, वह मिटती नहीं । वह तो आग है जिसमें जितना असंतोष रूपी घी डाला जाय उतनी उसकी ज्वाला प्रज्वलित होती जायेगी । इस चीज को समझकर अगर हम अपने भौतिक साधनों को बढ़ायें तो हर्ज नहीं है । मगर आज जो हमारे पास भौतिक साधन मौजूद हैं या पैदा हो सकते हैं उनसे यदि हम अपने में असंतोष पैदा कर लें तो उसे पूरा करने के लिये साधन नहीं जुटा सकते । इसीलिये जहां पहले कम खाकर भी लोग सुखी रहते थे वहां आज अधिक खाकर भी लोग दुखी रहते हैं । इसलिये हम असंतोष से अपने को बचाना चाहते हैं । हमारा जीवन संतुष्ट हो और सत्य तथा अहिंसा को लेकर जीवन में हम आगे बढ़ें तो देश को हम उन्नत कर सकते हैं । ये चीजें अनन्तकाल से हमारे देश में आदर्श चीजें मानी गयी हैं । इस प्रकार के आश्रम जिनमें आपका प्रमुख है इस काम को आगे बढ़ाते जायेंगे तो बापू की स्मृति हमेशा जीवित रहेगी । यों तो बापू के लिये कोई स्मृति बनाना जरूरी नहीं है । जो कुछ उन्होंने कहा, हमें पढ़ाया, सिखाया उससे बढ़कर दूसरा स्मारक उनके लिये कुछ नहीं हो सकता है । इस स्मारक को हमेशा ताजा रखना, प्रज्वलित रखना ही हमारा काम है ।

मैं आप सब का बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यह मौका दिया ।

भावनगर में कुष्ठधाम का उद्घाटन

श्रीमान् राज्यपाल महोदय, मन्त्री महोदय, भाई श्री बलवंतराय जी मेहता, बहनों और भाइयों,

आपकी इस संस्था में आज आकर मुझे यह देखने का मौका मिला कि आप किस रीति से उन भाई-बहनों की सेवा कर रहे हैं जिनको समाज में सबसे अधिक सेवा की आवश्यकता है। हमारे देश में बहुत पुरानी प्रथा ऐसी चली आती थी कि जो लोग दुर्भाग्यवश अथवा समाज के जीवन के कारण इस रोग से ग्रसित हो जाले थे उनको केवल बीमारी ही नहीं होती थी बल्कि उनका एक प्रकार से जाति बहिष्कार भी हो जाता था और उनके लिये न तो समाज में और न अपने घर में उनके लिये स्थान रह जाता था। बाहर भी उनकी चिकित्सा का कोई विशेष प्रबन्ध नहीं होता था और इसलिये जो इस रोग में फंस जाते थे वे धूम-धूम कर दूसरों के दरवाजों पर भीख मांग-मांग कर अपना जीवन बिताते थे और विधि की बिडम्बना, एक अनोखी रीति वे समाज से बदला लिया करते थे क्योंकि जैसे-जैसे वे समाज में फिरते थे बीमारी भी फैलाते थे। एक तरह से उनका बहिष्कार करके समाज उनसे बचना चाहता था और दूसरी ओर उनको इसका मौका देता था कि एक घर में नहीं रहकर सभी घरों में वे पहुंचे और सभी घरों तक बीमारी को पहुंचाये।

हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि इस मुल्क में ईसाई पादरियों ने उनकी सेवा शुरू की और उन्होंने बड़े पैमाने पर स्थान-स्थान पर अस्पताल खोलकर या कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिये दूसरा प्रबन्ध करके अनेकों स्थानों पर सेवा आरम्भ की थी। मुझे याद है कि महात्मा गांधी जी जब बिहार सूबे में दौरा कर रहे थे तो वह एक स्थान पर गये जहां पादरियों की तरफ से एक बड़ा अस्पताल कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिये चल रहा था। वहां वह विशेषकर गये और सब कुछ देखा और देख करके उनके हृदय पर पहले से जो एक छाप थी वह और भी दृढ़ हो गयी कि इस काम को इस देश में चलाना चाहिये और मुझे याद है कि उसके कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने सेवाग्राम के पास मनहर भाई दिवान को इस काम में लगा कर दत्तोपुर में कुष्ठ सेवा का काम आरम्भ किया और उसके बाद उनकी प्रेरणा से अनेक स्थानों पर छोटे-बड़े पैमाने पर कई लोग इस काम को करने लग गये। उनमें से मैं मानता हूँ कि डाक्टर शिवाजी पटवर्द्धन जिन्होंने अमरावती में इस काम को चलाया और आज भी चला रहे हैं जिसका जिक्र

भावनगर में कुष्ठधाम का उद्घाटन करते समय भाषण; 30 सितम्बर, 1959

डाक्टर कैलास ने किया प्रमुख है। उसके बाद जब महात्मा जी का देहावसान हो गया और गांधी स्मारक के लिये कोष एकत्रित किया गया उसमें भी इसका निश्चय किया गया कि कुष्ठ निवारण का काम एक ऐसा काम है जो गांधी जी को प्रिय था उस सेवा के काम में पूरी तंदेही करनी चाहिये और गांधी स्मारक निधि की ओर से इस काम के लिये एक रकम निकाल दी और एक प्रकार से इसका संगठन भी किया गया।

मुझे इस बात की खुशी है कि आज आपके बम्बई प्रान्त की सरकार ने इस संस्था के जिम्मे इस कुष्ठधाम के इन्तजाम का भार भी सौंपा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह काम ठीक चलेगा क्योंकि इसमें एक तरफ तो गवर्नमेंट की सहायता है और दूसरी तरफ जनता का पूरा सहयोग है क्योंकि इसकी स्थापना के लिये मेघजी भाई से एक बड़ी रकम मिली है जिसके लिये वह हम सबके धन्यवाद के पात्र हैं। इसके अलावा जब गांधी स्मारक निधि की ओर से मदद मिलती है जिससे संस्था ने विशेषकरके इस काम को चलाने का भार लिया है तो मैं समझता हूँ कि चारों तरफ से ऐसी चीजें जुट गयी हैं जिनसे काम सफलतापूर्वक चलाने का इन्तजाम हो गया है।

जैसा मैंने कहा, यह रोग केवल शारीरिक रोग ही नहीं है, एक सामाजिक रोग भी है और इसको दोनों तरफ से मिटाना जरूरी है। जिस व्यक्ति को रोग हो जाये उसके प्रति अब तक समाज से जो दुर्भावना फैली हुई है उसको दूर करके उसके प्रति मनुष्योचित व्यवहार होना चाहिये और रोगी को समाज की तरफ से मिलना चाहिये। इस बात की भावना लोगों के हृदय में जागृत करना समाज-सेवियों का काम है।

आज संसार में विज्ञान की बड़ी प्रगति हो रही है और यह एक बड़े हर्ष का विषय है कि विज्ञान की प्रगति के कारण यह रोग जो पहले असध्य समझा जाता था, जिसका कोई उपचार नहीं माना जाता था वह एक प्रकार से साध्य हो गया है और ऐसा विश्वास हो गया है कि अगर ठीक समय पर उसका उपचार किया जाय तो रोगी निरोग हो सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब ऐसी दवाइयाँ निकली हैं जिनके जरिये से आदमी इस रोग से मुक्त किया जा सकता है। उसके साथ-साथ जो चिकित्सा का तरीका था वह भी अब बदल गया है और ऐसा हो गया है कि पहले जो चिकित्सा का तरीका था वह ऐसा था कि जिसमें रोगी को बहुत करके अस्पताल में रखना पड़ता था और बहुत करके उसे घर से और समाज से अलग रखना पड़ता था। कुछ दवा देने का तरीका भी ऐसा था कि जब तक डाक्टर

दिन प्रति दिन स्वयं उस पर ध्यान नहीं दें, चिकित्सा नहीं करें, वह काम पूरा नहीं होता था और दूसरे उसका समाज के अन्दर रहना भी मुश्किल था क्योंकि डर रहता था कि बीमारी में कुछ ऐसी छूत रहती थी कि नजदीक आने पर यह बीमारी दूसरे को लग सकती थी। जहां तक मैंने सुना है अभी तक यह नहीं हुआ है कि बिल्कुल इस बीमारी से डरने की बात नहीं है, इसमें छूत अभी भी है। मगर इतना हो गया है कि इसकी चिकित्सा का ढंग ऐसा बदल गया है कि घर से अलग करके अस्पताल में रखना, चिकित्सालय में रखना उतना आवश्यक नहीं। अब दवा भी ऐसी होती है कि जो घर में रहकर रोगी खा सकता है और समय-समय पर डाक्टर से जांच करा ले और दवा बदल ले तो बहुत काम आगे बढ़ सकता है।

तो इस तरह से इस बीमारी को हम काबू में कर सकते हैं ऐसी आशा हो रही है और इस देश में जहां यह बीमारी बहुत जोरों से फैली हुई है यह आर्थिक दृष्टि से भी काबू में होने लग गयी है क्योंकि जब तक यह प्रश्न था कि अस्पताल में रखकर रोगी की चिकित्सा होनी चाहिये तो जैसा डाक्टर कैलाश ने बताया कि इस देश में 20 लाख कुष्ठ रोगी हैं उतने रोगियों के लिये अस्पताल कायम करना आसान काम नहीं था। मगर अब इतने आदमियों के लिये अस्पताल कायम करना जरूरी नहीं है। अगर स्थान-स्थान पर केवल दवाइयां बांट दी जायें और उन लोगों के लिये जिनको अस्पताल में रखना आवश्यक है अस्पताल हो जायें तो यह बीमारी काबू में आ जाय। जहां तक मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का तरीका यही हो रहा है कि रोगियों को घर में दवा पहुंचा कर आराम करने का इन्तजाम कर रही है। तो इस तरह से अब ऐसा हो गया है कि इस देश से जहां इतने जोरों से यह बीमारी फैली हुई थी इस देश को बिल्कुल इस बीमारी से मुक्त कर सकते हैं। हो सकता है कि यह दो वर्ष, चार वर्ष का काम नहीं हो, इसमें ज्यादा समय लगे लेकिन यह कहना कि इस देश को कभी हम इस बीमारी से मुक्त नहीं कर सकते ठीक नहीं। अगर ठीक प्रबन्ध करें और देश के लोग कुष्ठ रोगियों के प्रति अपना कर्तव्य समझें तो इसमें कोई शक नहीं कि वह समय आ सकता है, भले ही वह 20, 25 या 30 वर्ष के बाद हो, जब हम कह सकते हैं कि इस देश में यह संक्रामक रोग नहीं है जिसकी वजह से हमें शर्मिन्दा होना पड़े और रोगी को कष्ट सहना पड़े।

एक और चीज है। मैंने सुना है कि यहां इस रोग के प्रसार के कारण यहां के डाक्टरों और वैद्यों ने इसका अध्ययन किया, इसकी चिकित्सा का प्रबन्ध

किया और इसकी चिकित्सा के जितने माधन इस देश में हैं उतने और देशों में नहीं। इसका पता मुझे इस वजह से लगा कि हमारे एक युवक मित्र, उत्साही मित्र हैं वह किसी उद्देश्य से विदेश गये। वहाँ उनके पैर में फुंसी हो गयी जिसको उन्होंने मामूली फुंसी समझी। पर डाक्टरों ने कहा कि वह कुष्ठ रोग का आरम्भ है। उन्होंने समझा कि इससे बढ़कर अच्छा मौका क्या होगा, जब यहाँ आये हुए हैं तो इसकी चिकित्सा करा लें। जब वह डाक्टर के पास गये तो उसने कहा कि तुम गलत समझ रहे हो। यहाँ यह बीमारी नहीं होती है। यहाँ के डाक्टर सिर्फ पुस्तक पढ़े डाक्टर हैं, उनको व्यावहारिक अनुभव नहीं है। इसकी चिकित्सा तुम्हारे देश में ही अच्छी हो सकती है। इसकी चिकित्सा अपने देश में ही कराओ। वह भाई यहाँ आये और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने स्वयं इस प्रकार का स्थान कायम कराया जहाँ की चिकित्सा से वह अच्छे हो गये हैं मगर औरों की चिकित्सा वहाँ होती है। इसलिये मैं समझता हूँ कि इस देश में सिर्फ अपने लिये ही नहीं, संसार के लिये जांच-पड़ताल कराना, प्रयोग करना मुमकिन है और आवश्यक भी है। इस प्रकार के अस्पताल जहाँ-तहाँ हों और जहाँ ये सब सुविधाएँ जुटायी जायें इससे बढ़कर दूसरा इस काम के लिये क्या हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि जब यहाँ की सरकारें, मेघजी भाई और यहाँ के कार्यकर्ता सभी इस काम में उत्साहपूर्वक लगे हैं तो यह काम दिन-प्रति-दिन आगे बढ़ेगा और सौराष्ट्र से चन्द वर्षों के अन्दर ही हम कह सकते हैं कि आपने कुष्ठ रोग को बिल्कुल निकाल दिया।

महाराज बहादुर राम रणविजय प्रसाद सिंह एक्सरे मेमोरियल क्लिनिक का उद्घाटन

महामान्य राज्यपाल महोदय, महाराज कमलसिंह जी, बहनों और भाइयों,

मुझे बहुत दिनों के बाद आज एक बार और डुमरांव में आने का सुअवसर मिला इसके लिये मुझे बड़ी खुशी है। आने का काम भी बहुत ही अच्छा और सुखद है क्योंकि मेरा यहां आना खासकरके इसलिये हुआ है कि मेरे हाथों इस अस्पताल के एक्सरे विभाग को खुलवाया जाये।

भारतवर्ष में जो लोग इन चीजों की खबर रखते हैं वे बताते हैं कि अस्पतालों, डाक्टरों और नर्सों की बड़ी कमी है। एक प्रकार से अस्पतालों और डाक्टरों की कमी होना कोई दुख की बात नहीं अगर वह इस वजह से हो कि लोग कम बीमार पड़ते हों मगर जब बीमार पड़ना कम नहीं हो और डाक्टर या वैद्य या अस्पताल की कमी हो तो वह एक दुखद चीज हो जाती है और इसलिये इस वक्त जितनी योजनाएं बन रही हैं उनमें से एक काम यही होता है कि किस तरह से देश के हर कोने में जहां तक हो सके अस्पताल, डाक्टर, वैद्य इत्यादि का प्रबन्ध किया जाय। गवर्नमेंट की ओर से यह काम तो हो ही रहा है पर इसको यदि पूरी तरह से अंजाम देना है तो धनी-मानी लोग जिनकी इस तरफ प्रवृत्ति हो दान देकर इस काम को बढ़ावें तो यह काम और भी तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है और इसलिये यह बड़ी खुशी की बात है कि महाराजा कमल सिंह ने अपने पूज्य पिता के स्मारक स्वरूप उनकी इच्छा की पूर्ति में अस्पताल के इस अंग को भी यहां स्थापित करने का निश्चय किया और आज उनका वह निश्चय पूरा हो रहा है।

जिस तरह की आजकल चिकित्सा चल रही है उसमें केवल डाक्टर का होना काफी नहीं है। उसमें बहुत हद तक डाक्टरों को जिन चीजों की जरूरत होती है उनका होना उतना ही आवश्यक है जितना डाक्टर का होना आवश्यक है क्योंकि बिना उन साधनों के आजकल के डाक्टर बीमारी को न तो ठीक तरह से पहचान सकते हैं और न उसका इलाज कर सकते हैं और उन साधनों से उनको बीमारी का ठीक पता लग जाता है और ठीक तरह से वे दवा देते हैं तो बहुत हद तक लोगों को आराम भी हो जाता है।

महाराज बहादुर राम रणविजय प्रसाद सिंह एक्सरे मेमोरियल क्लिनिक का उद्घाटन करते समय डुमरांव में भाषण; 3 अक्टूबर, 1959

इधर पिछले 30, 40 वर्षों में चिकित्सा शास्त्र में सारी दुनियां में इतनी उन्नति हुयी है कि जिसका हिसाब ठीक तरह से लगाया नहीं जा सकता और बहुत सी बीमारियां जो पहले असाध्य समझी जाती थीं आज उनको लोग एक मामूली बीमारी समझने लग गये हैं। जैसे निमोनिया एक प्रकार से पहले असाध्य बीमारी समझा जाता था। आज उसके बारे में डाक्टर समझते हैं कि अगर समय से उसका पता लग जाय तो उसको जरूर आराम कर देंगे। इसी तरह से और बीमारियों पर काबू हो गया है। यहां तक कि कुष्ठ रोग जिसको सबसे खराब बीमारी समझा जाता था और जिसके लिये सिवाय इसके कि रोगी को घर से निकाल दिया जाय दूसरा कोई उपचार नहीं होता था आज उसके लिये भी दवा निकल गयी है जिसके जरिये से आज लाखों-लाख आदमी भारतवर्ष में अच्छे हो रहे हैं। विज्ञान की ऐसी प्रगति हुई है कि बहुत बीमारियां तो रोगी को बीमारी जब तक नहीं पकड़ती तभी खतम होती हैं। मलेरिया को लीजिये। यह एक ऐसी बीमारी थी और इतनी फैली हुई थी वह बहुत हद तक काबू में आ गया है और बहुत जगहों में जहां मलेरिया का बहुत जोर था अब बिल्कुल गायब हो गया है और जहां अभी गायब नहीं हुआ है वहां भी कोशिश हो रही है कि उसको गायब कर दिया जाय और हटा दिया जाय। इस तरह से साधनों को हम बढ़ाते जा रहे हैं और बीमारियों पर काबू होता जा रहा है। बीमारी के होने के पहले ही उसको खतम किया जा रहा है। और बीमार पड़ने पर रोगी को आराम करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस तरह से चारों ओर से रोगों पर आक्रमण है और आशा की जाती है कि भारतवर्ष भी एक ऐसा देश हो जायेगा जहां जितनी पुरानी बीमारियां हैं वे पूरी तरह से काबू में कर ली जायेंगी।

अब आजकल नयी सभ्यता, नयी प्रगति और साइन्स के युग में जो नयी-नयी बीमारियां पैदा हो रही हैं उनके बारे में आज कुछ कहना मुश्किल है। चूंकि बीमारी नयी है उनके लिये उपचार भी नया ही होगा। न जाने क्या-क्या उनका रूप होगा। मगर जो पुरानी बीमारियां थीं उन पर बहुत हद तक काबू होता जा रहा है।

मैं आशा करता हूं कि जिस उत्साह और श्रद्धा के साथ महाराजा साहब ने इस काम को उठाया है और किया है उसी उत्साह के साथ जो यहां के डाक्टर होंगे, नर्स होंगी या दूसरे काम करनेवाले होंगे वे सब इस काम को आगे बढ़ाने में हमेशा लगे रहेंगे और इसके द्वारा केवल डुमरांव के लोगों का ही नहीं बल्कि आस-पास की, कुछ दूर तक की जनता का बहुत उपकार होगा और लोगों को इससे

बहुत लाभ मिलता रहेगा। हम लोगों की यही आशा है कि इसी तरह से काम उत्साहपूर्वक बढ़ता जायेगा और जो हमारे देश के धनी-मानी लोग हैं इन कामों में दिलचस्पी लेते रहेंगे जिसमें गवर्नमेंट का बोझ कुछ हद तक हलका होता रहे और दूसरी तरह से भी मालूम हो कि लोगों को इन सब चीजों में दिलचस्पी है और लोग भी इन चीजों को पूरा करना अपना कर्तव्य मानते और समझते हैं।

मैं महाराजा साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस संस्था को कायम किया और आप सब की तरफ से केवल मैं बधाई ही नहीं देता हूँ बल्कि आशा भी करता हूँ कि इस तरह के और भी काम उनके द्वारा होंगे जिनसे लोगों को लाभ और उपकार हो।

हम बिहार में खासकरके भौजपुर के इलाका में आकर के भोजपुरी में ना बोलतीं इ हमार गलती ह। मगर हमार कमी महाराजा साहब पूरा कर दिहलन। हम सब से माफी चाहतानी।

एक सार्वजनिक सभा में भाषण

महाराजा कमलसिंह जी, नगरपालिका के सदस्यगण, बहन और भाई लोग,

हमरा एह बात के बहुत खुशीह कि आज हमरा बहुत दिन के बाद डुमरांव नगर में आवे के मौका मिलल और एकरा वास्ते हम महाराजा साहब के बहुत आभारी हई कि हमरा इहां आवे के सुअवसर मिलल और इहां आकर बहुत परिचित लोग से बहुत वर्ष के बाद मुलाकात भईल ।

इहां सवरे से हमार स्वागत हो रहल बा । हम कौना तरह से आपन आभार प्रकट करीं इ समझ में नइखे आवत । मगर इहां वास्ते एह किस्म के लोगन में उत्साह और एह किस्म के हमार स्वागत स्वाभाविक चीज ह काहे कि गरचे हम दिल्ली से आइल बानी मगर हम रहनिहार त एकरा आस पास के ही बानी और हमरा देखकर इहां के लोग आपन घर के एक समांग समझता त एह में कौनों आश्चर्य नइखे ।

एह वक्त हिन्दुस्तान के हालत बहुत बात में बहुत कुछ बदल चुकल बा । 12 वर्ष हो चुकल जब अंग्रेज लोग के हाथ से हिन्दुस्तान के लोग के हाथ में सब अख्तियार आईल और पिछला 12 वर्ष से सरकार का इन्तजाम एही देश के लोग से हो रहल बा, सब अधिकार अपने भाई लोग के हाथ में ह जेकरा जनता एह काम वास्ते मुकरर कर दिहल ह जेकरा जिम्मे सब काम ह । ओही लोग के हाथ से सब काम 12 वर्ष से हो रहल बा ।

काम देश में बहुत किस्म के बा और सब के पूरा कइल आसान काम नइखे । खासकरके इ देश एक गरीब देश ह जहां अभी भी बहुत लोग ऐसन बा जेकरा भर पेट खाना नइखे मिलत, जेकरा शरीर पर पूरा कपड़ा नइखे रहत, जेकरा रहे के वास्ते घर नइखे होत । देश में अभी बहुत लोग ऐसन बा जेकरा बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई नइखे हो पावत, जेकरा बीमार पड़ला पर दवाई के इन्तजाम नइखे हो पावत । इ सब काम देश के सामने बा । खुशी के बात ह कि एह बात के बड़ा प्रयत्न हो रहल बा और जेतना काम हो रहल बा सब पूरा हो जाई तो देश में अधिक अन्न पैदा हो सकी और सब लोग के खाना मिल सकी, सब लोग सुख से रह सकी इसब सोचल जाता और काम भी बहुत हो रहल बा । बड़ा-बड़ा योजना बनाकर बड़ा-बड़ा काम हाथ में लिहल गइल ह जेह में हजार लाख के बात नइखे, जौना में अरबन रुपया खर्च कइल जाता । रउआ लोग इहे समझीं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट लोग के भलाई के वास्ते जेतना काम दो सौ वर्ष में कइले होई ओकर कई

एक सार्वजनिक सभा में भाषण; डुमरांव, 3 अक्टूबर, 1959

गुना काम पिछला दस बारह वर्ष में जब से देशी राज भइल ह भइल बा । जेतना खर्च भइल बा सब के नतीजा अभी पूरा नइखे आवत । रउआ लोग त गांव के रह-निहार हईं । रउआ जानत हईं कि जब धान बोअल जाला त ओह में पानी दिहल जाला, बहुत तरह से ओकर देखभाल कई महीना तक होला, तब फसल तैयार होला । जब एक छोट काम में कई महीना तक इन्तजार करेके पड़ेला और ओकरा अन्दर बहुत अन्धर और तूफान के भी डर रहेला और जब एह सब से बची त फसल तैयार होई । ओही तरह से जे काम देश में हो रहल बा ओकर फल कुछ दिन के बाद मिली । जैसे मकई के फसल तैयार होये के पहिले कुछ भुट्टा वगैरह खाये वास्ते मिल जाला एह सब काम के फल कुछ मिल रहल बा मगर अभी फसल पूरा तैयार ना भइल ह । जेह तरह से फसल तैयार होये के पहिले फसल के बहुत निगरानी करेके पड़ेला ओही तरह से देश के काम भी हमेशा करते रहेला लोग ।

खास करके रउआ लोगन के इलाका ऐसन बा जहां खेती का काम अच्छा होला । इहां से धान छपरा जिला में जहां हम रहिले हमेशा जाला और इहां के धान से उहां के लोग के काम पूरा होला । हिन्दुस्तान भर में जे खेती होता ओह में उतना अन्न ना पैदा होता जेतना दूसर देश के लोग पैदा करता । जब तक बीघा पीछे खेती के पैदावार ना बड़ी तब तक देश से अन्न कष्ट ना मिटी । एह वास्ते इ जरूरी बा कि जेकरा पास जेतना खेत हो, 5 कट्टा हो, 10 कट्टा हो, बीघा, दो बीघा, सौ बीघा, दो सौ बीघा जेतना हो सब के कोशिश रहे के चाही कि आपन-आपन खेत में जहां अभी 1 मन पैदा होता उहां डेढ़ मन पैदा हो, दो मन पैदा हो । इ मुश्किल काम नइखे । एह जिला में कहीं-कहीं नहर के पानी जाता, कहीं-कहीं नइखे पहुंचत । जहां नहर के पानी पहुंचेला उहां बीघा में 15 मन, 20 मन पैदा होला, जहां पानी नइखे पहुंचत उहां बीघा में 8 मन, 10 मन पैदा होला । तो खेती वास्ते पानी पहुंचवला से और निमन बिआ देहला से फसल अच्छा हो जाला । अगर ठीक वक्त से जमीन कोरल जाय, पानी दिहल जाय तो फल भी अच्छा होई । एकरा अलावे जेकरा खेत में कुछ खाद पड़ जाला चाहे उ खाद कृत्रिम खाद हो, गोबर मिट्टी के खाद हो या खेत में सब्जी बोकल खाद बनावल गइल हो ओह से पैदावार बढ़ जाला । हिन्दुस्तान में एह घड़ी एह बात के कोशिश हो रहल बा कि जहां एक मन पैदा होता उहां डेढ़ मन, दो मन अनाज पैदा हो, कोशिश कइला से 5 मन, 7 मन भी पैदा हो सकेला । जैसे बंद-बूंद से तालाव भरेला सब लोग मिलके पैदावार बढ़ाई तो सारे देश के पास एक बड़ा रकम हो जाई और जहां-जहां कमी होखे उहां भेजल जाई और सब के खाय वास्ते काफी अन्न हो जाई ।

इह वक्त सबसे जरूरी काम देश के वास्ते इहे वा कि लोग खेत में अधिक अन्न पैदा करे। ओकरा आपन भलाई के साथ-साथ देश के भी भलाई होई काहे कि देश में अन्न के कमी वा। इ ना समझेके चाही कि रउआ खेत में जे पैदा करतानी अपना वास्ते करतानी। रउआ के इ समझे के चाही कि जे पैदावार रउआ पैदा करतानी उ सिर्फ अपना वास्ते ना करतानी बल्कि सारे देश के वास्ते करतानी काहे कि जहां-जहां जमीन अच्छा बाटे उहां अन्न ज्यादा पैदा होला और जहां के जमीन अच्छा नइखे उहां कम होला और उहां जहां अन्न ज्यादा पैदा होला उहां से भेजल जाला। देश में अन्न एक जगह से दूसर जगह जाला और कभी-कभी देश म काफी अन्न ना रहला से विदेश से भी मंगावे के बन्दोबस्त होला और करोड़ों मन अन्न विदेश से आवता जेह में लोग अन्न के बिना मरे न पावे। अगर सब जगह अन्न पैदा ना होई तो दूसर जगह से अन्न मंगावे के पड़ी। एह वास्ते जेकर पास अपना पेट से ऊपर अन्न होखे उ बेच देवे के चाही। इ बात के शिकायत होता के जेकर पास ज्यादा अन्न होता उ अपना घर में दबाकर बैठ जाता जेह में कुछ दाम बढ़े तो बेचे और ज्यादा फायदा बनावे। इ मुनासिब बात नइखे। अपना खर्च से जो ज्यादा अन्न होखे मुनासिब दाम लेकर दे देवे के चाही और गवर्नमेंट के काम ह कि मुनासिब दाम पर एक जगह से अन्न लेकर जहां कभी होखे पहुंचावे। एह वास्ते इ जरूरी वा कि सब जगह जेतना पैदा होता ओह से ज्यादा पैदा लोग करे।

डुमरांव एक शहर समझल जाता मगर जेतना लोग इहां रहता सब कुछ न कुछ खेती करते वा। एह वास्ते हम रउआ सबसे कहतानी कि अगर रउआ लोग अधिक अन्न पैदा करब तो आपन भलाई करब, अपना खाय वास्ते रउआ के अधिक अन्न मिली, पैसा अधिक मिली और देश में अधिक अन्न पैदा होई। हम उम्मीद करतानी कि रउआ लोग जहां 1 मन पैदा करतानी उहां 2 मन पैदा करब जेह से आपन पेट भी भरब और देश के भी भला होई, हर तरह से अपने भी आनन्द में रहब और दोसरा के भी आनन्द पहुंचाइब और एही में देश के भलाई ज्यादा ह। हम समझतानी कि देश के सामने सबसे भारी काम एही ह।

लोग कहल कि डाक्टर होना, इन्जीनियर होना जरूरी ह। मगर सब से पहिले तो अन्न के जरूरत ह। आदमी के सबसे पहिले आदमी बने के चाही। डाक्टर होखे के पहिले आदमी होखे के चाही जेह में आदमी सच्चा रहे, ईमानदार रहे जेह में ओकरा पर भरोसा कइल जा सके। जब आदमी अच्छा आदमी बन जाई तो उ अच्छा डाक्टर भी हो सकी, इन्जीनियर भी हो सकी, अच्छा गृहस्त भी,

अच्छा राजा भी, अच्छा प्रजा भी । अगर आदमी अच्छा ना भइल तो सब बात बिगड़ जाई । अगर डाक्टर बनी तो उ बराबर इहे सोची कि कौना तरह से पैसा निकालीं, अगर गृहस्त बनी तो भी आपन फायदा के फिक्क में रही, बनिया बनी तो भी दो रुपया के बदले तीन रुपया ठग ली । एह वास्ते सबसे जरूरी बात हिन्दुस्तान के वास्त इहे बा कि आदमी लोग आदमी बने, ओकरा बाद और कुछ बने ।

आदमी के वास्ते सबसे जरूरी चीज अन्न ह । ओकरा बाद कपड़ा ह । अगर आदमी के शरीर पर कपड़ा ना होखे तो केहू तरह से 6 महीना, 8 महीना उ निवाह ले जाई मगर अन्न ना मिली तो पांच सात दिन से ज्यादा उ ना जी सकेला । जेह तरह से जीवन के वास्ते सबसे जरूरी अन्न ह आदमी के विकास के वास्ते सबसे जरूरी आदमी होना ह । इहां के आदमी बहादुरी वास्ते मशहूर रहल ह । बहादुरी के लक्षण इहे ह कि आदमी सच्चा हो । सच्चाई के कायम रखे के चाहीं, आदमी बने के चाहीं और अन्न पैदा करब तो सब लोग रउआ लोगन के बधाई दीं और सब लोग के खुश करके अपने भी खुश रहब । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

रामकृष्ण आश्रम के उद्घाटन के अवसर पर भाषण

राज्यपाल महोदय, मुख्य मन्त्रीजी बहनों और भाइयो,

मुझे बहुत खुशी है कि आपके निमन्त्रण पर छात्रों के लिये बनाए गए इस भवन के उद्घाटन के लिये मैं आज यहां आ सका। छात्रों और छात्राओं के लिये निवास की समस्या काफी पैचीदा होती जा रही है। पुराने छात्रावास इतने विशाल नहीं कि छात्रों की बढ़ती हुए संख्या के लिये काफी हो सकें। इसलिये विद्यार्थियों को रहने का प्रबन्ध करने के लिये इधर-उधर भटकना पड़ता है। यह समस्या करीब-करीब सभी बड़े शहरों में है, खास कर उन शहरों में जो शिक्षा के केन्द्र हैं। पटना भी उन में से एक है।

रामकृष्ण आश्रम अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिये देश भर में ही नहीं देश से बाहर भी नाम पैदा कर चुका है। यह खुशी की बात है कि उसका सेवा-क्षेत्र बराबर विस्तृत होता जा रहा है। देश में उनके अनेक अस्पताल हैं, वाचनालय और पुस्तकालय हैं। विद्यार्थियों के लिये यह छात्रावास खोल कर उन्होंने बहुत उपयोगी काम किया है जिसके लिये वे सभी के धन्यवाद के पात्र हैं। रामकृष्ण आश्रम का कार्य देश के सभी कोनों में एक समान फैला हुआ है। इस काम को लोग बहुत अच्छा समझकर, पुण्य का काम समझकर इससे लाभ उठा रहे हैं।

जब भी कभी, किसी भी किस्म की मुसीबत या विपत्ति आकर लोगों पर कहीं भी पड़ती है वहां पर रामकृष्ण मिशन के लोग हमेशा हाजिर रहते हैं और चाहे जिस तरह की विपत्ति क्यों न हो, उसमें जहां तक लोगों की मदद व सहायता वे कर सकते हैं, हमेशा करते हैं। मुझे उनके सहयोग में इस प्रकार की सहायता को काम में लाने और उनके साथ काम करने का मौका मिला है और इसलिये मैं अपने तजुबों के आधार पर कह सकता हूं कि वे जो भी काम लोगों की मदद के लिये कहीं भी उठाते हैं उसको बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही खुशी और तत्परता के साथ मिशन के स्वामी लोग, विद्यार्थी और दूसरे सहयोगी लोग हमेशा किया करते हैं।

अभी जो रिपोर्ट स्वामी जी ने पढ़ कर सुनाई है, उस रिपोर्ट में कितने प्रकार के काम इस मिशन की तरफ से यहां किये जा रहे हैं उनका व्यौरा है, जैसे दवा का काम, अस्पताल का काम, शिक्षा का काम, स्कूल, कालेज, यूनिवर्सिटी कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में करते हैं और दूसरे प्रकार के लोगों की मुसीबत

रामकृष्ण आश्रम क उद्घाटन के अवसर पर भाषण; पटना, 15 अक्टूबर, 1959

में मदद करने का काम भी कई संस्थाओं के द्वारा और दूसरी जगहों में भी होता है ।

पर आजकल एक काम बहुत ही कम देखने में आता है और अगर वह किसी हद तक हो रहा हो तो वह रामकृष्ण मिशन की संस्थाओं के द्वारा ही हो रहा है । वह है हमारे यहां के युवकों के चरित्र का गठन । यहां आश्रम के युवकों को आप जो शिक्षा देते हैं वह बहुत ही मूल्यवान है । आप बराबर एक दो बार उनसे भेंट करते हैं, जिन्हें आप आश्रम के ग्रन्थों को पढ़ने देते हैं और उससे भी अधिक जो युवक आपके सुपुर्द होते हैं उनको अपने तौर-तरीके से, अपने रहन-सहन से और जिस तरीके से पढ़ाते हैं उससे उन्हें बहुत प्रभावित करते हैं । इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश के लिये अभी बहुत इन्जीनियर चाहियें । हम तो चाहते हैं कि इस मुल्क में अब अधिक इन्जीनियर तैयार हों, डाक्टर भी हों, अच्छे शिक्षक भी तैयार हो । पर इन सब से बड़ी जरूरत यह है कि पहले आदमी तैयार हों । पहले हम इन्सान बनें, फिर उसके बाद इन्जीनियर, डाक्टर अथवा शिक्षक बनें ।

इस वक्त सब बड़े-बड़े कामों की बात करते हैं । मगर आदमी नहीं हैं । हजारों तरह की शिकायतें चारों तरफ से सुनाई देती हैं । क्या करना चाहिये ? बहुत से लोग यह भी कह बैठते हैं कि स्वराज्य आने पर बात और बिगड़ गई । स्वराज्य के पहले जो हालत थी अब हालत उससे भी खराब है । इसका क्या कारण है । हम बड़े-बड़े काम हाथ में ले रहे हैं । बहुत बड़े बड़े कामों के नतीजे भी आज देखने में मिल रहे हैं और जैसे-जैसे वक्त बीतेगा नतीजे देखने को मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं । हम यह भी देखते हैं कि आज हमें किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करना पड़ता । मुल्क को बनाने या बिगाड़ने का सारा भार अपने मुल्क के लोगों पर है और हम लोग जो चाहें सो कर सकते हैं । इस देश में लोग जैसा चाहें वैसा अपना भाग्य बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं ।

यह सब कुछ होने पर भी आज लोगों में उत्साह नहीं है । जैसे वक्त बीतता जा रहा है, 10, 12 वर्षों के बाद लोगों के दिलों में अब शक होने लगा है कि इस बीच में हम ने कहां तक क्या किया, कुछ हासिल किया या नहीं । इस समय अगर सच पूछा जाय तो यहां तक देखने में आता है कि बहुत सी चीजें हमें मिली हुई हैं इसमें कोई सन्देह नहीं, मगर हमारे चरित्र में गिरावट हुई है । हम कमजोर हुए हैं और इसका दोष खास किसी एक आदमी पर नहीं है, हम में से प्रत्येक पर

हैं। इस चीज को कहने में मुझे झिझक नहीं है कि मैं इससे अपने की बाहर नहीं रखता। मैं मानता हूँ कि इस चीज के लिये खास तपस्या चाहिये, खास करके उसमें ऐसे गुण चाहिये जिससे कि हम अपने चरित्रवान रख सकें। हम लोगों में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनमें वह शक्ति सहज रूप से है। इस वजह से जो अच्छा भी होता है वह बुरा मालूम होता है और अच्छा हो सकता है उसे हम बुरा कर देते हैं।

तो इस प्रकार की चारों तरफ ही अव्यवस्था फैली हुई है उस चीज से देश को अगर ऊपर उठाना है तो इसका सब से पहला उपाय यह है कि हम आदमी बनें और आदमी बनाने का काम हम करें, क्योंकि हमें ऐसे बेहतर आदमी आज चाहिये जिन पर हम भरोसा कर सकें। तब सब लोग काम अच्छी तरह से कर सकेंगे और उससे सब का लाभ और उपकार व कल्याण होगा। इसलिये जब स्वामी जी ने मुझे निमन्त्रण दिया मैं हाजिर हो गया। स्वामी विवेकानन्द और रामकृष्ण परमहंस ने देश में और विदेश में जिस बात का प्रचार किया, वह गौरव का विषय है। मगर गौरव से अधिक वह एक आवश्यक चीज है, जिस पर हमारे चले वगैर हमारी तरक्की नहीं हो सकेगी।

इसलिये मैं चाहता हूँ कि सब लोग मिलजुल कर जहां तक हो सके इस काम में मदद करें और इस कार्य के लिये स्वामी जी तो अपना जीवन दे ही चुके हैं। इस काम के लिये वे सब कुछ समर्पित कर चुके हैं और इसलिये और लोग जो उनकी यथोचित सहायता कर सकते हों करें।

मैं और क्या कहूँ। यह भी मैं चाहता हूँ कि स्कूलों में, कालेजों में और यूनिवर्सिटियों में इस तरह की आबहवा पैदा होनी चाहिये कि वहां से चरित्रवान आदमी निकलें, मगर मालूम नहीं यह कब तक हो सकता है। इस प्रकार के चरित्रवान व्यक्ति आज हमारे घरों के अन्दर भी नहीं रहे। धर्म की वजह से, एक ईश्वर में विश्वास की वजह से जो खजाना हमें मिलता था वह अब नहीं रहा। इसलिये मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त हम एक बहुत बड़ी चीज खो बैठे। जिससे हमें जागृति मिल सकती थी उसको हम खो बैठे हैं। और इसलिये जब कभी मुझे मौका मिलता है तो मैं रामकृष्ण मिशन की तरफ से चलाई जाने वाली संस्थाओं को देखता हूँ और आशा करता हूँ कि और चाहता हूँ कि हमारे युवक सब ऐसे बनें, याने सच्चे अर्थों में आदमी बनें।

मैं चाहूंगा कि आपका यह काम जितना फैल सके फैले, जितना आप बड़ा सकें उतना बढ़ावें और लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि वे स्वामी जी के काम में जितना

प्रोत्साहन दे सकें दें। यहाँ आश्रम में जो पढ़ने आते हैं उनमें इस तरह की भावना पैदा हो कि वे अपने चरित्र को निर्मल रख सकें जिससे कि यह काम और आगे बढ़ सके। इसलिये मैं चाहता हूँ कि यह मिशन एक केन्द्र बन जाय, सेन्टर बन जाय जहाँ से इस तरह की भावना सब जगह पहुँच सके। इसी में हम सब का और देश का कल्याण है।

बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् के अष्टम वार्षिकोत्सव का उद्घाटन

बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् के वार्षिक समारोह का उद्घाटन मैं ने एक बार पहले भी किया है। जब आपका कृपापूर्ण निमन्त्रण मुझे मिला, मैंने उसे सहर्ष स्वीकार किया, किन्तु इस बार आपके आभार को वहन करने में मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है। साहित्यिक जनों के स्नेह तथा उदारतापूर्ण व्यवहार का मैं काफी आदी हो चला हूँ। आपने मुझे इस समारोह का उद्घाटन करने के लिये ही नहीं निमन्त्रण किया, बल्कि मुझे यह भी आदेश दिया है कि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् द्वारा दिये गये दो पुरस्कारों को लेने के लिये मैं यहाँ पहुँचूँ। सोचने पर भी मैं निर्णय नहीं कर सका हूँ कि प्रधान रूप से मैं उद्घाटन के लिये आया हूँ या पुरस्कार लेने के लिये। मेरे संकोच का यही कारण है। फिर भी, स्थिति चाहे जैसी जटिल हो और मेरे अपने विचारों में चाहे जितना विरोधाभास का पुट हो, मैं निश्चित होकर अपने दायित्व का पालन करूँगा, क्योंकि जटिलता और विरोधाभास दोनों का मूल स्रोत एक ही है और वह है मेरे प्रति आपका स्नेह और सद्भावना। इसके लिये मैं सादर आभार प्रकट करता हूँ और यही कह सकता हूँ कि यथाशक्ति मैं आपके उदारतापूर्ण व्यवहार के लिये योग्य बनने का प्रयत्न करूँगा।

बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् की जब से स्थापना हुई है, उसने प्रकाशन और साहित्यिकों को प्रोत्साहित करने की दिशा में हिन्दी साहित्य की अमूल्य सेवा की है। साधारण विषयों पर ग्रन्थ प्रकाशन करने वाली, हमारे देश में, और बिहार राज्य में अनेकों संस्थायें हैं, किन्तु खोजपूर्ण विषयों पर, जिन पर शोध अथवा अन्वेषण की आवश्यकता होती है, ग्रन्थ प्रकाशन करना व्ययसाध्य कार्य है। इस कार्य को अपना कर और योजनानुसार प्रकाशन की व्यवस्था कर बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् स्तुत्य रूप से हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि कर रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह मत मेरा ही नहीं बहुतेरे दूसरे हिन्दी प्रेमियों का भी है। इसके लिये मैं परिषद् को बधाई देता हूँ।

इस सम्बन्ध में मैं आपके सामने एक सुझाव भी रखना चाहता हूँ। आप लोग विद्वान हैं और आप में से बहुतों ने जीवन भर हिन्दी की सेवा की है। इसलिये मुझ जैसा व्यक्ति जिसके जीवन में बहुत ही अन्य व्यवस्थाएँ रही हैं और जिसने यदाकदा ही हिन्दी के लिये कुछ करने का प्रयास किया है, यदि हिन्दी के भविष्य

बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् के अष्टम वार्षिकोत्सव के अवसर पर उद्घाटन
भाषण; 5 अक्टूबर, 1959

के सम्बन्ध में कुछ कहें तो उसका एकमात्र कारण हिन्दी के प्रति उसका स्नेह अथवा ममत्व ही समझना चाहिये । संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है और मुझे यह कहने में तनिक भी संदेह नहीं कि देर-सबेर हिन्दी देश की राष्ट्रभाषा होकर रहेगी । किन्तु प्रश्न यह है कि इस समय, जब देश के कुछ भागों में हिन्दी को लेकर विवाद खड़ा करने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, हिन्दी साहित्य सेवियों का प्रथम कर्तव्य क्या है ? मेरी राय में उन्हें विवाद से ऊपर रहना चाहिये और हिन्दी साहित्य भंडार को अधिकाधिक भरने में ही अपने कर्तव्य की पूर्ति समझनी चाहिये । मैं मानता हूँ कि हिन्दी साहित्य की कोटि, कलेवर और वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में कभी-कभी जो आक्षेप किये जाते हैं, वे सभी ठीक नहीं होते । फिर भी, मैं इतना अवश्य कहूँगा कि हिन्दी के रूप और कलेवर को बनाने के लिये हमें जहाँ से भी सामग्री मिले, लेनी चाहिये, और दृष्टिकोण उदार रखना चाहिये । अन्य भाषाओं की शब्दावली, मुहावरे इत्यादि लेने में हमें संकोच नहीं होना चाहिये । इससे हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास के साथ-साथ आजकल जो तनातनी है वह भी कम हो जायगी और हिन्दी अधिकाधिक लोकप्रिय बन सकेगी । हम लोग जो हिन्दी के ज्ञाता हैं और अन्य लोग भी जो निष्पक्ष दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार करने में समर्थ हैं, यह जानते हैं कि हिन्दी का साहित्य समृद्धि ही नहीं व्यापक और सर्वांगीण होने के कारण लोकप्रिय भी है । फिर भी इसमें कुछ अभाव और त्रुटियाँ हो सकती हैं । क्या मैं पूछ सकता हूँ कि संसार की ऐसी कौन सी भाषा है और कौन सा ऐसा साहित्य है जिसकी सभी शाखायें समुचित अवसर के अभाव में सहसा पूर्णता को पहुँच गयी हों । यदि आज हिन्दी में आधुनिक और वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य की कमी देखने में आती है तो उसका कारण यही है कि उसको पनपने का अभी पूरा अवसर नहीं मिला और जहाँ तक देश ने तथा शिक्षण संस्थाओं ने उसे अपनाया है वह विदेशी भाषा के माध्यम से है : अतः हिन्दी भाषा का यह अंग यदि अभी कमजोर है तो इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिये । हमारा देश इस विषय को जब अपना बना लेगा, भाषा में उसके ज्ञान का समावेश स्वयं हो जायगा । खैर ! कुछ भी हो जिस गति से हमारा साहित्य पनप रहा है और आगे बढ़ रहा है उससे असन्तुष्ट होने का कोई कारण नहीं है । मेरा निवेदन केवल इतना है कि हमारे साहित्यिकों को अधिकतर इसी ओर ध्यान देना चाहिए और भाषा के सम्बन्ध में विवादग्रस्त प्रश्नों में नहीं उलझना चाहिये मैं समझता हूँ कि ऐसा करने से जहाँ साहित्य की समृद्धि होगी वहाँ इस सम्बन्ध में जो भ्रमपूर्ण धारणायें उनका अधिक आसानी से समाधान भी हो सकेगा । विवाद में पड़कर समय और

शक्ति का ह्रास करने की बजाय यह कहीं अधिक सराहनीय होगा कि हम सब साहित्य निर्माण के रचनात्मक कार्य में संलग्न हो जायें।

स्थानीय भारत के नेतागण और स्वयं हिन्दी के समर्थक सदा यह मानते आये हैं कि भारत की अन्य भाषाओं और हिन्दी के बीच बहनों का-सा नाता है। उनमें किसी भी प्रकार के द्वेष और आपसी विरोध का कोई कारण नहीं हो सकता। दक्षिण की भाषाओं को छोड़कर सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है जिसका प्रभाव दक्षिण की भाषाओं पर भी गहरा और व्यापक पड़ा है। इसका प्रमाण यह है कि वे भाषायें संस्कृत शब्दों से भरपूर हैं। इन सभी भाषाओं को भारतीय परम्पराओं और जनसाधारण की भावनाओं तथा आकांक्षाओं ने सींचा है। इन भाषाओं में भेद-भाव करने वाला कोई भी भारतीय देशभक्त नहीं कहला सकता। इसलिये संविधान के आदेशानुसार ही नहीं बल्कि पारस्परिक सद्भावना और सहिष्णुता की दृष्टि से भी किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिये कि हमारा विचार किसी क्षेत्र पर हिन्दी को लादने का है। हिन्दी इस देश के व्यापकतम क्षेत्र की भाषा है और न्यूनाधिक देश भर में बोली अथवा समझी जाती है। यदि यह क्षेत्र हिन्दी के द्वारा अपना सारा कामकाज सुचारु रूप से चलाकर दिखा सके और हिन्दी साहित्य के भण्डार को इतना उन्नत कर सके कि अन्य भाषाई उस साहित्य के प्रति आकर्षित हों तो हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में पारस्परिक आदान-प्रदान तथा सहयोग की भावना को सहज ही बल मिल सकता है। यही हमारा प्रयत्न होना चाहिये और यही हमारा ध्येय। इसी की पूर्ति में हिन्दी का, अन्य भारतीय भाषाओं का और इस देश के जनगण का कल्याण निहित है।

हिन्दी साहित्य के कौन से ऐसे विभाग हैं जिनकी ओर अधिक ध्यान देना चाहिये अथवा कौन से ऐसे हैं जो अभी तक समुचित रूप से उन्नत नहीं हो पाये हैं इस सम्बन्ध में आप लोग संभवतः मुझ से अधिक जानते हैं। इसलिये इसके बारे में मैं अधिक नहीं कहूंगा। मैं इतना ही जानता हूँ कि शिक्षण प्रशासन आधुनिक राजनीति और विज्ञान इत्यादि की दृष्टि से कई एक कार्यक्षेत्र ऐसे हैं जिनमें हिन्दी को अभी कुछ वर्षों तक स्थान नहीं मिला था अथवा न मिलने के बराबर था। इन विषयों के अध्ययन के लिये हिन्दी के प्रयोग का अवसर हमें अभी हाल ही में मिला है। इसलिये सम्भव है कि इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। हो सकता है कि हमारे साहित्यिकों का ध्यान इस ओर पहले ही जा चुका हो और साहित्य के अविकसित अंगों की उन्नति करने की दिशा में भरसक प्रयत्न किये जा रहे हों। इन प्रयत्नों को जारी रखना

आवश्यक है क्योंकि कोई भी भाषा सर्वांगीण उन्नति के बिना आधुनिक भाषा नहीं कहला सकती और न ही वह एक राष्ट्र के दैनिक जीवन में वह पूरी तरह उपयोगी सिद्ध हो सकती है। यह स्वीकार करने में कि ऐतिहासिक अथवा राजनैतिक कारणों से हमारी राष्ट्रभाषा के कुछ अंग पूरी तरह पुष्ट नहीं हो पाये हमें संकोच नहीं होना चाहिये। जहां तक विशुद्ध साहित्य कविता कथा-साहित्य आर्थिक साहित्य इत्यादि का सम्बन्ध है वह पूर्ण रूप से उन्नत हुआ है। यदि कहीं कुछ कमी रह गई है उसे पूरा करने का दायित्व अब हम लोगों पर आता है। मुझे यह कहने में खुशी होती है कि इस महत्वपूर्ण कार्य में आपको परिषद् का योगदान बहुमूल्य है। इसके लिये मैं परिषद् को तथा बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को बधाई देता हूं।

इस अवसर पर मुझे पुरस्कृत करने की आपने जो कृपा की है उसके लिये मैं आपका कृतज्ञ हूं। यदि विद्वजन और साहित्य प्रेमी ऐसा समझते हैं कि मेरी कुछ रचनाओं के द्वारा हिन्दी की सेवा हुई है तो मैं उसे अपना सौभाग्य मानता हूं। निश्चय-पूर्वक मैंकेवल इतना ही कह सकता हूं कि आरम्भ से ही हिन्दी के प्रति मेरा स्नेह रहा है और उसी लगाव के कारण मुझे कुछ थोड़ा-बहुत इस भाषा में लिखने की प्रेरणा मिली है। आपने पुरस्कार स्वरूप जो रु० 2,500 मुझे देने का निश्चय किया है उसे मैं सधन्यवाद स्वीकार करता हूं और उतनी ही राशि अपनी ओर से मिलाकर आपकी परिषद् को रु० 5,001 सादर भेंट करना चाहता हूं। मुझे बहुत खुशी होगी यदि आप उसे स्वीकार करें और राष्ट्रभाषा के प्रचार अथवा साहित्य की उन्नति से सम्बन्धित किसी भी कार्य में इस धन का उपयोग करें।

प्रेमचन्द स्मारक का शिलान्यास

महापुरुषों के स्मरणार्थ स्मारक खड़े करने के सम्बन्ध में मैं कभी कोई निश्चित मत निर्धारित नहीं कर सका हूँ। इन ईंट-चूने से बने भवनों की भंगुरता को देखकर कभी यह विचार आता है कि ऐसे अस्थायी स्मारकों और स्थाई स्मृति में क्या मेल हो सकता है। फिर सोचता हूँ कि ये भवन जिनकी आयु कम से कम मनुष्य की आयु से तो अधिक ही होती है, स्थूल और दृष्ट होने के कारण कुछ वर्षों तक तो किसी की याद को हरा रख ही सकते हैं। जब कुछ वर्षों तक स्मृति जागृत रहती है तो बहुधा जातीय अथवा राष्ट्रीय परम्परा का अंग बन कर जीवित रह सकती हैं। इसलिये, हो सकता है इन भौतिक स्मारकों की यही उपादेयता समझी गई हो। किन्तु फिर प्रश्न उठता है उस व्यक्ति और महापुरुष का जिसकी स्मृति बनाये रखना समाज के लिये अभीष्ट हो। इस संदर्भ में वे महापुरुष मुंशी प्रेमचन्द हैं। उनका ध्यान आते ही फिर शंका उठती है। प्रेमचन्द जैसे अमर साहित्यकार की याद में ईंट और पत्थर का समारक एक दम दयनीय जान पड़ता है। एक ओर ऐसे महान् लेखक का स्थाई साहित्य और दूसरी ओर भौतिक स्मारक का अस्थायित्व—इन दोनों में कोई अनुपात दिखाई नहीं देता।

अपने ऐहिक जीवन में उस साहित्यकार की स्थिति कैसी भी रही हो किन्तु जब संसार उसकी कृतियों को परख लेता है। और उन्हें मान्यता देने को बाध्य हो जाता है, तो रचयिता की स्थिति एकदम बदल जाती है। उस समय लेखक के समकालीन धनीमानी और सत्ताधारी पुरुषों की कीर्ति लेखक के यश के सामने गौण ही नहीं अकिञ्चन जान पड़ती है। सृष्टि के आरम्भ से नक्षत्रों को छोड़कर, यदि स्थायित्व किसी को मिला है तो वह विचारकों और लेखकों की कृतियों को ही मिल पाया है। किसी भी देश के प्राचीन इतिहास को लीजिये उसमें स्थायी तत्व और लोकजीवन की मौलिक सिहरन को ढूँढ़ने के लिये वहाँ के साहित्यकारों का परिचय सब से अधिक आवश्यक होगा। गंगा, यमुना, हिमालय आदि को छोड़ कर क्या कोई भी भौतिक चिह्न आज हमें उस काल की याद दिलाता है जब इन नदियों के तट पर और हिमिगिरि की चोटियों पर ऋषि-मुनि सतत चिन्तन किया करते थे और जब उन्होंने उन सूत्रों की रचना की जिन्हें आज भी जीवन का आधारभूत सत्य माना जाता है? उस काल की सबसे बड़ी विरासत हमारे पास वह साहित्य और उसके रचने वालों की स्मृति ही शेष है।

वह प्रागैतिहासिक काल था जिसकी रेखायें अब भूमिल हैं, शायद कुछ अदृष्ट भी हो गई हैं, किन्तु, ऐतिहासिक काल की कसौटी पर कसने से यह तथ्य स्पष्ट ही नहीं निर्विवाद रूप से दिखाई देता है। इतिहास के विद्यार्थी के अतिरिक्त आज कौन उन छत्रपति सम्राटों और योद्धाओं को याद करता है जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना की, जिनके भय से कभी स्वयं पृथ्वी कांप उठती थी और जो अपने जीवन काल में सदा चक्रवर्ती कहलाये ? उनकी जीवन गाथा और उनके कारनामे आज केवल इतिहास के ग्रन्थों तक ही सीमित हैं। दूसरी ओर विचारकों और साहित्यकारों को लीजिये। सम्भव है वे अपने जीवन काल में अनभिज्ञ, अपरिचित और निरीह रहे हों, किन्तु उनकी साहित्यिक रचनाओं ने उन्हें ऐसा अमरत्व प्रदान किया है जो देश और काल की उपेक्षा कर आज भी उनको हमारे समकालीन व्यक्तियों की तरह सामने ला खड़ा करता है। कालिदास ने जिन राजाओं और उनके अलौकिक वैभव का वर्णन किया है, वे स्वयं इतिहास में संशय और विवाद का विषय बन कर रह गये हैं, किन्तु कवि कालिदास के प्रति आज भी साहित्य-प्रेमी उतने ही झुके हैं और उनकी रचनाओं को उसी चाव से पढ़ते हैं जिस चाव से उनके समकालीन उनका आनन्द लेते होंगे।

भारत ही नहीं सभी देशों के साहित्यकार, कलाकर, और विचारक इतिहास में उच्च स्थान के अधिकारी माने जाते हैं। हम में से कितने पढ़े-लिखे लोग ऐसे हैं जो प्राचीन यूनान के चार राजाओं अथवा नगर-गणराज्यों के मुख्याधिपतियों के नाम बता सकें। किन्तु शायद ही किसी देश का कोई शिक्षित व्यक्ति ऐसा होगा जो सुकरात, प्लेटो और अरस्तू के नाम से परिचित न हो। प्राचीन रोम, मिस्र, अरब आदि में इतिहास में भी यदि सब से अधिक ख्याति प्राप्त कोई व्यक्ति हुए हैं और आज भी हैं तो वे वहां के विचारक और साहित्यकार ही हैं।

निश्चय ही इस बात का कोई कारण अवश्य है कि सभी युगों और देशों के साहित्यकारों का इतना मान क्यों किया गया है। मानव जीवन में सब से अधिक सूक्ष्म तत्व मानव की भावनायें होती हैं। इसी के आधार पर मानवीय कल्पना, मानवीय विचारों, आदर्शों और महत्वाकांक्षाओं का निर्माण होता है। इसलिये जो व्यक्ति अपनी रचना द्वारा मानव की भावना को प्रेरित कर जन-साधारण का मार्ग-दर्शन करता है, वह मानव समाज का सब से बड़ा हितकारी है। वह सब से बड़ा कलाकार भी है, क्योंकि वह मानव के भीतरी उद्गारों

को सर्वग्राह्य रूप में सामने लाता है और बाहरी जगत का ऐसा यथार्थ और सोहक चित्र अंकित करता है जिससे पाठक बरबस आकृष्ट ही नहीं होता, प्रभावित हुए बिना भी नहीं रह पाता। यही कारण है कि मानव के विकास में सब से बड़ा योगदान विचारकों और साहित्यकारों का माना गया है।

मुंशी प्रेमचन्द ने हिन्दी साहित्य को एक नई धारा प्रदान की। उन्होंने हिन्दी में ऐसे समय लिखना आरम्भ किया जब भारतीय भाषाओं में हिन्दी अपना स्थान तो बना चुकी थी किन्तु उसकी साहित्यिक उन्नति का मार्ग अभी प्रशस्त नहीं हुआ था। हिन्दी कथा-साहित्य का स्तर यथेष्ट रूप से ऊंचा नहीं था। मुंशी प्रेमचन्द के पूर्ववर्ती साहित्यकारों ने अपनी लगन और अध्यवसाय से हिन्दी के प्रति जनसाधारण की रुचि पैदा कर दी थी और साहित्य की रचना काफी हुई थी, किन्तु जनसाधारण की बोली, हिन्दी, विशेषकर, उसका गद्य-साहित्य अभी इतना आगे नहीं बढ़ा था कि दैनिक जीवन की परिस्थितियों का चित्रण कर सके। मनोरंजन और दिलबहलाव के लिये साहित्य उपलब्ध था, पर उस समय भारत में जो जनजीवन की धारा बह रही थी उससे वह बहुत कुछ अछूता था। वस्तु-जगत से विमुख साहित्य को जनता के दैनिक जीवन के निकट लाने और उसे जनसाधारण की भावनाओं दैनिक जीवन की समस्याओं और महत्वा-कांक्षाओं को चित्रित करने का माध्यम बनाने का श्रेय मुंशी प्रेमचन्द को है। अपनी कहानियों और उपन्यासों में उन्होंने इसी जनसाधारण के जीवन को आधार बनाया और इस कार्य में मुंशी प्रेमचन्द को असाधारण सफलता मिली।

जहां तक मैं जानता हूं हिन्दी को मुंशी प्रेमचन्द की सब से बड़ी देन यह है कि उन्होंने हिन्दी साहित्य को अद्भुत और विशुद्ध कल्पना-जगत की परिधि से निकाल कर यथार्थ मानव जीवन का प्रतिनिधि रूप बनाने की चेष्टा की। उनकी कहानियों और उपन्यासों में पहली बार जनसाधारण का जीवन चित्रित हुआ, भारतीय परिस्थितियों को अभिव्यक्ति मिली और समाज के साधारण से साधारण वर्ग के लोगों की समस्याओं चिन्ताओं तथा आन्तरिक भावनाओं को बाह्य स्तर पर आने का अवसर मिला। ऐसे यथार्थवादी लेखक के लिये यह स्वाभाविक था कि वह शहरी जीवन की चमक-दमक में न फंस कर देहातों में रहने वाली जनता के जीवन को अपनी रचनाओं में अधिक स्थान दे। भारतीय ग्रामों में ही हमें सच्चे भारत के दर्शन होते हैं और उनमें ही 80 प्रतिशत के करीब जनता रहती है। इसलिये यह कहना गलत नहीं होगा कि मुंशी प्रेमचन्द

की रचनाओं में सच्चे भारत की आत्मा के दर्शन होते हैं और उनके यथार्थ चित्रण के कारण साहित्य का स्तर ऊंचा उठा और उसे नया मार्ग मिला ।

केवल यह कहना कि मुंशी प्रेमचन्द यथार्थवादी लेखक थे उनके प्रति अन्याय करना होगा, क्योंकि यथार्थता के साथ-साथ आदर्श का आकर्षण उनके लिये और भी अधिक था । उन्होंने अपने सामने देश की परिस्थितियों के, अनुसार कुछ आदर्श रखे और उनके अनुसार ही साहित्य की साधना की । वास्तव में, उनकी रचनाओं में आदर्श और यथार्थ का ऐसा सुन्दर मिश्रण है कि उसे पूर्ण समन्वय ही कहना उचित होगा । उन्होंने देश और समाज को जैसा देखा उसका वास्तविक चित्रण अवश्य किया परन्तु उसके दोषों पर पूरा प्रकाश डाला और सामाजिक आदर्शों की स्थापना की । लेखक के रूप में तो प्रेमचन्द महान् कलाकार हैं ही, मैं समझता हूँ कि समाज-सुधारक, सच्चे देश-भक्त और निरीह जनता के समर्थक के रूप में भी वे उतने ही महान् हैं ।

सार्वजनिक कार्यकर्ताओं और नेतागण को राष्ट्र-निर्माण के कार्य में जिन परिस्थितियों से बल मिलता है और जिनके कारण वे लोक-आन्दोलन की नींव डालने में समर्थ होते हैं, उन परिस्थितियों की रचना वास्तव में प्रेमचन्द जैसे साहित्यकारों के हाथों होती है । यही कारण है कि सभी उन्नत देशों में साहित्यकारों को राष्ट्र-निर्माता माना जाता है । यूरोप और एशिया के विभिन्न देशों में वहाँ के महान् लेखकों और कलाकारों के सम्मान में बड़े बड़े स्मारक, संग्रहालय पुस्तकालय आदि स्थापित करने की परिपाटी चल पड़ी है । कोई कारण नहीं कि अपने देश में भी हम अपने महान् लेखकों की स्मृति में ऐसे स्मारकों की स्थापना क्यों न करें, जिनसे वर्तमान भारत को और आने वाली पीढ़ियों को सदा प्रेरणा मिलती रहे । इस महत्वपूर्ण कार्य को हाथ में ले और ऐसी लगन के साथ उसे सम्पन्न कर सकने पर मैं काशी नागरी प्रचारिणी सभा को बधाई देता हूँ । मुझे पूर्ण आशा है कि सरकार तथा अन्य साहित्यिक संस्थाएँ इस कार्य में सभा को अपना योगदान देंगी और यथा-शक्ति उसकी सहायता करेंगी ।

मुन्शी ईश्वर शरण आश्रम में भाषण

भाई श्री शंकर शरण जी, बहनों और भाइयों,

मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं फिर एक बार इस आश्रम में, चन्द मिनटों के लिये ही सही, आ सका। इधर बहुत दिनों से मुझे प्रयाग में भी आने का सुअवसर नहीं मिला था और आज का आना भी, जहां तक मैं समझता हूं, नहीं के बराबर था क्योंकि कुल मिलाकर दो, ढाई घंटे से ज्यादा मैं इस शहर में नहीं दे सका। तो भी इस बीच में मुझे दो संस्थाओं को देखने का सुअवसर मिला। और इन दोनों के साथ मेरा पुराना घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। इस बात की मुझे खुशी है कि आपकी इस संस्था को, मैं जब आता हूं तब आगे बढ़ती हुई पाता हूं। पिछली बार जब मैं आया था, जैसा कि आपने बताया अभी-अभी स्कूल बनाने का, कालेज बनाने का इन्तजाम हो रहा था। आज मैं देख रहा हूं, स्कूल का एक अच्छा सुन्दर मकान तैयार हो चुका है। साथ ही गान्धी साहित्य के प्रचार के ख्याल से जिसमें लोगों को उसे पढ़ने का मौका मिले, आपने गान्धी साहित्य भवन यहां स्थापित किया है और उसके जरिये मुझे विश्वास है कि विशेष करके जो लोग यहां रहते हैं और दूसरे लोग गान्धी जी के साहित्य से अधिक परिचय प्राप्त कर सकेंगे।

इस संस्था का आरम्भ एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। महात्मा गान्धी जी ने जब हमारे देश के पिछड़े भाइयों को ऊपर उठाने का बीड़ा उठाया था उन्होंने देश के कोने-कोने में इस तरह के आश्रमों को कायम करने के लिये लोगों को संदेश दिया और उस आदेश के मुताबिक चाहे बहुत जगहों में इस तरह की संस्थाएं बनी हों या न हों मगर श्री ईश्वर शरण जी की लगन और उत्साह से यहां यह संस्था कायम हुई और चल पड़ी। उनके जीवन में भी, मुझे जब-जब यहां आने का मौका मिला, देखा कि वे आश्रम के काम में लगे हुए थे काफी लगन से प्रति दिन रोज यहां आना, घंटों दोपहर तक यहां बिताना उनका दैनिक कार्य था। इसके अलावा जहां जायें, चाहे दिल्ली असेम्बली के काम में जायें, वहां हरिजन आश्रम की बात, हरिजन आश्रम की कथा और उसका जिक्र उनके मुंह से सुनने में मिलता था।

जो काम इतनी लगन से शुरू किया गया और जिसके चलाने में इतना उत्साह दिखलाया गया उनके बाद जब वह यहां से बिदा हो गये तो उनके सुपुत्र श्री शंकर शरण जी ने इस काम को अपने ऊपर ही नहीं लिया अपितु उसे हर तरह से बढ़ाया, किन्तु सदैव उसी ध्येय की तरफ जो इसके पहले उसका था। उसका यह आदर्श

था कि हम अपने देश से अछूतपन दूर कर दें और उसे करने में इस तरह की संस्थाएं बहुत कुछ कर सकती हैं, इसी ख्याल से इस संस्था की स्थापना की गई थी और जहां तक मैं समझता हूं कि इसके द्वारा इस काम में कुछ सफलता भी मिली। जो लोग यहां रहते हैं केवल उनमें अछूतपन दूर करना इतना बड़ा नहीं है वे तो इस स्थान में आते ही, अछूतपन छोड़ दते हैं मगर इसके द्वारा चारों तरफ जो आबहवा पैदा होती है चारों तरफ लोगों में जो प्रचार होता है उसे देखकर, सुनकर प्रभाव पड़ता है वह बहुत बड़ा है। यद्यपि हमारे देश में कानून के जरिये से, हमारे संविधान के जरिये से अछूतपन को हटा दिया गया है मगर दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी बहुत जगहों में अछूतपन जारी है। और बात सही भी है जो चीज न मालूम हजारों बरसों से चल आ रही है वह एकबार भी एकदम दूर नहीं हो जाती और खास करके जब हमारे समाज में इस तरह का कोई काम नहीं हुआ जो खून कान्ड के द्वारा हुआ करता है, सब कुछ लोगों को समझा-बुझाकर उनकी मनोवृत्तिको बदल कर हम करना चाहते हैं उसमें समय लगता है। महात्मा गांधी जी की तपस्या का फल है और उनके पहले स्वामी दयानन्द आदि ने भी कुछ काम किया उसका भी फल है कि आज हम देखते हैं कि बहुत हद तक यह चीज दूर हो गई। जड़ कानून से निकल गई। मगर जो चीज समाज में घेर कर गई है, उसे अब कहीं से पानी सिंचने के लिये नहीं मिले तो वह जरूर उखड़ जायगी, पहले की जड़ के बल पर वह चल रही है मगर वह चीज बहुत दिन तक नहीं चलेगी और वह खड़ी नहीं रह सकेगी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह जरूर जल्दी ही गिर जायगी और हमारा समाज इस पाप से शीघ्र मुक्त हो जायगा। हम तो यही आशा रखते हैं कि आपकी संस्था भी यह काम करें और इसमें आगे बढ़ें और आपको इसमें सफलता प्राप्त हो। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं यहां आ सका और इस संस्था को देखने के अलावा बहुत से मित्रों से बहुत दिनों के बाद मुलाकात भी हो गई, जिनसे मुलाकात अक्सर नहीं हुआ करती है। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं।

प्रयाग हिन्दी विद्यापीठ के समारोह में भाषण

देवियो और सज्जनो,

आज के समारोह में शरीक होने के लिये निमन्त्रण देकर आप ने मुझे आभारी बना दिया है। मेरा सम्बन्ध इस संस्था के साथ प्रायः आरम्भ से ही है और इसके पहले भी मैं यहां आया था और जो सज्जन उन दिनों में यहां रहा करते थे उनका थोड़ा-बहुत सहवास भी मिलता था। मगर, इधर कई दिनों से यहां आने का संयोग नहीं मिला था और मैं इस चिन्ता में था कि कोई न कोई मौका निकाल कर यहां एक बार और आऊँ और देखूँ और जो नये कार्यकर्ता हैं उन सब से परिचय प्राप्त करूँ। इस बीच में राजर्षि पूज्य श्री टंडनजी का आदेश भी मुझे मिला था कि मुझे यहां आना चाहिये और उन्होंने मुझे यह स्मरण दिलाया कि मेरा वायदा पहले का है और उस वादे को पूरा करना चाहिये। विशेष करके, उनकी वृद्धावस्था और उनकी अस्वस्थता के कारण मैंने समझा कि अब इस वादे को ज्यादा देर के लिये बिना पूरा किये नहीं रखना चाहिये। और इसलिये यद्यपि बहुत थोड़ा समय ही मैं निकाल सका, मैंने सोचा थोड़ा बहुत ही सही, नहीं से तो बेहतर है, मैं यहां आज आया हूँ। इस संस्था का जो थोड़ा सा इतिहास आप ने बताया है उसका थोड़ा-बहुत ज्ञान मुझे पहले से भी है। मैं यह मानता हूँ कि आज की हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है जिसमें आमूल परिवर्तन की जरूरत है और इसलिये इस तरह की जितनी संस्थाएँ हैं, जहां नये प्रयोग किये जा रहे हैं, जहां शिक्षा के सम्बन्ध में कई नई तरीके काम में लाकर शिक्षा के प्रचार और साथ-साथ शिक्षा के प्रकार में भी अंतर लाने का प्रयत्न किया जा रहा है वैसी ही संस्थाओं की आवश्यकता है और मैं यह मानता हूँ कि उनके प्रयोगों का जो फल होगा वह देश के लिये हितकर होगा। विशेष करके जैसा कि आपने स्वयं कहा है कि भारत वर्ष आर्मों का देश है और यहां आज भी 100 में 80 गांव में रहते हैं और यद्यपि आज की नई धारा ऐसी है कि गांवों से लोग शहर की तरफ ज्यादा मुड़ रहे हैं और जो बड़े बड़े कारखाने जहां जहां खुल रहे हैं वे बहुत लोगों को आकर्षित करते हैं और उन जगहों में नये शहर आज खड़े होते जा रहे हैं तो भी यह कहना कुछ अनुचित न होगा कि वावजूद इस तरह के मोड़ के, अभी भी भारतवर्ष गांवों में बसता है और चाहे हम जितने लोगों को शहरों में खींच कर ले या वे वहां की परिस्थिति के कारण खिंच कर जायें मगर तो भी जो अनुपात आज गांवों में बसने वालों का है, सारे भारतवर्ष की जनता में वह अनुपात शायद ही कम हो सके क्योंकि जहां एक ओर लोग शहरों में जा रहे हैं

वहां दूसरी ओर जनसंख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है और इस जनसंख्या को अभी भी सारे शहर नहीं समेट सकते और अपने में उनको नहीं मिला सकते, इसलिये, जो कोई भी संस्था का रूप हो, जो कोई भी शिक्षा का स्वरूप हो उसमें इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि गांवों का स्तर, शिक्षा का स्तर हम किस तरह से ऊंचा करें और जब तक इस ओर ध्यान देते रहेंगे और इसको ध्यान में रखकर अपनी शिक्षा की प्रणाली में हेर-फेर करें, यदि मैं कहूँ कि हमारे देश के शासन का जो तोर-तरीका है उसमें भी हेर-फेर करने की जरूरत पड़े तो वह भी हम को करना होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है। इसलिये आपने इस विद्यापीठ को शहर से दूर और तो भी शहर के नजदीक रखा है, उसके लिये यह एक शुभ लक्षण है क्योंकि उसके जरिये से आपको शहर की जो कुछ अच्छी सुविधाओं का जो कुछ लाभ उठा सकते हैं वह लाभ आपको मिलता रहता ही है और साथ ही साथ आप देहात के वातावरण में भी रहकर देहात में काम कर रहे हैं।

अभी आपने जिक्र किया कि आप ग्रामोद्योग के लिये ग्रामोद्योग प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं। यह विद्यापीठ तो इसके लिये पहले से है। वह उसकी शाखा मात्र होगी जो अब आप नये सिरे से इधर शुरू करना चाहते हैं। मैं मानता हूँ कि चाहे हमारे देश में कितने ही और कारखाने हो जायें मगर बेकारी का मसला अगर कभी भी हल हो सकेगा तो वह ग्रामोद्योगों के द्वारा ही हल हो सकेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे-जैसे लोग बड़े-बड़े कारखाने लगते जा रहे हैं तो भी जितने लोग हमारे आज नये पैदा होते जा रहे हैं उनको खपाना बड़े-बड़े कारखानों में असम्भव नहीं तो बहुत ही मुश्किल अवश्य है। मेरा यह भी खयाल है कि केवल इस तरह से हम अपने देश की चीजों में सुधार भी नहीं कर सकते। यह जरूर है कि कारखानों में कुछ मजदूरी अधिक मिलती है। लोगों को पैसे के बल पर कुछ अधिक अच्छा रहने का शायद ज्यादा मौका मिल सकता है। मगर तो भी जो ग्रामों का जीवन है वह अधिक स्वस्थ और अधिक सुखकर और अगर आदमी ठीक तरह से समझे तो वह हर तरह से जरूरी है। जो सुविधायें आज हमको शहरों में मिलती हैं, उन सभी सुविधाओं को, उनमें से बहुतेरे ऐसी हैं जो गांवों में पहुंचाई जा सकती हैं और उन्हें पहुंचाना जरूरी भी है मगर बहुत सी सुविधाएं ऐसी हैं। जिनका वहां पहुंचाना जरूरी ही नहीं बल्कि हो सकता है कि हानिकर है। इसलिये ऐसी सुविधाओं को गांवों में ले जाना अनावश्यक है। मैं आप से कहूँ कि हमारे देश में आज तक गांवों में जो लोग रहते थे बहुत हद तक स्वावलम्बी हुआ करते थे। आज से 25, 50 साल पहले जिस वक्त मैं खुद नवजवान था या उससे पहले बच्चा था मैं अपने गांव के दृश्य को अपनी आंखों

के सामने लाता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि उस वक्त लोग आज के मुकाबले में बहुत अधिक स्वावलम्बी थे । किसी को आटा या चावल के लिये शहर का मुंह नहीं देखना पड़ता था । किसी को अपने घर में रसोई बनाने के लिये अन्य चीजें मसाला चाहिये, तेल चाहिये, घी चाहिये, दूध चाहिये उन सब चीजों के लिये कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी । घर में या अपने गांव में सब चीजें मुहैया होती थीं और चूक गांव में मिलती थीं इसलिये शुद्ध भी हुआ करती थीं । आजकल शहरों की बात छोड़ दीजिये, अब तो गांवों में शुद्ध वस्तु का मिलना कठिन हो रहा है । और इस वजह से अगर हमारा स्वास्थ्य किसी समय बिगड़ जायें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी । हम गांवों में देखते थे, जो लोग बसते हैं उनका आपस का एक-दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार था जो आज हम को आपरेटिव सोसाइटी के नाम से कहते हैं । उस जमाने की जो समाज की रचना थी उसमें कायदे-कानून बनाने के लिये कोई स्थान नहीं था । मगर लोगों के अपने जीवन में इस तरह के कायदे-कानून, जिनके मार्फत वह अपने गांव में पूरी तरह से सहयोग का काम करते थे । मैं जानता हूँ कि एक गांव में बहुत लोग रहते थे जिनमें कुछ लोग मजदूरी का काम करते थे कुछ लोग किसी न किसी प्रकार से जो गांव की जरूरतें हैं, उन चीजों को पैदा करते थे ।

गांवों में ही जो जुता बनानेवाला है वह जुता बनाता था, कपड़ा बुननेवाला कपड़ा बुनता था, घरों में चरखे चलते थे, घर में जितनी चीजों की जरूरत होती है वह सब मिलती थीं । मगर आज ये सब चीजें मुश्किल होती जा रही हैं, मालूम नहीं कि हम किस हद तक हम पहुंचेंगे । घरों में चल्हा जलना भी बन्द होगा । आटा पीसना तो बन्द हो ही चुका है, चावल का कुटा जाना बन्द हो ही चुका है, अब चन्द दिनों में घरों में चूल्हा जलना भी बन्द होगा । यह कोई बहुत दूर की बात नहीं है । घरों में घी और दूध जो मिलता था वह भी बन्द हो चुका है । उसके बदले में अब हम लोग समझते हैं कि आज हमारी बहुत प्रगति हुई है और इस बात का तकाजा रखते हैं कि हम घी के बदले में तेल ही खायें मगर हम उसको घी की शकल देकर और उसका दुगुना दाम देकर भी चंकि उसका रंग बदल गया है ।

तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि आज की आवहवा में बढ़ती जा रही हैं तो इसका एक ही उपाय है कि हम ग्राम जीवन को फिर से पुनर्जीवित करें, फिर से जागृत करें उसमें वह भावना पैदा करें जिसमें लोग समझें कि अपने हाथ से काम कर लेना, अपने घर में किसी काम को कर लेना इसमें हमारी इज्जत ही नहीं है बल्कि अपने अभिमान का कारण होना चाहिये और जब हम वह कर सकते हैं तो देश को

आगे बढ़ा सकते हैं। हम यह भी देखते हैं कि आजकल जो शिक्षित लोग हैं, उन लोगों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। स्कूल और कालेजों की संख्या 50 वर्षों के अन्दर 100 गुना तो हो ही चुकी है जहां एक स्कूल था वहां आज कम से कम 200, 300 स्कूल तो हो ही गये हैं। जहां कालेज किसी दो, चार जिलों के बीच में एक हुआ करता था और सूबे के अन्दर दो, चार कालेज हुआ करते थे अब सब जगह कालेज हो गये हैं। यूनिवर्सिटीस की संख्या इस तरह से बढ़ती जा रही है और उसके साथ-साथ जो विद्यार्थी वहां जाते हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। मगर वहां से पढ़कर जो लोग निकलते हैं, शिक्षित होकर जो लोग निकलते हैं फिर उनके लिये उनके योग्य धन्धा नहीं है, या यों कहा जाय कि वह किसी धन्धे के योग्य नहीं है। ऐसी हालत इस वक्त है। हमारे देश में शिक्षा का प्रचार हो रहा है बहुत जोरों से मगर साथ-साथ वह शिक्षा की पद्धति ऐसी है जिससे लोग ऐसे नहीं बनते जो काम कर सकें, ऐसे बनते हैं जो किसी काम के लायक नहीं रहते। उनके लायक काम नहीं मिलता, जो काम मौजूद हैं उस काम के योग्य वह नहीं हैं, ऐसा समझना चाहिये। एक बेमेल अवस्था कायम होती जा रही है जिससे देश का भविष्य बहुत ही बुरा मालूम होता है। हम तो यही आशा करते हैं कि हम इसमें कोई ऐसा परिवर्तन ला सकेंगे जिसमें यह बेमेल खतम हो और हमारी शिक्षा ऐसी हो कि शिक्षित के जिम्मे चाहे जो काम लगा दिया जाय उस काम को वह अशिक्षित से बेहतर कर सकें—कहीं अच्छी कर सकें। किसान बनने में लज्जा न हो। बढई, चमार बनने में लज्जा न हो। शिक्षित के जिम्मे जो भी काम दिया जाय ईमानदारी से करने में सब से अच्छा फल समझें, सब से अच्छा ईमान समझें, इस तरह की शिक्षा अब हमारे देश में नहीं दे रहे हैं। महात्मा गान्धी जी ने जब बुनियादी तालीम की बात कही थी तो उनके दिमाग में यही बात थी। यह देश अभी गरीब है। इस देश में कभी हम उस तरह की शिक्षा का प्रचार करेंगे तो हमारे सामने कई दिक्कतें आयेंगी। एक दिक्कत पैसे की आयेगी। अभी स्वतंत्र हुए 10, 15 वर्ष हुए हैं।

अभी तक प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं कर दी गई है। सब लोगों को प्राथमिक शिक्षा हम नहीं दे सके। इसके लिये हमारे पास साधन अभी तक नहीं है, पांच-सात वर्षों के अन्दर शायद हम पूरा कर सकें। यदि पूरा कर सकेंगे तो ठीक ही महात्मा गान्धी का तरीका यह था कि पढ़ते जाओ और पढ़ाने का खर्च निकालते जाओ। सीखते-सीखते कुछ चीजें पैदा भी करते जाओ जिससे सीखने का भार अपने ऊपर खद लें दूसरों पर न डालें। लेकिन आजकल

सीखने का सारा भार समाज पर पड़ता है। हमारा ख्याल है कि सीख कर समाज का बोझ बढ़ाते हैं। शिक्षित हो जाने के कारण हमारा रहन-सहन अच्छा होना चाहिये, खर्चीला हो जाता है। दिमाग तो इतना उत्साहवर्धक नहीं हो, जो हमारा उत्साह बढ़ाये, जीवन स्तर को ऊंचा करे तब तक उसमें पूरी सफलता नहीं मिल सकती। इसलिये इस विद्यापीठ का आरम्भ हो इस ध्येय से किया गया था। उस ध्येय की पूर्ति के लिये हमें समय के अनुसार जो परिवर्तन करने पड़ते हैं वह हम करें किन्तु हमेशा हम ध्येय की पूर्ति की तरफ आगे बढ़ते जायें। इस रास्ते से नहीं तो दूसरे रास्ते से चलें। मैं आशा करता हूँ कि आप ध्येय को नहीं छोड़ सक कर आगे बढ़ते जायेंगे, सुदृढ़ रहेंगे तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि आप अवश्य ध्येय की पूर्ति में सफल होंगे। मुझे इस बात का दुख है कि मुझे राजर्षि टंडन जी के दर्शन नहीं मिले। मगर अभी आशा करता हूँ कि अभी जाकर उनके दर्शन करूंगा और उनसे मिल लूंगा। इस वक्त उनसे न मिलने की निराशा जरूर हुई। आशा करता हूँ कि आप अपने काम में सफल होंगे।

आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का उद्घाटन

मुझे बहुत खुशी है कि इस वर्ष फिर आकाशवाणी संगीत सम्मेलन समारोह में मैं शामिल हो सका हूँ। गत पांच या छह वर्षों से सूचना और प्रसार मन्त्रालय के सौजन्य से इस समारोह के साथ मेरा बराबर सम्बन्ध रहा है। आपके निमन्त्रण की मैं दिल से कद्र करता हूँ और इस सम्मेलन में भाग लेना गौरव का विषय मानता हूँ। इसका कारण शायद यह भी हो कि संस्कृति में और संस्कृति के मूल तत्वों में मेरी रुचि और दृढ़ आस्था है और उन मूल तत्वों में से कला एक है। यदि मैं यह कहूँ कि कला में भी संगीत का विशेष स्थान है, तो यह असंगत नहीं होगा।

कभी-कभी मुझे ऐसा आभास होता है कि संगीत भौतिक और आध्यात्मिक जगत को जोड़ने वाली एक लड़ी है। संगीत के भौतिक पक्ष से तो प्रायः सभी परिचित हैं, किन्तु उच्च कलाकारों और कलाप्रेमियों को इसके आध्यात्मिक पक्ष की भी ज्ञांकी मिलती है। विशेष कर हमारे देश में तो आदिकाल से भक्तों, साधु-सन्तों, वैरागियों आदि के लिये संगीत अध्यात्म का अस्त्र रहा है। और फिर ऐसा भी नहीं कि संगीत एकदम आकाशकुसुम के समान हो और भौतिक जीवन का सुख लेने वाले गृहस्थियों के लिये उसका कोई लाभ न हो। उनके लिये भी संगीत मनोरंजन और शिक्षा का कम महत्वपूर्ण साधन नहीं।

जीवन में अधिकांश चीजें ऐसी हैं जिनका अच्छा या बुरा होना स्वयं मानव पर निर्भर करता है। अपने आप में सभी चीजें अच्छी ही समझनी चाहियें। हम उनका उपयोग किस प्रकार करते हैं और उनसे कहां तक लाभ उठा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम स्वयं अपने आप को किस हद तक उन वस्तुओं के योग्य बनाते हैं। संगीत इस नियम का अपवाद नहीं हो सकता। इस विद्या में जो गुण हैं, मानवीय प्रवृत्तियों के अनुशासन और नियमन की जो क्षमता है और मानव के उन्नयन की जो शक्ति है, इन सब गुणों से विधिवत प्रयास द्वारा कोई भी लाभ उठा सकता है; इसलिये मैं समझता हूँ किसी भी राष्ट्र का संगीत उसकी संस्कृति का द्योतक है और वहां के लोगों की बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का सूचक है।

संगीत में एक और गुण ऐसा है जो आधुनिक युग में विशेष रूप से उपयोगी है। संगीत व्यक्ति के लिये उतना ही लाभदायक है जितना समष्टि के लिये।

आकाशवाणी संगीत सम्मेलन में उद्घाटन भाषण; 24 अक्टूबर, 1959

आज का युग समष्टि अथवा समाज का युग है। सभी दिशाओं में सामूहिक प्रयास और सामाजिक उन्नति राष्ट्र का ध्येय माना जाता है। संगीत इन सामूहिक प्रवृत्तियों को बल देने का उत्तम साधन है। जिस प्रकार लोकगीत देहातों में रहने वाली सरल जनता के जीवन को एक सूत्र में बांध देते हैं, उसी प्रकार वृन्दगान अथवा सामूहिक गायन समाज के अन्य वर्गों को एक-दूसरे के निकट लाने में सहायक होता है। इसलिये मैं समझता हूँ वृन्दगान पर जोर देकर और इस वर्ष उसे प्रतियोगिता में स्थान देकर आकाशवाणी ने उचित ही किया है। आकाशवाणी के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ।

स्वाधीनता के बाद विभिन्न दिशाओं में हमारे देश में जो नवजागरण की लहर दिखाई दे रही है ललित कलायें, विशेषकर संगीत, उससे अछूता नहीं रहा है। इस दिशा में अनेक कठिनाइयों और कुछ समय तक विरोधों के बावजूद आकाशवाणी ने संगीत प्रेमियों और संगीतज्ञों का जो पथ-प्रदर्शन किया है वह सराहनीय है। इसमें संदेह नहीं कि संगीत नदी के स्वाभाविक प्रवाह के समान है जो अड़चनों और प्रतिबन्धों का भार नहीं सह सकता, किन्तु फिर भी जल के प्रवाह के समान उसके अपने नियम हैं, जिनका पालन संगीत शास्त्र के लिए स्वाभाविक ही नहीं अनिवार्य भी है। स्वच्छन्दता और नियमन के बीच में समन्वय स्थापित करना, जिससे कि संगीत अपनी स्वाभाविक गुस्ता को छोड़कर हल्का भी न होने पावे और शास्त्रीय होने के कारण कर्कश अथवा बोझिल भी न बन जाय, और मनोरंजक होने के साथ-साथ नैतिकता के ऊंचे स्तर से न गिरने पावे, यह बहुत ही आवश्यक कार्य था और इसे आकाशवाणी ने अपने हाथ में लिया। मुझे खुशी है कि उन्हें इस प्रयास में काफी सफलता मिली पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। आकाशवाणी के इस प्रयास से कलाकारों ने ही नहीं श्रोताओं ने भी बहुत कुछ सीखा है। शास्त्रीय संगीत के सम्बन्ध में जनसाधारण की जानकारी में वृद्धि हुई है और उसी सीमा तक उस और उनकी रुचि भी बढ़ी है। उधर सार्वजनिक मनोरंजन अथवा दिलबहलाव के साधन के रूप में भी संगीत अधिकाधिक लोकप्रिय होता जा रहा है।

मुझे बहुत खुशी है कि आकाशवाणी संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष लोकप्रिय होता जा रहा है और इसके द्वारा अनुभवी संगीतज्ञों तथा उदीयमान कलाकारों को काफी प्रोत्साहन मिला है। इन प्रतियोगिताओं के कारण भारतीय संगीत की कर्नाटक और हिन्दुस्तानी शैलियाँ एक-दूसरे के निकट आ सकी हैं और दोनों पद्धतियों को समझने वालों तथा उनके श्रोताओं की संख्या में भी बराबर वृद्धि हो

रही है। चेतना का यह लक्षण शुभ है और इससे यह आशा होती है कि हमारा संगीत जो किन्हीं कारणों से कई सदियों तक उपेक्षा तथा अवहेलना का शिकार रहा, अब भारतीय समाज में शीघ्र ही अपना यथोचित स्थान प्राप्त कर सकेगा।

आकाशवाणी के केंद्रों का जाल देशभर में बिछा है। मैं समझता हूँ कि देश में रेडियो-सेट रखने वालों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। जैसा आप जानते हैं हमारे देश में अभी भी शिक्षित लोगों का प्रतिशत बहुत कम है। इस लिए लिखित या मुद्रित शब्द की अपेक्षा भाषित अथवा प्रसारित शब्द का महत्त्व कहीं अधिक है। बोले हुए शब्दों की समझने वालों की संख्या अधिक होने के कारण आकाशवाणी कादायित्व और भी बढ़ जाता है। यह बात सभी प्रसारित कार्यक्रमों पर लागू होती है। जब हम यह देखते हैं कि लोगों की रुचि में विभिन्नता है, जो बात एक व्यक्ति को अच्छी लगती है, वही दूसरे को बुरी लग सकती है, तो कार्यक्रम को निर्धारित करने की कठिनाई का कुछ अनुमान लगा सकते हैं। सभी को खुश करना शायद कभी सम्भव न हो, किन्तु जनसाधारण की अभिरुचि और राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं का अध्ययन कर उनमें सामंजस्य स्थापित करने का कार्य गम्भीर और जिम्मेदार हाथों में ही सौंपा जा सकता है। यह कठिन कार्य आकाशवाणी के अधिकारी-गण परिश्रमपूर्वक सम्पन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इसमें उन्हें बहुत कुछ सफलता भी मिली है। इस कार्य में मेरी शुभ कामनायें उनके साथ हैं।

संगीत प्रतियोगिताओं में इस वर्ष जिन कलाकारों को पुरस्कार मिले हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूँ।

इन शब्दों के साथ मैं संगीत का सम्मेलन का उदघाटन करता हूँ।



सरदार वल्लभ भाई पटेल जयन्ती समारोह

श्री भाई पटेल, देवियों और सज्जनो, बच्चे और बच्चियों,

मैं आप सब का आभार मानता हूँ कि आपने मुझे इस समारोह में भाग लेकर स्वर्गीय सरदार पटेल के प्रति श्रद्धांजलि देने का यह सुअवसर आज दिया है।

जब मैं श्री पटेल का भाषण सुन रहा था और जब मैंने यह सुना कि चूँकि मेरा ऐसा सौभाग्य रहा है कि बहुत दिनों तक मेरा सरदार के साथ सम्पर्क रहा और इसलिये वह यह आशा रखते हैं और मुझे इस योग्य मानते हैं कि मैं उनके सम्बन्ध में बहुत कुछ कह सकता हूँ तभी से मेरे दिल में तरह-तरह के ख्याल उठ रहे हैं, उमंगें आ रही हैं, कितनी ही बातें आ रही हैं कि मैं नहीं समझता कि मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, कहां से शुरू करूँ और कहां अन्त करूँ किसको छोड़ूँ और किसको जोड़ूँ। इसलिये यदि मैं कुछ इस तरीके से बोल दूँ जिसमें कुछ बातें असंगत मालूम हों और सब बातों का एक-दूसरे के साथ संदर्भ नहीं जुटता हो तो आप क्षमा करेंगे।

मेरा सरदार के साथ परिचय महात्मा गांधी के साथ परिचय होने के थोड़े ही दिनों के बाद हुआ और जैसा अभी कहा गया, खेडा सत्याग्रह के सम्बन्ध में जब मुझे भी सुअवसर मिला था कि मैं गांधी जी के साथ खेडा के गांवों में घुमूँ, उसी समय सरदार के साथ मेरा परिचय हुआ और यह मेरा सौभाग्य रहा कि उस दिन से उस दिन तक जब वह दिल्ली छोड़कर बम्बई के लिये अपनी अन्तिम यात्रा में रवाना हुए उनका प्रेम मेरे प्रति रहा और मैं यह भी मानता हूँ कि शायद उनका विश्वास भी मुझ में रहा और इसलिए मेरे जैसे आदमी के लिये यह बहुत कठिन हो जाता है कि ऐसे एक महान पुरुष के सम्बन्ध में कुछ कहें। मैं केवल एक-दो बातों की ओर ध्यान दिलाऊंगा।

महात्मा गांधी ने जब अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन इस देश में आरम्भ किया और उसका कार्यक्रम बताया तो पहले बहुतेरों के दिलों में यह संदेह उठने लगा कि क्या यह बातें हो सकती हैं, क्या यह सम्भव है कि इस तरह से हमारे देश के लोग उठ खड़े हो सकेंगे, इस तरह से महात्मा गांधी के बताये रास्ते पर अहिंसात्मक रहकर गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी ज्यादाती हो, जो कुछ भी मुसीबत

लोदी एस्टेट, नई दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल विद्यालय के प्रांगण में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयन्ती के अवसर पर भाषण; 31 अक्टूबर, 1959

पहुँचायी जाय सब को हंसते-हंसत खुशी से बर्दाश्त करेंगे ? क्या यह हो सकता है कि इस प्रकार के हम निहत्थे लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो सुसज्जित सेना है उसके साथ मुकाबला करना तो क्या उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते ऐसी ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या हम किसी तरह से दबा सकेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कभी इसको मानेगी ?

उस तरह का संदेश और शंकाएं सब के दिलों में उठती थी और यह मानना सही होगा कि उन शंकाओं को दूर करने का और लोगों के हृदयों में विश्वास पैदा करने का बहुत बड़ा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को है। महात्मा गांधी की प्रेरणा तो थी ही और जो कुछ होता था उनकी तपस्या और प्रेरणा के कारण हुआ करता था मगर लोगों को संगठित करके किसी कार्यक्रम को इस तरह से चलाना कि जिसमें वह सफलतापूर्वक समाप्ति तक पहुंच सके इसका नमूना अगर किसी ने पेश किया तो शुरू से सरदार पटेल ने देश के सामने रखा।

खेडा का पहला सत्याग्रह था और अभी तक देश के सामने इस तरह का सत्याग्रह नहीं आया था। चम्पारण में महात्मा गांधी जी ने अपना काम शुरू किया था मगर चम्पारण के सत्याग्रह के भाग लेने का मौका स्वयं गांधी जी को ही मिला था। दूसरे उनके साथी बनने के लिये तैयार थे भी मगर और किसी को सत्याग्रह करने का सौभाग्य वहां नहीं मिला। मगर खेडा में एक-दो नहीं, हजारों-हजार गांव के किसानों को सत्याग्रह में भाग लेने का मौका मिला और उसमें उनका नेतृत्व सरदार ने किया। उसके बाद बोडसर का सत्याग्रह हुआ जिसके साथ गांव के किसानों का उताना सम्बन्ध नहीं था जितना उस छोटे कसबे का सम्बन्ध था और उस छोटे शहर के लोगों के बहुत बहादुरी दिखलायी जिस तरह से खेडा के गांवों के लोगों ने दिखलायी थी और वहां का सत्याग्रह भी सफल हुआ। ये दोनों सत्याग्रह आरम्भ के थे। पर खेडा का सत्याग्रह 1918 में हुआ और बोडसर का शायद 1923, 24 में हुआ होगा, मैं कह नहीं सकता, मुझे ख्याल इस समय नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ा जो काम हुआ वह बारडोली में हुआ। बारडोली में जो सत्याग्रह हुआ उसके साथ कोई चन्द लोगों का ताल्लुक नहीं था बल्कि सारे का सारा ताल्लुक उस सत्याग्रह में आया और उसमें सारे ताल्लुक के लोगों की जांच भी हुई क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से काफी सक्ती की गयी और सक्ती ऐसी की गई जिसका असर लोगों पर पड़ना चाहिये था मगर उस सक्ती का असर नहीं पड़ा। हम लोगों ने अपने लम्बे आन्दोलन में यह देखा कि अगर कहीं इसकी ज़रूरत पड़ती थी कि बहुतेरे लोग जेल में जायें तो बहुतेरे हम में से तैयार हो जाते थे और खुशी से

जात थे, हंसते-हंसते जाते थे। ऐसा भी समय आया जब जानेवाले दरवाजा खट खटाते थे पर जेल ले जानेवाले या तो उनके लिये जगह नहीं पाते थे या उनको ले जाना पसन्द नहीं करते थे। उससे गवर्नमेंट का काम नहीं चला। तो दूसरा मौका आया जब दूसरे प्रकार की चोट लोगों पर लगनी शुरू हुई। वह चोट शरीर पर नहीं सम्पत्ति पर थी। बड़ी-बड़ी रकमें जुर्माने के रूप में वसूल होने लगी, लोगों के धन, सम्पत्ति, जायदाद सब जब्त होने लगे तो हम ने देखा कि हम में से बहुत सहम गये। जहां तक जेल जाने का सवाल था लोग नहीं डरते थे, गोलियों से भी नहीं डरते थे। पर जब सम्पत्ति छोड़ने की बात आयी तो लोग खुशी से नहीं छोड़ना चाहते थे। पर बारडोली में जो सत्याग्रह हुआ और गवर्नमेंट ने जो चोट लगायी वह सम्पत्ति पर चोट थी और वह सम्पत्ति ऐसी थी जो उनके लिये उनकी जिन्दगी से ज्यादा कीमती थी क्योंकि उस सम्पत्ति पर ही अपनी जीविका के लिये वे भरोसा करते थे। जो उनके मवेशी थे, उनके जो दोर थे, बैल और गाय जिनसे वे खेती करते थे और जिनके जरिये से वे सब कुछ पैदा करते थे उनको गवर्नमेंट ने जब्त करना शुरू किया। गांव-गांव में लोगों के मवेशी जब्त किये गये मगर लोगों ने इस मार को बर्दाश्त कर लिया और सरकार को दब जाना पड़ा। यह वह संगठन था जिसका श्रेय बिल्कुल सरदार को था।

उस समय देश भर के लोगों ने सरदार से पूछा कि अगर जरूरत हो तो हम आकर मदद करने के लिये तैयार हैं। सरदार ने सब को लिखा कि जब तक मैं जीवित हूं किसी के आने की जरूरत नहीं, जब मैं नहीं रहूंगा तो आप आकर काम सम्भालना। इस तरह का आत्मविश्वास और दृढ़ता कम देखने में आती है। क्योंकि मुझे भी इस प्रकार का काम थोड़ा-बहुत करने का मौका मिला। मुझे जब जरूरत होती थी मैं सरदार के पास जाया करता था, महात्मा गांधी के पास जाया करता था, जवाहरलाल जी के पास जाया करता था। मुझ में उतना आत्म-विश्वास नहीं होता था कि अगर कोई मदद के लिये आना चाहे तो मना करूं। उलटे में लोगों को बुलाता था जिसमें सब की सहायता से काम करूं। मगर इसके विपरीत सरदार सब को मना करते थे कि अभी आपकी मदद की जरूरत नहीं है और जरूरत पड़ेगी तो मैं मदद लूंगा। इसी से आप समझ सकते हैं कि उनमें कितनी दृढ़ता थी।

जब अन्त में मजबूर होकर हमको देश का बंटवारा मंजूर करना पड़ा और बंटवारा हो रहा था या हो गया था उस समय हमारे देश के सामने बड़े-बड़े जटिल प्रश्न थे। हम लोगों के दिलों में शंका थी कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद

क्या होगा, हम देश को कैसे चलायेंगे, किस प्रकार का प्रबन्ध कर सकेंगे। बहुतेरों के दिलों में तो इस प्रकार का शक ही नहीं बल्कि जो हमारे दुश्मन थे उनको आशा भी थी कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद इस देश का टुकड़ा-टुकड़ा हो जायेगा। मुमकिन है कि यहां से चले जाने के बाद कुछ अंग्रेजों के दिलों में भी यह दुर्भावना रही हो कि देखें ये क्या करते हैं। इसका डर नहीं था कि शासन के काम में दिक्कत होगी। हमको विश्वास था कि शासन का काम हम चला लेंगे मगर डर इस बात का था कि यह जो 600 से अधिक छोटी-बड़ी रियासतें थीं उनका क्या होगा। अंग्रेजों ने यहां से चलने के वक्त इन रियासतों को इस बात की छूट दे दी थी कि वे चाहें तो भारतवर्ष के साथ रहें, चाहें तो पाकिस्तान के साथ रहें चाहे स्वतन्त्र होकर रहें और जो प्रबन्ध ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ उनका था सब को उन्होंने एकबारगी तोड़ दिया और उस समय कुछ इस तरह की हवा भी चली थी और कहीं-कहीं कुछ रियासतों के राजा, महाराजा या नवाब इस प्रयत्न में भी थे कि वे अपने को स्वतन्त्र बनावें, अगर स्वतन्त्र नहीं तो कम-से-कम अपने हाथ में इतना अधिकार रखें जिसमें वे सारे भारतवर्ष पर पूरादावा नहीं तो उसके शासन में अपना पूरा हाथ रख सकें। इस तरह की चीज चल रही थी और इसमें शक नहीं कि उस समय यदि सरदार मौके पर नहीं होते और शुरु से इस काम को नहीं सम्भाले होते तो आज कहना कठिन होता कि देश की क्या हाल होती। स्वराज्य मिलने के पहले एक विभाग सरकार का था जिसके जिम्मे रियासतों के साथ क्या ताल्लुक होना चाहिये इस विषय का अधिकार था वह अधिकार सरदार के हाथ में मिला और पहला काम उनका यही हुआ कि उन्होंने 15 अगस्त 1947 के पहले ही एक-दो को छोड़कर सभी रियासतों का भारतवर्ष के साथ जोड़ मिलवा लिया। हालांकि हर्ष के साथ उनका यह मिलना हुआ था और भारत सरकार का अधिकार उन पर पूरी तरह से था ही, चन्द विषयों में ही वे स्वतन्त्र थे। यह सब 15 अगस्त 1947 के पहले ही हो चुका था। पर जो एक-दो बाहर रह गये थे जिनको भारत-वर्ष के साथ मिलना था। जिनको पाकिस्तान के साथ जाना था वे उधर गये। मगर बाकी सब आकर भारत में मिल गये और आज हम कह सकते हैं कि यद्यपि भारतवर्ष के दो पंख कट गये और पश्चिम और पूर्व दोनों ओर दो शाखाएं भारत से हटकर पाकिस्तान में चली गयी मगर तो भी जो बचा हुआ भारत है वह इतना बड़ा भारत है जितना बड़ा भारत आज तक एक शासन, एक झंडे, एक सूत्र और एक नियन्त्रण के अन्दर कभी नहीं आया था। आज हम यह कह सकते हैं कि हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब समुद्र तक जितना भारत है वह एक सूत्र में बंधा हुआ है, एक संविधान

के अन्दर काम कर रहा है और एक भारत सरकार का हुक्म नामा आज सारे भारतवर्ष में चल रहा है, जिसमें एक संसद है, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक चुनाव आयोग है और ये सब चीजें मिलकर भारतवर्ष को बांध रही है। यह बांधना कैसे मुमकिन हुआ? यह इसलिये हुआ कि सरदार ने अपनी बुद्धिमत्ता से और बुद्धिमत्ता से नहीं बल्कि हम यह कहें कि अपनी सहानुभूति से और लोगों का प्रेम, जैसा आपने बताया, लोगों का विश्वास अर्जन करके सारे देश को एक कर लिया।

महात्मा गान्धी जब चम्पारण में गये थे तो वहां जो झगड़ा था उसमें एक तरफ नीलवर अंग्रेज थे और दूसरी तरफ वहां की रैयत। किसानों से वे जबरदस्ती लेते थे और वही उनका मुनाफा था। गान्धी जी उस मुनाफे को तोड़ना चाहते थे और किसानों को कुछ उस भार से बचाना चाहते थे और साथ ही कहते थे कि हम नीलवरों का नुकसान नहीं चाहते और किसी का बुरा नहीं चाहते। बहुत दिनों तक लोगों की समझ में यह बात नहीं आती थी। यह कैसे हो सकता है कि नीलवरों का नुकसान नहीं हो और रैयतों को इस भार से बचाया जा सके। यही बात वह भारतवर्ष के बारे में भी कहते थे! उनका कहना था कि अंग्रेज चले जायेंगे वे और भारत दोनों खुश हो जायेंगे। यह कैसे हो सकता है। छोटे पैमाने पर वही बात हमारी देशी रियासतों के बारे में हुयी। लोगों की समझ में बात नहीं आती थी कि राज्य से जो कुछ उनकी आमदनी होती थी उसका बड़ा अंश किस तरह से वे छोड़ देंगे और भारतवर्ष के साथ उनका सम्बन्ध पूरी तरह से जमा रहेगा। मगर हम ने यह चमत्कार देखा कि चम्पारण से नीलवर हट गये, वहां के सभी किसान खुश हो गये और हरेक नीलवर भी खुश हो गया क्योंकि जो कुछ उसके पास था जैसे मकान, जमीन, घोड़े, दूसरे सामान आदि सब कुछ बेचकर वे चले गये और उनको पैसे मिल गये और किसान खुश हो गये कि जो कुछ उन पर जुर्म होता था वह हट गया। उसी तरह से जब अंग्रेज हिन्दुस्तान छोड़कर गये तो जो सम्बन्ध आज हिन्दुस्तान के साथ उनका है वैसा न तो अंग्रेज सोचते थे और कभी हिन्दुस्तान के लोग सोचते थे कि कभी ऐसा हो सकेगा।

उसी तरह से देखा जाय तो हमारे देश की देशी रियासतों, हमको बातें करने का मौका मिला है इसलिये मैं जानता हूं, कि इस बात का अफसोस है कि सरदार नहीं रहे हालांकि वे जानते थे कि जो कुछ उनके हाथों से लेना था सरदार ने ही ले लिया और इस तरह से ले लिया कि वह फिर वापस नहीं हो सकता है। मगर उनका विश्वास सरदार में बना हुआ है और किसी बात से उनको रंज होता है तो वे कहते

हैं कि अगर सरदार होते तो वे इस काम को करा लेते। इसीसे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने काम किया कि जहां तक देश का काम था उसको भी पूरा किया और जहां तक व्यक्तियों का सम्बन्ध था, उनको भी नाराज नहीं किया।

आज हम उस काम के महत्व को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। जो समझदार हैं वे आज भी समझते हैं। इस युग का इतिहास आइन्डे जो लिखेगा वह लिख सकेगा कि भारतवर्ष में हजारों वर्षों से लोग मिलकर एक शासन नहीं चला सके, एक संस्कृत रख सके, एक-दूसरे साथ प्रेम भी रख सके और मगर एक शासन नहीं रख सके और देश को एक शासन सूत्र में बांधने का श्रेय सरदार पटेल को ही होगा। यह एक ऐतिहासिक घटना है जिसके सम्बन्ध में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। हम ने यह इसलिये कहा कि जो कुछ हमारी आंखों के सामने होता है उसका महत्व हम नहीं मानते हैं। इसलिये जब तक कोई जिन्दा रहता है उसका महत्व को लोग नहीं मानते हैं और जब वह चला जाता है तब उसके महत्व को लोग समझते हैं। आज हम सरदार की महानता को मानते हैं मगर जितना वह महान थे उनकी महानता को हम नहीं मानते हैं। मगर मेरा विश्वास है कि एक समय आयागा जब उनकी महानता को संसार मानेगा और जो उनका सच्चा स्थान है उनको देगा।

नव युवकों के लिये सरदार का जीवन एक आदर्श जीवन है। सरदार गांव के रहने वाले थे, गांव से निकले थे। अन्त में वह बम्बई में रहे, अहमदाबाद में रहे और उसके बाद दिल्ली में रहे। मगर गांवों के साथ उनका सम्पर्क नहीं छूटा। इसीलिये जब मैं उनके साथ बारडोली में जाता था तो सब से पहले जो वहां खेती करते थे उसे मुझे दिखाते थे और कभी कभी शिकायत करते थे कि इस साल मैं जेल चला गया तो उसका ठीक से इन्तजाम नहीं हुआ और फिर वह उसे ठीक कर देंगे। तो इस तरह तो वह एक चतुर कर्मठ किसान भी थे और अपनी इस किसान की बुद्धि को सारे देश की समस्या हल करने में लगाते थे और उसका थल हम देखते हैं कि आज एक छत्र के अन्दर इतना बड़ा राज्य हमें मिल गया है और इसको चलाना और उन्नत करना अब हमारा काम है और सौभाग्य है।

इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध उनके साथ ऐसा रहा जिसका वर्णन करने में मैं असमर्थ हो जाता हूं इसलिये मैं इतना ही कहकर आप सब को धन्यवाद देता हूं।

अन्धों के लिये नये स्कूल और उद्योग-गृह का शिलान्यास

राज्यपाल महोदय, देवियों और सज्जनों,

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मैं इस समारोह में शरीक हो सका और इस संस्था के लिये जो आप नया भवन निर्माण करने जा रहे हैं उसके शिलान्यास में हिस्सा ले सका ।

जैसा आपने स्वयं कहा है, पूना एक ऐसा स्थान है जहां अनेक संस्थाएं आज से नहीं बहुत दिनों से कुछ सज्जनों के याग और तपस्या के कारण चल रही हैं और यह संस्था भी उन्हीं संस्थाओं में से एक है जो 25, 30 वर्षों से, जैसा आपने कहा, यहां चलती आ रही हैं ।

हिन्दुस्तान में ऐसे लोगों की जो किसी न किसी कारण नेत्र रोग से पीड़ित हैं अथवा बिल्कुल अन्धे हो गये हैं बहुत बड़ी संख्या है और इस बात का सिर्फ इसी देश में नहीं सभी जगहों पर प्रयत्न किया जा रहा है कि किस तरह से इस रोग को काबू में लाया जाय या किस तरह से उन लोगों को सहायता दी जाय जो उससे पीड़ित हैं । मैं जानता हूँ कि और कई स्थानों में इस प्रकार की संस्थाएं चल रही हैं और अन्धों को सहायता दे रही हैं । सब से बड़ी चीज यह है कि आज इस बात का प्रयत्न हो रहा है कि अन्धे को इस तरह से तैयार कर दिया जाय कि वे अपने आत्म-सम्मान की रक्षा करते हुए अपने जीवन के निर्वाह के लिये कुछ न कुछ अपने हाथों से पैदा कर सकें और ऐसे कामों को उनको सिखाने का प्रबन्ध किया जाय जिसमें वे कमजोर रहते हुए भी अपने लिये कुछ न कुछ कर लें । उनमें जो भाग्यवान हैं तथा जिनकी बुद्धि और मस्तिष्क का अच्छा विकास हुआ है वे लिखने पढ़ने का काम भी अच्छी तरह से कर लेते हैं और आप लोग यहां के ही एक सज्जन डाक्टर व्यास को जानते हैं जो इतना काम कर रहे हैं । दिल्ली की हमारी राज्य सभा में एक ऐसे विद्वान् हैं, शायद लोक सभा में हैं जो वहां लोक सभा में पूरी तरह से काम करते हैं, वकालत भी करते हैं और सब काम बिना किसी दूसरे की सहायता के खुद आप ही कर लेते हैं । भाषण देना तो अन्धों के लिये आसान काम है लेकिन कागज का सहारा लेकर पढ़ाई करना मुश्किल काम मालूम होता है । मगर उसके लिये आज के कुछ विद्वानों ने इस तरह का उपाय निकाल रखा है और इस तरह के साधन तैयार कर रखे हैं जिनके द्वारा वे उस काम को भी

अन्धों के लिये नये स्कूल और उद्योग-गृह का शिलान्यास करते समय भाषण; पूना, 5 नवम्बर, 1959

करलेते हैं। इससे तो यही मालूम होता है कि वह दिन बहुत दूर नहीं है जब देश में वे ऐसा जीवन निर्वाह करने लगेंगे जो केवल उनके लिये ही नहीं बल्कि देश के लोगों के लिये लाभकारी जीवन होगा। ऐसे लोगों के जीवन को तैयार करने में इस प्रकार की संस्थाएं बहुत काम कर सकती हैं और कर रही हैं और इसीलिये जहां-जहां इस तरह की कोई संस्था कुछ काम करते देखने में आती है तो मेरी दिलचस्पी और सहानुभूति स्वाभाविक रूप से उसकी ओर चली जाती है और यही कारण है कि मैं आपके निमन्त्रण पर आज यहां हाजिर हुआ हूं और इस काम में भाग लेकर अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं। मैं आशा करता हूं कि जिस उत्साह के साथ कुछ लोगों ने इतने दिनों से इसको चलाया है वे इसकी परिवर्तित कार्यशैली में भी सहयोग देकर इसे आगे बढ़ाते जायेंगे।

यह भी एक मार्क की बात है कि यह काम इतना बढ़ता जा रहा है कि केवल एक ही संस्था में लड़के तथा लड़कियों, पुरुषों तथा स्त्रियों का समावेश होना कठिन होता जा रहा है। इसलिये बच्चे और बच्चियों के लिये अलग संस्था कायम करना स्वाभाविक है और यह खुशी की बात है कि आपने इस काम को उठाया है। मुझे इस बात का भरोसा है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो सहायता उचित होगी वह मिलेगी ही जनता की ओर से भी इस संस्था को पूरी सहायता मिलेगी और सब से अधिक जिस उत्साह के साथ इसमें त्यागी लोग आज तक काम करते आये हैं उस प्रकार की सहायता इसको हमेशा उपलब्ध रहेगी और उसी पर सब से अधिक भरोसा होना चाहिये और है।

मैं आशा करता हूं और मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना होगी कि यह शुभ प्रयास सफल हो और हर तरह से आप अपने काम में कामयाब हों।

घटप्रभा में चिकित्सालय की स्थापना

मुख्य मंत्री श्री जती, श्री दातार, श्री करमरकर, डा० हार्डीकर, डा० वैद्य, देवियों और सज्जनो,

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज सबेरे ही मैं आपके इस स्थान पर पहुंच सका और जो कुछ काम आप कर रहे हैं उसका थोड़ा बहुत निरीक्षण कर सका ।

भारतवर्ष अभी तक गांवों का ही देश है जिसमें 70-75 प्रतिशत जनता गांवों में ही बसती है और थोड़े ही लोग बड़े-बड़े शहरों में रहते हैं । इसलिये कोई काम देश-उत्थान का तब तक सफल नहीं कहा जा सकता जब तक हम गांवों को अच्छी तरह से उन्नत करने के लिये प्रयत्नशील न हों । इसलिये जो काम यहां हो रहा है उसको मैं बहुत महत्व देता हूं । आप जानते हैं देहातों में बीमारी, कमजोरी और गरीबी भी है और इन सब को दूर करना हमारा कर्तव्य है । वहां अशिक्षा भी है जिसकी वजह से अनेक प्रकार की कुरीतियां फैलती हैं । इसलिये जब डा० कोकटनूर ने शहरों की बजाय किसी एक छोटे गांव में जाकर चिकित्सा के काम को आरम्भ करने का निश्चय किया । यह उनका बहुत ही शुभ विचार था । जिस संस्था की उन्होंने नींव डाली वह आज बढ़कर एक बड़ी इमारत के रूप में यहां खड़ी हो गई है और उसकी बुनियाद इतनी मजबूत बनी है कि उस पर और भी दिनोदिन बढ़ती हुई इमारतें बनती जायेंगी । इसलिये जब से मैं यहां आया हूं यहां के विभिन्न विभागों को देखता रहा हूं और सब के सम्बन्ध में थोड़ा बहुत सुनता रहा हूं । यह एक बहुत ही शुभ लक्षण है कि आपकी इस संस्था को चलाने के लिये अनेक त्यागी और योग्य कार्यकर्त्ता मिल गये हैं ।

जिस काम के लिये अच्छे त्यागी काम करने वाले मिल जाते हैं उस काम के लिये द्रव्य भी जुट जाता है और जैसा आपने अभी इस मानपत्र में कहा है मामूली साधारण लोगों के दान ही से बहुत करके यह संस्था बनी है और जैसा मुझ से कहा गया कि जो छोटे-छोटे मकान अलग-अलग बने हुए हैं वे किसी न किसी के दान का फल हैं । ऐसे त्यागी कार्यकर्त्ताओं का ऐसे स्थान पर आ जाना और साथ ही लोगों के बीच इस प्रकार का उत्साह उत्पन्न हो जाना जिसके फलस्वरूप काफी मात्रा में दान मिले यह एक बहुत ही अच्छी घटना है ।

हम जानते हैं कि आजकल की चिकित्सा पद्धति बहुत ही श्रमसाध्य और बहुत ही व्ययसाध्य होती जा रही है । पहले जमाने में हमारे देश के अंदर

गांव-गांव में कोई एक वैद्य हुआ करता था और उसी वैद्य की चिकित्सा से लोग चाहे मरते थे चाहे जीते थे मगर सब को कुछ न कुछ सहायता अवश्य ही मिल जाती थी । अब एक ऐसी परिस्थिति आ गई है जब उस प्रकार के वैद्यों के प्रति जितनी श्रद्धा पहले हुआ करती थी वह कम होती जा रही है और उनके स्थान पर लोग आधुनिक तरीके से चिकित्सालय अस्पताल खोलने लगे हैं । हम अभी तक बड़े-बड़े शहरों में भी आधुनिक ढंग के चिकित्सालय स्थापित नहीं कर सके हैं किन्तु इस दिशा में काम बराबर चल रहा है और शहर तो क्या गांवों में भी चिकित्सा के सभी साधन जुटाने की हमारी योजना है ।

जो लोग विदेशों से कुछ सम्पर्क रखते हैं या विदेशों का कुछ ज्ञान रखते हैं वे यह कहते हैं कि हमारे देश में अभी इस प्रकार के योग्य प्रमाणित चिकित्सकों की संख्या बहुत ही कम है और यहां की बढ़ती आबादी या जनसमूह के मुकाबले में चिकित्सकों और अस्पतालों की संख्या तो और देशों के हिसाब से बहुत ही कम है । इस तरह की व्यवस्था सारे देश भर में करने के लिये अभी बहुत समय लगेगा और खर्च भी काफी होगा । फिर भी हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में उन के लिये यथा साध्य व्यवस्था की जा रही है ।

मेरा विचार है और मैं समझता हूं कि इसी विचार से और लोग भी सहमत होंगे कि जब तक गांवों तक चिकित्सा को न पहुंचा दिया जायेगा तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा ।

आपकी संस्था एक उदाहरण स्वरूप है और अन्य जगहों में जितनी संख्या में हो सके ऐसी संस्थायें कायम की जायें तो देश का उससे लाभ होगा । इस संस्था में दो-तीन बातें ऐसी हैं जो बहुत महत्व रखती हैं । पहली बात तो यह है कि यह संस्था शहर से दूर एक गांव में स्थापित की गई है जहां का जलवायु स्वयं चिकित्सा का काम कर सकता है और मैंने सुना भी है कि इसी वजह से यहां की चिकित्सा बहुत फल देती है दूसरी बात जो यहां की विशेषता है वह है केवल एक ही स्थान पर बैठकर सब रोगियों को देखना और चिकित्सा करना काफी नहीं समझा गया है बल्कि यहां से अच्छे-अच्छे चिकित्सक दूर-दूर गांवों में करीब-करीब 20-25 मील तक की दूरी तक जाते हैं और वहां के रोगियों को देखकर जो काम वहां हो सकता है, जिनकी चिकित्सा वहां ही की जा सकती है उसकी व्यवस्था कर दी जाती है और जिनकी चिकित्सा गांव में नहीं हो सकती या जिसके लिये विशेष

यन्त्र या विशेष औषधि की जरूरत पड़ती है उन्हें वहाँ अस्पताल में लाकर उनकी व्यवस्था कर दी जाती है। इस तरीके से एक संस्था द्वारा बहुत लोगों को सहायता मिलती है। यदि इस प्रकार की संस्थायें सारे देश में 30-31 25-25 मील की दूरी पर कायम हो जायें और एक अस्पताल रख कर जहाँ बड़े रोगों की चिकित्सा की जाये मामूली रोगों के लिये गांव-गांव में वहाँ के चिकित्सक जाकर दवा दे दिया करें तो मैं समझता हूँ स्वास्थ्य सुधार का काम बहुत अच्छा हो सकता है।

मैं सुनता बहुत हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जितने नये-नये डाक्टर शिक्षा पाकर निकलें वे अधिकतर गांवों में जाकर चिकित्सा का काम करें। काम तो अच्छा है, पर इसमें कठिनाई भी है। क्योंकि डाक्टर जो पैसे चाहता है उसको गांव में उतने पैसे नहीं मिल सकते। यह बात अब साफ दिखाई देती है कि जो भी गांवों में कुछ सम्पन्न हो जाता है अच्छा हो जाता है वह गांव छोड़ कर शहर चला जाता है, और इसी कारण गांवों से योग्यता और सम्पन्नता दोनों हटकर शहरों की तरफ चली जाती हैं। डाक्टर अगर गांव में जाय तो किस भरोसे से? उसे किससे अच्छी फीस मिलेगी और वह किस प्रकार धनोपोजन कर सकेगा? इसलिये इस प्रकार की संस्थायें देश के लिये लाभप्रद हैं और उन्हें सारे देश में कायम करना चाहिये।

इस संस्था की सबसे बड़ी विशेषता इसे अच्छे और योग्य तथा त्यागी डाक्टरों की एक टोली का मिल जाना है और जो यहां गांव में रह कर गांव के लोगों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझती है। डाक्टर वैद्य जैसा डाक्टर जिसने बहुत दिनों तक मुम्बई जैसे बड़े शहर में डाक्टरी का काम किया है वह यहां एक नेट्र गांव में बस जाये और यहां के लोगों को उचित चिकित्सालय पहुंचाना अपना कर्तव्य माने तो इससे बढ़कर और इस काम की सफलता का क्या दूसरा लक्षण हो सकता है? पर मैं इस संस्था को केवल एक चिकित्सालय के रूप में ही नहीं देख रहा हूँ बल्कि मैं समझता हूँ कि यह एक शिक्षण संस्था का भी काम कर रहा है। छोटे-छोटे बच्चों की कवायद् हमने अभी देखी। जो लोग यहां काम सीखने आये हैं और काम करते हैं उन सब की भी कवायद् देखी। इस संस्था की हवा चारों तरफ फैली है और लोगों में नियन्त्रण की भावना, शिक्षा और अनुशासन की भावना, देश-प्रेम और दश-सवा की भावना यह संस्था जागृत कर रही है। इसका प्रमाण इसी से मिलता है कि यहां के छोटे-छोटे भवन मामूली दान से बने हैं और यहां काम करने वाले अच्छे लोग

शहरों को छोड़कर गांवों में आ गये हैं। दूसरा प्रमाण श्रीमती वैद्य ने जो मुझे सूत की माला दी उससे मिलता है। यह माला एक ने नहीं, बल्कि अनेकों बहनों द्वारा बनाई गई थी। जहां-जहां दवा बांटी जा रही है, अक्षर बोध कराया जा रहा है वहां साथ ही सूत भी बन रहा है। इस प्रकार की बहु-मुखी योजनायें सभी जगहों पर कायम हों यही हमारी कामना है।

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैंने जो वायदा डा० हार्डीकर से यहां आने का बहुत दिन हुए किया था उसको आज मैं पूरा कर सका। उनकी तपस्या सारी जिन्दगी भर चलती रही है और अब भी जारी है। उसी का यह फल है और मैं समझता हूं कि इस तरह के बहुत से फल और भी देखने में आयेंगे। इस संस्था ने गवर्नमेंट का भी ध्यान आकर्षित किया है और मुझे यह देखकर खुशी होती है कि मैसूर राज्य के मुख्य मन्त्री और भारत सरकार के स्वास्थ्य मन्त्री दोनों इस समय पर यहां उपस्थित हैं। इसको मैं एक शुभ लक्षण मानता हूं। जहां एक तरफ से साधारण लोगों की सहायता इस संस्था को मिल रही है दूसरी ओर से यदि गवर्नमेंट की भी सहायता मिले तो यह संस्था और भी प्रगति कर सकेगी।

मैंने जो कुछ देखा उससे मैं बहुत सन्तुष्ट हुआ और मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं।

भगिनी मंडल भवन तथा कर्नाटक फाइन आर्ट्स सोसायटी का उद्घाटन

मुख्य मंत्रीजी, श्रीमती सुशीला बाई जी जोशी, डाक्टर हर्डकर, बहनों तथा भाइयों,

मुझे यहां आकर इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे विविध प्रकार के काम जो आप लोग कर रहे हैं सब का थोड़ा बहुत नमूना देखने का सुअवसर मिला। आपने मुझे बहुत पुरानी बातों की भी याद दिला दी। भगिनी मंडल का जन्म 1922 में हुआ और उस समय से आज तक स्त्रियों के बीच में जागृति पैदा करना, शिक्षा का प्रसार करना और उनसे देश का काम लेना यह भगिनी मंडल करता रहा और अभी भी वह इस काम में संलग्न है। इसका ही फल था कि स्वराज्य के आन्दोलन के दिनों में इसको सरकारी कोप का शिकार भी बनना पड़ा। इसका ही फल था कि स्त्रियों में स्वावलम्बन का भाव बहुत कुछ आया।

महात्मा गांधी जी ने आन्दोलन के दिनों में कुछ आम केवल स्त्रियों के जिम्मे ही कर दिया था और वह काम ऐसा था कि जिसको पुरुष करना चाहते तो कर पाते पर वह काम काफी कठिन था। वह बड़ा काम यह था कि किसी दारू की दूकान पर धरना देकर शराब बन्द कराना, विदेशी कपड़ा की दूकान पर धरना देकर विदेशी कपड़े की बिक्री रोकना। ऐसा काम उनके जिम्मे दिया गया और मुझे याद है कि कितने उत्साह के साथ और कितने त्याग के साथ उन्होंने इस काम को किया था। साथ ही जब समय आया तो ऐसे घरों की बहू बेटियां जो कभी बाहर नहीं निकली थीं वे जेल जाने पर तैयार हुईं और उनमें से बहुतेरी जेल गयीं। जिस वक्त यह हो रहा था उसी वक्त हम ने समझ लिया कि अब हमारे देश के अन्दर कोई यह चाहे कि स्त्रियों को किसी विषय में पीछे रखा जाय तो उसका उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकता। उसके थोड़े ही दिन पहले इंग्लैंड जैसे एक उन्नत देश में जहां शिक्षा की कमी नहीं और जहां किसी प्रकार की गरीबी नहीं, बहुत वर्षों तक स्त्रियों को इस बात के लिये आन्दोलन करना पड़ा कि उनको पार्लियामेंट में जाने का अधिकार दिया जाय और इसके लिये उनको अपने तरीके से सत्याग्रह भी करना पड़ा और तब उनको यह अधिकार मिला। हमारे देश में महात्मा गांधी ने उनको स्वराज्य प्राप्ति के काम में इस तरह संलग्न कर दिया कि उसके बाद किसी के सोचने का मौका ही नहीं रह गया कि उनको पुरुष से किसी बात में कम अधिकार दिया जाय और जब हमारा संविधान बना तो उसमें लिखा गया कि स्त्रियों और

भगिनी मंडल के भवन का उद्घाटन करते समय तथा कर्नाटक फाइन आर्ट्स सोसायटी एकजीविशन का उद्घाटन करते समय भाषण; हुबली, 7 नवम्बर, 1958

पुरुषों में किसी प्रकार का भेद राजनीतिक अधिकार में चाहे किसी प्रकार की नौकरी में नहीं हो सकेगा। इसका श्रेय भगिनी मंडल को तथा देश में जो दूसरे मंडल हैं और इस प्रकार की जो दूसरी संस्थाएं हैं उनको है कि उन्होंने देश में ऐसी जागृति की।

मुझे यह याद करके और भी खुशी हुई कि श्रीमती उमा बाई और उनके साथ एक दूसरी बहन डाक्टर हार्डकर के नेतृत्व में बिहार में 1934 के विपत्तिकाल में गयीं और वहां पर मेरा यह सुखद अनुभव हुआ कि ऐसे देशप्रेमी और कर्मठ लोगों के साथ मैं काम कर सका। एक-एक बात अपने-अपने समय पर होती गयी। उस समय शायद ही किसी को सूझा हो कि अलग-अलग छोटी-छोटी घटनाओं को एक साथ जोड़ कर उनका वह इतिहास लिखे। मगर अब वह समय मिल गया और जब जब पुरानी बातें स्मरण में आती हैं तो एक पूरा चित्र उस वक्त से लेकर आज तक का आंखों के सामने आ जाता है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं ऐसी संस्था में आज आ सका।

यहां पर रोटैरी क्लब, भगिनी मंडल तथा फाइन आर्ट्स सोसायटी की तरफ से जो मेरा स्वागत किया गया मैं सब के लिये सब को धन्यवाद देता हूं। मेरा यह बड़ा सुखद अनुभव हुआ कि मैं अपनी आंखों से मैं उद्दीयमान कलाकारों के चित्र देख सका और मुझे इस बात की खुशी भी हुई कि किस तरह से महिलाओं के बीच, छोटी-छोटी बच्चियों के बीच इन संस्थाओं की तरफ से आज काम हो रहा है। मैं आप सब को धन्यवाद देता हूं और मेरी यही अभिलाषा और मनीकामना है कि आपका काम दिन प्रति दिन आगे बढ़ता जाय।

मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी होती है कि यद्यपि आज कई प्रकार की बातें कही जाती हैं, आपके इस कर्नाटक प्रदेश में आकर मुझे केवल हिन्दी में ही बोलने का सुअवसर दिया गया है और कुछ इस तरीके से नहीं बल्कि अपना काम भी हिन्दी के द्वारा करके मुझे मौका दिया है कि मैं भी हिन्दी में बोलूं। हां कहीं-कहीं मैंने अंग्रेजी में भी कहा है मगर मुझे खुशी है कि हिन्दी के प्रति आपका इतना प्रेम और उदारता है और मुझे आशा है कि यह प्रश्न लोग भूल जायेंगे और सारे देश के काम में हिन्दी का प्रयोग करने लगेंगे। अपने-अपने प्रान्त की अपनी-अपनी भाषाएं वहां के काम के लिये जितनी उन्नत हो सके करें और सब को मिलाकर सब की उन्नति में सहायक होना चाहिये मगर सारे देश के काम के लिये एक भाषा होनी चाहिये। उसको आप तैयार कर रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं, उसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। इसलिये आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप सब को एक बार और धन्यवाद देता हूं।

मठों की स्थापनाओं का महत्त्व

स्वामीजी महाराज, सज्जनो और देवियो,

मैं आपके इस प्रदेश में दो दिनों से आया हुआ हूँ। इससे पूर्व भी मैं इस प्रदेश में फिरा हूँ और अनेक स्थानों को जाकर मैंने देखा है। मगर इसके पहले मेरा ऐसा कोई सुअवसर या सौभाग्य नहीं हुआ कि मैं आपके इस स्थान में आकर यहां का दर्शन कर सकता। मुझे इस बात की खुशी इसलिये है कि मैं इस बार यहां आ सका।

आपने ठीक ही कहा है कि हमारे देश की और संस्कृति की रक्षा हमारे गुरुजन ही बराबर करते आये हैं। और इसी काम के लिये हमारे पूर्वजों ने मठ की संस्थाओं का निर्माण किया था जहां पर तपस्वी और योगी लोग रहते थे, स्वयं अपनी तपस्या में लगे रहते थे, साथ-साथ जन कल्याण के लिये विद्या दान और हर प्रकार के लोगों के पथप्रदर्शन का काम किया करते थे। आज भी मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने कई कालों की स्थापना की है, कई अस्पतालों की स्थापना में उनकी सहायता हो रही है और हर प्रकार से जनता की सेवा का काम आपके द्वारा हो रहा है। साथ ही आप लोग धर्म की रक्षा के लिये समय पाकर उनका स्थान लेंगे तथा आगे बढ़ेंगे।

यह भी जानकर मुझे खुशी हुई कि यहां के लोगों को हिन्दी के साथ बड़ा प्रेम रहा है और सम्बन्ध भी रहा है। भारतवर्ष में इस बात की जरूरत है कि एकता की भावना को उत्तर प्रदेश से दक्षिण तक जहां तक हम बढ़ा सकें बढ़ावें। इस देश को ईश्वर ने बहुत ही अच्छा और सुन्दर देश बनाया है जिसका मुकाबला शायद ही कोई दूसरा देश कर सकता है। उसकी रक्षा के लिये भी उन्होंने प्राकृतिक रूप से चारों तरफ गढ़ बना दिया। उत्तर की ओर हिमालय जैसा गढ़ खड़ा कर दिया और दक्षिण की तरफ गहरे समुद्र को खाई खोद दी। तो इस तरह से यह देश सुरक्षित रहा और हमारे लोग अपने सारे जीवन को सुख का जीवन बनाये हुए हैं। इतिहास में हमें बहुत कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ा और हम ने बहुत चिन्ता के दिन देखे हैं। पर ईश्वर की दया से हम आज फिर स्वतन्त्र हुए हैं और यही सब का सब से पहला कर्तव्य है कि इस स्वतन्त्रता की हम रक्षा करें। साथ ही इस देश पर अगर किसी प्रकार की आपत्ति आवे तो उस आपत्ति से इसको बचाने का भार हम लोगों का होना चाहिये। मैं इस बात का जिक्र इसलिये नहीं कर रहा हूँ कि आज हमारे ऊपर कोई ऐसा भय है। मगर छोटा भी भय हो तो उसको भय कहना ही

चाहिये और थोड़ा भी खतरे का अन्देश हो तो उसका उपाय करना ही चाहिये। मगर इसका सब से अच्छा और सुन्दर उपाय तो यही है कि यह सारा देश एकता की भावना में सराबोर हो जाय और हर प्रकार का आपस का तनाव रखते हुए देश के मामले में सब एक हो जायें। इसमें भी जैसे और सब बातों में आप पथप्रदर्शन करते हैं आप करेंगे और मैं समझता हूँ कि आप कर भी रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि जहाँ तक कर्नाटक का सम्बन्ध है हमें हर तरह से निश्चित रहना चाहिये और सारे देश की एकता को कायम रखने में जो कड़ी आवश्यक होती है उसको भी मजबूत बनाना चाहते हैं। जैसा कि आपने अपने भाषण में बताया, हिन्दी के साथ आप लोगों का प्रेम है। मुझे यह मालूम है क्योंकि मेरा सम्पर्क हिन्दी प्रचार के साथ बहुत दिनों से रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि थोड़े दिनों के अन्दर सारे देश भर में सब लोग हिन्दी को अपनी भाषा समझकर उसे देश के कारबार में लाने लगेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी सुन्दर कन्नड़ भाषा को भुला दें। इसका अर्थ यही है सार्वदेशिक काम जिस भाषा को देश में सबसे अधिक जानने वाले लोग हैं अर्थात् हिन्दी में हों और ऊँचे से ऊँचे काम के लिये हम अपनी भाषाओं को हर प्रकार से उन्नत बनायेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका योगदान होगा और हर तरह से भलाई करते हुए देश की भलाई के काम में जो धन सम्पत्ति आपके हाथ में आती है उसको आप लगाते जायेंगे।

मैं आपकी सराहना करता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस तरह से सभी कामों में जो सम्पत्ति आपके साथ में आती है उसको दिया करते हैं। और स्वामियों के बारे में कहना ही क्या है। जहाँ तक हो सके जनता के हित के लिये काम करना है। यह भी एक तरीका है जो आपने अपनाया है। मैं आशा करता हूँ कि आपके काम की बढ़ती होती जायगी। मैं आप सब को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस तरह से मेरा स्वागत किया है और आशा करता हूँ कि आप सब के आशीर्वाद से देश का कल्याण होगा।

स्त्री-शिक्षा का महत्त्व

देवियो और सज्जनो तथा बच्चियो,

दो वर्ष हुए आपको जैसा अभी डाक्टर दिवाकर जी ने बताया मेरी बिल्कुल इच्छा थी कि मैं यहां आऊं और इस संस्था के शिलान्यास का अपने ऊपर भार लूं पर उस समय अस्वस्थ हो जाने के कारण मैं यहां नहीं ठहर सका और रेल से उतरकर केवल डाक्टर दिवाकर के हाथ मैंने अपनी शुभ कामना भेज दी और उनसे अनुरोध किया जो शिलान्यास मुझे करना है उसको वे सम्पन्न करें। उस समय वह काम कृपापूर्वक डाक्टर दिवाकर ने पूरा कर दिया मगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई और इसलिये मैं उस दिन की आशा में रहा जब मैं यहां पहुंचूं और जो मैं खुद न कर सका और जिसको डाक्टर दिवाकर ने सम्पन्न किया उसमें आज तक कितनी वृद्धि हुई है उसको अपनी आंखों से देखूं। इसलिये आप समझ सकते हैं कि मुझे यह देखकर कितनी प्रसन्नता हो रही है कि इस संस्था की उन्नति दिन-प्रति-दिन होती जा रही है और जिस भवन का शिलान्यास किया गया है उसका बड़ा अंश बन चुका है और बाकी बनता जा रहा है।

भारतवर्ष में स्त्रियों के बीच शिक्षा का अभाव हो जाने के कारण हम अनेक प्रकार की दिक्कतों का अनुभव करते आये हैं और आज यह एक प्रकार से निर्विवाद विषय हो गया है कि हमारी बच्चियों को ठीक उसी तरह से शिक्षा दी जाय और उनकी शिक्षा की ओर वैसे ही ध्यान दिया जाना चाहिये जैसे बच्चों की शिक्षा की ओर दिया जाता है और इसलिये जब छोटी बच्चियां कुछ हिन्दी में और कुछ संस्कृत में पढ़कर मुझे सुना रही थीं तो मुझे स्वभावतः याद आ गया कि इस प्रकार की घटना और कितनी जगहों में मैंने स्वयं देखा है और उससे भरोसा बढ़ता है कि स्त्रियों की शिक्षा की उन्नति दिन-प्रति-दिन हो रही है। मैंने अपने जीवन काल में देख लिया है खास करके जिस प्रान्त से मैं आता हूं और जहां पर्दा प्रथा बहुत जोर की थी वहां भी आज बच्चियों की शिक्षा का प्रसार खूब हो रहा है और उसको केवल अपनी आंखों से डाक्टर दिवाकर ने देखा ही नहीं है बल्कि उस काम में बहुत कुछ प्रोत्साहन भी दिया है। इसलिये यह भी एक कारण है कि मैं समझता हूं कि मेरा यहां आ जाना आज आवश्यक था क्योंकि और कुछ नहीं तो कुछ शब्दों से धन्य-वाद तो दे दूं कि जो काम उन्होंने गैर सरकारी तरीके से और मित्रों के सहयोग और

सहायता से बहुत दिनों से कर रखा है उसको जब वह राज्यपाल के स्थान पर थे भूले नहीं, वहां भी उसको करते रहे ।

मैं स्त्रियों की शिक्षा के सम्बन्ध में और क्या कहूं । मैं समझता हूं कि इतना ही कहना जरूरी है कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये और ध्यान दिया जा रहा है और दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक ध्यान दिया जायगा ।

शिक्षा पद्धति के सम्बन्ध में बहुत प्रकार के विचार हो सकत हैं कि किस रीति से शिक्षा दी जाये, क्या-क्या विषय पाठ्यक्रम में रखे जायें, किस तरह से हम अपनी बच्चियों को जीवन निर्वाह के लिये तैयार करें । इन सब विषयों पर अनेक प्रकार के विचार हैं और होते हैं । इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि मानव समाज को उन्नति करनी है, उनके घरों को सुख शान्ति का स्थान बनाना है, यदि हमारी भावी संतान को अपनी माता के दूध के साथ-साथ अच्छे विचार, सुन्दर संस्कार लेने हैं तो हमारी बच्चियों की शिक्षा अच्छी होनी चाहिये और वह शिक्षा ऐसी होनी चाहिये कि सबसे पहले स्त्रियोंचित्त जो कर्तव्य है कि उन कर्तव्यों को वे अच्छी तरह से निभा सकें । हम यह नहीं कहते कि हमारी बच्चियों को ऊंची शिक्षा नहीं मिलनी चाहिये । हर प्रकार की शिक्षा उनको मिलनी चाहिये मगर शिक्षा से मेरा मतलब यही है कि शिक्षा का फल यह होना चाहिये कि स्त्री हो चाहे पुरुष हो जिस काम में हो उस काम को वह अच्छी तरह से कर सके और उससे पहले उसका निजी कल्याण हो और दूसरों का कल्याण होता रहे । वही सच्ची शिक्षा कही जा सकती है और स्त्री हो या पुरुष, लड़के हों या लड़कियां यदि उनको हम इस प्रकार की शिक्षा नहीं देते तो केवल अक्षर ज्ञान से ही काम पूरा नहीं होता । बहुत लोग जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है मगर वे अच्छे आदमी हैं । तो शिक्षा का भी अर्थ यही होना चाहिये कि वह मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनावे, बेहतर मनुष्य बनावे, काम की योग्यता उसमें लावे, उसका चरित्र ऐसा सुसंस्कृत हो जाय कि वह जिस काम को हाथ में लें वे उसको परिश्रम और ईमानदारी के साथ निभाये और केवल अपने लिये ही नहीं बल्कि दूसरों के लिये भी अपना समय, अपनी विद्या और जो कुछ भी उसको ईश्वर ने दिया है, अथवा उसने शिक्षा द्वारा प्राप्त की है उसका उपयोग करें ।

इसलिये जब मैं देखता हूं कि स्त्रियों से शिक्षा के साथ-साथ कुछ दस्तकारी भी आप कराते हैं, उनसे कुछ इस तरह की चीज भी कराते हैं जो घर-घर में होना चाहिये और जिसे घर-घर में स्त्रियों को जानना चाहिये तो मैं समझता हूं कि सच्चे और ठीक रास्ते पर आप चल रहे हैं । मुझे इस बातकी खुशी है कि यह न्यु एडुकेशन

सोसायटी अध्ययन के अनेकानेक विद्यालय चला रही है, अनेक संस्थाएं कायम कर रही हैं। सब का उद्देश्य एक ही और सब के संचालक भी बहुत करके एक ही हैं। यह खुशी की बात है कि चूंकि उनका काम ऐसा हो रहा है जिससे जनताको संतोष है, जिससे गवर्नमेंट को भी संतोष है, उनको आर्थिक सहायता भी मिल रही है। जहां अच्छे काम करने वाले मिल जाते हैं वहां वे किसी न किसी तरह से काम चला ही लेते हैं। महात्मा गांधी कहा करते थे कि सम्पत्ति या धन के नहीं होने के कारण कोई काम नहीं रुकता है। काम रुकता है आदमी के नहीं होने के कारण। जहां सच्चे आदमी मिल जाते हैं किसी न किसी तरह से काम चल ही जाता है, लोगों का उस पर विश्वास हो जाता है और उसकी कठिनाई को जनता दूर करती है और अगर काम बुरा है तो उसमें कोई क्यों मदद करे। तो इस संस्थाओं का सब से बड़ा महत्व तो यही है कि वे अपने काम से सब को संतुष्ट कर दें और उस संतोष का प्रदर्शन सब लोग इस तरह से करें कि उनको चलाने में तन मन धन से सहायता करें। यह खुशी की बात है कि इस तरह की सहायता इन संस्थाओं को मिल रही है। उनका भविष्य उज्ज्वल है और मैं आशा करता हूँ कि वे दिन-प्रति-दिन और उन्नत होती जायेंगी और काम बढ़ता जायगा।

मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है और बच्चियों को मेरा शुभ आशीर्वाद यही है वे जो कुछ विद्या यहां पा रही हैं, जो कुछ यहां सीख रही हैं सब को अच्छी तरह से सीखें, ग्रहण करें और अपने को इसके लिये तैयार करें कि वे अपना तथा सब का कल्याण कर सकें।

गिबन हाई स्कूल कुमठा की स्वर्ण जयन्ती

मुख्य मन्त्री महोदय, म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन महोदय, डा० पाई, देवियो और सज्जनों,

25 वर्षों के बाद मैं फिर एक बार कुमठा में आ सका इसकी मुझे बड़ी खुशी है। उस समय मैंने जो देखा और आज जो देख रहा हूँ उसमें उतना ही अन्तर है जितना उस समय के भारतवर्ष में और आज के भारतवर्ष में और जिन लोगों ने उस समय को देखा है और आज को देख रहे हैं वे सब उस अन्तर को समझ सकते हैं। मगर मेरे सामने एक बहुत बड़ा बड़ा जनसमूह युवकों और युवतियों का है जो शायद ही उस समय को देख सके हैं और उस समय और इस समय का मिलान कर सकते हैं। इसलिये उनके लिये तो समझना कठिन है। इन 25 वर्षों के अन्दर कितना फर्क पड़ गया है।

अभी जो स्कूल का इतिहास पढ़कर बताया गया उससे यह मालूम हुआ कि इस स्कूल की स्थापना 1908 में हुई थी और उस काल का इतिहास आप समझें तो एक प्रकार से भारतवर्ष भर में आजकल की आधुनिक शिक्षा के विस्तार का इतिहास है। एक बहुत ही छोटे स्कूल के रूप में जिसमें चन्द विद्यार्थी थे इसका जन्म हुआ था और तब से आज तक आहिस्ता-आहिस्ता यह हर तरह से बढ़ता गया है और इसके लिये आवश्यकतानुसार अलग-अलग समय पर मकान भी बनते गये हैं और इस वक्त इसमें 700 या उससे भी अधिक विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं और अब यह अवस्था पहुँच गयी है कि लड़कियों की संख्या इतनी बढ़ गयी है कि अब सोचा जा रहा है कि लड़कों के स्कूल के साथ-साथ एक दूसरा स्कूल केवल लड़कियों के लिये यहां कायम कर दिया जाय।

मैंने कहा कि इन 50 वर्षों में सारे देश भर में शिक्षा की उन्नति इसी पैमाने पर हुई है। मुझे याद है कि 1908 के थोड़े ही दिन पहले मैं एम० ए० पास कर चुका था और उस समय जितने कालेज मेरे बिहार सूबे में थे वे गिनने में पाँच अंगुलियों से अधिक नहीं थे, शायद तीन चार ही थे और आज उसी बिहार में 1, 2 नहीं, 5, 7 नहीं, 125 कालेज चल रहे

कुमठा में गिबन हाई स्कूल की स्वर्ण जयन्ती में भाग लेते समय भाषण;
मैसूर 8 नवम्बर, 1959।

हैं। यह एक बिहार की ही बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसी तरह से सारे देश भर में स्कूलों और कालेजों की संख्या बढ़ गयी है। उस समय जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी वह आज के बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, पूर्वी पाकिस्तान और बर्मा इस बड़े भू भाग में जितने कालेज और स्कूल थे सबका निरीक्षण करती थी और आज मैं समझता हूँ कि एक के बदले में 25, 30 यूनिवर्सिटियां कायम हो गयी हैं। तो इस तरह से सारे देश भर में शिक्षा की प्रगति बहुत हुई है और साक्षरता लोगों में दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। बहुत करके ये स्कूल और कालेज लोगों की मांग की वजह से खोलने पड़े हैं और जैसे-जैसे उनकी मांग बढ़ती गयी है वैसे-वैसे नये स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटियां बनती गयी हैं और बनती जा रही हैं। केवल संख्या में ही वृद्धि नहीं हुई है, शिक्षा के प्रचार और प्रकार में भी बहुत वृद्धि हुई है। अब कालेजों में कला के विषय ही नहीं पढ़ाये जा रहे हैं, अब सायन्स और टेक्नोलॉजी के इन्स्टीट्यूशन्स कायम हो गये हैं और दिनों दिन कायम होते जा रहे हैं। इसी से हम एक अन्दाज लगा सकते हैं कि देश कितना आगे बढ़ गया है और अगर पिछले 12 वर्षों का हिसाब हम लगावें तो मैं समझता हूँ कि जबसे स्वतन्त्रता आयी है तब से आज तक कालेजों और यूनिवर्सिटियों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुयी है। मैं समझता हूँ कि पहले जितने स्कूल, स्कूल और यूनिवर्सिटियों की संख्या थी कम से कम उसकी दुगुनी या तिगुनी उनकी आज संख्या हो गयी है। तो इस प्रकार से अब देश में शिक्षा का काफी प्रचार हो रहा है और इसमें यह भी एक संतोष का विषय है कि इन संस्थाओं की स्थापना तथा संचालन में बहुत करके गैर-सरकारी लोगों ने भाग लिया है और उन्होंने ही उनकी स्थापना की है, उनको चलाया है और पीछे से गवर्नमेंट की भी सहायता उनको मिली है। जबसे हम स्वतन्त्र हुए हैं सहायता की मात्रा दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है।

मैं तो कभी कभी यह भी सोचता हूँ कि उस सहायता की मात्रा कम हो जाय तो अच्छा हो क्योंकि उसका बुरा परिणाम यह है कि उससे आत्म-निर्भरता कम होती है और सब चीजों के लिये सरकार का मुँह देखने की एक आदत पड़ गयी है और पड़ती जा रही है। तो भी जहां तक हो सके शिक्षा के प्रचार और प्रसार से लाभ ही होगा। हां इस बात की जरूरत जरूर है कि इस शिक्षा की रूह को बदलना चाहिये, इसकी दिशा बदलनी चाहिये और आज के समय के अनुसार, हमारे देश की परम्परा के अनुकूल

गिबन हाई स्कूल कुमठा की स्वर्ण जयन्ती

मुख्य मन्त्री महोदय, म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन महोदय, डा० पाई, देवियो और सज्जनो,

25 वर्षों के बाद मैं फिर एक बार कुमठा में आ सका इसकी मुझे बड़ी खुशी है। उस समय मैंने जो देखा और आज जो देख रहा हूँ उसमें उतना ही अन्तर है जितना उस समय के भारतवर्ष में और आज के भारतवर्ष में और जिन लोगों ने उस समय को देखा है और आज को देख रहे हैं वे सब उस अन्तर को समझ सकते हैं। मगर मेरे सामने एक बहुत बड़ा बड़ा जनसमूह युवकों और युवतियों का है जो शायद ही उस समय को देख सके हैं और उस समय और इस समय का मिलान कर सकते हैं। इसलिये उनके लिये तो समझना कठिन है। इन 25 वर्षों के अन्दर कितना फर्क पड़ गया है।

अभी जो स्कूल का इतिहास पढ़कर बताया गया उससे यह मालूम हुआ कि इस स्कूल की स्थापना 1908 में हुई थी और उस काल का इतिहास आप समझें तो एक प्रकार से भारतवर्ष भर में आजकल की आधुनिक शिक्षा के विस्तार का इतिहास है। एक बहुत ही छोटे स्कूल के रूप में जिसमें चन्द विद्यार्थी थे इसका जन्म हुआ था और तब से आज तक आहिस्ता-आहिस्ता यह हर तरह से बढ़ता गया है और इसके लिये आवश्यकतानुसार अलग-अलग समय पर मकान भी बनते गये हैं और इस वक्त इसमें 700 या उससे भी अधिक विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं और अब यह अवस्था पहुँच गयी है कि लड़कियों की संख्या इतनी बढ़ गयी है कि अब सोचा जा रहा है कि लड़कों के स्कूल के साथ-साथ एक दूसरा स्कूल केवल लड़कियों के लिये यहां कायम कर दिया जाय।

मैंने कहा कि इन 50 वर्षों में सारे देश भर में शिक्षा की उन्नति इसी पैमाने पर हुई है। मुझे याद है कि 1908 के थोड़े ही दिन पहले मैं एम० ए० पास कर चुका था और उस समय जितने कालेज मेरे बिहार सूबे में थे वे गिनने में पाँच ग्रंगुलियों से अधिक नहीं थे, शायद तीन चार ही थे और आज उसी बिहार में 1, 2 नहीं, 5, 7 नहीं, 125 कालेज चल रहे

कुमठा में गिबन हाई स्कूल की स्वर्ण जयन्ती में भाग लेते समय भाषण;
मैसूर 8 नवम्बर, 1959।

हैं। यह एक बिहार की ही बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसी तरह से सारे देश भर में स्कूलों और कालेजों की संख्या बढ़ गयी है। उस समय जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी वह आज के बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, पूर्वी पाकिस्तान और बर्मा इस बड़े भू भाग में जितने कालेज और स्कूल थे सबका निरीक्षण करती थी और आज मैं समझता हूँ कि एक के बदले में 25, 30 यूनिवर्सिटियां कायम हो गयी हैं। तो इस तरह से सारे देश भर में शिक्षा की प्रगति बहुत हुई है और साक्षरता लोगों में दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। बहुत करके ये स्कूल और कालेज लोगों की मांग की वजह से खोलने पड़े हैं और जैसे-जैसे उनकी मांग बढ़ती गयी है वैसे-वैसे नये स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटियां बनती गयी हैं और बनती जा रही हैं। केवल संख्या में ही वृद्धि नहीं हुई है, शिक्षा के प्रचार और प्रकार में भी बहुत वृद्धि हुई है। अब कालेजों में कला के विषय ही नहीं पढ़ाये जा रहे हैं, अब सायन्स और टेक्नोलौजी के इन्स्टीट्यूशन्स कायम हो गये हैं और दिनों दिन कायम होते जा रहे हैं। इसी से हम एक अन्दाज लगा सकते हैं कि देश कितना आगे बढ़ गया है और अगर पिछले 12 वर्षों का हिसाब हम लगावें तो मैं समझता हूँ कि जबसे स्वतन्त्रता आयी है तब से आज तक कालेजों और यूनिवर्सिटियों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुयी है। मैं समझता हूँ कि पहले जितने स्कूल, स्कूल और यूनिवर्सिटियों की संख्या थी कम से कम उसकी दुगुनी या तिगुनी उनकी आज संख्या हो गयी है। तो इस प्रकार से अब देश में शिक्षा का काफी प्रचार हो रहा है और इसमें यह भी एक संतोष का विषय है कि इन संस्थाओं की स्थापना तथा संचालन में बहुत करके गैर-सरकारी लोगों ने भाग लिया है और उन्होंने ही उनकी स्थापना की है, उनको चलाया है और पीछे से गवर्नमेंट की भी सहायता उनको मिली है। जबसे हम स्वतन्त्र हुए हैं सहायता की मात्रा दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है।

मैं तो कभी कभी यह भी सोचता हूँ कि उस सहायता की मात्रा कम हो जाय तो अच्छा हो क्योंकि उसका बुरा परिणाम यह है कि उससे आत्म-निर्भरता कम होती है और सब चीजों के लिये सरकार का मुँह देखने की एक आदत पड़ गयी है और पड़ती जा रही है। तो भी जहां तक हो सके शिक्षा के प्रचार और प्रसार से लाभ ही होगा। हाँ इस बात की जरूरत जरूर है कि इस शिक्षा की रूह को बदलना चाहिये, इसकी दिशा बदलनी चाहिये और आज के समय के अनुसार, हमारे देश की परम्परा के अनुकूल

ऐसी पद्धति चलानी चाहिये जिससे उपयोगी, चरित्रवान, शरीर से काफी मजबूत और दिमाग से तेज होकर इन संस्थाओं से विद्यार्थी पास करते समय निकलें और ऐसे निकलें कि अपना भला तो करें ही, साथ-साथ देश का भी कल्याण करें। तो यह असंतोष की बात नहीं है। इसमें केवल इस प्रयास की जरूरत है कि किसी तरह से इस पद्धति को बदलने में उखाड़ पखाड़ नहीं होने पावे, विद्यार्थी इस तरह से तैयार हों कि दफ्तरों में नौकरी के लिये मुंह नहीं देखना पड़े बल्कि स्वावलम्बी हो जायें, चरित्र के अच्छे हों और सब तरह से देश का भला करते जायें।

12 वर्ष वर्ष हुए हम स्वतन्त्र हो गये और इन 12 वर्षों के भीतर देश के सामने बहुत मुसीबतें आयीं जिनको हम ने अच्छी तरह से झेला और जिनका हमने मुकाबला किया और उन मुसीबतों के होने पर भी इसमें कोई शक नहीं कि हम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट होगी शिकायतें तो होती रहेंगी और सभी लोग तो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। देखना यह है कि सब कुछ मिला जुलाकर पूरा हिसाब लगाकर जमा और खर्च का मिलान करके देखें तो अन्त में क्या नतीजा निकलता है। मेरा विश्वास है कि इस हिसाब का नतीजा अच्छा ही है, बुरा नहीं। तो भी हम कह सकते हैं कि इसको और बेहतर होना चाहिये, और अच्छा होना चाहिये और यह भी कह सकते हैं कि वह अच्छा हो सकता है।

यह भी हम मान सकते हैं कि सबसे बड़ी चीज जो हमारे सामने है वह यह है कि इतना बड़ा देश जो कई हिस्सों में पहले बंटा था पहले-पहल एक छत्र राज्य के मातहत आया है। न हिन्द राजाओं के समय में, न मुसलमान बादशाहों के वक्त में और न अंग्रेजी राज्य में इतना बड़ा भारत एक छत्र राज्य के अन्दर कभी था क्योंकि हमेशा उसके कई टुकड़े थे और एक-एक टुकड़े का आधिपत्य अलग-अलग लोगों के हाथ में था और यद्यपि कभी-कभी उनका एक दूसरे के साथ अच्छा सम्बन्ध हो जाता था मगर यह हम नहीं कह सकते कि आजकल के जैसे एक संसद, एक संविधान, एक गणतन्त्र के नीचे सारा देश कभी आया और यद्यपि भारतवर्ष के दो पंख पश्चिम और पूर्व में कटकर अलग हो गये हैं मगर तो भी जो भारतवर्ष बच गया है वह इतना बड़ा भारतवर्ष है जितना बड़ा आज तक इतिहास में कभी भी एक छत्र के नीचे नहीं आया था। जब हम इस चीज को ध्यान में रखते हैं तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो कमी रह गयी है उसको दूर करना है।

महात्मा गांधी जी ने कितनी दूरदर्शिता से, कितने समय से, कितने त्याग और तपस्या से काम किया था और तभी जो देश कभी एक नहीं था, अलग-अलग टुकड़ों में राज्य करता था वह आज एक सूत्र में बंधकर एक साथ है। अब हमारा यह काम है कि इस एकता को दिन-प्रति-दिन अधिक सुदृढ़ बनाते चलें और इसको इतना मजबूत कर दें कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों नहीं हो, कितना भी बड़ा तूफान क्यों नहीं आवे, यह चीज एक बनी रहे।

जब मैं उत्तर भारत के एक छोटे गांव का रहने वाला आज इस सारे भारतवर्ष का राष्ट्रपति बनकर दक्षिण के एक कोने में इस छोटे शहर में आया हूँ जहां इतनी बड़ी सभा में इतने लोग आकर जमा हुए हैं और मेरा इस देश का एक प्रतीक मानकर इतना सम्मान कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वह एकता एक जीवित जागृत रूप धारण करके विद्यमान है। मैं यही चाहता हूँ कि वह एकता और सुदृढ़ हो जिससे वह कभी टूटने नहीं पावे। अभी हमको इसे योगाना है। कोई भी नया वृक्ष लगाया जाता है तो कुछ दिनों तक उसको पालना जरूरी होता है। उसको जल से सींचना पड़ता है, हवा और धूप से बचाना पड़ता है और जब वह बड़ा हो जाता है तो इतना बड़ा होता है कि अपनी छाया के नीचे कितने ही लोगों को आराम पहुंचा सकता है। हमारे देश की एकता, हमारे देश की वृद्धि इसी प्रकार से एक नयी लगी टहनी है जिसको हमें पोषना लाजमी है और जिसको एक बड़े वृक्ष के रूप में बढ़ाना है। इसलिये प्रत्येक भारतवासी का यह धर्म है कि इस चीज को वह अपने हर काम में याद रखे और कभी नहीं भूले कि भारतवर्ष एक सुन्दर हार है जिसको एकता के सूत्र में मणियों को गूँथकर ईश्वर ने बनाया है। यह एकता का सूत्र जब तक कायम रहेगा तब तक यह सुन्दर हार संसार को सुगंधित करता रहेगा और यदि दुर्भाग्यवश जैसा अक्सर इतिहास में हुआ है यह सूत्र कहीं टूट गया तो अलग-अलग मणियां तो रहेंगी पर बिखर जायेंगी और उनकी वह शोभा नहीं रहेगी जो एक हार में रहेगी? इसलिये इस एकता को सुरक्षित रखना प्रत्येक भारतवासी का धर्म है। हमारे ऊपर आफतें आ सकती हैं। उन्हें हम अन्दर से पैदा कर सकते हैं और बाहर से भी आफतें आ सकती हैं। हमें दोनों प्रकार की आफतों से अपने को और देश को बचाना है और हम तो यह चाहते हैं कि सारा देश इस तरह से संगठित हो जाय कि किसी को भी हिम्मत न पड़े कि उसकी तरफ कोई बुरी निगाह से कभी भी देखें।

आप हिन्दुस्तान के एक हिस्से के रहने वाले हैं। मगर आप इसे कभी नहीं भूलें कि आप जो कुछ यहां करते हैं उसका असर दूसरे हिस्सों पर भी

पड़ता है और जो कुछ दूसरी जगहों पर होता है उसका भी प्रभाव आप पर पड़े बिना नहीं रह सकता। इसलिये कन्याकुमारी से हिमालय तक और पूर्व में समुद्र से पश्चिम में समुद्र तक इस सुन्दर भारतवर्ष को सुरक्षित रखना, हरेक प्रकार की मुसीबतों और आफतों से इसे बचाये रखना, इसको और भी उन्नत बनाना सभी भारतीयों का धर्म हो गया है। स्वराज्य प्राप्ति का काम पूरा हो गया। वृक्ष लग गया मगर उसका फल अभी नहीं पका है। फल लाने का काम हम सबका है।

यह आप नहीं समझे कि स्वराज्य प्राप्त करने का काम कठिन था। मैं मानता हूँ कि आज का काम उस वक्त के काम से कम कठिन नहीं है। आज भी वैसे ही त्याग और तपस्या की आवश्यकता है। आज के काम का रूप दूसरा है। तो अभी उस काम को भी करना है।

मुझे खुशी इस बात की है कि यद्यपि आप हर तरह से ईश्वर की बनायी हुई प्रकृति के बीच में रहते हुए अलग मालूम होते हैं मगर उसका यह भी फल है कि आपकी कला आपके यहां की सुन्दर दस्तकारी की चीजें, यहां के चन्दन की खुशबू सारे हिन्दुस्तान में पहुंचती है और सब लोग उससे लाभ उठाते हैं। तो आप अपना काम करते जायें और मुझे इसका पूरा भरोसा है कि आपकी जैसे भी जरूरत है, जितनी बातों का आपने ऐंड्रेस में जिक्र किया है उन सब बातों की ओर प्रान्तीय तथा भारत सरकार का ध्यान जायगा और जैसे जैसे सुभीता होगा वे मदद करने के लिये हमेशा तैयार रहेंगे।

आपने देख लिया कि मेरा गला अब जवाब दे रहा है। इसलिये मैं आप सब को धन्यवाद देता हूँ। आपने जो प्रेम दिखलाया और जो पुराना परिचय था उसका स्मरण दिलाया सब के लिये मैं आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।

हमारी आर्थिक व्यवस्था और गोवंश

गोसंवर्धन सप्ताह के अवसर पर अपने देशवासियों से कुछ कह सकने की मुझे खुशी है। केन्द्रीय गोसंवर्धन समिति ने, कुछ वर्षों हुए, यह सप्ताह मनाना शुरू किया था। देश के गो-धन की ओर, जो राष्ट्र की मूल्यवान संपत्ति है, लोगों का ध्यान दिलाने का यह एक साधन है। इन पशुओं से हम खेती बाड़ी नाज ढुलाई और कुवों से पानी खींचने का काम लेते हैं, और सब से बढ़कर, लोगों के पोषण के लिये हमें उन से दूध प्राप्त होता है? हमारे देश की खेती का सब से बड़ा आधार गाय और बैल हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर और व्यक्ति और समष्टि के आर्थिक जीवन में पशुओं के महत्वपूर्ण स्थान को देख कर हमारे पूर्वजों ने गोपाष्टमी का त्योहार आरम्भ किया था और पशुओं की देखरेख तथा उन्नति को धार्मिक कर्त्तव्य के समान माना था। लोगों के लिये इस उत्सव का व्यावहारिक महत्व होना चाहिये, इसलिये केन्द्रीय गोसंवर्धन समिति ने गोपाष्टमी के आर्थिक पहलू पर ठीक ही जोर दिया है।

हमारे देश में जितने पशु हैं, वे संसार के कुछ पशुओं का एक-चौथाई भाग हैं। पशुओं की देखरेख और सुधार के सम्बन्ध में कई समस्याएं हमारे सामने आती हैं: खेती की भूमि का छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजन होने के कारण और बुवाई मौसमी होने के कारण डंगर-डोर खेती के बचे-खुचे घास पर और बंजर तथा गांव के शामलात चरागाह पर ही अक्सर गुजर करते हैं। ऐसे पशु थोड़े ही हैं जिन्हें घर में रख कर खिलाया जाता हो और उन में अधिकतर दुधारू गौवें और काम में आने वाले बैल ही हैं।

चारे की कमी के कारण डंगरों में काम की शक्ति भी सीमित रहती है। डंगरों के लिये चारे की सुविधा में हमें सुधार करना चाहिये और ऐसा करने से ही हम उनकी उपादेयता काफी बढ़ा सकते हैं।

राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था का विकास हो रहा है। इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम पशुओं को अधिक से अधिक उपयोगी बनावें जिस से कि आर्थिक दृष्टि से वे मालिक पर भार न बनकर लाभ के साधन बने रहें। इसलिये गोवंश सुधार के काय क्रम को हमें व्यावहारिक रखना है और यह हम नस्ल सुधार, व्यवस्था में सुधार, चारे के साधनों की उन्नति और दूसरे साधनों

आठवें गोसंवर्धन सप्ताह के अवसर पर संदेश; 8 नवम्बर, 1959

के अच्छे से अच्छे उपयोग द्वारा ही कर सकते हैं। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में ठीक ही गो-धन के विकास पर और डेयरी उद्योग पर जोर दिया गया है।

इस महान कार्य में प्रत्येक पशु-पालक और मालिक हिस्सेदार है और उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिये। भावुकता के साथ तर्क का मेल बैठकर हम इस उद्देश्य को ही प्राप्त नहीं कर सकेंगे बल्कि गोसंवर्धन के त्यौहार को भी अधिक व्यापक और उपयोगी बना सकेंगे। इसलिये मैं अपने सभी देशवासियों से अपील करता हूँ कि वे केन्द्रीय गोसंवर्धन समिति और विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा तैयार किये गये गोवंश-सुधार के कार्यक्रमों में सक्रिय हिस्सा लें।

जय हिन्द

संस्कृत विद्यापीठ की हीरक जयन्ती

पूज्य ब्राह्मणगण, देवियो और सज्जनो,

मुझे यह बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इस तीर्थस्थान में आ सका और इसका दर्शन कर सका। दो वर्ष पहले यहां आने का विचार था पर धार-वाड, हुबली तक आकर भी अस्वस्थ हो जाने के कारण मैं यहां नहीं आ सका। इच्छा पहले से थी पर वह संकल्प अधूरा हो गया। आज श्री महा-वालेश्वर की कृपा हुयी तो मैं यहां आ सका और आप सब के दर्शन कर सका।

जैसा अभी मालूम हुआ यह वेदपाठियों का तीर्थस्थान है और इसका थोड़ा-बहुत परिचय भी इस समय मिल गया। जब मैं पहले-पहल आपके इस नगर के निवासी श्री देवरात जी से मिला और जैसे-जैसे उनसे परिचय बढ़ता गया, उनकी प्रकांड विद्या का अन्दाज मुझे मिलता गया और इस वक्त श्री दिवाकर जी भी यहां मौजूद हैं, और लोगों ने भी मिलकर यह मोचा कि जो कृतियां उनकी हैं, जो कृतियां उनके गुरुजी की हैं उन सब को जहां तक हो सके लिपिबद्ध करके मुद्रित करा दिया जाय तो वह एक ऐसा सुन्दर वैदिक साहित्य हो जायेगा जिसको केवल इस देश के विद्वान ही नहीं, अन्य देशों में भी सराहेंगे और उसको प्रतिष्ठा देंगे।

यह बात ठीक है कि संस्कृत विद्या की ओर से लोगों की रुचि बहुत कम हो गयी थी लेकिन यह हर्ष का विषय है कि फिर से संस्कृत की ओर लोगों का रुचि गयी है और लोगों ने इस बात को समझा है कि हमारी संस्कृति, प्राचीन जीवन को जिन्दा रखना है और समाज को सच्ची विद्या प्राप्त करानी है तो यह काम संस्कृत के अभ्यास के बिना नहीं हो सकता है। इसी ख्याल से गवर्नमेंट ने संस्कृत के अध्ययन की ओर, अध्यापन की ओर प्रोत्साहन देने के लिये एक आयोग नियुक्त किया जिसने अपना मन्तव्य दिया है और उसी के अनुसार काम होगा। आशा है उससे संस्कृत के अध्ययन में प्रोत्साहन मिलेगा और दिन-प्रतिदिन संस्कृत विद्या की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और संस्कृत के प्रचार के लिये यथोचित प्रबन्ध किया जायगा। इससे आशा होती है कि कुछ दिनों में संस्कृत विद्या की उन्नति होगी और लोग सोचने लगेंगे कि जो उसका पहले

श्री मेघादक्षिणमूर्ति संस्कृत विद्यापीठ की हीरक जयन्ती के अवसर पर भाषण;
गोकर्ण, 9 नवम्बर, 1959

महत्त्व था वह फिर स प्राप्त हो गया। आपके यहां जो आज तक पहले से ही संस्कृत विद्यालय यहां होने के कारण और वेदाभ्यास होने के कारण आप लोगों में संस्कृत की ओर रुचि है आप इस विद्या को और आगे बढ़ायेंगे जिसमें और लोगों को संस्कृत से परिचय हो तो देश का कल्याण होगा।

आजकल संसार में दो प्रकार की प्रगति हुयी है। नये युग में विज्ञान का महान स्थान है और विज्ञान ऐसी चीज है जिसको लेकर आज जो पहले हम लोग शास्त्रों में रूपक के रूप में पढ़ा और सुना करते थे वह प्रत्यक्ष हो रहा है। चन्द्रलोक के सम्बन्ध में हम लोग जाना करते थे कि वहां पितृ लोग बसते हैं और चन्द्रलोक के सम्बन्ध में शास्त्रों में और बहुत कुछ वर्णन है। लेकिन आज चन्द्रलोक तक यहां से भेजा हुआ शस्त्र पहुंच गया है और चन्द्रलोक में जाकर गिरा है। जो चन्द्रमा हम रात में देखते हैं वहां वह अस्त्र जाकर गिरा है और वहां का चित्र लेकर यहां भेजा है। तो सायन्स की प्रगति, विज्ञान की प्रगति इतनी हुयी है। जैसे हम लोग पहले पढ़ा करते थे कि लोग उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे और पुष्पक विमान का जिक्र हमारी रामायण में आता है। अब हम लोग विमान में उड़ा करते हैं और आज विमान एक साधारण वस्तु हो गया है। मगर इसके अलावा और भी अस्त्र-शस्त्र बने हैं जो एक जगह से हजारों मील की दूरी तक भेजे जा सकते हैं। जहां इस विद्या का संसार के कल्याण के लिये उपयोग हो सकता है। वहां उसके संहार के लिये भी हो सकता है और अब होने लगा है। मालूम नहीं हमारे यहां के लोग कहां तक इस विद्या में पहुंचे हुए थे। मगर मैं समझता हूँ कि इस विद्या से मानव का सच्चा कल्याण हो सकता है और उस सच्चे कल्याण के लिये बाह्य चीजों की आवश्यकता नहीं, किसी यन्त्र की जरूरत नहीं। यहां के लोग अपनी तपस्या से मुश्किल से मुश्किल और बड़े से बड़े काम कर सकते थे। दुनियां आज इस चीज को नहीं पकड़ पाती है। लेकिन अगर हम उसको बतायेंगे तो वह उसको मिलेगी। मगर हमारी तरफ से भी उसकी ओर ध्यान कम हो गया है। इसके लिये जैसा जीवन चाहिये वह कम है। अब तक हमारे लिये वह पुस्तकों की चीजें रही हैं और इसको थोड़े महात्मा लोग जानते थे। इसका प्रचार करके, इसका प्रसार करके इस विद्या को कल्याणकारी विद्या बनानी चाहिये। इस विद्या की संसार को जरूरत है और इस चीज को हमारे देश के लोग दे सकते हैं और उसको देने का उपाय यही है कि हमारी प्राचीन सभ्यता, गौरव, हमारी प्राचीन संस्कृति इन सब का अच्छी तरह से अध्ययन

किया जाय और अध्ययन केवल एक निरर्थक तरीके से नहीं करके सार्थक तरीके से अध्ययन करके और उसके मर्म को जानकर संसार के सामने रखा जाय तो मेरा ख्याल है कि संसार उसको स्वीकार करेगा। क्योंकि वह भी इस संहारक विद्या से बचना चाहती है लेकिन इसमें शक नहीं कि इसको कल्याणकारी काम में लगाने की ओर उसका ध्यान नहीं गया है। यह ध्यान दिलाने का काम आप लोगों का है क्योंकि आपने युग युगान्तर से इसका अभ्यास किया है और आज भी कर रहे हैं। तो हमारे संस्कार में इस तरह का अभ्यास वर्तमान है और उसे हमें जागृत करना है और जागृत करके सब के सामने हमें रखना है। यह हमारे यहां के ब्राह्मणों, विद्वानों, ऋषियों और महात्माओं का काम है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप इस तीर्थस्थान को और इसकी जो अपनी आज तक परम्परा रही है सबको सुरक्षित रखें। मैं जहां कहीं जाता हूं अपना सौभाग्य मानता हूं कि ऐसे तीर्थस्थानों में जाकर दर्शन करूं। आपको धन्यवाद है।

भारत का सांस्कृतिक विकास

मित्रो,

मैंने जो कुछ इस योजना के सम्बन्ध में सुना उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुयी। भारतीय संस्कृति का विषय बहुत ही अच्छा है और उसके प्रति सभी लोगों की सहानुभूति एक प्रकार से आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है क्योंकि हमारे देश के अन्दर जैसा अभी आपने कहा अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, अनेक प्रकार के धर्म प्रचलित हैं, रहन-सहन, तौर-तरीके भी भिन्न प्रकार के हैं। यह हमारी महानता का सूचक है कि हम ने आरम्भ से ही इतनी स्वच्छन्दता और स्वतन्त्रता लोगों को दी है कि वे अपने स्थान, अपनी परिस्थिति के अनुसार, जैसा उन्होंने मुनासिब समझा है जीवन के स्रोत को बना लिया और सब को भारतीय संस्कृति में सम्मिलित समझा गया, उसका अंश समझा गया। इसलिये इन विभिन्नताओं के नीचे एक प्रकार की एकता है जिससे देश पर अनेक प्रकार के बाहर या भीतर से उठे हुए आक्रमणों का मुकाबला करने की शक्ति आयी। आक्रमण हुए, दूसरा राज्य हुआ, यहां पर राज्य हुए और गये, उनका कोई भी धर्म रहा हो, उनकी कोई भी नीति रही हो मगर हमारी भारतीय संस्कृति अपनी जगह पर अमर रही, वह चलती रही। उसमें भेद आया, अन्तर आया, जैसा-जैसा समय आया और आवश्यकता हुयी, उसमें कुछ अन्तर आया और समयानुकूल, परिस्थिति के अनुकूल वह अपने को ढालती गयी मगर एकता ऐसी रही जो आज तक कायम है। ऐसे मामलों में आघात होने वाले भी हों तो वे बाहर से नहीं आते। बाहर का आघात हमारी संस्कृति पर नहीं पड़ा, और देशों पर पड़ा हो। हमारी संस्कृति अछूती रही यह भी हम नहीं कह सकते। जितने विदेश से लोग इस देश में आये उनकी सब चीजों को हमारी संस्कृति ने मान भी लिया मगर वे जबर्दस्ती लायी नहीं गयीं। अगर अपने अन्दर से कोई ऐसी चीज निकली जो हमारी संस्कृति को नष्ट कर सकती थी तो उसका उपाय अन्दर से निकला। तो यह जरूरी है कि इस संस्कृति की क्या महानता है, इस संस्कृति की जड़ में कौन-सी ऐसी चीज है जिसने इतनी उसे दृढ़ता दी है, क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से इतनी विपत्तियों का मुकाबला उसने कर पाया है और क्या ऐसी चीज है जिसके भरोसे पर वह आगे चल सकती है यह

भारतीय संस्कृति कोश मंडल के अधिकारियों के सम्मुख भाषण; पूना, 10 नवम्बर, 1959

जानना सब के लिये जरूरी है और ऐसे मामलों में जितना ज्ञान लोगों को दिया जाय वह अच्छा है।

मुझे इस बात की खुशी है कि आपने इस काम को बड़े पैमाने पर आरम्भ किया है और इसमें सब दृष्टि से जहां जितना विकास नजर आता हो उसका समावेश करने का निश्चय किया है। इसमें कोई शक नहीं कि यह सब के लिये लाभदायक है और मुझे आशा भी है कि इसको आप पूरा करेंगे क्योंकि इतना काम आपने पूरा कर लिया है। मुझे भरोसा होता है कि जो बाकी काम है उसको आप पूरा कर देंगे और जब पुस्तक तैयार हो जायेगी जो अपनी ओर से नयी चीजें आयेगी उनको आप जोड़ते जायेंगे। जब तक सब चीजें जुड़ें नहीं तब तक के लिये इत्तको रोकना ठीक नहीं है। जितना जल्द हो, जितनी सामग्री प्राप्त हो जाय, उसी सामग्री से तैयार कर लेना ठीक होगा। उसके बाद और सामग्री मिलेगी तो उसको भी आप जोड़ देंगे। मुझे इसमें शक नहीं कि इस काम को आप पूरा कर लेंगे।

मैं जानता हूँ कि यहां पूना में एक प्रकार से एक परम्परा हो गयी है कि लोग बड़े काम संतोष के साथ थोड़े में कर लेने के अभ्यासी हो गये हैं और हमारे पुराने ग्रन्थों के प्रकाशन में और नये-नये ग्रन्थों को निकालने में यहां बहुत काम हुआ है और जहां-तहां और भी कई जगहों पर काम हो रहा है। सबसे बड़ी चीज यही है कि ऐसे काम में खर्च बहुत कम हो रहा है। इस प्रकार का काम अगर दूसरी जगह किया जाय तो मेरा ख्याल है कि उसमें ज्यादा खर्च होगा। आज भी जो हो रहा है उसमें ज्यादा खर्च हो रहा है।

अभी मैंने आपके बजट पर थोड़ा दृष्टिपात किया तो पता लगा कि कितने कम खर्च में आप काम कर रहे हैं। मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि आपको पैसे की वजह से इस काम को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसे आते जायेंगे। अगर पैसे नहीं भी आयें तो भी आपको इस काम को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सब काम करते जायें। आपको मेरी सहानुभूति प्राप्त तो है ही। अगर मुझ से कुछ सेवा हो जाय तो वह भी देने में मैं अपना सौभाग्य मानूंगा।

पंजाब के महान् नेता--ला० लाजपतराय

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि लाला लाजपतराय के जन्मस्थान, धूदिके गांव में उनके स्मारक के निर्माण का आयोजन किया गया है। स्मारक की नींव रखने के लिये यहां आने और आप सब लोगों से मिल सकने के लिये मैं स्मारक समिति का आभारी हूं।

लाला लाजपतराय उन महापुरुषों में से थे जो अपनी जन्मजात योग्यता और दूसरों के दुःख-दर्द को बंटाने की भावना के कारण जीवन के किसी भी पहलू में नेता हुए बिना नहीं रह सकते। अपने सार्वजनिक जीवन में, शिक्षा के क्षेत्र में, लिखने-पढ़ने और पत्रकारिता के क्षेत्र में और वाणिज्य-व्यापार तक में उन्होंने जो कुछ किया उसके कारण वे आगे आये और उनकी गिनती चोटी के लोगों में होने लगी। उनके जीवन चरित्र पर नजर डालने से यह बात साफ सामने आती है कि लाला लाजपतराय में ऐसे गुण थे और अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने ऐसी योग्यता प्राप्त कर ली थी कि जो भी काम वे हाथ में लेते थे उसमें तन-मन से जुट जाते थे और इसीलिये सब जगह हमेशा नेताओं की पंक्ति में दिखाई देते थे। इस प्रान्त में, जहां उनका जन्म हुआ, लोग उन्हें पंजाब केसरी या शेर-ए-पंजाब ठीक ही कहते थे। अपने स्वाभाविक साहस और निर्भीकता के कारण यह उपाधि उन पर पूरी तरह चरितार्थ होती थी।

गांधी जी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई शुरू होने के कई साल पहले लाला लाजपतराय राजनीतिक मैदान में आ चुके थे। सारी उम्र उन्होंने भारत में ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। पहले वे उग्रवादी थे और बाद में गांधी जी और कांग्रेस के विचारों से प्रभावित हो असहयोग आन्दोलन के पक्षपाती हो गये। यह भी संयोग की बात है कि कांग्रेस के उस अधिवेशन के सभापति ला० लाजपतराय थे जिसमें असहयोग को अपनाते के पक्ष में पहला प्रस्ताव पास हुआ। उनके राजनीतिक दृष्टिकोण में समय-समय पर थोड़ी बहुत बदला-बदली चाहे हुई हो पर स्वराज्य के पक्ष में और अंग्रेज-विरोधी विचारों की कट्टरता में वे सदा अडिग और दृढ़ रहे। इसके कारण उन्हें जेल में ही रहना नहीं पड़ा बल्कि देश-निकाला भी सहन करना पड़ा। ये सभी यातनाएं और सज़ाएं उन्होंने हूँसी-खुशी झेलीं। अन्त में, उनकी मृत्यु भी इसी संघर्ष के फलस्वरूप पुलिस के प्रहारों के कारण हुई। जैसा कर्मण्य

लाला लाजपतराय स्मारक के शिलान्यास के समय भाषण; ग्राम : धूदिके (पंजाब), 17 नवम्बर, 1959

और उत्साहदायक उनका जीवन था, वैसी प्रेरणा देने वाली ही उनकी वीरगति हुई ।

आज, जब उनके जन्मस्थान में हम उनकी बरसी मना रहे हैं और उनके स्मारक की नींव रखने जा रहे हैं, हमें उस महान नेता के उन गुणों की याद आती है जिनकी हम आज के समाज में बहुत जरूरत महसूस करते हैं। कैसी ही जटिल परिस्थितियां हों और कितनी ही कठिनाइयां हों, लाला लाजपतराय उनके सामने झुकने और निरुत्साहित होने की बजाय मुश्किलों के सामने और अधिक दृढ़ और मजबूत होना जानते थे। इसका प्रमुख कारण जहां एक तरफ अपने आदर्शों में उनकी आस्था थी वहां उनका अपना आत्म-विश्वास भी था। जब उन्हें यह यकीन होता था कि वे ठीक रास्ते पर हैं, उन्हें विरोध की कभी चिन्ता नहीं होती थी। किन्तु, स्वयं स्वतन्त्र विचारों के व्यक्ति होते हुए दूसरों के विचार-स्वातंत्र्य में भी उन्हें उतना ही विश्वास था। इसलिये जहां कहीं और जब कभी भी किसी से उनका मत-भेद हुआ उसके कारण पारस्परिक संबंधों पर उन्होंने कभी बुरा प्रभाव नहीं पड़ने दिया। अपने समय के प्रमुख राष्ट्रीय नेता होते हुए एक-दो बार दूसरे नेताओं से उनका मत-भेद हुआ, मगर उसके कारण जहाँ तक मैं जानता हूं, उनमें न कभी कटुता आयी और न कभी उन्होंने अपने विरोधियों को गलत समझा। उनके विरोध में भी उदारता की झलक रहती थी। यह ऐसा गुण है जिसे राज-नीति में, विशेषकर एक जनतन्त्र में, आधारभूत गुण कहा जा सकता है।

लाला लाजपतराय की दूसरी विशेषता यह थी कि देश में रहते हुए और विदेश में अपने प्रवास के दिनों में भी उन्होंने राष्ट्र के हित को सबसे ऊपर माना और कोई ऐसा काम करने के लिये वे कभी तैयार नहीं हुए जिससे देश के हित को किसी प्रकार आंच आने का डर हो। वे एक प्रतिभाशाली लेखक और वक्ता थे। किन्तु तीव्र से तीव्र वाद-विवाद और गरमागरम बहस-मुबाहसे में भी हिन्दुस्तान की भलाई को वे कभी नहीं भूले। वास्तव में राष्ट्रहित ही उनकी सब कौशिशों, कार्यवाहियों, मकसदों और सार्वजनिक हलचलों का एकमात्र आधार था।

लाला लाजपतराय के काम का ब्यौरा लोक सेवक मंडलियां सर्वेड्स ऑफ पीपल सोसायटी का जिक्र किये बिना अधूरा रहेगा। राजनीतिक और सामाजिक कार्य के लिए वे सच्चे और त्यागी कार्यकर्ता तैयार करना चाहते थे। वे जानते थे कि इसके लिए अच्छे प्रशिक्षण और ट्रेनिंग की जरूरत है।

उन्होंने तिकल स्कूल ऑफ पालिटिक्स और लोक सेवक मंडल की इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये स्थापना की । उनकी दूरदर्शिता का इससे बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है कि स्वाधीनता के बाद उसी मंडल के सदस्यों ने विभिन्न राज्यों में और केन्द्र ने जिम्मेदारी के अनेक पदों पर काम किया है और अब भी कर रहे हैं । लाला लाजपतराय का गुरुमंत्र आज तक उन्हें उत्साहित और प्रेरित करने में समर्थ रहा है । सम्भवतः इस संस्था की स्थापना लालाजी ने लोकमान्य तिलक और श्री गोखले की कार्यशैली तथा विचारधारा से प्रभावित होकर की थी ।

आज इस बात की जरूरत है कि हम सब लाला लाजपतराय के जीवन से सबक लें । उनके साहस उत्साह और निर्भीकता से प्रेरणा लें और उनके गुणों को अपनाने की कोशिश करें । हमारे देश के लोगों को, खासकर सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं को, आज उन गुणों को ग्रहण करने और देश हित को सब से ऊंचा समझने की बहुत जरूरत है । देश के और भागों की तरह पंजाब के लोगों पर भी यह बात लागू होती है । आप सब को इस बात पर गर्व है कि लाला लाजपतराय ने आपके प्रान्त में जन्म लिया और आप ही के सम्पर्क में वे अधिक आये । इसलिये मैं समझता हूँ कि आपके ऊपर यह जिम्मेदारी खास तौर से आती है कि आप उनकी जीवनी को ध्यान से समझें और पढ़ें और उससे जो भी सबक ले सकें लेने का यत्न करें ।

आजादी के बाद इन बारह सालों में हमारा देश बहुत आगे बढ़ा है । राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रम का शायद ही कोई पहलू ऐसा हो जिसमें हमने अच्छी तरफकी न की हो और योजना के अनुसार हम आगे न बढ़े हों । लेकिन यह सब होते हुए भी, यह मानना ही पड़ेगा कि समाज के कुछ भागों में असंतोष की भावना देखने में आ रही है । लोग अविश्वास का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं । यह स्वाभाविक है कि ऐसी हालत में आपसी मन-मुटाव और ईर्ष्या-द्वेष की शक्तियों को बल मिले । यदि हम चाहते हैं कि देश-निर्माण का जो भी कार्य अभी तक हुआ है और अपने कुछ साधनों को जुटाकर हम जो आगे करना चाहते हैं उससे सब देश-वासियों को पूरा लाभ पहुंचे, तो हमें इस मन-मुटाव और आपसी द्वेष से छुटकारा पाना होगा । अब समय आ गया है कि हम व्यक्तिगत हित और राष्ट्र के हित में भेद करना सीखें । जो आदमी निजी हित को सब कुछ समझता है वह वास्तव में भूल में है क्योंकि राष्ट्र के हित में ही सब का सच्चा व्यक्तिगत हित छिपा है । इसलिये मैं समझता हूँ कि राष्ट्र हित को ही व्यक्तिगत हित मानना त्याग का

सूचक नहीं बल्कि असल में समझदारी और व्यक्तिगत सहज बुद्धि का परिचायक है। सब लोग मिल-जुलकर रहें और आपसी सहयोग से देश को उन्नत करें, इसी में प्रत्येक नागरिक का हित है।

पंजाब के लोग अपनी व्यवहार-बुद्धि, शारीरिक बल और कर्मठता के लिए मशहूर हैं। पंजाब के खुशहाल गांव और देहातों में लहलहाते खेत यहां के किसानों की कर्मठता का जीता-जागता सबूत हैं। मैं इस प्रान्त के किसान भाइयों और दूसरे लोगों से यह अपील करूंगा कि वे इस शुभ अवसर पर, जो लाला लाजपतराय की बरसी है, और जब हम उनकी पुण्य स्मृति में एक स्मारक की नींव रखने जा रहे हैं, इस बात का संकल्प करें कि आपसी मन-मुटाव और मत भेदों को छोड़ समाज अथवा देश के हित को सब का हित मान उसके लिए वे जी जान से कोशिश करेंगे। सैकड़ों वर्षों से देश भर के लोगों को आप पर गर्व रहा है ? यही नहीं, विदेशी सरकार को भी आपकी लड़ने की और खेती करने की शक्ति पर गर्व था। इसलिये मैं आशा करता हूं कि आज का दिन आप के लिये इस नये संकल्प का दिन होगा।

यदि आप सब लोग जो यहां मौजूद हैं और दूसरे भाई बहिन जिन तक मेरे शब्द पहुंचे ऐसा कर सकें तो यह स्मारक जिसकी मैं आज नींव रख रहा हूं केवल ईंट-पत्थर का स्मारक नहीं रहेगा बल्कि एक जीवनदायिनी शक्ति का स्रोत बन सकेगा। स्मारक बनाने की आपने जो योजना तैयार की है वह सराहनीय है। आपने इस देहात में रहने वाले लोगों की व्यावहारिक जरूरतों का पूरा खयाल रखा है। उनके लिये स्कूल, वाचनालय, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र आदि को इसमें स्थान दिया है। मेरा विश्वास है कि लाला लाजपतराय जैसे कर्मठ और व्यवहारशील नेता की यादगार बनाये रखने और उनकी स्मृति से सत्प्रेरणा प्रदान करने का यह केन्द्र अच्छा साधन बन सकेगा।

आप लोगों ने कठिनाइयों से कभी हार नहीं मानी है। यही कारण है कि विभाजन जैसी भीषण विपत्ति के समय भी आप लोगों ने धैर्य नहीं छोड़ा और उसके बाद असीम क्षति सहकर भी फिर से पंजाब को हरा-भरा कर दिया है। इसके लिये मैं आप सब को हार्दिक बधाई देता हूं और सब के लिये मंगल कामना करता हूं। आप लोगों को भगवान ने ऐसी क्षमता प्रदान की है कि यहां के किसान खेती के नाम में हिन्दुस्तान भर के किसानों के लिये मिसाल कायम कर सकते हैं और अक्सर करते रहे हैं।

मैंने आप से जो कुछ कहा उसका आधार आपके प्रति मेरा सद्भाव और आपके गुणों के लिये मेरी सराहना ही हो सकती है। आप लोग फलें-फूलें, फिर से पंजाब को देश भर का धान्यागार बना सकें और अपने प्रान्त की तथा स्वतन्त्र भारत की सम्पन्नता के लिये फिर से सामूहिक रूप से प्रयत्नशील हों—यही मेरी कामना है। मेरा विश्वास है कि ऐसा करने से ही हम लोग लाला लाजपतराय के उस ऋण से उन्मूढ हो सकते हैं जिसे चुकाना उनकी कुर्बानियों और नेतृत्व के बदले सारे देश की, और खास तौर से पंजाब के लोगों की, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है।

मुझे इस बात का अफसोस है कि इस शुभ अवसर पर कुछ ऐसे भाई जिनका सम्पर्क लालाजी के साथ था यहां उपस्थित नहीं हो पाए जिनमें हमारे भाई श्री पुरुषोत्तमदास टंडन और लाल बहादुर शास्त्री हैं जो अस्वस्थ होने के कारण यहां हाजिर नहीं हो पाये हैं। मैं जानता हूँ कि उनको बहुत खुशी होती अगर वह यहां उपस्थित होते।

साथ ही मैं आप सब की ओर से उन दान दाताओं का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने स्मारक के लिए दान दिया है और उस फिजा को देखकर मुझे खुशी हुई कि लोग केवल वादा करने के लिए ही नहीं आये बल्कि अपने साथ में रुपये की शकल में, नोट की शकल में, चैक की शकल में कुछ लेकर आये। तुरत दान महाकल्याण। वादा करने से तुरत दान देना अधिक कल्याणकारी होता है। आपने इस कल्याणकारी काम को अच्छी तरह से उदारतापूर्वक किया है। इसलिए मैं आप सब को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि अगर और भी किसी बात की कमी-घटी रही गयी तो उसको पूरा करने में आपकी मदद मिलेगी।

मैं आप सबको फिर एक बार जो कुछ आपने मेरा सम्मान किया, मेरे प्रति आपने प्रेम दिखलाया उस सब के लिए धन्यवाद देता हूँ।

भाखरा डैम पर काम करने वाले सैनिकों से

सेना के अफसरों तथा नवजवानों,

मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप लोग भाखरा डैम के इस काम में आकर शरीक हुए हैं। थोड़ा नुकसान पहुंच गया था उसकी मरम्मत करने में और उसको पूरा कर देने में आप लोगों की काफी सहायता हो रही है। यह बड़ी खुशी की बात है। यों तो आप लोग बराबर किसी न किसी जगह काम में लगे ही रहते हैं। मगर इस तरह के काम में जहां आपकी खिदमत की जरूरत होती है आप लोग खुशी से जुट जाते हैं और तेजी से उस काम का अंजाम हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को मुबारकवाद देना चाहता हूं कि आपने यहां आकर इस काम को किया। मुझे यह सुनने में आया है कि आप लोग करीब करीब 24 घंटे काम करते हैं और जो काम आप कर रहे हैं उस काम को अगर दूसरों की मारफत कराया जाता तो शायद उसमें बहुत ज्यादा वक्त भी लगता और खर्च भी होता और इस तरह के जो लोग काम को जाननेवाले हैं उनको इकट्ठे करना भी आसान काम नहीं है। इसलिए आपने इस काम को सम्भाला यह खुशी की बात है।

भाखरा का काम सारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा रौशन काम हो रहा है। वह ऐसा काम है जिसको देखकर सिर्फ इसी देश के लोग अचम्भित नहीं होते बल्कि बाहर के जो लोग आते हैं वे भी अचम्भित होते हैं और वे कहते हैं कि हम हिन्दुस्तान के लोग बड़े से बड़े काम को भी हाथ में लें तो उसको चला सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। इसी वजह से भाखरा नांगल का नाम हिन्दुस्तान में ही नहीं, हिन्दुस्तान के बाहर भी दूर-दूर तक लिया जाता है। आपको यह जानने का मौका होता होगा। हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों से या बाहर से बहुतेरे लोग यहां आते हैं, इसे देखकर जाते हैं और कहते हैं कि यह कितना अच्छा और बड़ा काम हो रहा है और इससे कितने करोड़ आदमियों को लाभ पहुंचनेवाला है।

इस प्रकार के काम में जिस किसी को हिस्सा लेने का मौका मिले उसको अपनी खुशकिस्मती समझनी चाहिए कि उसकी मारफत एक ऐसा काम हो रहा है जिससे करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचनेवाला है। मैं आप सब को बधाई देना चाहता हूं।

भाखरा डैम के काम में लगे हुए सैनिकों के बीच भाषण; नांगल, 18 नवम्बर, 1959,

मुझे खुशी है कि चन्द मिनटों के लिए ही सही मैं आप सब से मिल सका और जो काम हो रहा है उसको देख सका। दूसरे लोग जो काम में लगे हुए हैं उनकी तायदाद बहुत ज्यादा है और वे लोग बहुत ज्यादा देर से इस काम को कर रहे हैं। जो कुछ उन्होंने किया है वह सब आपके सामने है। वे भी बधाई के पात्र हैं कि इतने बड़े काम को वे करीब-करीब पूरा कर पाये हैं और जो बाकी है वह जल्द पूरा हो जाएगा और जो थोड़ा बहुत लाभ होना शुरू हो गया है वह ज्यादा होने लगे तो लोग बहुत खुश होंगे मैं आपको फिर बधाई देता हूँ।

कस्तूरबा ग्रामीण संस्था, राजपुरा में

श्रीमती बहन रामेश्वरी नेहरू, बहन अमतुस्सलाम, राजा साहिब, भाई वृषभान, वहनो, और भाइयो !

मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि आज सवेरे-सवेरे मैं आपके यहां पहुंच सका और जो कुछ आप यहां कर रहे हैं उसको मैं थोड़ा-बहुत देख सका ।

मुझे याद है कई वर्ष पहले मैं जब एक बार यहां आया था तो उस वक्त काम इतना नहीं बढ़ा हुआ था और विभिन्न विभाग जो आज काम कर रहे हैं या तो कायम नहीं हुए थे या अभी-अभी काम शुरू ही कर रहे थे । इसलिए इन चन्द वर्षों में जो तरक्की यहां की सब संस्थाओं ने की है वह देखकर मुझे स्वभावतः बड़ी खुशी होती है ।

मैं मानता हूं कि इस प्रकार की संस्थाएं अगर हिन्दुस्तान के गांवों में कायम हो जाएं तो उन संस्थाओं द्वारा वहां के लड़के-लड़कियों को पुरुष और स्त्रियों को सभी की केवल शिक्षा ही नहीं हो सकेगी बल्कि साथ-साथ ऐस काम-धंधे भी ठीक रखेंगे जो अपने घर के और काम-धंधों के साथ-साथ वे कर सकें और जिसके जरिए से वे थोड़ी आमदनी बढ़ा सकें ।

मैंने यहां की इंस्टीट्यूट के कई विभागों को देखा और जो रचनात्मक काम कई प्रकार के किए जा रहे हैं उनका निरीक्षण किया । मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से सूत और कपड़े का काम हो रहा है, उन का काम हो रहा है, कागज बनाने का काम, कपड़े छानने का काम और साथ-साथ मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कितनी खूबी के साथ किया जा रहा है । इस बात से मुझे और भी खुशी हुई कि यहां हम सब को जो नाश्ता आपने कराया उसमें सब चीजें यहां की बच्चियों की बनाई हुई थीं और यही नहीं कि खाने की चीजें उनकी बनाई हुई थीं बल्कि जिन बर्तनों में हमें खाने को दिया गया वे भी उन्हीं की बनाई चीजें हैं । यह हमारे गांव के स्वावलम्बी होने का एक नमूना है । अगर अपने गांव के अन्दर अपनी जरूरत की सभी चीजें जहां तक हो सके हम मुहैया कर सकें तो इस देश पर किसी प्रकार की विपत्ति या आपत्ति नहीं आ सकती है । हो सकता है बाहर

कस्तूरबा ग्रामीण संस्था के पुरातत्व संग्रहालय विभाग के भवन का शिलान्यास करते समय भाषण; राजपुरा, 19 नवम्बर, 1959

से विदेश की कुछ ऐसी चीजें जिनको हम काम में लाने लग गये हैं और जिनकी जरूरत हमें महसूस करने लग गये हैं हमें नहीं मिले। मगर वे चीजें ऐसी नहीं हैं जिनके बिना हम जिन्दा नहीं रहे। वे ऐसी चीजें हैं जो कुछ दिनों तक हमें नहीं भी मिलें तो हमारा काम चल सकता है। उसका सब से बड़ा सबूत यही है कि ये सब चीजें चन्द वर्षों के अन्दर हिन्दुस्तान में आई हैं। पर हिन्दुस्तान के लोग न मालूम कितने हजार वर्षों से जिन्दा रहते आये हैं। इसलिए इन सब चीजों के बगैर हमारे लिये आराम से जिन्दगी बिताना मुमकिन है गरचे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम खोजेंगे। मिसाल के तौर पर यहां एक छोटी-सी मशीन रखी हुई है। मुझे याद है कि आज से चन्द वर्ष पहले मैं हिन्दुस्तान के कोने-कोने में दौरा करके हजारों-हजार की सभाओं में जहां लाउड स्पीकर नहीं मिलता था और उन सभाओं में भी मैं बोल लेता था मगर आज छोटी-सी सभा भी होती है तो लाउड स्पीकर के बगैर काम नहीं चलता है। यह ठीक है कि इससे आराम मिलता है तो हम ले लेते हैं। मगर हम यह नहीं कह सकते कि हम इसके बिना जिन्दा नहीं रह सकते।

इसी तरह से जो चीजें हम पैदा कर रहे हैं उनसे हमारा काम चल सकता है। आदमी की जिन्दगी के लिए सब से जरूरी चीज अन्न है खाने के लिए। उसके बाद पहनने की चीज है और उसके बाद पढ़ने-लिखने की चीज है। जिन्दगी में आराम से रहने के लिए और चीजों की जरूरत होती है। स्वस्थ आदमी के लिए, जिनकी सँहत अच्छी है उनके लिए इन सब चीजों के सिवाय और किसी चीज की जरूरत नहीं है जिनको वह खुद भी पैदा कर लेता है। मुझे यह जानकर और भी खुशी हुई कि जितने लोग यहां तालीम पा रहे हैं उनको तालीम के साथ-साथ चन्द घंटों तक काम भी करना पड़ता है और उसके जरिए से वे अपने खर्च का कुछ अंश निकाल लेते हैं।

महात्मा गांधी ने जब तालीमी संघ की बात सोची और लोगों के सामने उसके बारे में अपना विचार पेश किया और उसको चलाने का प्रयत्न सोचा तो उनके दिल में यही बात थी कि यह देश गरीब देश है और इसमें बहुत खर्च करके बड़े-बड़े मुशहरे देकर गांव-गांव में बड़े-बड़े स्कूल खोलकर हम शिक्षा शायद नहीं पहुंचा सकते और अगर पहुंचा भी सकें तो उसमें देर लगेगी। इसीलिए उन्होंने तालीमी संघ की नींव रखी और इसलिए उसका नाम बुनियादी संघ रखा कि बच्चे पढ़ते भी जाएं, सीखते जाएं और कुछ पैसे कमाते जाएं, दोनों काम साथ-साथ हो और जितने लड़के पढ़ेंगे, सीखेंगे वे कुछ न कुछ पैदा करेंगे तो सारे स्कूल का

खर्च अगर पूरा नहीं तो बहुत अंश में निकल आयेगा और जहां इसका ठीक इन्तजाम किया गया है वहां 50, 60 प्रतिशत तक खर्च निकला भी। इतिफाक से कहें या हमारे पूरी तरह से दिल लगा कर काम नहीं करने की वजह से कहें सभी जगह यह प्रयत्न ठीक से नहीं चला और हम साबित नहीं कर सके कि पढ़ाई का सारा खर्च हम बच्चों से निकाल सकते हैं और इसीलिये हमको आज सोचना पड़ता है कि तीसरी योजना के अन्त तक हम प्राइमरी शिक्षा का प्रबन्ध कर सकेंगे। मेरा ख्याल है कि गांधी जी की बात मानकर तालीमी संघ की योजना उसी समय हम चलाये होते तो देश भर में सभी जगहों में प्राइमरी शिक्षा पहुंच गई होती और जितने बच्चे हैं उनको केवल पुस्तकी ज्ञान ही नहीं बल्कि कुछ ऐसा ज्ञान भी दे पाते कि वे अपने हाथ-पैर भी चला लेते, उनको अपने हाथ-पैर चलाने में शर्म नहीं होती और कुछ कमा सकते। जो हो गया वह हो गया। अभी भी पूरी तरह से ध्यान दिया जाय तो बहुत लाभ हो सकता है। मेरा ख्याल है कि केवल पुस्तकी ज्ञान ही ठीक नहीं है, शरीर भी मजबूत होना चाहिये और साथ-साथ हाथ-पैर चलाने की आदत भी होनी चाहिये, उसकी मशक भी होनी चाहिये कि वे कुछ पैदा करें तो मैं आशा करता हूँ कि शिक्षा का प्रश्न सरल हो जायेगा और उसको पूरा करने में बहुत हद तक कामयाबी हो सकेगी।

आप यहां पर साथ-साथ ग्रामोद्योग का काम भी जोरों से चला रहे हैं। यह भी देखकर मुझे खुशी हुई। ग्रामोद्योग से जिस तरह से लोगों की बेकारी दूर की जा सकती है और तरह से बेकारी नहीं दूर की जा सकती। इन छोटे-छोटे उद्योगों में बहुत कम लगाकर भी कुछ पैदा कर सकते हैं। यह जरूर है कि इसमें कोई करोड़पति नहीं बन सकता है, शायद कोई लखपति भी नहीं बन सकता लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहां के करोड़ों-करोड़ लोग ग्रामोद्योग के द्वारा अच्छा खाना, पहनने के लिये कपड़ा, बच्चों को बुनियादी तालीम देने के लिये जो कुछ खर्च हो सकता है उसको मुहैया कर सकेंगे और बीमारी की हालत में दवा-दारू का भी प्रबन्ध कर सकेंगे। इसलिये ग्रामोद्योग का जितना प्रचार और उसको जहां तक बढ़ाया जा सके देश के लिये लाभदायक है।

यह खुशी की बात है कि गवर्नमेंट ग्रामोद्योग की तरफ काफी ध्यान दे रही है और उसके लिये एक खास आयोग मुकर्रर कर दिया है और उसको जरूरत के मुताबिक पैसे भी मिलते हैं। जगह-जगह पर उसकी शाखायें खुल

गई हैं जो बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। अभी आपसे कहा गया कि यहां इस केन्द्र से 25, 26 लाख की खादी तैयार होती है। यह कोई छोटी चीज नहीं है। अगर एक-एक केन्द्र में इसी तरह से खादी का प्रचार हो जाय तो कपड़े का सवाल बहुत हद तक हल हो सकता है। सच पूछिये तो ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से जो काम हुआ है उसमें करोड़ों रुपये की खादी तैयार हो रही है और देश में बिक रही है। कागज बनाने का काम, तेल निकालने का काम, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम तथा और जितने प्रकार के ग्रामोद्योग के काम हो सकते हैं, किये जा सकते हैं वे सब चलाये जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य होना चाहिये कि जहां तक हो सके गांव को स्वावलम्बी बना दें। स्वावलम्बी का अर्थ यह नहीं दूसरे के साथ विरोध हो बल्कि जरूरत हो तो अपने पैरों पर खड़े होकर काम निकाल सकें। इस भावना से जहां-जहां काम हो रहा है अच्छा हो रहा है और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस तरह के काम को देखकर मुझे खुशी होती है।

खास करके राजपुरा में आकर मुझे खुशी इसलिए हुई कि आरम्भ से ही इसके साथ मेरा थोड़ा सम्बन्ध था और जब-तब बहन अमतुस्सलाम जो यहां काम कर रही हैं मिलती हैं और जो कुछ यहां काम होता है उसकी खबर पहुंचाती रहती हैं। इस तरह से यहां की सब बातों की खबर मुझे रहती ही है और जो कुछ वह चाहती हैं उसको करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ।

कभी जो उनकी थोड़ी मांग है, मैं आशा करता हूँ कि शिक्षा विभाग की ओर से उस पर ध्यान दिया जाएगा और इस काम को जहां तक आगे बढ़ाना जरूरी समझा जाए मदद दी जाएगी। मुझे इस बात की खुशी है कि पंजाब सरकार ने इस केन्द्र को मान्यता दी है। क्योंकि यहां पर जो छोटे पैमाने पर काम हुआ है वह बड़ा कीमती देखने में आ रहा है।

साथ-साथ वे भाई जो बहावलपुर के इलाके से मजबूर होकर आये थे उनके लिये यहां थोड़ा प्रबन्ध हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि वे सब लोग उससे लाभ ले रहे हैं और उसे आगे बढ़ाएंगे। हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न उनको बसाने का था और एक बड़ी तायदाद में पंजाब और फ्रान्टीयर से तथा बहावलपुर और सिन्ध के भाई भी इधर आये। उनकी बहुत बड़ी संख्या पंजाब में बसी क्योंकि यहां के लोगों के साथ उनका मेल-जोल था और वे यहां के लोगों में से ही थे यद्यपि वे उस इलाके में बस गए थे। इसलिए उनको भी यहां आकर बसने में खुशी रही और

यहां के लोगों को भी उनको अपने साथ लेने में खुशी रही और एक बड़ी तायदाद में विस्थापित लोग यहां आकर बस गए और मुझे खुशी है कि उनके लिए थोड़ा प्रबन्ध हो गया है और वे लोग अपने पैरों पर खड़े होकर काम चलाने लग गए हैं। हम आशा करते हैं कि वे अपने को ही नहीं सारे प्रान्त को हरा-भरा बना देंगे और अपने जीवन को खुशी से बिता लेंगे। आप सब भाइयों और बहनों का धन्यवाद बहन अमतुस्सलाम को है जिन्होंने कमजोर शरीर रहते हुए भी इतने परिश्रम, लगन और उत्साह के साथ काम किया है जो औरों के लिए एक नमूना है। मैं आशा करता हूं कि इस काम को पूरा करने में सभी लोग सहायक बनेंगे। बहन जी इस संस्था पर ध्यान और प्रेम रखती आयी हैं और इसको फ़ैलाया है। सभी कामों में यहां वह केवल दिलचस्पी ही नहीं लेती हैं बल्कि शारीरिक परिश्रम भी करती हैं जिसको देखकर सब लोग खुश होते हैं। उनमें मैं अपने को भी शरीक करता हूं और सब को बधाई देता हूं।

प्रार्थना सभा में

बहन अमनुस्सलाम, बहनो तथा भाइयो,

यहां पर सवेरे-सवेरे सूत्र यज्ञ के साथ काम शुरू किया जाता है यह बड़ी बात है। महात्मा जी प्रार्थना को और सूत कातने को बराबर समझा करते थे और कहा करते थे कि अगर किसी दिन मुझे खाना नहीं मिले तो उसकी फिर मुझे नहीं होती मगर किसी वजह से प्रार्थना में देर हो जाए तो उससे भूख से अधिक मुझे कष्ट होता है और उसी तरह से वह सूत कातने पर भी जोर देते थे और इस भाव से नहीं कि कपड़े के लिए सूत तैयार कर लें बल्कि उसको यज्ञ का रूप देते और समझते थे कि सूत कातना ग्रामीण जीवन में यज्ञ के समान है और इसलिये जब उन्होंने बड़ा से बड़ा उपवास किया कभी भी उन्होंने सूत कातना नहीं छोड़ा, यहां तक कि 21 दिनों के उपवास के दम्यान भी जब उनमें शक्ति नहीं रही और चारपाई पर लेटे रहते थे चारपाई पर ही कोई चरखा रख देता था और वह सूत काता करते थे और यह सिलसिला उन्होंने अन्त तक जारी रखा। वह समझते थे कि सूत का सब से ज्यादा मजबूत बंधन गरीबी के साथ है, इसमें लोग गरीबी महसूस करते हैं। और वह उम्मीद करते थे कि उसके द्वारा वह सारे देश का उद्धार करेंगे उन्होंने रहते-रहते ऐसा किया। आज जरूरत इस बात की है कि हम कम से कम उसी प्रयत्न को जारी रखें और आज यद्यपि सारे देश के सामने बड़ी-बड़ी योजनाएं तैयार हो रही हैं, बड़े-बड़े काम किए जा रहे हैं, हम छोटे चर्खों के महत्व को नहीं भूलें और यह समझकर कि यह एक यज्ञ है जहां तक हो सके इसको साधना मिला करे और अपने प्रति दिन के जीवन में हम इसे स्थान दिया करें।

अब प्रार्थना शुरू कीजिए जिसमें हम शरीक होंगे।

कस्तूरबा ग्रामीण संस्था, राजपुरा में सुबह प्रार्थना के समय प्रवचन; 19 नवम्बर,

गूजर जाति को उन्नत करने के उपाय

श्री मोरारजी भाई, श्री डेबर भाई, श्री सरदार प्रताप सिंह कैरों, श्री धर्मदेव शास्त्री, बहनो तथा भाइयो,

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मैं आज इस कान्फ्रेंस में हाजिर हो सका और दूर से आये हुए इस इलाके के तथा दूर-दूर के इलाके से गुज्जर भाइयों से मिल सका ।

हिन्दुस्तान बहुत बड़ा देश है और उसमें बहुत प्रकार की आदिमजातियां और सारे देश भर में फैली हुई हैं और एक-एक जगह पर उनकी एक-एक रीति है, एक-एक रहन-सहन है, अलग-अलग भाषा है और उनके अलग सवाल और मसले हैं । उन्हीं में से इस इलाके के पहाड़ी इलाके के हमारे गुज्जर भाई हैं । ये लोग अपना तौर-तरीका रखते हैं, अपने तरीके से रहते हैं, अपने तरीके से अपना धंधा करते हैं और आज तक उनका तरीका यही रहा है कि वे मवेशी अपने साथ लेते चरें, घूमते-फिरते रहें, कहीं एक जगह बस करके अपने लिए छप्पड़ वाला मकान नहीं बनावें और उन गायों और भैंसों से अपने लिए तथा दूसरों के लिए दूध, घी, मक्खन तैयार करें और पहुंचायें और इस तरीके से एक जगह पर आराम से रहना उनको तथा उनकी मवेशियों को मुहस्सर नहीं होता और उनकी जिन्दगी घूमते-फिरते ही बीतती है । गर्मियों में ऊंचे पहाड़ों तक जाते हैं और सर्दियों में फिर नीचे उतर आते हैं और इस तरह की उनकी जिन्दगी है जिसमें मेरे जैसे लोगों के लिये जो शहर या गांव में एक जगह पर रहते हैं जरा मुश्किल मालूम होती है । ये तो अपनी इस जिन्दगी में मस्त हैं, खुश हैं, क्योंकि ईश्वर ने इनके शरीर में बल दिया है, इनको हिम्मत भी दी है और ये सर्दी और गर्मी का मुकाबला करते हुए जंगलों और पहाड़ों में रह सकते हैं और अपने जानवरों का भी पालन कर सकते हैं । मगर जब तक कहीं एक खास जगह पर आदमी बस नहीं जाए, एक खास जगह पर जन समूह में नहीं हो तब तक बहुत-सी ऐसी चीजें हैं, जो उसको नहीं मिल सकती हैं ।

अभी श्री धर्मदेव शास्त्री ने कहा कि उनके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल खोलना जरूरी है । ऐसी जगह पर स्कूल रखना जहां उनके बच्चे पढ़ने जायें इस बात को तय करना बहुत मुश्किल प्रश्न हो जाता है क्योंकि वे अपनी मवेशियों के

साथ घूमते-फिरते रहते हैं और एक जगह पर स्कूल रखने से बच्चे वहां बराबर नहीं जा सकते और उनको बहुत दूर चला जाना पड़े तो उनकी पढ़ाई में खलल होता है। इसलिए सब से जरूरी काम यही है। सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं, कोई कारबार भी करना चाहें तो वह कारबार वे चलते-फिरते नहीं कर सकते, उसके लिए कहीं एक जगह बैठना जरूरी हो जाता है और एक जगह बैठने पर छोटा कारबार भी करना चाहे तो आदमी कर सकता है और बीमार पड़ने पर अगर दवा वगैरह का इन्तजाम कराना हो तो जब आदमी एक जगह बस जाए तभी कर सकता है। इसलिए यह फैसला हुआ है कि ये लोग एक जगह में बस जाएं मैं इस फैसले को अच्छा समझता हूं। और चाहता हूं कि उनको मुश्तल जमीन तलाश करके बसने के लिए दी जाए। आजकल हम लोग जो पहाड़ के नीचे रहते हैं जानते हैं कि अगर कोई आदमी एक जगह बसता है तो उसको थोड़ी जमीन चाहिए जहां वह खेती और काश्तकारी कर सके, जिसमें वह कुछ अन्न पैदा कर सके, अन्न में जैसे, गेहूं है, धान है, मक्की है, कई अन्न हैं जिनको पैदा करने के लिए आदमी जमीन खोजता है। मगर पहाड़ों में ऐसी जगह कम मिलती है और जो पहाड़ के गुज्जर भाई हैं उनको अगर अन्न पैदा करने के लिए खेती करने के लिए जगह दी भी जाए तो शायद उसमें भी उनको कठिनाई होगी क्योंकि ऊंचे से नीचे की जमीन पर गल्ला पैदा करना आसान नहीं है। जो लोग पहाड़ों में बसे हुए हैं और गल्ला पैदा करते हैं उनको भी काफी जमीन नहीं मिल पाती।

मगर जमीन का दूसरा इस्तेमाल यह भी हो सकता है और यह ज्यादा आसान है कि उसमें फल के पेड़ लगाये जायें तो बहुत फल पैदा हो सकते हैं। जिस तरीके से अन्न बिकता है उसी तरह से जब तक फल तैयार होंगे उनको दूर ले जाने का इन्तजाम भी किया जा सकता है और तीसरा इस्तेमाल जमीन का यह भी हो सकता है कि उसको अच्छा जंगल बना दिया जाय जहां अच्छी से अच्छी लकड़ी पैदा हो जो मकान, इमारत बनाने में लगायी जा सके, चौकी, चारपाई, कुर्सी आदि जिससे बन सके, मकानों को सजाने की और खूबसूरत चीजें जिससे बनायी जा सकें ऐसा जंगल तैयार होना चाहिए और ऐसे जंगल की जरूरत भी होती है। जंगलों के बिना बरसात में कमी हो जाती है। इस तरह के जंगली गाछ भी चाहिये जो बादल को रोककर बरसात पैदा करे और सिर्फ अपने लिये ही नहीं बल्कि दूर-दूर तक पानी आसमान से पहुंच सके। तो यह सब कमियां हैं जो जमीन मौजूद कर सकती है। जहां की जमीन जैसी हो, जहां के लोग जैसे हों और जिस काम में ज्यादा उनका मन लगे उसी तरह

के काम में उनको लगाना चाहिये और जब जमीन का इस तरह से इस्तेमाल हो सके सबसे बेहतर हो।

मुझे यह सुनकर खुशी हुयी और मैं इसे अच्छा समझता हूँ कि ऐसा प्रबन्ध सोचा जायेगा कि जो लोग खुशी से बस जाना चाहते हैं उनको बसाया जाय और अगर थोड़े लोग भी बस जायेंगे तो उनको खुशहाल देखकर दूसरे भी बसने की ख्वाहिश जाहिर करेंगे और अन्त में सारा परिवार बसाया जा सकता है।

अब हिन्दुस्तान आजाद हो गया है। आप लोगों को मालूम है कि आजकल हिन्दुस्तान में न बाहर से आयी हुयी गवर्नमेंट है और न एक आदमी की बनायी हुयी गवर्नमेंट है बल्कि सारे देश के लोग अपने नेताओं को चुनकर भेजते हैं और वे ही लोग गवर्नमेंट बनाते हैं। अभी जो लोग ऐसे हैं जिनका नाम दर्ज नहीं हो पाया है उसका कारण यह है कि उनका पता ही नहीं कि वे कहां रहते हैं। उनके रहने की जगह पक्की हो जाये तो उनके नाम भी दर्ज हो सकते हैं और उनको जो अख्तियार मिला हुआ है उस अख्तियार को काम में लाने का मौका हो सके और देश की गवर्नमेंट चुनने में भी वे अपना हिस्सा और भाग ले सकें।

अभी श्री धर्मदेव शास्त्री जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के गुज्जरों के नाम कबीलों के नाम में दर्ज हो गये हैं: अगर और जगहों पर ऐसा नहीं हुआ है तो मैं समझता हूँ कि और जगहों की गवर्नमेंट भी इस बात पर जरूर विचार करती होगी और करेगी और उनको इस बात की पूरी सूचना मिल जाय कि ये लोग भी उस सूची में दर्ज होने के लिये योग्य हैं तो कोई बजह नहीं कि उनके नाम क्यों नहीं दर्ज हों जिसमें वे केवल वोट में ही हिस्सा न ले सकें बल्कि अनुसूचित जातियों को जो रियायतें दी गयी हैं उनसे भी लाभ उठा सकें। तो मैं तो यह चाहूंगा कि आदिमजाति सेवक संघ का भी यह काम है कि वे अपनी ओर से कोशिश करके सब लोगों के नाम दर्ज करा दें जिसमें वे सब के सब न केवल वोट देने के हकदार हो सकें बल्कि इस बात के भी हकदार हो सकें कि अनुसूचित जातियों या पहाड़ी जातियों को जो रियायतें मिल सकती हैं उनका फायदा वे उठा सकें। यह तो गवर्नमेंट का, आदिमजाति सेवक संघ और दूसरे कार्यकर्त्ताओं का काम है। ठीक है।

मगर इसके साथ-साथ किसी भी जाति या आदमी को दूसरा कोई उठाकर पैर पर खड़ा नहीं कर सकता है। आदमी को जैसे खुद-ब-खुद खड़ा होना चाहिये,

खुद-ब-खुद अपने पैरों से चलना चाहिये, खुद-ब-खुद अपने हाथों से काम करना चाहिये, खुद-ब-खुद दूसरों की मदद करनी चाहिये उसी तरह से गुज्जर भाई यों तो वे अपने तरीके से काम करते हैं मगर यह समझ कर कि हिन्दुस्तान के इस बड़े समाज में उसी प्रकार से अंग बनकर जैसे दूसरे लोग हैं आकर शरीक होना चाहें और हर तरह से तरक्की के काम में लगना चाहें तो इसके लिये कोशिश करनी होगी, अपनी तरफ से जोर लगाना होगा। हमारा विश्वास है कि यदि उनको उनका हक हासिल करा दिया जायेगा तो वे पीछे नहीं रहेंगे।

मैं चाहूंगा कि इस तरह के रास्ते उनको दिखलाये जायें, तरीके समझाये जायें कि हिन्दुस्तान की तरक्की के कामों में वे हिस्सा ले सकें और दूसरों के मुकाबलें में वे आ जायें। मैं आशा करता हूँ कि इस कान्फ्रेन्स की वजह से उन लोगों में जागृति और बढ़ेगी और गवर्नमेंट का ध्यान भी उनकी ओर जायेगा और गुज्जर दिन-प्रतिदिन तरक्की करेंगे और समृद्ध होकर भारत के लोगों के साथ एक हो जायेंगे।

शुकदेव मुनि आश्रम में

महात्मा जी, देवियो और सज्जनो,

मुझे बड़ी खुशी हुयी कि आज सवेरे-सवेरे इस पुण्य तीर्थस्थान के आप निवासियों से मेरी मुलाकात हो सकी। मेरी अपनी इच्छा तो जरूर रहती है कि मैं सभी अच्छे सुन्दर और पुण्य स्थानों पर जाया करूं मगर वह हमेशा पूरी नहीं हुआ करती। मुझे यहां चन्द मिनट मिल गए और आप सब से मिलने का मौका हुआ इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। मेरी इच्छा तो रहेगी पर मालूम नहीं उसे ईश्वर कब पूरा करेगा कि मैं इस तप स्थान में आऊं और इसका दर्शन करूं।

आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे देश के सामने कितने तरह की समस्याएं उपस्थित हैं। आप लोग अच्छी तरह से इस बात को भी जानते हैं कि किसानों पर देश का हाल-चाल कितना निर्भर करता है। आपने जिस तरह से मेरे सामने गुड़, चीनी और मिठाई का ढेर लगा दिया, उसी तरह से सारे देश भर के लोगों को इन चीजों से तथा दूसरी चीजों से जिनको आप देहात में पैदा कर सकते हैं खुश करें। आपका यह इलाका मशहूर है। यहां की जमीन अच्छी और उर्वरी है और यहां के लोगों का कृषि के काम में पूरा उत्साह और दिलचस्पी है। इससे आशा की जाती है कि इसके आस-पास जो लोग हैं उसी प्रकार के लोगों द्वारा देश में अन्न का जो बहुत बड़ा सवाल है हल हो सकेगा। मैं तो जहां जाता हूं लोगों से यही कहता हूं कि सब से पहली हमारी जरूरत अन्न की है और अन्न की एक ऐसे देश में जहां के लोग 70, 75 सैकड़े खेती के काम पर निर्भर करते हैं कमी होना हमारे लिए सिर्फ दुःख ही की बात नहीं, शर्म की भी बात है। मेरा विश्वास है कि अगर लोगों का इस ओर ध्यान जायेगा और लोग परिश्रम करेंगे तो इसको हम आसानी से दूर कर सकते हैं।

साथ ही आप इस बात से भी परिचित होंगे कि इस वक्त हमारे देश की सरहद पर कुछ न कुछ गड़बड़ी सुनने में आती है। इसके लिए कोई घबड़ाहट की बात नहीं है। जो कुछ इसके लिए प्रबन्ध करना जरूरी है किया जाता है। मगर साथ ही देश के लोगों को चौकन्ना रहना चाहिए और इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर कभी भी जरूरत पड़े तो वे देश की रक्षा के लिए, देश की हिफाजत

शुकदेव मुनि आश्रम, मुजफ्फरनगर के स्वामी कल्याण सिंह द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भाषण; 25 नवम्बर, 1959

के लिए जो कुछ भी जरूरी हो उसको पूरा कर सके। मुझे आशा है इसमें आप किसी तरह से पीछे नहीं रहेंगे।

यह आपका सौभाग्य है कि आप एक अच्छे तीर्थस्थान में बसते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप पुरानी रीति को याद रखेंगे और देश के हित में आप अपना सब कुछ न्योछावर कर देंगे।

तीन महान् विभूतियों के चित्रों का अनावरण

संसद् के दोनों सदनों के अध्यक्ष महोदयो, संसद् के सदस्यगण, देवियों और सज्जनों,

मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जब तब मुझे यह मौका दिया करते हैं कि अपने देश के महान् व्यक्तियों के चित्रों का अनावरण इस सदन में आकर मैं किया करूँ और आज एक साथ ही अपने तीन महान् विभूतियों के चित्रों का अनावरण करने के लिए मुझे आदेश दिया। इसलिए आज के दिन को मैं बहुत ही शुभ मानता हूँ और अपने लिए गौरव का दिन मानता हूँ।

जिन महान् व्यक्तियों के चित्र आपके सामने आए हैं वे तीनों अपनी-अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और तीनों ने अपने-अपने समय में अपने-अपने तरीके से देश के लिए जितना काम किया, देश की जितनी बड़ी सेवा की और स्वराज्य की प्राप्ति में जितना उनका योगदान रहा वह किसी भी भारतीय से छिपा नहीं है और किसी भी भारतीय के लिए वह गौरव का विषय है।

श्री विजय राघवाचारी उनमें से सब से अधिक वयोवृद्ध थे। जैसा अभी आपसे कहा गया है, उनका जन्म 1857 में हुआ था। शुरू में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। उनके पिता महान् पंडित थे और इस वजह से उनकी शिक्षा-दीक्षा आरम्भ में संस्कृत में ही हुई। कुछ उम्र अधिक हो जाने पर एक तरह से घर से अलग होकर उन्होंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया और उसमें भी उन्होंने अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। उसके बाद उन्होंने वकालत का भी काम शुरू किया। इस बीच कुछ दिनों तक उन्होंने पढ़ाने का काम भी किया और कई जगहों पर उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाया सिखाया। मगर शुरू से ही वह एक तेज मिजाज के आदमी थे और इसलिए किसी प्रकार का बंधन या दबाव वह बर्दाश्त करना नहीं जानते थे और इसीलिए उन्होंने वकालत का पेशा भी अस्तिथार किया क्योंकि वह समझते थे कि आजादी के साथ-साथ वह पैसे भी कमाएंगे और देश का काम भी कर सकेंगे और ऐसा ही उन्होंने किया। थोड़े ही दिनों तक उनकी वकालत हुई थी कि उनको खुद एक भयंकर मामले में गिरफ्तार हो जाना पड़ा।

भारतीय संसद् भवन के केन्द्रीय हाल में श्री विजय राघवाचारी, श्रीमती सरोजनी नायडू तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद के चित्रों का अनावरण करते समय भाषण; 16 दिसम्बर, 1959

सेलम में जहां वह वकालत करते थे हिन्दू और मुसलमानों के बीच सख्त दंगा हो गया और उसमें उनको एक मुजरिम मुकर्रर कर के उनपर मुकदमा चलाया गया। उनको न्यायाधीश की तरफ से 10, 12 साल की सजा मिली। मगर वह चुप छोड़ने वाले नहीं थे और उन्होंने अपील की और अपील में बहस करने के लिए बारिस्टर मिस्टर नौटन को मुकर्रर किया। मिस्टर नौटन का कई वर्षों से कांग्रेस के साथ गहरा सम्बन्ध था। बहस में मिस्टर नौटन ने अपनी बहस नहीं करके जो नोट श्री राघवाचारियर ने जेलखाने से उनके पास भेज दिया था उसी को पढ़ने लगे। जज ने कहा कि आप बहस नहीं कर रहे हैं, आप तो कुछ पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुजरिम का लिखा हुआ नोट पढ़ रहा हूं। इसका असर यह हुआ कि जजों का ख्याल बदल गया और हाई कोर्ट के तीनों जजों ने उनको बेगुनाह समझ कर छोड़ दिया। उसके बाद वह जेल से बाहर आए और अपने काम में लग गए। उसमें जो दूसरे लोग गिरफ्तार हुए थे उनकी भी पैरवी करके उन्होंने छोड़ा दिया। वह लगन के इतने पक्के थे कि जिस चीज को हाथ में लेते थे उसको पूरा किए बिना नहीं छोड़ते थे। यह 86, 83 का जिक्त है। 1885 में तो कांग्रेस का जन्म हुआ। उसके जन्म से ही वह उसके साथ रहे और मरते वक्त तक वह कांग्रेस की सेवा करते रहे। उनकी मृत्यु 92 साल की उम्र में हुई। उम्र अधिक हो जाने पर पीछे बहुत दौड़ धूप नहीं कर सकते थे। लेकिन बैठे-बैठे जितनी सेवा वह कर सकते थे उतनी कांग्रेस की सेवा करते रहे।

वह उन लोगों में थे जो गर्म ख्याल के समझे जाते थे। इसलिए कुछ दिनों तक वह कांग्रेस से अलग रहे। 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ। उस कांग्रेस अधिवेशन के सभापति वही थे। प्रस्ताव पास होने के बाद बड़ी हिम्मत के साथ वह कांग्रेस के प्रचार के काम में लग गए। उस वक्त भी उनकी अवस्था काफी थी। 1920, 21 तक वह 70 साल तक पहुंच चुके थे। मगर जिस मुस्तैदी के साथ उन्होंने काम किया वह नवजवानों के लिए भी एक नमूना था। उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन जब जहां होता था वह बराबर शरीक होते थे।

मेरी उनसे मुलाकात पहले-पहल 1920 की कांग्रेस के जमाने में हुई थी और तब से वह एक लड़के के समान मुझे प्यार करने लग गए और उसका सब स अच्छा सबूत मुझे तब मिला जब मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट की हैसियत से सेलम के दौरे पर गया। उनको मालूम हुआ कि मैं आ रहा हूं तो वह अपने मकान से डेढ़ दो मील की दूरी पर शहर से बाहर आकर मुझ से मिले और अपने साथ लेकर

गए और जिस तरह से उन्होंने मुझे रखा उसको मैं भूल नहीं सकता। उसके बाद मेरे साथ उनकी मुहब्बत हो गई। उन्होंने लगन के साथ मुल्क की खिदमत अपनी बुद्धि और विद्या से की।

कानून की बातें वह अच्छी तरह से जानते थे। कन्स्टीट्यूशनल क्वेश्चन वे अच्छी तरह से समझते थे और समझा जाता था कि उस विषय में इस तरह वे विद्वान कम हैं। उन्होंने दिल्ली में आकर भी अपनी बुद्धि का सबूत दिया : मद्रास ऐसेम्बली में वह कई वर्षों तक सदस्य रहे। दिल्ली ऐसेम्बली में भी कई वर्षों तक वह सदस्य रहे। यहां भी जब जैसा मौका आया, गवर्नमेंट की ऐसी चीजें जिनका विरोध करना जरूरी था उसमें उन्होंने हिम्मत के साथ आगबानी की और विरोध में सब से आगे रहे। इस तरह से उनकी सारी जिन्दगी देश की सेवा में लगी रही और वह हमारे लिए एक नमूना है।

दूसरी तस्वीर जिसका मुझे आपके सामने अनावरण करने का मौका मिला सरोजनी देवी की है। उनका जीवन बचपन से ही देश सेवा में कटा। उनको पहले-पहल देखने का मौका मुझे 1906 में हुआ। 1906 में कलकत्ते में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस समय कांग्रेस में दो दल हो गए थे मगर किसी न किसी तरह से वह फूट जाहिर नहीं हुई थी। उसको बचाने के लिए वयोवृद्ध दादा भाई नौरोजी को बुलाया गया था और वही प्रेसिडेंट थे। उस अधिवेशन में वह गई थीं। मालूम नहीं उनकी शादी हो गई थी या नहीं। मगर उन्होंने बहुत सुन्दर भाषण दिया था जिसको मैं भूल नहीं सकता। उसके बाद उनके बहुत भाषण सुनने और उनके नजदीक आने का मौका मुझे मिला। मगर वह दूर का सम्पर्क ऐसा था जिसकी गहरी छाप मुझ पर पड़ी और वह आज तक है।

सरोजनी देवी अगर कविता के काम में ही लगी रहतीं, तो भी वह बहुत ऊंचे स्थान तक पहुंचती और वह स्थान ऐसा होता जिसको लोग याद करते। मगर उन्होंने उस स्थान को काफी नहीं समझा और देश के उद्धार के काम को ज्यादा जरूरी समझकर उसमें लग गयीं और उसी में वह गाती रहीं और जगाती रहीं और इसी तरह से सारी जिन्दगी वह गाती भी गयीं और जगाती भी गयीं और यह सब काम उन्होंने उस हालत में किया जब उनका स्वास्थ्य जवाब दे रहा था। वह अपने भाषणों से, उनके भाषण में गाना और कविता ही हुआ करती थी, कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां जाकर उन्होंने जगाया न हो। उसके साथ-साथ जितने और दूसरे किस्म के काम हुए उन सभी में उनका बहुत बड़ा भाग रहा। जितने देश में स्त्रियों के उत्थान के काम हुए उसमें सब से आगे वह

रहीं और शुरू से उन्होंने इस काम को ऐसा काम बना लिया जिसमें अपने जीवन को लगाती रहीं और इसमें कोई ऐसा काम नहीं जिसमें स्त्रियों के उत्थान की बात हो जिसमें उनकी पूरी मदद नहीं मिली हो। स्त्री सुधार के काम को उन्होंने बड़े उत्साह से किया। पर सबसे अधिक उनका योगदान स्वराज्य प्राप्ति के काम में हुआ चाहे वह कांग्रेस के जरिए से हुआ हो, बाहर से हुआ हो, कान्फेन्सों के जरिए से हुआ हो, देश के अन्दर या बाहर जहाँ-जहाँ मौका मिला इस काम को उन्होंने आगे बढ़ाया। उनके लिए कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप कोई ऐसी चीज नहीं थी जो नहीं मिल सकती थी। वह आसानी से मिल सकती थी। वह 1925, 26 में कांग्रेस की प्रेसिडेंट हो गयीं। पर कांग्रेस प्रेसिडेंट रहीं या नहीं, हमेशा वह उसी लगन से इस काम में लगी रहीं जैसे बचपन में करती थीं और जिसका नमूना पहले पहल 1906 में देखा और अपने कानों से उनका भाषण सुना था। आप लोग जो संसद् के मेम्बर हैं आपमें से कुछ लोगों ने श्री विजयराघवाचारी को देखा होगा। पर आपमें से बहुतरे ऐसे हैं जिन्होंने सरोजनी देवी को देखा होगा, उनके भाषण भी सुनने का उनको मौका मिला होगा। कांग्रेस में जो लोग रहे उनको तो मिला ही होगा। इसलिए अधिक नहीं कह कर मैं इतना ही कहूंगा कि उनका एक भी भाषण याद रखें कि किस तरह से वह दिल को उभार देने वाला भाषण देती थीं उसी से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा योगदान स्वराज्य लाने में उनका हुआ।

मौलाना साहब तो अभी हाल में ही गुजरे हैं। यहां मैं समझता हूँ कि आपमें से सभी जो मैम्बर हैं उनको जानते थे और उनके साथ आपने काम किया है, उनके नेतृत्व को आपने पहचाना था। जो भी बड़े लोग हुआ करते हैं वे बचपन से एक लगन लेकर किसी काम में लग जाते हैं। वे सभी लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में कहा गया है 'होनहार बिरवान के होत चीकने पात', याने जो अच्छा होनेवाला पौधा है उसमें शुरू से ही अच्छे पत्ते निकलते हैं। जो नेता होनेवाले हैं वे बचपन से इसका सबूत देते हैं और आगे होकर काम करते हैं। बहुत कम उम्र में मौलाना इस काम में लगे। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश लोगों का तुर्क लोगों के साथ झगड़ा हुआ। हिन्दुस्तान के मुसलमानों ने टर्की का पक्ष लेकर यहां एक आन्दोलन चलाया। मौलाना उस समय काम में लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि जब 1930 में असहयोग आन्दोलन शुरू हुआ उसके पहले मौलाना रांची में नजरबन्द रखे गए थे। 1930 में असहयोग होने पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको रिहा किया। रिहा होते ही वह कांग्रेस में आए और असहयोग के काम में लग गए और उस वक्त

से जब तक हम आजादी की लड़ाई में लगे रहे वह बराबर आगे रहे, आगे रहकर सब को जगाते रहे। जब कभी मौका आया उन्होंने लोगों को उठाया, जगाया। कोई ऐसा मौका स्वराज्य के आन्दोलन में नहीं आया जब मौलाना आगे नहीं रहे हों। उस वक्त से मौत आने के वक्त तक वह बराबर देश के काम में लगे रहे और सारी जिन्दगी उनकी इसी काम में लगी। कोई ऐसा मौका नहीं आया जब उनकी सलाह से मुल्क को फायदा नहीं हुआ हो। जब महात्मा गांधी को मौका आया मौलाना सब से आगे रहे। जवाहरलाल जी को जब जरूरत हुई मौलाना सब से आगे रहे। वह अच्छी राय दे सकते थे, रहनुमाई कर सकते थे और उनका किसी बात से उस तरह का लगाव नहीं था जिसमें कोई बात हो, कुछ भी स्वार्थ की बात हो। सब बात को सच्ची निगाह से देखकर जो देश के लिए सब से अच्छी बात हो उसी को कहते थे, राय देते थे। इसीलिए उनको सभी मानते थे।

जब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग पेश हुई मौलाना उसका बराबर विरोध करते रहे। चाहे मौलाना के साथ मुसलमानों ने जो भी बर्ताव किया पर वह अपनी राय से एक कदम भी नहीं डिगे। इसीलिए उन पर सब लोगों का विश्वास हुआ। जिस दिन इसी शहर में उनकी मौत हुई आप में से जो यहां रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कि कितनी खातिर के साथ कितने लोग उनके जनाजे में शरीक हुए। इस तरह की विभूतियां मुल्कों में कम हुआ करती हैं। ये तीनों हस्तियां ऐसी थीं जिनको पाकर मुल्क खुशकिस्मत साबित हुआ और उनके काम का फल हम आज भोग रहे हैं।

मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे मौका दिया कि इन तीनों के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि पेश करूं और उनके चित्रों का अनावरण कर सकूं।

ब्रजभाषा का साहित्य और उसकी लोकप्रियता

लगभग नौ वर्ष बाद ब्रज-साहित्य मंडल के समक्ष कुछ कहने और आप सब विद्वज्जनों के दर्शन करने का मुझे एक बार फिर आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इस अवधि में मंडल ने अपनी योजना के अनुसार साहित्य और जनसेवा-सम्बन्धी कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आपके कार्य का कुछ परिचय तो मुझे उसी समय मिल गया था जब मैंने 10 से अधिक सुन्दर प्रकाशन देखे जो मंडल के तत्वावधान में तैयार हुए हैं।

मथुरा की भूमि जितनी पुनीत है उतनी ही पुरातन भी है। इसलिए इस जनपद का इतिहास विशेष महत्त्व रखता है और जब तक उस इतिहास की सरिता में डुबकी न लगाई जाय मथुरा के रजकण की चमक दिखाई नहीं देगी और न आस्था अथवा श्रद्धा का समुद्र ही मानव-हृदय में उमड़ेगा। सम्भवतः यही कारण है कि मंडल द्वारा प्रकाशित दो बृहद ग्रन्थों में यहां के इतिहास की विशद व्याख्या की गई है। साहित्य और इतिहास के विद्यार्थी यह आशा करेंगे कि यह कार्य बराबर जारी रहेगा और पाठकगण इसी प्रकार लाभान्वित होते रहेंगे।

ब्रजभाषा और उसका साहित्य भी प्राचीन नहीं तो कम से कम एक हजार वर्ष से अधिक पुराना अवश्य है। यह कहना कोई अत्युक्ति न होगा कि हिन्दी का आरम्भिक इतिहास लगभग ब्रजभाषा का ही इतिहास है। यह बात ब्रज-साहित्य के महत्त्व की द्योतक है। यह जनपद धार्मिक, सांस्कृतिक और सांवांजनिक गतिविधियों का इतना बड़ा केन्द्र रहा है कि भक्तों और यात्रियों के आवागमन के फल स्वरूप यहां की भाषा आसानी से सभी दूरस्थ प्रदेशों में फैल सकी। अपने स्वाभाविक माधुर्य और लालित्य के कारण कम से कम साहित्य की भाषा के रूप में इसे सभी जगह मान्यता भी मिली। परिणाम यह हुआ कि कई सौ वर्षों तक समस्त उत्तर और मध्य भारत की काव्य-सरिता ब्रजभाषा में ही प्रवाहित होती रही। यही नहीं, पूर्व की बंगला और मैथिली भाषाओं पर भी इसका काफी प्रभाव पड़ा।

ब्रजभाषा का अतीत गौरवमय है और ब्रजभूमि तथा ब्रज-साहित्य मंडल इस पर गर्व कर सकता है। किन्तु अतीत और वर्तमान की आवश्यकताएं, स्वरूप और लक्षण भिन्न-भिन्न हैं। अतीत में जो भाषा अपने माधुर्य और लोच के बल

पर काव्य की भाषा बन सकी, वह व्यापक क्षेत्र में प्रसिद्ध हुई और उसको मान्यता मिली। किन्तु आज का युग बहुत कुछ बदला हुआ है और काव्य की परिधि से निकल कर आज मानव की रूचि अनेक दिशाओं में फैल चुकी है। वह भाषा जो केवल अथवा अधिकतर काव्य के ही उपयुक्त हो, आज के युग में लोकप्रिय या जनसाधारण की भाषा नहीं कही जा सकती। अपनी उपादेयता सिद्ध करने के लिए आज प्रत्येक भाषा को जनपदीय जीवन के भिन्न क्षेत्रों में जनसाधारण की सेवा का व्रत लेना होगा। काव्य और कला निःसंदेह आकर्षक और हृदय को स्पर्श करने वाली वस्तुएं हैं, किन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि आधुनिक युग में काव्य का एक गद्यात्मक पक्ष भी है, अर्थात् काव्य को अपनी प्रेरणादायिनी धारा से, जनहित में, जीवन के दूसरे अंगों को भी स्पर्श करना चाहिए।

यह सिद्धान्त वास्तव में सारगर्भित है, किन्तु ब्रजवासियों को इससे चिन्तित अथवा चकित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी भाषा उनके जीवन में ही नहीं बल्कि ब्रजभूमि के कण-कण में, यहां के कन्द-मूल में और समस्त वायुमण्डल में व्याप्त है। ब्रज के साहित्य का प्रभाव भले ही सीमित हो किन्तु यहां की भाषा और सांस्कृतिक गतिविधि अधिक से अधिक विस्तृत है। ब्रज के प्रभाव की व्यापकता का कुछ अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब और सिखों के इतिहास के कई एक प्रामाणिक ग्रन्थ इसी भाषा में उपलब्ध हैं, यद्यपि उनकी लिपि गुरुमुखी है। इसलिए उपर्युक्त सिद्धान्त यहां के साहित्य पर ही लागू होता है और वह भी केवल उच्चकोटि के लिखित साहित्य पर, क्योंकि यहां के लोकगीत ब्रज साहित्य के प्रभाव से ओतप्रोत हैं। भारतीय लोकगीतों में ब्रज के लोकगीतों का विशेष स्थान है। हां, यदि किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने की विशेष आवश्यकता जान पड़ती है, वह गद्य का क्षेत्र है। दैनिक जीवन में और यथार्थ परिस्थितियों में चिन्तन और कार्य-कलापों का प्रमुख माध्यम गद्य है। यह हर्ष का विषय है कि इस ओर भी ब्रज-साहित्य मण्डल का ध्यान गया है और इधर गद्य में भी ब्रजभाषा की कुछ रचनाएं प्रकाशित हुई हैं।

भारत एक विशाल देश है और इस देश की सब से बहुमूल्य सम्पत्ति यहां की परम्परागत विचारधारा, यहां का साहित्य, संक्षेप में, यहां की संस्कृति है। इस संस्कृति का लक्षण नीरस एकरूपता नहीं। इसमें अनेक रंग भरे हैं और प्रत्येक रंग एक जनपद का प्रतिनिधित्व करता है। समूची संस्कृति के लिए ये सभी रंग महत्त्वपूर्ण हैं। ये रंग और संस्कृति अन्योन्याश्रित हैं। प्रत्येक रंग की संस्कृति से शोभा है और संस्कृति स्वयं अपनी शोभा के लिए इन रंगों पर आश्रित है।

मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इन रंगों में ब्रजमंडल का रंग विशेष आकर्षक है ।

मैं ब्रज-साहित्य मंडल के सभी सदस्यों और कार्यकर्त्ताओं को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने यहां के साहित्य और जनजीवन से सम्बन्ध रखने वाली प्रवृत्तियों को तत्परता से उन्नत करने की चेष्टा की है । मुझे विश्वास है कि इस कार्य में उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी और ब्रजमंडल का भविष्य भी उतना ही उज्ज्वल होगा जितना उसका अतीत है ।

विरजानन्द वैदिक अनुसन्धान भवन का शिलान्यास

मथुरा की पुनीत नगरी में विरजानन्द वैदिक अनुसन्धान भवन के शिलान्यास के लिए आप लोगों के स्नेहपूर्ण आमन्त्रण पर यहां आ सकना मैं अपने लिए सौभाग्य की बात समझता हूं। भारत एक प्राचीन देश है और मथुरा की गणना इस देश की प्राचीनतम नगरियों में होती है। यहां आकर किसी भी आगन्तुक के लिए यह सम्भव नहीं कि वह नगरी के नए-पुराने भवनों, यहां के गली-कूचों और विशेषकर यमना की बहती हुई धारा को देखकर प्राचीन इतिहास पर दृष्टिपात करने के लोभ का संवरण कर सके।

आपने ठीक ही कहा है कि इतिहास से मथुरा का गहरा सम्बन्ध है। इतिहास की रेखाओं के दृष्टिगोचर होने से पूर्व भी मथुरा के गौरव की गाथा कम महत्वपूर्ण नहीं थी। हो सकता है कुछ लोग यहां की प्रागैतिहासिक घटनाओं को इतिहास-काल की गतिविधि से भी अधिक सारगर्भित मानें। पर कुछ भी हो, यह सत्य है कि कई सहस्र वर्षों से मथुरा अनेक युगप्रवर्तक घटनाओं का केन्द्र रही है। योनान, ईरान, गांधार और मध्य एशिया से भारत आनेवाली जातियों ने भारतीयता की दीक्षा सबसे पहले मथुरा या ब्रज में ही ली। उनमें से अधिकांश लोग यहीं बस गए, जिसके परिणामस्वरूप मथुरा में विदेशी और स्थानीय विचार-धाराओं का समन्वय हुआ और वह मिश्रित विचारधारा भारतीय परम्परा का एक अंग बन गई।

गुरुवर स्वामी विरजानन्द का मथुरा में आकर रहना और वेदों के अध्ययन के लिए यहां उनका पाठशाला खोलना मथुरा की परम्परा के अनुकूल ही है। इसी पाठशाला में स्वामी दयानन्द ने भी शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद धर्म प्रचार और समाज सुधार का देशभर में आन्दोलन किया। इस बात से स्वामी विरजानन्द की पाठशाला का महत्व देशव्यापी समझा जा सकता है। इस पाठशाला में स्वामी दयानन्द ने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं किया बल्कि अपने गुरु स्वामी विरजानन्द से सद्धर्म की प्रेरणा और प्रचार के हेतु लगन भी प्राप्त की। कालान्तर में अपने बल पर स्वामी दयानन्द ने हिन्दू समाज की सेवा के लिए जो कुछ किया, उसके प्रकाश में स्वामी विरजानन्द जिनसे उन्होंने दीक्षा ली और वह पाठशाला

विरजानन्द वैदिक अनुसन्धान भवन के शिलान्यास के अवसर पर भाषण; मथुरा,

25 दिसम्बर, 1959

M2 President Part II—19

जिसमें रहकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की दोनों ही हिन्दू समाज के आभार के अधिकारी हैं ।

इस अवसर पर स्वामी दयानन्द और उनके कार्यों के सम्बन्ध में कुछ कहना असंगत न होगा । उनके निजी मत और धार्मिक दृष्टिकोण से चाहे कोई सहमत हो या न हो, किन्तु यह सब स्वीकार करते हैं कि वे प्रकाण्ड पंडित, यशस्वी नेता और निर्भीक सुधारक थे । जिस बात को वे ठीक समझते थे उसके प्रचार और प्रतिपादन में जी-जान से जुट जाते थे और विरोध उनके उत्साह को दबाने की बजाय उभारने का काम करता था । अपने सिद्धान्तों पर अटल रह और निर्भीक हो उन्होंने देश के अधिकांश भाग का भ्रमण किया और अपने विचारों के अनुसार हिन्दू जाति के धार्मिक और सामाजिक जीवन को उन सिद्धान्तों के सांचे में ढालने का यत्न किया ।

स्वामी दयानन्द की सबसे बड़ी विशेषता उनकी दूरदर्शिता थी । यह देखकर आश्चर्य होता है कि विदेशी शासन के विरोध में सक्रिय संघर्ष के समय जिन बातों पर महात्मा गांधी ने अधिक बल दिया और उन्हें रचनात्मक कार्य की संज्ञा दी, प्रायः वे सभी काम स्वामी दयानन्द के कार्यक्रम में 50 वर्ष पूर्व शामिल थे । देश भर के लिए एक सामान्य भाषा की आवश्यकता स्वामी दयानन्द ने महसूस की और हिन्दी को ही राष्ट्र अथवा आर्य भाषा होने के योग्य माना । इसके अतिरिक्त अछूतोद्धार, स्त्री शिक्षा, हाथ के बने कपड़े अथवा स्वदेशी का प्रयोग इत्यादि बातों पर भी उन्होंने काफी बल दिया और वे स्वयं भी जीवन भर इन बातों पर पूरा अमल करते रहे । उनकी कृतियों और उपदेशों से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि वे विचारों से राष्ट्रवादी थे और विदेशी शासन के स्थान पर स्वराज्य अथवा भारतीयों के ही राज्य का स्वप्न देखते थे ।

समाज सेवा के क्षेत्र में स्वामी दयानन्द और आर्यसमाज ने जो कार्य किया उसके महत्व से इन्कार नहीं किया जा सकता । उस कार्य के लिए और देश को जो उससे लाभ पहुंचा उसके लिए हम सब स्वामी दयानन्द के ऋणी तो हैं ही, किसी हद तक मथुरा नगरी के प्रति भी हमें आभार मानना चाहिए । मथुरा निवासियों को और आर्य प्रतिनिधि सभा को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस 100 वर्षों से अधिक पुरानी पाठशाला के पुनरुद्धार का कार्य हाथ में लिया है । इससे दो मन्तव्यों की सिद्धि हो सकेगी—गुरुवर विरजानन्द के प्रति हम अपनी श्रद्धा प्रगट कर सकेंगे और दूसरे, जिस कार्य को, अर्थात् वेदों के अध्ययन को, उन्होंने जीवन भर तत्परता

से किया उसको आगे बढ़ा सकेंगे। यह खुशी की बात है कि जिस पुस्तकालय और अनुसन्धानशाला का निर्माण आप इस जगह करने जा रहे हैं उसमें सभी प्रमुख धर्मों के सम्बन्ध में साहित्य उपलब्ध होगा और अनुसन्धान की सुविधाएं रहेंगी। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि अन्ततोगत्वा सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही है और उनकी कार्यप्रणाली अथवा मार्ग भिन्न-भिन्न होते हुए भी सब की मंजिल या गन्तव्य स्थान एक ही है। यह शिक्षा भी भारतवासियों को वेदों की ही देन है। इसलिए मैं समझता हूं कि आपका प्रयास सराहनीय है और इसमें आप सब की सहायता और योगदान की अपेक्षा कर सकते हैं।

मुझे बहुत खुशी है कि इस अवसर पर आपने मुझे बुलाया और कुछ कहने का मौका दिया। मेरी यह हार्दिक कामना है कि यह भवन वैदिक वाङ्मय के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त, गुरु-शिष्य परम्परा का प्रतीक भी समझा जाय। हमारी प्राचीन शिक्षाप्रणाली में जो बात मुझे सबसे अद्भुत और आकर्षक दिखाई देती है वह शिष्य और गुरु के बीच रहनेवाला अनोखा सम्बन्ध है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम आधुनिक परिस्थितियों के रहते हुए भी उस ओजपूर्ण और प्रेरणादायक सम्बन्ध को स्मरण करें और उससे कुछ सीखने का यत्न करें।

मैं आप सबको इस शुभकार्य को हाथ में लेने के लिए बधाई देता हूं। इन शब्दों के साथ मैं इस भवन का सहर्ष शिलान्यास करता हूं।



गुरुकुल शिक्षाप्रणाली और गुरु-शिष्य परम्परा

आचार्यों, स्नातको, बहनों तथा भाइयो,

मुझे इस बात की और भी प्रसन्नता हुई कि शिलान्यास के काम के अलावा आपने मुझे इस उत्सव में भी भाग लेने का सुअवसर दिया। यद्यपि मेरी अपनी शिक्षा दीक्षा उसी रीति से हुई थी जिस रीति से आजकल के लोगों की स्कूलों, कालेजों और यूनिवर्सिटियों द्वारा होती है मगर तौ भी मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि हमारी प्राचीन गुरुकुल पद्धति में बहुत-सी ऐसी बातें हैं जिनको अगर हम सीखें और स्मरण करें तो हमारी बहुत समस्याएं खुद व खुद हल हो जाएंगी।

आज आये दिन हमको यह सुनने में आता है कि हमारे देश के विद्यार्थियों में किसी प्रकार का संयम नहीं है और वे तरह-तरह के झगड़े में खुद फंसेते हैं और दूसरों को फंसाते हैं। मेरा अपना विश्वास है कि जैसा मैंने पहले कहा, गुरु और शिष्य का जो पहले सम्बन्ध रहा करता था वह हम फिर से इन विद्यालयों में कायम कर सकें और विद्यालयों में गुरु और शिष्य का सम्पर्क निकट का हो जाय और वे अधिक एक-दूसरे से मिलकर एक-दूसरे को प्रभावित करते जाएं ये सब दिक्कतें दूर हो सकती हैं और यद्यपि यह काम आसान नहीं है क्योंकि इसमें एक गुरु के साथ अनगिनत विद्यार्थियों का रहना सम्भव नहीं होता है, फिर भी उनका सम्पर्क अधिक जीवित और जागृत सम्पर्क हो सकता है यदि गुरु प्रत्येक विद्यार्थी के साथ कुछ मिले, उसके साथ कुछ बैठे, कुछ दोनों को एक-साथ रहने का मौका मिले और इसके लिए शिक्षकों की संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक पुरुष जिसने कुछ शिक्षा पा ली है अथवा प्रत्येक स्त्री जिसने कुछ पढ़-लिख लिया है शिक्षक बनना चाहे तो यह ठीक नहीं है। शिक्षक में बहुत गुण होते हैं। विद्या के अलावा उन गुणों का शिक्षक में होना आवश्यक है और इसलिए अच्छे शिक्षक बड़ी तायदाद में पैदा करना आसान काम नहीं है और जब तक शिक्षक अच्छे नहीं होंगे तो फिर उनके विद्यार्थी अच्छे नहीं होंगे। इसलिए जो दिक्कतें आज हमारे सामने देखने में आ रही हैं उनका विशेष कारण यही है। तो इसका उपाय यही है कि हमारे समाज में इस बात की ऐसी शृंखला बनी रहे कि अच्छे से अच्छे लोग शिक्षक के काम में आवें।

आजकल समाज में ऐसा होता है कि लोग सब आदमियों की उनकी योग्यता से नहीं, रुपये से कीमत मापते हैं। इसका नतीजा यही होता है कि जो दूसरे काम में जाते हैं जिनमें बहुत अधिक पैसे मिल सकते हैं अच्छे लोग उन्हीं में लग जाते

है। शिक्षा के काम में जैसे लोगों को आना चाहिए वैसे लोग काफी तायदाद में नहीं आते हैं क्योंकि समाज में पैसे की कीमत है और उस काम में ज्यादा पैसे नहीं मिलते। तो जब तक समाज में इस भावना को बदला नहीं जाय तब तक यह काम पूरा नहीं हो सकता है। सच पूछिए तो आजकल के शिक्षक पहले के शिक्षकों की तुलना में कुछ कम पैसे नहीं पा रहे हैं। जो प्राचीन काल में गुरु हुआ करते थे वे पैसे के लिए गुरु नहीं होते थे। वास्तव में जो उनके पास विद्यार्थी आते थे उनको गुरु विद्या दान के अलावा खिलाते भी थे। विद्यार्थी थोड़ी लकड़ी तोड़कर ला देता था वही उसकी फीस होती थी, गुरु-दक्षिणा होती थी। मगर दूसरी तरफ यह चीज थी कि समाज गुरु को प्रतिष्ठा देता था और समाज की प्रतिष्ठा को लोग बड़ी कीमती चीज समझते थे। आज गुरु के लिए न तो पैसा है और न प्रतिष्ठा ही है। इसीलिए अच्छे लोग शिक्षक के काम की ओर कम आते हैं, ज्यादा तायदाद में नहीं आते हैं। इसलिए समाज और कुछ नहीं करे अगर पैसे ज्यादा नहीं दे सके तो कम से कम शिक्षकों को इज्जत दे, प्रतिष्ठा दे। इस भावना को बदलना है। यह भावना बदल जाए और समाज शिक्षक को दूसरे प्रकार के सेवकों से ऊंचा दर्जा देने लग जाए तो यह काम भी आसानी से हो सकता है और इसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। यदि विद्यार्थी यह समझें कि उनको भी एक दिन शिक्षक बनना है तो बचपन से, विद्यार्थी काल से उद्यम लगावें, कोशिश करें जिसमें समाज में उनके गुरु की प्रतिष्ठा हो और यह भावना पैदा होगी तो इसका बहुत दूर तक असर हो सकता है। मैं इस मौके पर इसलिए इस बात की ओर संकेत नहीं कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत यूनिवर्सिटियां बन गयी हैं या बनती जा रही हैं। मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि इसमें विद्यार्थी का दोष है, गुरु का दोष है या समाज का दोष है। मैं तो जो परिस्थिति है उसको बतला रहा हूँ। ऐसी परिस्थिति हमारी आंखों के सामने है और उसके लिए अगर कोई मौलिक उपचार हो सकता है तो यही उपचार हो सकता है कि हम अच्छे शिक्षक तैयार करें और अच्छे शिक्षक तैयार करने के लिए सबसे पहले उनकी समाज में प्रतिष्ठा होनी चाहिए।

आप सब ने मुझे सम्मानित किया इसके लिए मैं क्या कहूँ। मैं तो समझता हूँ कि यह सम्मान उस पद का सम्मान है जिस पर आपने मुझे बैठाया है। इसके लिए सब को मैं धन्यावाद देता हूँ।

स्नातकों से मैं यही कहूँगा कि जैसा उनको आदेश दिया गया है वे समझें कि कहां उन्होंने शिक्षा पायी है, किस से शिक्षा पायी है और जीवन के प्रत्येक काम में वे इस बात को समझें कि वे स्नातक हैं और जो उन्होंने प्रतिज्ञा की है उसका पालन करना उनका धर्म है।

मथुरा में सार्वजनिक सभा में भाषण

मन्त्री महोदय, नगरपालिका के अध्यक्ष महोदय, सदस्यगण, देवियो और सज्जनो,

किसी भी भारतवासी के लिये विशेषकरके अगर वह हिन्दू हो यह एक सौभाग्य का विषय होता है कि मथुरा की पवित्र नगरी में कुछ क्षण के लिये भी वह किसी तरह से पहुंच सके और यहां का दर्शन कर सके। आज सवेरे जब से मैं यहां आया हूं अनगिनत भाई-बहनों के दर्शन मिले हैं, साथ ही साथ सभाओं और उत्सवों में भी सम्मिलित होने का सुअवसर मिला है और देव दर्शन भी कर पाया हूं और इस समय नगरपालिका के लोगों की ओर से जो मुझे सम्मान दिया गया है वह भी मेरे लिये एक कीमती चीज है। मैं मथुरा के नगरवासियों और सभी संस्थाओं का जिन्होंने मेरा आदर किया है, स्वागत किया है हृदय से धन्यवाद करता हूं।

आपने नगरपालिका की क्या इच्छा है, क्या अभिलाषा है वह भी बताया, नगरपालिका अब तक क्या कर पायी है और क्या कर रही है वह भी आपने मानपत्र में बताया। जो कुछ आप कर पाये हैं उसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं और जो आपकी अभिलाषाएं हैं उनकी पूर्ति के लिये मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका मनोरथ सफल हो।

इस समय भारतवर्ष एक कठिन समय से होकर गुजर रहा है। हाल ही में हम स्वतन्त्र हुए हैं। स्वतन्त्रता के बाद बड़े-बड़े मनसूबे लेकर देश में दरिद्रता, शिक्षा का अभाव, बीमारी और गरीबी सब कुछ दूर करने का इरादा करके हम काम में लगे हुए हैं। काम कठिन है। इसमें समय लगेगा। और धन का अभाव है। अभी जो कुछ हो पाया है उसका फल थोड़ा-बहुत देखने को मिला है मगर मुझे आशा है कि जब काम पूरा होगा तो देश अवश्य सम्पन्न होगा, सुखी होगा और बहुत-सी तकलीफों और कमजोरियों से मुक्त होगा। इसी आशा से यह सब कुछ किया जा रहा है, पर जिस तरह से किसी भी काम को पूरा करने में समय लगता है और जब तक वह पूरा नहीं होता तब तक उसकी फल-प्राप्ति के लिये इन्तजार करना पड़ता है तो इस बड़े काम में हमको इन्तजार करना पड़े तो इसमें न तो हतोत्साह होना चाहिये

नगरपालिका द्वारा दिये गये मानपत्र के जवाब में भाषण, मथुरा, 25 दिसम्बर,

और न घबड़ाना चाहिये और यदि आज हमको कुछ तकलीफ उठानी पड़ रही है, त्याग करना पड़ रहा है तो उससे नहीं घबड़ाना चाहिये। जब किसान खेत में बीज फेंक देता है तो वह इसलिये कि बीज जमीन में जाकर सड़ गल जाये और उस सड़े गले बीज से नया पौधा निकले और वह फल दे। उसी तरह से आज हम भी बीज फेंक रहे हैं। मगर पौधे की जड़ बनती जा रही है, अंकुर निकलने लग गये हैं और कहीं-कहीं दृष्टिगोचर भी हो रहे हैं। थोड़े बहुत हिस्से में फल भी लगने लग गये हैं। इसलिये न तो घबड़ाने की बात है और न निराशा होने की बात है। मामूली धैर्य की जरूरत है जो छोटे काम में भी मनुष्य की रक्षा करता है।

साथ ही हमें यह मान लेना चाहिये कि कोई भी बड़ा काम हो जिससे सारे देश को लाभ पहुंचता हो तो वह किसी एक के करने का नहीं, उसे जितने भी आदमी करें वह पूरा नहीं हो सकता। उसमें सभी लोगों को हर तरह से पड़ जाना पड़ता है और लग जाना चाहिये।

साथ ही इस चीज को भी नहीं भूल सकते हैं कि हमारी नवजात स्वतन्त्रता अभी पूरी तरह से फैली भी नहीं है। इस देश के अन्दर तरह-तरह के भेदभाव उठ खड़े होते हैं, झगड़े पैदा हो जाते हैं, दलबन्धियां शुरू हो जाती हैं और जो असली मकसद है उसको भूल करके छोटी-छोटी बातों के लिये आपस में झगड़े करने लग जाते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि बड़े कामों में विघ्न-बाधा पड़ जाती है और हम जितना चाहते हैं उतना वह नहीं होता।

इसके अलावा हमको यह भी याद रखना है कि यह बड़ा देश है, इसमें अनेक धर्मों के माननेवाले, अनेक भाषाओं के बोलनेवाले अनेक प्रकार के प्रान्त बने हुए हैं और इन सब में यद्यपि दूर से देखने से बहुत प्रकार की विभिन्नताएं हैं मगर उनमें अन्तर्गत एकता है जो अनन्तकाल से सारे भारतवर्ष को एक करके रखे हुए है और हजार मुसीबतों के आने पर भी, तरह-तरह के राजनैतिक उलट-फेर होते रहने पर भी भारत की वह एकता आज भी कायम है और आज राजनैतिक एकता भी हमको मिल गयी है जिसकी वजह से एक संविधान के नीचे सारा भारतवर्ष आज प्रकाशित है, जिसमें एक सरकार है, जिसका हुकम सारे देश में चलता है। जैसा इतिहास भर में आज तक कभी नहीं हुआ था। तो इस बड़ी चीज को हमको सुरक्षित रखना है, सुरक्षित रखना है अपनी कमजोरियों से, सुरक्षित रखना है बाहरी

आक्रमणों से और जब तक सब के सब चौकस नहीं रहेंगे, इसको सुरक्षित रखने में समर्थ नहीं हो सकेंगे ।

इसलिये यह जरूरी है कि प्रत्येक भारतवासी चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे उसका कुछ भी धर्म हो, चाहे वह कहीं का रहनेवाला हो, चाहे हमारे आपस के जितने भी मतभेद हों सबके रहते हुए भारत एक है और उसकी रक्षा हम सब का बड़ा धर्म है इस चीज को किसी को नहीं भूलना चाहिये । हमारे पूर्वजों ने इस एकता को सुरक्षित रखने के लिये कई रास्ते बनाये थे । एक रास्ता तो यह था कि भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न भागों में ऐसे स्थान, पवित्र स्थान, तीर्थ स्थान बना दें जहां सारे भारतवर्ष के लोग आते-जाते रहें और इस तरह से आने-जाने में उनका सारे भारतवर्ष से परिचय हो जाय और भारत की एकता उनकी आंखों के सामने आ जाये । दूसरा रास्ता उन्होंने सांस्कृतिक एकता कायम करने का यह निकाला कि उन्होंने संस्कृत भाषा के द्वारा सारे देश को एक भाषा में बांध डाला और यद्यपि वह भाषा बोलचाल की भाषा शायद ही कभी रही हो मगर सारे देश की संस्कृति की भाषा होने के कारण ही उसका नाम संस्कृत पड़ा या भाषा संस्कृत होने की वजह से संस्कृति शब्द निकला हो । जो हो, इन तरीकों से हमारे पूर्वजों ने सारे देश को एक सूत्र में बांधकर रखा । एक के बाद दूसरे वादशाह आये और गये, एक राजा के बाद दूसरे राजा आये और गये, इसी प्रकार से कई प्रकार के उलट-फेर होते रहे पर भारत एक रहा । अब जरूरत है कि जो हमको राजनैतिक एकता मिल गयी है उससे भी लाभ उठाएँ, उस एकता को दृढ़ करें, और उसको सुरक्षित रखें, देश की आजादी को सुरक्षित रखें जिसमें हमेशा के लिये हमारी आनेवाली सन्तान हमको धन्यवाद देती रहे कि हमारे वक्त में न केवल आजादी ही मिली बल्कि हमने उस आजादी की इस तरीके से सच्ची नींव डालकर उसे दृढ़ बना दिया था ।

इस काम में आपका भी भाग है और जो स्थान जितना महत्व रखता है उसका भार भी उतना ही बड़ा होता है । मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे और देश को उठाकर उसे सुरक्षित रखेंगे ।

मैं आप लोगों को एक बार और धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा इतना आदर किया ।

हिन्दी शिक्षा प्रसार—एक रचनात्मक कार्य

देवियो और सज्जनो,

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आपके इस समारोह में आज मैं शरीक हो सका। जैसा आपने कहा है, इस प्रकार के काम में मेरी दिलचस्पी हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी क्योंकि मैं समझता हूँ कि हिन्दी शिक्षा का काम भारतवर्ष के लिये अत्यन्त आवश्यक काम है और उसमें भी वह शिक्षा जिसके द्वारा राष्ट्र-भाषा के लिये प्रचार हो उसकी आवश्यकता कही नहीं जा सकती।

मुझे जब-जब मौका मिला है मैं बराबर बताता आया हूँ कि यह हिन्दीभाषियों का काम है कि जो लोग हिन्दी नहीं जानते हैं उनके बीच हिन्दी का प्रचार करें। प्रचार का रूप ऐसा नहीं होना चाहिये जिससे यह मालूम हो कि किसी पर दबाव डाला जा रहा है बल्कि उनका काम यह होना चाहिये कि सब लोगों की रुचि हिन्दी की ओर खींचें और लोगों में उत्साह पैदा करें जिसमें स्वयं अपनी इच्छा से वे हिन्दी सीखने के लिये तैयार हो जायें।

इसके लिये दो चीजें जरूरी हैं। एक तो यह जरूरी है कि हिन्दी भाषा की उन्नति हो, हिन्दी का साहित्य इतना अच्छा बने कि जिसमें लोगों की खुद व खुद उसकी तरफ रुचि बढ़े और इसके साथ-साथ प्रचारकों की भी जरूरत है कि जो हिन्दी नहीं जानते हैं उनके लिये हिन्दी सीखना सुलभ कर दें। यह परिषद् कई वर्षों से यह काम करती आयी है। कलकत्ता जैसे नगर में जहां सभी भाषाओं के बोलने-वाले और समझनेवाले रहते हैं इस प्रकार की संस्था की आवश्यकता हमेशा रही है और हमेशा रहेगी।

मुझे याद है कि कई वर्ष पहले जब महात्मा गांधी ने हिन्दी प्रचार का काम दक्षिण भारत में शुरू किया था तो इसी तरह का एक समारोह किया गया था जहां मुझे आज की तरह प्रमाण पत्र, पारितोषिक बांटने का सुअवसर मिला था। मुझे याद है मैं उस समारोह में तीन पीढ़ियों को प्रमाण पत्र और पदक दे सका था, दादा, माता और लड़की और खुशी की बात यह थी कि जो सबसे छोटी लड़की थी अपने दादा और मां से अधिक तेज निकली थी। यहां भी कुछ उसी प्रकार का समारोह मैंने देखा है कि कुछ वयोवृद्ध लोगों को प्रमाण पत्र देने पड़े और

कलकत्ता राज भवन में भारतीय हिन्दी शिक्षा परिषद् के दीक्षान्त समारोह में भाषण; 27 दिसम्बर, 1959

साथ-साथ कुछ ऐसे छोटे बच्चों को प्रमाण पत्र देने पड़े जिनको यह बताना जरूरी पड़ा कि इसे ले जाओ और रखो ।

यह देखकर खुशी हुई कि प्रमाण पत्र पानेवालों में कुछ हिन्दीभाषी थे जिन्होंने इसमें योग्यता प्राप्त की है मगर उनसे बढ़कर आश्चर्य और खुशी इस बात में है कि जो हिन्दीभाषी नहीं है उनकी संख्या भी काफी रही है और यह देखकर मुझे और भी बड़ी खुशी हुई कि इस प्रकार के काम में अहिन्दीभाषी लोग पूरी तरह से भाग ले रहे हैं और अपने बच्चों को विशेषकर प्रोत्साहन दे रहे हैं । मैंने कई सिन्धी और पारसी बच्चे-बच्चियों को देखा है, बंगाली बच्चों को देखा है जिन्होंने प्रमाण पत्र पाये हैं और कई दक्षिण के थे जो इस प्रकार की परीक्षाओं में तेज होते हैं और प्रमाण पत्र तथा पदक ले जाते हैं । यह बड़ा शुभ लक्षण है कि इस प्रकार से हिन्दी का प्रचार बढ़ता जा रहा है और इस तरह की संस्था इस प्रकार के काम में बहुत सहायक हो सकती है जिसका प्रमाण इस प्रकार का समारोह ही है ।

इसलिये मैं परिषद् के संचालकों को बधाई देता हूं और विशेषकरके उनसे यह कहना चाहता हूं कि वे कलकत्ते में काम कर रहे हैं तो इस बात को नहीं भूलें कि कलकत्ता केन्द्र है बंगाल का और बंगला भाषा एक उन्नत भाषा है, एक बहुत ऊंचे दर्जे की भाषा है जिसका साहित्य बहुत ऊंचा और उन्नत है । आप यह नहीं भूलें कि आप उससे जो कुछ ले सकते हैं उसको आपको लेना चाहिये क्योंकि जो सुविधा उनको है जो कलकत्ते और बंगाल में रहते हैं वह सुविधा दूरस्थ लोगों को नहीं हो सकती है कि बंगला साहित्य से जितना लाभ हिन्दी साहित्य को पहुंचा सकते हैं पहुंचावें और यद्यपि मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि बहुतेरे हिन्दी साहित्यकारों ने बंगला के ऊंचे साहित्य को हिन्दी में सुलभ करके हिन्दी-भाषियों के लिये प्रस्तुत कर दिया है तो भी यह कमी तो दूर हो सकती है नहीं क्योंकि बंगला साहित्य भी दिन-प्रति-दिन बढ़ता ही जा रहा है और जब तक इस काम को हिन्दीभाषी हमेशा जारी नहीं रखेंगे, चलाते नहीं जायेंगे तो वे पीछे रह जायेंगे । इसलिये हिन्दी प्रचार के साथ-साथ हिन्दी के प्रचारकों का काम है कि बंगला के साहित्य से हिन्दी बोलनेवालों को परिचय कराते जायें ।

यहां पर मैंने देखा कि सिन्धी बच्चे, गुजराती बच्चे, पारसी बच्चे, यहां तक कि चीनी बच्चे भी हिन्दी सीख रहे हैं । अगर हिन्दी द्वारा बंगला साहित्य उनको मिल जाये तो उनके लिये आसानी होगी क्योंकि वे मौका देखकर स्वयं बंगला से लाभ उठावेंगे और आप भी उनको इस तरह का साहित्य पहुंचा सकें तो यह काम कुछ कम नहीं होगा ।

मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूँ कि हिन्दी के प्रचार का काम आवश्यक है मगर साथ ही किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाय। मेरा अपना विश्वास है कि सारा देश इस भावना से अनुप्राणित है कि अपने देश में अपनी ही भाषा राष्ट्रभाषा होनी चाहिये और चूँकि हिन्दी बोलनेवालों की संख्या और भाषाओं के बोलनेवालों की संख्या से अधिक है, इसलिये हिन्दी को सभी लोगों ने एकमत होकर राष्ट्रभाषा का मान प्रदान किया है। ऐसी हालत में हमको हिन्दी भाषा को इस तरीके से उन्नत करना चाहिये, अपने भंडार को भरना चाहिये जिसमें हिन्दी जाननेवालों को सब कुछ जानने का लाभ और मौका मिलता जाए।

आज अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिये किसी को प्रोत्साहन देने की जरूरत नहीं है। आज बहुत ऐसे हिन्दीभाषी हैं जो अंग्रेजी में लिखते हैं, उनके ग्रन्थ अंग्रेजी में छपा करते हैं क्योंकि उसके पढ़नेवाले बहुत हैं और साथ ही एक बात यह भी है कि उसकी शैली, भाषा और शब्दावली इतनी उन्नत है कि उसके द्वारा वे सब विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। उसी तरह से हिन्दी को भी उस दर्जे में जाना चाहिये जिसमें किसी प्रकार के विचार को व्यक्त करने में कठिनाई नहीं पड़े और शैली भी उसकी ऐसी हो जिसमें सभी प्रकार के विचार उसमें जाहिर किये जा सकें। कभी-कभी कुछ लोग कह देते हैं कि हमारे पास टेकनिकल शब्द नहीं हैं जो हिन्दी में इस्तेमाल हो सकें। इस विषय की ओर ध्यान नहीं गया है इसीलिये हिन्दी में ही नहीं, भारतीय प्रायः सभी भाषाओं में यह अभाव मौजूद है और इसको पूरा करना आवश्यक है। इसको अगर हम अपनी भाषाओं से अथवा जो सब भाषाओं की माता संस्कृत है उससे पूरा नहीं कर सकते हों तो विदेशी शब्दों को लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिये।

मगर यह भी कहना ठीक नहीं है कि अगर कोई विषय हिन्दी में लिखा जाय और उसमें ऐसे शब्द आवें जो मामूली हिन्दी जाननेवालों के लिये समझना कठिन हो तो हिन्दी भाषा में ही कोई दोष है। मैं कहता हूँ कि आज मेडिसिन की कोई किताब ले लीजिये, फिजिक्स की कोई किताब ले लीजिये अगर वह अंग्रेजी में भी हो तो सभी अंग्रेज जिन्होंने उस विषय को नहीं पढ़ा हो उसे नहीं समझ सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई विषय हिन्दी में लिखा जाय और वह जटिल विषय हो जो साधारण लोगों की समझ में नहीं आवे तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। भाषाओं की जटिलता विषयकी जटिलता पर निर्भर करती है। कोई विषय जहाँ तक हो सके सरल भाषा में लिखना चाहिये और खासकरके किसी भाषा को लोकप्रिय बनाना हो तो उस भाषा का साहित्य यद्यपि सरल होना चाहिये पर उसका इतना दर्जा होना

चाहिये कि अपने विचारों को व्यक्त कर सके। इसको हम न भूलें। तो इस प्रकार से दो प्रकार के ग्रन्थ हो सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो विशेषज्ञों के लिये लिखे जायेंगे, उसको दूसरे लोग मामूली तरह से नहीं समझेंगे। और दूसरे ग्रन्थ ऐसे होंगे जिनको जन साधारण के लिये सीधी-सादी भाषा में लिखना होगा।

तो प्रचार के साथ-साथ साहित्य निर्माण का काम भी उतनी ही तेजी के साथ, तत्परता के साथ करना है और इसीलिये मैंने कहा कि जिसको जहां जो सुविधा हो वहां ही उस सुविधा से लाभ उठाकर हिन्दी के प्रचार के साथ-साथ भाषा को उन्नत बनावे और वही हिन्दी की सच्ची सेवा होगी। इसके लिये समय तो लगेगा मगर समय लगने के कारण निराश होने की बात नहीं है। जैसे-जैसे काम बढ़ता जायेगा, भाषा की शक्ति बढ़ती जायेगी और जैसे-जैसे नये विचार आते जायेंगे वैसे-वैसे नये-नये विचारों को व्यक्त करने की शक्ति भाषा प्राप्त करती जायेगी।

अगर आज कोई चाहे कि आज की भाषा में तुलसीदास जी की जैसी रचना करले तो वह नहीं हो सकेगा और आजके आधुनिक विषयों को कोई तुलसीदास जी की भाषा में लिखना चाहे तो वह भी नहीं हो सकेगा। पर हमको दोनों चाहिये, तुलसीदास जी ने जो कुछ दिया है उसे भी रखना है और आज के युग में जो कुछ हो रहा है उसे भी लेना है। इसलिये जब हम प्राचीन और नवीन दोनों का बंधन कायम करके और जिस तरह से भाषा की वृद्धि हो, उन्नति हो इन दोनों काम को करके आप दिखलायें तभी हिन्दी की सेवा आप कर सकेंगे।

हिन्दी प्रचारकों का काम जैसा मैंने कहा है महत्वपूर्ण है और निर्माण का काम हम समझते हैं कि साहित्यकारों का है। मैं आशा करता हूं कि परिषद् जिस तरह से अब तक काम करती आयी है और भी काम को आगे बढ़ायेगी और निर्माण के काम की ओर भी अधिक से अधिक ध्यान देगी जिसमें प्रचार के साथ-साथ निर्माण का काम होता रहे और इस निर्माण के काम में बंगला से सहायता लेनी चाहिये।

मैं छोटे बच्चे-बच्चियों को आशीर्वाद देता हूं जिन्होंने परीक्षा पास करके प्रमाण पत्र पाये हैं, पदक पाये हैं। उन वयोवृद्ध बुजुर्ग भाईयों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस समय में इस काम को आरम्भ किया और सफलता प्राप्त की है। मैं परिषद् के लोगों को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि वे इस क्षेत्र में जो बहुत ही विकट क्षेत्र है इस प्रकार से आसानी से काम कर रहे हैं। जय हिन्द।

गांववालों को काम कैसे मिल सकता है

गांव के लोगों को किस तरह से उन्नत करना चाहिये आप जिस तरह से इस काम को कर रहे हैं वह बहुत अच्छा हो रहा है और मुझे अभी यहां जो थोड़ी-बहुत खबर मिली है उसका मेरे ऊपर यह असर हुआ है कि आपका रास्ता सही है क्योंकि हिन्दुस्तान की तरक्की गांवों की तरक्की पर निर्भर है। जब तक गांवों को सुधारा नहीं जायेगा तब तक हिन्दुस्तान को सुधारना मुश्किल है। वजह यह है कि अभी भी और आशा है कि बाद में भी बहुत दिनों तक हिन्दुस्तान में 100 आदमियों में से 70 या उससे भी अधिक लोग गांवों में बसते हैं और अधिक लोग बसते रहेंगे। तो अगर हमारा ध्यान सिर्फ शहरों की ओर ही रहा और गांवों की ओर नहीं गया तो हम सिर्फ 30 आदमी को ही सुखी बनायेंगे और 70 आदमी को दुखी ही छोड़ देंगे। हमारा काम है कि हम सभी की तरक्की करें और सब की तरक्की की जा सकती है। यहां गांवों में जो कुछ हो रहा है उसका उद्देश्य यही है कि 70 को भी साथ लेकर आगे बढ़ें। शहर में जो लोग बसते हैं उनकी भी तरक्की हो मगर गांव के लोगों की ओर कम ध्यान जाता है इसीलिये यह कहने की जरूरत होती है कि उनको भी आगे बढ़ायें और ऐसा इन्तजाम होना चाहिये कि वे अपने पैरों पर खड़े हो जायें। गांव के लोग हमेशा से सारे देश के लिये अन्न देते रहे हैं, आज भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। उनकी तरक्की होगी तभी वे खुद भी खायेंगे और दूसरों को भी खिलायेंगे। अगर वे अन्न पैदा नहीं करेंगे तो दूसरे लोग जो उन पर भरोसा करते हैं अन्न के बिना मर सकते हैं। इसलिये जहां-जहां उनमें जो कमजोरी है, उनकी जो दिक्कतें हों उनको दूर करके उनको ऊपर उठाना यही सबसे बड़ा काम है।

महात्मा गांधी कहते थे कि सब को काम मिलना चाहिये। एक जगह बैठकर काम करना चाहिये। इतने बड़े देश में आप देखेंगे कि एक कुएं से एक लोटे से पानी खींचा जाय तो दो बेल लगते हैं। अगर कहीं ऊंचाई पर पानी हो और उसमें नल खोल दिया जाय तो उससे खाने पीने नहाने के लिये जल दिया जा सकता है। हम लोगों को यह देखना है किस तरह से सारे देश को ऐसी जगह तक पहुंचायें कि उसकी तरक्की खुद-ब-खुद ऐसी हो जाय कि लोगों तक पहुंचाने के लिये प्रयत्न नहीं करना पड़े, खाना-पीना नहीं खोजना पड़े। वह तभी हो सकता है

खादी ग्रामोद्योग संघ, पूसा रोड, में कार्यकर्त्ताओं के सम्मुख भाषण; 30 दिसम्बर,

जब सभी जगह गांवों में स्कूल तैयार कर दिये जायें और लोगों को शिक्षा दी जाय और उनमें यह अभिलाषा हो जाय कि वे तरक्की करेंगे, आपस के झगड़े खतम हो जायें, लोग एक-दूसरे पर भरोसा करना सीख जायें। आप लोग अन्न पैदा कर ही रहे हैं, कपड़े पैदा कर लें, गांवों में शिक्षा का प्रबन्ध कर लें। शिक्षा बहुत बढ़ती जा रही है, उसके साथ-साथ बेकारी भी बढ़ेगी क्योंकि जितने लोग स्कूलों और कालेजों से निकलते हैं सब नौकरी खोजते हैं और सब को नौकरी नहीं मिल सकती। तो यह असंतोष का कारण हो जाता है। तो इस असंतोष को रोकने का तरीका यही है कि जो जहां पर हों वहां ही बैठे रहकर जो काम वह कर रहे हैं उसको बेहतर करें। इस तरह से काम होगा तभी देश उन्नति कर सकेगा।

जो आप लोग गांवों में काम करते हैं इसी चीज को सिखा रहे हैं। इसलिये मैं इस काम को बहुत महत्व देता हूं और मैं चाहता हूं कि आप अपने काम को उत्साह, हिम्मत और त्याग के साथ करते जायें और ऐसा होगा तो इसमें शक नहीं कि आपको सफलता मिलेगी और आप सारे देश के लिये पथप्रदर्शक बन सकेंगे। आप अगर अपने काम को अच्छी तरह से करेंगे तो आप दूसरों के लिये नमूना पैदा करेंगे।

मैं और क्या कहूं। जो कुछ मैंने सुना, देखा उससे प्रसन्नता हुई और मैं आप सब को बधाई देता हूं।

पूसा रोड (बिहार) में सार्वजनिक सभा में भाषण

राज्यपाल महोदय, श्री ध्वजा प्रसाद साहु, बहनों और भाइयो,

जैसा अभी ध्वजा बाबू ने कहा, लक्ष्मी बाबू का इस मौके पर न होना मुझे भी बहुत खटक रहा है क्योंकि यहां पर जो कुछ काम इतने पैमाने पर हो रहा है उसे सिर्फ शुरु करने का ही नहीं बल्कि उसको बहुत हद तक दिशा दिखलाने और चलाने का श्रेय लक्ष्मी बाबू का ही है। आज जो कुछ हो रहा है उसे उनकी आत्मा संतोष के साथ देखती होगी और आप सब को याद रखनी चाहिये कि जो काम वह अधूरा छोड़ गये हैं उसको पूरा करने का भार आप सब पर है।

इस वक्त हिन्दुस्तान में बहुत तरह के काम हो रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े काम हो रहे हैं। मैं इधर तीन दिनों से बंगाल की कई जगहों में घूम रहा था और दो यूनिवर्सिटियों में जहां ऊंचे दर्जे के इंजीनियरिंग इत्यादि की शिक्षा दी जाती है मैंने भाषण दिये। उसके बाद कल मैंने दुर्गापुर में लोहे के एक बहुत बड़े कारखाने का उद्घाटन किया जहां जब पूरा कारखाना तैयार हो जायेगा तो करीब दस लाख टन या उससे भी अधिक लोहा तैयार होने लगेगा। एक दृश्य वह था जहां बड़े उद्योगों के कारखाने और उनके लिये काम करनेवाले तैयार करने के लिये जो प्रबन्ध किया जा रहा है उसको मैंने देखा और जिस प्रकार से उस दिशा में कोशिश हो रही है उसका थोड़ा-थोड़ा अन्दाजा मुझे लगा। इसमें शक नहीं कि पिछले 10, 12 वर्षों में इस दिशा में बहुत काम हुआ है, बड़ी-बड़ी योजनाएं बनायी गयी हैं जिनसे हर प्रकार के बड़े-बड़े उद्योगों को मदद मिलती है और साथ ही हमारे यहां कृषि के लिये बड़ी-बड़ी नदियों को बांध करके उनमें से नहर निकाल कर और दूसरे जरिये से खेत पटाने के लिये पानी का प्रबन्ध किया गया है। बड़े-बड़े कारखानों में और दूसरी जगहों में बिजली निकाली गयी है और दूर-दूर तक शहरों में तथा देहातों में पहुंचायी गयी है और यह उम्मीद की जाती है कि इस बिजली के जरिये से और यह उम्मीद बहुत हद तक पूरी भी होती जा रही है कि छोटे-छोटे कारखाने, कल पूर्ण घर-घर में दाखिल होंगे और उन पर घर-घर में काम होने लगेगा। इसके अलावा रोशनी तो मिलेगी ही। जो पंखे लगाते हैं उनको पंखे भी मिलेंगे। यह सब एक प्रकार का काम है जिस पर अरबों रुपये खर्च हो गये हैं और अरबों रुपये और खर्च होने हैं। सारे देश में यह उम्मीद की जाती है कि उनके जरिये से लोगों का धन बढ़ेगा, उनकी हालत सुधरेगी और जो आज उनकी आमदनी है उसमें

वृद्धि होगी। इससे यह भी आशा रखी जाती है कि लोगों को खाने में भी कुछ सुविधा होगी, अन्न कुछ अधिक मिलेगा, कपड़ा अधिक पहनने को मिलेगा और हर तरह से लोग सुखी होंगे।

दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि जो बड़े-बड़े कारखाने होते हैं उनमें आदमी काम लगते हैं। एक कारखाने के जरिये से जितना माल तैयार हो सकता है उसमें जितने आदमी लगेंगे उससे कई गुना आदमी लगेंगे अगर आदमी हाथ से उसे तैयार करना चाहेंगे। कपड़े को ही ले लीजिये मैं समझता हूँ कि कारखाने में एक दो मजदूर मिलकर जितना कपड़ा तैयार करता है शायद हाथ-कर्वे और चर्खे से 50 या उससे भी अधिक मजदूर मिलकर तैयार करेंगे तब उतना कपड़ा तैयार हो सकता है। जहां एक तरफ कारखाने का यह नतीजा होता है कि सामान बहुत तैयार हो सकता है, प्रचुर मात्रा में मिल सकता है और लोगों में पहुंच सकता है वहां दूसरी ओर इसका एक नतीजा यह भी होता है कि जो कारखाने में काम करते हैं उनकी तायदाद कम होती है, बहुत लोग जो इस काम में लगे रहते थे वे बेकार हो जाते हैं। तो हमारे देश में इस चीज की जरूरत है कि जहां तक हो सके सब सामान अपने देश में तैयार कर लें और सारे देश में पहुंचायें। दूसरी ओर इस बात की भी उतनी ही जरूरत है कि देश में बेकारी नहीं रहने पावे क्योंकि लोग बेकार रहेंगे, उनको आमदनी नहीं रहेगी तो तैयार माल भी वे नहीं ले सकेंगे, वह माल भी नहीं बिकेगा। इसलिये यह हमेशा जरूरी हो जाता है कि लोगों को काम मिले, वे बेकार नहीं बैठें और हर आदमी अपने समय को अच्छे काम में लगाकर पैदा कर सके तो दूसरी ओर इसकी भी जरूरत होती है कि उसकी हम प्रचुर प्राप्ति कर लें और सुविधा के साथ उसको बना सकें। हमको जरूरत इस बात की है कि इन दोनों में मेल करावें और इस बात की ओर भी जरूरत हो जाती है क्योंकि हमारी आबादी बहुत है।

इस मुल्क में यद्यपि इस मुल्क की लम्बाई-चौड़ाई काफी है करीब-करीब 40 करोड़ लोग बसते हैं और हर साल 50, 60 लाख नये लोग पैदा होते जाते हैं। तो इस तरीके से आबादी इतनी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। जितने नये लोग होंगे उनको धंधा मिलना चाहिये, खाने के लिये अन्न मिलना चाहिये तभी रह सकेंगे। अभी ग्रैं स्टेशन से यहां आ रहा था तो रास्ते में देखता आता था और गवर्नर साहब से कहता आता था कि इतनी भीड़ में 40 वर्ष के ऊपर कितने लोग हैं। मुझे देखने में कम उम्र के ही लोग अधिक थे, ज्यादातर नवजवान लोग ही थे, थोड़े ही दिनों के अन्दर पैदा हुए लोग ज्यादा थे और उनकी तायदाद बढ़ती जा रही है। तो हमारे लिये

यह आवश्यक हो गया है कि जो ये लोग आ रहे हैं उनको हम धंधा दें। वह धंधा वहीं हो सकता है जिसमें वे अपने को अच्छी तरह से लगा सकें। शहरों में कारखानों के जरिये से इस तरह का काम मिलता है। मगर हिन्दुस्तान में अभी भी बहुत करके देहातों में लोग रहते हैं और बहुत दिनों तक देहात में रहेंगे और देहात का आज भी सब से बड़ा काम खेती का काम है, कृषि का काम है जिसमें अधिक से अधिक लोग लगे हुये हैं। मगर किसानों को किसी दूसरे धंधे की जरूरत है जिसमें वे अपना बचा हुआ वक्त लगा सकें और कृषि को दूसरे काम से मिला जुला कर इतना पैदा कर सकें कि वे सुख से रहें। खेती की तरक्की की जाय और इस तरह से की जाय कि जहां लोग एक मन पैदा करते हैं उसके बदले में दो मन पैदा करें या उससे भी अधिक करें, और जहां गाय एक सेर दूध देती है वहां लोग दो सेर, ढाई सेर, तीन सेर दूध निकालें, जहां लोग सब्जी साग थोड़ा पैदा करते हैं वहां बहुत मात्रा में पैदा करें।

खास करके आपका इलाका एक ऐसा सुन्दर इलाका है, जमीन ऐसी उपजाऊ है जहां आप सब कुछ पैदा कर सकते हैं और काफी मात्रा में पैदा कर सकते हैं। मगर बावजूद इन सब चीजों के यहां भी और मुल्कों में जो पैदावार होती है उससे पैदावार बहुत कम है। इसलिये ऐसा तरीका अख्तियार करना चाहिये जिसमें खेती की पैदावार बढ़ सके। वह ऐसी चीज नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते हैं। जानने की जरूरत है। जानने की आवश्यकता है कि जिसको आप करते आये हैं उसमें थोड़ा हेर फेर करके, अदल बदल करके ऐसी तरक्की लावें कि एक के बदले में दो पैदा कर सकें। अच्छे बीज लगाने से पैदावार बढ़ जाती है। बोने के तरीके में फर्क करना, जैसे धारी लगाना, दूर दूर पर बोना, वक्त पर मिट्टी देना, पानी देना इन सब चीजों की तरफ ध्यान दिया जाय, उसमें कितना खाद देना चाहिये, कौन सा खाद किस जमीन के लिये योग्य है, उसको कब देना चाहिये इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाय तो पैदावार बढ़ सकती है।

इसी तरह से दूध घी की पैदावार बढ़ाना जरूरी है, गाय की नस्ल सुधारी जाय जिसमें वह ज्यादा दूध दे सके, अच्छे बछड़े दे सके और उनको खिलाने के बारे में सोचना कि कौन सी चीज खिलायी जाय जिसमें वह ज्यादा दूध दे सकें। खोज की जाय कि किस चीज को खिलायें कि गाय अधिक दूध दे सके, वह कहां से लावें इन सब चीजों को आपको बताया जाय और आप उसके अनुसार काम कर सकें तो दूध बढ़ सकता है। आज सुबह मैंने बरौनी में एक ऐसे कारखाने की नींव डाली जहां दूध जमा करके मक्खन तैयार किया जायगा। मैंने वहां कहा कि

वहां गांव गांव से दूध जमा होगा। इसका ध्यान रहना चाहिये कि उन गांवों के बच्चों के लिये भी दूध रहे नहीं तो उसका अर्थ यह होगा कि सिर्फ पैसे के लिये दूध बेचा जाय और अपने लिये कुछ नहीं रखा जाय। बल्कि उसका असर यह होना चाहिये कि लोग एक सेर के बदले दो सेर पैदा करें, तीन सेर पैदा करें और खुद खायें और कुछ पैसे निकालें। इस तरीके से दूध में भी वृद्धि की जा सकती है। और यह सब होते हुये भी गांव के लोगों के पास बहुत समय बच जाता है और जैसा पूज्य महात्मा गांधी जी ने बताया था, चर्खा जैसे घरेलू धंधे को भी जारी रखना चाहिये जो काम घर में बचे खुचे समय में किया जा सकता है। उसके लिये घर या गांव को छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर में जब दूसरे काम से फुर्सत मिले, जो समय बर्बाद जाता है और गांव में ज्यादा समय बर्बाद हो जाता है उसमें चर्खा चलाया जाय तो उससे कुछ पैसे निकल सकते हैं जिनसे अपनी और जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा कपड़े की अपनी जरूरत आदमी पूरा कर सकता है। अगर कोई आदमी सूत तैयार करे और गांव में कपड़ा बुनवा ले तो कपड़े की जरूरत उसकी पूरी हो जायगी।

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि इस इलाके में यह काम बहुत जोरों से फैल गया है। चर्खों के काम में भी तरक्की की जरूरत है और तरक्की की भी गयी है। पहले के चर्खों में जितना सूत पैदा कर सकते हैं उससे अम्बर चर्खे से चौगुना सूत पैदा किया जा सकता है और यहां पर लोगों को इस बात का तजुर्बा भी हुआ है क्योंकि यहां अम्बर चर्खा काफी तायदाद में प्रचलित है। इससे मालूम हो गया है कि चर्खों में थोड़ी तरक्की कर देने से काम में इतनी तरक्की हो जाती है कि हमारी आमदनी कई गुना बढ़ सकती है और यही काम है। यह काम गांव के लोगों में जोरों से फैलेगा तभी हम सारे देश को ऊपर उठा सकते हैं और गांवों के लोग मिल जुल कर इन सब कामों को हाथ में लेंगे तभी वे सोचेंगे कि स्वराज्य प्राप्त हुआ।

स्वराज्य का अर्थ यह नहीं है कि थोड़े चुने हुए लोग राज्य करें, थोड़े चुने हुए लोग दिल्ली में बैठकर राज्य करें और आपके लिये सोचें। स्वराज्य का अर्थ यह है कि आप सभी मामलों में स्वतन्त्र हों, किसी बात के लिये आपको किसी का मुंह नहीं देखना पड़े और अपने ऊपर इतना शासन हो, इतना नियन्त्रण हो कि आपको किसी पुलिस की भी जरूरत नहीं हो। स्वराज्य का अर्थ यह नहीं है कि सभी कामों के लिये आप पुलिस के पास जायें। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप जो चाहें करें और आपको बताने के लिये पुलिस को आना पड़े। इसका अर्थ यह है

कि आप लोगों के अपने अन्दर इतना अनुशासन पैदा हो जाय और आपको अपने कर्तव्य का इतना ज्ञान और ध्यान हो जाय कि आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़े, आप स्वयं अपनी तरफ से सब कामों को पूरा करें और इस तरीके से पूरा करें जिसमें आपकी बुद्धि से सब लोगों को फायदा हो। वही सच्चा स्वराज्य है। अभी जैसा ध्वजा बाबू ने कहा, इसी प्रकार के कामों से सच्चे स्वराज्य की प्राप्ति है। इससे सभी लोग सुखी होंगे, सभी लोग बीमारी से बचे रहेंगे, सब को जरूरत के मुताबिक शिक्षा मिल जायगी और कोई ऐसा नहीं रहेगा जो दूसरों पर भरोसा करता रहे या आप खुद कुछ नहीं करे या बैठा रहे और दूसरे लोग उसकी मदद किया करें। सभी लोग काम करके, अपना काम और दूसरों का काम करके सब को सुखी बनावें। इसी को मैं मानता हूँ कि सच्चे स्वराज्य का काम है। किसी एक जगह पर बैठकर सब को दबाकर रखना इसको सच्चा स्वराज्य गांधी जी नहीं मानते थे। सच्चा स्वराज्य यही है कि सब को बराबर सब चीजें मिलती रहें और सब अपने कर्तव्य को पूरा करते रहें। उसके लिये यह जरूरी है और यह छोटे पैमाने पर लोगों की जो कोआपरेटिव सोसायटी होती है उसका नमूना है। यह स्वराज्य का छोटा नमूना इसलिये है कि जितने लोग इसमें बसते हैं अगर कोई बुराई होती है तो सब लोग मिल जुल कर उसे सुधारते हैं और जिनसे जितना होता है वह उसमें सहारा देते हैं और उसी के मुताबिक उसको फल भी मिलता है। वह एक छोटे पैमाने पर है। इसी तरह वे जितनी सोसायटियां बनती जायेंगी सब अच्छी तरह से काम करेंगी तो उससे बड़े स्वराज्य का नमूना भी मिलेगा और स्वराज्य भी मिल सकेगा। मगर वह चीज ऊपर से लादी नहीं जा सकती। कोई बाहर से यहां आकर सोसायटी बना देगा तो मुमकिन है कि वह लाभदायक हो। मगर आपको अपने बल पर उठना है यह भावना पैदा हो और अपने हाथ पैर हैं उसके मुताबिक काम किया जाना चाहिये तभी वह सच्ची सोसायटी होगी। मैं चाहता हूँ कि देहात अपने बल को जागृत करें और इस तरह से चीजों को बनावें जिसमें उनको किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं हो।

आप लोगों ने इस इलाके के अन्दर जो नये प्रकार का चर्खा चला है उसका अनुभव किया है और आपने देखा है कि कितने गरीबों को कितना लाभ पहुंचता है और पहुंच रहा है। आप यह भी अनुभव कर रहे हैं कि गांवों को आप स्वतन्त्र बना सकते हैं। गांवों में जितने कपड़े की जरूरत है पैदा होना चाहिये, जितने अन्न की जरूरत है पैदा होना चाहिये और जितनी और मामूली चीजों की जरूरत होती है पैदा होनी चाहिए। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनकी जरूरत समझी गयी

है पर जरूरी नहीं है। वे ऐसी चीजें हैं जिनके बिना हम जीवित रह सकते हैं। मगर ऐसी चीजें जिनके बिना हम जी नहीं सकते हैं उनका जुटाया जाना आवश्यक है। तो इस किस्म का प्रयोग यहां किया जा रहा है इसको मैं महत्व दे रहा हूं। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि यहां आकर अपनी आंखों से उस प्रयोग को देखूं। वह इच्छा मेरी पूरी हुई। यहां से जाकर मैं केन्द्र को देखूंगा और देखूंगा कि कितनी सफलता मिली है।

मैं आप सब भाइयों और बहनों को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि आपके इस इलाके में यह काम आरम्भ हुआ है। आप बधाई के पात्र हैं मगर साथ ही आप की जिम्मेदारी भी है। आप लोग इस प्रयोग को पूरा करने में जहां तक सहायक हो सकते हैं सहायता दें।

घी-दूध का उत्पादन और हमारे किसान

श्री राज्यपाल डाक्टर जाकिर हुसैन साहब, मन्त्री श्री जगत नारायण लाल, बहनों और भाइयो,

आज सवेरे-सवेरे आपके इस गाँव में पहुंचा और यह शुभ काम करने को मिला। मैं बहुत दिनों के बाद इधर आया हूँ और इस बीच में गंगा जी पर नया पुल बन गया है, और बहुत बातों में फर्क आ गया है और थोड़े ही दिनों में यहाँ तेल का कारखाना भी बन जायगा तो यहाँ की हालत और भी बदल जायगी और यह इलाका जो निरा देहात था एक बड़े शहर में परिणत हो जायगा और सभी सुविधाएं और बुराइयां भी आ जायेंगी जो बड़े शहरों के साथ हमेशा रहा करती हैं।

यह सब तो कुछ देर में होगा पर आज जो काम आप शुरू कर रहे हैं उसका भी अपना महत्व है। हिन्दुस्तान बहुत बड़ा देश है और उसकी आबादी बहुत घनी है। खास करके हमारे बिहार के इलाके की आबादी तो इतनी ज्यादा है जितनी और जगहों में शायद नहीं हुआ करती है। इसलिये हमारे सामने हमेशा यह सवाल रहता है कि उस आबादी को किस तरह से खिलायें, किस तरह से सुख में रखा जाय। खिलाने के लिये सब से पहले अन्न की जरूरत होती है और उसके बाद दूध, घी और मक्खन की। अन्न की भी कमी हमारे बिहार के इलाके में रहती है और उसका कारण यही है कि जमीन से जितना हम पैदा करते हैं वह लोगों को खिलाने के लिये काफी नहीं है। इसलिये अन्न की भी पैदावार बढ़ानी है जिसमें जितने लोग जन्म लेते हैं सबों को खाना मिले। दूध और घी भी खाने की चीजों में से है। इसलिये यह भी आवश्यक है कि दूध, घी की कमी हम दूर करें। इसलिये दूध और घी की भी पैदावार बढ़ानी है जिसमें हमारे यहाँ के लोग सुख से रह सकें।

हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें बहुत लोग मांस नहीं खाते, मछली नहीं खाते और जो लोग खाते भी हैं उनको भी पूरा मांस नहीं मिल सकता। इसलिये हमेशा से इस देश के लोग दूध और घी पर भरोसा करते आये हैं और इसीलिये यह कहावत मशहूर है कि यहाँ एक ऐसा जमाना था जब इस देश के अन्दर दूध की नदी बहा करती थी, क्षीर समुद्र, दूध का समुद्र हमारे पुराणों में लिखा ही गया है।

बरौनी के निकट सुगराहा, ग्राम में मक्खन के कारखाने की नींव डालते समय भाषण, 30 दिसम्बर, 1959।

इसलिये यहां पर दूध की कमी हो, अन्न की कमी हो यह हमारे लिये शर्म की बात है ।

बात यह है कि जमीन से हम जितना पैदा कर सकते हैं उतना आज पैदा नहीं कर रहे हैं और उसमें तनिक बुद्धि लगावें, थोड़ी दूसरों के तजुरबे से मदद लें और खेती के नये तरीके अख्तियार करें तो अन्न को पैदावार बढ़ सकती है और खास करके बिहार जैसे सूबे में जहां जमीन की कमी है अन्न की पैदावार बढ़ाना जरूरी है, सिर्फ अपने लिये ही नहीं औरों के लिये भी और इसका दूसरा उपाय नहीं हो सकता है सिवाय इसके कि जो पैदावार होती है उसको बढ़ावें और वह थोड़ी बुद्धि लगाने से बढ़ सकती है ।

हमारे देश के किसान प्राचीन काल से काश्तकारी का काम करते आये हैं । वह कृषि की बातों को अच्छी तरह से जानते हैं । वह जानते हैं कि किस जमीन में क्या पैदा कर सकते हैं, वह जानते हैं कि पानी देने से कितना फायदा होता है और किस फसल में पानी देने से नुकसान होता है । वह जानते हैं कि अच्छी फसल के लिये अच्छे बीज जरूरी होते हैं । वह यह भी जानते हैं कि खाद देने से लाभ होता है । वह जानते हैं कि जमीन कितनी गहराई तक जोतनी चाहिये और सर्दों गर्मी लगने के लिये कब जमीन उलटनी चाहिये । तो जो विज्ञान की मुख्य मुख्य बातें हैं उन सब चीजों से वह वाकिफ हैं । मगर उसको थोड़ा और आगे बढ़ाना, तेज करके बुद्धि को आगे बढ़ाना जरूरी है । इसलिये मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जहां वह एक मन पैदा करते हैं वहां दो, तीन, चार मन पैदा कर सकते हैं ।

दूसरे देशों में यह देखा गया है कि वे थोड़ी जमीन में बहुत ज्यादा पैदा करते हैं । थोड़े दिन हुए मैं जापान गया था । जापानी तरीके से धान रोपने और बोने से अच्छी पैदावार हो सकती है । उस तरीके को अजमाने से उतनी ही जमीन में लोग बहुत ज्यादा पैदा कर सकते हैं । बात यह है कि वह तरीका बिल्कुल नया है । हमारे यहां के लोग भी धान की खेती करना जानते हैं और बहुत दिनों से करते आये हैं । परन्तु इसी चीज को थोड़ा और कायदे के साथ सीधी लाइन बनाकर दूर-दूर पर पौधा लगाने का जो तरीका है उसको अख्तियार किया जाय तो पैदावार में वृद्धि हो सकती है और उसी तरह से और सब चीजों की भी पैदावार बढ़ सकती है पर इसके लिये नया साधन अख्तियार करना होगा । हम चाहते हैं कि अन्न की पैदावार बढ़ायी जाय और साथ ही साथ दूध घी की भी पैदावार बढ़ाना जरूरी है ।

जिस जमीन से अन्न लोग पैदा करते हैं उसी जमीन से चारा भी पैदा करते हैं। कभी-कभी ऐसा मौका आ जाता है कि चारे के लिये थोड़ी जमीन अलग रख दी जाती है और बाकी जमीन में अन्न पैदा होता है। कभी-कभी जमीन में एक फसल के बाद चारा पैदा कर लेते हैं और तब फिर दूसरी फसल करते हैं। आप लोगों को मालूम है कि एक फसल के बाद तुरन्त दूसरी फसल लगायी जाय या एक ही फसल बार-बार एक ही जमीन में लगायी जाय तो फसल अच्छी नहीं होती है। इसलिये एक फसल अन्न की और दूसरी फसल चारे की लगायी जाय तो बहुत कम बक्त में तैयार हो जाती है या फसल के बीच-बीच में चारा लगा दिया जाय तो मवेशियों के लिये चारा और आदमी के लिये अन्न दोनों हम पैदा कर सकते हैं और खाद लगा दें, अच्छे बीज लगा दें तो और भी पैदावार बढ़ सकती है। इस तरीके को समझकर और थोड़ा सा तजुर्बा हासिल करके हमारे यहां के कृषिशास्त्री किसानों को बतायें तो मेरा अपना विश्वास है कि उसे हमारे यहां के किसान काम में लाने लग जायेंगे।

मैं अपने तजुर्बे की एक बात कहता हूं। आज से 25, 30 साल पहले की बात है जब ऊख के कारखाने खुले और ऊख की आवश्यकता बढ़ी। उसके पहले भी गन्ने की खेती हुआ करती थी। लेकिन वह गन्ना एक किस्म का हुआ करता था जिसकी खोइया नर्म हुआ करती थी और बैल से पेड़ा जाता था। खोइया नर्म होने से पेड़ने में आसानी होती थी। जब कारखाने आये तो चाहे खोइया जितनी भी मोटी हो उसको पेड़ने में कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे वैज्ञानिक लोगों ने यह देखा कि नये किस्म के गन्ने से 25, 30 प्रतिशत ज्यादा चीनी निकलती है। इसलिये नये किस्म के गन्ने के लोगों ने अपनाये और आज कहीं भी पुराने किस्म गन्ने नहीं मिलते हैं जैसा पहले लोग पैदा करते थे। तो इसी तरीके से दूसरी चीजों में नये तरीके लोग अख्तियार कर सकते हैं जिसमें ज्यादा मन जाय हो सके, पैदावार बढ़ सके। तो नये तरीके लोगों को समझाने और बताने की बात है। तो आज जरूरत इस बात की है कि लोग एक मन के बदले दो मन पैदा करें।

उसी तरह से जैसे जमीन की फसल की पैदावार यहां बहुत कम होती है उसी तरह से यहां गाय का दूध बहुत कम होता है और उसको हम बहुत बढ़ा सकते हैं। गायों को अच्छा चारा दाना देकर उनकी हालत में तरक्की की जा सकती है, और बहुत सी चीजें हैं जो उनकी तरक्की के लिये की जा सकती हैं। हम जानते हैं कि इसके अलावा नयी नयी चीजें निकलती जाती हैं जिनको अपनाने से गाय के दूध की पैदावार बढ़ सकती है। मैं चाहूंगा कि दूध की पैदावार बढ़ायी जाय। मगर

इस तरीके से कारखाने कायम करने का नतीजा यह नहीं होना चाहिये कि हमारे गांव वालों को जो यों ही गरीब है उनको दूध नहीं मिले और यहां से दूध निकलकर कलकत्ता, बम्बई या दूसरी जगहों में चला जाय। यह जरूरी है कि लोगों को आर्थिक लाभ हो और इसके लिये इन्तजाम सोचा जाय कि अधिक दूध किस तरह से लोग पैदा कर सकते हैं और यह कोई गैरमुमकिन बात नहीं है। यहां की गायें 2, 3 सेर दूध देती हैं। हम चाहें तो दूध की पैदावार बढ़ा सकते हैं। दूध की पैदावार बढ़ने से लोगों को अपना लाभ भी होगा और दूसरों को भी लाभ होगा। जो पैदावार बढ़ायेंगे उनको अपना लाभ यह होगा कि खाने को अधिक दूध, घी मिल सकेगा और पैसे भी होंगे जिनको वे और कामों में खर्च करेंगे और दूसरों को यह लाभ होगा कि दाम देकर उनको शुद्ध दूध मिल सकेगा।

तो किसानों का यह काम है कि अन्न भी पैदा करें और दूध भी पैदा करें और अपने खाने के लिये रखकर बाकी दूसरों को बेचें। इस वक्त नयी चीजें बन रही हैं, बड़े-बड़े कारखाने खुलते जा रहे हैं और इन चीजों की जरूरत बढ़ेगी। यहां तेल का कारखाना बन जायगा तो छोटा-मोटा शहर बस जायगा। शहर के लोग जो दूध, घी काम में लायेंगे वह आपको ही देना होगा। पर इसका यह मतलब नहीं कि आप अपने बच्चों को भूखा रखें बल्कि इसका मतलब यह है कि आप इतना पैदा करें कि आप भी खायें और दूसरों को भी खिला सकें। किसानों का यह धर्म है कि अन्न, दूध पैदा करें और जितना ज्यादा पैदा कर सकें उतना करें जिसमें अपने को भी सुखी रख सकें और दूसरों को भी सुखी रखें।

मुझे खुशी है कि बिहार गवर्नमेंट ने लोगों के लिये दूध का इन्तजाम किया है और मैं यह भी समझता हूं कि इसका प्रयत्न किया जा रहा है कि किस तरह से गाय की नस्ल सुधारी जाय जिससे दूध अधिक मिले। इसके लिये सांड अच्छे होने चाहियें। दूध का तभी लाभ उठाया जायगा। एक तरफ किसानों को आर्थिक लाभ होगा और दूसरी तरफ खानेके लिये अधिक दूध मिलेगा। मगर हमको अपने ऊपर भरोसा करना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि जो काम यहां शुरू किया जायगा वह फैलेगा, बढ़ेगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आप सब को बल दे कि आप इस काम को पूरा करें।

बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ में स्मारक का उद्घाटन

राज्यपाल महोदय, श्री ध्वजा प्रसाद साहू, बहनों और भाइयों,

आपने सच ही कहा है कि मैं आज बहुत दिनों के बाद फिर अपने परिवार में आया हूँ। चर्खा संघ के साथ मेरा सम्बन्ध जिस दिन इसका जन्म हुआ उसी दिन से है या यों कहें कि इसके जन्म प्रसव में भी मेरा सम्बन्ध रहा और उस वक्त से जब तक मैं आजाद रहा इसका काम करता रहा। जब से नये बंधन मेरे ऊपर आये तब से इस काम से अलग रहना पड़ रहा है। तो भी जब तब खबर लेता रहता हूँ और ध्वजा बाबू मुझे सूचना देते रहते हैं जिससे यहां की गतिविधि से मैं वाकिफ रहता हूँ। कल जो कुछ मैंने पूसे में देखा और आज यहां आकर जो मैंने देखा, खास करके जिस प्रकार अम्बर चर्खा दिन प्रतिदिन तरक्की करता जा रहा है उससे उम्मीद बंधती है कि जो कुछ दावा हम कर रहे हैं उसको पूरा कर सकेंगे क्योंकि अगर सच्चा विचार किया जाए तो इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि इस प्रकार के जो छोटे-छोटे घरेलू धंधे हैं, जो गांवों के धंधे होते हैं उनमें बड़े-बड़े कारखानों की बनिस्पत लोगों को काम देने की बहुत ज्यादा शक्ति और मौका है। यदि रुपये का हिसाब लें तो जितने रुपये से 10 मजदूर एक कारखाने में काम कर सकते हैं उतने रुपये से 200 या उस से भी अधिक मजदूर छोटे धंधों में लगाये जा सकते हैं। इसी प्रकार से जो भारतवर्ष में बेकारी की समस्या है उसकी हल करने का सबसे सहज और आसानी से प्रचार करने का तरीका यह है कि ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन दें और इसी ख्याल से महात्मा गान्धी जी ने भी कहा था कि जब तक ग्रामोद्योगों का अच्छी तरह से प्रचार नहीं होगा तब तक देश की गरीबी हम दूर नहीं कर सकेंगे। बात बिल्कुल सही है। अभी जो आंकड़े पढ़कर आपको सुनाये गये उनसे मालूम हुआ कि कितने अधिक आदमी काम कर रहे हैं, कितने अधिक आदमियों को लाभ पहुंच रहा है। साथ ही वे ऐसी जरूरी चीजों को तैयार कर रहे हैं जिनके बगैर मनुष्य का काम नहीं चल सकता है। सब लोग कपड़े की जरूरत महसूस करते हैं।

यह आप लोगों को समझाने की बात नहीं है कि चर्खें, खादी या दूसरे प्रकार के ग्रामोद्योग से लोगों को कितना लाभ होता है और हो सकता है। आप समझ

बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ में श्री लक्ष्मी नारायण स्मारक का उद्घाटन करते समय भाषण; मुजफ्फरपुर, 30 दिसम्बर, 1959

बूझ कर इस काम में पड़े, अभी इसमें लगे हुए हैं और आइन्दा भी रहेंगे। यह दूसरों के समझने की बात है। जो यहां नहीं हैं या जिनका आपकी संख्या से कम ताल्लुक है या जिनका ध्यान इस ओर ज्यादा नहीं है उनको जानना चाहिए कि इस प्रकार के उद्योगों को और देश को कितना फायदा पहुंच सकता है। मैं तो यहां सिर्फ देखने आया था कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं और कितना आगे बढ़े हैं, इधर कुछ दिनों में जब से अपनी गवर्नमेंट आयी, स्वराज्य आया जब से आपको गवर्नमेंट की मदद मिलने लगी उस समय से आप कितना आगे बढ़े हैं। उसको देखकर मुझे संतोष हुआ और अब मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस चीज को जारी रखना चाहिए और जहां तक हो सके इसमें तरक्की होनी चाहिए। इस बात को आप कभी नहीं भूलें कि आज के जमाने में कोई भी काम होता है उससे दूसरे कामों का मुकाबला कर लेना चाहिए। चर्खे के कामों से बड़े-बड़े कारखानों का मुकाबला नहीं किया जाना चाहिए और अगर किया जाय तो आपको उस मुकाबले का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए और उसका जवाब यही है कि यह अधिक-से-अधिक आदमियों को काम दे सकता है और फायदा पहुंचा सकता है, जिनको रोटी नहीं मिलती थी उनको आधी रोटी देने में भी मदद कर सकता है जहां दूसरे बड़े बड़े काम उनको आधी रोटी भी नहीं दे सकते। इसी बुनियाद पर इसका कारबार खड़ा किया गया है।

आपने यह भी देख लिया कि इसमें काफी तरक्की की गुंजाइश है। अम्बर चर्खा पुराने चर्खे से बढ़कर एक नयी चीज के रूप में निकला है। जब शुरू में महात्मा गान्धी जी ने चर्खा चलाना शुरू किया था तो मुश्किल से चर्खे को मगांना पड़ा। हालांकि बिहार में उस वक्त भी चर्खे चलते थे पर उनका पता नहीं था—मगर उसके बाद से उसमें कितनी तरक्की होती गयी और अन्त में बक्स चर्खा भी हो गया और उसके बाद अम्बर चर्खा निकला जिस पर बहुत ज्यादा सूत कातने की गुंजाइश है। अब अम्बर चर्खे में भी तरक्की हो रही है। इस तरह से सभी चीजों में तरक्की की गुंजाइश है। बात यह है कि हमारे यहां जितनी बुद्धि, जितना धन और कामों में लोग लगाते हैं इस काम में नहीं लगा है, इसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं गया है। इन सब चीजों की तरफ दुनिया के लोग थोड़ा ध्यान भी दें तो काफी तरक्की हो सकती है।

दूसर प्रकार से देखा जाय तो बड़े-बड़े जो कारखाने बने हैं उनकी बुनियाद में भी यही चीज थी। पहले उन्होंने देखा कि किस तरह से रूई से तेजी से वे कपड़ा बना सकते हैं और एक तकुए के बदले में हजार तकुए लगाकर मील

कायम कर लिया। इस तरह से जितने कारखाने हैं उनमें बैठ कर देखें तो यही पता चलेगा कि एक आदमी जितना काम कर सकता है उसे एक आदमी पर नहीं छोड़कर हजारों हजार घोड़ों की ताकत वाला कारखाना कायम करके हजारों आदमी का काम एक आदमी से लिया जाता है। जो मल्टिप्लिकेशन का नतीजा है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हमें समाज में अहिंसा कायम करनी है तो जिस तरह के काम आप लोग करते हैं उसी तरह के कामों को अपनाकर अहिंसा कायम की जा सकती है।

आज दुनियां समझ गयी है कि जितने संहारक हाइड्रोजन बम निकले हैं उनसे उसको खतरा है और लोग सोचने लग गए हैं किस तरह से लड़ाई को बन्द करना पड़े। कुछ दिनों के बाद लोग यह भी सोचने लगेंगे कि हाइड्रोजन के जरिए से जो काम हो सकता है, अणु के जरिए से जो काम हो सकता है उसको भी छोड़ना पड़ेगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

खैर, आइन्दा जो होगा वह होगा, आप अपने काम को आगे बढ़ाते जाय और यह समझें कि इससे करोड़ों करोड़ हमारे भाइयों को जो गांवों में फैले हुए हैं उनको इससे लाभ पहुंचागा और आप विश्वास पूर्वक काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी।

अभी ध्वजा बाबू ने लक्ष्मी बाबू का जिक्र किया। उनको तो बहुत बचपन से जानता था। उनके गुजर जाने का सदमा जैसे मेरे ऊपर पड़ा आप पर भी पड़ा। उनका जो स्मारक यहां बनेगा उससे आपको प्रेरणा और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए आपको बल मिलेगा यही मेरी आशा और प्रार्थना है।

गांधी स्वाध्याय मंदिर

राज्यपाल महोदय, श्री बेनीपुरी, बहनों और भाइयों,

जब कुछ दिन हुए मुझ से हमारे भाई रामवृक्ष जी ने यह आग्रह किया कि मैं यहां आकर शिलान्यास करूं तो मैंने उसको उस समय खुशी से मंजूर कर लिया था और इस काम के लिये पटने तक आया भी था मगर इतिफाक ऐसा हुआ कि ठीक उसी वक्त बहुत जोरों की बारिश की वजह से बाढ़ भी कुछ आ गई और मेरी तबीयत भी कुछ सुस्त हो गई। इसलिये मैं पटने में ही रह गया और गंगा पार नहीं कर सका। मगर उस वक्त ही मैंने सोच रखा था कि उस बार नहीं आया तो नहीं आया मगर जल्द ही कोई दूसरा मौका निकालकर मैं अपने इस निश्चय को पूरा करूंगा और आकर इस शुभ काम में भाग लूंगा। आज ईश्वर की दया से मेरी वह इच्छा पूरी हुई और मैं यहां आ सका।

यहां आते समय रास्ते में सड़कों पर लोगों को देखते देखते बहुत सी बातें याद आने लग गयीं जो मैं एक तरह से भूलता जाता था। इस बार मैं इस जिले के देहात में और सच पूछिए तो बिहार के देहात में बहुत दिनों के बाद आया हूं और इधर 10, 12 वर्षों से कुछ ऐसा मौका रहा है कि मैं एक प्रकार से बिहार से अलग होकर दिल्ली के काम में ही लगा रहा हूं। इसका कारण तो प्रत्यक्ष है। मगर मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि दिल से मैं अपने उन पुराने अनुभवों को जो मैं ने इन जगहों में देखे और सुने उनको भूल नहीं सकता और इसलिये जब किसी भी जगह जाता हूं तो बहुत सी पुरानी चीजें नजर में आ जाती हैं, बहुत से पुराने नाम जो आज केवल नाममात्र रह गये हैं और जो स्वयं शरीर छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले गए हैं वे लोग भी याद आ जाते हैं। अभी रास्ते में आते आते कोरलहिया गांव का नाम एक जगह लिखा मैं ने देखा तो मुझे भाई लक्ष्मी नारायण सिंह याद आ गये जिन्होंने उन दिनों में हमारे साथ काम किया। बहुत सी चीजें देखने में आती हैं और ऐसी चीजें जो मैं पहले देखता था नहीं देखने में आतीं। इस तरह से पुरानी स्मृतियां जाग गयी हैं।

उस समय में जो भरतुआ चौर की वजह से लोगों की दुर्दशा थी उस चौर से लखनदेई नहर निकालकर चौर का पानी निकालने का प्रबन्ध सोचा गया था वह सब बातें याद आ गयीं। अब पता भी नहीं चलता कि भरतुआ चौर कहीं

मुम्बईपुर जिलान्तर्गत कटरा थाने के जनार ग्राम में गान्धी स्वाध्याय मन्दिर का शिलान्यास रखते समय भाषण; 31 दिसम्बर, 1959

था। मैं समझता हूँ कि जैसा आपके मानपत्र में कहा गया वह भरतुआ चौर सुन्दर उपजाऊ खेत बन गया और उसका पहला रूप बिल्कुल बदल गया और उसको कोई खोज तो वह खेत के रूप में ही नजर आयगा। इस तरह से मैं गवर्नर साहब के साथ बातें करता आ रहा था कि अब हमारे देहात में पहले के मुकाबले में लोग अधिक सुखी हैं।

बात यह है कि जो सब चीजों की कीमत बढ़ गई है। उससे गांव के लोगों को लाभ हुआ है या उससे नुकसान ही नुकसान हुआ है। बहुत से प्रश्न जो दिल्ली में बैठकर दिल में उठा करते हैं रास्ते में इन चीजों को देखकर उठे। बात यह है कि हिन्दुस्तान गांवों का देश है। यहां अगर गांव नहीं रहे तो देश बहुत ही छोटा हो जाये क्योंकि शहरों का आबादी गांवों के मुकाबले में बहुत ही कम है। यह जरूर है कि आज की जो परिस्थिति है, जो हमारे कार्यक्रम हैं, जिस तरह की हवा है सब का नतीजा यह हो रहा है कि गांवों से लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं और बहुतेरे जहां जहां कारखाने खुल रहे हैं उन सब जगहों में जाकर रहना पसन्द करते हैं और फायदेमन्द मानते हैं। इसलिये बहुतेरे उसी तरफ चले भी जा रहे हैं। मगर यह सब होने पर भी गांवों की आबादी बहुत घटेगी नहीं क्योंकि कुछ लोग शहरों की ओर जायेंगे तो इधर हिन्दुस्तान की आबादी भी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। जिस वक्त हम से पाकिस्तान अलग हुआ उस वक्त हमारी आबादी 35, 36 करोड़ के आस पास में थी और इस वक्त 40 करोड़ या उससे भी ज्यादा तक पहुंच गई है। हर वर्ष 40, 50 लाख या मुमकिन है कि उससे भी ज्यादा आबादी बढ़ती जाती है। जो आबादी बढ़ती है उसका बहुत बड़ा हिस्सा गांवों में ही होता है। और वहां ही रहेगा। अगर जितनी आबादी बढ़ती है पूरी की पूरी उतनी आबादी शहरों में चली जाए जिसकी सम्भावना नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि 50 लाख आदमी जाकर हर साल शहरों में बस जायेंगे, तो भी देहातों की आबादी उतनी की उतनी बनी रहेगी और ज्यादा मुमकिन तो यह है कि वह और भी बढ़ती जायगी। इसलिए जब तक देहातों को सुधारने का, देहात के लोगों के जीवन को अधिक सम्पन्न बनाने का और हर तरह से उनकी जरूरतों का पूरा करने का समुचित प्रबन्ध नहीं होगा तब तक भारत की समृद्धि नहीं बढ़ेगी। इसलिये जरूरत इस बात की है कि यह सब कुछ देखते हुए देहातों की ओर अधिक ध्यान दिया जाय।

देहातों का सबसे बड़ा काम खेती का काम है। खेती के काम में और उससे मिले जुले कामों में अभी भी 70, 75 प्रतिशत लोग लगे हुए हैं और उससे ही

उनका गुजारा होता है। आबादी बढ़ती जा रही है। जमीन तो बढ़ती नहीं। जमीन तो जो ईश्वर ने पैदा की है उतनी ही है। हां कुछ जमीन ऐसी हो सकती है जो अभी आबाद होकर खेती में नहीं आयी है। लेकिन जहां कहीं जंगलात हैं, जहां कहीं पहाड़ी खेती के लायक थीं सब खेती के काम में आ गये हैं। जंगलात काफी खेती के काम में आगये हैं। पहले तो उनको खेती के काम लाना आसान नहीं है और मुनासिब भी नहीं होगा क्योंकि यह सभी लोग जानते हैं कि जंगलों के कट जाने से बरसात में कमी हो जाती है और पानी की कमी के कारण सारे देश की हालत बिगड़ सकती है। इसलिये एक ओर से इस बात का प्रयत्न हो रहा है कि जहां रेगिस्तान बढ़ रहा है वहां दरख्तों को बढ़ाकर जंगल पैदा कर के रेगिस्तान को बढ़ने से रोका जाए और जहां जहां जरूरत से ज्यादा जंगल कट गया हो वहां नया जंगल लगाकर मुनासिब मात्रा में रखा जाए।

यह कहना कि बहुत जंगल हमारे हाथों में हैं जहां हम खेती कर सकते हैं जिसके जरिये से बढ़ती हुई आबादी के खाने के लिए काफी पैदा कर सकते हैं बहुत दूर तक हमको नहीं ले जायगा। हमको तो यह सोचना है कि जो जमीन हमारे हाथों में है उसमें कितना ज्यादा हम पैदा कर सकते हैं। हिन्दुस्तान न मालूम कितने जमाने से इस जमीन को जोतता आया है और जोत बोककर उससे अन्न पैदा करता रहा है और यह भी जाहिर है कि जो जमीन ज्यादा उपजाऊ है और यदि उस पर बहुत दिनों तक खेती की जाती है तो उसका उपजाऊपन भी कम हो जाता है। यह हमारे यहां के किसानों की बुद्धिमानी का सबूत है कि हजारों वर्षों तक जोतने बोनो पर भी हमारी जमीन इतनी उर्वरी है, उपजाऊ है, जरखेज है। लेकिन जितना हम आज अपने खेत में पैदा करते हैं वह और मुल्कों के मुकाबले में बहुत कम है। कहीं कहीं तो हम जानते हैं कि हम से दो गुना, तीगुना, चौगुना, वे पैदा कर लेते हैं। मैं यह मानता हूं कि यद्यपि हमारी जमीन बहुत दिनों तक इस्तेमाल में आती रही है मगर अभी भी ठीक तरह से सब संयोग जुटा दिया जाय तो हम काफी अन्न पैदा कर सकते हैं। इसके लिये दो तीन चीजों की जरूरत है, पानी होना चाहिये और वह इस तरह से हमारे लिये मौजूद होना चाहिये कि जब और जहां हम चाहें जितना चाहे हम पानी ले लें और जब चाहें तो पानी को रोक भी दें। एक तरफ बाढ़ से हमारी हिफाजत होनी चाहिए और दूसरी ओर सूखे का भय नहीं रहे। इन दोनों चीजों को किस तरह से पूरा किया जाय यह बड़े बड़े इंजीनियरों का काम है और यह खुशी की बात है कि इस दिशा में बड़ी

बड़ी योजनाएं बनायी गई हैं और उन पर काम हो रहा है। जहां जहां इन योजनाओं का असर पहुंचेगा वहां उम्मीद की जाती है कि बहुत हद तक बाढ़ से हिफाजत हम कर सकेंगे और लोगों को पानी भी पहुंचा सकेंगे। जहां जहां बड़ी बड़ी योजनाएं अभी बन सकती हैं वहां पर इसका प्रबन्ध किया जा सकता है और छोटी छोटी योजनाएं छोटी छोटी नदियों, नालों को बांध करके, तालाबों को खुदवा कर, कुएं खोद करके, कुओं में नल लगाकर इस तरह से अभी बहुत काम हो सकता है। तो इन सब चीजों की तरफ ध्यान गया है। मगर बात यह है कि दूसरा कोई ध्यान दे भी और किसान अगर ध्यान नहीं दें तो काम पूरा नहीं हो सकता है। दूसरों को तो उतना तजुरबा चाहिए और उन लोगों को उतनी रुची भी नहीं होगी जितनी उन लोगों को जिनका अपना खेत पड़ता है, अपना लाभ पहुंचता है।

तो मैं तो यह चाहता हूं कि सभी जगहों पर लोग खेत की पैदावार बढ़ाने के काम में जुट जायें। इसके लिये पानी जुटाने का काम करें, खेती के लिये छोटे मोटे औजार भी ले सकते हैं जिनसे खेती बेहतर हो सकती है। लोग अच्छे बैल रख सकते हैं और इस सिलसिले में प्रश्न यह उठता है कि अच्छे बैल कहां से मिलें। मुझे याद है, मैं ने स्वयं देखा है कि बैल की कीमत चौगुनी, पांचगुनी बढ़ गई है और अब उतने अच्छे बैल उतनी तायदाद में नहीं मिलते जितने पहले मिलते थे। इसके लिये गोवंश की वृद्धि किस तरह से गायों की ऐसी तरक्की करें जिसमें उनसे अच्छा दूध भी मिले और अच्छे बछड़े मिल सकें जो खेती में मदद करें इस ओर भी ध्यान देना है। जब जोतने का इन्तजाम हो गया, अच्छे औजार मिल गये, अच्छे हल, अच्छी कुदाल मिल गई, तब अच्छे बीज की जरूरत होती है और अच्छे खाद की जरूरत होती है। अब खाद में दो किस्म के खाद होते हैं, एक कारखाने का बना हुआ कृत्रिम खाद होता है। पर वह खाद पूरा काम नहीं दे सकती है। हो सकता है कि उस खाद से फसल को नुक्सान पहुंचे। दूसरा खाद गोबर, मल मूत्र से तथा पत्ते वगैरह सड़ाकर बनाया जा सकता है। अगर खाद किस तरह से देना चाहिए इसका अनुभव नहीं हो तो फायदे के बदले नुक्सान पहुंच सकता है। इसलिये खाद की तरफ ध्यान देना है और गांव के लोग खाद का काम खूबी के साथ कर सकते हैं। आज बहुत सी चीजें जो फेंकी जाती हैं, जो गन्दगी पैदा करती हैं जिनकी वजह से बीमारी फैलती है उन सब चीजों को हम खाद में बदल दें तो वे गन्दगी और बीमारी फैलाने के बदले हमें सुन्दर खाद दे सकती है अब दे सकती है और उससे हम अपना स्वास्थ्य भी सुन्दर कर सकते हैं और लोगों को खिला सकते हैं।

मुजफ्फरपुर के इलाके के लोगों से मुझे यहीं कहना है कि ईश्वर ने यहां जमीन उर्वरी दी है। यहां पानी भी मिल सकता है, जहां नहीं मिलता है वहां प्रबन्ध किया जा सकता है। यहां के लोगों को खेती का तजुर्बा भी है और उनके पास खाद बनाने का पूरा सामान भी है। इन सब चीजों से लाभ उठाकर नये तरीके से खेती करना शुरू करें। नये तरीके का मतलब यह नहीं है कि कोई नई चीज लानी है। मगर वर्तमान तरीके में ही थोड़ा बहुत अन्तर कर देने से फर्क पड़ जाता है। एक मरतबे के बदले दो मरतबे जोत देने से फर्क पड़ जाता है या जमीन आज नहीं जोतकर बाद में जोतें तो भी फर्क हो जाता है। अगर आज खेत नहीं जोतने से नुकसान होता हो तो आज नहीं जोतकर बाद में जोतकर नुकसान क्यों उठाना चाहिये। इन सब चीजों पर किसानों को ध्यान देना चाहिए। जो नयी नयी बातें आज लोग बताते हैं उनको सीख करके ध्यान देकर खेती के काम में किसान मुस्तैदी दिखलावें तो कोई कारण नहीं कि हिन्दुस्तान में अरबों रुपये का अन्न दूसरे देशों से मंगाना पड़े। सब से बड़ी मुश्किल हमारे लिए यह है कि इस मुल्क में सबसे अधिक लोग चावल के खाने वाले हैं। मगर दूसरी जगहों में गेहूं होता है। गेहूं मुश्किल चीज नहीं है। अगर अरबों रुपये खर्च करके गेहूं मंगाया जाए और लोग उसको पसन्द नहीं करें तो यह सब से बढ़कर मुसीबत है। इसलिए सब से अच्छी चीज यही है कि जितना चावल चाहिये, जितना गेहूं चाहिए सब अपने यहां पैदा करें तो किसान लोग स्वयं सुखी रहेंगे और दूसरों को भी सुखी करेंगे।

बहुत लोगों के लिये अन्न का प्रबन्ध किया जाता है इसी लिये सरकार लोगों से अन्न लेती है। अगर काफी अन्न पैदा होगा तो लोग उसे रख कर क्या करेंगे। अपनी जरूरत से अधिक जो अन्न हो उसे तो उनको बेचना ही है। हां किसी के पास अन्न कम हो और प्रलोभन देकर उस अन्न लिया जाय तो वह स्वयं भूखा रह जायगा। इस तरह से किसी को भूखा रहना, आधा पेट खिलाकर कायम रखना अच्छा नहीं है। हम यह चाहते हैं कि लोग इतना ज्यादा पैदा करें कि उनकी जरूरत से अधिक अन्न पैदा हो तो खामखाह उनको दूसरों को दना ही होगा और दूसरे से कीमतलेकर लोग अन्न देंगे।

देहात के लोगों से मुझे एक बात यही कहनी थी। दूसरी चीज कपड़े की बाबत है। आज हम 40 वर्षों से कहत आये हैं कि चख को चलाकर कपड़ा बनाना चाहिए। उसका बहुत ज्यादा अनभव भी हो गया है। बहुत जगहों पर काम भी

हो रहा है और दूसरी जगहों पर पैदावार पहुंचाकर अन्न और कपड़े का प्रबन्ध हो गया है। गांववालों को जरूरत के सब सामान गांव में ही मिलते रहें और उनके पढ़ने पढ़ाने का भी वहां प्रबन्ध हो जाय तो इससे ज्यादा चाहिए क्या? ये तीन चीजें मिल जायें तो मनुष्य आज के हिसाब से भी सुखी रह सकता है और अपने को खुश रख सकता है। मैं जानता हूं कि इन सब चीजों की तरफ ध्यान है और यह नहीं आप समझें कि यह सब आप कर रहे हैं अपने लिये। आपको सोचना है कि आप भी खाना है, कपड़ा पहनना है मगर देश के लिये भी पैदा करना है। तभी जो स्वतन्त्रता आज मिली है उसको हम कायम रख सकेंगे।

यह स्वतन्त्रता आसानी से नहीं मिली है। इसको पाने में हम ने एक विशेष तरीका अख्तियार किया और मुझे आशा नहीं थी कि इतना जल्द हम इसे प्राप्त कर सकेंगे। इसको सुरक्षित रखना हमारा कर्त्तव्य है। आज हम खतरे से खाली नहीं हैं। आपस की फूट के कारण अन्दर का खतरा है और कुछ बाहरी खतरा भी नजर आ रहा है। उस खतरे से बचने के लिये हमें तैयार रहना है। वह खतरा मुजफ्फरपुर के लोगों के अधिक नजदीक है। मुजफ्फरपुर से 18,20 मील पर उत्तर में भारत की सीमा पर नेपाल है और नेपाल हिन्दुस्तान और चीन के बीच में है यह प्रत्यक्ष है। इन सब बातों पर लोग ध्यान दें और सोचें कि अगर मौका आ जाय तो किस तरह से देश को सुरक्षित रखेंगे। इस तरह से देश को सुरक्षित लोग ही कर सकते हैं, जनता कर सकती है, दूसरे नहीं कर सकते। देश में कोई समझें चन्द आदमियों का काम है देश की रक्षा करना और हमारा काम है घर में बैठकर आराम करना तो हम दूसरे के काम में क्यों लगे तो देश की रक्षा नहीं हो सकती है। आजकल युद्ध का तौर तरीका यह हो गया है कि कोई आदमी सुरक्षित नहीं रह सकता। उसमें सबको भाग लेना ही होता है। यह जरूरी है कि हमारे देश के लोग स्वतन्त्र रहें और सब कुछ के लिये तैयार रहें। इसका एक तरीका यही है कि सब को सुखी बनाया जाय और लोग सुखी रहकर देश की सुरक्षा को ध्यान में रखें। इतनी चीजों को ध्यान में रखना है, और चलना है और जो स्वाध्याय मन्दिर आप कायम कर रहे हैं उससे इसमें आपको प्रेरणा मिलती रहेगी।

महात्मा गान्धी की सब से महानता यही थी कि ऐसे देश में जो हम मुर्दे के समान पड़े थे हमको उन्होंने जगाया और जगाकर ऐसी बड़ी शक्ति से मुकाबला कराया जो दुनियां में सब से बड़ी शक्ति समझी जाती थी और मुकाबला ही नहीं कराया, उन्होंने जीत भी हासिल की। हम नालायक होंगे अगर जो स्वतन्त्रता हमको मिली है उसमें किसी तरह से आंच आने देंगे। हम में ऐसी

हिम्मत होनी चाहिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए और दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि चाहे हमारे लोगों का जो भी विश्वास हो, जो भी एतवार हो पर जहां देश की सुरक्षा का सवाल आता है वहां हम एक हैं। महाभारत की एक पुरानी कथा है और उसे सब लोग जानते हैं। पांडव और कौरव आपस में झगड़ते थे। 5 पांडव एक तरफ और कौरव 100 दूसरी तरफ थे। आपस में इतना झगड़ा और युद्ध होते हुए भी, जब एक मरतवे कौरवों का किसी तीसरे से युद्ध लग गया और उसके देश पर हमला करना पड़ा उस वक्त पांडवों ने कहा कि जब हम आपस में लड़ते हैं तो 100 एक तरफ और 5 दूसरी तरफ रहते हैं पर जब कोई तीसरा आदमी आता है तो हम 100 और 5 नहीं रहते बल्कि 105 रहते हैं। भारत में ऐसा सबक सीखाना है कि आपस में चाहे जितना मतभेद हो पर जहां देश की सुरक्षा का सवाल है वहां एक होकर, एक मत से ही नहीं, एक तन होकर सब से लड़ना है और तैयार रहना है।

मैं यही कहने आया था कि ये सब चीजें आप यहां सीख सकते हैं और स्वाध्याय मन्दिर को तैयार करके उसके जरिये से हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। मैं सब भाइयों और बहनों को धन्यवाद देता हूं और विशेष कर उन भाइयों और बहनों को जिन्होंने मुझे थैली भेंट दी है जिस भेंट को मैं इसी काम में लगा देना चाहता हूं। जिस काम के लिये मैं यहां आया हूं। वह है भवन निर्माण का काम। मैं इसे भाई बेनीपुरी को दे देता हूं कि वह इसे इस काम में लगायें और काम पूरा करके आप सब की सेवा करते रहें। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वह उनको स्वस्थ करे और आप सब से प्रार्थना है कि आप इस काम में बराबर मदद करते रहें और देश की सेवा करते रहें।

मुजफ्फरपुर में सार्वजनिक सभा

राज्यपाल महोदय श्री महेश प्रसाद सिंह, बहनों और भाइयो,

बहुत दिनों के बाद मुजफ्फरपुर शहर में सभा करके आप सब से कुछ कहने का यह सुअवसर मिला है। जैसा अभी आपको बताया गया, पहले यह कार्यक्रम में नहीं था पर जब मुझे से कल आग्रह किया गया तो मैं ने इसे खुशी से मंजूर कर लिया और इसलिए आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ।

आपसे जो कुछ देश की हालत है उसको कह देना अच्छा मालूम होता है। अभी इसको स्वराज्य पाए 12 वर्ष हुए हैं। इन 12 वर्षों में बहुत तरह की योजनाएं बनी हैं, बहुत बड़े-बड़े काम हाथ में लिए गए हैं और उनमें से कुछ-कुछ पूरा होने लग गए हैं, बहुत अभी चल रहे हैं। अभी फल हमको पूरी तरह से देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए बहुत जगहों पर लोगों को असंतोष भी होता है, कुछ संदेह होता है कि स्वराज्य मिला पर उसका पूरा फल हमको क्यों नहीं दे रहे हैं।

मगर बात यह है कि जब कोई बड़ा काम होता है तो उसमें समय लगता है, श्रम लगता है, उसमें खर्च लगता है, लोगों का उत्साह लगता है और उसके बाद फल के लिए इन्तजारी भी करनी पड़ती है। इसी हालत में आज भारतवर्ष है। इसके लिए हम ने बड़ी-बड़ी योजनाएं बनायी हैं और इन योजनाओं पर तरह-तरह के काम सारे देश में फैले हुए हैं। अगर कोई उनको देखना चाहे तो उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक किसी भी प्रान्त में वह जाए तो उसको बड़े काम देखने को मिलेंगे और अगर वह फल देखना चाहे तो सभी जगहों पर थोड़ा-बहुत फल भी देखने को मिलेगा। अगर आप यह उम्मीद रखें कि 16 आने फल देखने को मिले तो उसमें समय लगेगा। मगर इतना विश्वास सभी को रखना चाहिए कि जो काम हो रहे हैं वे रास्ते पर चल रहे हैं और उनका नतीजा समय पाकर अवश्य हमको पूरा-पूरा मिलेगा गरचे आज थोड़ा बहुत मिल रहा है।

मगर इसके अलावा देश में और भी समस्याएं हैं जिनको सब को मिल जुल कर सुधारना और सम्भालना है। ये बड़े-बड़े काम जो हो रहे हैं उसमें सब लोगों की सहायता जरूरी है। बिना सब के सहयोग के और बिना सब के हाथ बटाए ये काम पूरे नहीं हो सकते हैं। इनमें से एक चीज को ले लीजिए। अन्न का संकट सारे देश में आज ही नहीं बहुत पहले से हम महसूस करने लग गए।

जिस समय हमारे हाथ में अधिकार आया उस समय भी संकट से हम गुजर रहे थे तथा विदेशों से अन्न मंगाकर लोगों को जिन्दा रखने का प्रयत्न किया गया था। स्वराज्य के कुछ ही दिन पहले अंग्रेजी राज्य के जमाने में बंगाल में बहुत बड़ी भारी अकाल पड़ा था और उसका नतीजा यह हुआ कि लाखों लाख आदमी अन्न के बिना मरे। जिस समय हमारे हाथ में अख्तियार आया हम सोच रहे थे कि किस प्रकार से लोगों को इस तरह की विपत्ति से हम बचावें। ईश्वर की दया से उसके बाद आज तक महंगाई से चाहे जो भी लोगों को थोड़ा-बहुत कष्ट हुआ हो मगर अभी अन्न के बिना कोई मरने नहीं पाया और स्थिति बेहतर होती जा रही है। खास करके इस साल हम उम्मीद रखते हैं कि अब कुछ ही दिनों के बाद देश में इतनी मात्रा में अन्न पैदा होने लगेगा कि विदेशों से अन्न मंगाने की जरूरत नहीं। मगर इसमें देश के लोगों की मदद की जरूरत है। विशेष करके किसानों की मदद की जरूरत है। जब एक मन के बदले 2, 3 मन पैदा होने लगे तो हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जमीन तो बढ़ नहीं सकती पर अन्न अधिक पैदा हो सकता है। आप यह नहीं सोचें कि अपने ही खाने के लिए काफी पैदा कर लेना काफी है। बल्कि सच पूछिए तो हमको खाना है और दूसरों को खिलाना है, अपना पेट काट कर नहीं बल्कि इतना पैदा करें कि अपना पेट भरकर बचे उससे दूसरों को खिला सकें। तभी यह अन्न की बड़ी समस्या हल हो सकती है।

इसके अलावा आप देख रहे हैं कि शिक्षा का प्रचार भी बहुत जोरों से बढ़ रहा है। मगर इसस भी दिक्कतें हो रही हैं। कालेजों से परीक्षा पास कर लेना काफी नहीं है। आदमी को इस योग्य होना चाहिए कि वह दूसरा काम भी कर सके। हम यह आज देख रहे हैं कि शिक्षितों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनको ऐसे धंधे मिलने चाहिए जिनको वे कर सकें और जिनके जरिए से वे अपना गुजारा कर सकें। तो यह भी आवश्यक समझा जाता है कि वे इस योग्य नहीं कि जो काम उनको दिया जाय उसको योग्यता से कर सकें। इसलिए शिक्षा की पद्धति बदलना जरूरी है। इसकी तरफ अभी तक विशेष कुछ किया गया नहीं है। मगर लोगों को सोचना चाहिए कि शिक्षा का ध्येय यह नहीं है कि सब आदमी गांवों से मुजफ्फरपुर में पहुंचें और नौकरी की दरखास्त पेश करने के लिए दरवाजा खटखटाएं। इसका ध्येय यह है कि जो जहां हों और जिस काम को करते हो उस काम को वहां ही रहकर बेहतर कर सकें, उसमें और भी सफलता प्राप्त कर सकें। इस तरह से अगर शिक्षित लोग जो काम कर रहे हैं उसमें लगे रहें, उनके घर वाले जिस काम को करते आए हैं उसको करने में अपनी मानहानि न समझें तो कोई दिक्कत न

आवे। मगर सब कोई शिक्षा पाकर दफ्तर में काम खोजेंगे तो दिक्कत होगी। मगर इसी का भी प्रबन्ध सोचा जा रहा है कि दूसरे किस्म का काम खोजा जाय और ट्रेनिंग देकर उनको उस योग्य बना दिया जाय कि इंजीनियरिंग का काम कर सकें, टेकनिशियन का काम कर सकें और इस तरह के काम करने की शक्ति हासिल कर सकें। उनके लिए जगह काफी तैयार हो रही है। उसमें लोग लग भी रहे हैं।

यह तो हुआ लोगों के काम धंधे के बारे में जिसको इस तरह से बनाना और बदलना है जिसमें एक तरफ न तो कोई बेकार रहे और न दूसरी तरफ ऐसा हो कि जिस काम के लिए आदमी चाहिए उसके लिए आदमी न मिले। हम अक्सर देखते हैं कि एक तरफ काम खाली है और दूसरी तरफ लोग बेकार बैठे हैं। इसका पूरा मौका होना चाहिए कि जो जिस योग्य हो उसकी शक्ति से पूरा लाभ उठाया जाय।

इस देश के अन्दर हम कोशिश कर रहे हैं कि सब मजदूरों को तैयार करके आगे बढ़ेंगे। सभी देशों में यह चीज हुई है और हमारे देश में भी हो रही है। जब यह होता है कि एक वर्ग को छोड़कर आगे बढ़ने का मौका आता है तो उसमें दूसरी दिक्कतें पहुँच जाती हैं, उनको हल करके आगे जाना होता है। वह हिन्दुस्तान में भी हो रहा है। मगर इस वक्त हमको यह भी सोचना है जो स्वराज्य इतनी मेहनत से, इतने त्याग से हम ने प्राप्त किया है उसको कायम रख सकते हैं या नहीं, अगर रख सकते हैं तो किस तरह से रख सकते हैं। इसमें दो मत हो नहीं सकते कि उसको कायम रखना है। उसको कायम रखना है और खतरे से देश को बचाकर उसको और भी उन्नत करना है। तो सवाल यह आ जाता है कि जो दिक्कतें हैं उनको किस तरह से दूर करें। हमारे देश के अन्दर तरह-तरह की दलबन्धियाँ हैं, तरह-तरह के विचार के लोग हैं और यह सभी जगह हैं। मगर हमको इस स्थिति में यह सोचना है कि सब चीजों को हटाकर देश को आगे बढ़ाने के प्रयत्न में लग जाय।

इस वक्त तो खास करके एक विशेष जरूरत आ गयी है। हम यह नहीं कह सकते कि हम सुरक्षित हैं, हमारे ऊपर खतरा नहीं है। आज हिन्दुस्तान सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है। आज हिन्दुस्तान के ऊपर खतरा है इस बात को महसूस करना चाहिए और इसके लिए सब को तैयार रहना चाहिए। कोई ऐसा खतरा नहीं है, हमारे ऊपर डर नहीं है जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मगर तो भी हमको अपनी ओरसे इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जो आदमी साबधान

नहीं रहता उस पर अगर मुसीबत आ जाती है तो उसका मुकाबला करने की शक्ति उसमें नहीं रहती। हमको इस तरह से तैयार रहना चाहिए कि कोई भी मुसीबत आ जाय तो उसका मुकाबला कर सकें।

आपने सुना ही होगा कि हिन्दुस्तान के उत्तर में हिमालय आज तक हमारा सन्तरी रहा है जिधर से हम पर कोई भी हमला नहीं कर सकता था। आज सायन्स की बड़ी प्रगति के कारण कहे, दूसरों के बड़े मनोरथ से कहे, हिमालय हमें सुरक्षित रखन वाला जबर्दस्त और मजबूत हमारा सिपाही नहीं है। हिन्दुस्तान की उत्तरी सीमा 2500 मील लम्बी है। हमको यह सोचना पड़ा है कि अब उधर से भी हमला हो सकता है। इतिहास में पहले पहल यह सोचने की जरूरत पड़ी है कि हम उत्तर की सीमा को किस तरह से सुरक्षित रखें। इसमें सब से बड़ी चीज तो यही है कि लोग दिल से तैयार हो जाय। यों तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास फौज है, हथियार हैं। जो हथियार नहीं है उनको वह पैदा कर सकती है, सिपाही तैयार कर सकती है। इसलिए घबड़ाने या डरने की बात नहीं है। गवर्नमेंट सब कुछ सोच रही है और करेगी। मगर सब से ज्यादा जरूरी चीज जो देश की सुरक्षा के लिए होती है वह लोगों के दिल का उत्साह है, उनकी हिम्मत और त्याग करने की तत्परता है और सब से जरूरी यह है कि चाहे और जो कुछ हो पर इस विषय में हम किसी से पीछे नहीं पड़ें यह भावना है। हिन्दुस्तानियों के दिलों में यह भावना पैदा करनी है कि हिन्दुस्तान में चाहे और जो कुछ हो पर सारा हिन्दुस्तान एक है। सारा हिन्दुस्तान उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक और पश्चिम में समुद्र से लेकर पूर्व में समुद्र तक सारा देश एक है और उसकी रक्षा के लिए हम तैयार रहेंगे। इसी में हम पैदा हुए हैं, इसी में आज हम जिन्दे हैं और इसी में मरेंगे और इसी की मिट्टी में मिलेंगे। इसकी सुरक्षा सब से ऊपर है। जो कुछ आपस का झगड़ा हो, सूबे-सूबे का झगड़ा, गांव-गांव का झगड़ा, जाति-जाति का झगड़ा, मजहब-मजहब का झगड़ा हो सब की मिटाकर एक ही हम सच्चे भारतीय हो जाएं। तभी हम भारत को सुरक्षित रखने में सफल होंगे।

हमारे सामने सवाल यह है कि भारत हमेशा उन्नति के पथ पर बढ़ता जाय और उसके लिए उसकी सुरक्षा और स्वतन्त्रता अत्यन्त आवश्यक है। हम ने स्वतन्त्रता तो पा ली है मगर स्वतन्त्रता प्राप्ति से जितने प्रश्न उठे उनको हल हम नहीं कर पाए हैं। हर भारतवासी के दिल में इस बात को जागृत करना है। गान्धी जी के बताए मार्ग को हम ने स्वीकार किया तभी बिना हथियार उठाए इतनी बड़ी जबर्दस्त गवर्नमेंट के साथ मुकाबला करके हम ने भारतवर्ष को स्वतन्त्र

कर लिया। लोगों के हृदय में भावना जागृत हो गई थी कि हम स्वतन्त्र होंगे और स्वतन्त्र होकर रहेंगे। आज उस भावना को फिर से एक बार जागृत करना है कि हम हमेशा स्वतन्त्र रहेंगे, हम किसी पर हमला नहीं करेंगे पर कोई देश हमारे सामने आयागा और हम से टक्कर लेगा तो उसे हम देश के अन्दर नहीं घुसने देंगे। हरेक भारतवासी के हृदय में यह भावना जागृत होनी चाहिए।

खास करके आप लोग ऐसे हैं जो अपने यहां से हिमालय के शिखरों को बैठे-बैठे देखते हैं। यहां से थोड़ी ही दूरी पर नेपाल की सरहद है और नेपाल के बाद चीन है। आप लोगों को इस बात को कोई दूर की बात नहीं समझना है कि चीन दूर है। किसी एक जगह पर खतरा आता है तो वह सारे भारत पर खतरा है। मगर आप सब आज जिस जगह पर हैं वहां खतरा आ गया है। इसलिए यहां के लोगों को आपस के मतभेद को, आपस की दलबन्दियों को दबाकर इस भावना को जागृत करना है और देश को समृद्ध बनाना है।

लोग खुशहाल होते हैं तभी वे जरूरी समझते हैं कि किस तरह से सुरक्षित रह सकें। जो योजनाएं चल रही हैं, जो कारखाने खुल रहे हैं उनके जरिए से सुरक्षा के साधन तैयार हम कर रहे हैं। लड़ाई के लिए सब से बड़ा साधन यही है कि आदमी का दिल मजबूत हो और भारत के किसी भी कोने पर खतरा हो तो जैसी महात्मा गान्धी की पुकार हुई थी, देश पर कोई मुसीबत आवे तो सब उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। इतना ही मैं कहना चाहता था और मौका मिला तो मैंने कह दिया।

मुजफ्फरपुर कालेज की हीरक जयन्ती

राज्यपाल महोदय, मुख्य मन्त्रीजी, बिहार यूनिवर्सिटी के वायस चान्सलर महोदय, कालेज के प्रिन्सिपल महोदय, छात्रो, छात्राओ, बहनों और भाइयो,

50 वर्ष हुए जब मेरा सम्बन्ध थोड़े दिनों के लिए इस कालेज के साथ हुआ था। उस समय कालेज न तो इस स्थान पर था और न इसका यह नाम था। शहर में सरैयागंज बाजार में एक मकान में भाड़ा लेकर बाबू लंगट सिंह ने अपनी उदारता से इसको स्थापित किया था और जिस वक्त मैं आया उस वक्त हम लोग सरैयागंज में उसी मकान में छात्र थे उनको पढ़ाया लिखाया करते थे। मगर यद्यपि इसके पास यह भव्य भवन उस समय नहीं था और जो साधन सामग्री आज इस कालेज को उपलब्ध है इसको उस समय नहीं था पर उस समय भी छात्र अच्छे निकले जिन्होंने अपना नाम किया। भुवनाथ मुखर्जी, असिस्टेंट डायरेक्टर आफ इन्स्ट्रक्शन, बिहार इसी कालेज से पढ़कर निकले थे। आपके इसी शहर में श्री रघनन्दन प्रसाद, डिस्ट्रिक्ट जज, जो रिटायर होकर आज यहां पर आराम ले रहे हैं इसी कालेज के विद्यार्थी थे। यद्यपि उस समय छात्रों की संख्या थोड़ी थी पर जो थे उन्होंने मन लगाकर उन दिनों में जो कुछ साधन उपलब्ध थे उनको काम में ला कर अच्छी तरह से सीखा, पढ़ा।

जिस समय मैं यहां था उस वक्त कालेज की माली हालत भी अच्छी नहीं थी और बड़ी कठिनाई से कालेज का काम उस वक्त चलता था। गवर्नमेंट की मदद भी कुछ ज्यादा नहीं मिलती थी और बाहर से भी पैसे का अभी कुछ अभाव ही था। उस समय एक सज्जन जिनका नाम आर्टी ग्रियर था मुजफ्फरपुर के कमीश्नर थे। उन्होंने कालेज की सहायता की और कुछ दिनों के लिए कालेज की कार्यकारिणी सभा के सदस्य रहे। कार्यकारिणी सभा ने पीछे यह निश्चय किया कि कालेज के नाम के साथ उनका नाम जोड़ दिया जाय। बाबू लंगट सिंह ने इस कालेज का नाम भूमिहार ब्राह्मण कालेज दिया था। पीछे चलकर इसका नाम ग्रियर भूमिहार ब्राह्मण कालेज हो गया, और जैसा आपने कहा, अच्छा ही हुआ कि जो इसके जन्मदाता थे बाबू लंगट सिंह उसके नाम पर लंगट सिंह कालेज के नाम से आज तक यह मशहूर है।

लंगट सिंह कालेज की हीरक जयन्ती समारोह में भाषण; मुजफ्फरपुर, 31 दिसम्बर, 1959

जिस समय मैं यहां आया था उस समय इस बात को महसूस किया गया कि वह स्थान कालेज के लिए अच्छा नहीं है और अगर कालेज को आगे बढ़ाना है तो यह जरूरी था कि कहीं दूसरी जगह हटाकर उसको ले जाया जाय और वहां उसके नए भवन का निर्माण किया जाय और उस स्थान को चुनने में मेरा थोड़ा-बहुत हाथ था इसका मुझे गर्व है। यद्यपि आज मैं देखता हूं कि जिस स्थान को मैं ने चुना था वहां पर दूसरे नए भवन बन गए हैं, कालेज भी नया हो गया जो पहले नहीं था। यहां से हजारों-हजार विद्यार्थी शिक्षा पाकर निकल रहे हैं और केवल अपने ही जीवन को सुखी नहीं बना रहे हैं, तरह-तरह से देश के लिए सेवा कर रहे हैं। यह सब खुशी की बात है। इसलिए जब इससे कहा गया कि मैं इस हीरक जयन्ती में भाग लूं तो मने कहा कि इसमें शरीक होने में मुझे खुशी ही नहीं होगी बल्कि गर्व भी होगा क्योंकि मैं देखूंगा कि जो पीछा उस समय लगाया गया था वह कितना बड़ा और उसमें कितना ज्यादा फल लगा है। मेरा सम्पर्क इस कालेज के साथ थोड़े ही दिनों के लिए था। उसके बाद मैं दूसरे काम में लग गया। उन दिनों में जैसी परिस्थिति थी उसमें मेरे प्रवर्तकों ने यह समझा कि प्रोफेसरी का काम छोड़कर जिसके लिए मैंने पहले तैयारी की थी वकील होना बेहतर है और इसलिए यहां मैंने कलकत्ता जाकर वकालत करना शुरू कर दिया। उसके बाद कहने की जरूरत नहीं है, जो हुआ वह हुआ। उसमें आप में से सभी थोड़ा-बहुत जानते भी होंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि जो थोड़े दिनों तक मैं यहां रहा और जो अनुभव रहा वह सुखद अनुभव रहा जिसको याद करके आज भी मुझे खुशी होती है।

आजकल सारे बिहार में बहुत कालेज हो गए हैं। अभी किसी ने कहा कि यह कालेज सब से पुराना कालेज है। यह बात सही नहीं है। पटना कालेज इसके बहुत पहले कायम हुआ था। उसके अलावा नेशनल कालेज भी। इसमें शक नहीं कि जितने कालेज थे बहुत थोड़े थे, 3, 4 होंगे। आज डाक्टर दुखन राम ने मालूम हुआ कि 100 से ज्यादा बिहार यूनिवर्सिटी में तथा पटना के अन्दर ही 12, 15 कालेज होंगे। उस समय से आज तक शिक्षा में जो सुविधा हुयी थी उसमें बहुत अन्तर पड़ गया है और यूनिवर्सिटियां भी तायदाद में बढ़ती जा रही ह। जब कालेज बहुत होते जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटियों का बढ़ना आवश्यक हो जाता है। मैंने यह सुना कि अब यह भी विचार हो रहा है कि मुजफ्फरपुर में यूनिवर्सिटी कायम कर दी जाएगी और छोट्टा नागपुर में यूनिवर्सिटी कायम कर दी जायगी और कुछ दिनों के बाद भागलपुर में कायम कर दी जायगी। यह सब हो रहा है और अपने क्रम से होता

रहेगा और इसकी वजह से हमारे युवकों और युवतियों को जो शिक्षा मिलती है उसका गौरव हमारे प्रान्त को है और आशा है कि वे पढ़-लिखकर अपने को इस योग्य बनावें कि देश की भी सेवा कर सकें और अपनी सेवा भी कर सकें।

शिक्षा जिस पद्धति से आज दी जाती है उसके सम्बन्ध में मैं कई मौके पर कह चुका हूँ और उसको यहां पर दुहराना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी जहां हों, जिस कालेज, स्कूल या संस्था में पढ़ लिख रहे हों, वहां से एक चीज वे सीखकर जायें। वह यह है कि चाहे जो भी काम मिले उसमें लग जायें, जो भी काम करने का मौका मिले या मजदूरी करने का मौका मिले उसको अच्छी तरह से खर्ची से अंजाम देना चाहिए। कोई बड़े से बड़ा काम हो पर उसका ठीक से अंजाम नहीं दिया जाय तो वह काम बड़ा नहीं रह जाता। काम का बड़प्पन भी उसकी वजह से घट जाता है। छोटा भी काम हो और उसका ठीक से अंजाम दिया जाय तो वह भी बड़ा हो जाता है। काम छोटा बड़ा नहीं होता है। करने वाले छोटे काम को बड़ा और बड़े को छोटा कर देते हैं। इसलिए इस चीज को चाहे आप जहां भी हों, जिस कालेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में पढ़ते हों वहां से सीख कर जायें कि यदि किसी वजह से आपको ऊंची नौकरी नहीं मिले तो उस बात की परवाह नहीं करें। छोटी नौकरी मिले तो उसका ईमानदारी के साथ, और परिश्रम के साथ अंजाम देना चाहिए। घर पर जाकर खेती भी करनी पड़े, बाप दादा की तरह हल भी जोतना पड़े तो उसको अच्छी तरह से अदा करें जिससे मालूम हो जाय कि शिक्षा पा कर आप गए हैं और उसका फल यह है कि उसको आप बेहतर कर रहे हैं। आप नौकरी करें, तिजारत करें, घर में ही खेती का काम हो जो कुछ भी काम हो यहां से शिक्षा पाकर जायें तो अच्छी तरह से करना चाहिए। आप में जितनी शक्ति हो, बुद्धि हो उसको लगाकर ठीक तरह से अंजाम दें। अगर ठीक आपने किया तो उसका फल अच्छा मिलेगा।

अगर ठीक काम आपको मिल भी गया और आप इस फिक्क में लगे रहे कि किस तरह से तरक्की है, यहां पहुंच जायें, वहां पहुंच जायें तो दौड़ भाग में आपका समय और आपकी शक्ति का बड़ा हिस्सा लग जायगा और आप बहुत दूर तक नहीं पहुंच सकेंगे और पीछे आपको अफसोस भी होगा। मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाहता हूँ। मैं युवकों को सलाह देता हूँ कि वे किसी चीज के लिए अभिलाषा नहीं करें। जो काम हो आशा के बिना करते जायें और आपको उसका फल खुद ब खुद मिल जायगा। दूसरी तरफ किसी काम की योग्यता नहीं हुयी और ठीक से उसका अंजाम नहीं दिया तो उसका फल नहीं मिलने वाला

है। अगर किसी की केवल मेहरबानी से वह काम मिल भी गया तो आप अपना भी भला नहीं कर सकेंगे और काम भी बिगड़ेगा। इसलिए जो काम करना हो आशा छोड़कर उसे करना चाहिए। गीता की भी यही सीख है कि फल की आशा किए बिना काम करना चाहिए। इसमें साक्षी की कोई बात नहीं है। इसमें अनुभव करने की बात है। किसी चीज की आशा ही नहीं हो तो निराशा किस बात की होगी। निराशा उसको होती है जो बहुत हौसला करके काम करता है कि यह कर देंगे, वह कर देंगे और जब उस आशा की पूर्ति नहीं होती तो उसको दुःख होता है, उसको रंजित होता है और वह सोचने लग जाता है कि उसको बुरा ही फल मिला। जो बड़ी आशा नहीं लगाता उसको निराशा होगी ही नहीं कि हमको यह चीज नहीं मिली, वह चीज नहीं मिली। आप कहेंगे कहने में यह आसान है, करने में आसान नहीं है। मैं कहता हूँ कि यह करने में भी आसान है। यह अनुभव मुझे हुआ है और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ और यदि मैं जीवन में सफल रहा हूँ तो आप भी सफल होंगे।

आज देश संकट के समय से गुजर रहा है। इसमें शक नहीं है। जब से हम स्वतन्त्र हुए, जो कुछ आशा हमने की थी, जो मनसूबे बांधे थे सब को हम पूरा नहीं कर पाए हैं। कुछ देर लग रही है लेकिन फल भी मिल रहा है। मगर और भी प्रयत्न जरूरी है और उसमें हरेक के सहयोग की जरूरत है। हरेक स्त्री और पुरुष चाहे जो कुछ उससे बन पड़े उसको करने के लिए तैयार रहे। अगर देश के अन्दर खेती के काम को तरक्की देना चाहें, बड़े-बड़े कारखानों कायम करना चाहें, चाहे छोटे कुटीर उद्योगों को जारी करना चाहें, चाहे अपने लिए काम करना चाहें, दूसरों के लिए काम करना चाहें, आपको बहुत परिश्रम पहले करना पड़ता है और इन्तजारी करनी पड़ती है तब फल मिलता है। तो देश के लिए भी इस वक्त उसकी जरूरत है। यह जरूरी है कि जो योजनाएं बन रही हैं पहले उनमें लगकर परिश्रम करें, सच्चाई के साथ योगदान दें।

उसके अलावा दूसरी चीजों की तरफ भी ध्यान देना है। बहुत मुश्किल से बहुत जमाने के बाद हम स्वतन्त्र हुए हैं और उस स्वतन्त्रता को कायम रखना आसान काम नहीं है। अब मेरे जैसे लोग, हमारे मित्र मुख्य मन्त्री जी हैं, गवर्नर साहब हैं या और जो लोग हम लोगों के साथी हैं उनसे जो बन पड़ा उन्होंने थोड़ा-बहुत किया। उनका समय खतम होता जा रहा है। अब आइन्द का सारा भार जो नवजवान यहां बैठे हुए हैं उन पर आनेवाला है और उस भार को सम्भालने के लिए उनको तैयार होना चाहिए। मुझे यह कहना है कि हमारे ऊपर

हम लोगों के वक्त में यह भार था कि हम देश को स्वतन्त्र करें तो आप लोगों के ऊपर हम दूसरा भार डालकर जाना चाहते हैं कि आप देश की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखेंगे। यह छोटी बात नहीं है, यह छोटा भार नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो भार हम लोगों ने सहन किया है उससे यह बड़ा भार है क्योंकि हम लोगों के सामने एक ऐसे व्यक्ति आ गए जिन्होंने हमको जगाया, चलाया और एक अनोखा रास्ता दिखलाया जिसकी वजह से हम ने स्वतन्त्रता प्राप्त की है। आप लोगों को खुद ही अपनी मदद करनी है और इस तरह से देश को सम्भालना है जिसमें हर तरह से उसकी रक्षा हो।

आज हम अपने को बिल्कुल सुरक्षित भी नहीं समझ सकते हैं। हमारी उत्तर की 2500, 2600 मील की जो रेखा है जिस पर हम ने भरोसा कर रखा था वह एक प्रकार से हिलती-डोलती नजर आ रही है। हमको उसे किसी तरह से सुरक्षित रखना है और यह संकल्प करना है कि चाहे जो कुछ भी हो उसको हम टूटने नहीं देंगे। मुझे यहां आकर यह देखकर बड़ी खुशी हुई है कि एन०सी०सी० के जो लड़के खड़े थे वे अच्छी तरह खड़े थे, स्वस्थ थे और अपने काम में चुस्त मालूम हुए। पर जो एन०सी०सी० के लड़के होंगे उनकी तायदाद ज्यादा नहीं होगी। मगर देश का काम कुछ लोगों का काम नहीं है। वह सभी का काम है चाहे वे एन०सी०सी० में रहें या नहीं रहें और सब को वह सुविधा मिले या नहीं मिले। इसलिए आप में से हरेक को इसके लिए तैयार रहना है कि जब मौका आयगा तो देश के लिए कोई कुर्बानी या त्याग करने से बाज नहीं आएं। आज सभी लोगों को बताना आवश्यक हो गया है क्योंकि हम समझने लग गए हैं कि जब हम स्वतन्त्र हो गए तो कुछ करना बाकी नहीं रहा, कोई फिक्र की बात नहीं है। अपना ख्याल करना जरूरी है, करना चाहिए मगर साथ-साथ जो जनता की बात है उसको ध्यान में रखना चाहिए और एक तरह का जोश यह भी होना चाहिए कि उस वक्त के लिए अपने को तैयार रखें कि जब कोई वक्त आवे तो हम अपने को गफलत में नहीं पावे और हर मुसीबत का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें।

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि यह कालेज अपनी 60वीं जयन्ती मना रहा है। मैं यही चाहूंगा कि जो नीव सायन्स भवन के लिए मैं ने डाली है वह ऐसा सुन्दर भवन हो जिसके जरिए से आज के मुताबिक अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम दर्जे के विद्यार्थी शिक्षा पाकर निकलें जो देश की सुरक्षा में, देश की हर तरह से उन्नति में मदद कर सकें क्योंकि यह सायन्स का युग है और इस युग में जितनी

सायन्स की प्रगति होगी, सायन्स के अध्ययन की प्रगति होगी उतना ही देश उन्नत होगा। यहां पर सायन्स पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज के लिए जो नया भवन बनेगा और जो नयी सुविधाएं आपको मिलेंगी उससे आपकी जवाबदेही और बढ़ रही है। यहां के अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ रही है और विद्यार्थियों की बढ़ रही है और जब से हम यह देखते हैं कि इससे देश की सुरक्षा में कितनी अधिक मदद हो सकती है तो और भी इसके महत्व को समझ सकते हैं, देख सकते हैं।

मैं आशा करता हूं जिस तरह से यह कालेज पिछले 60 वर्षों में उन्नति करते-करते यहां तक पहुंचा है वह आगे भी उन्नति करता जायगा। इसके विद्यार्थिगण देश के सभी कामों में योगदान देते रहेंगे और देश की सेवा करते जाएंगे।
जय हिन्द।